सत्यमेव जयते

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

वार्षिक रिपोर्ट 2019-20

वाणिज्य विभाग

विषयसूची

सिंहावलोकन	2
संगठनात्मक ढांचा तथा कार्य	7
वैश्विक आर्थिक स्थिति तथा भारत का विदेशी क्षेत्र	21
भारत के विदेश व्यापार की प्रवृत्तियाँ	26
विदेश व्यापार नीति तथा एग्जिम व्यापार	31
निर्यात संवर्धन तंत्र	44
वाणिज्यिक संबंध, व्यापार करार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन	73
विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा निर्यात उन्मुख यूनिटें	109
विशिष्ट एजेंसियां	119
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं एवं विकलांगों के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम	180
पारदर्शिता, सार्वजनिक सुगमता तथा संबद्ध गतिविधियां	185

सिंहावलोकन

विजन एवं मिशन

वाणिज्य विभाग का विजन स्वस्थ एवं स्थायी चालू खाता संतुलन प्राप्त करते हुए भौतिक तथा ई–कामर्स दोनों विधियों से निर्यात की मात्रा में काफी वृद्धि, विविधता तथा निर्यात के प्रौद्योगिकीय परिष्करण के माध्यम से परियोजना निर्यात सहित विश्व में भारत को माल एवं सेवा व्यापार के क्षेत्र में अग्रणी बनाना और इसके द्वारा भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों में भारत के बढ़ते आर्थिक एवं सामरिक महत्व के अनुरूप नेतृत्व की भूमिका ग्रहण करने में समर्थ बनाना है।

इस विजन को लागू करने के लिए सरकार किफायती ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करके, निर्यातक हितैषी योजनाएं शुरू करके, निर्यात केन्द्र के रूप में जिलों को प्रोत्साहित करके, लाजिस्टिक्स में सुधार करके और मुक्त व्यापार करारों (एफटीए) के उपयोग में सुधार लाकर निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में समग्र उपाय कर रही हैं।

व्यापार निष्पादन

2008–09 के वैश्विक वित्तीय संकट से उत्पन्न घटनाओं के कारण हाल के वर्षों में भारत के निर्यात ने बहुत चुनौतीपूर्ण अवधि का सामना किया है, जो 2013–14 के बाद अधिक स्पष्ट हो गई, जब विश्व अर्थव्यवस्था ने भारी व्यापार मंदी का अनुभव किया। तथापि, लाजिस्टिक्स में सुधार, निर्यातकों को प्रोत्साहन एवं सहायता प्रदान करने वाली सरकारी योजनाओं में मानव इंटरफेस कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजिटीकरण में वृद्धि के माध्यम से सुगमता, जीएसटी के कार्यान्वयन के मुद्दों के शीघ्रता से समाधान, कौशल विकास आदि के माध्यम से क्षमता निर्माण जैसे समवेत प्रयासों के माध्यम से सरकार भारत को प्रभावित करने वाली गिरावट की रुझान को रोकने में समर्थ हुआ और पिछले तीन वित्त वर्षों में हमारे पण निर्यात में सेकुलर आधार पर वृद्धि हुई और यह 2018–19 में 330.08 बिलियन अमरीकी डालर की नई ऊंचाई पर पहुंच गया जो गुणवत्ता की दृष्टि से भी बेहतर था क्योंकि उच्च मूल्यवर्धित क्षेत्रों का शेयर इसमें पिछले वर्षों की तुलना में अधिक था।

यदि सेवा निर्यात को भी शामिल करें तो भारत का कुल निर्यात (संयुक्त रूप से वस्तु एवं सेवा निर्यात) पहली बार 2018–19 में आधे ट्रिलियन अमरीकी डालर (500 बिलियन) के आंकड़े को पार करके 538.08 बिलियन अमरीकी डालर की नई ऊंचाई पर पहुंचा है।

वैश्विक चुनौतियों के आलोक में उनके निरंतर विकास तथा लोच की दृष्टि से सेवा क्षेत्र निर्यात देश के लिए महत्वपूर्ण सफलता गाथा है। सामान्य रूप से सेवा क्षेत्र और विशेष रूप से सेवा निर्यात हमारे आर्थिक विकास का प्रमुख ईंजन रहा है और भारत की आय, रोजगार तथा निर्यात वृद्धि में काफी योगदान दिया है। सेवा क्षेत्र विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रमुख प्राप्तकर्ता भी है। भारत से सेवा निर्यात जो 2001–02 में 13 बिलियन अमरीकी डालर और 2013–14 में 152 बिलियन अमरीकी डालर था, 2018–19 में 208 बिलियन अमरीकी डालर पर पहुंच गया है जो यह दर्शाता है कि भारत वैश्विक स्तर पर सेवाओं का मुख्य निर्यातक है। सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से सरप्लस आज वस्तु व्यापार में व्यापार घाटे के लगभग 50 प्रतिशत का वित्त पोषण कर रहा है। विनिर्माण के बढ़ते सेवाकरण, 3 डी प्रिंटिंग तथा डिजिटल वाणिज्य जैसी नई प्रौद्योगिकियों के उद्भव के माध्यम से सेवा क्षेत्र भविष्य में इससे भी अधिक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करेगा। प्रचुर संभावना और अवसर जो सेवा क्षेत्र प्रस्तुत करता है, को ध्यान में रखते हुए सरकार एक व्यापक एवं संकेन्द्रित रणनीति पर काम कर रही है जिसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने के लिए नवाचार, कौशल विकास, अवसंरचना उन्नयन और घरेलू सुधारों को प्रोत्साहित करना है ताकि भारत को वैश्विक सेवा केन्द्र बनाया जा सके।

पुनः गिरावट का प्रदर्शन करने वाले वैश्विक आर्थिक आउटलुक और निर्यात परिदृश्य को देखते हुए भारत का निर्यात वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान पुनः तनाव के अधीन हो गया है। विश्व में संरक्षणवादी प्रवृत्तियों में वृद्धि, यूएस – चीन व्यापार मतभेद के कारण अनिश्चितता तथा ईरान पर प्रतिबंध जैसी घटनाओं ने इस परिदृश्य में योगदान दिया है। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार, 2019 में विश्व पण व्यापार में केवल 1.2 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है जो अप्रैल 2019 में 2.6 प्रतिशत की दर से विकास की भविष्यवाणी की तुलना में काफी कम है। तथापि, निर्यात संवर्धन परिषदों तथा बृहद निर्यातक समुदाय के लिए घनिष्ठता से काम करते हुए सुगमता प्रदान करने और प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने पर सरकार द्वारा निरंतर बल दिए जाने से इन प्रतिकूल वैश्विक घटनाओं के आलोक में भारत के निर्यात निष्पादन को मजबूती से प्रोन्नत किया जाएगा।

वैश्विक आर्थिक सिंहावलोकन

2019 में अनुमानित 2.9 प्रतिशत से वृद्धि के लिए प्रक्षेपित वैश्विक विकास 2020 में 3.3 प्रतिशत और 2021 के लिए 3.4 प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। आईएमएफ, डब्ल्यूईओ, जनवरी 2020 के अनुसार अनंतिम लक्षणों से बाजार में तेजी की रुझान है जिससे विनिर्माण की गतिविधि और वैश्विक व्यापार में वृद्धि हो रही है जो समायोजनकारी मौद्रिक नीति की ओर विस्तृत परिवर्तन है, यूएस–चीन व्यापार वर्ता पर मध्यवर्ती अनुकूल सामाचार और ब्रेकसिट में कोई समझौता न होने का भय समाप्त हो गया है जिससे जोखिम के परिवेश से कुछ बाहर निकलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है जो अक्टूबर डब्ल्यूईओ के समय पर निर्धारित हुआ था। तथापि वैश्विक स्थूल आर्थिक डाटा में परिवर्तन के कुछ संकेत अभी भी दिखाई दे रहे हैं।

वैश्विक व्यापार

विश्व व्यापार संगठन के अनुसार, ''व्यापार टकराव भविष्यवाणी में गिरावट के लिए सबसे बड़ा जोखिम है परंतु स्थूल आर्थिक आघात और वित्तीय अस्थिरता से भी अधिक मंदी का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। वैश्विक निर्यात आर्डर और आर्थिक नीति की अनिश्चितता के आधार पर विश्व व्यापार के लिए व्यापार संबद्ध संकेतक चिंताजनक पथ का संकेत देते हैं। अब 2019 में विश्व पण व्यापार की मात्रा में केवल 1.2 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है जो अप्रैल 2019 में 2.6 प्रतिशत की दर से विकास की भविष्यवाणी की तुलना में काफी कम है। अब 2020 में अनुमानित वृद्धि 2.7 प्रतिशत है जो 3.0 प्रतिशत के पहले अनुमानित वृद्धि दर से कम है। अर्थशास्त्री यह चेतावनी दे रहे हैं कि गिरावट के जोखिम अधिक हैं और यह कि 2020 के अनुमान अधिक सामान्य व्यापार संबंधों की बहाली पर निर्भर हैं।''

घटती आर्थिक विकास दर अंशतः बढ़ते व्यापार तनावों के कारण हैं परंतु यह विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति के उपायों को अपनाना और यूरोपीय संघ में ब्रेक्सिट से संबंधित अनिश्चितता सहित देश विशिष्ट चक्रीय एवं संरचनात्मक कारकों को भी दर्शाती है।

भारत का पण व्यापार

- 2016–17 से लगभग तीन वर्षों के लिए पण व्यापार में सेकुलर आधार पर वृद्धि हो रही है और 2018–19 के लिए 330.08 बिलियन अमरीकी डालर के पण निर्यात का अनुमान लगाया गया

था जो अब तक का सर्वाधिक है तथा 2013–14 में पहली बार प्राप्त किए गए 314.41 बिलियन अमरीकी डालर के सर्वोच्च स्तर को पार कर जाएगा।

- अप्रैल से दिसंबर 2019 (क्यूई) के दौरान निर्यात 239.29 बिलियन अमरीकी डालर था, जबकि अप्रैल से दिसंबर, 2018 की अवधि के दौरान यह 244.08 बिलियन अमरीकी डालर था जो (–) 1.96 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्शाता है।
- 2017–18 के दौरान 465.58 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 2018–19 के दौरान आयात का संचयी मूल्य 514.08 बिलियन अमरीकी डालर था जो 10.14 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। अप्रैल से दिसंबर, 2019 (क्यूई) के दौरान आयात का मूल्य 318.78 बिलियन अमरीकी डालर था जो अप्रैल से दिसंबर, 2018 के दौरान 392.31 बिलियन अमरीकी डालर के आयात की तुलना में (–) 8.91 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है।
- 2017–18 में 162.06 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 2018–19 में 184 बिलियन अमरीकी डालर का व्यापार घाटा होने का अनुमान था। अप्रैल से दिसंबर 2018 में 148.23 बिलियन अमरीकी डालर के व्यापार घाटा की तुलना में अप्रैल से दिसंबर 2019 (क्यूई) में व्यापार घाटा कम होकर 118.10 बिलियन अमरीकी डालर [illegible] गया।

भारत का सेवा व्या[illegible]र

- 2018–19 में [illegible]त के सेवा निर्यात का मूल्य 208 बिलियन अमरीकी डालर [illegible]ा जबकि 2017–18 में इसका मूल्य 195.09 बिलियन अमरी[illegible] डालर था। अप्रैल से दिसंबर, 2018–19 में 149.71(क्यूई) [illegible]लियन अमरीकी डालर की तुलना में अप्रैल से दिसंबर, 2019[illegible] (ई)' में भारत के सेवा निर्यात का अनुमानित मूल्य 158.19 [illegible]यन अमरीकी डालर है जो 5.66 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है
- 2017–18 में [illegible]53 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 2018–19 में [illegible] आयात का मूल्य 7.26 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बढ़कर 12[illegible]6 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। अप्रैल से दिसंबर, 2019[illegible]' के दौरान आयात का संचयी मूल्य 97.75 बिलियन अमरी[illegible] डालर है जो अप्रैल से दिसंबर, 2018 (क्यूई) की तुलना में 7.[illegible] प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है।
- 20[illegible]8–19 और [illegible]ल से दिसंबर 2019 (ई)' के लिए सेवा निर्यात का निवल मूल्य [illegible]मशः 89.94 बिलियन अमरीकी डालर और 60.4[illegible] बिलियन अ[illegible]की डालर है।

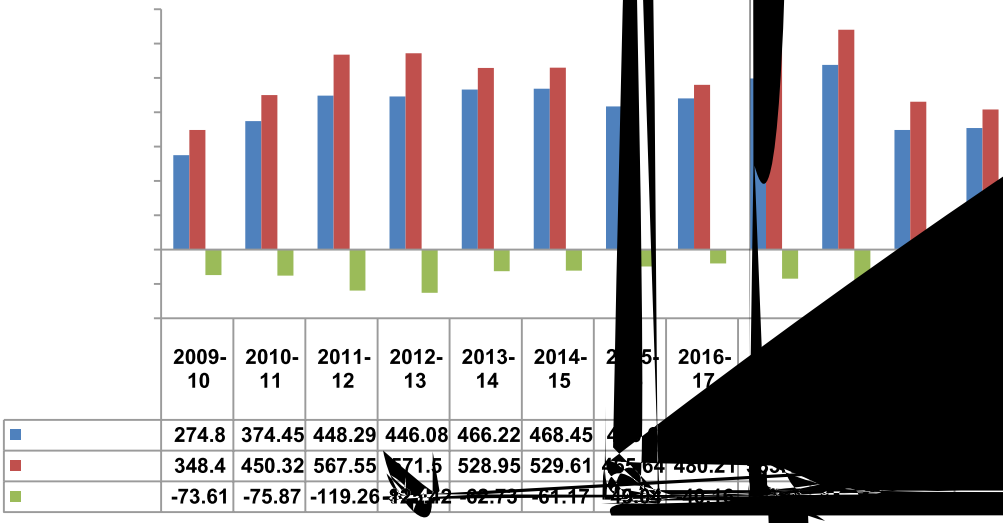

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2[illegible]5-	2016-17	
	274.8	374.45	448.29	446.08	466.22	468.45	4[illegible]		
	348.4	450.32	567.55	[illegible]71.5	528.95	529.61	[illegible]64	460.21	[illegible]
	-73.61	-75.87	-119.26	[illegible]2	-62.73	-61.17	[illegible]	[illegible]	

वाणिज्य विभाग की कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं :

किफायती निर्यात ऋण उपलब्ध कराना

वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी निबंधनों पर निर्यात क्रेडिट उपलब्ध कराने के संबंध में निर्यातकों के सरोकारों को दूर करने के लिए नौप्रेषण पूर्व और पश्चात रुपया निर्यात क्रेडिट के लिए ब्याज समानीकरण योजना (आईईएस) 1 अप्रैल 2015 से 5 साल की अवधि के लिए लागू की गई। इस योजना ने एमएसएमई तथा मर्चेंट निर्यातकों सहित पात्र निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी निबंधनों पर निर्यात क्रेडिट प्राप्त करने में समर्थ बनाया। यह योजना बैंकों के माध्यम से अबाध, पारदर्शी एवं निर्यातक हितैषी ढंग से लागू की गई। सरकार इस उपलब्धि को और सुदृढ़ करने की दिशा [illegible] काम करेगी ताकि विभिन्न निर्यात क्षेत्रों में किफायती ऋण की उप[illegible]धता का दायरा बढ़ाया जा सके।

नए एवं उभरते बाजार[illegible] निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने पिछले तीन वर्षों (वित्त [illegible]र्ष 2017–18 से 2019–20) में ईसीजीसी लिमिटेड में 1050 करोड़ [illegible]पए की पूंजी का निवेश किया है। विदेश में भारतीय परियोजना नि[illegible] की सहायता के लिए सृजित एनईआईए ट्रस्ट ने तीन वर्ष की [illegible]धि (वित्त वर्ष 2017–18 से 2019–20) में 1040 करोड़ रुपए का स[illegible]ता अनुदान प्रदान कर रहा है।

व्यापार सुगमता – [illegible]पारीय व्यापार में व्यापार करने की सरलता (ईओडीबी)

''न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन'' के ध्येय पर चलते हुए और राष्ट्रीय व्यापार समुगता समिति (एनसीटीएफ) के निर्देशों के अनुसार काम करते हुए वाणिज्य मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) पेपरलेस लेनदेन और आटोमेशन के उद्देश्य से इलेक्ट्रानिक प्रक्रियाएं शुरू करके लेनदेन की लागत कम करने के लिए सीमापारीय व्यापार में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। शीघ्र एवं पेपरलेस क्लियरेंस के लिए डीजीएफटी ने कस्टम क्लियरेंस से संबंधित विनियामक प्रक्रियाओं को इलेक्ट्रानिक रूप से जोड़ने की पहल शुरू की है। इससे आयात निर्यात कोड (आईईसी) तथा निर्यात लाभों के स्वचालित निर्गम का मार्ग प्रशस्त हुआ है। रियल टाइम में इलेक्ट्रानिक संचार तथा क्लियरेंस प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए इलेक्ट्रानिक डाटा एक्सचेंज से डीजीएफटी द्वारा चलाई जा रही विभिन्न निर्यात योजनाओं के लिए पेपर प्रति प्रस्तुत करने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। भारत द्वारा अपने व्यापार साझेदारों के साथ हस्ताक्षरित व्यापार करार के लिए उत्पत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत सभी नामित एजेंसियों को एकल बिंदु अक्सेस प्रदान करके निर्यातकों के लिए व्यवसाय करने की सरलता में और वृद्धि करने के लिए डीजीएफटी द्वारा ''उत्पत्ति प्रमाण पत्र'' जारी करने के लिए एक सामान्य डिजिटल प्लेटफार्म शुरू किया गया है।

व्यापार सुगमता के लिए हमारी प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत कुछ उल्लेखनीय पहलें इस प्रकार हैं जो एनसीटीएफ द्वारा संचालित की गई हैं :

- आयात से संबंधित सभी औपचारिकताओं अर्थात जांच, प्रतिचयन, स्वीकृति आदि के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली की स्थापना जिसमें एकल आनलाइन राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से अनेक एजेंसियां शामिल हैं;
- सीमाओं पर गतिविधियों से संबंधित विभिन्न स्वीकृतियों के लिए शुल्कों एवं प्रभारों का सरलीकरण;
- ई–संचित परियोजना के माध्यम से आयात के दस्तावेजों की पेपरलेस फाइलिंग;
- आसानी से पहुंच प्रदान करने के लिए संसाधन सूचना अर्थात आयात / निर्यात के लिए प्रक्रियाओं, कानूनों एवं विनियमों आदि का आनलाइन प्रकाशन;
- ड्यूटी छूट योजना जैसे कि अग्रिम प्राधिकार और ईपीसीजी का पेपरलेस निर्गम; और
- बीमा पश्चात जोखिम प्रबंध लेखा परीक्षा के साथ आयात – निर्यात कोड का प्रणाली द्वारा संचालित निर्गम।

निर्यात केन्द्र के रूप में जिलों का विकास करना

प्रत्येक जिले को निर्यात केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए वाणिज्य विभाग तथा राज्य सरकारों को शामिल करके एक पहल शुरू की गई है। इसे आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक जिले से निर्यात के संवर्धन में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के प्रयासों को सुदृढ़ किया जा रहा है। तद्नुसार, वाणिज्य विभाग देश के सभी जिलों में निर्यात के अवसरों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक जिले में संस्थानिक तंत्र का निर्माण करने के लिए राज्य सरकारों के साथ निकटता से काम कर रहा है।

गवर्नमेंट ई–मार्केट प्लेस (जेम)

5 जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार जेम पोर्टल ने 38266 करोड़ रुपए के कुल संचयी मूल्य का आर्डर प्राप्त किया है और इसने सरकारी प्रापण में पारदर्शिता लाई है। यह एमएसएमई और स्टार्ट अप की विकास गाथा में उनका साथी बनने में समर्थ हुआ है। अब जेम माल, सेवा एवं कार्यों के प्रापण के लिए सिंगल प्लेटफार्म प्रदान करने के लिए देश में एकीकृत प्रापण प्रणाली सृजित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इससे मितव्यिता आएगी, प्रतिस्पर्द्धा बढ़ेगी, और क्रेताओं, विक्रेताओं एवं सेवा प्रदाताओं के अनुभव में सुधार होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए जेम द्वारा सभी कदम उठाए जाएंगे कि सरकारी प्रापण दक्ष, पारदर्शी एवं प्रतियोगी हो

चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना

केन्द्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुपालन में चिह्नित नोडल मंत्रालयों / विभागों ने हितधारकों तथा वाणिज्य विभाग के परामर्श से सेक्टोरल योजनाओं के लिए अपना प्रस्ताव तैयार किया। 6 सितंबर 2019 को व्यय वित्त समिति ने 6 नोडल मंत्रालयों / विभागों अर्थात मानव संसाधन विकास मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, आयुष मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय तथा इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सीएसएसएस के अंतर्गत सेक्टोरल योजनाओं के लिए 2019–20 से 2023–24 के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित 5000 करोड़ रुपए में से 3369.75 करोड़ रुपए के वित्त पोषण के लिए वाणिज्य विभाग की अंब्रेला योजना अर्थात चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना (सीएसएसएस) के लिए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। सीएसएसएस अधिक संभावना वाले सेवा क्षेत्रों में विस्तृत आधार पर विकास को प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

लाजिस्टिक्स

अभिसरण के इन प्रयासों में परिवहन के विभिन्न माध्यमों तथा पूर्ति श्रृंखला को इष्टतम बनाने के महत्व को स्वीकार करते हुए मल्टी माडल लाजिस्टिक्स को बढ़ावा देने पर बल देने के लिए वाणिज्य विभाग में एक नए प्रभाग का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य एकीकृत ढंग से लाजिस्टिक्स का विकास करना और लाजिस्टिक्स की लागत को घटाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाना है। सरकार इस संस्थानिक व्यवस्था के माध्यम से एक राष्ट्रीय लाजिस्टिक्स नीति तैयार कर रही है, एक राष्ट्रीय लाजिस्टिक्स पोर्टल का विकास कर रही है, घरेलू क्षेत्र पर मौजूदा मल्टी माडल माल परिवहन (एमएमटीजी) अधिनियम के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर रही है, मल्टी माडल लाजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) और लाजिस्टिक्स आयोजना एवं निष्पादन निगरनी टूल (एलपीपीटी) के विकास की नीति तैयार कर रही है। सीधे पोर्ट डिलीवरी (डीपीडी), सीधे पोर्ट इंट्री (डीपीई), ई–संचित, अपग्रेडेड आइसगेट, विभिन्न पोर्ट पर स्कैनर, नए पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम (पीसीएस 1एक्स) का शुभारंभ आदि से इन क्षेत्रों में देश की दक्षता में सुधार हुआ है।

इन कदमों ने कारोबार करने की सरलता (ईओडीबी) में भारत के निष्पादन में योगदान किया है जो 2015 में 134 से सुधरकर 2020 में 63 हो गया है। 'सीमापारीय व्यापार' पर निष्पादन में काफी सुधार हुआ है और यह 2015 में 128 से सुधरकर 2020 में 68 हो गया है।

एसईजेड सुधार

एसईजेड में संशोधन किया गया ताकि केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित

न्यास और अन्य संस्थाएं एसईजेड यूनिटें स्थापित करने में समर्थ हो सकें। न्यूनतम भूमि की आवश्यकता तथा क्षेत्र विशिष्ट तथा बहु उत्पाद एसईजेड के रूप में एसईजेड के वर्गीकरण को अभिशासित करने वाली कानूनी रूपरेखा को संशोधित किया गया है ताकि मानदंडों को सरल बनाया जा सके। इससे निवेश आकर्षित करने और निर्यात बढ़ाने के लिए एसईजेड में उपलब्ध खाली भूमि का उपयोग करना संभव होगा। इसके अलावा, एसईजेड विकासकों द्वारा एसईजेड यूनिटों को संपत्तियों की लीज के लिए अधिकतम अवधि को अभिशासित करने वाले प्रावधान को संशोधित किया गया है ताकि यह राज्य सरकार के विनियमों के अनुसार अनुमत अधिकतम अवधि के समान हो सके।

अनुचित व्यापार प्रथाओं से संबंधित प्रमुख सरोकारों को दूर करना

सरकार ने किसी अनुचित व्यापार प्रथा जो व्यापार साझेदार से उत्पन्न हो सकती है, के आलोक में घरेलू उत्पादकों को समान अवसर प्रदान करने का सुनिश्चय किया है। सरकार ने डंपिंग जैसी अनुचित व्यापार प्रथाओं तथा सब्सिडी एवं आयात में उछाल जैसी समस्याओं के निराकरण के लिए एंटी डंपिंग, काउंटर वेलिंग और सेफगार्ड ड्यूटी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कानून में उपलब्ध प्रावधानों को पारदर्शी ढंग से लागू करने के लिए व्यापार निदान महानिदेशालय (डीजीटीआर) के रूप में एक एकीकृत एवं प्रभावी एजेंसी स्थापित की है। सरकार सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता के उत्पादों के उत्पादन के लिए घरेलू इको सिस्टम में वृद्धि के उद्देश्य से तथा निम्न स्तर के आयात से उत्पन्न सार्वजनिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के खतरों के विरुद्ध बचाव करने के लिए भी सभी क्षेत्रों में अनिवार्य तकनीकी मानक विकसित करने और लागू करने की दिशा में भी काम कर रही है। सरकार इन पहलुओं में सभी घरेलू विनिर्माताओं के पीछे मजबूती से खड़ी है और हमारे विनिर्माताओं के इन जायज अधिकारों की सक्रियता से रक्षा करना जारी रखेगी।

कृषि निर्यात नीति

कृषि निर्यात दोगुना करने के उद्देश्य से वाणिज्य विभाग ने भारतीय किसानों एवं कृषि उत्पादों को वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जोड़कर एक व्यापक कृषि निर्यात नीति (एईपी) तैयार की है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करने में राज्यों की सहायता कर रहा है। विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इस प्रयोजनार्थ कार्य करना शुरू कर दिया है। 25 से अधिक राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों ने राज्य में नोडल एजेंसियां नामित की हैं। अनेक राज्यों में कार्य योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा अन्य राज्यों में कार्य उन्नत चरण पर है। निर्यात के संवर्धन के लिए 46 उत्पाद विशिष्ट क्लस्टर चिह्नित किए गए हैं तथा इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए अनेक स्थानों पर क्लस्टर स्तरीय समितियों का गठन किया गया है।

एफटीए की समीक्षा

भारत ने हमारे व्यापार संबंधों में संतुलन का सुनिश्चय करने तथा घरेलू उद्योग के लाभ तथा उनके सरोकारों को दूर करने के लिए हमारी निर्यात संभावना बढ़ाने के उद्देश्य से अपने मौजूदा मुक्त व्यापार करारों (एफटीए) की समीक्षा करने का प्रयास किया है। हम इन मुद्दों के समाधान के लिए अपने सभी मौजूदा एफटीए साझेदारों के साथ काम कर रहे हैं।

सरकार ने एक एफटीए निगरानी समिति का गठन किया है जो एफटीए से संबंधित प्रमुख मुद्दों की जांच एवं निराकरण करेगी। इनमें शामिल हैं : एफटीए रूट के माध्यम से आने वाले आयात और एफटीए रूट का लाभ उठाने वाले निर्यात की रुझानों का विश्लेषण करना, किसी आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए कदम; आयात और निर्यात दोनों पक्षों पर सरोकारों की पहचान एवं निराकरण करने के लिए उद्योग तथा अन्य स्रोतों से नियमित रूप से फीडबैक प्राप्त करना; निर्यातकों की एफटीए से संबंधित जागरूकता निर्माण एवं सुगमता की आवश्यकताओं पर ध्यान देना, निर्यातकों के लिए बाजार पहुंच के अंतराल को दूर करना और एफटीए की समीक्षा आरंभ करके इसे दूर करने का प्रयास करना और भारत के निर्यातकों, विशेष रूप से एमएसएमई द्वारा एफटीए के प्रयोग में सुधार के लिए हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उन तक पहुंचने के प्रयासों पर नजर रखना।

संगठनात्मक ढांचा तथा कार्य

कार्य

वाणिज्य विभाग विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), जो अपनाई जाने वाली बुनियादी रूपरेखा तथा रणनीति प्रदान करती है, तैयार करता है, कार्यान्वित करता है और इसकी निगरानी करता है। घरेलू एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था में उभरते आर्थिक परिदृश्यों का ध्यान रखने के लिए आवश्यक परिवर्तनों को शामिल करने हेतु व्यापार नीति की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है। इसके अलावा, विभाग को बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंधों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों, राज्य व्यापार, निर्यात संवर्धन एवं व्यापार सुगमता तथा कतिपय निर्यात उन्मुख उद्योगों एवं वस्तुओं के विकास एवं विनियमन से संबंधित जिम्मेदारी भी सौंपी जाती है।

सचिव इस विभाग के मुखिया हैं जिनकी सहायता दो विशेष सचिवों, एक अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, पांच अपर सचिवों / अपर सचिव स्तर के अधिकारियों, 11 संयुक्त सचिवों तथा संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों एवं अनेक अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाती है।

कार्य की दृष्टि से विभाग को निम्नलिखित 10 प्रभागों में बांटा गया है :

I. अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति प्रभाग
II. विदेश व्यापार क्षेत्र प्रभाग
III. निर्यात उत्पाद प्रभाग
IV. निर्यात उद्योग प्रभाग
V. निर्यात सेवा प्रभाग
VI. आर्थिक प्रभाग
VII. प्रशासन एवं सामान्य सेवा प्रभाग
VIII. वित्त प्रभाग
IX. पूर्ति प्रभाग
X. [illegible]

जो विभिन्न कार्यालय / संगठन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं उनका ब्यौरा इस प्रकार है :

(क) दो संबद्ध कार्यालय
(ख) दस अधीनस्थ कार्यालय
(ग) दस स्वायत्त निकाय
(घ) पांच फार्मा के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
(ड.) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत गठित विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) (गवर्मन्ट ई मार्किट्प्लेस)
(च) 14 निर्यात संवर्धन परिषदें
(छ) एक सलाहकार बोर्ड और
(ज) छः अन्य संगठन

पत्राचार के लिए पते सहित इन कार्यालयों / संगठनों की पूर्ण सूची अनुबंध 1 में दी गई है।

विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यालयों / संगठनों के विस्तृत संगठनात्मक ढांचे तथा प्रमुख भूमिकाओं एवं कार्यों पर यहां नीचे चर्चा की गई है :

(क) संबद्ध कार्यालय

(I) विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी)

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डी जी एफ टी) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है तथा विदेश व्यापार महानिदेशक इसके अध्यक्ष हैं। 1991 में जब इसकी शुरूआत हुई है, जब सरकार की आर्थिक नीतियों में उदारीकरण शुरू हुआ, तब से यह संगठन विदेश व्यापार को विनियमित करने एवं बढ़ावा देने के काम में अनिवार्य रूप से लगा हुआ है। उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण तथा निर्यात बढ़ाने के समग्र उद्देश्य को ध्यान में रखकर तब से विदेश व्यापार महानिदेशालय को ''सुविधा प्रदाता'' की भूमिका सौंपी गई है। देश के हितों को ध्यान में रखकर आयात / निर्यात के नियंत्रण / निषेध के स्थान पर निर्यात / आयात के संवर्धन एवं सुगमता पर बल दिया गया।

संगठनात्मक ढांचा

नई दिल्ली में अपने मुख्यालय के साथ इस निदेशालय के मुखिया विदेश व्यापार महानिदेशक हैं। यह विदेश व्यापार नीति तैयार करने में सरकार की मदद करता है और भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य के साथ विदेश व्यापार नीति के तहत स्कीमों एवं विदेश व्यापार नीति के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा यह विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 तथा इसके तहत अधिसूचित नियमों एवं विनियमों के कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार है। डीजीएफटी निर्यातकों को प्राधिकार भी जारी करता है और अपने 24 क्षेत्रीय प्राधिकरणों (आरए) के नेटवर्क के जरिए उनके तदनुरूपी दायित्वों की निगरानी करता है।

विदेश व्यापार नीति एवं एफटीडीआर अधिनियम, 1992 के कार्यान्वयन के अलावा, क्षेत्रीय कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के घटनाक्रमों अर्थात डब्ल्यू टी ओ करार, इत्यादि [illegible]

सहायता भी प्रदान करता है। डीजीटीआर डब्ल्यूटीओ व्यवस्था, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम एवं नियमावली तथा अन्य संगत कानूनों एवं अंतर्राष्ट्रीय करारों की प्रासंगिक रूपरेखा के तहत पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से व्यापार निदान की विधियों का प्रयोग करके व्यापार की अनुचित प्रथाओं जैसे कि निर्यातक देशों से डंपिंग तथा करणीय सब्सिडी के प्रतिकूल प्रभाव के विरुद्ध घरेलू उद्योग को समान अवसर प्रदान करता है।

डीजीटीआर वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय के रूप में काम करता है। यह व्यावसायिक दृष्टि से विभिन्न सेवाओं एवं विशेषज्ञताओं से चुने गए अधिकारियों से उत्पन्न बहु–आयामी कौशल सेट के साथ एकीकृत संगठन है।

ख) अधीनस्थ कार्यालय

(I) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस)

वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस) भारत की व्यापार सांख्यिकी और वाणिज्यिक सूचना के संग्रहण, संकलन एवं प्रसार के लिए भारत सरकार का अग्रणी संगठन है। कोलकाता में इसका कार्यालय स्थित है तथा इसके मुख्या महानिदेशक होते हैं। इसे नीति–निर्माताओं, शोधकर्ताओं, आयातकों, निर्यातकों, व्यापारियों और विदेशी क्रेताओं द्वारा अपेक्षित व्यापार सांख्यिकी एवं विभिन्न प्रकार की वाणिज्यिक सूचना का संग्रहण करने, संकलन करने और प्रकाशन / प्रसार करने का कार्य सौंपा गया है। यह भारत की विदेश व्यापार सांख्यिकी के संकलन एवं प्रसार के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश में पहला बड़ा डाटा प्रसंस्करण संगठन है जिसे 2017 में आईएसओ 9001 : 2015 में अपग्रेड किया गया है जो निर्यात एवं आयात डाटा के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है।

वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय में प्राप्त डाटा वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय कोई अंतर्राष्ट्रीय पण व्यापार होने की स्थिति में सृजित प्रशासनिक डाटा के अंग के रूप में विभिन्न सीमा शुल्क कार्यालयों तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) से दैनिक व्यापार विवरणी (डीटीआर) के रूप में वस्तु के निर्यात एवं आयात दोनों के लिए बुनियादी डाटा प्राप्त करता है। सीमा शुल्क प्राधिकारी तीन अलग–अलग माध्यमों अर्थात इलेक्ट्रानिक डाटा एक्सचेंज (ई डी आई), गैर ई डी आई एवं दस्ती रूप में ये डी टी आर भेजते हैं। इंडियन कस्टम ई डी आई गेटवे (आइसगेट) के माध्यम से ई डी आई डाटा हर रोज ऑन–लाइन भेजा जाता है। शेष बंदरगाहों से मासिक जींस व्यापार डाटा ईमेल या सीडी के माध्यम से या दस्ती रूप में टंकित/हस्तलिखित कागजी अनुसूचियों के माध्यम से भेजा जाता है। एनएसडीएल के माध्यम से दैनिक आधार पर विशेष आर्थिक क्षेत्रों से डीटीआर प्राप्त किया जा रहा है। प्राप्त कच्चे डाटा को डी जी सी आई एंड एस अधुनातन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके प्रोसेस और संकलित करता है।

(ii) कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र, एमईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, एसईईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशाखापट्टनम विशेष आर्थिक क्षेत्र और नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के विकास आयुक्तों के कार्यालय

विशेष आर्थिक क्षेत्र नामक स्कीम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं – अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि का सृजन, माल एवं सेवाओं के निर्यात का संवर्धन, घरेलू एवं विदेशी स्रोतों से निवेश का संवर्धन, रोजगार के अवसरों का सृजन तथा आधारभूत सुविधाओं का विकास। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम / नियमावली के अनुसार जब तक विशिष्ट रूप से छूट न दी गई हो, भारत के सभी कानून विशेष आर्थिक क्षेत्रों पर लागू होते हैं। प्रत्येक विशेष आर्थिक क्षेत्र का अध्यक्ष एक विकास आयुक्त होता है तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, 2006 के अनुसार इसे अभिशासित किया जाता है। विनिर्माण, व्यापार या सेवा की गतिविधियों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र में यूनिटें स्थापित की जा सकती हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र की यूनिटों को निबल विदेशी मुद्रा अर्जक होना होता है परंतु वे पहले से निर्धारित किसी मूल्य अभिवृद्धि (रत्न एवं आभूषण यूनिटों को छोड़कर) या न्यूनतम निर्यात तरजीह जैसी अपेक्षाओं के अधीन नहीं होते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र की यूनिटों से घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बिक्री को निर्यात की जाने वाली वस्तु के रूप में माना जाता है तथा वे लागू सीमा शुल्क के भुगतान के अधीन होते हैं।

(iii) वेतन एवं लेखा कार्यालय (आपूर्ति)

तत्कालीन डीजीएसएंडडी सहित पूर्ति प्रभाग के भुगतान एवं लेखांकन का कार्य इसके नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई स्थित क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालयों के माध्यम से विभागीकृत लेखांकन पद्धति के तहत मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय (आपूर्ति प्रभाग) द्वारा किया जाता है। 31 अक्टूबर 2017 से आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय को बंद करने के बारे में मंत्रिमंडल के निर्णय के फलस्वरूप सीसीए (आपूर्ति) का कार्यालय बंद कर दिया गया है तथा अब नई दिल्ली एवं कोलकाता में मामूली स्टाफ तथा 02 पीएओ के साथ सीसीए (वाणिज्य) द्वारा अवशिष्ट कार्य संभाला जा रहा है। आरपीएओ (आपूर्ति), मुंबई तथा आरपीएओ (आपूर्ति), चेन्नई का कार्य क्रमशः आरपीएओ (वाणिज्य), मुंबई तथा आरपीएओ (वाणिज्य), चेन्नई द्वारा अधिग्रहीत कर लिया गया है।

(iv) वेतन एवं लेखा कार्यालय (वाणिज्य एवं वस्त्र)

सचिव मुख्य लेखांकन प्राधिकारी हैं। मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार की सलाह पर मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए) की सहायता से इस जिम्मेदारी का निर्वहन किया जाता है। सचिव विनियोजन लेखा को प्रमाणित करते हैं तथा लोक लेखा समिति तथा लेखाओं पर स्थायी संसदीय समिति में मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करते हैं।

वाणिज्य विभाग तथा वस्त्र मंत्रालय दोनों के लिए एक साझा लेखांकन प्रकोष्ठ है। लेखा प्रकोष्ठ मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए) के पर्यवेक्षण में काम करता है, जिनकी सहायता लेखा नियंत्रक (सीए), सहायक लेखा नियंत्रक लेखा (एसीए) तथा 10 वेतन एवं लेखा कार्यालयों – दिल्ली में 4 पीएओ और चेन्नई, मुंबई एवं कोलकाता में 2–2 पीओए द्वारा की जाती है। मंत्रालय के बजट प्रभाग की जिम्मेदारी सीसीओ को सौंपी जाती है। सीसीए बजट निर्माण, निगरानी एवं व्यय के नियंत्रण में वित्तीय सलाहकार को सभी सहायता प्रदान करते हैं, वित्तीय प्रबंधन प्रणाली से संबंधित मामलों, एफआरबीएम अधिनियम के तहत यथा अपेक्षित प्रकटन विवरण, वार्षिक वित्त लेखा, विनियोजन लेखा, गैर

कर राजस्व प्राप्ति का अनुमान तथा प्रवाह आदि तैयार करने में व्यावसायिक विशेषज्ञता प्रदान करते हैं।

लेखा प्रकोष्ठ के कार्य में शामिल हैं : दावों का भुगतान करना, लेखांकन के लेनदेन, लेखा तथा अन्य संबंधित मामलों का समेकन जैसे कि पेंशन को अंतिम रूप देना तथा भुगतान करना, आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) की सहायता से पेंशन का संशोधन और अंतिम जीपीएफ शेष का भुगतान, ऋण एवं अग्रिम, सहायता अनुदान, सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) / अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ), नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस), छुट्टी वेतन अंशदान एवं पेंशन अंशदान (एलएससी एवं पीसी) आदि का अनुरक्षण। इसके अलावा पीएफएमएस माड्यूल अर्थात ईआईएस, ईएटी, पेंशन, जीपीएफ, सीडीडीओ पैकेज, एनटीआरपी, एलओए आदि के अबाध कामकाज की निगरानी के साथ सीसीए कार्यालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं में पीएफएमएस (ईएटी / डीबीटी) के कार्यान्वयन एवं अबाध कामकाज का समन्वय भी किया जाता है।

विभाग का एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ है जो सभी प्रभागों की आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य संभालता है। वाणिज्य विभाग तथा वस्त्र मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में 347 यूनिटें हैं। आंतरिक लेखा प्रकोष्ठ का कार्य निर्धारित प्रक्रिया के कार्यान्वयन एवं लेखांकन का अध्ययन करना है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वे सही एवं पर्याप्त हों।

(ग) स्वायत्त निकाय

(I) कॉफी बोर्ड

कॉफी बोर्ड कॉफी अधिनियम, 1942 के तहत गठित वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक संगठन है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाल सचिव जो मुख्य कार्यपालक हैं, सहित बोर्ड के 33 सदस्य हैं। बोर्ड के एक गैर कार्यपालक अध्यक्ष और 31 सदस्य हैं जिसमें संसद सदस्य तथा कॉफी उद्योग के विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य शामिल हैं। कॉफी बोर्ड अपनी गतिविधियों को अनुसंधान, विस्तार, विकास, बाजार आसूचना, बाहरी एवं आंतरिक संवर्धन तथा कल्याण के उपायों पर संकेंद्रित करता है। कॉफी बोर्ड बंगलुरू में अपने प्रधान कार्यालय और बालेहोनुरू, चिकमंलुरू जिला, कर्नाटक में केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान (सीसीआरआई) के साथ काम करेगा। कॉफी बोर्ड के चुन्डाले (केरल), ठंडीगुडी (तमिलनाडु), नरसिपट्टनम (आंध्र प्रदेश) और डिफू (असम) में क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र हैं तथा इसकी विस्तार यूनिटें कॉफी का उत्पादन करने वाले परंपरागत क्षेत्रों (कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु), गैर परंपरागत क्षेत्रों (आंध्र प्रदेश और ओडिशा) और पूर्वोत्तर क्षेत्र (असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और अरूणाचल प्रदेश) में फैली हैं।

(ii) रबर बोर्ड

रबर बोर्ड, रबर अधिनियम, 1947 की धारा (4) के तहत गठित एक सांविधिक संगठन है और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त गैर कार्यपालक अध्यक्ष बोर्ड के मुखिया हैं तथा इसमें संसद सदस्यों सहित प्राकृतिक रबर उद्योग के विभिन्न हितधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 28 सदस्य हैं। बोर्ड की कार्यकारिणी और प्रशासनिक शक्तियां कार्यपालक निदेशक के पास हैं। बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम, केरल में स्थित है।

भारतीय रबर उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला से संबंधित विकासात्मक एवं विनियामक कार्यों का निर्वहन प्राकृतिक रबर (एन आर) से संबंधित अनुसंधान, विकास, विस्तार और प्रशिक्षण की गतिविधियों को प्रोत्साहित करके और मदद प्रदान करके बोर्ड द्वारा किया जाता है। बोर्ड के कार्यों में रबर की सांख्यिकी का अनुरक्षण, रबर के विपणन को प्रोत्साहित करना तथा श्रमिकों के कल्याण से संबंधित कार्य करना भी शामिल है। 1955 में स्थापित भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान (आरआरआईआई) कोट्टायम, केरल में स्थित है तथा इसके नौ क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र (आरआरएस) हैं जो रबर का उत्पादन करने वाले देश के विभिन्न राज्यों में स्थित हैं। बोर्ड का एक प्रशिक्षण विभाग अर्थात रबर प्रशिक्षण संस्थान (आरटीआई) भी है जो कोट्टायम में स्थित है तथा प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों के बीच कड़ी के रूप में काम करता है। इसे उत्पादन, प्रसंस्करण, उत्पाद निर्माण, विपणन एवं उपभोग सहित प्राकृतिक रबर उद्योग के सभी क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है तथा यह रबर उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

(iii) चाय बोर्ड

भारत में चाय उद्योग के समग्र विकास के लिए अधिनियम में परिकलपित विभिन्न कार्यों, कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए चाय बोर्ड चाय अधिनियम 1953 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। अध्यक्ष सहित चाय बोर्ड के सदस्यों की संख्या 31 है। बोर्ड का कार्यकाल तीन साल का होता है। वर्तमान बोर्ड का कार्यकाल 11 फरवरी 2019 से 10 फरवरी 2022 तक है। उपाध्यक्ष मुख्य कार्यपालक अधिकारी होते हैं और दो कार्यपालक निदेशक होते हैं, जिनमें से एक असम के गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय कार्यालय (पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए) और दूसरे तमिलनाडु के कून्नूर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय (पूरे दक्षिण भारत के लिए) में तैनात हैं। इस बोर्ड के कार्यों में चाय बागानों में दक्षता और नवाचार सुगम करने के लिए कारगर प्रबंधन रणनीतियां विकसित करना, अच्छी गुणवत्ता वाली चाय का उत्पादन करने के लिए नवोन्मेषी प्रसंस्सकरण प्रौद्योगिकी विकसित करना, उच्च मूल्य चाय निर्यात में वृद्धि करना, चाय उद्योग के सभी स्तरों पर मानव संसाधन के लिए क्षमता निर्माण करना, चाय के सभी पहलुओं पर अनुसंधान और विकास प्रयास का सुदृढीकरण करना, चाय उत्पादन के लिए मूल्य वर्धन करना, चाय के कारखानों से छोटे फार्मों को जोड़ना और क्लाउड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सभी सेवाओं के साथ अगली पीढ़ी के नीलामी मंचों को बढ़ावा देना शामिल है, ताकि सभी हितधारकों को मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके।

(iv) तंबाकू बोर्ड

तंबाकू बोर्ड अधिनियम 1975 के प्रावधानों के अधीन गुंटूर, आंध्र प्रदेश में मुख्यालय के साथ 1 जनवरी 1976 को तंबाकू बोर्ड का गठन किया गया। तंबाकू बोर्ड के मुखिया एक गैर कार्यपालक अध्यक्ष हैं जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है तंबाकू बोर्ड के महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं :

- भारत एवं विदेशों में मांग के अनुरूप वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादन एवं संसाधन को विनियमित करना।

(x) भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी)

भारतीय पैकेजिंग संस्थान पैकेजिंग प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक स्वायत्त निकाय है, जिसकी स्थापना प्रमुख पैकेजिंग एवं संबद्ध उद्योगों और वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में 14 मई, 1966 को की गई। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य नवाचारी पैकेज डिजाइन एवं विकास के रूप में निर्यात को बढ़ावा देना तथा राष्ट्रीय स्तर पर पैकेजिंग के मानकों का उन्नयन करना भी है। संस्थान का प्रधान कार्यालय मुंबई में है और इसकी शाखाएं दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद और अहमदाबाद में स्थित हैं। संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे कि विश्व पैकेजिंग संगठन (डब्ल्यू पी ओ) और एशियाई पैकेजिंग परिसंघ (ए पी एफ) के साथ उत्कृष्ट संबंध स्थापित किए हैं। संस्थान विभिन्न गतिविधियों में शामिल है जैसे कि पैकेजिंग सामग्रियों एवं पैकेजों का परीक्षण एवं प्रमाणन, प्रशिक्षण एवं शिक्षा, परामर्श सेवा तथा पैकेजिंग से संबंधित अनुसंधान एवं विकास की गतिविधियां। इसके अलावा संस्थान एक द्विवार्षिक कार्यक्रम अर्थात अंतर्राष्ट्रीय पैकेजिंग प्रदर्शनी नामतः इंडियापैक और पैकेजिंग में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय प्रतियोगिता अर्थात इंडियास्टार का आयोजन करता है।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू)

(i) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसटीसी)

मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप के देशों के साथ व्यापार करने तथा देश से निर्यात को विकसित करने में निजी व्यापार एवं उद्योग के प्रयासों को संपूरित करने के लिए 18 मई, 1956 को एसटीसी का गठन किया गया। तब से एस टी सी ने देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने भारत में सार्वजनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं (जैसे कि गेहूँ, दाले, चीनी, खाद्य तेल आदि) और औद्योगिक कच्ची सामग्री के आयात की व्यवस्था की है और भारत से वस्तुओं की एक बड़ी संख्या के निर्यात को विकसित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। थोक वस्तुओं के निर्यात / आयात को संभालना एसटीसी की प्रमुख ताकत है। पिछले कुछ वर्षों में एसटीसी ने इस्पात, लौह अयस्क, सीरा के निर्यात तथा बुलियन, हाइड्रोकार्बन, मिनरल, मेटल, उर्वरक, पेट्रोरसायन आदि के आयात के क्षेत्र में भी कदम रखा है। घरेलू मोर्चे पर एसटीसी मुख्य रूप से खाद्य तेल, बीज, उर्वरक, कोयला, मेटल, दालों, जूट बैग आदि की बिक्री करता है।

बैंकिंग लिमिट उपलब्ध न होने को ध्यान में रखते हुए कंपनी इस समय केन्द्र सरकार / राज्य सरकार के विभागों तथा उनकी संस्थाओं आदि के साथ कारोबार कर रही है जहां एसटीसी की निधियों की कोई भागीदारी नहीं होती है।

एसटीसीएल लिमिटेड जो एसटीसी की एक सहायक कंपनी है, बंद होने की प्रक्रिया में है तथा इसने 2014–15 से अपनी सभी कारोबारी गतिविधियों को बंद कर दिया है।

(ii) एमएमटीसी लिमिटेड

मुख्य रूप से खनिजों एवं अयस्कों के निर्यात तथा अलौह धातुओं के आयात का काम करने के लिए 1963 में एक स्वतंत्र संस्था के रूप में एमएमटीसी से लिमिटेड का निगमन किया गया। पिछले कुछ वर्षों में, राष्ट्रीय आवश्यकताओं तथा विभिन्न वस्तुओं का आयात एवं निर्यात सहित कारोबार के नए अवसरों को ध्यान में रखते हुए एम एम टी सी ने व्यवसाय के अपने क्षेत्र का विस्तार किया है। उर्वरक, इस्पात, कोयला एवं हाइड्रोकार्बन, हीरा, बुलियन, कृषि आदि जैसी वस्तुओं को उत्तरोत्तर कंपनी के पोर्टफोलियो में शामिल किया गया।

लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क, क्रोम अयस्क / कंसंट्रेट तथा यूरिया के आयात के लिए उत्प्रेरक एजेंसी के रूप में काम करने के अलावा एमएमटीसी सोना और चांदी के आयात, संप्रभु भारत के सोने के सिक्कों की बिक्री, दालों के आयात, कृषि उत्पादों, उर्वरकों, कोयला, इस्पात, अलौह धातुओं, पिग आयरन आदि जैसी अन्य वस्तुओं में व्यापार तथा एनआईएनएल, एमएमटीसी पीएएमपी, एफटीडब्ल्यूजेड, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (आइसेक्स) आदि जैसे व्यापार संबद्ध संयुक्त उद्यमों में निवेश के लिए नामित एजेंसियों में से एक के रूप में काम करता है।

सहायक कंपनी

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर (एमटीपीएल) एमएमटीसी की पूर्णतः स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है तथा इसे अक्टूबर 1994 में 1 मिलियन अमरीकी डालर की शेयर पूंजी के साथ सिंगापुर के कानूनों के तहत निगमित किया गया। शुरूआत से, यह कंपनी वस्तुओं का व्यापार करती है और इसने सिंगापुर में अपने आपको विश्वसनीय एवं प्रतिष्ठित व्यापार कंपनी के रूप में स्थापित किया है।

(iii) पीईसी लिमिटेड

पीईसी लिमिटेड को ''दि प्रोजेक्ट्स एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड'' के रूप में 1971 में स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन की सहायक कंपनी के रूप में निगमित किया गया और यह 1991 में स्वतंत्र कंपनी बनी। 25 नवंबर, 1997 को कंपनी का नाम बदलकर पीईसी लिमिटेड रखा गया। पीईसी लिमिटेड के मुख्य कार्यों में इंजीनियरिंग उपकरण तथा परियोजनाओं का निर्यात, बुलियन का आयात तथा औद्योगिक कच्चा माल एवं कृषि वस्तुओं का व्यापार शामिल है।

पिछले कुछ वर्षों में पीईसी लिमिटेड ने इन क्षेत्रों में अपने व्यवसाय का विस्तार किया है जो इसके टर्नओवर एवं लाभ का प्रमुख हिस्सा है। पीईसी ने 2019–20 के दौरान 31 अक्टूबर 2019 तक 780 करोड़ रुपए (अनंतिम) का टर्नओवर प्राप्त किया। तथापि, कंपनी का प्रचालन लगभग बंद हो गया है क्योंकि पीईसी के खाते को एनपीए के रूप में घोषित किया गया है तथा सिंडीकेट बैंक ने इसे एनसीएलटी में घसीटा है। एनसीएलटी में प्रकरण अभी तक स्वीकार नहीं हुआ है। 29 अगस्त 2019 को आयोजित अपनी बैठक में वाणिज्य मंत्रालय ने कंपनी को बंद करने के लिए सैद्धांतिक निर्णय लिया है तथा मंत्रिमंडल नोट तैयार किया जा रहा है।

(iv) ईसीजीसी लिमिटेड (पूर्व में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड)

भारत से निर्यात को बढ़ावा देने एवं सहायता प्रदान करने के लिए ''न लाभ न हानि'' आधार पर निर्यातकों और बैंकों को अल्प अवधि, मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि के आधार पर निर्यात क्रेडिट बीमा सेवा प्रदान करने के लिए कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 1957 में मुंबई में

ईसीजीसी लिमिटेड का गठन किया गया जो भारत सरकार की अग्रणी निर्यात क्रेडिट एजेंसी (ईसीए) है। यह वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसई) है।

ईसीजीसी लिमिटेड का उद्देश्य निर्यात क्रेडिट बीमा तथा व्यापार संबद्ध सेवाएं प्रदान करने में उत्कृष्टता हासिल करना है। ईसीजीसी लिमिटेड का मिशन उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग के माध्यम से भारतीय निर्यात बाजार की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागत प्रभावी बीमा एवं व्यापार संबद्ध सेवाएं प्रदान करके भारतीय निर्यात उद्योग की सहायता करना है।

ईसीजीसी लिमिटेड की सेवाएं बैंक वित्त तक पहुंच, सूचना तक पहुंच तथा विदेशी क्रेताओं / देशों से बकाया ऋणों की वसूली में सहायता को संभव बनाती हैं। ईसीजीसी की पूंजी संबंधी आवश्यकता में वृद्धि के लिए, आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने वित्त वर्ष 2017–18 से वित्त वर्ष 2019–20 की अवधि के दौरान 2000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश प्रदान करने के लिए मंजूरी प्रदान की। तद्नुसार, अफ्रीका, सीआईएस तथा लैटिन अमेरिका के देशों जैसे नए, उभरते एवं चुनौतीपूर्ण बाजारों का उपयोग करने के लिए भारतीय निर्यातकों की सहायता के लिए ईसीजीसी को वित्त वर्ष 2017–18 में 50 करोड़ रुपए, वित्त वर्ष 2018–19 में 500 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान 500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए)

भारत से परियोजना निर्यात जो सामरिक एवं राष्ट्रीय महत्व के हैं, को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने 2006 में एनईआईए न्यास का गठन किया। 66 करोड़ रुपए के शुरुआती कारपस से न्यास का गठन किया गया। अधिक परियोजना निर्यात की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा और बजटीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया तथा वित्त वर्ष 2017–18 से वित्त वर्ष 2019–20 तक की अवधि के दौरान 1040 करोड़ रुपए प्रदान करने के लिए सहमति हुई। तद्नुसार, वित्त वर्ष 2017–18 में 440 करोड़ रुपए, वित्त वर्ष 2018–19 में 300 करोड़ रुपए तथा वित्त वर्ष 2019–20 में 300 करोड़ रुपए सहायता अनुदान के रूप में एनईआईए ट्रस्ट को जारी किए गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार से प्राप्त अंशदान से कारपस 31 अक्तूबर 2019 तक की स्थिति के अनुसार बढ़कर 3978.8 करोड़ रुपए हो गया है।

परियोजना निर्यात के लिए अपने कवर के माध्यम से एनईआईए भारतीय परियोजना निर्यातकों को अधिक प्रतियोगी बनने तथा सामरिक दृष्टि से राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों में मजबूत पकड़ प्राप्त करने में मदद करता है। सफल परियोजना निर्यात विदेश में परियोजनाएं निष्पादित करने में भारत की क्षमता पर स्थायी स्पष्ट प्रभाव उत्पन्न करता है।

एनईआईए ने अब तक 43 देशों में 47,903 करोड़ रुपए मूल्य की 154 परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की है।

(v) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आई टी पी ओ)

भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण (टीएफएआई) का नाम बदलने और भारतीय व्यापार विकास संगठन (टीडीए) के विलय के बाद वर्ष 1992 में भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) का गठन किया गया। आईटीपीओ भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत शेयर होल्डिंग के साथ वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अनुसूची 'ख' मिनी रत्न श्रेणी–1 सीपीएसई है। इसका पंजीकृत कार्यालय प्रगति मैदान, नई दिल्ली में है। आईटीपीओ के क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में स्थित हैं जिससे भारत और विदेश में आयोजित इसके कार्यक्रमों में देश के विभिन्न क्षेत्रों से व्यापार एवं उद्योग की भागीदारी सुनिश्चित होती है।

आईटीपीओ धारा 8 की कंपनी है और इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

- भारत और विदेश में औद्योगिक व्यापार तथा अन्य मेलों एवं प्रदर्शनियों को बढ़ावा देना, आयोजित करना और भाग लेना तथा देश का व्यापार बढ़ाने के लिए सभी आनुषंगिक कदम उठाना;
- भारत में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों का भारत एवं विदेश में प्रचार करना तथा उनमें भाग लेने के लिए विदेशी प्रतिभागियों को आमंत्रित करना;
- भारत में और विदेशों में मेलों, प्रदर्शनियों एवं सम्मेलनों के संबंध में या सिलसिले में माल एवं सेवाओं में व्यापार का संवर्धन करना;
- निर्यात का संवर्धन करना तथा निर्यात की परंपरागत मदों के लिए नए बाजारों की तलाश करना और निर्यात व्यापार का विस्तार करने, विविधता लाने और बनाए रखने के उद्देश्य से नई मदों के निर्यात का विकास करना।

(ड.) गवर्नमेंट ई–मार्केट प्लेस – कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत सृजित विशेष प्रयोज्य वाहन (जेम–एसपीवी)

गवर्नमेंट ई–मार्केट प्लेस – कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत सृजित विशेष प्रयोज्य वाहन (जेम–एसपीवी)

- गवर्नमेंट ई–मार्केट प्लेस (जेम) केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों द्वारा सामान्य प्रयोग की वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के लिए आनलाइन मार्केट प्लेस के सृजन एवं अनुरक्षण के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अंतर्गत सृजित एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) है।
- अधिसूचना दिनांक 8 दिसंबर 2017 के माध्यम से भारत सरकार (कार्य का आवंटन) नियमावली 1961 ने निम्नलिखित प्रविष्टि की है :
  - ''32. राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रापण पोर्टल – गवर्नमेंट ई–मार्केट प्लेस का विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण''
- जेम सरकारी संगठनों द्वारा सामान्य प्रयोग की सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के लिए पारदर्शी, प्रभावी एवं समावेशी आनलाइन प्लेटफार्म प्रदान करता है।
- सामान्य वित्तीय नियमावली 2016 में एक नया नियम संख्या 149 शामिल करके वित्त मंत्रालय द्वारा सरकारी विभागों द्वारा जेम के माध्यम से क्रय को अधिकृत एवं अनिवार्य किया गया है। सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र जेम के माध्यम से खरीदारी कर रहे हैं।

- सार्वजनिक
  एमएसएमई
  के लिए भी
- जेम ने जीए
  इनेबल कि
  क्रेताओं की
  उपलब्ध कराया है।

कंपनी (लाभ न कमाने वाली कंपनी) है। ईईपीसी इंडिया विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के तहत पूरे देश में इंजीनियरिंग निर्यात के लिए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नोडल एजेंसी है। इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यातकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए कंपनी का मुख्यालय कोलकाता में है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली में तथा उप क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलुरू, हैदराबाद (सिकंदराबाद) और जालंधर में हैं। इंजीनियरिंग निर्माताओं एवं निर्यातकों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से तथा बेहतर पहुंच प्राप्त करने के लिए ईईपीसी इंडिया ने टियर 2 और टियर 3 के 12 शहरों अर्थात तमिलनाडु (11 मई 2019), छत्तीसगढ़ (19 जून 2019), झारखंड (3 जुलाई, 2019), कर्नाटक (23 जुलाई, 2019), पश्चिम बंगाल (3 अगस्त, 2019), हिमाचल प्रदेश (10 अगस्त, 2019), मध्य प्रदेश (24 अगस्त, 2019), आंध्र प्रदेश (19 सितंबर, 2019), महाराष्ट्र (18 अक्टूबर, 2019), ओडिशा (8 नवंबर, 2019), राजस्थान (9 नवंबर, 2019) और उत्तराखंड (22 नवंबर, 2019) में अपनी पीठ स्थापित की।

सलाहकार संस्था के रूप में यह भारत सरकार की नीतियों में सक्रियता से योगदान होता है तथा इंजीनियरिंग उद्योग एवं सरकार के बीच कड़ी के रूप में काम करता है। 1955 में स्थापित ईईपीसी इंडिया के सदस्यों की संख्या अब 13000 के आसपास है जिसमें से 60 प्रतिशत एसएमई हैं। ईईपीसी इंडिया भारत से स्रोतन को सुगम बनाता है तथा एसएमई को अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप अपने मानकों को ऊपर उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह एसएमई को वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ अपने व्यवसाय को एकीकृत करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। 'भविष्य को अभियांत्रिक करना' को अपने ध्येय के रूप में रखते हुए ईईपीसी इंडिया भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय समुदाय के लिए भविष्य में भारत को इंजीनियरिंग के एक प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में उनके प्रयासों में संदर्भ बिंदु के रूप में काम करता है।

रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद

रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी), जो भारतीय रत्न एवं आभूषण उद्योग की शीर्ष व्यापार संस्था है, इस साल अपने गठन के 53 गौरवशाली वर्ष पूरे कर रही है। 30 नवंबर 2019 की स्थिति के अनुसार इसके सदस्यों की संख्या 6702 के आसपास है। रत्न एवं आभूषण विनिर्माण क्षेत्र भारत के अग्रणी विदेशी मुद्रा अर्जक क्षेत्रों में एक है। राजकोषीय वर्ष 2019–20 के दौरान (अक्टूबर 2019 तक) भारत से रत्न एवं आभूषण के निर्यात ने 23 बिलियन अमरीकी डालर का निष्पादन दर्ज किया जो देश के कुल पण निर्यात में लगभग 12.37 प्रतिशत का योगदान है। इस क्षेत्र के तहत भारी संख्या में एसएमई यूनिटें शामिल हैं जो कुशल एवं अर्धकुशल मजदूरों को रोजगार देती हैं, जिनमें से लगभग सभी यूनिटें असंगठित क्षेत्र में हैं।

प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद

भारत से प्लास्टिक एवं लिलोनियम के उत्पादों के निर्यात के संवर्धन के उद्देश्य से 1955 में प्लासिटक निर्यात संवर्धन परिषद स्थापित की गई और कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत की गई। परिषद का प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थिति है तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद और नई दिल्ली में हैं। 31 अक्टूबर, 2019 की स्थिति के अनुसार परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 2587 है। परिषद अपनी प्रशासन समिति (सीओए) के मार्गदर्शन में तथा वाणिज्य विभाग के समग्र पर्यवेक्षण में काम करती है।

खेलों के सामान ईपीसी

खेल की सामग्रियों एवं खिलौनों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेल सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद (एसजीईपीसी) की स्थापना वर्ष 1958 में हुई। परिषद घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय उद्योग में होने वाले महत्वपूर्ण विकास के क्षेत्र में अपने सदस्यों को सेवाएं प्रदान करती है।

क्रिकेट के अलावा कई प्रकार के अन्य खेलों की ओर अग्रसर होने से भारत में खेल सामग्री उद्योग का विकास हो रहा है। इससे भारतीय बाजार पर नजर रखने वाले निवेशकों के लिए व्यवसाय के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं – ब्रांड निर्माण एवं अवसंरचना से लेकर आला उद्यमी उपक्रम तक।

शेफेक्सिल

लाख निर्यात संवर्धन परिषद कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत जून, 1957 में स्थापित की गई। 08 फरवरी, 2007 को इसका नाम बदलकर लाख एवं वन उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (शेफेक्सिल) किया गया। परिषद का पंजीकृत कार्यालय कोलकाता में स्थित है तथा इसकी कोई अतिरिक्त शाखा या क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। 31 दिसंबर, 2019 की स्थिति के अनुसार प रिषद के सदस्यों की कुल संख्या 557 है। परिषद अपनी प्रशासन समिति (सीओए) के मार्गदर्शन में तथा वाणिज्य विभाग के समग्र पर्यवेक्षण में काम करती है।

शेफेक्सिल गैर इमारती वन उपज के लिए तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र से उत्पादों के लिए भी नामित नोडल निर्यात संवर्धन परिषद है। इस समय परिषद को निम्नलिखित उत्पादों के लिए निर्यात संवर्धन की गतिविधियों का आयोजन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है :

- ❖ लाख तथा लाख आधारित उत्पाद;
- ❖ वनस्पतियों के अर्क एवं जड़ी–बूटियों के सत;
- ❖ ग्वार गम;
- ❖ पौधे एवं उनके भाग (जड़ी–बूटियां);
- ❖ नियत वनस्पति तेल, खली तथा अन्य;
- ❖ अन्य वनस्पति खनिज;
- ❖ पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित अनेक उत्पाद

फार्मेक्सिल

घरेलू विनिर्माण क्षेत्र का समर्थन करने वाली सरकार की अनेक औषधि नीतियों से 1970 के दशक में भारत के फार्मास्युटिकल विनिर्माण ने जोर पकड़ा जहां देशज प्रौद्योगिकी पर बल दिया गया। देश शीघ्र ही न केवल आत्मनिर्भर बन गया बल्कि फार्मा उत्पादों का निर्यातक भी हो गया।

भारत को जेनरिक दवाओं के लिए 'विश्व की फार्मेसी' के रूप में माना जाता है तथा इसने सस्ती लागत पर अच्छी स्वास्थ्य देखरेख सेवा प्रदान करने की प्रतिष्ठा प्राप्त की है। भारत के पास प्रमाणित

अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक क्षमता है जिन्हें अनेक ए एन डी ए

❖ सिविल निर्माण (संरचना / अवसंरचना)

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुझानों एवं अवसरों के बारे में [illegible] प्रदान करती रहती है। एसईपीसी ऐसे अवसरों का लाभ उठाने में अपने सदस्यों को सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपने निर्यात का विस्तार कर सकें। 2006 में स्थापित सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के 15 से अधिक सेवा क्षेत्रों जो इसके क्षेत्राधिकार के तहत आते हैं, से सदस्य की संख्या 4800 से अधिक है। एसईपीसी के सदस्य डीजीएफटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस) का लाभ उठा सकते हैं।

परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद

परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति की रूपरेखा के अंदर तथा उनके ज्ञापन पी ई एम (परियोजना निर्यात मैनुअल) में यथा उल्लिखित विदेशी परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसरण में विदेशों में परियोजनाएं प्राप्त करने एवं निष्पादित करने के लिए भारतीय परियोजना निर्यातकों के लिए शीर्ष समन्वय एजेंसी के रूप में काम करती है।

पीईपीसी न केवल निर्यात संवर्धन की आवश्यक पहलों का आयोजन करता है अपितु सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी तथा भारतीय परियोजना निर्माण की मदों का प्रयोग करके इंजीनियरिंग सेवा के निम्नलिखित माड्यूल में से किसी में विदेश में परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में प्रोसेस इंजीनियरिंग कंट्रेक्टर और कंसल्टेंट सहित भारतीय सिविल एवं इंजीनियरिंग (ईपीसी) को आवश्यक तकनीकी सूचना, मार्गदर्शन एवं सहायता भी प्रदान करता है

है तथा इसने 5.5 लाख करोड़ रुपये से [illegible] है।

ईपीसीईएस के उद्देश्य :

❖ भारत से निर्यात को बढ़ावा देना और देश के लिए अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करना।

❖ केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर ईओयू / एसईजेड समुदाय तथा सरकार के बीच अंतःक्रिया को बढ़ावा देना।

❖ भारतीय निर्यातकों के निर्यात बाजार विकास से संबंधित प्रयासों में सहायता के लिए केंद्र सरकार द्वारा उनके लिए संचालित बाजार पहुंच पहल (एमएआई) योजना के लाभ प्रदान करना।

❖ अन्य निर्यात संवर्धन परिषदों / भारत में निर्यात संवर्धन संगठनों तथा विदेशों में समान संस्थाओं और इस क्षेत्र में काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साझ

उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यापार बोर्ड अन्य बातों के साथ विदेश व्यापार नीति से संबंधित नीतिगत उपायों पर सरकार को सलाह देगा।

व्यापार बोर्ड के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :

(i) उभरते राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्यों के आलोक में निर्यात बढ़ाने के लिए अल्पावधिक एवं दीर्घावधिक दोनों प्रकार की योजनाओं को तैयार करने एवं लागू करने के लिए नीतिगत उपायों पर सरकार को सलाह देना;

(ii) विभिन्न क्षेत्रों के निर्यात निष्पादन की समीक्षा करना, अड़चनों की पहचान करना और निर्यात आय को इष्टतम करने के लिए उद्योग विशिष्ट उपायों का सुझाव देना;

(iii) आयात एवं निर्यात के लिए विद्यमान संस्थानिक रूपरेखा की जांच करना और वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसे और सरल एवं कारगर बनाने के लिए व्यावहारिक उपायों का सुझाव देना;

(iv) आयात एवं निर्यात के लिए नीतिगत लिखतों एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा करना तथा इष्टतम उपयोग के लिए उनको तर्कसंगत बनाने हेतु कदमों का सुझाव देना; और

(v) ऐसे मुद्दों की जांच करना जिन्हें भारत के व्यापार के संवर्धन तथा भारतीय माल एवं सेवाओं की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए संगत समझा जाता है।

व्यापार एवं विकास परिषद तथा व्यापार बोर्ड का विलय : हितधारकों के सरोकारों के निराकरण के लिए सामान्य प्लेटफार्म प्रदान करना

तत्कालीन व्यापार बोर्ड तथा व्यापार विकास एवं संवर्धन परिषद का अब एकल संस्था अर्थात व्यापार बोर्ड में विलय हो गया है। विलय के बाद, माननीय केन्द्रीय रेलवे, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में 6 जून 2019 को पहली बैठक तथा 12 सितंबर 2019 को दूसरी बैठक हुई।

यह सामान्य प्लेटफार्म, जिसमें उद्योग, निर्यात संवर्धन परिषदों, भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि और बैंकिंग एवं वित्त क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल हैं, प्राथमिकता के आधार पर सरोकारों का निराकरण करने पर फोकस के साथ निर्यात से संबंधित सरोकारों के निराकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

(ज) अन्य संगठन

(i) भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ (एफआईईओ)

निर्यात संवर्धन संगठनों की शीर्ष संस्था के रूप में 1965 में फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट अर्गनाइजेशंस (एफआईईओ) का गठन किया गया। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 की अधिनियम संख्या 21) के तहत पंजीकृत है। इस फेडरेशन का मुख्यालय दिल्ली में है तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में हैं। फेडरेशन को विदेश व्यापार नीति 2015–20 के परिशिष्ट 2टी के तहत निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी) के रूप में चिह्नित किया गया है।

एफआईईओ निर्यातकों तथा नीति निर्माताओं के बीच चर्चा के लिए प्लेटफार्म के रूप में काम करता है और निर्यात के संवर्धन में सहायक है। एफआईईओ के 30,000 से अधिक सदस्य हैं। एफआईईओ का मुख्य उद्देश्य निर्यात संवर्धन से जुड़े विभिन्न संगठनों को सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करना है। विदेश व्यापार नीति में एफआईईओ को निर्यात करने वाली स्टेटस होल्डर फर्मों तथा अनेक उत्पादों का निर्यात करने वाले निर्यातकों के लिए पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है। यह उत्पत्ति प्रमाण पत्र (गैर तरजीही) भी जारी करता है, जो माल की उत्पत्ति के प्रमाण के रूप में अनेक देशों द्वारा अपेक्षित है।

(ii) भारतीय हीरा संस्थान (आईडीआई)

हीरा, रत्न एवं आभूषण के क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने पर बल के साथ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत तथा बाम्बे सार्वजनिक न्यास अधिनियम 1950 के तहत भी 1978 में भारतीय हीरा संस्थान (आईडीआई) स्थापित किया गया। आईडीआई वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है तथा यह रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद की एक परियोजना है। आईडीआई हीरा विनिर्माण, हीरा ग्रेडिंग, आभूषण डिजाइनिंग एवं आभूषण निर्माण के क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा स्तरीय कार्यक्रमों का संचालन करता है, इस प्रकार जेमोलोजी एक छत के नीचे रत्न एवं आभूषण शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र को शामिल कर रहा है। जीजेईपीसी द्वारा पुनः कौशल प्रदान करने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों के लिए ज्ञान प्रदाता के रूप में संस्थान गुजरात के लघु / मध्यम डायमंड / ज्वैलरी विनिर्माताओं को कौशल प्रदान करता है / उनके कौशल को अपग्रेड करता है। आई डी आई को उद्योग आयुक्तालय, गुजरात सरकार द्वारा एंकर संस्थान – रत्न एवं आभूषण के रूप में भी मान्यता प्रदान की गई है।

संस्थान का रत्न विज्ञान प्रयोगशाला डायमंड, रत्न, पत्थर एवं आभूषण के परीक्षण एवं पहचान के काम में लगा हुआ है तथा यह डायमंड ग्रेडिंग, रत्न पत्थर पहचान एवं आभूषण गुणवत्ता रिपोर्ट भी जारी करता है। संस्थान की हीरा वर्गीकरण प्रयोगशाला को 0.10 कैरेट तथा इससे अधिक कैरेट के डायमंड के प्रमाणन / वर्गीकरण के लिए विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के अध्याय 4 के अनुसार डी जी एफ टी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिकृत किया गया है। भारतीय हीरा संस्थान डायमंड के छोटे / मझोले विनिर्माताओं / हीरा व्यापारियों / जौहरियों को सस्ती दरों पर डायमंड स्क्रीनिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने काटरगम कैंपस में हीरा अनुवेदन एवं संसाधन केन्द्र (डी डी आर सी) का भी प्रचालन करता है। भारतीय हीरा संस्थान हीरा व्यापार के क्षेत्र में जागरूकता फैलाने के लिए ''सिंथेटिक डायमंड की पहचान'' पर विभिन्न कार्यशालाओं / सेमिनारों का भी आयोजन करता है।

(iii) फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान (एफडीडीआई)

फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान (एफडीडीआई) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत 1986 में स्थापित किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य चमड़ा एवं फुटवियर उद्योग को कुशल मानव संसाधन तथा तकनीकी सेवाएं प्रदान करना है। फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान अधिनियम, 2017 ने इस संस्थान को ''राष्ट्रीय महत्व की संस्था'' (आईएनआई) का दर्जा प्रदान किया है। एफडीडीआई भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अपने शैक्षिक कार्यक्रमों, परीक्षण तथा आरएंडी, परामर्श एवं परियोजनाओं के माध्यम से भारतीय लेदर एवं फुटवियर उद्योग को सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

एफडीडीआई फुटवियर डिजाइन एवं उत्पादन, लेदर गुड्स एवं असेसरी डिजाइन, रिटेल और फैशन व्यापार, फैशन डिजाइन आदि जैसे क्षेत्रों में अनेक व्यावसायिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

(iv) राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र (एनसीटीआई)

राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र (एनसीटीआई) समापन की प्रक्रिया में है तथा अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है। 2018–19 के दौरान कोई गतिविधि संचालित नहीं की गई है।

(v) मूल्य स्थिरता निधि न्यास (पीएसएफटी)

वाणिज्य विभाग ने मूल्य में उतार–चढ़ाव के कारण नुकसान के लिए देश में रबर, चाय, कॉफी एवं तंबाकू के सभी छोटे उत्पादकों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए अप्रैल 2003 में 10 साल की अवधि के लिए मूल्य स्थिरता निधि (पीएसएफ) योजना शुरू की थी। सीसीईए के अनुमोदन से वर्ष 2003 में योजना के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार के 432.88 करोड़ रुपए और उत्पादकों के 2.67 करोड़ रुपए (कुल 435.55 करोड़ रुपए) के अंशदान से कॉर्पस फंड का गठन किया गया। मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना को लागू करने तथा भारत सरकार के लोक लेखा में पीएसएफ कार्पस का प्रशासन करने के लिए भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अंतर्गत लोक न्यास के रूप में 11 सितंबर 2003 को मूल्य स्थिरीकरण निधि न्यास (पीएसएफटी) का पंजीकरण किया गया। 10 साल की अवधि के लिए सेटलर के रूप में नाबार्ड के साथ नाबार्ड और वाणिज्य विभाग, भारत सरकार के बीच न्यास विलेख पर हस्ताक्षर किए गए। 30 सितंबर, 2013 को पीएसएफ योजना बंद कर दी गई। तथापि, बागान फसलों के उत्पादकों के लाभ के लिए 11 सितंबर 2013 से 10 साल की अवधि के लिए पीएसएफ न्यास का पुनः पंजीकरण किया गया है।

(vi) इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (आईबीईएफ)

इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (आईबीईएफ) वाणिज्य विभाग द्वारा स्थापित न्यास है जिसका प्राथमिक उद्देश्य विदेशी बाजारों में ब्रांड इंडिया का प्रचार प्रसार करना तथा इसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता पैदा करना और भारतीय उत्पादों एवं सेवाओं के बारे में ज्ञान के प्रसार में सहायता प्रदान करना है। इस प्रयोजन के लिए इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन सरकार एवं उद्योग जगत के हितधारकों के साथ निकटता से काम करता है।

अनुबंध 1

वाणिज्य विभाग के अधीन संबद्ध कार्यालय / अधीनस्थ कार्यालय / स्वायत्त निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम / निर्यात संवर्धन परिषदें / अन्य संगठन

संबद्ध कार्यालय

1. विदेश व्यापार महानिदेशालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली – 110 107
2. व्यापार निदान महानिदेशालय, जीवन तारा बिल्डिंग, चौथा तल, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110 001 टेलीफोन नंबर : 011–23348653, 23348654

अधीनस्थ कार्यालय

1. वाणिज्य आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, 565, आनंदपुर, वार्ड संख्या 108, सेक्टर 1, प्लाट नंबर 22, ईसीएडीपी कोलकाता – 700107 फोन : 91–33–24434055 (4 लाइनें) फैक्स : +91.33.24434051
2. कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र, प्रशासनिक भवन, कक्कानाड, कोच्चि – 600 030, केरल
3. फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र, द्वितीय एमएसओ बिल्डिंग, चौथा तल, कमरा नंबर 44, निजाम पैलेस काम्प्लेक्स, 234/4, एआईसी बोस रोड, कोलकाता – 700 020, पश्चिम बंगाल
4. एमईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रीय राजमार्ग 45, प्रशासनिक कार्यालय भवन, टम्बारम, चेन्नई – 600 045, तमिलनाडु
5. कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, गांधीधाम, कच्छ, – 370230, गुजरात
6. एसईईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र, अंधेरी (पूर्व), मुंबई – 400 096, महाराष्ट्र
7. विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र, प्रशासनिक भवन, दुआडा, विशाखापत्तनम – 530 046, आंध्र प्रदेश
8. नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा डाबरी रोड, फेज–II, नोएडा दृ 201 305, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश
9. वेतन एवं लेखा कार्यालय (वाणिज्य), उद्योग भवन, नई दिल्ली – 110 107
10. वेतन एवं लेखा कार्यालय (पूर्ति प्रभाग), 16–ए, अकबर रोड हटमेंट्स, नई दिल्ली – 110 011

स्वायत्त निकाय

1. कॉफी बोर्ड, 1, डा. बी आर अम्बेडकर विथी, बंगलौर – 560 001, कर्नाटक
2. रबर बोर्ड, उप–जेल रोड, पी बी संख्या 1122, कोट्टायम – 686,002, केरल
3. चाय बोर्ड, 14, बीटीएम, सरनी, ब्राबोर्न रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 2172, कोलकाता दृ 700 001, पश्चिम बंगाल
4. तंबाकू बोर्ड, पोस्ट बॉक्स नंबर 322, गुंटूर – 522 004, आंध्र प्रदेश
5. मसाला बोर्ड, सुगंध भवन, एन एच बाईपास, पोस्ट बाक्स नंबर 2277, पलारीवट्टम, डाक घर कोच्चि – 682 025, केरल
6. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, मपेडा हाउस, पानमपल्ली एवेन्यू, कोच्चि – 682 036, केरल
7. कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, एनसीयूआई बिल्डिंग, सिरी संस्थानिक क्षेत्र, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली – 110 016
8. भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद, तीसरा तल, एनडीवाईएमसीए सांस्कृतिक केंद्र भवन, 1, जय सिंह रोड, नई दिल्ली – 110 001
9. भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, बी–21, संस्थानिक क्षेत्र, आईआईटी के दक्षिणी ओर, नई दिल्ली – 110 016
10. भारतीय पैकेजिंग संस्थान, बी 2, एमआईडीसी क्षेत्र, पोस्ट बाक्स नंबर 9432, अंधेरी (पूर्व), मुंबई – 400096, महाराष्ट्र

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम :

1. भारतीय राज्य व्यापार निगम, जवाहर व्यापार भवन, टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली – 110 001

एसटीसी की सहायक कंपनी

1. एसटीसीएल लिमिटेड, नंबर 7ए, "एसटीसी व्यापार केंद्र", तीसरा तल, नंदिनी लेआउट, बेंगलुरू – 560 096, कर्नाटक
2. एम एम टी सी लिमिटेड, स्कोप कॉम्लेक्स, 7, संस्थानिक क्षेत्र, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003
3. पीईसी लिमिटेड, 15, "हंसालय", बाराखंबा रोड, नई दिल्ली – 110 001
4. एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 10वां तल, एक्सप्रेस टावर, पोस्ट बाक्स नंबर 373, नरीमन प्वाइंट, मुंबई – 400 021, महाराष्ट्र
5. भारत व्यापार संवर्धन संगठन, प्रगति मैदान, मथुरा रोड, नई दिल्ली – 110 001

विशेष प्रयोजन वाहन

1. गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस एसपीवी (जेम एसपीवी), जीवन भारती बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली – 110 001

वाणिज्य विभाग के अधीन निर्यात संवर्धन परिषदों की सूची

1. केमेक्ससिल, झाँसी कैसल (चौथी मंजिल), 7–कूपरेज रोड, मुंबई – 400 039, महाराष्ट्र (टेलीफोन नंबर : 022–22021288, 2021330; फैक्स : 022–2026684)
2. काजू ईपीसी, काजू भवन, मुंडक्कल पश्चिम, कोल्लम – 691001, केरल (दूरभाषः 0474–2742704, फैक्स 0484–2377973

3. कैपेक्सिल, "वाणिज्य भवन", अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुगमता केंद्र, 1/1 वुड स्ट्रीट, तीसरा तल, कोलकाता दृ 700016 पश्चिम बंगाल (दूरभाष 033–22890524 / 25; फैक्स : 033–22891724)

4. चमड़ा निर्यात परिषद, नंबर 1, सीएमडीए टावर 2, तीसरा तल, गांधी इर्विन रोड, एगमोर, चेन्नई – 600 008, तमिलनाडु (टेलीफोन नंबर : 044–28594367; फैक्स : 044–28594363)

5. भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद, वाणिज्य भवन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुगमता केंद्र, पहला तल, 1/1 वुड स्ट्रीट, कोलकाता 700 016, प

वैश्विक आर्थिक स्थिति तथा भारत का विदेशी क्षेत्र

वैश्विक अर्थव्यवस्था :

पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक विकास दर कमोबेश स्थिर रही है जिससे वैश्विक व्यापार की वृद्धि प्रभावित हुई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जनवरी 2020 के अनुसार 2019 में 2.9 प्रतिशत से वैश्विक विकास बढ़कर 2020 में 3.3 प्रतिशत और 2021 में 3.4 प्रतिशत होने का अनुमान दर्शाया गया है जो अक्टूबर के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) में दर्शाए गए अनुमानों की तुलना में 2019 के लिए 0.1 प्रतिशत और 2021 के लिए 0.2 प्रतिशत कम है।

वैश्विक विकास के लिए जोखिम से विकास दर कम होने की संभावना है। भविष्यवाणी में पहले शामिल किए गए व्यापार तनावों से परे तनाव में वृद्धि इस आउटलुक के लिए जोखिम का मुख्य स्रोत बनी हुई है। गिरावट के बाद वित्तीय स्थितियां कठोर हो चुकी हैं। व्यापार तनाव बढ़ाने वाले अनेक कारक विकास दर पर प्रतिकूल प्रभाव के साथ विशेष रूप से सार्वजनिक एवं निजी ऋण की ऊंची दर को देखते हुए जोखिम की भावना को और चिंगारी लगाते हैं।

वैश्विक विकास दर अनुकूल ढंग से अचंभित कर सकती है यदि व्यापार के मतभेदों का शीघ्रता से समाधान कर लिया जाएगा ताकि फिर से व्यवसाय जगत में विश्वास पैदा हो सके और निवेश का माहौल सुदृढ़ हो सके, तथापि, आउटलुक के लिए शेष जोखिम गिरावट की दिशा में बने हुए हैं। व्यापार तनावों में और वृद्धि तथा नीतिगत अनिश्चितता में संबद्ध वृद्धि से विकास दर और कमजोर हो सकती है।

हालांकि उभरता एवं विकासशील एशिया वैश्विक अर्थव्यवस्था में सबसे गतिशील क्षेत्र है, यह भी वैश्विक घटनाक्रमों से प्रभावित हुआ है। एशिया में भारत और चीन विकास के प्रमुख चालक बने रहेंगे। 2017 में चीन (6.9 प्रतिशत) की विकास दर भारत (6.7 प्रतिशत) की तुलन में अधिक थी (डब्ल्यूईओ, जनवरी 2019)। नवीनतम रिपोर्ट अर्थात डब्ल्यूईओ, जनवरी 2020 के अनुसार वर्ष 2020 के लिए भारत और चीन की विकास दर क्रमशः 5.8 प्रतिशत और 6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। अनुमान है कि भारत की विकास दर 2021 में 6.5 प्रतिशत रहेगी।

वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुमानों का सिंहावलोकन

			अनुमान	अक्टूबर 2019 डब्ल्यूईओ अनुमान से अंतर
	2018	**2019**	**2020**	**2020**
विश्व उत्पाद	3.6	2.9	3.3	-0.1
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	2.2	1.7	1.6	-0.1
संयुक्त राज्य	2.9	2.3	2.0	-0.1
यूरो क्षेत्र	1.9	1.2	1.3	-0.1
उभरते बाजार तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाएं (ईएमडीई)	4.5	3.7	4.4	-0.2
उभरता एवं विकासशील एशिया	6.4	5.6	5.8	-0.2
चीन	6.6	6.1	6.0	-0.2
भारत	6.8	4.8	5.8	-1.2

स्रोत : आईएमएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट, अक्टूबर, 2019

वैश्विक व्यापार की स्थिति

विश्व व्यापार संगठन के अनुसार, ''व्यापार टकराव भविष्यवाणी में गिरावट के लिए सबसे बड़ा जोखिम है परंतु स्थूल आर्थिक आघात और वित्तीय अस्थिरता से भी अधिक मंदी का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। वैश्विक निर्यात आर्डर और आर्थिक नीति की अनिश्चितता के आधार पर विश्व व्यापार के लिए व्यापार संबद्ध संकेतक चिंताजनक पथ का संकेत देते हैं। अब 2019 में विश्व पण व्यापार की मात्रा में केवल 1.2 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है जो अप्रैल 2019 में 2. 6 प्रतिशत की दर से विकास की भविष्यवाणी की तुलना में काफी कम है। अब 2020 में अनुमानित वृद्धि 2.7 प्रतिशत है जो 3.0 प्रतिशत के पहले अनुमानित वृद्धि दर से कम है। अर्थशास्त्री यह चेतावनी दे रहे हैं

कि गिरावट के जोखिम अधिक हैं और यह कि 2020 के अनुमान अधिक सामान्य व्यापार संबंधों की बहाली पर निर्भर हैं।''

घटती आर्थिक विकास दर अंशतः बढ़ते व्यापार तनावों के कारण हैं परंतु यह विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति के उपायों को अपनाना और यूरोपीय संघ में ब्रेक्सिट से संबंधित अनिश्चितता सहित देश विशिष्ट चक्रीय एवं संरचनात्मक कारकों को भी दर्शाती है।

वर्तमान परिस्थितियों में व्यापार की भविष्यवाणियों से संबद्ध उच्च स्तर की अनिश्चितता के कारण 2019 में विश्व व्यापार के लिए अनुमानित विकास दर को 0.5 प्रतिशत से 1.6 प्रतिशत की रेंज में रखा गया है। यदि व्यापार तनाव बने रहे तो व्यापार की विकास दर इस रेंज से नीचे भी जा सकती है या यदि व्यापार तनाव समाप्त हो जाते हैं तो विकास दर बढ़ भी सकती है। बेहतर परिणामों के साथ 2020 के लिए संभावित मान की रेंज 1.0 प्रतिशत से 3.7 प्रतिशत के बीच है जो व्यापार तनावों के कम होने पर निर्भर है।

2019 में विश्व के अग्रणी पण्यवस्तु निर्यातक एवं आयातक

रैंक	निर्यातक	मूल य (बिलियन अमरीकी डॉलर में)	हिस्सा (प्रतिशत में)	वार्षिक परिवर्तन (प्रतिशत में)	रैंक	आयातक	मूल्य (बिलियन अमरीकी डॉलर में)	हिस्सा (प्रतिशत में)	वार्षिक परिवर्तन (प्रतिशत में)
1	चीन	2487	12.8	10	1	संयुक्त राज्य अमेरीका	2614	13.2	9
2	संयुक्त राज्य अमेरीका	1664	8.5	8	2	चीन	2136	10.8	16
3	जर्मनी	1561	8	8	3	जर्मनी	1286	6.5	11
4	जापान	738	3.8	6	4	जापान	749	3.8	11
5	नीदरलैंड	723	3.7	11	5	यूनाइटेड किंगडम	674	3.4	5
6	कोरिया गणराज्य	605	3.1	5	6	फ्रांस	673	3.4	9
7	फ्रांस	582	3	9	7	नीदरलैंड	646	3.3	12
8	हांगकांग, चीन	568	2.9	3	8	हांगकांग, चीन	628	3.2	6
9	इटली	547	2.8	8	9	कोरिया गणराज्य	535	2.7	12
10	यूनाइटेड किंगडम	486	2.5	10					
19	भारत	**325**	**1.7**	**9**	**10**	भारत	**511**	**2.6**	**14**
	विश्व	**19451**	**100**	**10**		विश्व	**19867**	**100**	**10**

स्रोत : डब्ल्यूटीओ, 2019

भारत का पण्यवस्तु निर्यात निष्पादन

2016–17 से लगभग तीन वर्षों के लिए पण व्यापार में सेकुलर आधार पर वृद्धि हो रही है और 2018–19 के लिए 330.08 बिलियन अमरीकी डालर के पण्यवस्तु निर्यात का अनुमान लगाया गया था जो अब तक का सर्वाधिक है तथा 2013–14 में पहली बार प्राप्त किए गए 314.41 बिलियन अमरीकी डालर के सर्वोच्च स्तर को पार कर जाएगा। अप्रैल से दिसंबर 2019 के दौरान निर्यात 239.29 बिलियन अमरीकी डालर था, जबकि अप्रैल से दिसंबर, 2018 की अवधि के दौरान यह 244.08 बिलियन अमरीकी डालर था जो (–) 1.96 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्शाता है।

2017–18 के दौरान 465.58 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 2018–19 के दौरान आयात का संचयी मूल्य 514.08 बिलियन अमरीकी डालर था जो 10.14 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। अप्रैल से दिसंबर, 2019 के दौरान आयात का मूल्य 318.78 बिलियन अमरीकी डालर था जो अप्रैल से दिसंबर, 2018 के दौरान 392.31 बिलियन अमरीकी डालर के आयात की तुलना में (–) 8.91 प्रतिशत की गिरावट

को दर्शाता है। 2017–18 में 162.06 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 2018–19 में 184 बिलियन अमरीकी डालर का व्यापार घाटा होने का अनुमान था। अप्रैल से नवंबर 2018 में 148.23 बिलियन अमरीकी डालर के व्यापार घाटा की तुलना में अप्रैल से नवंबर 2019 में व्यापार घाटा कम होकर 118.10 बिलियन अमरीकी डालर हो गया।

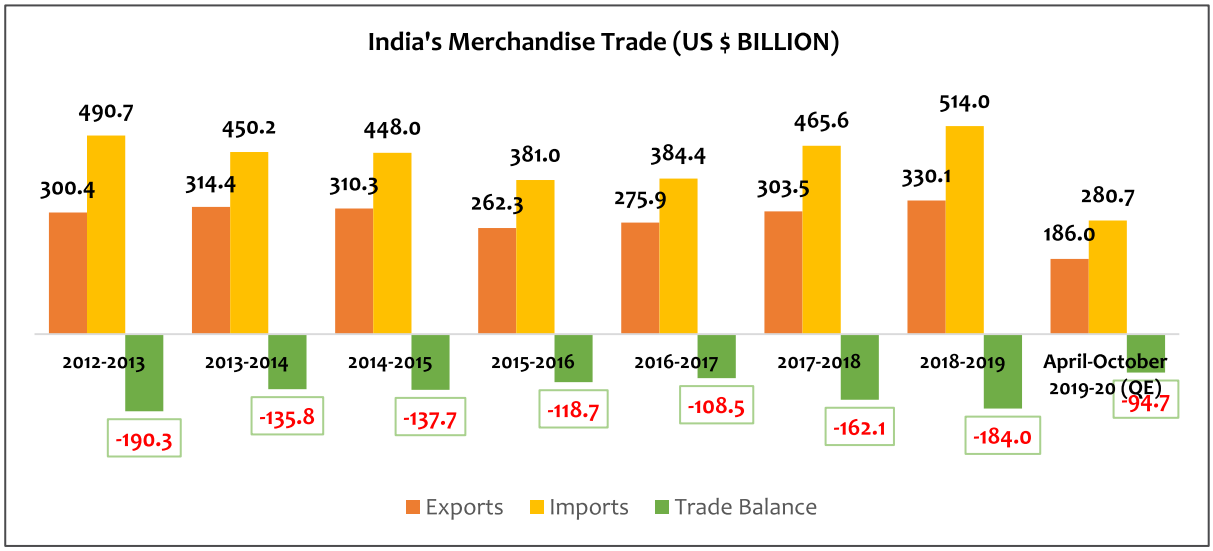

स्रोत : डीजीसीआईएंडएस

मुद्रास्फीति

सीपीआई में वर्ष दर वर्ष परिवर्तन द्वारा मापा गया रिटेल इनफ्लेशन अक्टूबर में बढ़कर 4.6 प्रतिशत पर पहुंच गया जिसका कारण खाद्य वस्तुओं की कीमतों में उछाल है। ईंधन समूह की कीमतों में गिरावट जारी रही, यद्यपि खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई में इनफ्लेशन एक माह पहले के अपने स्तर से पुनः कम हुआ। यदि सीपीआई के चालकों की बात करें तो अक्टूबर, 2019 में फूड इनफ्लेशन बढ़कर 6.9 प्रतिशत हो गया जो पिछले 39 माह में सबसे अधिक है जो भारी बेमौसमी बरसात के कारण सब्जियों की कीमतों में भारी वृद्धि का कारण है। एलपीजी, जलावन और चिप्स की कीमतों में गिरावट के कारण अक्टूबर, 2019 में लगातार चौथे माह के लिए ईंधन समूह की कीमतें कमजोर बनी रहीं। मुख्य रूप से अनुकूल बेस प्रभाव के कारण खाद्य पदार्थ एवं ईंधन को छोड़कर सीपीआई में इनफ्लेशन सितंबर, 2019 में 4.2 प्रतिशत से घटकर अक्टूबर, 2019 में 3.4 प्रतिशत पर आ गया। कीमत में वृद्धि का असर अनेक सेवाओं पर भी हुआ जो परिवहन भाड़ा, टेलीफोन प्रभार, शिक्षण शुल्क और मकान किराया में वृद्धि के रूप में परिलक्षित हुआ।

व्यवसाय करने में सुगमता (ईओडीबी) : डूइंग बिजनेस 2020 के अनुसार, विश्व बैंक ने वर्ष 190 देशों में भारत को 63वें स्थान पर रखा है (जो 2019 में 77वें स्थान से 14 स्थान का सुधार है)। इसी वर्ष के लिए व्यवसाय करने में सुगमता की दृष्टि से 190 देशों की सूची में न्यूजीलैंड शीर्ष पर है, जिसके बाद सिंगापुर, हांगकां और डेनमार्क का स्थान है।

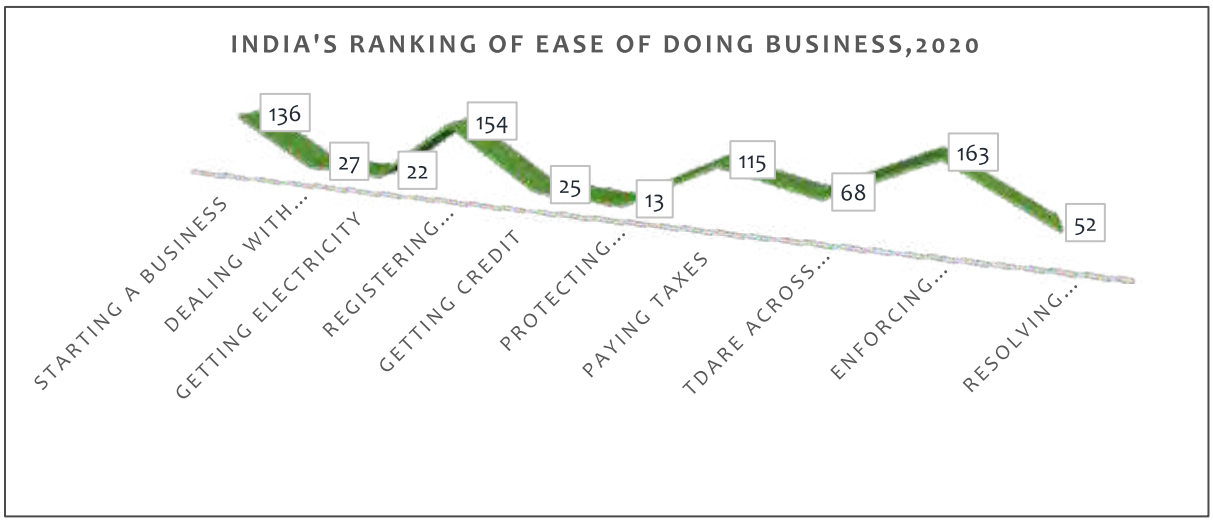

स्रोत : विश्व बैंक डूइंग बिजनेस, इंडिया प्रोफाइल 2020

निष्कर्ष

पूरे वर्ष के दौरान वैश्विक राजनीतिक क्षेत्र में संरक्षणवादी नीतियों की घोषणा और लेबलिंग के रूप में कार्रवाइयों, द्विपक्षीय टैरिफ वृद्धि, प्रतिबंधों और प्रतिकारों का बोलबाला रहा। इनसे विश्व व्यापार को आघात पहुंचा, वित्तीय बाजार प्रभावित हुए और अनेक उन्नत एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की स्थूल आर्थिक संभावनाओं के लिए समान रूप से जोखिम पैदा हुए। यद्यपि तत्काल एवं मध्यम अवधि की घटनाओं का पता लगाने के लिए स्थिति पर नजर रखने की आवश्यकता है, ऐसा प्रतीत होता है कि हाल की यह रुझान वर्ष 2019 के लिए वैश्विक एवं घरेलू मंदी का संकेत दे रही है। इसका अभिप्राय यह है कि भारत के लिए आने वाला समय और चुनौतीपूर्ण होगा।

2008–09 के वैश्विक वित्तीय संकट से उत्पन्न घटनाओं के कारण हाल के वर्षों में भारत के निर्यात ने भी बहुत चुनौतीपूर्ण अवधि का सामना किया, जो 2013–14 के बाद अधिक स्पष्ट हो गई, जब चीन सहित विश्व अर्थव्यवस्था ने भारी व्यापार मंदी का अनुभव किया।

तथापि, तब से लाजिस्टिक में सुधार, प्रोत्साहनों के अधिक एवं व्यापक प्रयोग, सस्ते ऋण के लिए प्रावधान, मानव इंटरफेस कम करने तथा पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजिटीकरण के माध्यम से व्यापार सुगमता, जीएसटी को लागू करने से संबंधित मुद्दों के शीघ्रता से समाधान, कौशल विकास के माध्यम से क्षमता निर्माण आदि सहित घरेलू एवं विदेशी अड़चनों को दूर करने के लिए समवेत प्रयासों के माध्यम से सरकार मंदी पर लगाम लगाने में समर्थ हुई है। परिणामतः कुछ छिटपुट महीनों को छोड़कर हमारा पण निर्यात पिछले तीन वर्षों में 2016–17 से सेकुलर आधार पर बढ़ आधार पर बढ़ रहा है और 2018–19 में 330.08 बिलियन अमरीकी डालर के एक नए शिखर पर पहुंच गया है। 2018–19 में संयुक्त निर्यात (पण + सेवा) ने 500 अमरीकी डालर के आंकड़े को पार करके 538.08 बिलियन अमरीकी डालर पर पहुंच गया।

भारत के विदेश व्यापार की प्रवृत्तियाँ

I. समग्र व्यापार

- वर्ष 2018–19 के दौरान, भारत का समग्र निर्यात (पण्यवस्तु एवं सेवा दोनों को मिलाकर) पहली बार अर्द्ध ट्रिलियन डॉलर को पार करते हुए एक नए शिखर पर पहुंच गया और वर्ष 2018–19 में कुल 538.08 बिलियन अमरीकी डॉलर का लक्ष्य प्राप्त किया जो विगत वर्षों के निर्यातों के लगभग 7.91 प्रतिशत थे। अप्रैल–दिसम्बर, 2018 (क्यूई) के दौरान 393.80 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में अप्रैल–दिसम्बर, 2019 (ई)' की अवधि के लिए 0.93 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए 397.48 बिलियन अमरीकी डॉलर का निर्यात अनुमानित है।
- विगत वर्ष की समान अवधि पर 9.78 प्रतिशत की एक सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित करते हुए, वर्ष 2018–19 में समग्र आयात 640.14 बिलियन अमरीकी डॉलर था। अप्रैल–दिसम्बर, 2018 (क्यूई) के दौरान 483.26 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में अप्रैल–दिसम्बर, 2019 (ई)' की अवधि के लिए (–) 5. 30 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए आयात 455.14 बिलियन अमरीकी डॉलर अनुमानित है।
- वर्ष 2018–19 का समग्र व्यापार घाटा 102.06 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा जो वर्ष 2017–18 में हुए 84.49 बिलियन अमरीकी डॉलर के घाटे की तुलना में अधिक था। अप्रैल–दिसम्बर, 2018 (क्यूई) के दौरान 89.46 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में अप्रैल–दिसम्बर, 2019 (ई)' की अवधि के लिए समग्र व्यापार घाटा 57.66 बिलियन अमरीकी डॉलर अनुमानित है।

विगत दस वर्षों में समग्र निर्यात, आयात एवं व्यापार संतुलन के व्यापक रूझान अधोलिखित ग्राफ में दिए गए है :

चार्ट–1 समग्र व्यापार – (पण्यवस्तु एवं सेवा एक साथ)

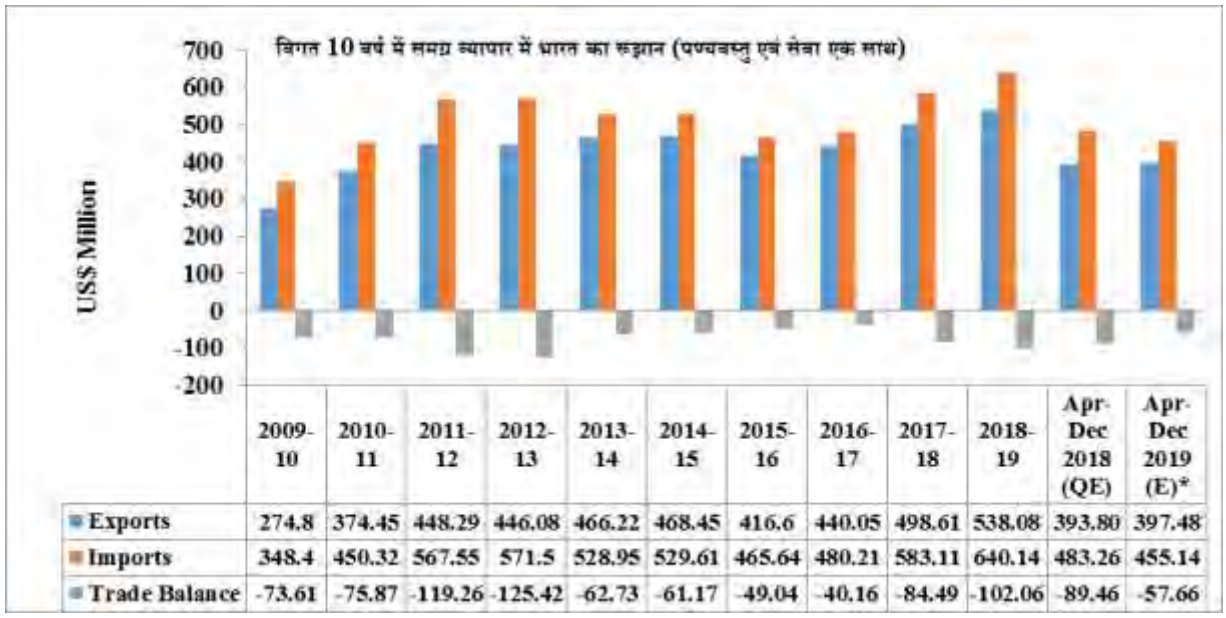

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	Apr-Dec 2018 (QE)	Apr-Dec 2019 (E)*
Exports	274.8	374.45	448.29	446.08	466.22	468.45	416.6	440.05	498.61	538.08	393.80	397.48
Imports	348.4	450.32	567.55	571.5	528.95	529.61	465.64	480.21	583.11	640.14	483.26	455.14
Trade Balance	-73.61	-75.87	-119.26	-125.42	-62.73	-61.17	-49.04	-40.16	-84.49	-102.06	-89.46	-57.66

स्रोत : डीजीसीआई एवं एस, आरबीई डाटाबेस एवं आरबीआई प्रेस विज्ञपति

*टिप्पणी : आरबीआई द्वारा जारी किए गए सेवा क्षेत्र के अद्यतन आंकड़े नवंबर, 2019 के हैं। दिसम्बर, 2019 के आंकड़े अनुमानित हैं जो आरबीआई के उत्तरवर्ती प्रकाशन के आधार पर संशोधित किए जाएंगें।

II. पण्यवस्तु व्यापार

- पण्यवस्तु निर्यात वर्ष 2016–17 से लगभग तीन वर्षों के लिए एक चिरकालिक आधार पर बढ़ रहा हैं तथा यह प्रथम बार वर्ष 2013–14 में प्राप्त किए गए 314.41 बिलियन अमरीकी डालर के पूर्व के शीर्ष से बढ़कर वर्ष 2018–19 के लिए उच्चतम 330.08 बिलियन अमरीकी डालर अनुमानित था।
- अप्रैल–दिसम्बर, 2018 (क्यूई) अवधि के दौरान 244.08 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में अप्रैल–दिसम्बर, 2019 (क्यूई) के दौरान (–) 1.96 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए निर्यात 239.29 बिलियन अमरीकी डॉलर था।
- वर्ष 2017–18 के दौरान 465.58 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में वर्ष 2018–19 के दौरान 10.42 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए आयात का संचयी मूल्य 514.08 बिलियन अमरीकी डॉलर था। अप्रैल–दिसम्बर, 2018 (क्यूई) के दौरान 392.31 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में अप्रैल–दिसम्बर, 2019 (क्यूई) के दौरान (–) 8.90 प्रतिशत का ह्रास रिकार्ड करते हुए आयात 357.39 बिलियन अमरीकी डॉलर पर स्थित था।
- वर्ष 2017–18 में 162.06 बिलियन अमरीकी डॉलर के घाटे की तुलना में वर्ष 2018–19 में व्यापार घाटा 184 बिलियन अमरीकी डॉलर अनुमानित था। व्यापार घाटा अप्रैल–दिसम्बर, 2018 (क्यूई) में 148.23 बिलियन अमरीकी डॉलर से घटकर अप्रैल–दिसम्बर, 2019 (क्यूई) में 118.10 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।

विगत दस वर्षों में पण्यवस्तु निर्यात, आयात एवं व्यापार संतुलन के ब्राड रूझान नीचे तालिका में दिए गए हैं :

तालिका 1 : पण्यवस्तु व्यापार

मूल्य बिलियन अमरीकी डॉलर में

क्र.सं.	वर्ष	निर्यात	वृद्धि (%)	आयात	वृद्धि (%)	व्यापार संतुलन
1	2009-10	178.75	-3.53	288.37	-5.05	-109.62
2	2010-11	249.82	39.76	369.77	28.23	-119.95
3	2011-12	305.96	22.48	489.32	32.33	-183.36
4	2012-13	300.40	-1.82	490.74	0.29	-190.34
5	2013-14	314.41	4.66	450.20	-8.26	-135.80
6	2014-15	310.34	-1.29	448.03	-0.48	-137.70
7	2015-16	262.29	-15.48	381.01	-14.96	-118.72
8	2016-17	275.85	5.17	384.36	0.88	-108.51
9	2017-18	303.53	10.03	465.58	21.13	-162.06
10	2018-19	330.08	8.75	514.08	10.42	-184.00
	अप्रैल-दिसम्बर, 2018	244.08		392.31		-148.23
	अप्रैल-दिसम्बर, 2019 (क्यूई)	239.29	-1.96	357.39	-8.90	-118.10

स्रोत : डीजीसीआई एवं एस
टिप्पणी : क्यूई, त्वरित अनुमान के लिए है।

III. सेवा व्यापार

❖ भारतीय सेवा निर्यात वर्ष 2017–18 में दर्ज की गई 195.09 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2018–19 में 208 बिलियन अमरीकी डॉलर पर स्थित रहा। भारत के सेवा निर्यात (अनुमानित) अप्रैल–दिसम्बर, 2018–19 में 149.71 बिलियन अमरीकी डॉलर (क्यूई) की तुलना में 5.66 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अप्रैल–दिसम्बर, 2019–20 (ई)' में 158.19 बिलियन अमरीकी डॉलर पर स्थिर रहा।

❖ सेवा आयात वर्ष 2017–18 में 117.53 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में वर्ष 2018–19 में 7.26 प्रतिशत की वृद्धि द्वारा 126. 06 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा। अप्रैल–दिसम्बर, 2018 (क्यूई) की तुलना में 7.49 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए अप्रैल–दिसम्बर, 2019 (ई)' के दौरान आयात का संचयी मूल्य 97.75 बिलियन अमरीकी डॉलर है।

❖ वर्ष 2018–19 और अप्रैल–दिसम्बर, 2019 (ई)' के लिए निवल सेवा निर्यात क्रमशः 81.94 बिलियन अमरीकी डॉलर एवं 60.44 बिलियन अमरीकी डॉलर है।

विगत दस वर्षों में सेवा निर्यात, आयात एवं व्यापार संतुलन के रूझान अधोलिखित तालिका में दिए गए हैं।

तालिका 2 : सेवा व्यापार

मूल्य बिलियन अमरीकी डॉलर में

क्र. सं.	वर्ष	निर्यात	वृद्धि (%)	आयात	वृद्धि (%)	सेवाओं का निवल
1	2009-10	96.04	-9.36	60.03	15.34	36.02
2	2010-11	124.64	29.77	80.55	34.19	44.08
3	2011-12	142.32	14.19	78.23	-2.89	64.10
4	2012-13	145.68	2.36	80.76	3.24	64.91
5	2013-14	151.81	4.21	78.75	-2.50	73.07
6	2014-15	158.11	4.15	81.58	3.59	76.53
7	2015-16	154.31	-2.40	84.63	3.75	69.68
8	2016-17	164.20	6.41	95.85	13.25	68.34
9	2017-18	195.09	18.81	117.53	22.61	77.56
10	2018-19	208.00	6.62	126.06	7.26	81.94
	अप्रैल-दिसम्बर, 2018 (क्यूई)	149.71		90.95		58.77
	अप्रैल-दिसम्बर, 2019 (क्यूई)	158.19	5.66	97.75	7.49	60.44

स्रोत : आरबीआई डाटाबेस एवं आरबीआई प्रेस विज्ञपति
टिप्पणी : क्यूई, त्वरित अनुमान के लिए एवं ई अनुमानित के लिए है।
*टिप्पणी : आरबीआई द्वारा जारी किए गए सेवा क्षेत्र संबंधी अद्यतन आंकड़े नवंबर 2019 के है। दिसम्बर, 2019 के लिए आंकड़े एक अनुमान है जो आरबीआई के अनुवर्ती प्रकाशन के आधार पर संशोधित होंगे।

V. 2018–19 में प्रमुख निर्यात गंतव्य एवं आयात स्रोत

2018–19 में भारत के शीर्ष दस निर्यात गंतव्य

मूल्य बिलियन अमरीकी डॉलर में

रैंक	देश	अप्रैल-मार्च 2018	अप्रैल-मार्च 2019	वृद्धि (%)	हिस्सा (%)
1	संयुक्त राज्य अमरीका	47.88	52.43	9.49	15.88
2	यूएई	28.15	30.13	7.04	9.13
3	चीन	13.33	16.75	25.64	5.08
4	हांगकांग	14.69	13.00	-11.49	3.94
5	सिंगापुर	10.20	11.57	13.42	3.51
6	यूके	9.71	9.33	-3.94	2.83
7	बांग्लादेश	8.61	9.21	6.92	2.79
8	जर्मनी	8.69	8.90	2.48	2.70
9	नीदरलैंड	6.26	8.81	40.73	2.67
10	नेपाल	6.61	7.77	17.44	2.35

स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकाता

2018–19 में भारत के शीर्ष दस आयात स्रोत

मूल्य बिलियन अमरीकी डॉलर में

रैंक	देश	अप्रैल-मार्च 2018	अप्रैल-मार्च 2019	वृद्धि (%)	हिस्सा (%)
1	चीन	76.38	70.32	-7.94	13.68
2	संयुक्त राज्य अमेरिका	26.61	35.55	33.59	6.92
3	यूएई	21.74	29.78	37.02	5.79
4	साऊदी अरब	22.07	28.48	29.04	5.54
5	ईराक	17.62	22.37	27	4.35
6	स्विटजरलैंड	18.92	18.09	-4.42	3.52
7	हांगकांग	10.68	17.99	68.48	3.50
8	कोरिया गणराज्य	16.36	16.76	2.43	3.26
9	सिंगापुर	7.47	16.28	118.05	3.17
10	इंडोनेशिया	16.44	15.85	-3.56	3.08

स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकाता

विदेश व्यापार नीति तथा एग्जिम व्यापार

I. प्रस्तावना

1 अप्रैल 2015 को जारी की गई पंचवर्षीय विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015–20 माल एवं सेवाओं का निर्यात बढ़ाने के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। विदेश व्यापार नीति (एफ टी पी), 2015–20 के साथ ही 1 अप्रैल 2015 को एफ टी पी वक्तव्य, प्रक्रियाओं के लिए हैंडबुक, परिशिष्ट तथा आयात – निर्यात फार्म भी जारी किए गए। प्रक्रियाओं का हैंडबुक विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, नियमावली के प्रावधानों, मानक इनपुट आउटपुट मानदंडों तथा विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किए गए आदेशों को लागू करने के प्रयोजनार्थ किसी निर्यातक या आयातक अथवा किसी लाइसेंसिंग / क्षेत्रीय प्राधिकरण अथवा किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को अधिसूचित करता है।

2015–2020 के लिए विदेश व्यापार नीति वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा की क्षमता हासिल करने हेतु भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की मदद करके भारत के निर्यात बास्केट में विविधता को प्रोत्साहन देने के लिए पण एवं सेवा व्यापार में विदेश व्यापार के लिए स्थिर एवं स्थायी नीति परिवेश प्रदान करने; निर्यात एवं आयात के लिए नियमों, प्रक्रियाओं और प्रोत्साहनों को अन्य पहलों जैसे कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया तथा कारोबार करने की सरलता से जोड़ने का प्रयास करती है। अपनी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से विदेश व्यापार नीति ड्यूटी को नगण्य करने, प्रौद्योगिकीय उन्नयन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्यों को पूरा करती है तथा अवसंरचनात्मक अदक्षताओं तथा निर्यातकों को समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से निर्यात से जुड़ी संबद्ध लागतों को प्रतिसंतुलित करने के उद्देश्य से भारत के निर्यात में तेजी लाने के लिए संवर्धनात्मक उपायों का प्रावधान करती है। विदेश व्यापार नीति को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के संगत प्रावधानों को शामिल करने के लिए उपयुक्त ढंग से संशोधित किया गया है।

II. विदेश व्यापार नीति 2015–20

विदेश व्यापार नीति वक्तव्य

विदेश व्यापार नीति वक्तव्य में 2015 से 2020 की अवधि के लिए विजन, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का वर्णन किया गया है जो विदेश व्यापार नीति की नींव हैं। इसमें न केवल निर्यात संवर्धन के लिए अपितु व्यापार के संपूर्ण ईको सिस्टम में वृद्धि के लिए भी परिकल्पित बाजार एवं उत्पाद रणनीति तथा अपेक्षित उपायों का वर्णन किया गया है।

यह विदेश व्यापार के क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकताओं पर एक व्यापक वक्तव्य है। विदेश व्यापार के निष्पादन में सुधार के लिए एक विस्तृत रूपरेखा विकसित करना आवश्यक है जो अनेक प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ समन्वय की संभावना प्रदान करे। विदेश व्यापार नीति वक्तव्य के माध्यम से विदेशी क्षेत्र पर समग्र सोच को व्यक्त किया गया है, सबसे पहले इसमें कुछ संरचनात्मक एवं संस्थानिक संस्थानों पर ध्यान देने के लिए सरकारी रणनीति का वर्णन किया गया है, जो विदेश व्यापार क्षेत्र के निष्पादन में सुधार के लिए प्रासंगिक हैं। दूसरा, इसमें बताया गया है कि किस तरह सरकार व्यापार साझेदारों के साथ व्यापार एवं आर्थिक एकीकरण करार करेगी तथा भारतीय उद्यमों के लिए बेहतर कार्य करेगी। विदेश व्यापार नीति में 'समग्र सरकार का दृष्टिकोण' अपनाया गया है। विदेश व्यापार नीति के माध्यम से सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रक्रिया में एक प्रमुख पथभंजक पहल शुरू की है जिसे विभाग मुख्य धारा के राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा भारत सरकार के विभिन्न विभागों में ले गया है।

विदेश व्यापार नीति में दो नई स्कीमें शुरू की गई हैं अर्थात विनिर्दिष्ट बाजारों को विनिर्दिष्ट माल के निर्यात के लिए ''भारत से पण्यवस्तु निर्यात स्कीम (एम ई आई एस)'' और अधिसूचित सेवाओं का निर्यात बढ़ाने के लिए ''भारत से सेवा निर्यात स्कीम (एस ई आई एस)''।

भारत से पण निर्यात स्कीम (एम ई आई एस) :

01 अप्रैल, 2015 को विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015–20 में भारत से पण्यवस्तु निर्यात स्कीम (एमईआईएस) शुरू की गई जिसका उद्देश्य भारत में वस्तुओं / उत्पादों जिनका भारत में उत्पादन या विनिर्माण होता है, के निर्यात में शामिल अवसंरचनात्मक कमियों तथा संबद्ध लागतों को पूरा करना है। इस योजना के तहत निर्यातक निर्यातित उत्पाद के एचएस कोड के आधार पर वसूले गए फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) मूल्य के 2, 3, 4, 5 एवं 7, 10 और 20 प्रतिशत की दर पर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के लिए पात्र थे। ये स्क्रिप हस्तांतरणीय हैं तथा सीमा शुल्क सहित कतिपय केन्द्रीय शुल्कों / करों के भुगतान के लिए प्रयुक्त की जा सकती हैं। इस योजना में सभी देशों को निर्यात की 8056 टैरिफ लाइनें (8 डिजिट के एचएस कोड) शामिल हैं।

वर्ष 2019 – 20 में एमईआईएस के तहत ''व्यवसाय करने की सरलता'' के लिए की गई पहलें

- एमईआईएस सूची के अधिकांश एचएस कोड के लिए प्रणाली द्वारा अधिप्रमाणित तंत्र के तहत किसी मैनुअल हस्तक्षेप के बगैर एमईआईएस लाभ मंजूर करने के लिए आनलाइन ई–कॉम मॉड्यूल सितंबर 2018 में लांच किया गया। अप्रैल 2019 से एसईजेड से लदान पत्रों को किसी मानव हस्तक्षेप के बगैर आनलाइन भी प्रोसेस किया जा रहा है तथा सीमित उत्पादों को छोड़कर एमईआएस के अंतर्गत स्क्रिप पेपरलेस फार्म में जारी की जा रही है।
- क्षेत्रीय प्राधिकरण (आरए) नई इंटेलिजेंट जोखिम प्रबंध प्रणाली के साथ एमआईएस के अंतर्गत आवेदनों की जांच करते हैं, जिसमें ऐसे उत्पाद शामिल हैं जिन्हें संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा ऐसे उत्पाद भी शामिल है जिन पर जांच एजेंसियों से इनपुट प्राप्त हुए हैं।
- एमईआईएस आवेदन की कुछ श्रेणियों के लिए पूरक माड्यूल लांच किया गया जो निर्यातकों को उस समय स्क्रिप जारी करने के लिए आनलाइन तंत्र प्रदान करता है जब निर्यातक को अधिक मात्रा में अतिरिक्त राशि देय होती है।
- परियोजना निर्याताकों को एमआईएस के अंतर्गत लाभ का वितरण नए तंत्र के अंतर्गत स्क्रिप के माध्यम से किया जाता है।

भारत से सेवा निर्यात स्कीम (एसईआईएस)

एसईआईएस के तहत, अधिसूचित सेवाओं के सेवा प्रदाताओं जो भारत से शेष विश्व को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, के लिए ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के रूप में निवल विदेशी मुद्रा अर्जन पर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जो हस्तांतरणीय हैं तथा सीमा शुल्क सहित कतिपय केन्द्रीय शुल्कों / करों का भुगतान करने के लिए प्रयुक्त की जा सकती हैं। विदेश

व्यापार नीति की मध्यावधि समिति में एसईआईएस के अंतर्गत सभी सेवाओं के लिए दरें 01 नवम्बर 2017 से बढ़ाकर 2 प्रतिशत कर दी गई हैं।

जुलाई 2018 में एक ऑनलाइन मॉड्यूल के साथ एसईआईएस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए निर्यातकों के लिए एक सरल आवेदन पत्र अधिसूचित किया गया, जिसमें सभी दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा है।

निम्नलिखित सारणी 2017–18, 2018–19 तथा अप्रैल से दिसंबर, 2019 के दौरान सक्रिप के मूल्यों तथा निर्यात के एफओबी मूल्य के साथ एमईआईएस और एसईआईएस के तहत जारी किए गए सक्रिप का ब्यौरा दर्शाती है :

निर्यात संवर्धन की स्कीमें		2017-18	2018-19	अप्रैल - दिसंबर, 19
भारत के पण्यवस्तु निर्यात स्कीम (एम ई आई एस) :	स्क्रिप की संख्या	2,18,402	2,98,350	2,29,075
	स्क्रिप का मूल्य (करोड़ रुपए में)	25,994	39,29,8.41	30,870
	निर्यातों का एफ ओ बी मूल य(करोड़ रुपए में)	9,78,286	12,46,772	9,45,423
भारत से सेवा निर्यात स्कीम (एस ई आई एस)	स्क्रिप की संख्या	5,569	6,376	5,917
	स्क्रिप का मूल्य (करोड़ रुपए में)	3,475	4,263	5,283
	निर्यातों का एफ ओ बी मूल य(करोड़ रुपए में)	15,87,379	13,72,212	21,03,223

III. पिछली विदेश व्यापार नीतियों के तहत निर्यात संवर्धन की अन्य स्कीमें

विदेश व्यापार नीति 2015–20 से पूर्व विभिन्न योजनाएं शुरू की गईं जैसे कि (i) फोकस उत्पाद स्कीम (एफपीएस), (ii) फोकस बाजार स्कीम (एफएमएस), (iii) विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई), (iv) वृद्धिमूलक निर्यात प्रोत्साहन स्कीम, (v) भारत से सेवित स्कीम और (vi) स्टेटस होल्डर प्रोत्साहन सक्रिप (एसएचआईएस)। निम्नलिखित सारणी में सक्रिप के मूल्यों तथा निर्यात के एफओबी मूल्य के साथ इन स्कीमों के तहत जारी किए गए सक्रिप का ब्यौरा दिया गया है :

निर्यात संवर्धन की स्कीमें		2017-18	2018-19	अप्रैल - दिसंबर, 19
फोकस मार्केट स्कीम (एफएमएस)	स्क्रिप की संख्या	2,044	917	291
	स्क्रिप का मूल्य (करोड़ रुपए में)	164	89	40
	निर्यातों का एफ ओ बी मूल्य (करोड़ रुपए में)	4,952	2,672	1,303
फोकस प्रोडक्ट स्कीम (एफपीएस)	स्क्रिप की संख्या	6,142	2,910	602
	स्क्रिप का मूल्य (करोड़ रुपए में)	372	369	66
	निर्यातों का एफ ओ बी मूल्य (करोड़ रुपए में)	15,985	18,004	2,964
विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना (वी के जी यू वाई)	स्क्रिप की संख्या	484	123	27
	स्क्रिप का मूल्य (करोड़ रुपए में)	15	4	1
	निर्यातों का एफ ओ बी मूल्य (करोड़ रुपए में)	331	99	30
भारत स्कीम से सेवित (एसएफआईएस)	स्क्रिप की संख्या	751	259	34
	स्क्रिप का मूल्य (करोड़ रुपए में)	309	194	18
स्टेटस होल्डर प्रोत्साहन स्क्रिप (सी एच आई एस)	स्क्रिप की संख्या	61	20	12
	स्क्रिप का मूल्य (करोड़ रुपए में)	37	22	4
वृद्धिपरक निर्यात प्रोत्साहन स्कीम (आई ई आई एस)	स्क्रिप की संख्या	519	189	62
	स्क्रिप का मूल्य (करोड़ रुपए में)	114	66	11

चित्र 1 2017–18, 2018–19 तथा अप्रैल से दिसंबर 2019 के दौरान निर्यात संवर्धन की विभिन्न स्कीमों के तहत जारी किए गए सक्रिप की संख्या।

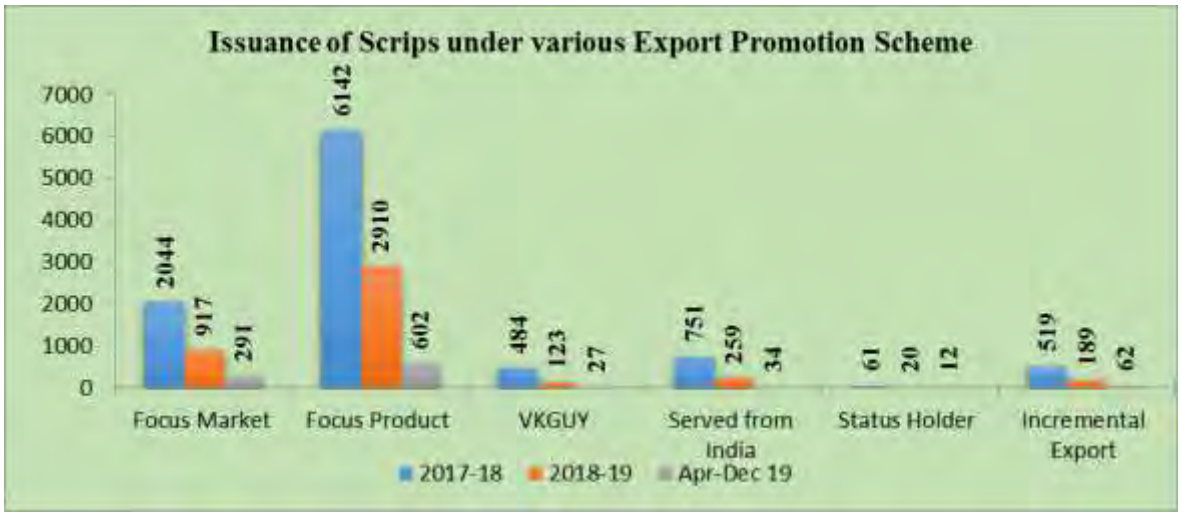

चित्र 2 2017–18, 2018–19 तथा अप्रैल से दिसंबर 2019 के दौरान निर्यात संवर्धन की विभिन्न स्कीमों के तहत जारी किए गए सक्रिप का मूल्य।

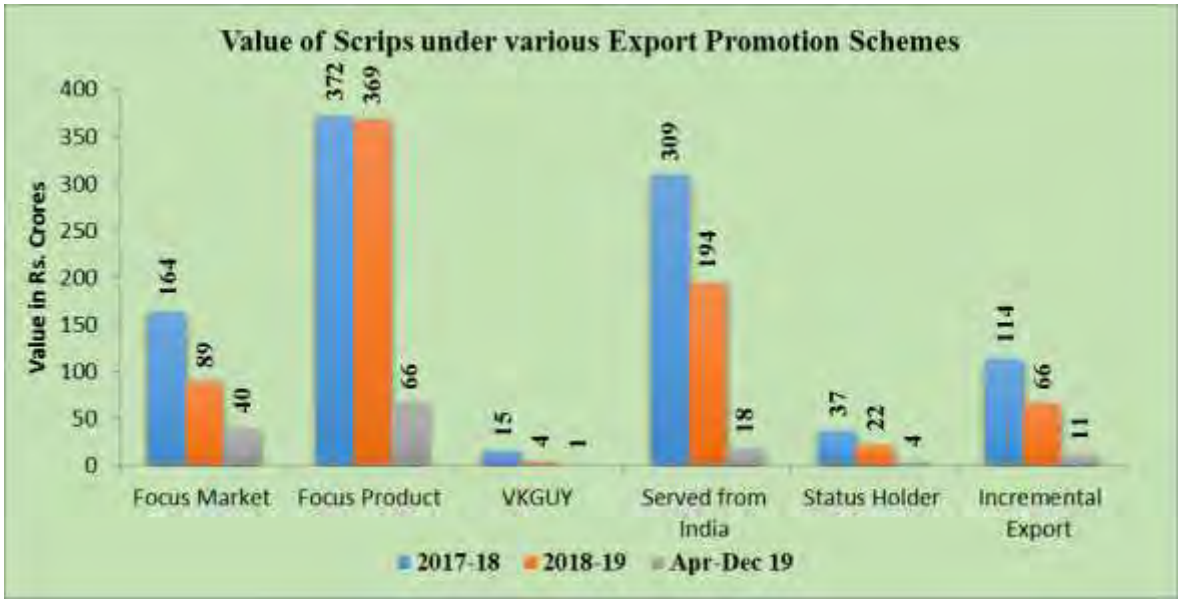

चित्र 3 2017–18, 2018–19 तथा अप्रैल से दिसंबर, 2019 के दौरान निर्यात संवर्धन की विभिन्न स्कीमों के तहत निर्यात का एफओबी मूल्य।

IV. शुल्क माफी की स्कीमें

शुल्क निष्प्रभावन / माफी की स्कीमें सरकार के इस सिद्धांत और प्रतिबद्धता पर आधारित हैं कि ''सामानों और सेवाओं का निर्यात किया जाना है न कि करों और उगाहियों का''। इसका प्रयोजन यह है कि इनपुट्स को शुल्क–मुक्त आयात/प्रापण की अनुमति दी जाए अथवा या तो प्रयुक्त इनपुट्स के लिए या प्रयुक्त इनपुट्स पर शुल्क संघटक के लिए पुनःपूर्ति की अनुमति दी जाए। इन योजनाओं का संक्षिप्त नीचे दिया गया है:

अग्रिम प्राधिकार (एए) स्कीम

स्कीम के ~~अ~~

शुल्क माफी की स्कीमों के तहत प्राधिकार जारी किया जाना

विभिन्न स्कीमों अर्थात अग्रिम प्राधिकार, ड्यूटी फ्री आयात प्राधिकार (डी एफ आई ए) तथा भराई लाइसेंस (रत्न एवं आभूषण) के तहत प्राधिकार जारी किए जाते हैं। 2017–18, 2018–19 तथा अप्रैल से दिसंबर 2019 के दौरान विभिन्न स्कीमों के तहत जारी किए गए प्राधिकारों की संख्या, आयातों के सीआईएफ मूल्य तथा निर्यातों के एफओबी मूल्य का ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में दिया गया है :

शुल्क कमाफी की स्कीमें		2017-18	2018-19	अप्रैल - दिसंबर, 2019
अग्रिम प्राधिकार	प्राधिकारों की संख्या	21,505	23,042	17,040
	आयातों का सी आई एफ मूल्य (करोड़ रुपए में)	1,79,243	2,05,060	1,33,117
	निर्यातों का एफ ओ बी मूल्य (करोड़ रुपए में)	3,00,915	3,78,808	2,48,000
ड्यूटी मुक्त आयात प्राधिकार (डीएफआईए)	प्राधिकारों की संख्या	815	1,321	1,253
	आयातों का सी आई एफ मूल्य (करोड़ रुपए में)	2,247	3,253	2,129
	निर्यातों का एफ ओ बी मूल्य (करोड़ रुपए में)	3,047	5,183	3,893
पुनःपूर्ति लाइसेंस (रत्न एवं आभूषण)	प्राधिकारों की संख्या	63	103	113
	आयातों का सी आई एफ मूल्य (करोड़ रुपए में)	59	77	108
	निर्यातों का एफ ओ बी मूल्य (करोड़ रुपए में)	668	1,001	891

चित्र 4 : 2017–18 तथा अप्रैल से दिसंबर, 2019 के दौरान विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत जारी किए गए प्राधिकारों की संख्या को दर्शाता है।

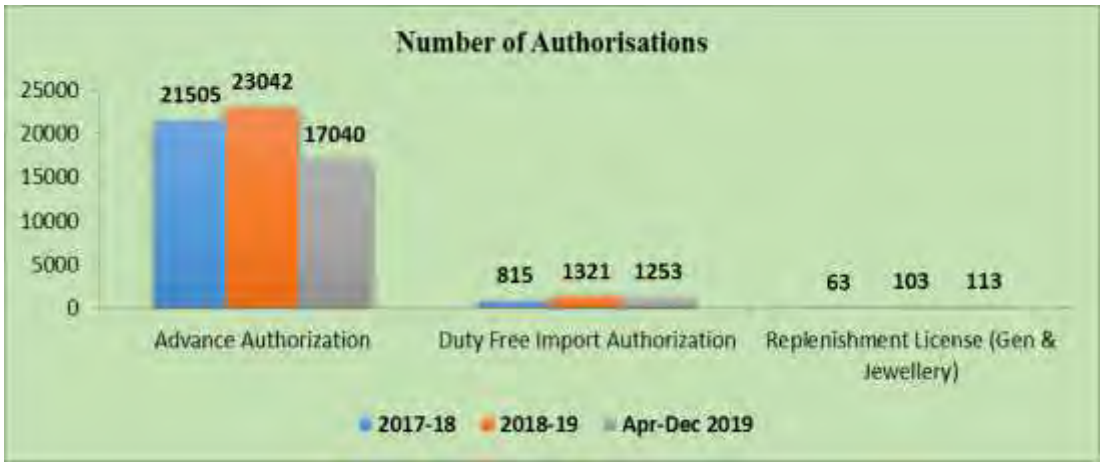

चित्र 5 : 2017–18, 2018–19 तथा अप्रैल से दिसंबर, 2019 के दौरान विभिन्न आयात संवर्धन स्कीमों के तहत आयात के सीआईएफ मूल्य को दर्शाता है।

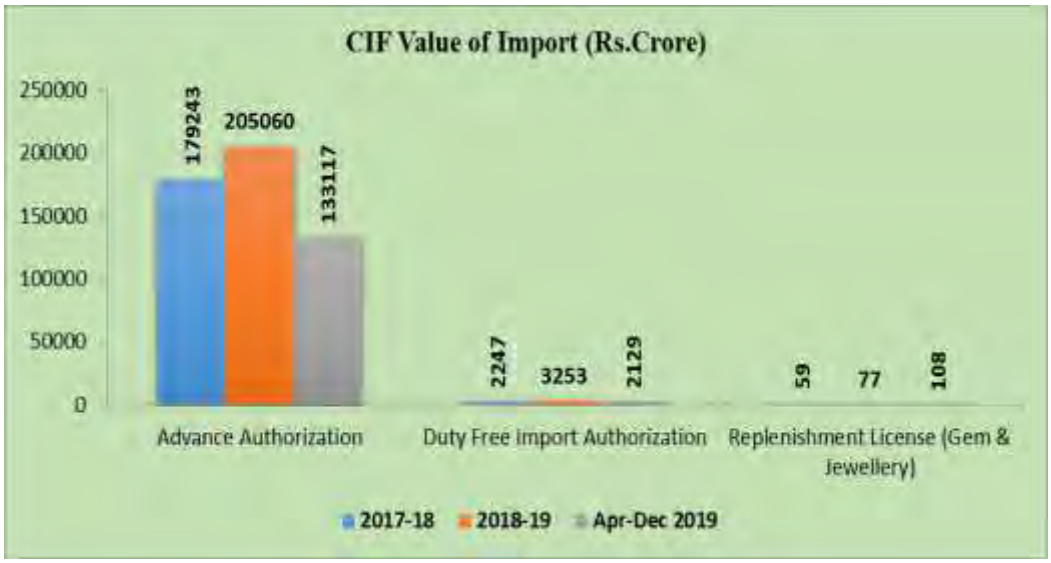

चित्र 6 : 2017–18, 2018–19 तथा अप्रैल से दिसंबर, 2019 के दौरान विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत निर्यात के एफओबी मूल्य को दर्शाता है।

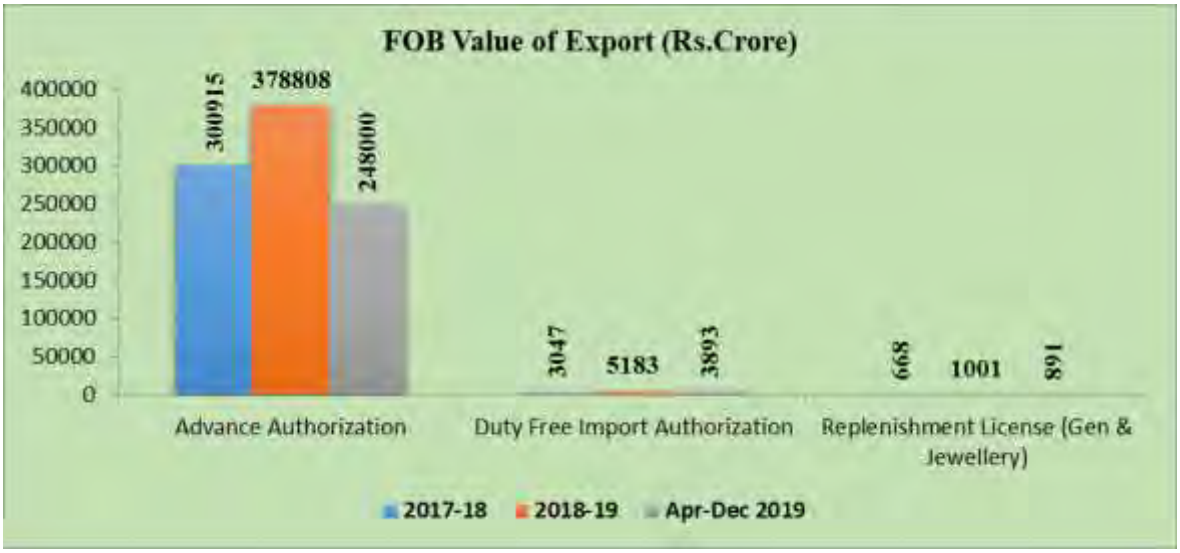

चित्र 7 : अप्रैल से दिसंबर, 2019 के दौरान जारी किए गए सक्रिपों की कुल संख्या में विभिन्न स्कीमों के शेयर को प्रतिशत के रूप में दर्शाता है।

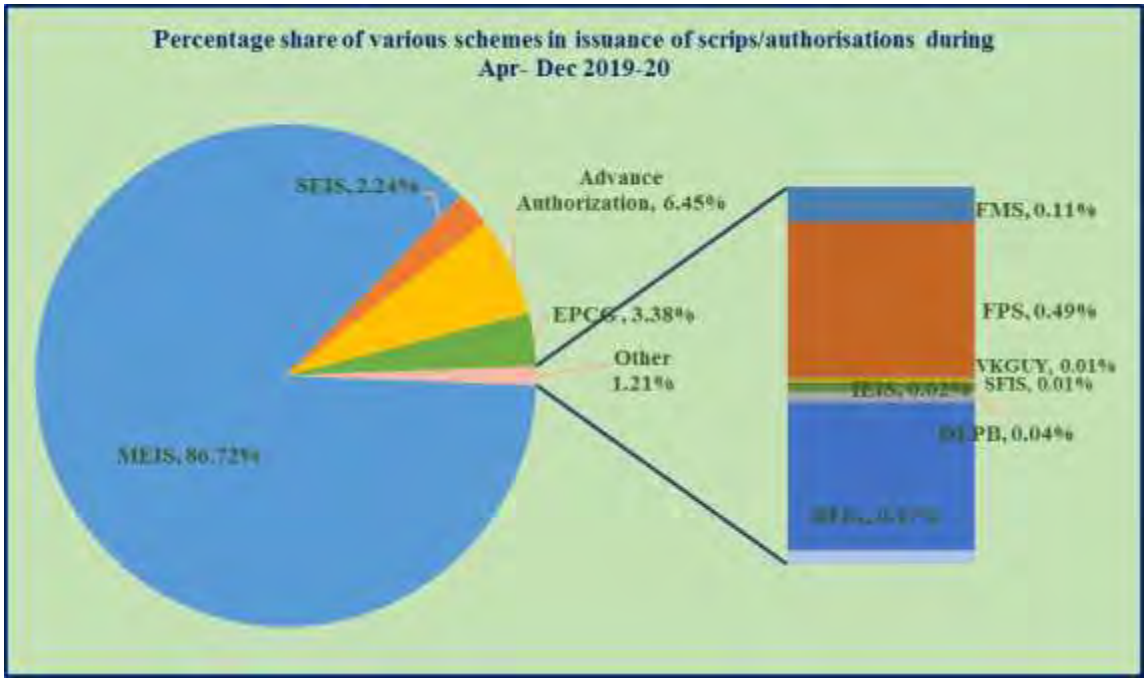

V. पूंजी माल निर्यात संवर्धन (ईपीसीजी) स्कीम

पूंजी माल निर्यात संवर्धन (ईपीसीजी) स्कीम कोटिपरक माल एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजी माल के आयात को सुगम बनाती है और भारत की विनिर्माण संबंधी प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाती है। पूंजी माल निर्यात संवर्धन स्कीम कुछ निर्दिष्ट वस्तुओं को छोड़कर शून्य सीमा शुल्क पर उत्पादन पूर्व, उत्पादन और उत्पादन पश्चात के लिए पूंजी माल के आयात को अनुमति प्रदान करती है। स्कीम के अंतर्गत सहायक विनिर्माता (विनिर्माताओं) के साथ या बगैर किसी विनिर्माता निर्यातक, सहायक विनिर्माता (विनिर्माताओं) के साथ अनुबंधित मर्चेंट निर्यातकों तथा नामित / प्रमाणित सामान्य सेवा प्रदाताओं को ईपीसीजी प्राधिकार जारी किया जाता है। ईपीसीजी प्राधिकार का धारक व्यक्ति घरेलू विनिर्माता से भी पूंजी माल प्राप्त कर सकता है और ऐसा घरेलू विनिर्माता विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत समवत निर्यात लाभ के लिए पात्र है और जीएसटी नियम के अंतर्गत इसके लिए प्रावधान हो सकते हैं। भौतिक निर्यात के लिए ईपीसीजी प्राधिकार के अंतर्गत आयातित पूंजी माल को 31 मार्च, 2020 तक एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) तथा क्षतिपूर्ति उपकर से भी छूट प्रदान की गई है।

पूंजी माल के आयात पर शुल्कों, करों और उपकर की बचत के 6 गुना के समतुल्य किसी विशिष्ट निर्यात बाध्यता (ईओ) के अधीन प्राधिकार जारी किया जाता है, जिसे प्राधिकार जारी करने की तारीख से 6 वर्ष में पूरा करना होता है। 6 वर्ष की निर्यात बाध्यता अवधि कुछ शर्तों के अधीन दो साल तक आगे खिसकाई भी जा सकती है। इस स्कीम में कतिपय विनिर्दिष्ट सेक्टरों / उत्पादों के सिवाय समग्र निर्यात

बाध्यता अवधि, जिसमें विस्तारित अवधि भी शामिल है, के भीतर उसी और सदृश उत्पादों के लिए लाइसेंस जारी किए जाने से पूर्व तीन वर्षों में निर्यातक द्वारा हासिल किए गए निर्यात के औसत स्तर को बनाए रखना भी अपेक्षित है। पूंजी माल के घरेलू प्रापण के मामले में तथा अधिसूचित हरित प्रौद्योगिकी उत्पादों के संबंध में विशिष्ट निर्यात बाध्यता सामान्य निर्यात बाध्यता का 75 प्रतिशत है। इसके अलावा, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवस्थित यूनिटों के लिए विनिर्दिष्ट निर्यात बाध्यता सामान्य निर्यात बाध्यता का 25 प्रतिशत है। निर्यात भौतिक निर्यात होगा, तथापि निर्यात बाध्यता की पूर्ति के लिए कतिपय समवत निर्यात को भी शामिल किया जाता है। निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से ऐसे मामलों में जहां प्राधिकार धारक ने विशिष्ट निर्यात बाध्यता के 75 प्रतिशत या अधिक की पूर्ति की है और निर्यात बाध्यता की मूलतः निर्धारित अवधि के आधे या आधे से कम भाग में अब तक उसकी औसत निर्यात बाध्यता 100 प्रतिशत है तो शेष निर्यात बाध्यता माफ की जा सकती है और क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्राधिकार भुनाया जा सकता है। ईपीसीजी प्राधिकार जारी होने की तारीख से 24 माह की अवधि के लिए आयात के लिए वैध है और पूंजी माल का आयात निर्यात बाध्यता के पूर्ण होने तक वास्तविक प्रयोग की शर्त के अधीन है। निर्यात पश्चात ईपीसीजी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप ऐसे निर्यातकों के लिए भी उपलब्ध होगी जो नकदी रूप में लागू शुल्कों, करों एवं उपकर के पूर्ण भुगतान पर पूंजी माल के आयात का इरादा रखते हैं और इस स्कीम के विकल्प का वरण करते हैं। पूंजी माल पर प्रदत्त बुनियादी सीमा शुल्क स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के रूप में माफ हो जाता है और विशिष्ट निर्यात बाध्यता सामान्य निर्यात बाध्यता का 85 प्रतिशत है। ड्यूटी माफी पूरे किए गए ईओ के अनुपात में होगी।

ईपीसीजी प्राधिकारों का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है :

पूंजीगत माल निर्यात संवर्धन योजना के तहत निर्गमन			
ईपीसीजी स्कीम	2017-18	2018-19	अप्रैल - दिसंबर, 2019
प्राधिकारों की संख्या	15,406	13,175	8,933
ड्यूटी के रूप में बचाई गई राशि (करोड़ रु)	11,839	15,902	10,636
निर्यातों का एफ ओ बी मूल्य (करोड़ रुपए में)	73,051	96,257	62,934

चित्र 8 : 2017–18, 2018–19 तथा अप्रैल से दिसंबर 2019 के दौरान बचाई गई ड्यूटी की राशि तथा निर्यात के एफओबी मूल्य के साथ निर्यात संवर्धन की विभिन्न स्कीमों के तहत जारी किए गए प्राधिकारों की संख्या।

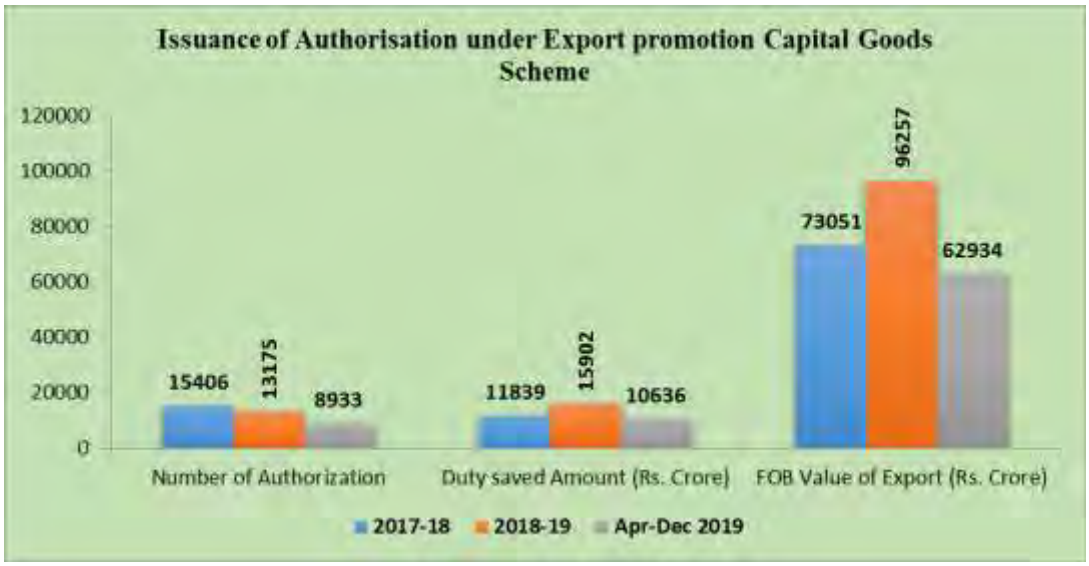

VI. लदान पूर्व एवं पश्चात रुपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज समानीकरण योजना

लदान पूर्व एवं रुपए निर्यात क्रेडिट के लिए ब्याज समानीकरण योजना (आईईएस) आरबीआई के माध्यम से डीजीएफटी द्वारा चलाई जा रही है। यह योजना 1 अप्रैल 2015 से लागू हुई और 5 साल की अवधि के लिए है। इस योजना के तहत, चार डिजिट की चिह्नित 416 टैरिफ लाइनों में निर्यात के लिए पात्र निर्यातकों जिसमें विनिर्माता निर्यातक शामिल हैं, तथा उनके सभी वस्तु निर्यात के लिए सभी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) निर्यातकों को 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज समानीकरण की सुविधा प्रदान की जाती है। बैंक लदान पूर्व एवं पश्चात रुपया निर्यात क्रेडिट के रूप में पात्र निर्यातकों को ऋण प्रदान करते हैं तथा ब्याज समानीकरण योजना के तहत शामिल निर्यातकों के संबंध में ब्याज की दर में 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की कटौती की गई है।

एमएसएमई से घटिया निर्यात निष्पादन तथा एमएसएमई पैकेज के अंग के रूप में प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण प्राप्त करने में उनकी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है कि एमएसएमई

निर्यातकों को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा और इसके लिए ब्याज समानीकरण की दर 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत की जाएगी। तद्नुसार, 2 नवंबर 2018 से इस योजना के तहत एमएसएमई क्षेत्र द्वारा किए गए निर्यात के लिए ब्याज समानीकरण की दर 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है।

इसके अलावा सतत योजना में मर्चेंट निर्यातकों को भी शामिल करने के लिए निर्यातक समुदाय की लगातार मांग को ध्यान में रखते हुए 02 जनवरी 2019 से योजना के अंतर्गत मर्चेंट निर्यातकों को भी शामिल किया गया है तथा चिन्हित 416 टैरिफ लाइनों के अंतर्गत शामिल उत्पादों के निर्यात के लिए उनको 3 प्रतिशत की ब्याज समानीकरण दर अनुमत की गई है।

VII. स्टेटस होल्डर की मान्यता :

माल, सेवाओं तथा प्रौद्योगिकी के सभी निर्यातक जिनके पास आयातक – निर्यातक कोड (आईसी) नंबर है, स्टेटस होल्डर के रूप में मान्यता के लिए पात्र हैं, जो रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को छोड़कर वर्ते

पर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज देय है, यदि आरए द्वारा अंतिम अनुमोदन पत्र जारी किए जाने की तिथि से 30 दिन के अंदर दावे का निस्तारण नहीं किया जाता है।

X. निर्यात बंधु योजना

भारत सरकार ने अपनी विदेश व्यापार नीति के अंग के रूप में 13 अक्टूबर 2011 को निर्यात बंधु स्कीम की संकल्पना तैयार की थी जिसे पहली पीढ़ी के उद्यमियों को सलाह देने के लिए एक नई योजना के रूप में विदेश व्यापार नीति 2009–14 में शामिल किया गया था। इस स्कीम का उद्देश्य नए एवं संभावित निर्यातकों तक पहुंचना और प्रबोधन कार्यक्रमों, परामर्श सत्रों तथा व्यक्तिगत सुगमता के माध्यम से उनको परामर्श प्रदान करना है ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कदम रख सकें और डीजीएफटी अधिकारियों के समय से एवं उपयुक्त मार्गदर्शन के माध्यम से भारत से निर्यात को प्रोत्साहित कर सकें।

पूरे देश में फैले डीजीएफटी के विभिन्न क्षेत्रीय प्राधिकरणों (फील्ड कार्यालयों) के माध्यम से स्कीम के तहत आउटरीच जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं जो निर्यातक – आयातक कोड (आईईसी), प्राधिकार, प्रोत्साहन, स्क्रिप आदि जारी करते समय सीधे नए एवं संभावित निर्यातकों के साथ चर्चा में शामिल होते हैं।

विनिर्माण क्षेत्र तथा रोजगार सृजन में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के महत्व को ध्यान में रखते हुए आउटरीच कार्यक्रमों के तहत इस क्षेत्र से नए निर्यातकों को शामिल करने और विशिष्ट उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विशिष्ट रूप से एम एस एम ई क्लस्टरों के निर्यातकों पर बल दिया जाता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय पूरे देश में कार्यान्वयन के लिए अपने आउटरीच कार्यक्रमों हेतु एम एस एम ई क्लस्टरों की पहचान करता है। ये क्लस्टर अधिकांशतः छोटे शहरों में हैं तथा इन आउटरीच कार्यक्रमों का उद्देश्य इन शहरों से संभावित उद्यमियों एवं निर्यातकों को प्रशिक्षण देना है। डी जी एफ टी ने उत्पादों के निर्यात के लिए संसाधन इनपुट प्रदान करने के लिए औद्योगिक साझेदारों जैसे कि निर्यात संवर्धन परिषदों तथा ज्ञान साझेदारों जैसे कि विद्वत जगत, कस्टम, बैंक आदि की पहचान की है जो उस उत्पाद के निर्यात के लिए प्रक्रियागत पहलुओं पर संसाधन इनपुट प्रदान करेंगे।

वर्ष 19–20 के लिए निधियों का कुल आवंटन 95 लाख रुपए था जिसमें से 12.14 लाख रुपए 20 दिसंबर, 2019 तक विभिन्न क्षेत्रीय प्राधिकारियों को आवंटित किए गए हैं। निर्यात बंधु के अंतर्गत उप घटक सी1 (नए आईईसी होल्डर), सी2 (उत्कृष्टता का कस्बा / औद्योगिक क्लस्टर) और सी3 (व्यवसाय विद्यालयों / विश्वविद्यालयों में सेमिनार) हैं।

XI. निर्यात से संबंधित मामले

निर्यात प्राधिकार

निर्यात प्रकोष्ठ मुक्त / प्रतिबंधित या निषिद्ध के रूप में वर्गीकृत निर्यात एवं आयात के लिए आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के तहत विभिन्न मदों की निर्यात नीति से संबंधित काम देखता है। वाणिज्य विभाग के संबंधित वस्तु प्रभाग तथा संबंधित मंत्रालय / विभाग के परामर्श से मदों की निर्यात नीति की समय समय पर समीक्षा की जाती है तथा निर्यात नीति अधिसूचित की जाती है। तद्नुसार निर्यात प्रकोष्ठ मदों की निर्यात नीति पर स्पष्टीकरण / व्याख्या प्रदान करता है, जब भी संबंधित व्यक्तियों / फर्मों / कंपनियों या मंत्रालय / विभाग / संगठन द्वारा इसकी मांग की जाती है। निर्यात के लिए आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 में प्रतिबंधित के रूप में वर्गीकृत मदों का निर्यात लाइसेंस के अधीन है।

निर्यात बढ़ाने के लिए सुगमताकारी उपाय : प्रतिबंधित निर्यात में व्यापार को सुगम बनाने के उद्देश्य से अधिसूचना संख्या 56/2015–20 दिनांक 18 फरवरी 2019 के माध्यम से निजी भूमि (पट्टा भूमि सहित) से प्राप्त केवल कृषि स्रोत से रेड सैंडर्स वुड की निर्यात नीति अधिसूचित की गई है ताकि लट्ठा, जड़ तथा मूल्यवर्धित उत्पादों के रूप में रेड सैंडर्स वुड का निर्यात किया जा सके और निर्यातकों को सुगमता प्रदान की जा सके। उर्वरकों की निर्यात नीति को भी उदार बनाया गया है तथा इस मद को 'प्रतिबंधित श्रेणी' से हटाकर उर्वरक विभाग से निर्माता / निर्यातक द्वारा पूर्व अनुमति एनओसी प्राप्त करने तथा अन्य निर्धारित शर्तों के अनुपालन के अधीन 'मुक्त श्रेणी' में रखा गया है। सरसों के तेल को छोड़कर खाद्य तेल की सभी किस्मों के निर्यात पर निषेध – सरसों के तेल को छोड़कर खाद्य तेल की सभी किस्मों की समीक्षा की गई है तथा किसी मात्रात्मक सीलिंग, पैक साइज आदि के बगैर निर्यात के लिए मद को 'फ्री' किया गया है। बीच सैंड मिनिरल के निर्यात को एसटीई के अधीन लाया गया है तथा इसका निर्यात इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड (आईआरईएल) के माध्यम से किया जाएगा।

निर्यातकों के लिए विभिन्न अन्य सुगमताकारी उपाय भी लागू किए गए हैं जैसे कि व्यापार नोटिस 35 दिनांक 25 अक्टूबर 2018 के माध्यम से प्रतिबंधित निर्यात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करना, डीजीएफटी की वेबसाइट पर आवेदन का लाइव स्टेटस, मुद्दा आधारित पूछताछ निवारण प्रणाली अर्थात Contact@DGFT आदि।

प्रोसेसिंग का समय घटाने तथा उद्योग के लिए व्यवसाय करने की सरलता बढ़ाने के लिए व्यापार नोटिस संख्या 50/2015–20 दिनांक 18 मार्च 2019 के माध्यम से 19 मार्च 2019 से प्रतिबंधित मदों (गैर स्कोमेट) के निर्यात के लिए प्राधिकार प्राप्त करने की आनलाइन प्रणाली लागू की गई है। निर्यातकों द्वारा आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया, डीजीएफटी द्वारा आवेदनों की प्रोसेसिंग तथा प्रशासनिक विभागों के साथ परामर्श की प्रक्रिया को भी आनलाइन किया गया है। इससे ऐसे प्राधिकार के लिए आवेदन करने तथा प्राधिकार प्राप्त करने में निर्यातकों की लेनदेन लागत कम होगी। इसके अलावा सार्वजनिक नोटिस संख्या 1/2015–20 दिनांक 4 अप्रैल 2019 के माध्यम से निर्यात लाइसेंस की वैधता अवधि 12 माह से बढ़ाकर 24 माह कर दी गई है।

प्रतिबंधित निर्यात लाइसेंस : प्रतिबंधित मदों (स्कोमेट की मदों से भिन्न) उदाहरण के लिए मांट्रियल प्रोटोकाल आदि के तहत प्याज के बीज, जिंदा पशु, सीवीड, गैर बासमती चावल, धान (भूसी) सीड क्वालिटी से भिन्न, चारा सामग्री, रसायन के लिए निर्यात प्राधिकार जारी करने के लिए आवेदनों को निर्यात प्रकोष्ठ में प्रोसेस किया जाता है तथा प्रभारी अपर विदेश व्यापार महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित एग्जिम सुगमता समिति (ईएफसी) द्वारा उन पर विचार किया जाता है जिसमें विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधि होते हैं। एग्जिम सुगमता समिति की बैठक सामान्यतया माह में एक बार होती है तथा वाणिज्य विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग के

प्रश्नगत वस्तु विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र / टिप्पणियों के आधार पर मामलों का निर्णय किया जाता है और केवल डीजीएफटी मुख्यालय से लाइसेंस जारी किए जाते हैं।

वर्ष 2019–20 के दौरान (30 नवंबर, 2019 तक), निर्यात की अनुमति के लिए 241 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 204 आवेदनों को अनुमोदित किया गया तथा निर्यात के लिए अनुमति प्रदान की गई, 37 आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया / छोड़ दिया गया और शेष आवेदन संबंधित मंत्रालय / विभाग से इनपुट / अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में अगले माह के लिए आस्थगित कर दिए गए।

एससीओएमईटी

विशेष केमिकल्स, जीव, सामग्रियां, उपस्कर और प्रौद्योगिकियां (स्कोमेट) वस्तुएं दोहरे–उपयोग की वस्तुएं हैं जिनमें नागरिक और डब्ल्यूएमडी (जन संहार के अस्त्र) दोनों अनुप्रयोगों की संभावना होती है। ऐसी वस्तुओं का निर्यात या तो सीमित है, उनके निर्यात के लिए प्राधिकार अपेक्षित है, या प्रतिबंधित है। एस सी ओ एम ई टी वस्तुओं की सूची का परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एन एस जी) और मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर) की सूचियों के साथ सामंजस्य स्थापित किया गया जिसकी वजह से जून 2016 में भारत एमटीसीआर का सदस्य बनने में समर्थ हुआ। वासेनार व्यवस्था (डब्ल्यूए) तथा आस्ट्रेलिया समूह (एजी) की नियंत्रण सूचियों तथा अधिसूचना संख्या 05/2015–20 दिनांक 24 अप्रैल 2017 के जरिए अधिसूचित (1 मई 2017 से प्रभावी) के माध्यम से अधिसूचित व्यापक सूची के साथ निर्यात नियंत्रण सूची का सामंजस्य स्थापित किया गया है। स्कोमेट सूची समय समय पर अपडेट की जाती है और पिछले अपडेट अप्रैल 2019 में किए गए जो 24 जुलाई 2019 से लागू हुए। इस अधिसूचना के माध्यम से स्कोमेट मदों की अद्यतन निर्यात नियंत्रण सूची को अनुसूची 2 के विद्यमान परिशिष्ट 3 से प्रतिस्थापित किया गया है। इसके अलावा स्कोमेट की विभिन्न श्रेणियों के लिए लाइसेंसिंग के क्षेत्राधिकार को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। स्कोमेट की वस्तुओं से संबंधित निर्यात नीति विदेश व्यापार नीति 2015–20 की प्रक्रिया हस्तपुस्तिका के पैरा 2.73 में दी गई है और ऐसी वस्तुओं की सूची निर्यात एवं आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के परिशिष्ट 3 में दी गई है। ऐसी वस्तुओं की आठ श्रेणियां हैं। स्कोमेट की वस्तुओं के निर्यात के सभी आवेदनों के साथ–साथ ऑनसाइट सत्यापन के आवेदनों पर प्रक्रिया हस्तपुस्तिका के पैरा 2.74 में निर्धारित दिशानिर्देशों और मानदंडों के अनुसार डीजीएफटी में विदेश व्यापार के अपर महानिदेशक की अध्यक्षता वाले अंतर्मंत्रालयी कार्यबल द्वारा उनके गुण–दोष के आधार पर विचार किया जाता है। इसके सदस्यों में अन्यों के अलावा विदेश मंत्रालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, डीआरडीओ, इसरो, आर्थिक कार्य विभाग, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग शामिल हैं।

व्यापार तथा व्यवसाय करने की सरलता बढ़ाने के उद्देश्य से डीजीएफटी ने उद्योग के साथ परामर्श करके प्रक्रिया को और सरल बनाया है तथा आयातित माल के स्टाक एवं बिक्री, रिपीट आर्डर, मरम्मत / प्रतिस्थापन / रिटर्न, दोहरे प्रयोग की वस्तुओं के डेमो / प्रदर्शनी / मरम्मत आदि के लिए अस्थायी निर्यात के लिए नीति निर्धारित की है तथा रिपोर्टिंग पश्चात आधार पर स्टाक एवं बिक्री के तहत माल के थोक निर्यात को उदार बनाया है। डीजीएफटी ने भारतीय सहायक कंपनी और उसकी मूल विदेशी कंपनी और/या विदेशी मूल कंपनी की सहायक कंपनियों के बीच स्कोमेट की मदों / साफ्टवेयर / प्रौद्योगिकी के निर्यात के लिए इंट्रा कंपनी ट्रांसफर के लिए वैश्विक प्राधिकार (जीएआईसीटी) के लिए नीति / प्रक्रिया भी निर्धारित की है। विभिन्न सरकारी एजेंसियों तथा उद्योग समूहों के सहयोग से पूरे वर्ष क्षेत्र विशिष्ट उद्योग आउटरीच / जागरूकता कार्यक्रम भी संचालित किए गए।

वर्ष 2018–19 के दौरान (31 मार्च 2019 तक) निर्यात की अनुमति के लिए प्राप्त किए गए 628 आवेदनों (जिसमें पिछले वर्ष से अग्रनीत किए गए 8 आस्थगित मामले शामिल हैं) में से 419 आवेदकों को प्राधिकार प्रदान किए गए हैं। वर्ष 2019–20 के दौरान (30 नवंबर 2019 तक) कुल 415 आवेदनों (इसमें पिछले वर्ष के 53 आस्थगित मामले शामिल हैं) में से 299 आवेदकों को निर्यात प्राधिकार प्रदान किया गया तथा शेष आवेदनों पर विचार किया जा रहा है। स्कोमेट की वस्तुओं के निर्यात के लिए प्राधिकारों का कुल मूल्य 2018–19 के दौरान 524.36 मिलियन अमरीकी डालर और 2019–20 (30 नवंबर, 2019 तक) के दौरान 201.32 मिलियन अमरीकी डालर था।

XII. अ

आयात अन्यथा केवल राज्य ट्रेडिंग उद्यमों के माध्यम से अनुमत है। 2019 – 20 (नवंबर, 2019 तक) के दौरान प्राप्त किए गए कुल 618 आवेदनों में से 389 मामलों में आयात की अनुमति प्रदान की गई।

(2) **तरजीही टैरिफ दर कोटा** : परिशिष्ट 2 ए (I) के अनुसार भारत – श्रीलंका मुक्त व्यापार करार / नेपाल के तहत वनस्पति / बेकरी शार्टनिंग एवं मार्गरीन, कालीमिर्च तथा खोपरे का आयात अनुमत है। 2019–20 के दौरान काली मिर्च के लिए 84 आवेदकों, वनस्पति / बेकरी के लिए 14 आवेदकों और भारत – श्रीलंका करार के अधीन डेसीकेटेड कोकोनट के लिए 12 आवेदकों और भारत – नेपाल करार के अधीन 4 आवेदकों को अनुमति प्रदान की गई।

भारत – मर्कोसुर तरजीही व्यापार करार के अधीन पराग्वे से क्रूड सोया ऑयल के 30000 मीट्रिक टन के आयात के लिए सार्वजनिक नोटिस संख्या 42/2015–2020 दिनांक 8 नवंबर 2018 के माध्यम से टीआरक्यू विहित किया गया है।

(3) **सर्वाधिक मित्र राष्ट्र टैरिफ रेट कोटा** : टैरिफ रेट कोटा स्कीम के तहत प्रक्रिया हैंडबुक 2015–20 के पैरा 2.7 के अनुसार निर्धारित मात्रा तक तथा सीमा शुल्क की रियायती दर पर चार मदों का आयात अनुमत है अर्थात (1) स्किम्ड तथा साबुत मिल्क पाउडर, बच्चों के लिए मिल्क फूड आदि तथा सफेद बटर, बटर ऑयल, एनहाइड्रस मिल्क फैट (2) मक्का (3) क्रूड सनफ्लावर सीड या सनफ्लावर ऑयल तथा उसके अंश और (4) रिफाइंड रेट, कोल्जा या मस्टर्ड ऑयल। तथापि, वर्ष 2019–20 के दौरान न्यायालयों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों कारण टैरिफ रेट कोटा स्कीम के तहत कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।

बिहार में सूखा, कीट हमला तथा कृष्य भूमि में काफी कटौती के कारण मुर्गी पालन उद्योग के लिए फीड ग्रेड के मक्के की अभूतपूर्व कमी को ध्यान में रखते हुए केवल वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिए 15 प्रतिशत के सीमा शुल्क पर टीआरक्यू योजना के अंतर्गत एसटीई (एमएमटीसी और नेफेड) के माध्यम से फीड ग्रेड मक्का के 5 लाख मीट्रिक टन के आयात की अनुमति प्रदान की गई है, जबकि व्यापार के प्रयोजनार्थ आयात अनुमत नहीं है।

(4) **अस्थायी रूप से प्रतिबंधित मदें जैसे कि मटर / दालें** : 2017–18 से पूर्व मटर और दालों की आयात नीति 'फ्री' थी। देश में प्रतिकूल कृषि परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने तूर दाल, मूंग और उड़द की आयात नीति को अगस्त 2017 में ''फ्री'' से ''प्रतिबंधित'' में परिवर्तित करने का निर्णय लिया। अप्रैल 2018 के महीने में मटर को प्रतिबंधित सूची में शामिल किया गया। राजकोषीय वर्ष 2017–18, 2018–19 और 2019–20 के लिए तूर, मूंग, उड़द और मटर के आयात के लिए आवंटित कोटा दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है :

मात्रा लाख मीट्रिक टन में

श्रेणी	2017-18	2018-19	2019-20
मटर	-एनए-	1	1.5
तुअर	2	2	4.0
मूंग	1.5	1.5	1.5
उड़द	1.5	1.5	4.0
एमओयू के अंतर्गत मोजांबिक से दालें	1.25	1.5	1.75
कुल	**6.25**	**7.5**	**12.75**

सुपरिभाषित पारदर्शी प्रक्रिया के आधार पर अंतर्मंत्रालयी समिति के माध्यम से कोटा का वितरण किया जाता है। सभी दालों के लिए डीजीएफटी ने जून 2014 के महीने में कोटा आवंटित किया था। हालांकि वित्त वर्ष 2019–20 के लिए मटर के लिए वार्षिक कोट केवल 1.5 लाख मीट्रिक टन है और कोई कोटा जारी नहीं किया गया है।

(5) **अन्य परिवर्तन** : सरकार ने अधिसूचना संख्या 17/2015–2020 दिनांक 5 सितंबर 2019 के माध्यम से इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) शुरू की है जिसने भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सामंजस्य प्रणाली) (आईटीसी (एचएस)) 2017, अनुसूची 1 (आयात नीति) के अध्याय 72, 73 और 86 में उल्लिखित विशिष्ट लोहा एवं इस्पात मदों की आयात नीति को 'फ्री' से परिवर्तित करके 'अनिवार्य पंजीकरण के अधीन फ्री' कर दिया है। इसके अंतर्गत लोहा और इस्पात के 284 टैरिफ लाइन के आयातकों को आटोमेटिक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने के लिए आनलाइन सिस्टम पर अपने आयात की अग्रिम सूचना प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। यह एसआईएमएस 21 नवंबर, 2019 से प्रभावी हो गया है।

एसआईएमएस का प्रयोजन लोहा एवं इस्पात की महत्वपूर्ण मदों पर अग्रिम सूचना प्राप्त करना तथा बाजार की परिस्थितियों के जवाब में सरकार तथा भारतीय घरेलू उद्योग सहित सभी हितधारकों को अधिक गतिशील ढंग से उसे उपलब्ध कराना है।

XIII. विदेश व्यापार महानिदेशालय में नई पहलें

1. **विशिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन एवं विपणन सहायता (टीएमए) स्कीम** : ट्रांसशिपमेंट के कारण निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के निर्यात के परिवहन की ऊंची लागत के नुकसान की भरपाई करने तथा निर्दिष्ट विदेशी बाजारों में भारतीय कृषि उत्पादों के लिए ब्रांड पहचान को बढ़ावा देने के लिए विदेश व्यापार नीति 2015–20 के तहत निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन एवं विपणन सहायता (टीएमए) स्कीम शुरू की गई है। विदेश व्यापार नीति 2015–20 में एक नया

अध्याय 7 (ए) जोड़ा गया है। यह स्कीम निर्यात के लिए 1 मार्च 2019 से 31 मार्च 2020 तक उपलब्ध होगी।

2. **राज्य एवं केन्द्रीय करों तथा लेवी में रिबेट** : भारत से परिधान तथा मेडअप के निर्यात की प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने के लिए वस्त्र मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या 14/26/2016–आईटी (खंड 2) दिनांक 7 मार्च 2019 के माध्यम से गारमेंट एवं मेडअप के निर्यात पर राज्य एवं केन्द्रीय करों तथा लेवी में रिबेट नामक एक नई स्कीम अधिसूचित की है। यह स्कीम डीजीएफटी द्वारा लागू की जाएगी। डीजीएफटी ने विदेश व्यापार नीति में संशोधन के माध्यम से वस्त्र मंत्रालय की अधिसूचना को प्रभावी बनाया है। राज्य एवं केन्द्रीय करों तथा लेवी में रिबेट स्कीम के तहत ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप का एमईआईएस जैसा तंत्र जारी किया जाएगा।

3. **निर्यात केन्द्र के रूप में जिले का विकास करना** : राज्यों से निर्यात बढ़ाने के लिए वाणिज्य विभाग तथा राज्य सरकारों के प्रयासों को गति प्रदान करने के लिए अपने क्षेत्रीय प्राधिकरणों के माध्यम से डीजीएफटी ने संस्थानिक तंत्र के सृजन के लिए राज्य सरकारों के साथ निकटता से काम करना शुरू किया है। इसके अलावा प्रत्येक जिले को निर्यात केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए डीजीएफटी के क्षेत्रीय कार्यालयों तथा राज्य सरकारों को शामिल करके एक पहल शुरू की गई है। राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार के अन्य संगत मंत्रालयों / विभागों को प्रत्येक जिले की निर्यात क्षमता की पहचान करनी है और जिला स्तरीय रिपोर्ट तैयार करनी है। जिला स्तरीय निर्यात योजनाएं तैयार करने और लागू करने तथा निर्यात से संबंधित सभी समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक जिले में जिला निर्यात संवर्धन समिति (डीईपीसी) का सृजन करने के लिए डीजीएफटी के नामित क्षेत्रीय प्राधिकरणों तथा राज्य सरकारों को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। जिला स्तरीय निर्यात डाटा संकलित करने के लिए तंत्र सृजित करने हेतु डीजीएफटी केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) तथा जीएसटीएन के साथ काम कर रहा है।

4. **डीजीएफटी की आईटी सुधार परियोजना** : व्यापार जगत की बढ़ती अपेक्षाओं से तालमेल स्थापित करने के लिए डीजीएफटी ने भूमिका आधारित पहुंच तथा डाटा विश्लेषण आदि के साथ क्लाउड इनेबल, विकेन्द्रीकृत प्रोसेसिंग परिवेश के साथ पुराने एप्लीकेशन साफ्टवेयर / हार्डवेयर को प्रतिस्थापित करने के लिए अपने वर्तमान आईसीटी इको सिस्टम में सुधार करने की प्रक्रिया शुरू की है। आईटी सुधार परियोजना का प्रयास अपने सभी हितधारकों अर्थात निर्यातकों, आयातकों, अन्य सरकारी संस्थाओं, तकनीकी प्राधिकरणों, प्रमाणन व्यावसायिकों आदि के साथ पेपर लेस, अचूक संबंध की ओर अग्रसर होना है। नए सिस्टम के पहले चरण को अनंतिम रूप से जनवरी 2020 में शुरू करने का प्रस्ताव है।

5. **उत्पत्ति के तरीजीही प्रमाण पत्रों के लिए सामान्य डिजिटल प्लेटफार्म** : उत्पत्ति के तरजीही प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक नया आनलाइन प्लेटफार्म विकसित किया गया है जो सभी एफटीए / पीटीए के लिए, उत्पत्ति प्रमाण पत्र जारी करने वाली सभी नामित एजेंसियों के लिए तथा सभी निर्यात उत्पादों के लिए एकल बिंदु सेवा केन्द्र होगा। इस प्लेटफार्म का उद्देश्य उत्पत्ति प्रमाण पत्र की आवेदन प्रक्रिया के लिए इलेक्ट्रानिक, पेपरलेस, संपर्क रहित प्लेटफार्म प्रदान करना है। वर्तमान में यह प्लेटफार्म भारत – चिली पीटीए, साफ्टा और साप्टा के लिए क्रियाशील है। डीजीएफटी एफटीए / पीटीए तथा नामित जारीकर्ता एजेंसियों को शामिल करने की दिशा में काम कर रहा है।

6. **इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस)** : हाल ही में लांच किए गए एसआईएमएस माड्यूल को भारत में इस्पात आयात का अग्रिम अनुमान प्रदान करने के लिए क्रियाशील किया गया है। सीआईएम द्वारा 16 सितंबर 2019 को एसआईएमएस माड्यूल लांच किया गया। एसआईएमएस के अंतर्गत आयातकों को आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची 1 के अध्याय 72, 73 और 86 में उल्लिखित लोहा एवं इस्पात की विशिष्ट मदों के आयात के लिए अग्रिम सूचना प्रस्तुत करनी होती है। आनलाइन डाटा / सूचना प्रस्तुत करने पर सिस्टम एक आटोमेटिक विशिष्ट पंजीकरण संख्या सृजित करेगा। 1 नवंबर 2019 से ऐसे सभी आयात के लिए सृजित यूआरएन का उल्लेख करना अनिवार्य है।

XIV. निर्यात संवर्धन स्कीमों एवं डाटा विश्लेषण की निगरानी :

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) की कारगर निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय के सांख्यिकी प्रभाग द्वारा निर्यात संवर्धन स्कीम 2019 पर एक व्यापक प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) रिपोर्ट प्रकाशित की गई। क्षेत्रीय प्राधिकरणों से एमआईएस विवरणियों के आधार पर, पिछले तीन वर्षों के लिए डाटा विश्लेषण से युक्त रिपोर्ट का सूचित निर्णय लेने के लिए उत्तरोत्तर प्रयोग हो रहा है। इसकी उपयोगिता तथा प्रयोक्ताओं की मांग को देखते हुए मासिक आधार पर भी एमआईएस रिपोर्ट संकलित की जा रही है। दिसंबर 2017 में विदेश व्यापार नीति 2015–20 की मध्यावधि समीक्षा के बाद डीजीएफटी के सांख्यिकी प्रभाग में डाटा विश्लेषण यूनिट (डीएयू) के गठन के बाद विदेश व्यापार सांख्यिकी की एक मासिक बुलेटिन प्रकाशित की जा रही है जो त्वरित अनुमान, अनंतिम अनुमान तथा अंतिम 8 डिजिट स्तरीय अनुमान पर प्रमुख वस्तुओं एवं प्रमुख देशों के संबंध में भारत के निर्यात और आयात डाटा पर एक रेडी रेफ्रेंस और विश्लेषण प्रदान करती है। यह बुलेटिन राज्यवार निर्यात डाटा भी प्रदान करती है जो ''स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट'' मेन्यू के अंतर्गत डीजीएफटी की वेबसाइट में उपलब्ध है।

निर्यात संवर्धन तंत्र

प्रमुख

निर्या

सरक
रही है
अड़च
निर्या
होती
अंतरा
विभाग
में नि
एक न

इस
प्रदान
वृद्धि
योजन
कि ब
कोल्ड
पैकेजि
उन्नय
संबंधि
विचा
जो य
योजा
और
पोषण
हिमा
लाग
की

वित्त
अधि
20
अ
के
वि

राज्य समन्वय अनुभाग

राज्य सरकारों तथा निर्यातकों के साथ बैठकें

इस पहल के अंतर्गत वाणिज्य सचिव, डीजीएफटी तथा एफआईईओ, अपेडा से प्रतिनिधियों सहित वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निर्यात में दक्षता लाने तथा उनके सरोकारों को दूर करने के लिए मुख्य सचिव, राज्य सरकार के अधिकारियों, निर्यातकों तथा अन्य हितधारकों के साथ संयुक्त बैठकों का आयोजन कर रहे हैं। बैठकों में राज्य से निर्यात से संबंधित विशिष्ट मुद्दों, स्थानीय करों/लेवी से संबंधित मुद्दों, बिजली की उपलब्धता, रोड/रेल कनेक्टिविटी, निर्यात से संबंधित अवसंरचना, निर्यातकों के समक्ष अन्य अड़चनों आदि पर विचार–विमर्श किया जाता है। ये बैठकें निर्यातकों को केंद्र तथा राज्य दोनों स्तर पर विभिन्न विनियामक एजेंसियों के साथ अपनी वर्तमान समस्याओं को व्यक्त करने के लिए एक चर्चा मंच प्रदान करती हैं। राज्य के निर्यात बासकेट पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय करारों के संभावित प्रभावों पर भी चर्चा होती है ताकि राज्य उद्योग के विकास की योजना बना सकें।

वाणिज्य विभाग ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गोवा, असम, मेघालय, उत्तराखंड और मणिपुर में ऐसी संयुक्त बैठकें आयोजित की है। उपर्युक्त के अलावा, सभी पूर्वोत्तर राज्यों की एक संयुक्त बैठक भी बुलाई गई। अन्य राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के दौरे की भी योजना बनाई जा रही है।

अधिक बारंबारता के साथ इन चर्चाओं को संस्थानीकृत करने के उद्देश्य से वाणिज्य विभाग ने हाल ही में व्यापार से संबंधित मुद्दों का शीघ्रता से एवं समय से समाधान सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बैठकों का आयोजन करना शुरू किया है। जनवरी 2020 के महीने में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ बैठकों का आयोजन किया गया है।

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट अर्गनाइजेशंस (एफआईईओ)

निर्यात संवर्धन संगठनों की शीर्ष संस्था के रूप में 1965 में फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशंस (एफआईईओ) का गठन किया गया। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 की अधिनियम संख्या 21) के तहत पंजीकृत है। इस फेडरेशन का मुख्यालय दिल्ली में है तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में हैं। फेडरेशन को विदेश व्यापार नीति 2015–20 के परिशिष्ट 2टी के तहत निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी) के रूप में चिह्नित किया गया है।

एफआईईओ निर्यातकों तथा नीति निर्माताओं के बीच चर्चा के लिए प्लेटफार्म के रूप में काम करता है और निर्यात के संवर्धन में सहायक है। एफआईईओ के 30,000 से अधिक सदस्य हैं। एफआईईओ का मुख्य उद्देश्य निर्यात संवर्धन से जुड़े विभिन्न संगठनों को सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करना है। विदेश व्यापार नीति में एफआईईओ को निर्यात करने वाली स्टेटस होल्डर फर्मों तथा अनेक उत्पादों का निर्यात करने वाले निर्यातकों के लिए पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है। यह उत्पत्ति प्रमाण पत्र (गैर तरजीही) भी जारी करता है, जो माल की उत्पत्ति के प्रमाण के रूप में अनेक देशों द्वारा अपेक्षित है।

एफआईईओ भारतीय व्यापार पोर्टल (www.indiantradeportal.in) को अनुरक्षित और अपडेट कर रहा है। अब व्यापार पोर्टल में सबसे मनपसंद राष्ट्र (एमएफएन) दरें, तरजीही टैरिफ तथा 87 देशों के सेनिट्री और फाइटो सेनिट्री तथा तकनीकी व्यापार बाधाएं शामिल हैं। एफआईईओ की **'एफआईईओ न्यूज'** नामक एक मासिक बुलेटिन तथा **'इनट्रेड अपडेट'** नामक एक साप्ताहिक ई–बुलेटिन भी हैं जो निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले साप्ताहिक वैश्विक घटनाक्रमों की जानकारी प्रदान करती हैं। एफआईईओ सदस्यों एवं गैर सदस्यों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से क्रेताओं / विक्रेताओं को एक ई–प्लेटफार्म प्रदान करता है तथा पूरी दुनिया में ट्रेड फेयर एवं प्रदर्शनी का भी आयोजन करता है।

2019–20 के दौरान एफआईईओ ने देश के अंदर विभिन्न स्थानों पर कार्यशालाओं और गोलमेज बैठकों का आयोजन किया; बहु उत्पाद समूह वाले संगठनों के कारोबारी शिष्टमंडलों के विदेशी दौरे को प्रायोजित किया; विदेश में प्रदर्शनियों एवं कैटलाग शो की व्यवस्था की। एफआईईओ ने चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, बंगलौर और नई दिल्ली में सरकारी प्राधिकारियों के साथ अपने सदस्यों की ओपन हाउस बैठकों के लिए भी सहायता प्रदान की। सलाह प्राप्त करने तथा व्यापार से संबंधित समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए निर्यातकों के साथ आनलाइन चर्चा करने का अवसर प्रदान करने के अलावा, एफआईईओ ने निर्यात कार्यपालक विकास कार्यक्रमों, निर्यात क्षेत्र के नए उद्यमियों के लिए अल्पावधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी किया तथा ''बैंकिंग एवं निर्यात वित्त'' पर एक स्ट्रेटजी पेपर प्रकाशित किया।

एफआईईओ ने निर्यात के क्षेत्र में अध्ययन एवं शोध कार्य किया तथा निर्यात के लिए संभावित उत्पादों की पहचान करने तथा ऐसे उत्पादों के निर्यात को सुगम बनाने की रणनीति तैयार करने में राज्यों की मदद की। इस वर्ष के दौरान कर्नाटक, तेलंगाना, दिल्ली, बिहार और अरुणाचल प्रदेश के लिए निर्यात रणनीतियों को अंतिम रूप दिया गया।

एफआईईओ ने नवंबर 2019 में चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो, शंघाई में कंट्री पवेलियन का आयोजन किया जिसे देखने के लिए चीन के राष्ट्रपति आए थे।

एफआईईओ ने लाजिस्टिक्स प्रभारों को तर्कसंगत बनाने तथा उनमें पारदर्शिता लाने के लिए विभिन्न मानक प्रचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को अपनाने में सहायता प्रदान की।

हाल ही में एफआईईओ ने अपना मोबाइल ऐप निर्यात मित्र लांच किया है जिसमें निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध हैं : नीति, एसपीएस / टीबीटी उपायों, एमएफएन / तरजीही टैरिफ, एफआईईओ के कार्यक्रम आदि पर दैनिक अपडेट; एफआईईओ के कार्यक्रम कलेंडर तक अक्सेस तथा एफआईईओ के कार्यक्रमों में आनलाइन पंजीकरण कराने का विकल्प; सदस्यों को एफआईईओ की वेबसाइट पर उत्पादों के फोटोग्राफ, कंपनी का लोगो तथा कंपनी की प्रोफाइल अपलोड करने के लिए विकल्प; एफआईईओ के मासिक एवं साप्ताहिक प्रकाशनों, रिपोर्टों, लेखों, प्रेस विज्ञप्तियों आदि तक पहुंच।

बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम

बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम एक निर्यात संवर्धन स्कीम है जिसे स्थाई आधार पर भारत के निर्यात का संवर्धन करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करने के लिए तैयार किया गया है। एमएआई स्कीम के विस्तृत उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- विश्व स्तरीय माल एवं सेवाओं के प्रदाता के रूप में भारत की क्षमता को प्रदर्शित करना एवं प्रोत्साहित करना।
- भारत को स्रोतन के एक आकर्षक गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करना।
- भारत के लिए एक मजबूत ब्रांड इमेज सृजित करना।
- भारतीय माल एवं सेवाओं का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभिचिह्नित बाजारों में विदेशों में प्रमुख कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए निर्यातकों / उद्योग निकायों को सुगमता प्रदान करना।
- नए / संभावित बाजारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने तथा वैश्विक व्यापार पर सूचना तक पहुंच प्राप्त करने में निर्यातकों को सुगमता प्रदान करना।

स्कीम के तहत शामिल निर्यात संवर्धन की विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों, वस्तु बोर्डों तथा शीर्ष व्यापार संगठनों को एमएआई स्कीम के तहत सहायता मंजूर की जाती है। प्रस्तावों के अनुमोदन की प्रक्रिया में स्कीम के तहत अधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से प्रस्तावों की जांच शामिल है।

फर्मा / केमिकल / कॉस्मेटिक / एग्रो केमिकल / कृषि / पशु / समुद्री / खाद्य / इंजीनियरिंग उत्पादों की बाजार पहुंच को सुगम बनाने के उद्देश्य से, विदेश में उत्पादों के पंजीकरण तथा विदेश में अन्य सांविधिक अनुपालनों पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के माध्यम से व्यक्तिगत निर्यातकों की सहायता के लिए एमएआई स्कीम के तहत प्रावधान किए गए हैं। 7 जनवरी 2019 से सरकार ने विदेश में सांविधिक अनुपालनों पर व्यय की प्रतिपूर्ति की ऊपरी सीमा 50 लाख रुपए प्रति निर्यातक प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए प्रति निर्यातक प्रति वर्ष कर दिया है। इसके अलावा, प्रतिपूर्ति के लिए पात्र मदों की सूची में इन क्षेत्रों से संबंधित अतिरिक्त घटकों जैसे कि फर्मा उत्पादों के लिए प्लांट निरीक्षण प्रभार, निर्यात कंसाइनमेंट की बारकोडिंग पर व्यय, प्राकृतिक उत्पादों की गुणवत्ता के प्रमाणन के लिए भुगतान किया गया शुल्क, डाटा सृजन / पहुंच पत्र पर लागत आदि को शामिल किया गया है। वर्ष 2019–20 के दौरान एमएआई स्कीम के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए 490 परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

पिछले 5 वर्षों के लिए एम ए आई आवंटन / निर्मुक्ति का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है : –

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	परिव्यय	व्यय
2014-15	199.99	199.99
2015-16	224.99	224.99
2016-17	220.51	200.51
2017-18	213.25	213.25
2018-19	269.99	269.99
2019-20 09 जनवरी, 2020 तक की स्थिति के अनुसार	300.00	229.39

2019–20 के दौरान एमएआई सहायता के लिए अनुमोदित प्रमुख कार्यक्रम

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	संगठन	कार्यक्रम की तिथि
1	वैश्विक सेवा प्रदर्शनी (जीईएस)	सीआईआई / एसईपीसी	नवंबर, 2019
2	अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य देखरेख प्रदर्शनी (आईफेक्स 2018)	फार्मेक्सिल	जून, 2019
3	एडवांटेज हेल्थकेयर इंडिया (एएचआई) का पांचवां संस्करण, 2019	फिक्की	दिसंबर, 2019
4	इंडस फूड	टीपीसीआई	जनवरी, 2020
5	इलेक्ट्रिकल्स तथा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रानिक्स सेक्टर में रीवर्स क्रेता - विक्रेता बैठक	आईईईएमए	जनवरी, 2020
6	अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग सोर्सिंग शो (आईईएसएस)	ईईपीसी	मार्च, 2020
7	इंडियासॉफ्ट 2020	ईएससी ईपीसी	मार्च, 2020

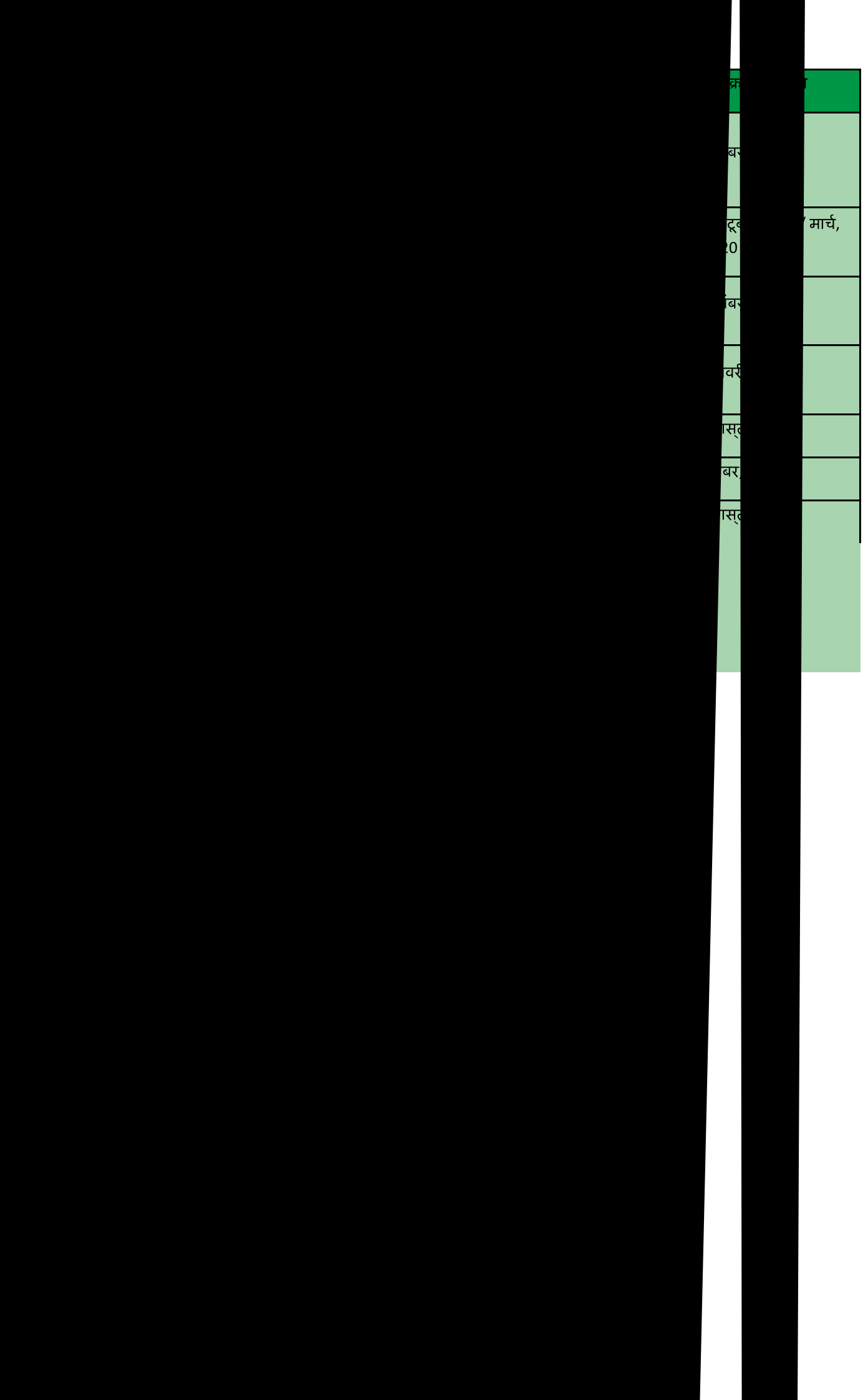

आटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम), आटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसीएमए), इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईआईएमए) के साथ निकटता से काम कर रहा है।

ब्रांड इंडिया फार्मा अभियान

आईबीईएफ ने फर्मास्युटिकल सेक्टर के लिए चिह्नित अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्थायी अभियान के सृजन का प्रस्ताव किया है। प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए संबंधित हितधारकों जैसे कि भारतीय फर्मास्युटिकल निर्यात संवर्धन परिषद (फर्मेक्सिल) के साथ चर्चा का आयोजन किया जा रहा है।

ब्रांड इंडिया कृषि अभियान

कृषि मंत्रालय तथा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) के परामर्श से आईबीईएफ कृषि एवं कृषि उत्पाद क्षेत्र में एक ब्रांड अभियान शुरू करने की योजना बना रहा है।

ब्रांडिंग और संचार

आईबीईएफ ने प्रमुख गतिविधियों और कार्यक्रमों जैसे कि 13–14 मई 2019 को नई दिल्ली में आयोजित विकासशील देशों की डब्ल्यूटीओ मंत्री स्तरीय बैठक में वाणिज्य विभाग को सहायता प्रदान की। इसके अलावा, आईबीईएफ ने 2019–20 में अन्य संस्थाओं जैसे कि व्यापार प्रतिकार महानिदेशालय (डीजीटीआर), 15वें वित्त आयोग और वित्त मंत्रालय को ब्रांडिंग सहायता भी प्रदान की। आईबीईएफ ब्रांडिंग की कवायद के संचालन में एनएटीजीआरआईडी को भी सहायता प्रदान कर रहा है।

ज्ञान केन्द्र

आईबीईएफ वेबसाइट (www.ibef.org)

आईबीईएफ की वेबसाइट भारतीय अर्थव्यवस्था एवं उद्योग के संबंध में अत्यंत अद्यतनीकृत सामग्री की रिपाजिटरी है। इस वेबसाइट की प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है तथा नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, पत्रकारों, व्यापार संघों और बिजनेस फोरम, उद्यमियों एवं दूतावासों आदि में इसकी व्यापक पहुंच है। 50 से अधिक मुख्य फ्रेज के लिए गूगल इंडिया पर आईबीईएफ की वेबसाइट को पहला स्थान प्रदान किया गया है, जिनमें से अधिकांश विभिन्न घरेलू क्षेत्रों के लिए काफी प्रासंगिक हैं। आईबीईएफ की वेबसाइट को विजिट करने के लिए सेक्टर और राज्य की नियमित रूप से अपडेट की गई रिपोर्टों ने घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयोक्ताओं को आकृष्ट करना जारी रखा। 1 अप्रैल 2019 से 30 नवंबर 2019 तक आईबीईएफ की वेबसाइट ने 46.81 लाख वेब हिट और 96.17 लाख पेज व्यू प्राप्त किए। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में आईबीईएफ वेबसाइट की पहुंच तथा वेब ट्रैफिक में लगातार जैविक वृद्धि हो रही है।

वाणिज्य विभाग के लिए आईबीईएफ द्वारा गठित विशेष मीडिया सेल : विशेष मीडिया सेल वाणिज्य विभाग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल (/DoC&GoI) का प्रबंधन करने में सहायता कर रहा है। व्यापार तथा विभागीय गतिविधियों से संबंधित नियमित अपडेट के अलावा वर्ष के दौरान सोशल मीडिया सेल ने सेवाओं पर वैश्विक प्रदर्शनी, विकासशील देशों की डब्ल्यूटीओ मंत्री स्तरीय बैठक, नई सरकार के साथ एजेंडा पर सीईओ राउंड टेबल तथा यूके – भारत संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति जैसे प्रमुख कार्यक्रमों को कवर किया।

प्रशासन

आईबीईएफ ने 2019–20 में अपनी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल एवं कारगर बनाया है। उदाहरण के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार दैनिक प्रयोग के लिए माल एवं सेवाओं के प्रापण का कार्य गवर्नमेंट ई–मार्केट प्लेस (जेम) के माध्यम से किया जा रहा है और मैसर्स बालमेर लारी के माध्यम से यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की जा रही है।

निर्यात संवर्धन परिषदें (ईपीसी)

इस समय वाणिज्य विभाग के अधीन 14 निर्यात संवर्धन परिषदें (ईपीसी) हैं, जिनका वर्णन नीचे किया गया है। निर्यात संवर्धन परिषदें कंपनी अधिनियम / सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत लाभ न कमाने वाले संगठन के रूप में पंजीकृत हैं तथा सलाहकार एवं कार्यपालक दोनों की भूमिकाएं निभाती हैं। इन परिषदों की भूमिकाओं एवं कार्यों का मार्गदर्शन विदेश व्यापार नीति 2015–20 द्वारा होता है जो उनको निर्यातकों के लिए पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में मान्यता प्रदान करती है।

वाणिज्य विभाग के अधीन निर्यात संवर्धन परिषदों की सूची

- केमेक्ससिल, झाँसी कैसल (चौथी मंजिल), 7–कूपरेज रोड, मुंबई – 400039, महाराष्ट्र (दूरभाष 022–22021288, 2021330; फैक्स : 022–2026684 :
- काजू ईपीसी, काजू भवन, मुंडक्कल पश्चिम, कोल्लम – 691001, केरल (दूरभाषः 0474–2742704, फैक्स : 0484–2377973)
- कैपेक्सिल, "वाणिज्य भवन", अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुगमता केंद्र, 1/1 वुड स्ट्रीट, तीसरा तल, कोलकाता – 700016 पश्चिम बंगाल (दूरभाष 033–22890524 / 25; फैक्स : 033–22891724)
- चमड़ा निर्यात परिषद, नंबर 1, सीएमडीए टावर 2, तीसरा तल, गांधी इर्विन रोड, एगमोर, चेन्नई – 600 008, तमिलनाडु (टेलीफोन नंबर : 044–28594367; फैक्स : 044– 28594363).
- भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद, वाणिज्य भवन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुगमता केंद्र, पहला तल, 1/1 वुड स्ट्रीट, कोलकाता – 700016, पश्चिम बंगाल (दूरभाष 033–22890651 / 52; फैक्स : 033– 22890654)
- ईओयू एवं एसईजेड यूनिटों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद, 8–जी, हंसालय, 15, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली – 110 001 (टेलीफोन नंबर : 011–23329766–69; फैक्स : 011–23329770)
- रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, कार्यालय नंबर ए डब्ल्यू 1010, टावर ए, जी ब्लॉक, भारत डायमंड बोर्स, आईसीआईसीआई बैंक से आगे, बांद्रा – कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा – पूर्व, मुंबई – 400051, (दूरभाष 022–23821801 / 06, फैक्स 022–23808752

- प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद, क्रिस्टल टावर, गुंडीवली रोड नंबर 3, सर एमवी रोड के सामने, अंधेरी पूर्व, मुंबई – 400 069, महाराष्ट्र (टेलीफोन नंबर : 022–26833951; फैक्सः 022–26833953)
- खेल सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद, 1–ई/6, स्वामी रामतीर्थ नगर, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली– 110055 (दूरभाष 011–23516183; फैक्स : 011–23632147)
- शेफेक्सिल, वाणिज्य भवन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुगमता केंद्र, दूसरा तल, 1/1 वुड स्ट्रीट, कोलकाता – 700016, पश्चिम बंगाल (दूरभाष 033–22834417 / 697; फैक्स : 033–22834699)
- फार्मेक्सिल, 101, आदित्य व्यापार केंद्र, अमीरपेठ, हैदराबाद – 500 038, आंध्र प्रदेश (दूरभाष 23735462/66; फैक्सः 23735464)
- सेवा निर्यात संवर्धन परिषद, 6 ए/6, तीसरा तल, एनसीएचएफ बिलडिंग, सिरी फोर्ट संस्थानिक क्षेत्र, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली – 110040, (दूरभाष 41046327–29 / 41734632)
- परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद, 411, सूर्य किरण बिल्डिग (चौथी मंजिल), 19, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली – 110001 (दूरभाष 91–11–41514673, 41563287)
- भारतीय तिलहन और उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद, 78–79 बजाज भवन, नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400021, महाराष्ट्र (दूरभाष 022–22023225; फैक्स : 022–22029236)

रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी)

रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी), जो भारतीय रत्न एवं आभूषण उद्योग की शीर्ष व्यापार संस्था है, इस साल अपने गठन के 53 गौरवशाली वर्ष पूरे कर रही है। 30 नवंबर 2019 की स्थिति के अनुसार इसके सदस्यों की संख्या 6702 के आसपास है। रत्न एवं आभूषण विनिर्माण क्षेत्र भारत के अग्रणी विदेशी मुद्रा अर्जक क्षेत्रों में एक है। राजकोषीय वर्ष 2019–20 के दौरान (अक्टूबर 2019 तक) भारत से रत्न एवं आभूषण के निर्यात ने 23 बिलियन अमरीकी डालर का निष्पादन दर्ज किया जो देश के कुल पण निर्यात में लगभग 12.37 प्रतिशत का योगदान है। इस क्षेत्र के तहत भारी संख्या में एसएमई यूनिटें शामिल हैं जो कुशल एवं अर्धकुशल मजदूरों को रोजगार देती हैं, जिनमें से लगभग सभी यूनिटें असंगठित क्षेत्र में हैं।

वर्ष 2019–20 के दौरान रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) ने भारत एवं विदेशों में निम्नलिखित प्रदर्शनियों में भाग लिया :

- लास वेगास, यूएसए में 31 मई – 3 जून, 2019 तक जेसीके लास वेगास शो 2019
- 20 से 23 जून 2019 तक जून हांगकांग ज्वैलरी एंड जेम फेयर
- सिंगापुर में 18 से 29 जुलाई 2019 तक सिंगापुर इंटरनेशनल ज्वैलरी एक्सपो
- न्यूयार्क, यूएसए में 19 से 23 अगस्त 2019 तक इंडिया डायमंड वीक (लूज डायमंड)
- 16 से 20 सितंबर 2019 तक सितंबर हांगकांग ज्वैलरी एंड जेम फेयर (एडब्ल्यूई)
- 18 से 22 सितंबर 2019 तक सितंबर हांगकांग ज्वैलरी एंड जेम फेयर (सीईसी)
- इटली में 07 से 10 सितंबर 2019 तक विसेंजा ओरो फाल 2019
- दुबई में 13 से 16 नवंबर 2019 तक वीओडी दुबई इंटरनेशनल ज्वैलरी शो
- बहरीन में 19 से 23 नवंबर 2019 तक ज्वैलरी अरेबिया 2019

उपर्युक्त के अलावा, जीजेईपीसी ने 2019–20 में निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन किया :

- जयपुर में 11 से 13 अप्रैल 2019 तक इंडिया जेम स्टोन वीक
- चेन्नई में 28 अप्रैल से 30 अप्रैल 2019 तक भारत – सार्क मध्य पूर्व क्रेता – विक्रेता बैठक का तीसरा संस्करण
- 31 जुलाई 2019 को मुंबई में जीजेईपीसी की वार्षिक बैंकिंग शिखर बैठक
- मुंबई में 8 से 12 अगस्त, 2019 तक इंडिया इंटरनेशनल ज्वैलरी शो (आईआईजेएस प्रीमियरे) 2019 का 36वां संस्करण
- मुंबई में 10 से 12 सितंबर 2019 तक इंडिया यूएसए ज्वैलरी ज्वैलरी बीएसएम 2019
- 12 से 14 जून 2019 तक जयपुर में इंडिया सिल्वर एंड फैशन ज्वैलरी बायर सेलर मीट
- मुंबई में 15 से 17 अक्टूबर 2019 तक इंडिया इंटरनेशनल डायमंड वीक (लूज डायमंड)
- नई दिल्ली में 22 और 23 नवंबर 2019 को इंडिया गोल्ड एंड ज्वैलरी समिट का तीसरा संस्करण

सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी)

किफायती प्रयोक्ता शुल्क के आधार पर अधुनातन प्रौद्योगिकी / उपकरण का उपयोग करने के लिए छोटे एवं मझोले विनिर्माताओं को अवसर प्रदान करने के लिए रत्न एवं आभूषण का निर्माण करने वाले क्लस्टरों में सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) स्थापित किए जा रहे हैं। सीएफसी की स्थापना से छोटे निर्माताओं को तकनीकी तरक्की का लाभ अंतरित करने में मदद मिलेगी और उनकी उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार होगा। अब तक विशनगर, पालनपुर, अमरेली और जूनागढ़ में चार सीएफसी क्रियाशील किए गए हैं। कोयंबटूर, कोलकाता, दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद, राजकोट और भावनगर में भी सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित करने की योजना है।

रफ डायमंड के कंसाइनमेंट के आयात के लिए विशेष अधिसूचित क्षेत्र (एनएसजेड)

विशेष अधिसूचित क्षेत्र प्रचालन के चौथे वर्ष में है तथा पिछले तीन वर्षों में बहुत सफलता के साथ अपने प्रचालनों का संचालन किया है। विश्व की सभी प्रमुख खनन कंपनियां नियमित रूप से एनएसजेड को देखने आ रही हैं। इसने भारतीय डायमंड उद्योग से बहुत अच्छा रिस्पांस

5690.99 मिलियन अमरीकी डालर था, जबकि अप्रैल से मार्च 2017–18 के दौरान यह 5740.98 मिलियन अमरीकी डालर था जो 0.87 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है।

निर्यात संवर्धन के उपाय : परिषद ने बाजार पहुंच पहल (एमएआई) योजना के तहत वित्तीय सहायता से वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान बाजार संवर्धन के अपने प्रयासों के अंग के रूप में निर्यात संवर्धन के निम्नलिखित कार्यक्रमों में अपने सदस्यों के लिए भाग लेने की व्यवस्था की है :

क्रं संख्या	कार्यक्रम
01	शूज एंड लेदर फेयर , गंग्वझू, चीन, 28-31 मई 2019
02	शूज एण्ड लेदर फेयर , हो ची मिन्ह शहर, वियतनाम, 10 से 12 जुलाई 2019
03	स्पोगा हार्स फेयर, कोलोन, जर्मनी, 01 -3 सितंबर 2019
04	मोसशूज / मोसपेल फेयर , मास्को, रूस, 10-13 सितम्बर, 2019
05	मिकाम - दि शू इवेंट, मिलान, इटली, 15-18 सितंबर, 2019
06	आरबीएसएम, कोलकाता, भारत, 27-28 सितंबर, 2019
07	फैशन वर्ल्डटोकियो फेयर , जापान, 2-4 अक्टूबर, 2019
08	सैंटियागो, चिली और पेरू में क्रेता - विक्रेता बैठक चीली, 14-15 अक्टूबर, 2019 पेरू, 17 और अक्टूबर 2019
09	लेदरटेक फेयर , ढाका, बंगलादेश, 31 अक्टूबर - 2 नवंबर 2019
10	फुटवियर एंड लेदर शो, आस्ट्रेलिया, 12-14 नवम्बर, 2019
11	इंडिया लेदर डेज, ओफेनबैच, जर्मनी, 27 और 28 नवम्बर, 2019
12	आरबीएसएम 2019, नई दिल्ली, 22 और 23 नवंबर 2019
13	न्यूयर्क , यूएसए में क्रेता – विक्रेता बैठक, 4 और 5 दिसंबर, 2019
14	डिजाइनर्स फेयर, चेन्नई, 1-3 फरवरी 2018
वर्तमान वर्ष में आगामी कार्यक्रम	
15	मिकाम - दि शू इवेंट, मिलान, इटली, 16-19 फरवरी, 2020
16	एशिया पैसिफिक लेदर फेयर (एपीएलएफ), हांगकांग, 31 मार्च - 2 अप्रैल 2020

एएसआईडीई / टीआईईएस स्कीम के तहत निर्यात क्लस्टरों में अवसंरचना परियोजनाएं : चमड़ा निर्यात परिषद को तत्कालीन एएसआईडीई स्कीम के तहत वाणिज्य विभाग से तथा राज्य सरकार से वित्तीय सहायता के साथ पूरे देश में चमड़ा क्षेत्र से संबंधित अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया गया है। परिषद ने विभिन्न चमड़ा क्लस्टरों में एएसआईडीई / टीआईईएस योजना के तहत अनेक परियोजनाओं को कार्यान्वित किया है।

इस समय कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है :

(आंकड़े लाख रुपये में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कुल	एएसआईडीई	टीआईईएस अनुदान
1	1 एमएलडी क्षमता के अतिरिक्त जेडएलडी सिस्टम का निर्माण - रानीटेक सीईटीपी	1773.15	443	443
2	सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी), मेल्विशरम	2468.07	750	484
3	माधावरम सीईटीपी में 596 केएलडी की अतिरिक्त क्षमता का निर्माण	1032.29	327	189
4	विश्टेक सीईटीपी में 750 केएलडी क्षमता के अतिरिक्त जेडएलडी सिस्टम का निर्माण	1864	230	702
	कुल	7137.51	1750	1818

उपर्युक्त केन्द्रीय परियोजनाओं के अलावा परिषद उत्तर प्रदेश सरकार के निर्यात संवर्धन ब्यूरो (ईपीबी) द्वारा वित्त पोषित राज्य एएसआईडीई योजना के अंतर्गत 1314.65 लाख रुपए के वित्तीय परिव्यय से परीक्षण प्रयोगशाला एवं डिजाइन स्टूडियो, आगरा परियोजना का भी कार्यान्वयन कर रही है।

बुनियादी रसायन, कास्मेटिक्स और डाई निर्यात संवर्धन परिषद (केमेक्सिल)

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 1963 में बुनियादी रसायन, कास्मेटिक्स और डाई निर्यात संवर्धन परिषद (केमेक्सिल) का गठन किया गया। परिषद का प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थिति है तथा इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो नई दिल्ली, बेंगलुरू, कोलकाता और अहमदाबाद में स्थित हैं। 31 दिसंबर, 2019 की स्थिति के अनुसार परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 4221 है। परिषद अपनी प्रशासन समिति (सीओए) के मार्गदर्शन में तथा वाणिज्य विभाग के समग्र पर्यवेक्षण में काम करती है।

परिषद को निम्नलिखित उत्पादों के लिए निर्यात संवर्धन की गतिविधियों का आयोजन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है :

- डाई एवं डाई इंटरमीडिएट
- जैविक, अजैविक एवं कृषि रसायन
- कास्मेटिक्स, साबुन, शौचालय सामग्री और आवश्यक तेल
- अरंडी का तेल

केमेक्सिल की प्रमुख भूमिकाएं इस प्रकार हैं :

- रसायन उद्योग / निर्यातकों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान एवं निराकरण करने के उद्देश्य से सरकारी एजेंसियों के साथ बातचीत करना।
- विदेश व्यापार नीति तैयार करने तथा निर्यात बढ़ाने के लिए बजटीय सहायता प्राप्त करने के लिए इनपुट प्रदान करना।
- विभिन्न देशों में व्यापार शिष्टमंडलों का दायित्व लेना और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेना।
- विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात का विस्तार करना और नए एवं संभावित बाजारों में निर्यात को सुदृढ़ करना।
- रीवर्स क्रेता – विक्रेता बैठकों का आयोजन करना तथा विदेशी शिष्टमंडलों की मेजबानी करना।
- निर्यातकों एवं आयातकों दोनों के लिए विपणन एवं सूचना सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद करना।
- निर्यातकों को निर्यात क्षेत्र की नीतियों / प्रक्रियाओं में नवीनतम घटनाक्रमों की जानकारी प्रदान करने के लिए सेमिनारों / कार्यशालाओं का आयोजन करना।
- सदस्य निर्यातकों को वीजा के लिए सिफारिशें, उत्पतति प्रमाण पत्र, उत्पाद शुल्क बांड के नवीकरण के लिए पत्र आदि जारी करना।

'रसायनों का विनियमन, पंजीकरण, मूल्यांकन और प्राधिकार (आरईएसीएच) के तहत यूरोपीय संघ में सदस्य निर्यातकों के पदार्थों के पंजीकरण के अनुपालन के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा केमेक्सिल को नोडल एजेंसी के रूप में अधिकृत किया गया है।

साझेदार देशों को सस्ते, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उत्पादों की निरंतर एवं स्थायी आपूर्ति प्रदान करने की भारत की क्षमता को उजागर करना, केमिकल, डाई इंटरमीडिएट, कास्मेटिक और टॉयलेटरीज, कास्टर ऑयल, आवश्यक तेल आदि के लिए विश्वसनीय एवं प्रतिस्पर्धी स्रोतन केन्द्र के रूप में भारत को प्रदर्शित करना।

निर्यात संवर्धन की गतिविधियां : वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों / मेलों / कार्यक्रमों में भाग लिया तथा अनेक घरेलू सेमिनारों एवं आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन किया / उनमें भाग लिया। ऐसे कार्यक्रमों का ब्यौरा इस प्रकार है :

विदेशों में कार्यक्रम :

- 10 से 12 अप्रैल 2019 तक शंघाई में आयोजित 19वीं चाइना इंटरनेशनल डाई इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल केमिकल प्रदर्शनी 2019 (चाइना इंटरडाई)
- दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में 15 से 17 अप्रैल, 2019 के दौरान आयोजित ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट
- 16 से 18 अप्रैल 2019 तक आयोजित कोरिया केम 2019
- 26 से 28 जून 2019 तक हो ची मिन्ह शहर, वियतनाम में आयोजित कलर एंड स्पेकेम वियतनाम 2019
- 1 जुलाई 2019 को बैंकाक, थाईलैंड में आयोजित क्रेता – विक्रेता बैठक
- 1 से 3 अगस्त 2019 तक यूएसए में आयोजित कृषि व्यवसाय वैश्विक व्यापार शिखर बैठक
- ढाका, बांगलादेश में 07 सितंबर, 2019 को आयोजित डाई केकेम बांगलादेश 2019 इंटरनेशनल एक्सपो
- 16 से 18 सितंबर 2019 तक ताइवान और जापान के लिए व्यापार शिष्टमंडल
- एफआईईओ के माध्यम से 5 से 10 नवंबर 2019 तक शंघाई, चीन में आयोजित दूसरा चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो (सीआईआईई)

घरेलू कार्यक्रम

- 28 मई 2019 को होटल क्राउन प्लाजा, अहमदाबाद में आयोजित 28 मई 2019 को होटल क्राउन प्लाजा, अहमदाबाद में आयोजित ''दि इनवाइस फाइनेंस एडवांटेज : कोलेटरल फ्री ट्रेड फाइनेंस मेड इजी बाई ड्रिप कैपिटल'' पर एमएसएमई निर्यातकों के लिए चर्चा सत्र
- 26 जुलाई 2019 को मुम्बई में परिषद के प्रधान कार्यालय में मेसर्स लक्ष्मी कुमारन एंड श्रीधरन (एल एंड एस) अटॉर्नी के साथ जीएसटी लेखा परीक्षा, जीएसटी में हाल के घटनाक्रमों तथा वार्षिक विवरणी पर सेमीनार का आयोजन किया गया।
- लक्ष्मीकुमारन एंड श्रीधरन (एलएंडएस) अटार्नीज के साथ

मिलकर 26 सितंबर 2019 को निम्नलिखित विषयों पर 3 सेमिनार आयोजित किए गए (क) यूएस और चीन के बीच व्यापार युद्ध तथा भारतीय निर्यातकों के लिए मौजूद तथा नए अवसर; (ख) एफटीए / पीटीए संस्कृति तथा भारतीय विनिर्माताओं में व्याप्त भय का माहौल; और (ग) आरसीईपी तथा नाकेबंदियों का सिंहावलोकन।

प्लासिटक निर्यात संवर्धन परिषद (प्लेक्सकोंसिल)

भारत से प्लास्टिक एवं लिलोनियम के उत्पादों के निर्यात के संवर्धन के उद्देश्य से 1955 में प्लासिटक निर्यात संवर्धन परिषद स्थापित की गई और कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत की गई। परिषद का प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थिति है तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद और नई दिल्ली में हैं। 31 दिसंबर, 2019 की स्थिति के अनुसार परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 2587 है। परिषद अपनी प्रशासन समिति (सीओए) के मार्गदर्शन में तथा वाणिज्य विभाग के समग्र पर्यवेक्षण में काम करती है।

परिषद को निम्नलिखित उत्पादों के लिए निर्यात संवर्धन की गतिविधियों का आयोजन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है :

- प्लास्टिक की कच्ची सामग्री
- माउल्डेड एवं एक्ट्रूडेड गुड्स
- [illegible]

अधिनियम,1956 के अंतर्गत 1958 में स्थापित किया गया। परिषद का पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय कोलकाता में स्थित है और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और नई दिल्ली में स्थित हैं। परिषद अपनी प्रशासन समिति (सीओए) के मार्गदर्शन में तथा वाणिज्य विभाग के समग्र पर्यवेक्षण में काम करती है। 31 दिसंबर, 2019 तक की स्थिति के अनुसार परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 4357 है।

परिषद को निम्नलिखित उत्पादों के लिए निर्यात संवर्धन की गतिविधियों का आयोजन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है : प्रकाशन एवं मुद्रण, पेपर बोर्ड एवं उत्पाद, ग्लास एवं ग्लास वेयर, विविध उत्पाद, प्रसंस्कृत खनिज, सिरेमिक्स एवं संबद्ध उत्पाद, प्लाईवुड एवं संबद्ध उत्पाद, रबर के उत्पाद, ओसीन एवं जिलेटिन, बल्क मिनरल एवं अयस्क, प्राकृतिक पत्थर एवं उत्पाद, पेंट, प्रिंटिंग इंक एवं संबद्ध उत्पाद, आटो टायर एवं ट्यूब, पशु उपोत्पाद, सीमेंट, सीमेंट क्लिंकर तथा ऐसबेस्टोस सीमेंट उत्पाद, ग्रेफाइट एवं विस्फोटक।

कैपेक्सिल निम्नलिखित कार्यों के माध्यम से सेवाओं की पूरी रेंज प्रदान करने का प्रयास करता है :

- व्यापार तथा नीति से संबंधित मामलों के संबंध में सरकार और सदस्यों के बीच कड़ी के रूप में काम करना।
- व्यापार से संबंधित मुद्दों के अभिवेदन के लिए फोरम तथा निर्यातक समुदाय और सरकार एवं नीति निर्माताओं के बीच संपर्क बिंदु के रूप में काम करना।
- व्यवसाय कार्यक्रमों तथा अन्य गतिविधियों के संवर्धन के लिए विदेश स्थित भारतीय राजनयिक मिशनों तथा भारत में स्थित विदेशी राजनयिक मिशनों के साथ संपर्क स्थापित करना।
- संगत बाजार रिपोर्टें तैयार करना, विभिन्न देशों में भारतीय निर्यात की रुझानों का विश्लेषण करना, उत्पाद या अन्य पैरामीटर तथा वैश्विक व्यापार डाटा का बहुमूल्य संसाधन तैयार करना।
- कैपोक्सिल विश्व में कहीं भी किसी आयातक की सोर्सिंग संबंधी आवश्यकताओं तथा भारतीय निर्यातकों की बिक्री संबंधी आवश्यकताओं में भी मदद कर सकता है।

निर्यात संवर्धन के उपाय : वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों / मेलों / कार्यक्रमों में भाग लिया तथा अनेक घरेलू सेमिनारों एवं आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन किया / उनमें भाग लिया। ऐसे कार्यक्रमों का ब्यौरा इस प्रकार है :

विदेशों में कार्यक्रम:

- भूटान कंस्ट्रक्शन फेयर 2019, भूटान – 18 जुलाई 2019 से 21 जुलाई 2019
- फ्रैंकफर्ट बुक फेयर, जर्मनी – 16 अक्टूबर 2019 से 20 अक्टूबर 2019
- शरजाह इंटरनेशनल बुक फेयर, यूएई – 30 अक्टूबर 2019 से 09 नवंबर 2019
- पेपर वर्ल्ड चाइना, चीन – 15 नवंबर 2019 से 17 नवंबर 2019
- आबू धाबी इंटरनेशनल बुक फेयर, 24 से 30 अप्रैल 2019
- 18 सदस्य निर्यातकों के साथ 18 सितंबर 2019 सं 27 सितंबर 2019 के दौरान अलमाटी (कजाकिस्तान), मास्को (रूस) और मिंस्क (बेलारूस) में बी2बी बैठकों के साथ कजाकिस्तान में सेंट्रल एशिया माइनिंग एंड काजोमैक 2019 ट्रेड शो में सेंट्रल स्टैंड के साथ भागीदारी के लिए भारतीय रबर उत्पाद शिष्टमंडल (गैर टायर और टायर क्षेत्र) की व्यवस्था की।

घरेलू कार्यक्रम :

- डीजीएफटी और आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर कैपेक्सिल ने 14 जून 2019 को अगरतला, त्रिपुरा में निर्यात बंधु योजना के अंतर्गत एक निर्यात जागरूकता सेमिनार और आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया।
- कैपेक्सिल ने ईओडीसी से संबंधित सभी मुद्दों के निवारण के लिए एडीजीएफटी द्वारा आयोजित किए जा रहे ईओडीसी कैंप के बारे में सदस्य निर्यातकों में जागरूकता का सृजन किया और एडीजीएफटी कार्यालय, मुंबई में 7 मई 2019 को प्रलेखन की प्रस्तुति का सुनिश्चय करने के लिए सदस्य निर्यातकों के साथ एडीजीएफटी की बैठक में भी भाग लिया।
- कैपेक्सिल ने 9 अगस्त 2019 को बेवर्ली होटल, किलपाक, चेन्नई में सीमेंट, सीमेंट क्लिंकर तथा एसबेस्टोस सीमेंट उत्पाद पैनल के लिए 'निर्यात बाजार शेयर बढ़ाने में सीमेंट उद्योग की भूमिका' नामक आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया।
- कैपेक्सिल ने 18 सितंबर 2019 को नई दिल्ली में वर्ष 2015–16 तथा 2016–17 के लिए निर्यात पुरस्कार वितरण समारोह नामक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया।

लाख एवं वन उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (शेफेक्सिल)

लाख निर्यात संवर्धन परिषद कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत जून, 1957 में स्थापित की गई। 08 फरवरी, 2007 को इसका नाम बदलकर लाख एवं वन उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (शेफेक्सिल) किया गया। परिषद का पंजीकृत कार्यालय कोलकाता में स्थित है तथा इसकी कोई अतिरिक्त शाखा या क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। 31 दिसंबर, 2019 की स्थिति के अनुसार परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 557 है। परिषद अपनी प्रशासन समिति (सीओए) के मार्गदर्शन में तथा वाणिज्य विभाग के समग्र पर्यवेक्षण में काम करती है।

शेफेक्सिल गैर इमारती वन उपज के लिए तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र से उत्पादों के लिए भी नामित नोडल निर्यात संवर्धन परिषद है। इस समय परिषद को निम्नलिखित उत्पादों के लिए निर्यात संवर्धन की गतिविधियों का आयोजन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है :

- लाख तथा लाख आधारित उत्पाद;
- वनस्पतियों के अर्क एवं जड़ी–बूटियों के सत;
- ग्वार गम;
- पौधे एवं उनके भाग (जड़ी–बूटियां);
- नियत वनस्पति तेल, खली तथा अन्य;

- अन्य वनस्पति खनिज;
- पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित अनेक उत्पाद

शेफेक्सिल की प्रमुख भूमिकाएं इस प्रकार हैं :

- अपने उत्पादों का विकास करने और वृद्धि करने मे सदस्यों को वाणिज्यिक दृष्टि से उपयोगी सूचना एवं सहायता प्रदान करना।
- विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा निर्यात बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार करना और लागू करना।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन, गुणवत्ता तथा डिजाइन सुधार, मानक एवं विनिर्देशन, उत्पाद विकास, नवाचार आदि जैसे क्षेत्रों में अपने सदस्यों को सलाह प्रदान करना।
- विदेशी राष्ट्रों के साथ विभिन्न मुक्त व्यापार करारों पर वार्ता करने के लिए डाटा एवं अन्य बहुमूल्य सूचना प्रदान करना।
- विदेशी बाजारों में अवसरों की तलाश करने तथा विदेशों में निर्यातकों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए अपने सदस्यों के शिष्टमंडल के विदेशी दौरों की व्यवस्था करना।
- भारत में और विदेशों में व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों तथा क्रेता – विक्रेता बैठकों में भागीदारी की व्यवस्था करना।
- राज्य तथा केन्द्रीय दोनों स्तर पर सरकार तथा निर्यातक समुदाय के बीच अंतःक्रिया को बढ़ावा देना।
- एक सांख्यिकीय आधार का निर्माण करना और देश के निर्यात एवं आयात, अपने सदस्यों के निर्यात एवं आयात पर डाटा तथा अन्य संगत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डाटा प्रदान करना।

निर्यात संवर्धन की गतिविधियां : वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों / मेलों / कार्यक्रमों में भाग लिया तथा अनेक घरेलू सेमिनारों एवं आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन किया / उनमें भाग लिया। ऐसे कार्यक्रमों का ब्यौरा इस प्रकार है :

विदेशों में कार्यक्रम :

- 10 से 12 अप्रैल 2019 तक शंघाई, चीन में आयोजित 19वीं इंटरनेशनल डाई इंडस्ट्री, पिगमेंट एंड टेक्सटाइल एंड केमिकल प्रदर्शनी में भाग लिया।
- 12 से 14 जून 2019 तक क्लोन, जर्मनी में आयोजित विक्टैम इंटरनेशनल 2019 में भाग लिया।
- 24 से 27 सितंबर 2019 तक वर्ल्ड फूड मास्को, रूस में भाग लिया।

घरेलू कार्यक्रम

- 30 अगस्त 2019 को न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए बंगलौर में न्यूट्रासिटिकल उत्पादों के निर्माताओं / निर्यातकों के साथ बैठक का आयोजन किया गया।
- छत्तसीगढ़ से लघु वन उपज का निर्यात बढ़ाने पर चर्चा करने के लिए 4 सितंबर 2019 को रायपुर में छत्तीसगढ़ स्टेट माइनर फारेस्ट प्रोड्यूस (ट्रेडिंग एंड डवलपमेंट) कॉपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के साथ बैठक का आयोजन किया गया।
- 3 अक्टूबर 2019 को केरल में आयोजित औषधीय पौधों के सुदृढ़ीकरण पर क्षेत्रीय परामर्श कार्यशाला में भाग लिया।

खेल सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद (एसजीईपीसी)

खेल की सामग्रियों एवं खिलौनों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेल सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद (एसजीईपीसी) की स्थापना वर्ष 1958 में हुई। परिषद घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय उद्योग में होने वाले महत्वपूर्ण विकास के क्षेत्र में अपने सदस्यों को सेवाएं प्रदान करती है।

क्रिकेट के अलावा कई प्रकार के अन्य खेलों की ओर अग्रसर होने से भारत में खेल सामग्री उद्योग का विकास हो रहा है। इससे भारतीय बाजार पर नजर रखने वाले निवेशकों के लिए व्यवसाय के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं – ब्रांड निर्माण एवं अवसंरचना से लेकर आला उद्यमी उपक्रम तक।

भारतीय खेल सामग्री एवं खिलौना उद्योग के निर्यात ने सकारात्मक वृद्धि के संकेतों का प्रदर्शन किया है। वर्ष 2018–19 के लिए खेल सामग्री एवं खिलौनों के निर्यात का कुल मूल्य 313.60 मिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वित्त वर्ष में 232.80 मिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 34.70 प्रतिशत अधिक है।

भारतीय खेल सामग्रियों एवं खिलौनों का अब 150 देशों को निर्यात किया जा रहा है। खेल के सामानों और खिलौनों के निर्यात के लिए शीर्ष 10 गंतव्य यूके, यूएसए, आस्ट्रेलिया, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, आयरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात हैं। भारत से कुल निर्यात के मूल्य में शीर्ष 10 गंतव्यों का योगदान 78 प्रतिशत है। यूके निर्यात का शीर्ष गंतव्य है तथा निर्यात में 4.13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि यूएसए और आस्ट्रेलिया के बाजारों ने 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्ज की। जर्मनी, फ्रांस और आयरलैंड ने 26 प्रतिशत के साथ विकास किया और नीदरलैंड तथा संयुक्त अरब अमीरात ने पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 38 प्रतिशत और 56 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की।

परिषद ने वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान निर्यात संवर्धन की विभिन्न गतिविधियों में भागीदारी की व्यवस्था की :

क्र. सं.	गतिविधि का का नाम	अवधि
1	किड्स इंडिया, मुंबई में रिवर्स क्रेता - विक्रेता बैठक	26 से 28 सितंबर, 2019
2	हॉंगकांग टॉयज एंड गेम्स फेयर	6 से 9 जनवरी, 2020
3	आईएसपीओ, म्यूनिख	26 से 29 जनवरी, 2020
4	स्पिलवार्नमेस इंटरनेशनल टॉय फेयर	29 जनवरी से 2 फरवरी, 2020
वर्तमान वर्ष में आगामी कार्यक्रम		
5	यूके / आयरलैंड में क्रेता – विक्रेता बैठक	मार्च, 2020

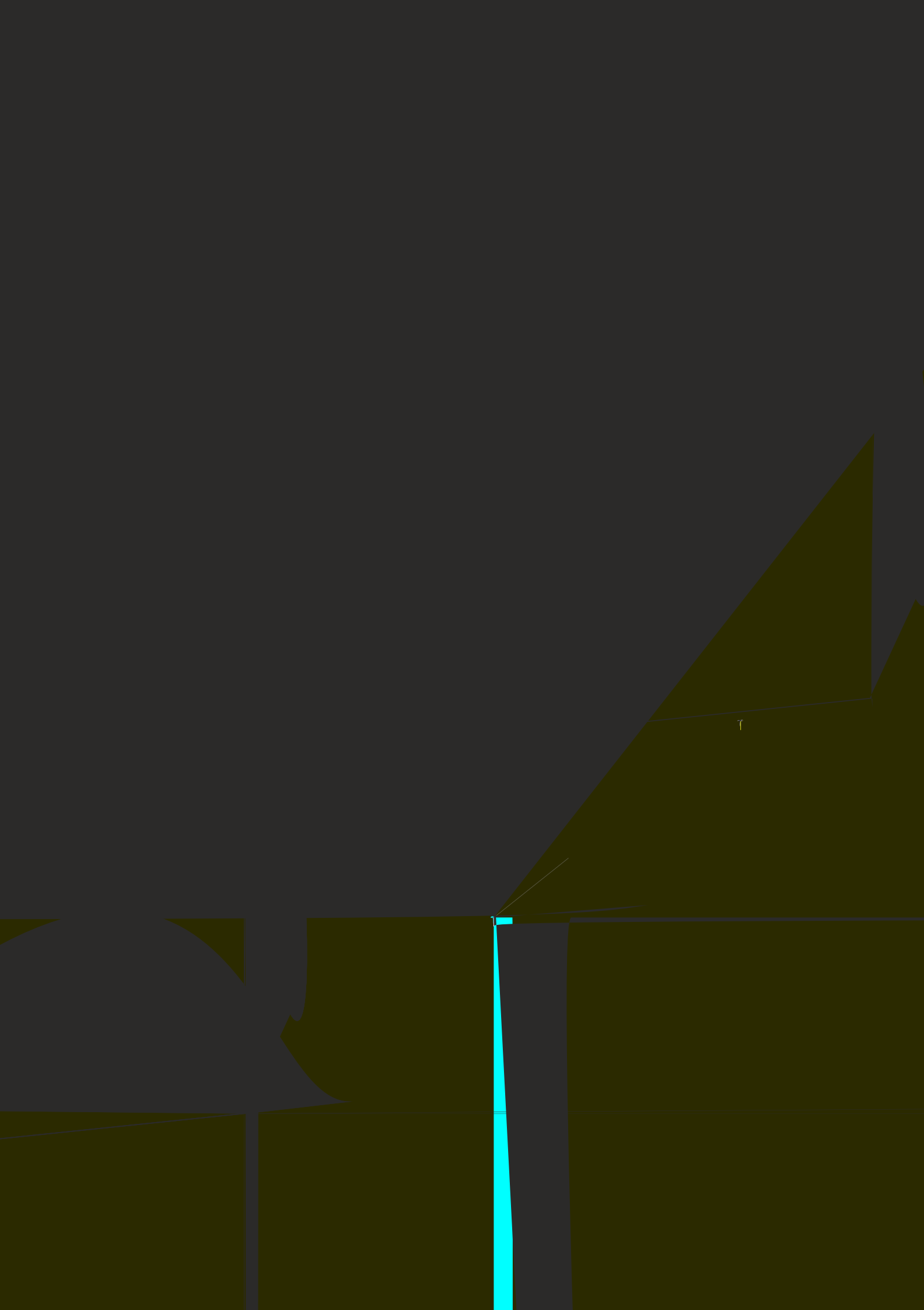

इसके अलावा, परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद बड़ी परियोजनाओं के निष्पादन के लिए बोली प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु कंसोर्टियम या संयुक्त उद्यम के गठन में सहायता प्रदान करके और विशेष रूप से परिष्कृत प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी अंतरण को बढ़ावा देकर भारतीय परियोजना निर्यातकों तथा विदेशी कंपनियों के बीच आर्थिक सहयोग के संवर्धन का समन्वय करती है जिससे भारतीय कंपनियां मेगा परियोजनाओं के लिए संयुक्त रूप से बोली लगाने के लिए प्रोत्साहित होंगी।

परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद ने न केवल भारत एवं विदेशों में विभिन्न व्यापार निकायों के साथ सामरिक गठबंधन किया है (विदेश स्थित भारतीय मिशनों तथा भारत में विदेशी मिशनों सहित) अपितु परियोजना निर्यात बढ़ाने तथा परियोजना निर्माण की मदों का निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से भी ऐसे गठबंधनों के अपने दायरे का लगातार विस्तार भी कर रही है।

परिषद का सकल प्रबंधन कार्यकारी समिति के हाथों में है जिसमें सदस्य के रूप में वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा भारतीय निर्यात आयात बैंक, भारतीय निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम, भारतीय रिजर्व बैंक तथा निर्माण उद्योग के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है।

व्यापार संवर्धन तथा संबद्ध क्रियाकलाप :

अप्रैल 2019 से नवंबर 2019 तक पीईपीसी ने निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन किया है / उनमें भाग लिया है :

- पीईपीसी ने 18 से 21 जुलाई 2019 तक आयोजित भूटान कंस्ट्रक्शन फेयर 2019 में भारतीय मंडप का सफल आयोजन किया।
- पीईपीसी ने 21–22 अगस्त 2019 को आयोजित प्रोसेस 5 दक्षिण – दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग में एक स्टाल लगाया। 2019.
- पीईपीसी 15–16 अक्टूबर 2019 को आयोजित कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड लीडरशिप समिट 2019 में पृष्ठांकन पार्टनर था, जिसका आयोजन कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड और ईएनआर (इंजीनियरिंग न्यूज रिपोर्ट) के साथ मिलकर पहली निर्माण परिषद द्वारा किया गया।

इलेक्ट्रानिक एवं कंप्यूटर साफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद (ईएससी)

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कंप्यूटर साफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद (ईएससी) का अधिदेश इलेक्ट्रानिक्स, दूर संचार, कंप्यूटर साफ्टवेयर तथा आईटी समर्थित सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना है। निर्यात संवर्धन परिषद निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपने सदस्यों को कई तरह की सेवाओं की पेशकश करती है।

ई एस सी की कुछ महत्वपूर्ण सेवाएं इस प्रकार हैं :

- वैश्विक ट्रेड शो / प्रदर्शनी एवं सम्मेलनों में भागीदारी को सुगम बनाना।
- विदेशी बाजारों में बाजार अनुसंधान / अध्ययन तथा प्रचार अभियान संचालित करना।
- क्रेता – विक्रेता बैठकों के माध्यम से ईएससी भारतीय और विदेशी कंपनियों के बीच कारोबारी इंटरफेस को सुगम बनाती है तथा भारतीय इलेक्ट्रानिक्स, कंप्यूटर साफ्टवेयर एवं आईटी कंपनियों के लिए नए कारोबारी साझेदारों की तलाश करती है।
- विदेश व्यापार को सुगम बनाने के लिए ई एस सी डाटा सर्च के लिए आनलाइन सुविधा प्रदान करती है।
- सरकार तथा सदस्य निर्यातकों के बीच कड़ी के रूप में ईएससी नीतिगत मुद्दों पर चर्चा के लिए प्लेटफार्म प्रदान करती है।

ईएससी द्वारा आयोजित कार्यक्रम / कार्यक्रमों में ईएससी की भागीदारी :

अप्रैल 2019 से नवंबर 2019 तक ईएससी द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं / उनमें भाग लिया है :

वैश्विक गतिविधियां :

- आईसीटी एक्सपो, 13–16 अप्रैल 2019, हांगकांग
- इलेक्ट्रानिक्स डिस्ट्रीब्यूटर्स शो (ईडीएस), 7 से 10 मई 2019, लास वेगास
- सोर्स इंडिया टर्नकी, 6 से 10 सितंबर 2019, तुर्की
- ग्लोबल सोर्सेज एचके – स्टार्टअप लांचपैड, 18 से 21 अक्टूबर 2019, हांगकांग
- मिपकाम, 14 से 17 अक्टूबर 2019, कान, फ्रांस
- अ मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, 22–24 अक्टूबर 2019, लास एंजेल्स, यूएसए
- सेबिट आसियान, 27 से 29 नवंबर 2019, थाईलैंड

इसके अलावा निम्नलिखित कार्यक्रमों में भी भाग लेने का प्रस्ताव है :

- मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, 24–27 फरवरी 2020, बार्सिलोना, स्पेन
- क्लाउड एक्सपो, 11–12 मार्च 2020, यूके

ईएससी द्वारा भारत में आयोजित किए जाने / भाग लिए जाने वाले आरबीएसएम :

- आरबीएसएम इंडिया साफ्ट और इंडिया इलेक्ट्रानिक्स एक्सपो, 3 से 4 मार्च 2020, हैदराबाद, भारत

घरेलू गतिविधियां :

अप्रैल 2019 से नवंबर 2019 तक ईएससी द्वारा आयोजित अन्य गतिविधियां इस प्रकार हैं :

- ईएससी और आईआईएफटी ने 10 जून 2019 को अपराह्न 4 बजे ईएससी हाउस, नई दिल्ली में खेत्र विशिष्ट लाजिस्टिक्स पर एक चर्चा सत्र का आयोजन किया। बैठक ने इलेक्ट्रानिक्स सेक्टर की क्षेत्र विशिष्ट लाजिस्टिक्स से संबंधित मुद्दों एवं चुनौतियों पर ध्यान केन्द्रित किया।
- ईएससी ने 8 अगस्त 2019 को ईएससी हाउस, नई दिल्ली में सदस्यों की बैठक का आयोजन किया जिसमें ताइवान विदेश व्यापार विकास परिषद के शिष्टमंडल ने भाग लिया।

- ईएससी ने इलेक्ट्रानिक्स और कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 16 सितंबर 2019 को चेन्नई में सदस्यों की बैठक का आयोजन किया। उभरते वैश्विक बाजारों में आईटी अवसरों पर एक प्रस्तुति भी दी गई।

ईएससी ने इलेक्ट्रानिक्स और कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 17 सितंबर 2019 को बेंगलुरू में सदस्यों की बैठक का आयोजन किया। उभरते वैश्विक बाजारों में आईटी अवसरों पर एक प्रस्तुति भी दी गई।

ईईपीसी इंडिया

ईईपीसी इंडिया इंजीनियरिंग क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य विभाग के तत्वावधान में गठित परिषद है। यह निर्यात संवर्धन के लिए भारतीय इंजीनियरिंग क्षेत्र की विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत स्थापित कंपनी (लाभ न कमाने वाली कंपनी) है। ईईपीसी इंडिया विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के तहत पूरे देश में इंजीनियरिंग निर्यात के लिए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नोडल एजेंसी है। इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यातकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए कंपनी का मुख्यालय कोलकाता में है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली में तथा उप क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलुरू, हैदराबाद (सिकंदराबाद) और जालंधर में हैं। इंजीनियरिंग निर्माताओं एवं निर्यातकों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से तथा बेहतर पहुंच प्राप्त करने के लिए ईईपीसी इंडिया ने टियर 2 और टियर 3 के 12 शहरों अर्थात तमिलनाडु (11 मई 2019), छत्तीसगढ़ (19 जून 2019), झारखंड (3 जुलाई, 2019), कर्नाटक (23 जुलाई, 2019), पश्चिम बंगाल (3 अगस्त, 2019), हिमाचल प्रदेश (10 अगस्त, 2019), मध्य प्रदेश (24 अगस्त, 2019), आंध्र प्रदेश (19 सितंबर, 2019), महाराष्ट्र (18 अक्टूबर, 2019), ओडिशा (8 नवंबर, 2019), राजस्थान (9 नवंबर, 2019) और उत्तराखंड (22 नवंबर, 2019) में अपनी पीठ स्थापित की।

सलाहकार संस्था के रूप में यह भारत सरकार की नीतियों में सक्रियता से योगदान होता है तथा इंजीनियरिंग उद्योग एवं सरकार के बीच कड़ी के रूप में काम करता है। 1955 में स्थापित ईईपीसी इंडिया के सदस्यों की संख्या अब 13000 के आसपास है जिसमें से 60 प्रतिशत एसएमई हैं। ईईपीसी इंडिया भारत से स्रोतन को सुगम बनाता है तथा एसएमई को अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप अपने मानकों को ऊपर उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह एसएमई को वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ अपने व्यवसाय को एकीकृत करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। 'भविष्य को अभियांत्रिक करना' को अपने ध्येय के रूप में रखते हुए ईईपीसी इंडिया भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय समुदाय के लिए भविष्य में भारत को इंजीनियरिंग के एक प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में उनके प्रयासों में संदर्भ बिंदु के रूप में काम करता है।

इंजीनियरिंग निर्यात का परिदृश्य

भारत के कुल वस्तु निर्यात में इंजीनियरिंग निर्यात का शेयर लगभग 25 प्रतिशत और जीडीपी में योगदान लगभग 3 प्रतिशत है। इंजीनियरिंग निर्यात ने पिछले राजकोषीय वर्ष 2017–18 की तुलना में 6.32 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2018–19 में 81.02 बिलियन अमरीकी डालर के रिकार्ड निष्पादन के साथ 2011–12 से 2018–19 की अवधि में 4.6 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर (सीएजीआर) प्राप्त की। कुल निर्यात के प्रतिशत के रूप में देश के इंजीनियरिंग निर्यात का शेयर 2011–12 में 19.3 प्रतिशत से बढ़कर 2018–19 में 24.5 प्रतिशत हो गया है।

तथापि, वैश्विक व्यापार परिदृश्य में अनिश्चितता, यूएस – चीन व्यापार तनाव, विश्व के अग्रणी देशों द्वारा संरक्षणवाद, भारतीय आयात के लिए यूएस जीएसपी की वापसी तथा कुछ क्षेत्रों में भूराजनीतिक तनाव के कारण पिछले राजकोषीय वर्ष की तुलना में अक्टूबर से अप्रैल 2019 की अवधि के दौरान भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात में 3.10 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इंजीनियरिंग के 33 पैनल में से 16 पैनल जिसके तहत भारत के इंजीनियरिंग निर्यात का 21.4 प्रतिशत शामिल है, ने संबंधित अवधि के दौरान वर्ष दर वर्ष आधार पर निर्यात में वृद्धि दर्ज की, जबकि शेष 17 पैनल ने निर्यात में गिरावट का प्रदर्शन किया। अप्रैल से अक्टूबर 2018 की तुलना में अप्रैल से अक्टूबर 2019 की अवधि के दौरान जिन पैनलों के निर्यात में काफी वृद्धि दर्ज की गई उनमें प्राइम अभ्रक और अभ्रक उत्पाद (75.7 प्रतिशत की वृद्धि), कार्यालय उपकरण (65.5 प्रतिशत की वृद्धि), निकेल और निकेल उत्पाद (53.4 प्रतिशत की वृद्धि), टिन और टिन उत्पाद (32.7 प्रतिशत की वृद्धि), औद्योगिक मशीनरी जैसे कि बायलर, पार्ट्स आदि (27.3 प्रतिशत की वृद्धि) और क्रेन, लिफ्ट एवं विंच (21.2 प्रतिशत की वृद्धि) शामिल हैं।

क्षेत्रवार निर्यात गंतव्य की दृष्टि से, भारत के कुल इंजीनियरिंग निर्यात में 19.3 प्रतिशत और 19 प्रतिशत के शेयर के साथ इंजीनियरिंग निर्यात के लिए क्रमशः यूरोपीय संघ तथा उत्तरी अमेरिका भारत के शीर्ष गंतव्य बने रहे। पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में अप्रैल से अक्टूबर 2019 की अवधि के दौरान आसियान+2 ने 17.7 प्रतिशत की सर्वोच्च वृद्धि दर्ज की जिसके बाद सीआईएस (10.97 प्रतिशत की वृद्धि) और उत्तर पूर्वी एशिया (5.45 प्रतिशत की वृद्धि) का स्थान रहा।

ब्रांड इंडिया इंजीनियरिंग

''मेक इन इंडिया'' की ब्रांड इमेज, इंजीनियरिंग गुणवत्ता तथा भारतीय इंजीनियरिंग उत्पादों एवं सेवाओं की क्षमता में वृद्धि करके निर्यात बढ़ाने के लिए ईईपीसी इंडिया 2014 से ब्रांड इंडिया इंजीनियरिंग अभियान चला रहा है। यह पहल इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन जो वाणिज्य विभाग के अधीन न्यास है, की सहायता से कार्यान्वित की जा रही है। एक प्रतिष्ठित कंसल्टेंसी फर्म के माध्यम से ईईपीसी इंडिया द्वारा इस सेक्टर के लिए तैयार की गई निर्यात रणनीति के आधार पर इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए संशोधित ब्रांडिंग योजना तैयार की जा रही है।

इंजीनियरिंग निर्यात बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन की पहल

ईईपीसी इंडिया के साथ मिलकर संचालित की जा रही वाणिज्य विभाग की प्रमुख पहलों में से एक इंजीनियरिंग निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी के उन्नयन को संभव बनाना है। अधुनातन निर्यात उन्मुख प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अग्रणी आर एंड डी लैब तथा उद्योग के बीच अंतर को समाप्त करके इसका प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिए, अनुसंधान एवं विकास सहायता हेतु उत्पादों एवं प्रक्रियाओं को चिह्नित करने के लिए विशिष्ट औद्योगिक क्लस्टरों

में प्रौद्योगिकी बैठकों / उद्योग – शैक्षिक संस्था वार्ता का आयोजन किया जाता है। पहल का उद्देश्य प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए उपलब्ध विभिन्न सरकारी स्कीमों के बारे में उद्योग जगत को संवेदनशील बनाना तथा क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के अनुरूप उद्योग जगत की आवश्यकताओं के आधार पर प्रौद्योगिकी विकास की पहलों को लागू करना है। वाणिज्य विभाग इस प्रयास में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय तथा ईईपीसी इंडिया के साथ काम कर रहा है।

लक्षित फोकस उत्पादों के साथ 2019–20 में आयोजित प्रौद्योगिकी बैठकों की सूची :

- औरंगाबाद, 19 जून 2019 (आटोमोटिव टेक्नोलॉजी)
- कोलकाता, 24 जून 2019 (मटेरियल साइंस)
- कोलकाता, 19 जुलाई 2019 (वैकल्पिक सामग्री)
- जामनगर, 24 जुलाई 2019 (ब्रास विनिर्माण)
- बंगलौर, 2 अगस्त 2019 (इंजीनियरिंग इलेक्ट्रानिक्स, हाइटेक विनिर्माण)

चुनौतियों को दूर करने तथा हाई इंड प्रौद्योगिकी उत्पादों के उत्पादकों एवं निर्यातकों को शिक्षित करने के लिए इंजीनियरिंग क्षेत्र में एमएसएमई के लिए अनुकूल माहौल का सृजन करने के लिए वाणिज्य विभाग ने बेंगलुरू और कोलकाता में ईईपीसी इंडिया के प्रौद्योगिकी केन्द्र को भी वित्तीय पोषित किया है। ऐसे

विदेशी क्रेताओं को सही मूल्य प्रदान करने के लिए इन गतिविधियों में भारत में क्रेता – विक्रेता बैठक तथा भारत में उत्पाद विशिष्ट सेमिनार / सम्मेलन, निर्यात जागरूकता कार्यक्रम आदि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग सोर्सिंग शो (आईईएसएस) का आयोजन करना, भारत के बाहर अनन्य इंडिया इंजीनियरिंग एग्जिबीशन (इंडी) का आयोजन करना, चुनिंदा देशों में उत्पाद विशिष्ट शिष्टमंडल भेजना, विभिन्न उत्पाद विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेना शामिल है।

अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग सोर्सिंग शो (आईईएसएस) : यह इंजीनियरिंग क्षेत्र में वाणिज्य विभाग का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है तथा इसे विशेष रूप से एमएसएमई के लिए इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए भारत के अंदर आयोजित सबसे बड़े सोर्सिंग शो के रूप में माना जाता है। इस कार्यक्रम के 8वें संस्करण का आयोजन मार्च 2019 में चेन्नई में हुआ जिसमें सार्क, आसियान, अफ्रीका, यूरोपीय संघ, सीआईएस, उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका से 350 से अधिक प्रदर्शकों एवं 400 विदेशी क्रेताओं ने भाग लिया। इस शो के 9वें संस्करण का आयोजन 4 से 6 मार्च, 2020 के दौरान कोयंबटूर में किया जा रहा है।

भारतीय इंजीनियरिंग प्रदर्शनी (इंडी) : ईईपीसी इंडिया भारतीय इंजीनियरिंग प्रदर्शनी (इंडी) का आयोजन करता है जो भारतीय इंजीनियरिंग क्षेत्र में तेजी से हो रही प्रगति के बारे में पूरे विश्व में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय इंजीनियरिंग क्षेत्र पर पूर्णतः केन्द्रित होती है। इंडी की शुरुआत 1997 में हुई तथा अब तक पूरे विश्व में इस कार्यक्रम के 39 संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं। इंडी विदेश में भारत के महत्वपूर्ण कार्यक्रम तथा मौजूदा / नए बाजारों में अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए प्लेटफार्म के रूप में उभरा है। ढाका, बंगलादेश में 22 से 24 जनवरी 2020 तक इंडी के 40वें संस्करण का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 120 भारतीय इंजीनियरिंग कंपनियों के भाग लिया। इंडी का यह संस्करण बंगलादेश में इंडी का दूसरा संस्करण था। बंगलादेश में पहला संस्करण 2 से 4 नवंबर 2017 तक आयोजित किया गया था जिसमें इंजीनियरिंग तथा संबद्ध क्षेत्रों से 100 से अधिक भारतीय कंपनियों ने भाग लिया था।

वर्ष के दौरान ईईपीसी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित अन्य प्रमुख इंजीनियरिंग कार्यक्रमों भी भाग लिया जैसे कि आटोमेकानिका दुबई 2019 जो मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप तथा अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आटोमेटिव आफ्टर मार्केट ट्रेड शो है; एमएसवी 2019; इंटरनेशनल फास्टेनर एक्सपो 2019 जो उत्तरी अमेरिका में औद्योगिक फास्टेनर तथा टूलिंग एंड मशीनरी के लिए सबसे बड़ा बी2बी प्लेटफार्म है; जीआईएफए, एमईटीईसी, थर्मप्रोसेस और न्यूकास्ट 2019; जीमेक्स 2019 जार्डन जो इस क्षेत्र में सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल और यांत्रिक मशीनरी प्रदर्शनी है तथा अनेक अन्य विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग कार्यक्रम।

अपने नियमित एजेंडा का विस्तार करने के लिए ई ई पी सी इंडिया अंतर्राष्ट्रीय रुझानों एवं अवसरों के बारे में अपने सदस्यों को जानकारी प्रदान करने के लिए अनेक रिपोर्टों / अध्ययनों को प्रकाशित करता है ताकि वैश्विक स्तर पर उनकी उपस्थिति में वृद्धि हो सके।

सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (एसईपीसी)

सेवा निर्यात संवर्धन परिषद भारत के सेवा निर्यातकों को सहायता प्रदान करने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित शीर्ष व्यापार निकाय है। सलाहकार संस्था के रूप में एसईपीसी भारत सरकार की नीतियों के निर्माण में सक्रियता से योगदान करती है तथा सेवा उद्योग एवं सरकार के बीच कड़ी के रूप में काम करती है। यह भारतीय सेवा निर्यात समुदाय के प्रयासों में सहायता प्रदान करने तथा भारतीय सेवा उद्योग की क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए उच्च गुणवत्ता की सेवाओं के विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में विदेश में भारत की छवि बनाने में सहायक रही है। यह काफी संख्या में प्रचार प्रसार की गतिविधियों का आयोजन करती है जैसे कि क्रेता – विक्रेता बैठक / रिवर्स क्रेता – विक्रेता बैठक, विदेश में आयोजित व्यापार मेलों / प्रदर्शनियों में भाग लेना और चुनिंदा विदेशी प्रदर्शनियों में भारतीय मंडप / सूचना बूथ स्थापित करना।

परिषद सेवा निर्यातकों को प्रोत्साहित करती है और सेवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुझानों एवं अवसरों के बारे में उनको जानकारी प्रदान करती रहती है। एसईपीसी ऐसे अवसरों का लाभ उठाने में अपने सदस्यों को सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपने निर्यात का विस्तार कर सकें। 2006 में स्थापित सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के 15 से अधिक सेवा क्षेत्रों जो इसके क्षेत्राधिकार के तहत आते हैं, से सदस्य की संख्या 4800 से अधिक है। एसईपीसी के सदस्य डीजीएफटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस) का लाभ उठा सकते हैं।

एसईपीसी का विजन

भारतीय सेवा के प्रत्येक क्षेत्र का प्रभावी ढंग से प्रचार प्रसार और प्रतिनिधित्व करके तथा अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में योगदान करके भारत को अंतर्राष्ट्रीय सेवा निर्यात के पावर हाउस के रूप में खड़ा करना।

एसईपीसी का मिशन

वैश्विक स्तर पर भारतीय सेवा क्षेत्र का प्रभावी प्रवक्ता बनना, हस्तक्षेपों एवं विनिमय के माध्यम से इसकी प्रोफाइल को ऊपर उठाना ताकि व्यवसाय में वृद्धि हो सके। सरकार तथा अन्य हितधारकों एवं सेवा के बीच सेतु के रूप में काम करना। ज्ञान का प्रसार करना तथा सेवा निर्यात बढ़ाने के प्रयास में संगठनों के उपलब्धियों को पहचान प्रदान करना।

एसईपीसी की भूमिका एवं कार्य

एसईपीसी सेवा क्षेत्र उद्योग तथा सरकार में नीति निर्माताओं के बीच चर्चा के लिए प्लेटफार्म के रूप में काम करती है। विशेष रूप से यह निम्नलिखित कार्य करती है :

- सेवा निर्यात के संवर्धन के लिए निर्यात संवर्धन रणनीति को लागू करना
- विदेशी सेवा पूछताछ को सुगम बनाना
- संचार एवं प्रचार की व्यवस्था करना

एसईपीसी को क्षेत्रों का आवंटन

कार्यालय आदेश दिनांक अगस्त 2018 के अनुसार एसईपीसी को अब निम्नलिखित क्षेत्रों में सेवाओं का निर्यात बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है : –

1. नर्सों, फिजियोथेरिपिस्ट तथा पैरामेडिकल कार्मिकों द्वारा सेवाओं

सहित स्वास्थ्य देखरेख सेवा;

2. शैक्षिक सेवाएं;
3. आडियो विजुअल सेवा सहित मनोरंजन सेवाएं;
4. परामर्श सेवाएं;
5. वास्तुशिल्पीय सेवाएं तथा संबद्ध सेवाएं;
6. वितरण सेवाएं;
7. लेखांकन / लेखा परीक्षा तथा बुक कीपिंग सेवाएं;
8. पर्यावरणीय सेवाएं;
9. समुद्री परिवहन सेवाएं;
10. विज्ञापन सेवाएं;
11. विपणन अनुसंधान एवं पब्लिक ओपिनियन पोलिंग सेवाएं / प्रबंध सेवाएं;
12. मुद्रण एवं प्रकाशन सेवाएं;
13. विधिक सेवाएं;
14. होटल एवं पर्यटन संबद्ध सेवाएं;
15. अन्य सेवाएं।

प्रमुख कार्यक्रम – एसईपीसी द्वारा भागीदारी / आयोजन (2019–20)

क्रम सं.	गतिविधि	सेवा क्षेत्र	गतिविधि के प्रकार	देश / राज्य	तिथि
1	चाइना इंटरनेशनल फेयर इन ट्रेड इन सर्विसेज (सीआईएफटीआईएस) में भारतीय मंडप	बहु सेवा	विदेशों में कार्यक्रम	बीजिंग, चीन	28 मई से 01 जून 2019
2	इंजीनियरिंग 2019 : इंटरनेशनल इंजीनियरिंग सर्विसेज मार्केट	इंजीनियरिंग सेवाएं	रीवर्स क्रेता - विक्रेता बैठक	होटल लीमेरेडियन, नई दिल्ली	7 से 8 जुलाई, 2019
3	एफआईडीसी, नई दिल्ली में आरबीएसएम	इंजीनियरिंग सेवाएं	रीवर्स क्रेता - विक्रेता बैठक	नई दिल्ली भारत	08 से 09 जुलाई, 2019
4	मिपकॉम 2019 में भारतीय मंडप	मनोरंजन सेवाएं	विदेशों में कार्यक्रम	कान, फ्रांस	14 से 17 अक्टूबर, 2019
5	वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट, लंदन	पर्यटन सेवाएं	विदेशों में कार्यक्रम	लंदन, यूके	4 से 6 नवंबर, 2019
6	वैश्विक सेवा प्रदर्शनी (जीईएस), बेंगलुरु	बहु सेवा	रीवर्स क्रेता विक्रेता बैठक	बेंगलुरु, भारत	26 से 28 नवंबर, 2019

अन्य कार्यक्रमों / गतिविधियों में एसईपीसी की भागीदारी (2019–20)

1. अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (पैनल चर्चा एवं एक्सपो) मेडिकल टूरिज्म, डेस्टिनेशन पंजाब में एसईपीसी की भागीदारी : चिकित्सा पर्यटन पर यह सम्मेलन इंटरनेशनल चैंबर्स फार सर्विसेज इंडस्ट्री (आईसीएसआई) के साथ मिलकर पंजाब सरकार द्वारा आयोजित किया गया।
2. एमआईपीटीवी में एसईपीसी की भागीदारी : एसईपीसी ने सामग्री विकास एवं वितरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाग लिया। इस अवसर पर अनेक भारतीय मनोरंजन कंपनियों (ट्रैवल एक्सपी, प्दकपंदज्मसमअपेपवद.बवउ आदि) ने अपनी सामग्री प्रस्तुत की तथा उद्योग में अपने अनुभवों को साझा किया।
3. एससीओ के पहले इंटरनेशनल मेडिकल इनोवेशन एंड कॉपरेशन फोरम में एसईपीसी की भागीदारी : चीनी पक्ष द्वारा भारतीय फर्मा कंपनियों के लिए कम्प्लीमेंटरी पवेलियन स्थापित किया गया। एसईपीसी ने सस्ती तथा अच्छी स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं के लिए शहर दर शहर अनुबंध को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर ध्यान केन्द्रित किया, जिनका लाभ चीन के नागरिकों द्वारा उठाया जा सकता है।
4. सीआईएफटीआईएस में एसईपीसी की भागीदारी : एसईपीसी ने चाइना इंटरनेशनल फेयर इन ट्रेड इन सर्विसेज (सीआईएफटीआईएस) में भाग लिया। एसईपीसी द्वारा भारतीय मंडप स्थापित किया जिसमें मुंबई, दिल्ली, इंदौर, हैदराबाद, पुडुचेरी, जयपुर से निर्माण, इंटीरियर डिजाइनिंग, शिक्षा, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल, विधि, लेखांकन, स्वास्थ्य देखरेख, मनोरंजन क्षेत्र की कंपनियों ने भाग लिया और भारतीय शिष्टमंडल का प्रतिनिधित्व किया। चिकित्सा पर्यटन, लेखांकन, शिक्षा, आयुर्वेद, विधिक सेवाओं में काफी रुचि ली गई। सीआईएफटीआईएस 2019 के दौरान भारतीय मंडप ने एक जीईएस रोड शो का आयोजन किया गया। भारतीय पंडप को सीआईएफटीआईएस द्वारा सर्वश्रेष्ठ मंडप के रूप में आंका गया।
5. राष्ट्रीय सम्मेलन ''भारतीय एमएसएमई में निर्यात का संवर्धन'' में एसईपीसी की भागीदारी : यह सम्मेलन भारतीय एमएसएमई से

निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 2019 के अवसर पर एसोचैम द्वारा आयोजित किया गया।

6. एसईपीसी ने नई दिल्ली में एमएसएमई मंत्रालय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस में भाग लिया और एसएमई एजेंडा के अंग के रूप में आईपी सृजन तथा सेवा निर्यात पर बल देने की तत्काल आवश्यकता सहित एमएसएमई क्षेत्र में सेवाओं की भूमिका पर बल दिया।

7. एसईपीसी ने पार्टनर एसोसिएशन के रूप में केरल हेल्थ टूरिज्म समिट के 7वें संस्करण में भाग लिया। एसईपीसी ने शिखर बैठक में प्रमुख गंतव्य बाजारों और रणनीतियों पर ध्यान केन्द्रित किया। इस शिखर बैठक में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रदर्शनी तथा स्वास्थ्य पर्यटन पर पूर्ण सत्रों का आयोजन किया गया जिसमें 10 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

8. एसईपीसी ने विदेश व्यापार नीति पर सेवा हितधारक परामर्श का आयोजन किया : विदेश व्यापार नीति की समीक्षा पर उद्योग जगत से सुझाव आमंत्रित करने के लिए 31 जुलाई 2019 को एसईपीसी द्वारा विदेश व्यापार नीति पर हित

प्रतिनिधित्व करती है, यह सदस्यों से प्राप्त उत्पादों को प्रदर्शित करने की व्यवस्था करती है। जो पूछताछ प्राप्त होते हैं उन्हें सदस्यों को परिचालित किया जाता है ताकि वे कारोबारी वार्ता के लिए सीधे विदेशी क्रेताओं से संपर्क कर सकें।

उपर्युक्त के अलावा, परिषद ने कैश्यू बुलेटिन नामक एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन करती है। परिषद अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों तथा व्यापार प्रतिनिधिमंडलों में प्रयोग के लिए विभिन्न भाषाओं में हर साल भारतीय काजू निर्यातक निर्देशिका, ब्रोशर एवं फोल्डर का भी प्रकाशन करती है। उद्योग जगत के लाभ के लिए मशीनरी की प्रोफाइल तथा अद्यतन सांख्यिकी भी प्रकाशित की जाती है। परिषद प्रक्रिया उन्नयन / आधुनिकीकरण आदि के लिए निर्यातकों को सहायता प्रदान करने के लिए नए उत्पादों के विकास के लिए विभिन्न खाद्य अनुसंधान संस्थाओं से भी संबद्ध है।

परिषद ने भारतीय पैकेजिंग संस्थान, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय बहुविषयक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान आदि जैसी प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थाओं के साथ मिलकर पैकेजिंग में सुधार, काजू के नए उत्पादों के विकास के लिए अनेक शोध परियोजनाएं प्रायोजित की हैं।

परिषद का कोल्लम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान संस्थान है जो एनएबीएल द्वारा प्रत्यायित है। आयात करने वाले देशों की आवश्यकताओं के अनुसार विश्लेषण का कार्य करने के लिए प्रयोगशाला में अधुनातन उपकरण एवं प्रौद्योगिकी उपलब्ध हैं। लैब भारतीय काजू उद्योग को विश्लेषणात्मक सेवाएं प्रदान करता है तथा देश में उत्पन्न तथा प्रोसेस किए गए काजू की गुणवत्ता की निगरानी करने में मदद करता है। इस प्रयोगशाला की सेवाएं न केवल काजू उद्योग के लिए उपलब्ध हैं अपितु भारत एवं विदेश में संपूर्ण खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए भी उपलब्ध हैं। इस प्रयोगशाला को पैकेज्ड पेयजल के विश्लेषण के लिए बीआईएस द्वारा, प्रदूषकों के विश्लेषण के लिए केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गई है तथा इसे अनुसंधान अध्ययन संचालित करने के लिए केन्द्र के रूप में कन्नूर विश्वविद्यालय द्वारा डाक्टोरल अनुसंधान केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। केरल सरकार ने सीईपीसीआई के प्रयोगशाला एवं अनुसंधान संस्थान को सभी 14 जिलों में स्कूलों से मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत पके भोजन एवं पानी तथा त्यौहारी मौसम के दौरान उपभोक्ता संघ द्वारा जनता को वितरित किए गए खाद्यान्न / मसालों के प्रतिचयन एवं परीक्षण की जिम्मेदारी भी सौंपी है।

भारत के दक्षिण पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी भागों में काजू एक लोकप्रिय फसल है और आज भारत में लगभग 20 राज्यों में 1.06 मिलियन हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल में काजू की खेती होती है तथा हर साल लगभग 8.17 लाख मीट्रिक टन कच्ची काजू गिरी का उत्पादन होता है।

भारत विश्व में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक और प्रोसेसर है तथा काजू कर्नेल के उत्पादन में इसका शेयर 40 प्रतिशत के आसपास है। भारी घरेलू मांग तथा प्रोसेसिंग की अधिक लागत के कारण काजू कर्नेल के वैश्विक निर्यात में हमारे निर्यात का शेयर मात्र 14 प्रतिशत है। 80 से अधिक देशों को भारतीय काजू का निर्यात किया जाता है। यूएई, यूएसए, सऊदी अरब, जापान, नीदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, कोरिया आदि मुख्य बाजार हैं।

यह उद्योग भारत के 20 राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्गों से लगभग 15 लाख काजू मजदूरों, मुख्य रूप से महिलाओं को रोजगार प्रदान करता है। इस प्रकार भारत में काजू की खेती, प्रसंस्करण एवं व्यापार के विकास का सामाजिक, आर्थिक और वाणिज्यिक महत्व है।

काजू कर्नेल तथा काजू गिरी शेल लिक्विड का निर्यात निष्पादन

2018–19 के दौरान भारत से 66,693 मीट्रिक टन काजू कर्नेल का निर्यात किया गया जिसका मूल्य 4433.99 करोड़ रुपए (637 मिलियन अमरीकी डालर) था। 2018–19 के दौरान निर्यात की गई काजू की गिरी की कुल मात्रा में से 9.18 प्रतिशत निर्यात अमेरिकी क्षेत्र को, 0.44 प्रतिशत अफ्रीकी क्षेत्र को, 31.7 प्रतिशत यूरोपीय क्षेत्र को, 0.13 प्रतिशत ओसियानिक क्षेत्र को, 18.09 प्रतिशत दक्षिण पूर्व तथा सुदूरपूर्व एशिया क्षेत्र को और 40.46 प्रतिशत पश्चिम एशिया क्षेत्र को किया गया। पश्चिम एशिया क्षेत्र भारत से काजू करनेल का सबसे बड़ा आयातक था।

डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता द्वारा प्रकाशित निर्यात – आयात सांख्यिकी के अनुसार 2018–2019 (अप्रैल 2018 से मार्च 2019) के दौरान देश के कुल निर्यात अर्जन में कृषि उत्पादों का शेयर 6.45 प्रतिशत है तथा इसमें काजू कर्नेल 10वें स्थान पर है जिसने कृषि उत्पादों के निर्यात में 3.07 प्रतिशत का योगदान किया है। 2018–19 के दौरान भारत से 5300 मीट्रिक टन काजू गिरी शेल लिक्विड (सीएनएसएल) का निर्यात किया गया जिसका मूल्य 26.85 करोड़ रुपए (3.85 मिलियन अमरीकी डालर) था।

पिछले 5 वर्षों के लिए तथा अक्टूबर 2019 की स्थिति के अनुसार काजू कर्नेल तथा काजू गिरी शेल लिक्विड के निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	काजू कर्नेल			काजू गिरी शेल लिक्विड			कुल (सीके + सीएनएसएल)		
वर्ष	मात्रा	मूल्य	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मूल्य
	(मीट्रिक टन में)	(करोड़ रुपए में)	(मिलियन अमरीकी डालर में)	(मीट्रिक टन में)	(करोड़ रुपए में)	(मिलियन अमरीकी डालर में)	(मीट्रिक टन में)	(करोड़ रुपए में)	(मिलियन अमरीकी डालर में)
2014-15	118952	5432.85	888.59	10938	55.81	9.13	129890	5488.66	898
2015-16	96346	4952.12	756.40	11677	57.59	8.80	108023	5009.71	765
2016-17	82302	5168.78	771.00	11422	44.00	6.56	93724	5212.78	778
2017-18	84352	5870.97	910.79	8325	32.63	5.06	92677	5903.60	916
2018-19	66693	4433.99	636.61	5300	26.85	3.85	71993	4460.84	640
2019-20 (अप्रैल - अक्टूबर,2019)	38560	2187.70	309.11	2708	13.04	1.84	41268	2200.74	310.95

स्रोत : डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता

काजू की कच्ची गिरी का घरेलू उत्पादन एवं आयात

भारत काजू की कच्ची गिरी का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक बना हुआ है। वियतनाम, ब्राजील, आइवरी कोस्ट, तंजानिया, गीनिया बिसाऊ, बेनिन, घाना, इंडोनेशिया आदि अन्य प्रमुख उत्पादक देश हैं। काजू गिरी एवं कोको विकास निदेशालय (डीसीसीडी) के अनुमानों के अनुसार, 2018–19 के दौरान भारत में कच्ची काजू गिरी का उत्पादन 7,42,714 मीट्रिक टन था, जबकि 2017–18 के दौरान अनुमानित उत्पादन 8,17,045 मीट्रिक टन था।

चूंकि उद्योग जगत की वर्तमान आवश्यकता / लगभग 20 लाख मीट्रिक टन की स्थापित प्रसंस्करण क्षमता को पूरा करने के लिए घरेलू उत्पादन पर्याप्त नहीं है, इसलिए हम अन्य उत्पादक देशों से कच्ची काजू गिरी का आयात करते हैं। वर्ष 2018–19 के दौरान भारत ने 8,35,463 मीट्रिक टन कच्ची काजू गिरी का आयात किया है।

निर्यात / आयात नीति

हालांकि कच्ची काजू गिरी का आयात ओजीएल के अधीन बना रहा, मार्च 2016 के दौरान कच्ची काजू गिरी के आयात पर लगाई गई 5 प्रतिशत की कस्टम ड्यूटी को 2 फरवरी 2018 से घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया है। जीएसटी के तहत काजू तथा संबद्ध उत्पाद 5 प्रतिशत जीएसटी के तहत आते हैं। रोस्टेड, साल्टेड काजू कर्नेल 12 प्रतिशत जीएसटी के तहत आता है। काजू कर्नेल और सीएनएसएल के निर्यातक एफओबी मूल्य के 5 प्रतिशत की दर से एमईआईएस के लिए पात्र हैं तथा रोस्टेड एवं साल्टेड कर्नेल के निर्यातक 7 प्रतिशत एमईआईएस के लिए पात्र हैं। ड्यूटी ड्राबैक की दर एफओबी मूल्य के 0.10 प्रतिशत पर बनी रही।

सम्मेलन / प्रदर्शनियां / व्यापार शिष्टमंडल :

परिषद ने वर्ष 2019–20 के दौरान निम्नलिखित प्रदर्शनियों / व्यापार मेलों में भाग लिया :

1. ईरान एग्रो फूड एंड फूड बेवटेक (18 जून 2019 से 21 जून2019)
2. वर्ल्डफूड – मॉस्को (24 सितंबर, 2019 से 27 सितंबर, 2019)
3. अनुगा – जर्मनी (05 अक्टूबर, 2019 से 09 अक्टूबर, 2019)
4. फोडेक्स सऊदी – सऊदी अरब (12 नवंबर, 2019 से 15 नवंबर, 2019)

एमएआई के अनुमोदन के अनुसार, आने वाली अवधि में परिषद निम्नलिखित मेलों में भाग लेगी :

1. गल्फूड और बीएसएम – यूएई (17 फरवरी, 2020 से 21 फरवरी, 2020)
2. फूड इनग्रेडियंट्स 2020 – चीन (3 मार्च 2020 से 5 मार्च 2020)
3. फूडेक्स – जापान (06 मार्च, 2019 से 09 मार्च, 2020)

सीईपीसीआई मार्च 2020 के दौरान कोचीन में वैश्विक काजू शिखर बैठक के दौरान काजू इंडिया 2020 (आरबीएसएम) का आयोजन करेगा।

पता : भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसीआई) काजू भवन, मुंडक्कल पश्चिम, कोल्लम –691001, केरल
ईमेल : cepci@cashewindia.org
वेबसाइट : www.cashewindia.org

भारतीय तिलहन तथा उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (आईओपीईपीसी)

सम्मेलन/आईसीओपीओ में भाग लेने के लिए इथोपियन पल्स, आयलसीड एंड स्पाइस प्रोसेसर्स एक्सपोर्टर्स एसोशिएसन (ईपीओएसपीईए) द्वारा आमंत्रित किया गया।

तिलहन और तेल के संबंध में भारत के विदेश व्यापार की रुझानें :

अनुमान है कि पिछले वर्ष में 7648.82 करोड़ रुपए की तुलना में 2018–19 के दौरान तिलहन निर्यात क्षेत्र (परिषद के क्षेत्राधिकार में तिलहन) का आकार लगभग 8134.01 करोड़ रुपए होगा।

निर्यात के परिप्रेक्ष्य से मूंगफली और तिल भारत के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण तिलहन हैं। 2018–19 के दौरान लगभग 47 प्रतिशत शेयर के साथ तिलहन के कुल निर्यात में मूंगफली के निर्यात का शेयर सबसे अधिक था, जबकि मात्रा की दृष्टि से तिलहन के कुल निर्यात में तिल का शेयर लगभग 30 प्रतिशत था।

पिछले वर्ष में 5,04,038 टन के निर्यात की तुलना में वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान भारत से 4,88,233 टन मूंगफली का निर्यात किया गया जो 3.14 प्रतिशत की मामूली गिरावट को दर्शाता है। मूल्य की दृष्टि से भी वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान 3386.30 करोड़ रुपए के निर्यात की तुलना में 3295.54 करोड़ रुपए की मूंगफली का निर्यात किया गया जो 2.68 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है।

भारत से मूंगफली के निर्यात के लिए इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और थाईलैंड प्रमुख बाजार हैं जिनका भारत से मूंगफली के कुल निर्यात में शेयर 70 प्रतिशत के आसपास है।

वनस्पति तेल का निर्यात

वनस्पति तेल के निर्यात में अरंडी के तेल का दबदबा रहा तथा वर्ष 2019–20 (अप्रैल/जुलाई) के दौरान लगभग 216754.94 टन का निर्यात किया गया जिसका मूल्य 2524.57 करोड़ रुपए था जबकि पिछले वर्ष के दौरान 619355.8 टन का निर्यात किया गया जिसका मूल्य 6169.94 करोड़ रुपए था।

तिलहन और तेल के निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

भारत से तिलहन का निर्यात

(मात्रा हजार टन में तथा मूल्य करोड़ रुपए में)

		अप्रैल से जुलाई 2019		2018-19		2017-18	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	तिल	94.92	1277.56	311.99	3761.93	336.85	2990.93
2	मूंगफली	134.31	1049.44	488.23	3295.54	504.04	3386.3
3	सरसों / राई	9.83	44.24	29.52	133.26	17.29	76.4
4	नाइजर के बीज	3.38	25.73	13.37	95.5	9.21	69.86
5	कुसुम बीज	1.36	7.09	4.45	20.47	6.73	27.78
6	सूर्यमुखी बीज	0.72	3.7	2.34	11.64	5.61	22.61
7	सोयाबीन	28.14	113.53	197.81	810.3	275.35	1004.83
8	तीसी	4.51	28.76	11.77	74.03	10.04	64.53
9	कपास बीज	0.18	13.4	0.22	10.1	0.23	5.58
	कुल	**277.36**	**2563.45**	**1059.7**	**8212.77**	**1165.35**	**7648.82**

भारत से वनस्पति तेल का निर्यात

(मात्रा हजार टन में तथा मूल्य करोड़ रुपए में)

		अप्रैल से जुलाई 2019		2018-19		2017-18	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	मूंगफली का तेल	8627.16	86.15	17057.29	142.68	12171.24	104.41
2	तिल का तेल	2498.83	54.37	9939.77	183.14	9452.22	140.22
3	सूर्यमुखी एवं कुसुम का तेल	1036.39	9.96	4393.84	38.84	3573.7	29.75
4	सरसों एवं राई का तेल	1330.29	16.36	3973.62	51.55	3354.57	44.51
5	अलसी का तेल	98.2	2.01	304.88	5.13	249.76	4.47
6	अरंडी का तेल	216754.94	2524.57	619355.8	6169.94	697092.5	6730
7	कॉटन ऑयल	444.11	3.72	1008.26	14.84	507.15	6.51
8	सोया तेल	2531.79	24.35	7539.01	65.93	3785.13	30.19
	कुल	**230789.92**	**2697.14**	**656033.4**	**6606.12**	**726401.1**	**7059.87**

स्रोत : एमओसी / ट्रेड

पता

भारतीय तिलहन तथा उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (आईओपीईपीसी)

78/79, बजाज भवन, नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400021, महाराष्ट्र

ईपी (वस्त्र)

वस्त्र उद्योग श्रम सघन क्षेत्र है तथा अधिमानतः महिलाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करता है। भारत का वस्त्र उद्योग कच्चे माल के विशाल भंडार और मूल्य श्रृंखला में विनिर्माण की क्षमता के साथ विश्व में सबसे बड़े उद्योग में से एक है। वस्त्र उद्योग मूल्य की दृष्टि से उद्योग आउटपुट में 7 प्रतिशत, भारत की जीडीपी में 2 प्रतिशत और देश की निर्यात आय में 15 प्रतिशत का योगदान करता है। हाल के वर्षों में भारत के वस्त्र निर्यात का वर्षवार निष्पादन नीचे दिया गया है :

(मिलियन अमरीकी डॉलर में)

वर्ष	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-20 (अप्रैल- नवम्बर)
निर्यात	38518.8	37601.3	37693.4	37872.1	38724.1	22946.28

स्रोत : डीजीसीआईएस

कुल निर्यात व्यापार से शीर्ष 5 वस्तुओं के निर्यात का क्षेत्रवार शेयर नीचे दिया गया है :

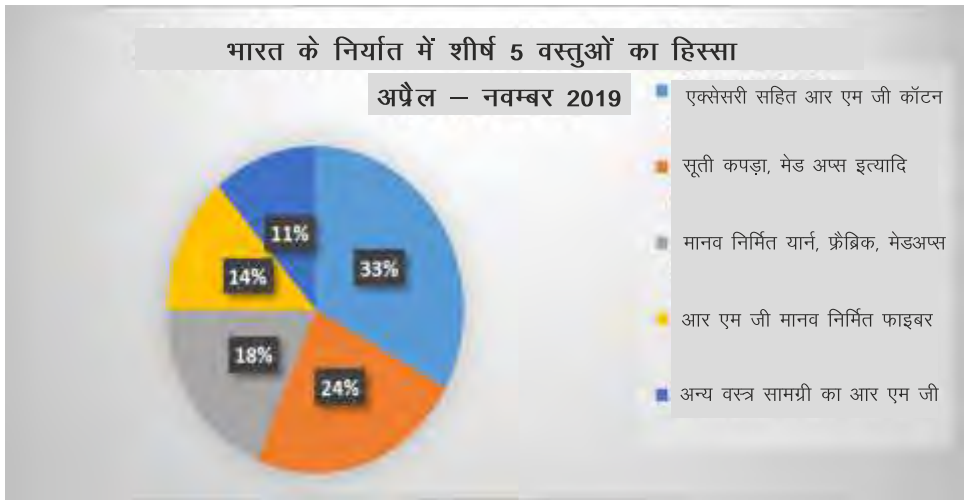

स्रोत : डीजीसीआईएंडएस

भारतीय वस्त्र निर्यात निर्यात के प्रमुख गंतव्य

हथकरघा एवं हस्तशिल्प सहित भारत के वस्त्र एवं कपड़ा उत्पादों का निर्यात 100 से अधिक देशों को किया जाता है। निर्यात के प्रमुख गंतव्यों में यूरोपीय संघ, यूएसए, यूएई, बंगलादेश, चीन, श्रीलंका, तुर्की, सऊदी अरब, कनाडा, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोरिया, हांगकांग और मिस्र शामिल हैं। 2019–20 के दौरान भारत के वस्त्र एवं परिधान निर्यात के शीर्ष 10 गंतव्य इस प्रकार हैं :

स्रोत : डीजीसीआईएंडएस

एन डी ए अनुमोदनों, डी एम एफ फाइलिंग, यूएस एफडीए / यूके एमएचआरए अनुमोदित विनिर्माण सुविधाओं / जैव समतुल्यता केन्द्रों द्वारा आंका गया है। इनको किसी राष्ट्रीय फार्मा सेक्टर की क्षमता आंकने के लिए मुख्य संकेतक के रूप में माना जाता है। भारत विश्व के लगभग सभी देशों को एपीआई, इंटरमीडिएट, फर्मास्युटिकल फार्मुलेशन, जैव फर्मास्युटिकल, क्लीनिकल सेवाओं, चिकित्सा डिवाइसों, सर्जिकल, हर्बल, न्यूट्रास्यूटिकल, आयुर्वेद, होमियोपैथिक, यूनानी उत्पादों, वेटेनरी दवाओं आदि का निर्यात करता है।

निर्यात की प्रवृत्तियों की प्रमुख विशेषताएं :

भारत डीपीटी तथा बीसीजी के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की आवश्यकता का 65 प्रतिशत और खसरा के टीकों का 90 प्रतिशत उत्पादन करता है।

- शीर्ष 20 वैश्विक जेनरिक कंपनियों में से 8 कंपनियां भारत से हैं।
- भारत का 55 प्रतिशत से अधिक निर्यात अथ्यधिक विनियमित बाजारों जैसे कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप को किया जाता है। भारत के लिए यूएसए सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। अफ्रीका के 6 बिलियन अमरीकी डालर के जेनरिक बाजार में भारत का योगदान लगभग 50 प्रतिशत है।
- एलएसी, अफ्रीका और एशिया के अप्रयुक्त किंतु संभावित बाजारों में भारतीय विनिर्माताओं के लिए विपणन का विशाल अवसर उत्पन्न हो रहा है। इसके अलावा, कौशल, लागत एवं प्रदायगी संबंधी लाभों के कारण भारत संविदा अनुसंधान एवं विनिर्माण सेवा (सीआरएएमएस), नैदानिक अनुसंधान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव सूचना विज्ञान आदि के लिए आकर्षक आउटसोर्सिंग गंतव्य के रूप में की उभर रहा है।

फर्मा निर्यात के संवर्धन के लिए वाणिज्य विभाग / फर्मेक्सिल द्वारा शुरू की गई पहलें / निर्यात संवर्धन तंत्र

(क) ब्रांड इंडिया फार्मा परियोजना :

ब्रांड इंडिया फार्मा परियोजना ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय फर्मा उत्पादों को बढ़ावा देने का कार्य जारी रखा है। आईबीईएफ की सहायता से फर्मेक्सिल ने दुबई में आयोजित अरब हेल्थ तथा अन्य प्रमुख कार्यक्रमों जैसे कि सीपीएचआई वर्ल्ड वाइड, सीपीएचआई जापान में ब्रांड संवर्धन की गतिविधियां संपन्न की है। ब्रांडिंग की गतिविधियों ने सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न किया है तथा अच्छा रिस्पांस प्राप्त करने में इन कार्यक्रमों के प्रतिभागियों की मदद की हैं।

(ख) एपीआई के आयात पर निर्भरता घटाना :

एपीआई के आयात पर निर्भरता कम करने तथा भारतीय एपीआई उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों को जारी रखते हुए वाणिज्य विभाग ने रोडमैप का निर्माण करने के लिए हितधारकों के साथ अनेक परामर्शों का आयोजन किया। फर्मेक्सिल ने इस विषय पर सीएसआईआर की प्रयोगशालाओं, उद्योग तथा विद्वत जगत में अनेक परामर्श बैठकों का भी आयोजन किया। हितधारकों द्वारा एपीआई, इंटरमीडिएट तथा प्रमुख स्टार्टिंग सामग्री के निर्माण के लिए अनन्य क्लस्टरों की स्थापना करने की जोरदार सिफारिश की गई है।

इसके अलावा वाणिज्य विभाग की वित्तीय सहायता से फर्मेक्सिल ''एपीआई, केएसएम और इंटरमीडिएट के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए रणनीति'' पर रिपोर्ट तैयार कर रहा है।

(ग) फर्मा निर्यात के लिए अधिप्रमाणन प्रणाली

यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत से अप्रमाणिक / नकली / घटिया दवाओं का निर्यात न हो, भारत से फर्मास्युटिकल फर्मुलेशन के निर्यात लिए 2011 से ट्रैक और ट्रेस का सिस्टम शुरू किया गया है।

उद्योग स्वैच्छिक आधार पर पैकेजिंग के सेकेंडरी और टरटियरी स्तरों पर तथा प्राइमरी स्तर पर भी बारकोडिंग का सिस्टम अपनाने में समर्थ हुआ है। उद्योगों से अभिवेदन तथा छोटे स्तर के निर्यातकों के सरोकारों के कारण पैकेजिंग में पैरेंट – चाइल्ड संबंध बनाए रखने तथा केन्द्रीय पोर्टल पर उसे अपलोड करने से सभी विनिर्माताओं (एसएसआई और गैर एसएसआई विनिर्माता) को आवधिक छूट प्रदान की गई है। पैकेजिंग में पैरेंट – चाइल्ड संबंध बनाए रखने तथा केन्द्रीय पोर्टल पर उसे अपलोड करने से एसएसआई और गैर एसएसआई दोनों विनिर्माताओं के लिए छूट की तिथि 1 अप्रैल 2020 तक बढ़ाई गई है। फर्मेक्सिल भारत से निर्यातित दवाओं के प्रमाणन के लिए सी–डैक के माध्यम से एक प्रौद्योगिकी तटस्थ एवं प्रयोक्ता हितैषी वेब पोर्टल का भी विकास कर रहा है तथा उम्मीद है कि यह वेबसाइट शीघ्र काम करना शुरू कर देगी।

(घ) टैरिफ से भिन्न व्यापार बाधाएं :

वाणिज्य विभाग टैरिफ से भिन्न व्यापार बाधाओं जो फर्मेक्सिल तथा अन्य उद्योग सदस्यों द्वारा उनकी जानकारी में लाई जाती हैं, को दूर करने के लिए प्रयास करता है।

(ङ) उभरते बाजारों में पैठ

- वाणिज्य विभाग विदेश में उत्पादों के पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए अपनी योजनाओं के माध्यम से प्रति कंपनी प्रति वर्ष 50 लाख रुपए तक फर्मा निर्यात को सहायता प्रदान करता है। अतिरिक्त कंपोनेंट के साथ हाल ही में यह सीलिंग बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए प्रति कंपनी प्रति वर्ष कर दी गई है जो नए एवं संभावित बाजारों में पंजीकरण कराने तथा अधिक उत्पादों की बिक्री करने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहित करेगी।
- वाणिज्य विभाग तथा भारतीय दूतावास, बीजिंग के प्रयासों के अनुपालन में पहली बार राष्ट्रीय औषधि उत्पाद प्रशासन (एनएमपीए, तत्कालीन सीएफडीए) और सीडीएससीओ द्वारा भारतीय फर्मास्युटिकल कंपनियों के लाभ के लिए 21 जून 2019 को शंघाई में फर्मा सेक्टर में विनियामक प्रणालियों पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में लगभग 37 भारतीय फर्मा कंपनियों ने भाग लिया तथा फर्मा उद्योग को एनएमपीए के अधिकारियों से बातचीत करने तथा एनएमपीए द्वारा प्रयुक्त प्रक्रियाओं एवं अद्यतन विनियमों पर स्पष्टीकरण प्रकट करने का अवसर प्राप्त हुआ।
- कारोबारी उद्यमों के लिए आदर्श पार्टनर की तलाश करने के लिए दोनों पक्षों की कंपनियों की सहायता के लिए चीन और भारत में हेल्प डेस्क स्थापित किया गया।
- प्रमुख पहलों में शामिल हैं : विभिन्न विभागों के साथ लंबित मुद्दों का समाधान करना जैसे कि आरएंडडी सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए जीएसटी से छूट, सीओपीपी को वैधता प्रदान करना तथा निर्यात के लिए एनओसी से छूट, सीडीएससीओ के साथ घनिष्ठ चर्चा, एपीआई और केएसएम के आयात पर निर्भरता घटाने के लिए अध्ययन शुरू करना और चीन, रूस / सीआईएस, वियतनाम आदि जैसे महत्वपूर्ण बाजार

पहुंच प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना।

- फर्मेक्सिल ने गैर तरजीही देशों के लिए उत्पत्ति प्रमाण पत्र तथा पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र (आरसीएमसी) आनलाइन जारी करना शुरू किया। सदस्यों द्वारा परिषद की इस पहल की सराहना की जा रही है तथा विभिन्न शहरों से अनेक सदस्यों ने इस सुविधा का प्रयोग करना शुरू कर दिया है।
- वाणिज्य विभाग के निर्देश पर फर्मेक्सिल ने ऐसे देशों की बाजार एवं विनियामक रिपोर्टें प्रकाशित की जो हमारे शीर्ष 20 निर्यात गंतव्य हैं तथा इसे सदस्यों में परिचालित किया गया।
- फर्मेक्सिल ने 15 अगस्त 2019 से ऐसे सदस्यों के लिए सदस्यता शुल्क 11800 रुपए से घटाकर 1000 रुपए कर दिया है जिनका निर्यात शून्य है।

(च) भारतीय फार्माकोपिया (आईपी) की मान्यता के लिए प्रयास :

वाणिज्य विभाग ने चीन के साथ भारतीय फर्माकोपिया (आईपी) की मान्यता के लिए प्रयास किया। इन प्रयासों के फलस्वरूप घाना ने अंतरिम रिस्पांस प्रदान किया तथा सूचित किया कि भारतीय फर्माकोपिया आयोग (आईपीसी) को अनुमोदित एफडीए के रूप में माना जाता है जब इसका मोनोग्राफ जन स्वास्थ्य अधिनियम की चौथी अनुसूची में पंजीकृत फर्माकोपिया के मोनोग्राफ से तुलनीय होता है और यह भी कहा कि भारतीय फर्माकोपिया के अनुसार नियंत्रित एपीआई और निर्मित फर्मास्युटिकल उत्पादों (एफपीपी) के संबंध में अपर्याप्तता को दूर किया जा सकता है ताकि विनिर्देशन और विधियां आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त अन्य फर्माकोपिया के अनुरूप हो सकें।

उपयुक्त कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय और आईपीसी के साथ मामला उठाया गया है तथा उनको घाना में एक शिष्टमंडल भेजने की सलाह दी गई है ताकि शीघ्रता से निर्णय लिया जा सके। आईपीसी के लिए मान्यता प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय से विकासशील देशों, विशेष रूप से एशिया, लैटिन अमेरिका एवं अफ्रीकी क्षेत्र के देशों में अपने समकक्षों के साथ प्रयास करने का भी अनुरोध किया गया है। हाल ही में भारतीय फर्माकोपिया को अफगानिस्तान इस्लामिक गणराज्य के लोक स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय दवा एवं स्वास्थ्य उत्पाद विनियम विभाग द्वारा औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान की गई है और दवाओं एवं स्वास्थ्य उत्पादों के प्रयोगशाला में प्रतिष्ठित फर्माकोपिया के रूप में आवश्यकता के आधार पर इसका प्रयोग भी किया जाएगा।

2019–20 में परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम

फर्माकोनेक्स :

फर्मेक्सिल ने कैरो, मिस्र में 6 से 8 अप्रैल 2019 के दौरान आयोजित फर्माकोनेक्स में भारतीय मंडप का आयोजन किया। मंडप में 25 भारतीय कंपनियों ने भाग लिया।

कोरिया फार्मा एंड बायो :

फर्मेक्सिल ने 16 से 18 अप्रैल 2019 के दौरान दक्षिण कोरिया में आयोजित कोरिया फार्मा में भारतीय मंडप का आयोजन किया। मंडप में 25 भारतीय कंपनियों ने भाग लिया। परिषद ने कोरियन ड्रग रिसर्च एसोसिएशन के साथ एमओयू किया।

आइफेक्स :

10 से 12 जून 2019 के दौरान अहमादाबाद में आइपेक्स के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया जिसमें 500 से अधिक प्रदर्शकों, 730 विदेशी प्रतिनिधियों तथा 20000 आगंतुकों ने भाग लिया। परिषद ने फर्मा निर्यात से संबंधित विषय पर सेमिनारों / पैनल चर्चा का आयोजन किया।

सीपीएचआई चीन :

फर्मेक्सिल ने 18 से 20 जून 2019 के दौरान सीएचपीआई चाइना में भारतीय मंडप का आयोजन किया जिसमें 19 कंपनियों ने भाग लिया।

भारत – चीन औषधि विनियामक कार्यशाला :

वाणिज्य विभाग तथा भारतीय दूतावास, बीजिंग के प्रयासों के अनुपालन में पहली बार राष्ट्रीय औषधि उत्पाद प्रशासन (एनएमपीए, तत्कालीन सीएफडीए) और सीडीएससीओ द्वारा भारतीय फर्मास्युटिकल कंपनियों के लाभ के लिए 21 जून 2019 को शंघाई में फर्मा सेक्टर में विनियामक प्रणालियों पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में अनेक भारतीय फर्मा कंपनियों ने भाग लिया तथा वे एनएमपीए के अधिकारियों से बातचीत करने तथा एनएमपीए द्वारा प्रयुक्त प्रक्रियाओं एवं अद्यतन विनियमों पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के अवसर से लाभान्वित हुए। प्रमुख भारतीय फर्मास्युटिकल कंपनियों से भागीदारी प्राप्त करने में फर्मेक्सिल द्वारा कार्यक्रम का समन्वय किया गया।

आस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के लिए कारोबारी शिष्टमंडल

वाणिज्य विभाग की सहायता से फर्मेक्सिल ने 22 से 26 जुलाई 2019 के दौरान पहली बार आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए कारोबारी शिष्टमंडल की व्यवस्था की। भारत से 19 फर्मा कंपनियों ने भाग लिया तथा बी2बी बैठक में विदेश से लगभग 50 कंपनियों ने भाग लिया। महसूस किया गया कि अधिक मूल्य वाले बाजारों की तलाश करने के लिए सतत प्रयास करने की आवश्यकता है और भारत की कंपनियां काफी व्यवसाय प्राप्त कर सकती हैं।

एलएसी को व्यवसाय शिष्टमंडल :

लैटिन अमेरिका के देशों में भारतीय फर्मा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए परिषद के सतत प्रयासों के अंग के रूप में 17 अगस्त से 1 सितंबर 2019 के दौरान मैक्सिको, पेरू, बोलिविया और चिली के लिए कारोबारी शिष्टमंडल के दौरे का आयोजन किया गया। शिष्टमंडल में 37 भारतीय फर्मा कंपनियों ने भाग लिया। बी2बी बैठक में विदेशों से 700 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय विनियामक बैठक :

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार तथा केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सहायता से फर्मेक्सिल ने 19–20 सितंबर 2019 को हैदराबाद में दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विनियामक बैठक का आयोजन किया जिसमें 22 देशों से 30 विनियामकों ने भाग लिया। दो दिवसीय बैठक में विभिन्न राज्यों से लगभग 20 राज्य एवं केन्द्रीय विनियामकों ने भाग लिया।

दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विनियामक बैठक के दौरान, विनियामक प्राधिकारियों की चुनौतियों तथा गुणवत्ता के मानकों एवं निर्माण की सुविधाओं में सुधार के लिए उठाए गए कदमों पर विस्तार से चर्चा हुई।

भारत ने मानकों की परस्पर मान्यता तथा संभावित अभिसरण पर सहयोग प्रदान करने की मांग की।

बैठक ने प्रत्येक देश में अपनाई जा रही विनियामक प्रथाओं तथा उत्पाद अनुमोदन को संस्वीकृत करते समय प्राधिकारियों द्वारा दृष्टिकोण / कसौटी के बारे में उद्योग के लिए जागरूकता पैदा की। इसने विभिन्न विनियामक प्राधिकरणों के अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए उद्योग जगत को नेटवर्किंग का अवसर प्रदान किया तथा विनियामक अधिकारियों को भी अन्य देशों के अपने समकक्षों के साथ संपर्क स्थापित करने का अवसर प्रदान किया।

ईरान फर्मा :

एपीआई निर्यातकों के लिए निर्यात के अच्छे अवसरों की उपलब्धता तथा भारतीय फर्मा विनिर्माताओं के लिए संविदा विनिर्माण के अवसरों को भी ध्यान में रखते हुए, परिषद ने 24 से 26 सितंबर, 2019 के दौरान ईरान फर्मा में मंडप लगाया जिसमें 20 भारतीय कंपनियों ने भाग लिया।

एसएफडीए का तीसरा वार्षिक सम्मेलन एवं प्रदर्शनी :

फर्मक्सिल ने 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2019 तक रियाद में आयोजित एसएफडीए (सऊदी खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण) के वार्षिक सम्मेलन एवं प्रदर्शनी में भाग लिया। एसएफडीए के तीसरे सम्मेलन और प्रदर्शनी में फर्मेक्सिल के साथ 5 भारतीय कंपनियों (फर्मा, एनालिटिकल और खाद्य उद्योग) ने भाग लिया। प्रतिनिधियों ने सऊदी अरब में आसान बाजार पहुंच के लिए दूतावास कार्यालय से सहयोग की मांग की।

वाणिज्यिक संबंध, व्यापार करार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन

पूर्व एशिया के साथ व्यापार

आसियान क्षेत्र

प्रस्तावना

भारत ने पूर्वी एशियाई देशों के साथ अधिक घनिष्ठ संबंध कायम करने की दृष्टि से 1991 में अपनी पूर्व की ओर देखो नीति की घोषणा की थी। 2014 में 'पूरब में काम करो नीति' के लिए नीति अपग्रेड की गई जो एशिया – प्रशांत क्षेत्र में विस्तारित पड़ोस पर ध्यान देती है। पूरब में काम करो नीति के आर्थिक सहयोग पहलू की ओर ध्यान देने को मद्देनजर रखते हुए आसियान (दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन) देशों नामतः ब्रुनेई, दारूस्सेलम, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पी डी आर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपीन्स, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के साथ निरंतर वार्ताएं की जाती हैं। 'पूरब में काम करो नीति' के उद्देश्य को पूरा करने के लिए शिखर बैठक स्तरीय कार्यक्रमों, मंत्री स्तरीय बैठकों तथा अधिकारियों के स्तर पर चर्चाओं का आयोजन किया जाता है।

व्यापार रूपरेखा

आसियान के साथ करार

भारत और आसियान ने 13 अगस्त 2009 को भारत और आसियान के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सी ई सी ए) की विस्तृत रूपरेखा के तहत माल व्यापार के लिए करार पर हस्ताक्षर किया है। यह करार मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के संबंध में 1 जनवरी 2010 को और आसियान के अन्य देशों के मामले में 2010 और 2011 में विभिन्न तिथियों को प्रभावी हुआ जब उन्होंने अपनी आंतरिक आवश्यकताएं पूरी की। 10 सितंबर 2019 को बैंकाक में आयोजित 16वीं आसियान – भारत वित्त मंत्री बैठक में आसियान आरसीईपी वार्ता पूरी हो जाने के बाद माल में आसियान – भारत व्यापार करार (एआईटीआईजीए) की समीक्षा शुरू करने के लिए राजी हुआ है। तद्नुसार, भारत एआईटीआईजीए की समीक्षा शुरू करने के लिए कोई और समय गवांए बगैर आसियान से परामर्श कर रहा है।

भारत और आसियान के सदस्य देशों ने सेवाओं में व्यापार संबंधी करार और निवेश संबंधी करार पर भी हस्ताक्षर किए हैं। ये करार 1 जुलाई 2015 से प्रभावी हुए हैं।

भारत–सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए)

सिंगापुर के साथ प्रथम व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) पर 29 जून, 2005 को हस्ताक्षर किए गए थे जो 1 अगस्त, 2005 से क्रियाशील हुआ था। भारत – सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग करार की प्रथम समीक्षा 1 अक्तूबर, 2007 को पूरी हुई थी। भारत – सिंगापुर सीईसीए की दूसरी समीक्षा के निष्कर्ष की घोषणा 1 जून 2018 को की गई तथा दूसरी समीक्षा के आधार पर सीईसीए को संशोधित करने वाले प्रोटोकॉल के प्रावधान 14 सितंबर 2018 को प्रभावी हुए। भारत – सिंगापुर सीईसीए की तीसरी समीक्षा 01 सितंबर, 2018 को शुरू की गई।

भारत – मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग करार

मलेशिया के सथ व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) पर 18 फरवरी, 2011 को हस्ताक्षर किए गए थे जो 1 जुलाई 2011 से क्रियाशील हुआ था। व्यापक आर्थिक सहयोग करार के अंतर्गत भाख और मलेशिया ने माल में व्यापार के संबंध में आसियान–भारत करार के अंतर्गत उनके द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं के अलावा भी प्रतिबद्धताओं की पेशकश की है।

भारत – थाईलैंड मुक्त व्यापार करार

भारत और थाईलैंड ने भारत – थाईलैंड मुक्त व्यापार करार स्थापित करने के लिए 9 अक्टूबर 2003 को एक रूपरेखा करार पर हस्ताक्षर किए। इस रूपरेखा करार के तहत एक शीघ्र लुनाई योजना है जिसमें आपसी हित की 84 मदें शामिल हैं जिसके लिए दोनों पक्ष चरणबद्ध ढंग से 01 सितंबर, 2006 तक 100 प्रतिशत टैरिफ रियायत प्रदान करने के लिए राजी हुए हैं।

कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम क्षेत्र के लिए परियोजना विकास निधि

सीएलएमवी क्षेत्र में भारतीय निवेश को सुगम बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए के कारपस के साथ परियोजना विकास निधि (पीडीएफ) का गठन किया गया है। पीडीएफ का प्रचालन एग्जिम बैंक के माध्यम से किया जाना है। ऐसी परियोजनाओं की पहचान करने के लिए पीडीएफ का प्रयोग किया जाएगा जो क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला (आरवीसी) का समर्थन करती हैं और आरवीसी में भारतीय कंपनियों के एकीकरण में मदद करती हैं। इस पहल के अंतर्गत चिह्नित परियोजनाओं को सीएलएमवी देशों में विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के माध्यम से समाविष्ट किया जाएगा। एक अंतर्मंत्रालयी समिति (आईएमसी) द्वारा पीडीएफ की निगरानी एवं प्रशासन किया जा रहा है। एग्जिम बैंक द्वारा किए गए पूर्व संभाव्यता अध्ययन के अनुसार, अप्रैल 2017 में आईएमसी द्वारा मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल / मेडिकल कॉलेज / शैक्षिक संस्थान / फर्मास्युटिकल निर्माण यूनिट की स्थापना के लिए सीएलएमवी क्षेत्र में 4 परियोजनाएं अनुमोदित की गईं। इन परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार कर ली गई हैं तथा अग्रेतर कार्य चल रहा है।

भारत और आसियान के बीच व्यापार को अधिक सुगम बनाने के लिए आयोजित किए गए प्रमुख कार्यक्रम

चौथा भारत – आसियान एक्सपो एंड समिट :

चौथा भारत – आसियान एक्सपो एंड समिट नामक प्रतिष्ठित कार्यक्रम नई दिल्ली में 21 से 23 फरवरी 2019 के दौरान आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में आसियान के महासचिव, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम से व्यापार / उप व्यापार मंत्रियों ने भाग लिया। एक्सपो एंड समिट ने हमारे व्यापार एवं निवेश संबंधों को सुदृढ़ करने, व्यापार से जुड़ी तकनीकी बाधाओं को दूर करने, क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला के लिए लाजिस्टिक्स को एकीकृत करने पर बल दिया। समिट के दौरान कुल 689 बी2बी बैठकें आयोजित की गईं।

भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त व्यापार समिति का पुनरुत्थान : 1985 में भारत और थाईलैंड के बीच स्थापित संयुक्त व्यापार समिति 2003 (वर्ष जिसमें भारत और थाईलैंड के बीच अर्ली हार्वेस्टिंग स्कीम पर हस्ताक्षर किए गए थे) में इसकी 11वीं बैठक के बाद निष्क्रिय हो गई थी। दोनों पक्ष संयुक्त सचिव / महानिदेशक के स्तर पर संयुक्त व्यापार समिति दुबारा शुरू करने और परस्पर

सुविधाजनक समय पर 12वीं बैठक का आयोजन करने के लिए सहमत हुए हैं।

आसियान व्यापार

आसियान देशों के साथ भारत का व्यापार वर्ष 2018–19 के दौरान 96.79 बिलियन अमरीकी डालर और वर्ष 2019–20 (अप्रैल से नवंबर) के दौरान 59.11 बिलियन अमरीकी डालर (अनंतिम) का था। इस क्षेत्र में भारत के निर्यात और आयात के लिए प्रमुख गंतव्य सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड हैं।

निर्यात एवं आयात की प्रमुख वस्तुएं – आसियान

निर्यात की प्रधान वस्तुओं में पेट्रोलियम उत्पाद, शिप, बोट एवं फ्लोटिंग स्ट्रक्चर, गोमांस, जैविक रसायन, समुद्री उत्पाद और लोहा एवं इस्पात शामिल हैं। आयात की प्रधान वस्तुओं में कोयला, कोक एवं ब्रिकेट, वनस्पति तेल, दूरसंचार उपकरण, पेट्रोलियम क्रूड तथा जैविक रसायन शामिल हैं।

आसियान क्षेत्र के लिए व्यापार के देशवार आंकडे

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

क्र. सं.	देश	2018-19			2019-2020 (अप्रैल से नवंबर) (अनंतिम)		
		निर्यात	आयात	कुल व्यापार	निर्यात	आयात	कुल व्यापार
1	ब्रुनेई	56.19	591.10	647.29	34.16	302.57	336.73
2	कम्बोडिया	195.98	42.63	238.61	130.93	31.27	162.22
3	इंडोनेशिया	5,275.60	15,849.67	21,125.27	2,563.32	9,551.86	12,115.18
4	लाओ पीडी आरपी	39.38	1.04	40.42	16.87	2.19	19.06
5	मलेशिया	6,436.30	10,818.60	17,254.90	4,318.88	6,869.34	11,158.22
6	म्यांमार	1,205.60	521.49	1,726.79	605.97	353.89	959.86
7	फिलीपीन्स	1,743.64	581.10	2,324.74	1,008.21	367.19	1,375.4
8	सिंगापुर	11,572.27	16,281.64	27,853.91	6,568.35	9,720.54	16,288.89
9	थाईलैंड	4,441.40	7,441.81	11,883.21	2,907.01	4,745.95	7,652.96
10	वियतनाम समाजवादी गणराज्य कोलंबिया गणराज्य	6,507.38	7,192.23	13,699.61	3,582.91	5,430.32	9,013.23
कुल		37,473.72	59,321.32	96,794.75	21,736.61	37,375.12	59,111.73
भारत का कुल व्यापार		3,30,078.09	5,14,078.42	8,44,156.09	2,11,665.15	3,22,433.89	5,34,099.04
शेयर (प्रतिशत में)		11.35	11.53	10.46	10.27	11.59	11.07

उत्तर पूर्व एशिया

चीन जनवादी गणराज्य, जापान, कोरिया गणराज्य, हांगकांग चीन, ताईवान, कोरिया गणराज्य (दक्षिण कोरिया), कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य (उत्तर कोरिया), मंगोलिया तथा मकाऊ से बने उत्तर पूर्वी एशिया क्षेत्र (इसके बाद यहां आगे एन ई ए कहा गया है) के साथ भारत का व्यापार वर्ष 2018–19 के दौरान 164.40 बिलियन अमरीकी डालर था जो विगत वर्ष की तुलना में 4.17 प्रतिशत अधिक है। 2017–18 के दौरान एनईए क्षेत्र को निर्यात का मूल्य 39.47 बिलियन अमरीकी डालर है। 2018–19 के दौरान एनईए क्षेत्र को निर्यात का मूल्य 41.98 बिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.36 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। 2017–18 के दौरान एनईए क्षेत्र को आयात का मूल्य 118.35 बिलियन अमरीकी डालर है। 2018–19 के दौरान इस क्षेत्र से आयात में 122.42 मिलियन अमरीकी डालर अर्थात 3.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2018–19 के दौरान एनईए देशों के साथ व्यापार घाटा 2017–18 में 78.88 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 80.44 बिलियन अमरीकी डालर हो गया है। 2019–20 (अप्रैल से नवंबर) की अवधि के दौरान उत्तर पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार घाटा 54.22 बिलियन अमरीकी डालर है। 2011–12 से 2019–20 के दौरान (नवंबर तक) उत्तर पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार को नीचे ग्राफ के रूप में दर्शाया गया है :

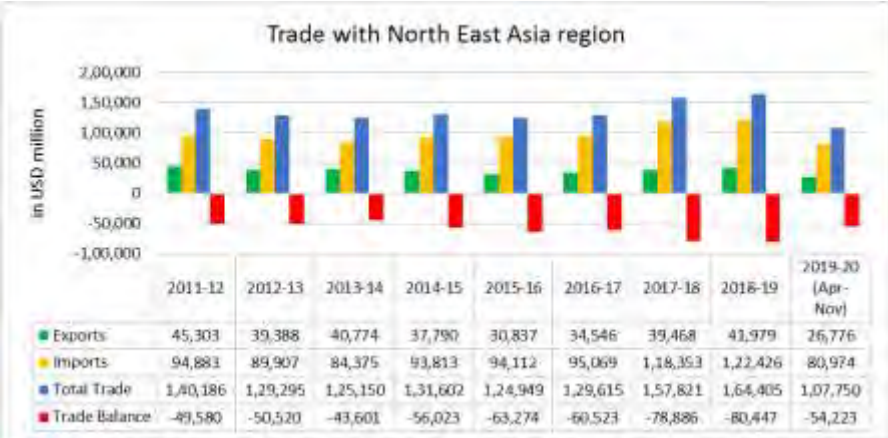

स्रोत : डीजीसीआईएंडएस

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

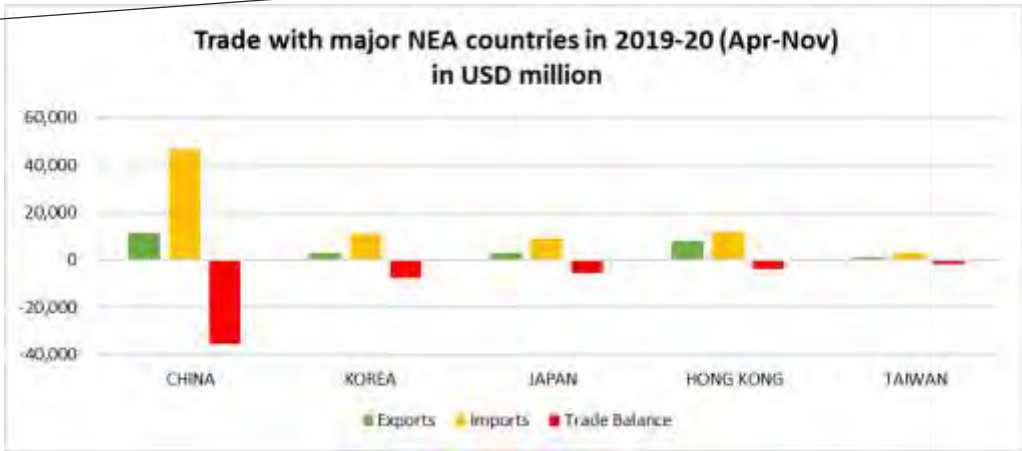

एनईए क्षेत्र के साथ वस्तु संरचना

एनईए क्षेत्र के साथ भारत के व्यापार की वस्तु संरचना में कई परिवर्तन हुए हैं तथा यह व्यापार नीति, अंतर्राष्टीय कीमतों में हलचल तथा घरेलू मांग में बदलते पैटर्न से प्रभावित है। निर्यात की प्रमुख वस्तुओं में मोती, बहुमूल्य एवं अर्ध बहुमूल्य पत्थर, पेट्रोलियम उत्पाद, जैविक रसायन, कॉटन यार्न और समुद्री उत्पाद शामिल हैं।

इस क्षेत्र से आयात की प्रमुख मदों में दूरसंचार उपकरण, इलेक्ट्रानिक्स कंपोनेंट, डेयरी आदि के लिए औद्योगिक मशीनरी, जैविक रसायन तथा लोहा एवं इस्पात शामिल हैं।

व्यापार करार

भारत – कोरिया व्यापक आर्थिक साझेदारी करार

- 7 अगस्त 2009 को भारत और कोरिया गणराज्य के बीच एक व्यापक आर्थिक साझेदारी करार (सीईपीए) पर हस्ताक्षर किए गए, जो 7 अगस्त, 2010 से प्रभावी हुआ। भारत और कोरिया ने माल में टैरिफ तथा उत्पत्ति के नियमों को सरल एवं कारगर बनाने की संभावना का पता लगाने तथा सेवा, व्यापार एवं निवेश बढ़ाने के लिए 2016 में सीईपीए के संशोधन के लिए वार्ता आरंभ की है। दोनों देशों के मंत्रियों की जुलाई 2018 में बैठक हुई थी तथा वे प्रत्येक देश की घरेलू अनुमोदन प्रक्रिया के अधीन अर्ली हार्वेस्ट पैकेज पर राजी हुए थे। अब तक 8 चक्र की वार्ता हो चुकी है तथा 8वें चक्र की वार्ता नई दिल्ली में 17–18 जून 2019 को हुई थी। सहमत रोड मैप के माध्यम से मात्रा एवं गुणवत्ता दोनों की दृष्टि से व्यापार बढ़ाने तथा व्यापार को अधिक साम्यपूर्ण बनाने के लिए वार्ता का आयोजन किया जा रहा है।

भारत – जापान व्यापार आर्थिक साझेदारी करार

- 16 फरवरी 2011 को भारत और जापान के बीच एक व्यापक आर्थिक साझेदारी करार (सीईपीए) पर हस्ताक्षर किए गए, जो 1 अगस्त 2011 से प्रभावी हुआ। सीईपीए के संस्थानिक तंत्र के अंतर्गत संयुक्त समिति की 5वीं बैठक दिसंबर 2018 में नई दिल्ली में हुई। जापानी पक्ष से सीईपीए में संशोधन के लिए वार्ता आरंभ करने का अनुरोध किया गया है क्योंकि सीईपीए पर हस्ताक्षर होने के बाद लगभग एक दशक बीत चुका है और व्यापार को अधिक साम्यपूर्ण बनाने के लिए कुछ सुधारों की आवश्यकता है।

व्यापार से संबंधित हाल की गतिविधियां

I. चीन

- भारत और चीन के बीच सर्वोच्च स्तर पर दूसरी अनौपचारिक शिखर बैठक अक्टूबर 2019 में चेन्नई में हुई थी जिसमें व्यापार के मुद्दों सहित अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई। पिछले वर्ष में दोनों नेताओं की चार बार मुलाकात हुई थी, पहली मुलाकात अप्रैल 2018 में वुहान में हुई थी और आखिरी मुलाकात 29–30 नवंबर 2018 को जी–20 शिखर बैठक में हुई थी।
- सर्वोच्च स्तर पर बैठक के बाद दोनों पक्षों से उच्च स्तर पर मंत्री स्तरीय शिष्टमंडलों के दौरों का आयोजन हुआ। चीनी सामान्य सीमा शुल्क प्रशासन (जीएसीसी) के उप मंत्री ने मई 2019 में भारत का दौरा किया, जिसके बाद [illegible] ज

- ❖ जनवरी 2019 में तंबाकू की पत्तियों के निर्यात पर सेनेट्री और फाइटो सेनेट्री (एसपीएस) प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए।
- ❖ मई 2019 में भारतीय चिली मील के निर्यात पर एसपीएस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए।

❖ तीन अन्य उत्पादों अर्थात सोयाबीन मील, ओकरा एवं अनार पर प्रोटोकॉल चर्चा के उन्नत चरणों में हैं और शीघ्र ही इन पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।

❖ इन प्रोटोकॉलों पर हस्ताक्षर होने के बावजूद इन मदों में हमारा निर्यात अभी तक सार्थक स्तर पर नहीं पहुंचा है।

❖ जिन उत्पादों के लिए बाजार पहुंच प्राप्त है, उनके लिए इन उत्पादों का निर्यात बढ़ाने और बाजार पहुंच को वास्तविक निर्यात में परिवर्तित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। चावल, खली, चाय, चीनी, समुद्री उत्पाद, अंगूर आदि जैसे उत्पादों के संवर्धन के लिए भारतीय दूतावास, बीजिंग तथा अपेडा, मपेडा आदि जैसी एजेंसियों द्वारा विभिन्न क्रेता – विक्रेता बैठकों तथा रिवर्स क्रेता – विक्रेता बैठकों का आयोजन किया गया है। मई 2019 में मुंबई में और जून 2019 में लखनऊ में आम तथा अन्य फलों पर अपेडा द्वारा एक रिवर्स क्रेता – विक्रेता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

❖ चीन को सफेद सरसों मिल का निर्यात, जो वर्ष 2012 से बंद पड़ा है, भी खुला और जीएसीसी ने चीन को सफेद सरसों मिल की आपूर्ति के लिए 6 सफेद सरसों मिल को मंजूरी प्रदान की। 3 मिलों ने अपने पंजीकरण के लिए चीन के कृषि एवं ग्रामीण कार्य मंत्रालय (एमएआरए) को अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं तथा अन्य मिलें एमएआरए के यहां अपना पंजीकरण कराने की प्रक्रिया में हैं। 3 मिलों का पंजीकरण शीघ्र किए जाने की संभावना है।

❖ चीन के प्राधिकारियों के साथ भारतीय फार्मास्युटिकल उत्पादों, दूध एवं दुग्ध उत्पादों तथा गोमांस और कृषि उत्पादों के लिए बाजार पहुंच प्रदान करने के मुद्दे को स्थायी रूप से उठाया जा रहा है। 21 जून 2019 को शंघाई, चीन में राष्ट्रीय औषधीय उत्पाद प्रशासन (एनएमपीए तथा तत्कालीन सीएफडीए) और केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा फर्मा सेक्टर में विनियामक प्रणालियों पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया तथा विनियामक मुद्दों पर एक दिवसीय सघन प्रशिक्षण सत्र में 35 भारतीय फार्मा कंपनियों ने भाग लिया।

❖ भारत से चीन को गोमांस के निर्यात के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए चीनी सामान्य सीमा शुल्क प्रशासन (जीएसीसी) के अधिकारियों के साथ बैठक करने के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग (डीएएचडी) तथा अपेडा की टीम ने सितंबर 2019 में चीन का दौरा किया। ज्वार, चीकू, केला, पपीता, अनन्नास, मका, खोपरा आदि के लिए बाजार पहुंच प्राप्त करने के लिए जीएसीसी को दस्तावेज / तकनीकी डोजियर प्रस्तुत किए गए हैं तथा इस संबंध में बीजिंग में हमारे दूतावास द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

❖ यूएस और चीन के बीच बाजार तनाव, जहां दोनों देशों ने एक दूसरे के माल पर प्रतिकारी टैरिफ लगाए हैं, ने चीन और यूएसए को भारत का निर्यात बढ़ाने के लिए अवसर उपलब्ध कराया। टैरिफ लाइनों जिन पर यूएस और चीन ने एक दूसरे पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया है, का गहन विश्लेषण किया गया है तथा चीनी बाजार में भारत के लिए अवसर की संभावना वाली 151 लाइनों की पहचान की गई। सभी निर्यात संवर्धन परिषदों / व्यापार निकायों तथा किसी लाइन के अंतर्गत चीन को निर्यात करने वाले शीर्ष निर्यातकों को 7 जून 2019 को सार्थक विचार विमर्श के लिए बुलाया गया तथा भारतीय दूतावास, बीजिंग के अधिकारियों की मौजूदगी में उनको सुग्राही बनाया गया, जिन्होंने डीवीसी के माध्यम से बीजिंग से ज्वाइन किया।

❖ साथ ही, एफआईईओ के साथ मिलकर 31 जुलाई 2019 को नई दिल्ली में 'यूएसए और चीन को भारत का निर्यात बढ़ाने के लिए नए अवसर' पर एक चर्चा सत्र का आयोजन किया गया जिसे माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने संबोधित किया। बैठक के एक सत्र में वाणिज्य विभाग द्वारा चिह्नित विशिष्ट टैरिफ लाइनों में यूएसए और चीन को भारत का निर्यात और बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया गया, जहां बाजार पहुंच पहले से मौजूद है तथा शीघ्रता से उपयोग किया जा सकता है। चर्चा सत्र में 200 से अधिक अग्रणी निर्यातकों, कारपोरेट एवं उद्योगपतियों ने भाग लिया जो ऐसे उत्पादों का पहले से ही निर्यात कर रहे हैं परंतु अपने निर्यात का स्तर बढ़ाना चाहेंगे।

❖ लगातार प्रयासों के फलस्वरूप पिछले एक साल की अवधि के दौरान कुछ मदों के निर्यात में वृद्धि हुई है। इस वित्त वर्ष 2018–19 में चीन को हमारा निर्यात वित्त वर्ष 2017–18 में 13. 33 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में बढ़कर 16.75 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। चीन से हमारा आयात 2017–18 में 76.38 बिलियन अमरीकी डालर से घटकर 2018–19 में 70.31 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। व्यापार घाटा भी 2017–18 में 63 बिलियन अमरीकी डालर से घटकर 2018–19 में 53.56 बिलियन अमरीकी डालर हो गया।

❖ अप्रैल से नवंबर 2019 के दौरान निर्यात बढ़कर 9962.74 मिलियन अमरीकी डालर हो गया, जबकि अप्रैल से नवंबर 2018 की अवधि के दौरान निर्यात का मूल्य 9,266.45 मिलियन अमरीकी डालर था। पिछले वित्त वर्ष अर्थात अप्रैल से नवंबर 2018 की समान अवधि की तुलना में अप्रैल से नवंबर 2019 की अवधि के दौरान निर्यात में वृद्धि का प्रदर्शन करने वाली कुछ उल्लेखनीय वस्तुएं इस प्रकार हैं : लौह अयस्क जिसने 131.51 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, समुद्री उत्पाद जिसने 164.35 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, मसाले जिनमें 132.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई, इलेक्ट्रानिक इंस्ट्रूमेंट के निर्यात में 102.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई और लोहा एवं इस्पात ने 134.44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

ii. कोरिया :

❖ भारत और दक्षिण कोरिया की सरकारों ने 9 जुलाई 2018 को भावी रणनीति समूह पर एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय पक्ष की ओर से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा विज्ञान एवं

प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत – कोरिया भावी रणनीति समूह की स्थापना के लिए एमओयू का प्रयोजन भावी प्रौद्योगिकियों का संयुक्त रूप से उपयोग करना तथा अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं औद्योगिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है। इस एमओयू का उद्देश्य एक संयुक्त अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के माध्यम से स्थायी विकास को बढ़ावा देना, जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना, दोनों देशों की कंपनियों, विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थानों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। एमओयू के अंतर्गत सहयोग की गतिविधियों में निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों तथा शोध छात्रों का सहयोग के क्षेत्रों में आदान प्रदान भी शामिल है। एमओयू के अंतर्गत सहयोग की गतिविधियां संचालित करने के लिए एक संयुक्त समिति तथा चार कार्य समूहों का गठन किया गया है तथा एमओयू के अंतर्गत संचालित की जाने वाली गतिविधियों के लिए भारत की ओर से कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में काम करने के लिए वैश्विक नवाचार एवं प्रौद्योगिकी गठबंधन (जीआईटीए) की पहचान की गई है जो प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार तथा फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) के बीच धारा 8 के अंतर्गत गठित पीपीपी–जेवी है। भावी विनिर्माण श्रेणी के अंतर्गत वर्ष 2018 के लिए शुरू की गई परियोजना इस वर्ष कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 2019 के लिए एमओयू के अंतर्गत अनुमोदित चार फोकस सेक्टर अर्थात डिजिटल परिवर्तन, भावी विनिर्माण, भावी यूटिलिटीज और स्वास्थ्य देखरेख के अंतर्गत परियोजनाएं लांच की जा रही हैं।

- 2017–18 में 4.46 बिलियन अमरीकी डालर के निर्यात की तुलना में 2018–19 में कोरिया को 4.71 बिलियन अमरीकी डालर का निर्यात किया गया, जबकि 2017–18 में 16.36 बिलियन अमरीकी डालर के आयात की तुलना में 2018–19 में 16.75 बिलियन अमरीकी डालर का आयात किया गया है।

iii. जापान :

- दिसंबर 2018 में 5वें जेसीएम का आयोजन किया गया जहां भारत – जापान सीईपीए के अंतर्गत उत्पाद विशिष्ट नियमों में संशोधन को लागू करने के लिए जापान के साथ राजनयिक नोट का आदान प्रदान करने पर सहमति हुई जिससे सुरूमी फिश के निर्यात का मार्ग प्रशस्त हुआ तथा गैर मूल एडिटिव को मूल एडिटिव के रूप में माना जाएगा।

- 2017–18 में 4.7 बिलियन अमरीकी डालर के निर्यात की तुलना में 2018–19 में जापान को 4.9 बिलियन अमरीकी डालर का निर्यात किया गया, जबकि 2017–18 में 10.97 बिलियन अमरीकी डालर के आयात की तुलना में 2018–19 में 12.77 बिलियन अमरीकी डालर का आयात किया गया है।

iv. ताइवान :

- हमारे कारोबारी समुदायों के बीच व्यापार वार्ता को सुगम बनाने के लिए आईटीपीओ तथा टीएआईटीआरए के बीच जनवरी 2018 में हस्ताक्षरित एमओयू के कार्यान्वयन के अंग के रूप में टीएआईटीआरए ने भारत में नई दिल्ली में अपना चौथा कार्यालय खोला। दूसरे ताइवान एक्सपो 2019 का आयोजन 14 से 16 मई 2019 के दौरान प्रगति मैदान, नई दिल्ली में सफलतापूर्वक हुआ। आईटीपीओ ने जून 2019 में आयोजित फूड ताइपेई ताइवान में भाग लिया।

- वित्त वर्ष 2018–19 में ताइवान को हमारा निर्यात वित्त वर्ष 2017–18 में 2.1 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में बढ़कर 2.6 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। वर्ष 2018–19 में ताइवान से हमारा आयात बढ़कर 4.57 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया, जबकि 2017–18 में 3.9 बिलियन अमरीकी डॉलर का आयात किया गया था।

- ताइवान के साथ व्यापार पर कार्य समूह (डब्ल्यूजीटी) की 5वीं बैठक 20 दिसंबर, 2019 को नई दिल्ली में हुई।

II. दक्षिण एशिया और ईरान के साथ व्यापार

दक्षिण एशिया और ईरान

दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। दक्षिण एशिया के साथ भारत के व्यापार का मूल्य 2018–19 में 29.71 बिलियन अमरीकी डालर था जबकि 2017–18 में यह 26.30 बिलियन अमरीकी डालर था जो 12.95 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। 2018–19 के लिए दक्षिण एशिया क्षेत्र के अंदर भारत के कुल निर्यात का मूल्य 25.35 बिलियन अमरीकी डालर था तथा दक्षिण एशिया के अन्य देशों से भारत के कुल आयात का मूल्य 4.36 बिलियन अमरीकी डालर था। नेपाल और भूटान के लिए भारत सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है जबकि भारत के लिए दक्षिण एशिया में बंगलादेश सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है जिसके बाद नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान और मालदीव का स्थान है। दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार की एक प्रमुख विशेषता यह है कि दक्षिण एशिया के सभी देशों के साथ व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में काफी झुका है।

2018–19 के दौरान, निर्यात में इंजीनियरिंग उत्पादों का हिस्सा सबसे अधिक था जिसका मूल्य 8.57 बिलियन अमरीकी डालर था तथा दक्षिण एशिया को कुल निर्यात में लगभग 34 प्रतिशत का योगदान किया – मुख्य रूप से परिवहन उत्पाद – वाहन, एयरक्राफ्ट आदि (निर्यात का 12.66 प्रतिशत), बेस मेटल (निर्यात का 10.70 प्रतिशत) और मशीनरी का (निर्यात का 9.81 प्रतिशत) योगदान है। बेस मेटल में अधिकांशतः लोहा एवं इस्पात, लोहा एवं इस्पात के उत्पाद तथा एल्युमिनियम एवं उनकी वस्तुऐं शामिल थीं। निर्यात की दूसरी प्रमुख श्रेणी खनिज उत्पाद (ज्यादातर पेट्रोलियम उत्पाद) थी जिसने 4.66 बिलियन अमरीकी डालर के मूल्य पर कुल निर्यात में 18.40 प्रतिशत का योगदान किया। दक्षिण एशिया के देशों जैसे कि बांग्लादेश एवं श्रीलंका में 4.18 बिलियन अमरीकी डालर (कुल निर्यात का 16.5 प्रतिशत) के मूल्य पर टेक्सटाइल और टेक्सटाइल की वस्तुओं के निर्यात में कॉटन, कॉटन / सिंथेटिक यार्न एवं फाइबर, मेडअप के रूप में लगभग पूर्णतः कच्चा माल एवं इंटरमीडिएट शामिल थे जो मुख्यतः टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए थे। निर्यात की अन्य प्रमुख श्रेणियों में रसायन एवं संबद्ध उत्पाद – मुख्यतः जैविक रसायन तथा फर्मास्युटिकल उत्पाद शामिल थे जिनका कुल निर्यात में योगदान 10.72 प्रतिशत था। कुल निर्यात में कृषि उत्पादों जैसे कि वनस्पति उत्पादों, पशु उत्पादों तथा पशु एवं वनस्पति वसा तथा निर्मित फूड

स्टफ का मूल्य 3.3 डालर अर्थात 12.66 प्रतिशत था तथा निर्यात की ासमती चावल, ऑयल मील, ताजी सब्जियां, मस थे।

2018–19 में दक्षिण में इंजीनियरिंग उत्पादों का बड़ा हिस्सा था तथा की डालर के कुल निर्यात पर इसका शेयर 30.34 न उत्पादों का शेयर सबसे अधिक (कुल आया था 2017–18 में 113.86 मिलियन अमरीकी 18– में 789.50 मिलियन अमरीकी डालर हो से श्रीलंका और बांग्लादेश से ड्रिलिंग प्लेटफ प्लेन के अधिक आयात के कारण थी। 1.18 नर मूल्य के आयात के साथ कृषि क्षेत्र ने 27.1 र आयात में योगदान करने वाला दूसरा सबसे वनस्पति उत्पादों के आयात का शेयर सबसे अ फल, साले, चाय, तिल और दालें शामिल थीं। श्रेणियों में वस्त्र एवं वस्त्र के उत्पाद (868.31 मि , आयात का 19.90 प्रतिशत) और खनिज उत्प अमरीकी डालर, आयात का 10.85 प्रतिशत) भिन वस्त्र के निर्यात की प्रकृति विविधतापूर्ण ल और निर्मित उत्पाद दोनों शामिल थे और मु न के रेडीमेड गारमेंट, वूलन यार्न, मानव निर्मि पास, कच्चा जूट और जूट उत्पाद शामिल थे रने वाले अन्य प्रमुख उत्पादों में प्लास्टिक एवं यनिक उत्पाद, वुड पल्प के उत्पाद, कच्ची खा मिल थे।

अफगानिस्तान

दोनों देशों के बीच सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लि और भारत के बीच सामरिक साझेदारी करार व के स्तर पर दोनों देशों के वाणिज्य एवं उद्यो ापार, वाणिज्य एवं निवेश पर एक संयुक्त कार्य म कर रहा है। जेडब्ल्यूजी की तीसरी बैठक अ में हुई जहां द्विपक्षीय व्यापार तथा संपर्क से र र्चा हुई। बैठक में चर्चा के फलस्वरूप अफग र्माकोपिया को मान्यता प्रदान करने के लिए र अफगानिस्तान को भारतीय फर्मास्युटिकल उ होने की उम्मीद है।

बांग्लादेश

भारत और बांग्ल व्यापार करार में व्यापार एवं आर्थिक सहयोग हैं पर यह एक देश से दूसरे देश में उत्पादों व तरजीही टैरिफ निर्धारित नहीं करता है। शराब 25 टैरिफ लाइनों को छोड़कर

इसके अलावा भूटान के अनुरोध पर प्रासंगिक घरेलू विनियमों के अधीन 4 नए स्थानों अर्थात जयगांव, चमुर्ची, हाथीसर और दारंग को शामिल करके भूटान से खाद्य वस्तुओं तथा पादप एवं पादप उत्पादों का निर्यात सुगम बनाया गया है।

नेपाल

भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय व्यापार भारत – नेपाल व्यापार संधि द्वारा अभिशासित होता है जिसे पिछली बार 27 अक्टूबर 2016 को 7 साल की अगली अवधि के लिए नवीकृत किया गया। संधि के तहत भारत ने तंबाकू, परफ्यूम तथा कास्मेटिक एवं अल्कोहल से संबंधित कुछ उत्पादों को छोड़कर नेपाल से आयात किए जाने वाले लगभग सभी उत्पादों को ड्यूटी फ्री एक्सेस प्रदान किया है। नेपाल से चार उत्पादों अर्थात वानस्पतिक वसा, एक्रिलिक यार्न, कॉपर के उत्पादों तथा जिंक आक्साइड के आयात पर कुछ टैरिफ रेट कोटा लागू है। दोनों देश व्यापार संधि की व्यापक समीक्षा करने के लिए सहमत हुए हैं। समीक्षा के लिए तीसरी बैठक सितंबर 2019 में हुई जहां संधि के पाठ में अपेक्षित मुद्दों तथा समवर्ती प्रभारों की पहचान की गई।

भारत अपने भूभाग से नेपाल को भेजे जाने वाले तीसरे देश के माल तथा तीसरे देश को नेपाली माल के निर्यात के पारगमन की भी अनुमति प्रदान करता है, जो भारत – नेपाल पारगमन संधि द्वारा अभिशासित होता है। इस संधि के तहत एक निश्चित प्रक्रिया के तहत निर्धारित मार्गों के माध्यम से माल का पारगमन होता है। जनवरी 2020 में पारगमन संधि का नवीकरण आसन्न होने को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों ने मौजूदा संधि के प्रावधानों पर चर्चा की, समीक्षा किया और बल्क कार्गो के मूवमेंट के लिए अतिरिक्त स्थानों को शामिल करने तथा परिवहन के एक अतिरिक्त माध्यम के रूप में इनलैंड वाटर वे को शामिल करने के संबंध में पहले सहमत परिवर्तनों से संबंधित संशोधनों को शामिल करने के बाद नवीकृत संधि के पाठ को अंतिम रूप दिया गया परंतु पाठ में अभी तक शामिल नहीं किया गया है।

द्विपक्षीय व्यापार, पारगमन से संबंधित मुद्दों तथा अनधिकृत व्यापार से संबंधित मुद्दों की समीक्षा के लिए एक द्विपक्षीय तंत्र के रूप में दोनों देशों के बीच वाणिज्य सचिवों के स्तर पर एक अंतर्सरकारी समिति (आईजीसी) काम करती है। अंतर्सरकारी समिति के अलावा संयुक्त सचिव के स्तर पर एक एक अंतर्सरकारी उप समिति (आईजीएससी) भी काम करती है। पिछली बैठकों में चिह्नित कार्यबिंदुओं पर अनुवर्तन किया गया और सब्जियों, ताजे फलों आदि के भारतीय निर्यात के लिए बाजार पहुंच से संबंधित मुद्दों को समाधान के लिए नेपाल के साथ उठाया गया।

द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास किए गए। आईपीआर के उल्लंघन के रूप में भारतीय निर्यात को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों, फर्मास्युटिकल निर्यात के लिए बाजार पहुंच के मुद्दों, निर्यात आय की वसूली से संबंधित मुद्दों, भारतीय उत्पादों पर अधिक टैरिफ, एचएस 2017 में परिवर्तन के कारण वर्गीकरण के मुद्दों आदि पर समाधान के लिए अनुवर्तन किया गया। द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय व्यापार करारों के अंतर्गत नेपाल से उत्पादों का आयात बढ़ाने से संबंधित मुद्दों की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है तथा नेपाली प्राधिकारियों एवं भारत की ओर से संबंधित प्राधिकारियों के साथ अनुवर्तन किया जा रहा है।

दोनों पक्ष व्यापार अवसंरचना एवं संपर्क में सुधार के लिए अनेक परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं जिसमें भारत – नेपाल सीमा पर एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) का विकास शामिल है। रक्सौल और जोगबनी में आईसीपी क्रियाशील हो चुके हैं तथा व्यापार की मात्रा सहित अनेक कारकों के आधार पर ऐसे विकास के लिए अन्य स्थानों की पहचान की गई है।

श्रीलंका

भारत – श्रीलंका मुक्त व्यापार करार (आईएसएफटीए) 1 मार्च 2000 से प्रचालन में है। इस करार के तहत दोनों देश एक दूसरे की नकारात्मक सूची में शामिल मदों को छोड़कर एक निर्धारित समय सीमा के अंदर एक दूसरे के लिए व्यापार टैरिफों को धीरे धीरे समाप्त करने के लिए सहमत हैं। भारत ने कुछ टैरिफ लाइनों जिन पर 25 प्रतिशत ड्यूटी रियायत प्रदान की जाती है, को छोड़कर लगभग सभी टैरिफ लाइनों के लिए ड्यूटी फ्री एक्सेस प्रदान की है तथा लगभग 429 उत्पाद ऐसे हैं जिन पर कोई रियायत नहीं दी जाती है। श्रीलंका से परिधान, चाय, काली मिर्च, नारियल बूरा तथा वनस्पति, बेकरी शार्टेनिंग एवं मार्जरीन के आयात पर भारत द्वारा टैरिफ रेट कोटा निर्धारित किया गया है। आईएसएलएफटीए के तहत श्रीलंका ने 1180 उत्पादों को छोड़कर लगभग सभी उत्पादों के लिए ड्यूटी फ्री एक्सेस प्रदान किया है, जिन पर आईएसएलएफटीए के तहत कोई टैरिफ रियायत प्रदान नहीं की गई है।

दोनों देश प्रस्तावित आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी संयोग करार (ईटीसीए) के माध्यम से विस्तृत आर्थिक भागीदारी पर चर्चा कर रहे हैं। प्रस्तावित आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग करार में माल में व्यापार के अलावा सेवाओं में व्यापार, निवेश तथा आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग शामिल होंगे। पाठ आधारित वार्ता प्रगति पर है।

व्यापार से संबंधित अन्य मुद्दों, जो उभरते हैं, का समाधान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

ईरान

इस समय ईरान के साथ कोई द्विपक्षीय व्यापार करार नहीं है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वाणिज्य सचिव के स्तर पर भारत में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा ईरान के उद्योग, खान एवं व्यापार मंत्रालय के बीच एक संयुक्त कार्य समूह काम कर रहा है। संयुक्त कार्य समूह की पिछली बैठक में दोनों पक्ष तरजीही व्यापार करार (पीटीए) के लिए पाठ आधारित वार्ता शुरू करने के लिए सहमत हुए। प्रस्तावित पीटीए के लिए पाठ आधारित वार्ता चल रही है।

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के फलस्वरूप भारत – ईरान द्विपक्षीय व्यापार को प्रभावित करने वाली नई चुनौतियों के समाधान की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं।

पाकिस्तान

भारत और पाकिस्तान के बीच कोई द्विपक्षीय करार नहीं है। द्विपक्षीय व्यापार मुख्य रूप से दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र करार (साफ्टा) के तहत होता है। पिछले कुछ समय में व्यापार से संबंधित मुद्दों पर कोई द्विपक्षीय बैठक नहीं हुई है। सरकार द्वारा पाकिस्तान से उत्पन्न या पाकिस्तान से आयातित सभी उत्पादों पर 200 प्रतिशत का शुल्क लगाया गया है।

भारत से पाकिस्तान द्वारा उत्पादों के आयात पर कतिपय उत्पादों के निषेध के रूप में प्रतिबंध तथा पोर्ट प्रतिबंध पहले से ही मौजूद थे। अगस्त 2019 में पाकिस्तान द्वारा भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार पूरी तरह निलंबित कर दिया गया। इसके बाद सितंबर 2019 में भारत के साथ कुछ फर्मास्युटिकल उत्पादों में व्यापार के लिए आंशिक छूट प्रदान की गई है।

मालदीव

भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोनों देशों के बीच व्यापार करार के माध्यम से सुगम बनाया जा रहा है। इस करार में दूसरे देश में उत्पादों के आयात के लिए किसी तरजीही टैरिफ का प्रावधान नहीं है और यह द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए केवल सुगमता तंत्र है।

इस करार के प्रावधानों के तहत भारत मालदीव को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराता है। इस प्रयोजनार्थ संगत अधिसूचनाएं मई, 2019 में प्रोसेस की गईं और जारी की गईं।

III. अफ्रीका के साथ व्यापार

उप सहारा अफ्रीका क्षेत्र के साथ कुल द्विपक्षीय पण व्यापार जो 2015–16 में 49.22 बिलियन अमरीकी डॉलर का था अब बढ़कर 2018–19 में 58.05 बिलियन अमरीकी डॉलर पर पहुंच गया जो इस अवधि के दौरान 17.94 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। 2019–20 (अप्रैल से नवंबर) के दौरान अफ्रीका क्षेत्र के साथ हमारा व्यापार 37.98 मिलियन अमरीकी डालर था जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान यह 38.81 मिलियन अमरीकी डालर था।

भारत – मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग एवं साझेदारी करार (सीईसीपीए)

प्रस्तावित भारत – मारीशस आर्थिक सहयोग एवं साझेदारी करार (सीईसीपीए) माल में व्यापार और सेवाओं में व्यापार के क्षेत्र में दोनों देशों के परस्पर लाभ के लिए है। अब तक भारत – मारीशस सीईसीपीए वार्ता के 7 चक्रों का आयोजन हो चुका है। 7वें चक्र का आयोजन 19 से 23 नवंबर, 2018 के दौरान मारीशस में हुआ था। इन चक्रों के दौरान माल में व्यापार, सेवाओं में व्यापार, उत्पत्ति के नियम, व्यापार से जुड़ी तकनीकी बाधाओं तथा सेनेट्री एवं फाइटो सेनेट्री (एसपीएस) उपाय, व्यापार निदान तथा विवाद समाधान आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। माल में व्यापार तथा सेवाओं में व्यापार के लिए भारत – मारीशस सीईसीपीए वार्ता पूरी हो गई है। करार पर अंतिम निर्णय होने वाला है।

भारत – केन्या संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी)

माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा उनके केन्याई समकक्ष महामहिम श्री पीटर मुन्या, मंत्रिमंडल सचिव (मंत्री), उद्योग, व्यापार एवं सहकारिता मंत्रालय, केन्या गणराज्य सरकार की सह अध्यक्षता में 19–20 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में भारत – केन्या संयुक्त व्यापार समिति की 9वीं बैठक हुई।

बैठक के दौरान एमएसएमई, कृषि, आईसीटी, पर्यटन, मानकों का प्रशासन, उच्च शिक्षा में मानव संसाधन का विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, निवेश संवर्धन एवं संरक्षण, हवाई सेवाएं, ऊर्जा, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, फार्मास्युटिकल्स, तेल एवं गैस, स्वास्थ्य, उत्प्रवासन, आटोमोबाइल तथा अन्य इंजीनियरिंग उत्पाद जैसे क्षेत्रों पर चर्चा हुई। फार्मास्युटिकल के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई। केन्या में भारतीय फर्माकोपिया को मान्यता प्रदान करने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई।

कपास तकनीकी सहायता कार्यक्रम (सी–टीएपी) का शुभारंभ

7 अक्टूबर 2019 को जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन द्वारा आयोजित विश्व कपास दिवस के अवसर पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने 11 अफ्रीकी देशों में सीटीएटी का दूसरा चरण शुरू करने की घोषणा की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कपास क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाना, प्रतिभागी देशों में फसलोत्तर एवं पादप उपोत्पाद उद्योग में सुधार लाना और कपास आधारित टेक्सटाइल क्षेत्र की क्षमता का निर्माण करना है। विभाग इस समय हितधारकों जैसे कि लाभार्थी देशों में भारतीय मिशन, विदेश मंत्रालय, भारत में कपास अनुसंधान एवं क्षमता निर्माण की गतिविधियों में शामिल संस्थानों के परामर्श से कार्यान्वयन योजनाओं पर काम कर रहा है।

भारत – नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी)

भारत – नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति की पहली बैठक 19–20 दिसंबर 2019 के दौरान नई दिल्ली में हुई थी। बैठक के दौरान, दोनो पक्षों ने दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया तथा वे लघु एवं मध्यम उद्यम, तेल एवं प्राकृतिक गैस, मानव संसाधन विकास, विद्युत, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र आदि जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। नाइजीरिया द्वारा भारतीय फर्माकोपिया को मान्यता प्रदान करने के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

भारत – अफ्रीका परियोजना साझेदारी पर क्षेत्रीय गोष्ठी

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) के साथ संयुक्त रूप से 14–15 अक्टूबर 2019 को लुसाका, जांबिया में भारत और दक्षिणी अफ्रीका परियोजना साझेदारी पर क्षेत्रीय गोष्ठी का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अंश इस प्रकार हैं :

17 देशों से 250 से अधिक व्यवसाय प्रतिनिधियों के साथ तंजानिया, जांबिया और जिंबाब्वे से मंत्री स्तरीय भागीदारी ने अग्रणी भारतीय कंपनियों से 50 से अधिक वरिष्ठ प्रतिनिधियों को इस क्षेत्र के साथ अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए व्यापार एवं निवेश के नए अवसरों पर चर्चा करने के लिए उत्कृष्ट मंच प्रदान किया।

इस गोष्ठी के दौरान अतिरिक्त समय में जिंबाब्वे, तंजानिया और जांबिया के व्यापार मंत्रियों के साथ माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री की द्विपक्षीय बैठकों का आयोजन किया गया जिसमें कृषि, फर्मास्युटिकल क्षेत्र आदि में व्यापार, निवेश एवं सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई।

गोष्ठी ने भारतीय तथा दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय (एसएडीसी जो 16 सदस्यीय संगठन है) के बीच विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाने के लिए नए विचारों एवं रणनीतियों पर भी ध्यान केन्द्रित किया।

भारतीय और अफ्रीकी व्यवसाय प्रतिनिधियों के बीच 50 से अधिक बी2बी बैठकों में भी परियोजना निर्यात में विभिन्न अवसरों पर चर्चा हुई।

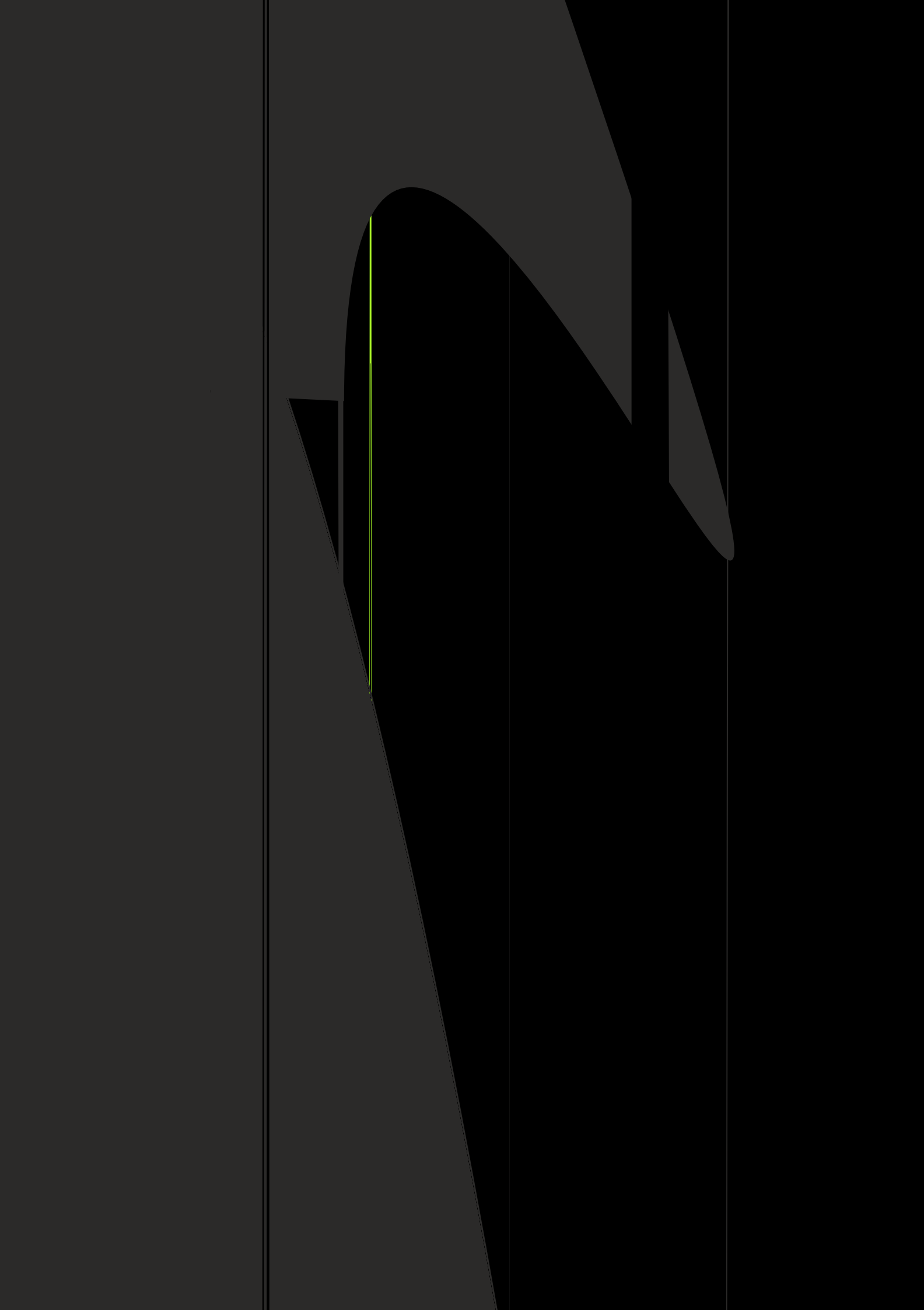

व्यापार 2007–08 में केवल 10.45 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2018–19 में 30.29 बिलियन अमरीकी डॉलर पर पहुंच गया जो इस अवधि में 189.86 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। 2019–20 (अप्रैल से सितंबर) के दौरान एलएसी क्षेत्र के साथ हमारा व्यापार 12,871.14 मिलियन अमरीकी डालर था जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान यह 16,013.01 मिलियन अमरीकी डालर था।

2018–19 के दौरान निर्यात और आयात क्रमशः 3.03 प्रतिशत और 3. 26 प्रतिशत होने के साथ एलएसी क्षेत्र के साथ हमारा द्विपक्षीय व्यापार भारत के कुल वैश्विक व्यापार का 3.17 प्रतिशत था।

एलएसी के परिप्रेक्ष्य से भारत के साथ व्यापार का अंश 2018 के दौरान एलएसी क्षेत्र के वैश्विक व्यापार के केवल 1.65 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है (आईटीसी ट्रेड मैप के आंकड़ों के अनुसार)।

एलएसी देशों में ब्राजील, वेनेजुएला, पेरू, अर्जेंटीना, चिली, कोलंबिया, बोलीविया डोमिनिक गणराज्य, एक्वाडोर और ग्वाटेमाला हमारे प्रमुख व्यापार साझेदार हैं। पिछले 10 वर्षों के दौरान एल ए सी देशों के साथ भारत के व्यापार, वर्तमान रुझानों तथा निर्यात / आयात की शीर्ष 10 वस्तुओं (पिछले 2 वर्षों के लिए) का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

वर्ष	एलएसी को भारत का निर्यात	निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत	एलएसी क्षेत्र से भारत का आयात	आयात में वृद्धि का प्रतिशत	शेष व्यापार संतुलन	कुल व्यापार
2007-08	5,081.66	36.24	5,368.62	0.53	-286.95	10,450.28
2008-09	5,513.04	8.49	8,240.44	53.49	-2,727.40	13,753.48
2009-10	5,614.40	1.84	9,356.30	13.54	-3,741.90	14,970.70
2010-11	9,324.48	66.08	13,042.52	39.40	-3,718.03	22,367.00
2011-12	12,276.85	31.66	16,178.56	24.04	-3,901.70	28,455.41
2012-13	13,518.03	10.11	27,497.09	69.96	-13,979.07	41,015.12
2013-14	10,791.60	-20.17	28,128.07	2.29	-17,336.47	38,919.68
2014-15	11,528.43	6.83	26,951.76	-4.18	-15,423.33	38,480.19
2015-16	7,530.85	-34.68	17,691.79	-34.36	-10,160.94	25,222.63
2016-17	7,230.97	-3.98	17,290.63	-2.27	-10,059.67	24,521.60
2017-18	8,611.61	19.09	20,723.48	19.85	-12,111.87	29,335.09
2018-19	9,740.72	13.11	20,547.11	-0.85	-10,806.39	30,287.84
2019-20 (अप्रैल - नवम्बर)	6551.99	2.07	10596.65	-28.17	-4044.66	17148.64

(स्रोत : डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता)

(क) 2017–18 और 2018–19 के दौरान एलएसी क्षेत्र को भारत से निर्यात की शीर्ष 10 वस्तुए

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

क्र. सं.	वस्तु	2017-2018	2018-2019	वृद्धि का प्रतिशत	हिस्सा प्रतिशत में
1	ड्रग फार्मुलेशन, जैविक	723.01	868.23	20.08	8.91
2	कृषि रसायन	542.64	820.46	51.2	8.42
3	मोटर वाहन / कार	831.11	731.48	-11.99	7.51
4	मानव निर्मित धागे, फेब्रिक , मेडअप	562.47	564.2	0.31	5.79
5	आटो कंपोनेंट / पुर्जे	410.25	482.55	17.62	4.95
6	पेट्रोलियम उत्पाद	66.44	416.66	527.11	4.28
7	टू एवं थ्री व्हीलर	433.56	416.6	-3.91	4.28
8	अवशिष्ट टरासायनिक एवं संबद्ध उत्पाद	192.14	333.47	73.56	3.42
9	लोहा एवं इस्पात के उत्पाद	208.86	328.76	57.41	3.38
10	लोहा एवं इस्पात	388.86	285.62	-26.55	2.93
11	थोक औषधियां, औषधि मध्यवर्ती	250.73	284.68	13.54	2.92

(स्रोत : डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता)

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

क्र. सं.	वस्तु	2017-2018	2018-2019	वृद्धि का प्रतिशत	हिस्सा प्रतिशत में
12	कॉटन यार्न	270.81	265.95	-1.8	2.73
13	डाई	216.72	247.27	14.1	2.54
14	प्लास्टिक की कच्ची सामग्री	235.56	244.23	3.68	2.51
15	कार्बनिक रसायन	250.16	243.07	-2.83	2.50
16	एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के उत्पाद	198.38	200.18	0.91	2.06
17	कॉटन फे ब्रिक मेडअप आदि	147.67	188.54	27.67	1.94
18	औद्योगिक डेयरी आदि के लिए मशीनरी सहित	188.44	184.31	-2.19	1.89
19	साजो-सामान सहित कॉटन के रेडिमेड गारमेंट	141.46	151.4	7.03	1.55
20	मानव निर्मित फेब्रिक के रेडिमेड गारमेंट	167.34	144.94	-13.38	1.49
	एलएसी क्षेत्र से 20 शीर्ष वस्तुओं के निर्यात का जोड़	6,426.61	7,402.61	15.19	76.00
	एलएसी क्षेत्र को कुल निर्यात	8,611.44	9,740.65	13.11	100.00

(स्रोत : डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता)

(ख) 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान एलएसी क्षेत्र से भारत द्वारा आयात की शीर्ष 10 वस्तुएं

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

क्र. सं.	वस्तु	2017-2018	2018.2019	वृद्धि का प्रतिशत	हिस् सा प्रतिशत में
1	पेट्रोलियम : कच्चा	7,480.67	9,395.31	25.59	45.73
2	सोना	3,583.07	4,534.80	26.56	22.07
3	वनस्पति तेल	2,641.17	2,182.04	-17.38	10.62
4	थोक खनिज एवं अयस्क	2,776.23	1,215.55	-56.22	5.92
5	चीनी	919.7	436.35	-52.56	2.12
6	अन्य लकड़ी तथा लकड़ी के उत्पाद	337.27	311.43	-7.66	1.52
7	कोयला, कोक एवं ब्रेकेट आदि	197.22	208.7	5.82	1.02
8	पेट्रोलियम उत्पाद	45.52	206.18	352.94	1.00
9	लोहा एवं इस्पात	332.06	175.68	-47.09	0.86
10	लौह अयस्क	190.06	147.81	-22.23	0.72
11	प्लास्टिक की कच्ची सामग्री	145.35	137.29	-5.54	0.67
12	कार्बनिक रसायन	125.15	119.91	-4.19	0.58
13	अवशिष्ट रासायनिक एवं संबद्ध उत्पाद	83.12	98.53	18.54	0.48
14	ताजे फल चा	54.65	100.43	83.77	0.49
15	लुग्दी एवं अपशिष्ट कागज	118.32	92.9	-21.49	0.45
16	अजैविक रसायन	96.13	87.02	-9.48	0.42
17	अन्य वस्तुएं	83.72	82.73	-1.18	0.40

(i) भारत – ब्राजील व्यापार निगरानी तंत्र (टीएमएम) : भारत और ब्राजील के बीच यह तंत्र व्यापार एवं निवेश से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करने और समाधान करने के लिए मंच के रूप में काम करता है। भारत – ब्राजील व्यापार निगरानी तंत्र (टीएमएम) की चौथी बैठक 30 सितंबर, 2016 को ब्राजीलिया में हुई थी। बैठक में अन्य बातों के साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों से जुड़े व्यापार एवं निवेश से संबंधित बकाया मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने अनेक द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की जो दोनों देशों के बीच व्यापार में रुकावट बन रहे हैं। टीएमएम की पांचवीं बैठक 24 जनवरी, 2020 को नई दिल्ली में हुई।

(ii) भारत – एक्वाडोर संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति (जेटको) : 19 अप्रैल 2013 को क्योतो में भारत और एक्वाडोर के बीच आर्थिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित रूपरेखा के अंदर भारत और एक्वाडोर ने परस्पर लाभ के आधार पर व्यापार, आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 7 अक्टूबर 2015 को संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति (जेटको) की स्थापना की है। जेटको की पहली बैठक 17 मई 2017 को ग्वयाकिल, एक्वाडोर में हुई थी। दोनों पक्षों ने व्यापार से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की तथा वे एक तरजीही व्यापार करार करने की संभावना का पता लगाने के लिए भी सहमत हुए। व्यापार करार की संभावना का पता लगाने के लिए दोनों पक्षों की एजेंसियों ने संयुक्त अध्ययन रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया है तथा 23 अक्टूबर 2019 को प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(iii) भारत – कोलंबिया संयुक्त व्यवसाय विकास सहयोग समिति (जेसीबीडीसी) : भारत और कोलंबिया ने 30 अप्रैल 2010 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जिसने भारत की ओर से वाणिज्य सचिव और कोलंबिया की ओर से उद्यमिता विकास उप मंत्री के नेतृत्व में संयुक्त व्यवसाय विकास सहयोग समिति (जेसीबीडीसी) का गठन किया। बैठकें दो वर्ष में एक बार वैकल्पिक रूप से भारत और कोलंबिया में आयोजित होती हैं। अब तक जेसीबीडीसी की तीन बैठकें हो चुकी हैं। तीसरी बैठक 19 मई 2017 को बगोटा, कोलंबिया में हुई। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश के मुद्दों तथा द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा की। दोनों पक्ष केवल माल को शामिल करते हुए आंशिक कार्यक्षेत्र व्यापार करने की संभावना का पता लगाने के लिए भी राजी हुए हैं। व्यापार करार की संभावना का पता लगाने के लिए संयुक्त अध्ययन के विचारार्थ विषयों को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा अध्ययन चल रहा है। जेसीबीडीसी की अगली बैठक नई दिल्ली में होनी है।

(ख) यात्राएं

I) राष्ट्रपति की एलएसी देशों की यात्रा

भारत के माननीय राष्ट्रपति ने 19 से 22 जून 2018 के दौरान सुरीनाम और क्यूबा तथा 29 मार्च 2019 और 1 अप्रैल 2019 को बोलिविया एवं चिली का दौरा किया। माननीय राष्ट्रपति ने 28 से 30 मार्च 2019 के दौरान बोलिविया तथा 30 मार्च से 1 मार्च 2019 के दौरान चिली का भी दौरा किया। एलएसी क्षेत्र के इन देशों का राष्ट्रपति द्वारा दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसने व्यापार एवं निवेश सहित सभी क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंध को सुदृढ़ किया है।

ii) उप राष्ट्रपति की एलएसी देशों की यात्रा

भारत के माननीय उप राष्ट्रपति ने 6 से 11 मई 2018 के दौरान ग्वाटेमाला, पनामा और पेरू तथा 5 से 9 मार्च 2019 के दौरान पराग्वे और कोस्टारिका का दौरा किया। यह उप राष्ट्रपति द्वारा पराग्वे और कोस्टारिका का भारत की ओर से पहला उच्च स्तरीय दौरा था। उपराष्ट्रपति द्वारा इन देशों के दौरे का प्रयोजन एलएसी क्षेत्र के महत्वपूर्ण देशों की पहुंच को आगे बढ़ाना था तथा इसने निवेश एवं व्यापार सहित हमारे द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान की।

iii) वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री का कैरीबियन देशों का दौरा

वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री ने 23 से 28 अप्रैल 2018 के दौरान सेंट किट्स और नेविस तथा एंटीगुआ और बर्बूडा का दौरा किया। यह यात्रा भारत सरकार की विशेष आउटरीच पहल का भाग थी। इस यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को विस्तृत एवं गहन करने की रूपरेखा प्रदान की तथा यह संदेश प्रदान करने का अवसर प्रदान किया कि भारत कैरीबियन देशों के साथ स्थायी संबंध स्थापित करने का इच्छुक है।

(ग) भारत – मरकोसुर पीटीए

भारत ने 25 जनवरी 2004 को 4 मूल सदस्यों (अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे और उरुग्वे) के साथ एक तरजीही व्यापार करार (पीटीए) पर 5 अनुबंधों के साथ हस्ताक्षर किए, जो 1 जून 2009 से प्रभावी हुआ। विद्यमान तरजीही व्यापार करार में भारत ने 450 टैरिफ लाइनों पर मार्जिन ऑफ प्रेफरेंस (एम ओ पी) की पेशकश की है तथा मर्कोसुर ने 452 टैरिफ लाइनों पर एम ओ पी की पेशकश की है। विस्तार के लिए विद्यमान भारत – मर्कोसुर तरजीही व्यापार करार पर चर्चा की जा रही है क्योंकि संपूरकताओं का पता लगाने तथा द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि से लाभ उठाने के लिए भारत और मर्कोसुर के लिए प्रचुर संभावना मौजूद है।

(घ) भारत – चिली पीटीए

20 जनवरी 2005 को हस्ताक्षरित रूपरेखा करार के अनुवर्तन के रूप में 8 मार्च 2006 को भारत – चिली तरजीही व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए गए जो चिली में 17 अगस्त 2007 से और भारत में 11 सितंबर 2007 को प्रभावी हुआ। इस तरजीही व्यापार करार के तहत भारत और चिली ने 8 डिजिट स्तर पर क्रमशः 178 और 296 टैरिफ लाइनों पर मार्जिन ऑफ प्रेफरेंस (एमओपी) की पेशकश की है। भारत – चिली तरजीही व्यापार करार के विस्तार पर करार पर 6 सितंबर, 2016 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर के साथ भारत – चिली तरजीही व्यापार करार का विस्तार किया गया तथा यह 16 मई, 2017 से प्रभावी हुआ है।

30 अप्रैल 2019 को नई दिल्ली में आयोजित भारत – चिली पीटीए के अंतर्गत जेएसी की दूसरी बैठक के दौरान विस्तारित पीटीए के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई तथा पीटीए के अग्रेतर विस्तार के लिए जेएसी द्वारा सिफारिश की गई। दोनों पक्ष पीटीए का पुनः विस्तार करने के लिए राजी हुए जिसके लिए 10 और 11 दिसंबर 2019 के दौरान नई दिल्ली में वार्ता के पहले चक्र का आयोजन किया गया।

(ड़) प्रशांत गठबंधन के साथ भागीदारी

वर्ष 2013 में गठित प्रशांत गठबंधन एक महत्वपूर्ण एवं उभरता व्यापार ब्लाक है जिसमें मैक्सिको, कोलंबिया, पेरू और चिली शामिल हैं। प्रशांत गठबंधन ने फरवरी, 2014 में भारत को 'प्रेक्षक का दर्जा' प्रदान

डाटा का स्रोत : डीजीसीआईएंडएस

सीआईएस के साथ व्यापार

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

वर्ष	निर्यात	आयात	कुल व्यापार	कुल व्यापार में वृद्धि (प्रतिशत में)	व्यापार संतुलन
2016-2017	2793.95	9322.76	12116.71	27.95	(-)6528.83
2017-2018	3007.37	12875.59	15882.96	31.08	(-)9868.24
2018-2019	3467.04	9442.97	12910.02	-18.72	(-)5975.93
2019-2020 (अप्रैल - नवंबर) (अनंतिम)	2749.64	7402.03	10151.67		(-)4652.39

डाटा का स्रोत : डीजीसीआईएंडएस

2018–2019 के दौरान सीआईएस क्षेत्र का भारत के कुल निर्यात में हिस्सा 1.05 प्रतिशत और इसके कुल आयात में इसका हिस्सा 1.84 प्रतिशत था। पिछले वर्ष की तुलना में 2018–19 में कुल व्यापार में 18. 72 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

सीआईएस क्षेत्र को निर्यात की जाने वाली प्रधान वस्तुओं में शामिल हैं : फर्मास्युटिकल उत्पाद, टेलीकाम इंस्ट्रूमेंट, रसायन एवं संबद्ध उत्पाद, समुद्री उत्पाद, डेयरी के लिए औद्योगिक मशीनरी, चाय, कॉफी, लोहा एवं इस्पात, गैर निर्मित तंबाकू तथा बल्क ड्रग एवं इंटरमीडिएट आदि। एलएसी क्षेत्र से भारत में आयात की महत्वपूर्ण मदों में शामिल हैं : पेट्रोलियम क्रूड, वनस्पति तेल, बहुमूल्य या अर्ध बहुमूल्य पत्थर, कोक, कोयला और ब्रिकेट, परियोजना माल, चांदी, निर्मित उर्वरक, लोहा एवं इस्पात, न्यूज प्रिंट तथा प्लास्टिक की कच्ची सामग्री आदि।

रुसी परिसंघ :

रूसी परिसंघ, जिसमें पूर्व यूएसएसआर का एक बड़ा हिस्सा शामिल है, इस क्षेत्र में भारत का सबसे महत्वपूर्ण व्यापार साझेदार बना हुआ है तथा 2019–2020 (अप्रैल – नवंबर) (अनंतिम) में सीआईएस क्षेत्र के साथ भारत के कुल व्यापार में इसका हिस्सा 63.12 प्रतिशत के आसपास था। अंतर्सरकारी आयोग (आईजीसी) के रूप में भारत और रूसी परिसंघ के रूप में एक संस्थानिक तंत्र है जहां व्यापार एवं आर्थिक सहयोग से संबंधित सभी मामलों पर चर्चा की जाती है। इस आईजीसी के लिए विदेश मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। भारत और रूसी परिसंघ के बीच व्यापार एवं आर्थिक सहयोग पर एक संयुक्त कार्य समूह तथा व्यापार, आर्थिक एवं निवेश के क्षेत्रों में बाधाओं को दूर करने पर एक उप कार्य समूह भी है।

मध्य एशियाई गणराज्य

कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एवं उजबेकिस्तान मध्य एशियाई गणराज्य हैं। वाणिज्य विभाग किर्गीस्तान, ताजिकिस्तान तथा उजबेकिस्तान के साथ अंतः सरकारी आयोग (आईजीसी) के लिए नोडल विभाग है। वाणिज्य विभाग ने भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच व्यापार एवं आर्थिक सहयोग पर एक नए संयुक्त कार्य समूह का गठन करने का प्रस्ताव किया है। तुर्कमेनिस्तान के साथ आईजीसी के मामलों की देखरेख करने के लिए विदेश मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। कजाकिस्तान के साथ आईजीसी के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय नोडल मंत्रालय है।

अन्य सीआईएस देश

अन्य 6 सी आई एस देश अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारुस, जार्जिया, मालदोवा और यूक्रेन हैं। रूस के बाद, यूक्रेन सीआईएस क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है तथा 2019–2020 (अप्रैल से नवंबर) (अनंतिम) में सीआईएस क्षेत्र के साथ भारत के कुल व्यापार में इसका हिस्सा तकरीबन 15.74 प्रतिशत है।

वाणिज्य विभाग अजरबैजान के साथ अंतर सरकारी आयोग (आई जी सी) के लिए नोडल विभाग है।

औद्योगिक एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) भारत – बेलारूस अंतर सरकारी आयोग (आईजीसी) के लिए नोडल विभाग है।

अर्मेनिया, जार्जिया और यूक्रेन के साथ अंतर्सरकारी आयोग (आईजीसी) के मामलों की देखरेख के लिए विदेश मंत्रालय नोडल मंत्रालय है।

मालदोवा के साथ एक नए अंतर्सरकारी आयोग के गठन के लिए विदेश मंत्रालय के परामर्श से प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

वाणिज्य विभाग ने अर्मेनिया और बेलारूस के साथ व्यापार एवं आर्थिक सहयोग पर एक नए संयुक्त कार्य समूह का गठन करने का प्रस्ताव किया है। तद्नुसार, जार्जिया के साथ व्यापार एवं आर्थिक सहयोग पर एक नए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया गया है।

सीआईएस क्षेत्र में प्रमुख पहलें

यूरेशियाई आर्थिक संघ (ईएईयू) के साथ व्यापार करार के लिए वार्ता शुरू करना : ईएईयू में 5 देश अर्थात रूस, कजाकिस्तान, बेलारूस, अर्मेनिया और किर्गिस्तान शामिल हैं। माल में व्यापार को शामिल करते हुए इस व्यापार करार के लिए वार्ता यथासमय आरंभ होगी।

जार्जिया के साथ मुक्त व्यापार करार (एफटीए) शुरू करना : भारत और जार्जिया के बीच मुक्त व्यापार करार की संभावना पर संयुक्त संभाव्यता अध्ययन (जेएफएस) रिपोर्ट अगस्त 2018 में पूरी हो गई है। दोनों पक्षों द्वारा जेएफएस रिपोर्ट के निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया गया है तथा 11 जनवरी 2019 को मुक्त व्यापार करार के लिए वार्ता शुरू करने के लिए प्रोटोकॉल पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए गए। वार्ता यथा समय आरंभ होगी।

उजबेकिस्तान के साथ पीटीए के लिए संयुक्त संभाव्यता अध्ययन (जेएफएस) : द्विपक्षीय व्यापार की संभावना को ध्यान में रखते हुए तथा भारत – उजबेकिस्तान अंतर्सरकारी आयोग के 11वें सत्र के प्रोटोकॉल की सिफारिशों के अनुसरण में भारत तथा उजबेकिस्तान गणराज्य के बीच तरजीही व्यापार करार (पीटीए) की संभावना का पता लगाने के लिए संयुक्त संभाव्यता अध्ययन (जेएफएस) आरंभ करने के लिए एक संयुक्त वक्तव्य पर ताशकंद में 25 सितंबर 2019 को हस्ताक्षर किए गए। यह अध्ययन भारत की ओर से क्षेत्रीय व्यापार केन्द्र (सीआरटी), भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी), नई दिल्ली को सौंपा गया है तथा यथासमय पूरा होगा। सीआरटी के साथ साझेदारी के लिए उजबेक संगठन का ब्यौरा मांगा गया है। जेएफएस के पूर्ण हो जाने पर दोनों देशों की संबंधित सरकारों के अनुमोदन से पीटीए के लिए वार्ता शुरू की जा सकती है।

भारत और रूसी परिसंघ के बीच संयुक्त कार्य रणनीति : भारत और रूसी परिसंघ के बीच 2025 तक 30 बिलियन अमरीकी डालर के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा गया है। उपर्युक्त लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) और आल रसियन ट्रेड अकादमी द्वारा एक संयुक्त कार्य रणनीति तैयार की गई है। 4–5 सितंबर 2019 को व्लाडीवोस्टक, रूसी परिसंघ में आयोजित भारत – रूस वार्षिक शिखर बैठक के दौरान यह संयुक्त कार्य रणनीति अंगीकृत की गई है। संयुक्त रणनीति के अनुसरण में कार्रवाई की जा रही है।

व्यापार एवं आर्थिक सहयोग पर भारत – किर्गिस्तान रोड मैप : भारत के माननीय प्रधानमंत्री की किर्गिज गणराज्य की यात्रा के दौरान 14 जून 2019 को 5 साल की अवधि (2019–2024) के लिए किर्गिज गणराज्य तथा भारत गणराज्य के बीच व्यापार एवं आर्थिक सहयोग पर रोड मैप अंगीकृत किया गया है। रोड मैप की निर्धारित रेखाओं पर कार्रवाई की जा रही है।

VII. उत्तरी अमरीकी मुक्त व्यापार करार (नाफ्टा) के देशों के साथ व्यापार

1994 में उत्तरी अमरीकी मुक्त व्यापार करार (नाफ्टा) प्रभावी हुआ जिससे विश्व के सबसे बड़े मुक्त व्यापार क्षेत्रों में से एक का सृजन हुआ जिसमें संयुक्त राज्य अमरीका (यू एस ए), कनाडा और मैक्सिको शामिल हैं। नाफ्टा के देशों के साथ भारत की मजबूत सामरिक साझेदारी है तथा द्विपक्षीय संबंध हमेशा घनिष्ठ, गर्मजोशीपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण रहे हैं। इन देशों के साथ नियमित रूप से उच्च स्तर पर दौरे हो रहे हैं तथा दोनों पक्षों के नेताओं ने सामरिक साझेदारी का विस्तार करने एवं गहन करने तथा मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार बढ़ाने का संकल्प किया है। पिछले कुछ वर्षों में माल एवं सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार ने उल्लेखनीय प्रगति का प्रदर्शन किया है। यूएसए के साथ भारत का पण व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है, जबकि मेक्सिको और कनाडा के साथ घाटे में है। पिछले 6 वर्षों के लिए माल में भारत के द्विपक्षीय व्यापार (निर्यात और आयात) के संबंध में आंकड़े :

देश		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20* (अप्रैल - दिसंबर)
कनाडा	निर्यात	2,038	2,196	2,019	2,004	2,506	2,851.42	2136.81
	आयात	*3,148*	*3,749*	*4,234*	*4,132*	*4,729*	3,515.41	3223.14
	कुल व्यापार	**5,186**	**5,945**	**6,253**	**6,136**	**7,235**	**6,367.00**	**5,359.95**
मैक्सिको	निर्यात	2,228	2,862	2,865	3,461	3,783	3,841.57	2,810.78
	आयात	*3,672*	*3,393*	*2,283*	*2,944*	*3,930*	5,577.03	3,138.81
	कुल व्यापार	**5,900**	**6,255**	**5,148**	**6,405**	**7,713**	**9,419**	**5950**
यूएसए	निर्यात	39,158	42,464	40,340	42,217	47,882	52,406.27	40,355.37
	आयात	*22,505*	*21,815*	*21,781*	*22,307*	*26,611*	35,549.48	27,671.02
	कुल व्यापार	**61,663**	**64,279**	**62,121**	**64,524**	**74,493**	**87,956**	**68,026**
नाफ्टा के देशों के साथ कुल व्यापार	निर्यात	43,424	47,522	45,224	47,682	54,171	59,099	45303
	आयात	*29,325*	*28,957*	*28,298*	*29,383*	*35,270*	44,642	34033
	कुल व्यापार	**72,749**	**76,479**	**73,522**	**77,065**	**89,441**	**1,03,741**	**79336**
विश्व के साथ भारत का कुल व्यापार	निर्यात	3,14,405	3,10,338	2,62,291	2,75,852	3,03,526	3,30,078	2,38,916
	आयात	*4,50,200*	*4,48,033*	*3,81,008*	*3,84,357*	*4,65,581*	*5,14,078*	*3,61,946*
	कुल व्यापार	**7,64,605**	**7,58,372**	**6,43,299**	**6,60,209**	**7,69,107**	**8,44,156**	**6,00,862**
भारत के कुल व्यापार में नाफ्टा के देशों के साथ व्यापार का शेयर (प्रतिशत में)		**9.51**	**10.08**	**11.43**	**11.67**	**11.63**	**12.28** प्रतिशत	**13.20** प्रतिशत
भारत के कुल निर्यात में नाफ्टा के देशों को निर्यात का शेयर (प्रतिशत में)		**13.81**	**15.31**	**17.24**	**17.29**	**17.85**	**17.90** प्रतिशत	**18.96** प्रतिशत

नाफ्टा के देशों के साथ सेवाओं में विस्तार में भी व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है। नाफ्टा के तीन देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने तथा उनका समाधान करने के उद्देश्य से निम्नलिखित संस्थानिक तंत्र स्थापित किए गए हैं

यूएसए

भारत और यूएसए के बीच व्यापार एवं निवेश के संवर्धन के लिए मुख्य रूप से दो संस्थानिक तंत्र हैं।

भारत – यूएस वाणिज्यिक वार्ता : व्यापक श्रेणी के आर्थिक क्षेत्रों में व्यापार को सुगम बनाने और निवेश के अवसरों को अधिकतम करने के लिए यूएसए के वाणिज्य विभाग तथा भारत के वाणिज्य विभाग के बीच एक संस्थानिक करार के रूप में 23 मार्च 2000 को भारत – यूएसए वाणिज्यिक वार्ता (सीडी) पर हस्ताक्षर किए गए। 2015 में वाणिज्यिक वार्ता तथा सामरिक वार्ता का विलय करके सामरिक एवं वाणिज्यिक वार्ता (एस एण्ड सीडी) का निर्माण किया गया है तथा भारत और संयुक्त राज्य के बीच पहली सामरिक एवं वाणिज्यिक वार्ता सितंबर 2015 में वाशिंगटन डीसी में हुई तथा भारत और संयुक्त राज्य के बीच दूसरी सामरिक एवं वाणिज्यिक वार्ता अगस्त 2016 में नई दिल्ली में हुई। भारत – यू एस मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सी ई ओ) फोरम एक जैविक कड़ी है जो सामरिक एवं वाणिज्यिक वार्ता के एजेंडा का मार्गदर्शन करता है। व्यापार एवं वाणिज्यिक संबंधों पर अधिक फोकस को सुगम बनाने के लिए वाणिज्यिक वार्ता को अब सामरिक एवं वाणिज्यिक वार्ता से अलग कर दिया गया है तथा व्यापार नीति मंच एवं वाणिज्यिक वार्ता के तहत देखे जाने वाले विषयों की द्विरावृत्ति एवं ओवरलैपिंग से बचने के लिए इसका पुनर्गठन किया गया है।

वाणिज्यिक वार्ता के पहले सत्र का आयोजन अक्टूबर 2017 में वाशिंगटन डी सी में हुआ। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्य मंत्री श्री विलबर रोस ने अमेरिकी शिष्

सीईपीए वार्ता की शुरुआत तथा सितंबर 2010 में भारत – कनाडा संयुक्त अध्ययन रिपोर्ट के विमोचन के बाद नवंबर 2010 में नई दिल्ली में औपचारिक रूप से शुरुआत। करार के तहत वस्तुओं का व्यापार, सेवाओं का व्यापार, उद्गम के नियम, स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी उपाय, व्यापार से जुड़ी तकनीकी बाधाएं तथा आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्र शामिल हैं।

अब तक वार्ता के 10 चक्रों का आयोजन हो चुका है तथा पिछले चक्र का आयोजन अगस्त 2017 में नई दिल्ली, भारत में हुआ था, जिसके बाद फरवरी 2018 में एक अंतर्सत्रीय बैठक का आयोजन किया गया। 10वें के दौरान 5 अध्यायों पर चर्चा हुई तथा दोनों पक्षों ने वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए अपनी मजबूत प्रतिबद्धता व्यक्त की ताकि जल्दी से निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके।

मैक्सिको

भारत – मैक्सिको बीएचएलजी : व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग पर एक द्विपक्षीय उच्च स्तरीय समूह (बीएचएलजी) के गठन के लिए भारत के तत्कालीन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा मैक्सिको के वित्त मंत्री द्वारा नई दिल्ली में 21 मई 2007 को भारत और मैक्सिको के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस द्विपक्षीय उच्च स्तरीय समूह के कार्यों में मुख्य रुप से द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना, वाणिज्यिक, आर्थिक, तकनीकी एवं अन्य संबंधित क्षेत्र में संपर्क बनाए रखना तथा सूचना का आदान–प्रदान करना शामिल है। बीएचएलजी के तहत 6 कार्य समूहों का गठन किया गया है– (i) व्यापार संवर्धन (ii) निवेश संवर्धन (अवसंरचना सहित) (iii) सीमा शुल्क सहयोग (iv) सेवा संवर्धन (v) पर्यटन संवर्धन और (vi) निजी क्षेत्र (रासायनिक–फार्मा, वस्त्र एवं जैव ईंधन क्षेत्र) की सहभागिता से औद्योगिक संवाद। भारत – मेक्सिको द्विपक्षीय उच्च स्तरीय समूह की चौथी बैठक 2016 में मैक्सिको में हुई थी।

बीएचएलजी ने दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्युटिकल, पर्यटन आदि जैसे क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने में साझेदारियों के लिए संभावनाओं एवं व्यापार से संबंधित अनेक मुद्दों पर भागीदारी में मदद की। जून 2017 में आयोजित संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने 2016 में आयोजित चौथे भारत – मैक्सिको बीएचएलजी के अनुवर्तन के रूप में 'आर्थिक एवं व्यापार के मुद्दों पर उप आयोग' के तहत व्यापार एवं वाणिज्य के मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश प्रवाह को बढ़ावा देने, द्विपक्षीय व्यवसाय संवर्धन, एसएमई सहयोग तथा व्यापार सांख्यिकी एवं सेवाओं के क्षेत्रों में सूचना के आदान प्रदान के लिए इनवेस्ट इंडिया प्रो मैक्सिको के बीच घनिष्ठ सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता को दोहराया।

VIII. ओसियाना क्षेत्र के साथ व्यापार

ओसियाना क्षेत्र के साथ व्यापार

एफटी (ओसियाना) प्रभाग आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा 12 प्रशांत द्वीपीय लघु विकासशील देशों (पी एस आई डी एस) जैसे कि फिजी, पपुआ न्यू गीनिया, किरबाती, माइक्रोनेशिया, मार्शल द्वीप, नौरू, पलाऊ, समोया, सोलोमोन द्वीप, टोंगा, तुवालू और वनुआतू के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार संबंधों का काम देखता है।

ओसियाना क्षेत्र में भारत की व्यापार की प्रमुख गतिविधियां निम्नलिखित हैं :

(I) आस्ट्रेलिया

(क) भारत – आस्ट्रेलिया सीईसीए वार्ता

भारत माल, सेवा, निवेश में व्यापार तथा संबद्ध मुद्दों को शामिल करते हुए व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) पर वार्ता कर रहा है। अब तक वार्ता के नौ दौर आयोजित हो चुके हैं। पहली बैठक जुलाई 2011 में हुई थी तथा आखिरी बैठक अर्थात 9वीं बैठक 21 से 23 सितंबर 2015 के दौरान नई दिल्ली में हुई थी।

(ख) भारत – आस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग (जेएमसी) की बैठक

भारत – आस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग (जेएमसी) की पिछली 15वीं बैठक 25 जून 2018 को कैनबरा, आस्ट्रेलिया में हुई थी। बैठक के लिए एजेंडा में अन्य बातों के साथ भारतीय आर्थिक रणनीति, दोनों देशों के बीच दोतरफा व्यापार एवं निवेश बढ़ाने के तरीकों तथा दोनों देशों की रुचि के कुछ उत्पादों में परस्पर बाजार पहुंच के मुद्दों पर प्रस्तुति शामिल थी। बैठक के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक आस्ट्रेड (आस्ट्रेलियाई व्यापार एवं निवेश आयोग या आस्ट्रेड आस्ट्रेलियाई सरकार की व्यापार, निवेश एवं शिक्षा संवर्धन एजेंसी है) तथा इनवेस्ट इंडिया (जो भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एवं सुगमता एजेंसी है) के बीच अधिक सहयोग करने के लिए निर्णय था जिसका चर्मोत्कर्ष द्विपक्षीय निवेश प्रवाह को सुगम बनाने के लिए 22 नवंबर 2018 को उनके बीच एमओयू पर हस्ताक्षर के रूप में हुआ। इसके अलावा सीआईआई को सरकार द्वारा द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए 'भारत – आस्ट्रेलिया आर्थिक रणनीति' तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रिपोर्ट शीघ्र जारी की जा सकती है।

(ii) न्यूजीलैंड

भारत – न्यूजीलैंड सी ई सी ए वार्ता : भारत माल, सेवा, निवेश में व्यापार तथा संबद्ध मुद्दों को शामिल करते हुए व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) पर वार्ता कर रहा है। अभी तक वार्ताओं के दस दौर आयोजित हो चुके हैं। पहली बैठक अप्रैल 2010 में हुई थी तथा नवीनतम बैठक अर्थात 10वीं बैठक 17 और 18 फरवरी 2015 को नई दिल्ली में हुई थी।

IX. यूरोप के साथ व्यापार

एफओ – यूरोप प्रभाग यूरोप के निम्नलिखित देशों के साथ व्यापार संबंधों का काम देखता है :

क्र. सं.	क्षेत्र और देश[illegible] संख्या	
1.	यूरोप संघ (ईयू) (28)	आस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, [illegible] डेनमार्क, इस्तोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, [illegible] लात्विया, लिथुआनिया, लक्जम्बर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगा[illegible] रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, यूनाइटेड किंगड[illegible]
2.	यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) (4) :	आइसलैंड, लेचिस्टीन, नार्वे और स्विटजरलैंड
3.	अन्य यूरोपीय देशों (6):	अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मैसेडोनिया, सर्बिया तथा मोंटेने[illegible] तुर्की

*यूके ने 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय संघ छोड़ने की योजना बनाई है।

2019–20 (अप्रैल – दिसंबर) के दौरान यूरोप के साथ कुल द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 100.39 बिलियन अमरीकी डालर था। 2018–19 (अप्रैल से दिसंबर) में 47.34 बिलियन अमरीकी डालर के निर्यात की तुलना में 2019–20 (अप्रैल – दिसंबर) में यूरोप को निर्यात का मूल्य 46.03 बिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.76 प्रतिशत कम है। 2018–19 (अप्रैल से दिसबर) में 61.01 बिलियन

यूरोपीय संघ (ईयू)

28 देशों के गुट के रूप में यूरोपीय संघ भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापार साझेदार है। 2019–20 (अप्रैल – दिसंबर) के दौरान यूरोपीय संघ के साथ कुल द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 79.06 बिलियन अमरीकी डालर था। 2018–19 (अप्रैल से दिसंबर) में 42.13 बिलियन अमरीकी डालर के निर्यात की तुलना में 2019–20 (अप्रैल – दिसंबर) में यूरोपीय संघ को निर्यात का मूल्य 40.78 बिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.22 प्रतिशत कम है। 2018–19 (अप्रैल से दिसंबर) में 44.79 बिलियन अमरीकी डालर के आयात की तुलना में 2019–20 (अप्रैल से दिसंबर) में यूरोपीय संघ को आयात का मूल्य 38. 28 बिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष की तुलना में 14.53 प्रतिशत कम है। (स्रोत : डीजीसीआईएंडएस)

यूरोपीय संघ के साथ भारत के व्यापार में सेनेटरी एवं फाइटो सेनेटरी मानकों, तकनीकी बाधाओं, कोटा / टैरिफ को जटिल प्रणाली, भारतीय उत्पादों के विरुद्ध पाटनरोधी / सब्सिडी रोधी उपायों आदि प्रमाद[illegible] संघ को भारत के निर्यात के लिए बाजार पहु[illegible] नियमित रुप से संयुक्त कार्यों समूहों एवं व्यापार पर [illegible] उठाया जाता है। यूरोप के व्यक्तिगत देशों के साथ व्यापार का [illegible] करने वाले मुद्दों को संयुक्त आयोग के रूप में द्विपक्षीय मंचों में भी उठाया जाता है।

भारत और यूरोपीय संघ के बीच 14वीं वार्षिक शिखर बैठक 6 अक्टूबर 201[illegible] को नई दिल्ली में हुई, जिसका प्रतिनिधित्व माननीय प्रधानमंत्री तथा यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष द्वारा किया गया। भारत – यूरोपीय संघ संयुक्त आयोग द्वारा आधिकारिक स्तर पर भारत – यूरोपीय संघ द्विप[illegible]

सरकारी प्रापण, आईपीआर / जीआई तथा संपोषणीय विकास ट्रैक पर डीबीसी का आयोजन किया गया है। भारत बीटीआईए वार्ता के शीघ्रता से पुनः शुरू होने एवं संतुलित परिणाम के लिए प्रतिबद्ध है।

भारत – ईएफटीए टीईपीए वार्ता

ईएफटीए व्यापार ब्लाक में स्विटजरलैंड, नार्वे, आइसलैंड और लिचेस्टीन शामिल हैं। 2019–20 (अप्रैल – दिसंबर) के दौरान ईएफटीए के साथ कुल द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 15.66 बिलियन अमरीकी डालर था। 2018–19 (अप्रैल से दिसंबर) में 1.07 बिलियन अमरीकी डालर के निर्यात की तुलना में 2019–20 (अप्रैल से दिसंबर) में ईएफटीए को निर्यात का मूल्य 1.26 बिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष की तुलना में 18.12 प्रतिशत अधिक है। 2018–19 (अप्रैल से दिसंबर) में 14.46 बिलियन अमरीकी डालर के आयात की तुलना में 2019–20 (अप्रैल से दिसंबर) में ईएफटीए से आयात का मूल्य 14.40 बिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.44 प्रतिशत कम है। (स्रोत : डीजीसीआईएंडएस)

भारत और इएफटीए ने अक्टूबर 2008 में व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी करार (टीईपीए) पर वार्ता शुरू की थी। 14 ट्रैकों / अध्यायों अर्थात सरकारी प्रापण, विवाद समाधान, प्रतियोगिता, व्यापार सुगमता, निवेश, संपोषणीय विकास, सेनिट्री एवं फाइटो सेनिट्री उपाय, व्यापार की तकनीकी बाधाओं, व्यापार निदान, माल में व्यापार, सेवाओं में व्यापार, उत्पत्ति के नियम, विधिक एवं क्षैतिज प्रावधानों तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों पर वार्ता हुई जिन्हें दोनों पक्षों ने समयबद्ध ढंग से हल करने का संकल्प किया। अब तक 17 दौर की वार्ता हो चुकी है। पिछले दौर की वार्ता 18 से 21 सितंबर, 2017 के दौरान हुई थी। इसके बाद, डिजिटल वीडियो कन्फ्रेंस के माध्यम से अक्टूबर – दिसंबर 2018 और अक्टूबर – नवंबर 2019 के दौरान विभिन्न बकाया मुद्दों अर्थात उत्पत्ति के नियम, माल में व्यापार, वस्तु में व्यापार, आईपीआर और एसबीएस / टीबीटी आदि पर मुख्य वार्ताकारों तथा संबंधित ट्रैक लीड के स्तर पर चर्चा का हुई। भारत ईएफटीए देशों के साथ संतुलित एवं परस्पर लाभप्रद करार के लिए प्रतिबद्ध है।

अन्य यूरोपीय देश

2019–20 (अप्रैल – दिसंबर) के दौरान अन्य यूरोपीय देशों के साथ कुल द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 5.66 बिलियन अमरीकी डालर था। 2018–19 (अप्रैल से दिसंबर) में 4.13 बिलियन अमरीकी डालर के निर्यात की तुलना में 2019–20 (अप्रैल – दिसंबर) में अन्य यूरोपीय देशों को निर्यात का मूल्य 3.11 बिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.51 प्रतिशत कम है। साथ ही, 2018–19 (अप्रैल से दिसंबर) में 1.75 बिलियन अमरीकी डालर के आयात की तुलना में 2019–20 (अप्रैल से दिसंबर) में आयात का मूल्य 1.67 बिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.25 प्रतिशत कम है। (स्रोत : डीजीसीआईएंडएस)

संस्थागत तंत्र

अनेक यूरोपीय देशों अर्थात यूके, फ्रांस, स्पेन, इटली, पुर्तगाल, बेल्जियम – लग्जमबर्ग, स्विटजरलैंड, चेक गणराज्य, स्लोवाक गणराज्य, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, आस्ट्रिया, बुल्गारिया, बोस्निया एवं हर्जेगोविना, साइप्रस, फिनलैंड, ग्रीक, रोमानिया, नार्वे और तुर्की और यूरोपीय संघ के साथ भारत ने संस्थानिक तंत्र स्थापित किए हैं।

संयुक्त आयोग की बैठकें

संयुक्त आयोग की बैठकों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	संयुक्त आयोग	सह अध्यक्ष	स्थान और तिथि
1	व्यापार पर भारत - यूरोपीय संघ उप आयोग	भारत की ओर से सुश्री निधि मणि त्रिपाठी, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग और यूरोपीय संघ की ओर से श्री पीटर बर्ज, कार्यकारी निदेशक, व्यापार महानिदेशालय	ब्रुसेल्स 4 जुलाई, 2019
2	भारत - यूके संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति की 13वीं बैठक	श्री पीयूष गोयल, माननीय रेल तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा माननीय डॉ. लियाम फॉक्स एमपी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री	लंदन, 15 जुलाई, 2019
3	भारत तथा बेल्जियम - लग्जमबर्ग आर्थिक संघ (बीएलईयू) के बीच संयुक्त आर्थिक आयोग (जेईसी) की 16वीं बैठक	भारत की ओर से श्री अनूप वधावन , सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा बीएलईयू की ओर से राजदूत सुश्री सिलवी लुकास, महासचिव, विदेश एवं यूरोपीय कार्य मंत्रालय, ग्रांड डची ऑफ लग्ज मबर्ग तथा राजदूत सुश्री अनिक वान काल्स्टर , महानिदेशक, द्विपक्षीय मामले, एफपीएस विदेश मामले, विदेश व्यापार एवं विकास सहयोग, किंगडम ऑफ बेल्जियम।	नई दिल्ली, 17 सितंबर 2019

क्र. सं.	संयुक्त आयोग	सह अध्यक्ष	स्थान और तिथि
4	भारत - फिनलैंड संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक	सुश्री निधि मणि त्रिपाठी, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग तथा सुश्री पिरीटा असुनमा , महानिदेशक, अमरीका और एशिया विभाग, विदेश मंत्रालय, फिनलैंड	नई दिल्ली 20 से 21 नवंबर, 2019
5	भारत-नार्वे व्यापार एवं निवेश वार्ता का पहला सत्र	सुश्री निधि मणि त्रिपाठी , संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग तथा श्री एरलिंग रिमेस्टैड , महानिदेशक, व्यापार, उद्योग एवं मछली पालन मंत्रालय, नार्वे	नई दिल्ली 15 से -16 जनवरी, 2020

द्विपक्षीय बैठकें :

माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने निम्नलिखित के साथ द्विपक्षीय बैठकें की :

- 15 अक्टूबर 2019 को किंगडम ऑफ नीदरलैंड की विदेश व्यापार एवं विकास सहयोग मंत्री श्रीमती सिगरिड काग के साथ
- 19 नवंबर 2019 के साथ बुल्गारिया की आर्थिक एवं जनांकिक नीति के लिए उप प्रधानमंत्री श्रीमती मर्याना निकोलोवा के साथ
- 21 नवंबर 2019 को फिनलैंड के वित्त एवं रोजगार मंत्री श्री टीमो हराका के साथ
- 3 दिसंबर 2019 को स्वीडन के व्यवसाय, उद्योग एवं नवाचार मंत्री महामहिम इब्राहिम बेयलन के साथ
- 20 नवंबर 2019 को नई दिल्ली में यूरोपीय संघ के राजदूत श्री युगो अस्टूटो के साथ

माननीय राज्य मंत्री (वाणिज्य एवं उद्योग) ने निम्नलिखित के साथ द्विपक्षीय बैठकें की :

- 1 नवंबर 2019 को जर्मनी के संघीय आर्थिक कार्य एवं ऊर्जा मंत्री श्री पीटर अल्टामीर के साथ

अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम :

- माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी के नेतृत्व में एक बड़े बहु क्षेत्रीय व्यापार शिष्टमंडल ने ग्रीक में 7–8 सितंबर 2019 को थेसालोनिकी इंटरनेशनल फेयर 2019 में भाग लिया जिसका आयोजन सीआईआई द्वारा किया गया। भारत की ओर से इस फेयर में आईटीपीओ लीड एजेंसी थी। हेलेनिक गणराज्य के विदेश मंत्रालय तथा विकास एवं निवेश मंत्रालय के साथ मिलकर भारतीय दूतावास, एथेंस ने भारतीय आधिकारिक शिष्टमंडल के लिए माननीय प्रधानमंत्री महामहिम किरियाकोस मित्सोटाकिस के साथ बैठक सहित उच्च स्तरीय बैठकों के एक व्यापक कार्यक्रम की व्यवस्था की। सीआईआई ने ग्रीक और भारत के उद्योगों के बीच साझेदारी एवं सहयोग के लिए स्थायी दिशा का निर्माण करने के उद्देश्य से फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ ग्रीक के साथ एक एमओयू पर भी हस्ताक्षर किया।
- फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) के साथ मिलकर विदेश मंत्रालय द्वारा 20–21 नवंबर 2019 को नई दिल्ली में भारत – यूरोप व्यवसाय फोरम की 5वीं बैठक का आयोजन किया गया। माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने बिजनेस फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोप में आर्थिक विकास का नेतृत्व करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोप विश्व में आर्थिक विकास को गति देने में मदद करने का अवसर भी प्रदान करते हैं।
- माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने लंदन में 9–10 अक्टूबर 2019 के दौरान आयोजित राष्ट्रमंडल देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया जिसमें इस बात पर चर्चा हुई कि सीडब्ल्यू लीडर्स की प्रतिबद्धताओं को साकार करने के लिए सामूहिक रूप से राष्ट्रमंडल किस तरह काम कर सकता है और राष्ट्रमंडल के लिए पूर्ण आर्थिक क्षमता को साकार कर सकता है।

X. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन

विकासशील देशों की डब्ल्यूटीओ मंत्री स्तरीय बैठक, 13–14 मई 2019, नई दिल्ली

- विकासशील देशों के लिए विशेष एवं तरजीही व्यवहार सहित सतत एकपक्षीय उपायों, डब्ल्यूटीओ पर गतिरोध तथा डब्ल्यूटीओ करारों के मुख्य घटकों को कमजोर करने के लिए अनेक देशों द्वारा निर्मित किए जा रहे एकपक्षीय नैरेटिव की पृष्ठभूमि में भारत ने 13–14 मई 2019 को नई दिल्ली में व्यापार मंत्रियों की 2 दिवसीय डब्ल्यूटीओ मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की जिसमें डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक के साथ 16 विकासशील तथा 6 सबसे कम विकसित देशों ने भाग लिया। बैठक के फलस्वरूप एक परिणाम दस्तावेज तैयार किया गया जो विभिन्न क्षेत्रों में विकासशील देशों की प्राथमिकताएं निर्धारित करता है। इसके अलावा इस दस्तावेज में डब्ल्यूटीओ की विवाद समाधान प्रणाली की चुनौतियों को दूर करने की परिकल्पना है।
- बैठक में सदस्यों ने व्यापार के नियम तैयार करने के लिए वैश्विक मंच के रूप में डब्ल्यूटीओ के महत्व की पुष्टि की और वे डब्ल्यूटीओ के उद्देश्यों के अनुरूप एलडीसी सहित विकासशील देशों की विविध आवश्यकताओं के प्रति डब्ल्यूटीओ को अधिक प्रभावी बनाकर उसे सुदृढ़ करने के लिए सामूहिक रूप से काम करने पर सहमत हुए।

डब्ल्यूटीओ सुधार तथा वर्तमान वार्ता की स्थिति

- डब्ल्यूटीओ के सुधार पर वर्षों से चर्चा हो रही है परंतु एकपक्षीय

उपायों तथा प्रतिकारी उपायों, वार्ता के मुख्य क्षेत्रों में गतिरोध और अपीलीय निकाय में गतिरोध के आलोक में सुधार के मुद्दे ने गति पकड़ी है, जो अब डब्ल्यूटीओ के विवाद समाधान तंत्र के लिए चुनौती बन रहा है। इन उपायों की वजह से कुछ सदस्य दृढ़तापूर्वक यह कह रहे हैं कि डब्ल्यूटीओ काम नहीं कर रहा है तथा इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। कुछ सदस्य गैर भेदभाव के सिद्धांतों, सर्वसम्मति के आधार पर निर्णय तथा विकासशील देशों के लिए विशेष एवं तरजीही व्यवहार सहित डब्ल्यूटीओ करारों के मुख्य घटकों को कमजोर करने के लिए एकपक्षीय नैरेटिव का निर्माण करने का प्रयास कर रहे है।

- डब्ल्यूटीओ के संस्थापक सदस्य तथा बहुपक्षवाद के प्रबल समर्थक के रूप में भारत उपर्युक्त मुद्दों के समाधान में अन्य सदस्यों के साथ शामिल है। अन्य विकासशील देशों के साथ सामूहिक रूप से भारत ने डब्ल्यूटीओ की सामान्य परिषद की बैठक में एक पेपर प्रस्तुत किया है जिसमें उन प्राथमिकताओं का उल्लेख किया गया है जिन पर डब्ल्यूटीओ में सुधार करते समय प्राथमिकता से विचार [illegible] आवश्यकता होगी। यह पेपर बहुपक्षीय व्यापार प्रणा[illegible] बनाए रखने, विशेष एवं विभेदक व्यव[illegible] अपीलीय निकाय के संकट का [illegible]इयों का निराकरण करने, अधिदे[illegible] आदि का आह्वान करता है।
- भारत विशेष एवं विभेदक [illegible] बनाए रखने पर बल देता रहा है [illegible]ार प्रणाली में विकासशील देशों के बे[illegible] आवश्यक है। दक्षिण अफ्रीका सहित कु[illegible] इस संबंध में भी निवेदन किया गया है तथ[illegible] निरंतर प्रासंगिकता को उजागर किया गया है
- डब्ल्यूटीओ का 12वां म[illegible] मेलन नूर सुल्तान, कजाकिस्तान जून 2020 में [illegible]ा है। इस सम्मेलन की तैयारी में सदस्य अनेक मु[illegible] कर रहे हैं परंतु उनके दृष्टिकोणों में अभी भी काफी [illegible]जूद है।
- भारत बार बार खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम[illegible] के लिए सार्वजनिक [illegible]डार

एलडीसी सेवा छूट तथा भारत द्वारा अधिसूचित तरजीहों का कार्यान्वयन

- भारत सेवाओं के वैश्विक निर्यात में एलडीसी का शेयर बढ़ाने के परम उद्देश्य के साथ तरजीह प्रदान करने वाले सभी देशों द्वारा एलडीसी सेवा छूट के अंतर्गत प्रदान की गई तरजीहों के सार्थक कार्यान्वयन को सबसे अधिक महत्व देता है।
- भारत ने सितंबर 2015 में एलडीसी की सेवाओं तथा सेवा आपूर्तिकर्ताओं को अपना तरजीही व्यवहार अधिसूचित किया। भारत की अधिसूचना में बाजार पहुंच, तकनीकी सहायता तथा क्षमता निर्माण एवं वीजा से संबंधित उपायों में तरजीही व्यवहार शामिल था। एलडीसी सदस्यों के अनुरोध पर डब्ल्यूटीओ ने अधिसूचित तरजीहों के कार्यान्वयन पर सूचना के आदान प्रदान में सदस्यों को समर्थ बनाते हुए सदस्यों द्वारा अधिसूचित तरजीहों के प्रचालन की समीक्षा के लिए अक्टूबर 2019 में एक समर्पित सत्र का आयोजन किया। इस समीक्षा में एक कार्यशाला (सदस्यों तथा संगत हितधारकों को सेवाओं में व्यापार में एलडीसी की भागीदारी से संबंधित सूचना का आदान प्रदान करने के लिए) और डब्ल्यूटीओ पर सेवाओं में व्यापार के लिए परिषद (सीटीएस) की एक औपचारिक बैठक शामिल थी।
- इन बैठकों के दौरान सदस्यों को इन तरजीहों के कार्यान्वयन के लिए भारत द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में जानकारी प्रदान की गई।
  - भारत डब्ल्यूटीओ का एक मात्र ऐसा देश है जिसने छूट की पूरी अवधि के दौरान भारतीय व्यवसाय एवं रोजगार बीमा के लिए आवेदन करने वाले सभी एलडीसी आवेदकों के लिए एलडीसी सेवा छूट के अंतर्गत वीजा शुल्क से छूट प्रदान करने की प्रतिबद्धता की है। विदेश स्थित भारतीय मिशनों से उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों (2016, 2017 और 2018) के दौरान कुल 48602 एलडीसी आवेदकों ने वीजा शुल्क से छूट का लाभ प्राप्त किया है।
  - भारत ने अधिकांश सेक्टरों के लिए मोड 1 और 2 में पूर्ण प्रतिबद्धताओं तथा मोड 3 के अंतर्गत 100 प्रतिशत विदेशी निवेश के साथ अनेक सेवा क्षेत्रों में बहुत उदार बाजार पहुंच प्रदान करने का भी प्रस्ताव किया। कंप्यूटर तथा संबद्ध सेवाओं में भारत ने इस क्षेत्र में त्वरित प्रौद्योगिकी उन्नति को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त तरजीह का प्रस्ताव किया। इन तरजीहों से तरजीहों की अधिसूचना के बाद एलडीसी से भारत में सेवा निर्यात में काफी वृद्धि हुई है।
  - तकनीकी सहायता तथा क्षमता निर्माण पर प्रस्ताव के संदर्भ में सूचित किया गया कि एलडीसी द्वारा इस तरजीह का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है और तरजीहों की अधिसूचना के बाद पिछले तीन वर्षों में भारत के भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के 10000 से अधिक प्रशिक्षण स्लाट में से लगभग 50 प्रतिशत स्लाट का उपयोग एलडीसी द्वारा किया गया है।
  - इसके अलावा, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा), राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) आदि सहित सेक्टोरल संगठनों द्वारा तरजीही शर्तों पर एलडीसी को तकनीकी सहायता एवं क्षमता निर्माण के अवसर प्रदान करने के लिए प्रयासों पर भी चर्चा हुई।
  - एलडीसी समूह द्वारा तथा डब्ल्यूटीओ के सदस्यों द्वारा इनमें से प्रत्येक उपाय का स्वागत किया गया।

ई–कामर्स पर बहुपक्षीय

- ई–कामर्स पर कार्य कार्यक्रम के अंतर्गत अन्वेषणात्मक एवं गैर वार्ता अधिदेश के साथ 1998 में इलेक्ट्रानिक कामर्स या ई–कामर्स डब्ल्यूटीओ वार्ता में शामिल हुआ। पिछले दो वर्षों में माल, सेवा एवं बौद्धिक संपदा अधिकार को शामिल करते हुए इस विषय के कार्यक्षेत्र एवं परिभाषा पर आम सहमति बनाने के लिए पर्याप्त विचार विमर्श के बगैर ई–कामर्स के सभी पहलुओं पर व्यापक वार्ता शुरू करने के लिए समय से पहले अधिदेश प्राप्त करने के लिए मजबूत प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है।
- तथापि, दिसंबर 2017 में डब्ल्यूटीओ के एमसी11 में विभिन्न देशों के प्रयासों के माध्यम से अन्य बातों के साथ ई–कामर्स पर मौजूदा कार्य कार्यक्रम के गैर वार्ता अधिदेश को जारी रखने का निर्णय लिया गया। बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबद्ध पहलुओं (ट्रिप्स) से संबंधित एक अन्य मोरेटोरियम के बदले में इलेक्ट्रानिक पारेषण पर कस्टम ड्यूटी लगाने पर मौजूदा मोरेटोरियम की अवधि दो साल के लिए बढ़ाई गई। वार्ता में भारत, अफ्रीकी समूह तथा अनेक अन्य विकासशील देशों की राय इन मुद्दों पर समान थी। भारत ई–कामर्स पर कार्य कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा में सक्रिय प्रतिभागी है।
- ई–कामर्स में नियम बनाने के लिए अधिदेश प्राप्त करने के संबंध में विफलता के जवाब में ई–कामर्स पर नियम बनाने के समर्थन में यूएस सहित डब्ल्यूटीओ के लगभग 70 देशों की ओर से एक संयुक्त मंत्री स्तरीय वक्तव्य (जेएमएस) जारी किया गया। भारत जेएमएस में शामिल नहीं हुआ है।
- 2019 में ई–कामर्स पर जेएमएस ग्रुप के अंतर्गत अनेक पाठगत प्रस्ताव रखे गए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ सीमापारीय डाटा प्रवाह, डाटा स्थानीयकरण, डाटा निजता एवं सुरक्षा, आनलाइन उपभोक्ता न्यास, इलेक्ट्रानिक अधिप्रमाणन एवं हस्ताक्षर, पेपरलेस ट्रेडिंग, ई–कामर्स मोरेटोरियम, सोर्स कोड का संरक्षण और डिजिटल उत्पादों का गैर विभेदक व्यवहार सहित व्यापक श्रेणी के मुद्दे शामिल हैं।
- जनवरी 2019 में इलेक्ट्रानिक कामर्स के व्यापार से जुड़े पहलुओं पर डब्ल्यूटीओ वार्ता शुरू करने की मंशा की पुष्टि करते हुए डब्ल्यूटीओ के 76 सदस्यों के समूह द्वारा एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। इस पहल में चीन के शामिल हो जाने के बाद डब्ल्यूटीओ के एक बड़े समूह द्वारा शक्ति का यह प्रदर्शन और महत्वपूर्ण बन गया।
- उल्लेखनीय है कि ई–कामर्स की परिभाषा एवं कार्यक्षेत्र के मुद्दों को बेहतर समझने, इन प्रश्नों का उत्तर तलाशने की कैसे विकासशील देश गहरे क्षेत्रीय ई–कामर्स की अधिभावी बाजार

स्ट्रेंथ और प्रतियोगिता रोधी प्रथाओं के आलोक में समान अवसर सृजित करने के लिए नीति एवं विनियामक लिखतों का प्रयोग कर सकते हैं, वार्ताकारी अधिदेश पर विचार किए जाने से पूर्व कौन सी नीतियां विकासशील देशों को अपने स्वयं के नागरिकों के उद्यमों को प्रतिस्पर्धा में उचित शेयर प्राप्त करने में समर्थ बना सकती हैं और इसके लिए वास्तविक सर्वसम्मति के लिए डब्ल्यूटीओ में ई–कामर्स के कार्य कार्यक्रम के अंतर्गत भारत इस बार अन्वेषणात्मक एवं गैर वार्ता भागीदारी का समर्थन करता है।

चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना (सीएसएसएस)

- सेवा क्षेत्र भारत के जीडीपी एफडीआई अंतःप्रवाह निर्यात और नौकरी सृजन में काफी योगदान करता है। सेवा विकास से विशेष रूप से पिछले दो दशकों में भारत की समग्र विकास दर में वृद्धि हो रही है। सेवा व्यापार का सरप्लस भारत के वस्तु व्यापार के लगभग 50 प्रतिशत घाटे का वित्त पोषण कर रहा है। ऐसी उम्मीद है कि 2025 तक भारत 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की अर्थव्यस्था हो जाएगा और इसमें 3 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर का योगदान सेवा क्षेत्र से होगा।
- संरक्षणवाद की घुसपैठ और लंबी वैश्विक मंदी के आलोक में भारत के सेवा क्षेत्र के स्थायी एवं जीवंत विकास के लिए सघन प्रयासों की आवश्यकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सेवा निर्यात में आईटी एवं आईटीईएस पर निर्भरता अधिक है, सेवा क्षेत्र की विस्तृत रेंज में विविधता लाने की तत्काल आवश्यकता है। विभिन्न सेवा क्षेत्रों की पूर्ण क्षमता का दोहन करने के लिए घरेलू सुधारों सहित सेक्टोरल तथा क्रास कटिंग दोनों मुद्दों का निराकरण करना आवश्यक है।
- भारत के विकास में सेवा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए 'सेवाओं में चैंपियन सेक्टर के लिए कार्य योजना' पर मंत्रिमंडल नोट को 28 फरवरी 2018 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदान की गई जिसके माध्यम से 12 सेवा क्षेत्रों अर्थात आईटी एवं आईटीईएस, पर्यटन एवं अतिथि सत्कार, चिकित्सा मूल्य यात्रा, परिवहन एवं लाजिस्टिक्स सेवा, श्रव्य – दृश्य सेवा, विधिक सेवा, संचार सेवा, निर्माण एवं संबद्ध इंजीनियरिंग सेवा, पर्यावरणीय सेवा, वित्तीय सेवा तथा शिक्षा सेवा की पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के लिए उन पर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया गया। इन सेक्टरों के लिए चिह्नित नोडल मंत्रालयों / विभागों की सेक्टोरल पहलों की सहायता के लिए 5000 करोड़ रुपए की निधि निर्धारित की गई।
- केन्द्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुपालन में चिह्नित नोडल मंत्रालयों / विभागों ने हितधारकों तथा वाणिज्य विभाग के परामर्श से सेक्टोरल योजनाओं के लिए अपना प्रस्ताव तैयार किया। 6 सितंबर 2019 को व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने 6 नोडल मंत्रालयों / विभागों अर्थात मानव संसाधन विकास मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, आयुष मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय तथा इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सीएसएसएस के अंतर्गत सेक्टोरल योजनाओं के लिए 2019–20 से 2023–24 के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित 5000 करोड़ रुपए में से 3369.75 करोड़ रुपए के वित्त पोषण के लिए वाणिज्य विभाग की अंब्रेला योजना अर्थात चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना (सीएसएसएस) के लिए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।
- इसके अलावा, व्यय वित्त समिति के निर्णय के अनुसार 5000 करोड़ रुपए की निर्धारित राशि में से शेष निधियों के लिए नोडल मंत्रालयों / विभागों के विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त किए जाएंगे तथा सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाओं / परियोजनाओं के मूल्यांकन / अनुमोदन के लिए वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन पर मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार जांच समिति द्वारा उनकी सिफारिश की जाएगी तथा मूल्यांकन / अनुमोदन किया जाएगा।
- सीएसएसएस अधिक संभावना वाले सेवा क्षेत्रों में विस्तृत आधार पर विकास को प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इससे भारत को वैश्विक सेवा केन्द्र बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने में मदद मिलेगी।

व्यापार करार

- भारत ने सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान और मलेशिया की सरकारों के साथ सेवाओं में व्यापार सहित व्यापक द्विपक्षीय व्यापार करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। सितंबर 2014 में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन (आसियान) के साथ सेवा एवं निवेश में मुक्त व्यापार करार (एफ टी ए) पर हस्ताक्षर किए गए। यह 1 जुलाई 2015 से प्रभावी हुआ है।
- भारत कनाडा, पैरू, इजराइल, थाईलैंड, यूरोपीय संघ, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ई एफ टी ए), आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका आदि के साथ सेवाओं में व्यापार सहित द्विपक्षीय एफ टी ए वार्ता में भी शामिल है।
- व्यापार साझेदारों की संयुक्त समिति के अंतर्गत गठित संबंधित उप समूहों में भारत – जापान सीईपीए के कार्यान्वयन तथा भारत – कोरिया सीईपीए के उन्नयन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा रही है।
- भारत यूएस–भारत व्यापार नीति मंच (टीपीएफ) के अंतर्गत यूएस और सेवाओं पर भारत–चीन कार्य समूह के अंतर्गत चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार वार्ता में भी शामिल है।

अंतर्राष्ट्रीय मेलों / प्रदर्शनियों के आयोजन के माध्यम से व्यापार संवर्धन

(क) वैश्विक सेवा प्रदर्शनी (जीईएस)

वाणिज्य विभाग सेवा निर्यात संवर्धन परिषद तथा कनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर वैश्विक सेवा प्रदर्शनी (जीईएस) का आयोजन करता है। आज यह भारत के सेवा क्षेत्र की क्षमता को प्रदर्शित करने, वैश्विक स्तर पर सेवा क्षेत्र में सहयोग एवं चर्चा करने के लिए एक बड़े मंच के रूप में स्थापित है। 2015 में आयोजित जीईएस के पहले संस्करण का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। इसके बाद 2016, 2017 और 2018 में जीईएस के तीन संस्करणों का उद्घाटन भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा किया गया।

वैश्विक सेवा प्रदर्शनी (जीईएस) के पिछले चार संस्करणों की सफलता के बाद, वैश्विक सेवा प्रदर्शनी के 5वें संस्करण का आयोजन 26 से 28

के माध्यम से अनेक एजेंसियां शामिल हैं;

- सीमाओं पर गतिविधियों से संबंधित विभिन्न स्वीकृतियों के लिए शुल्कों एवं प्रभारों का सरलीकरण;
- ई–संचित परियोजना के माध्यम से आयात के दस्तावेजों की पेपरलेस फाइलिंग;
- आसानी से पहुंच प्रदान करने के लिए संसाधन सूचना अर्थात आयात / निर्यात के लिए प्रक्रियाओं, कानूनों एवं विनियमों आदि का आनलाइन प्रकाशन;
- ड्यूटी छूट योजना जैसे कि अग्रिम प्राधिकार और ईपीसीजी का पेपरलेस निर्गम; और
- बीमा पश्चात जोखिम प्रबंध लेखा परीक्षा के साथ आयात – निर्यात कोड का प्रणाली द्वारा संचालित निर्गम।
- विभिन्न व्यापार करारों के अंतर्गत तरजीही निर्यात के लिए 'उत्पति प्रमाण पत्र' जारी करने के लिए एकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का विकास।

❖ व्यापार सुगमता के इन सतत प्रयासों ने सीमापारीय व्यापार में भारत के निष्पादन के संकेतकों में काफी सुधार लाने में योगदान किया है जो विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट (डीबीआर) के अनुसार 2015 में 128 से सुधरकर और 2019 में 68 पर पहुंच गया है।

❖ इसके अलावा, इन पहलों ने देश में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के परिवेश में समग्र सुधार लाने में भी योगदान किया है जिसे विश्व बैंक द्वारा भी स्वीकार किया गया है (भारत ने पिछले 5 वर्षों (2014–19) में अपनी रैंक में 79 स्थान का सुधार किया है और इस समय यह 63वें स्थान पर है)।

मानक एवं तकनीकी विनियम

❖ विश्व स्तर पर,टैरिफ घट रहा है तथा औद्योगिक माल पर समग्र वैश्विक औसत आयात वेटेड टैरिफ घटकर 4 प्रतिशत के आसपास रह गया है। चूंकि काफी संख्या में देशों के बीच मुक्त व्यापार करार पर वार्ता चल रही है, औसत वैश्विक टैरिफ दरें और घटेंगी जिससे बाजार पहुंच में टैरिफ की भूमिका कम होगी। हालांकि विश्व के कुछ कोनों में टैरिफ की दीवारों में कुछ उछाल प्रतीत होता है, तकनीकी विनियमों (अनिवार्य मानक) तथा अनुरूपता मूल्यांकन की अनेक प्रक्रियाओं का प्रयोग अधिक बड़े टैरिफ रहे हैं।

❖ भूमंडलीकृत बाजार स्थल में, विश्व व्यापार संगठन के सृजन के बाद भूमंडलीकृत बाजार स्थल में विकासशील देशों के समक्ष प्रमुख चुनौती व्यापार से जुड़ी तकनीकी बाधाओं से निजात पाने और सेनिट्री एवं फाइटो सेनिट्री स्थितियों पर करारों की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए घरेलू क्षमता का अभाव है, जो आज वैश्विक व्यापार प्रणाली के तहत बाजार पहुंच के लिए बुनियादी पूर्वापेक्षाएं हैं। व्यापार से जुड़ी तकनीकी बाधाओं पर डब्ल्यू टी ओ करार (टी बी टी) और सेनेट्री एवं फाइटोसेनेट्री उपायों (एस पी एस) पर करार इस क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण करार हैं।

❖ व्यापार के साथ मानकों और तकनीकी विनियमों का सहक्रियाशील संबंध है। मानकों और तकनीकी विनियमों से व्यापार बढ़ता है क्योंकि मानक सूचनाओं की असममिति, उपभोक्ताओं को सिग्नल की गुणवत्ता कम करते हैं और संभावित व्यापार साझेदारों के लिए एक जैसी भाषा का सृजन करते हैं और इस प्रकार लेनदेन की समग्र लागत को कम करते हैं। तथापि साथ ही वैश्विक व्यापार में गैर टैरिफ बाधाओं (एन टी बी) के रूप में मानकों और तकनीकी विनियमों के प्रभाव पर चिंताएं भी अच्छी तरह से प्रलेखित हैं।

❖ उत्पादों पर मानकों को अनिवार्य करने तथा तकनीकी विनियमों, मानकों, मौसम विज्ञान, अनुरूपता आकलन एवं प्रत्यायन से संबंधित समुचित इको सिस्टम स्थापित करने से घरेलू बाजार को असुरक्षित आयात से पाटने से बचाने में मदद मिलेगी, जो उपभोक्ताओं के साथ साथ घरेलू उद्योग को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।

विनियामक अंतरालों को दूर करने के लिए तकनीकी विनियम (टीआर) अधिसूचित करना

❖ भारत में विनियामक अंतराल को दूर करने के लिए तकनीकी विनियम (टीआर) अधिसूचित करने के बारे में सचिव समिति (सीओएस) के निर्णय के अनुसरण में तथा कोर ग्रुप की समीक्षाओं के माध्यम से अनुवर्तन के रूप में तकनीकी विनियम अधिसूचित करने की गति काफी बढ़ गई है। कमजोर ढंग से परिभाषित विनियमों से परहेज करते हुए, इस संबंध में विश्व व्यापार संगठन के अनुपालन में 'क्या करें और क्या न करें' के बारे में विनियामकों को सूचित किया जाता है। तकनीकी विनियम तैयार करने, अपनाने और लागू करने के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं से तालमेल स्थापित करने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। अधिक कवरेज के लिए बहुउद्देश्यीय विनियम तैयार करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

उच्च स्तरीय सलाहकार समूह (एचएलएजी)

❖ अवसरों का लाभ उठाने, चुनौतियों का समाधान करने तथा समकालीन वैश्विक व्यापार परिदृश्य में नए मुद्दों के बीच आगे की राह तलाशने के बारे में सिफारिशें करने के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा डॉ. सुरजीत भल्ला, निदेशक, आक्सस रिसर्च एंड इनवेस्टमेंट, नई दिल्ली की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय उच्च स्तरीय सलाहकार समूह (एचएलएजी) का गठन किया गया है। अर्थशास्त्र, व्यापार, निधि प्रबंधन तथा विदेश संपर्क के क्षेत्र के प्रख्यात व्यक्ति इस एचएलएजी के सदस्य हैं। रिपोर्ट की अंतिम सिफारिशें 30 अक्टूबर 2019 को माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा जारी की गईं।

मानक गोष्ठी तथा भारतीय राष्ट्रीय मानक रणनीति (आईएनएसएस) दस्तावेज

❖ भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) तथा प्रमाणन निकायों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीसीबी) तथा अन्य ज्ञान साझेदारों के साथ मिलकर वाणिज्य विभाग, भारत सरकार ने 8 और 9 फरवरी 2019 को मुंबई में एक विशेष राष्ट्रीय मानक गोष्ठी का आयोजन किया जहां **भारतीय**

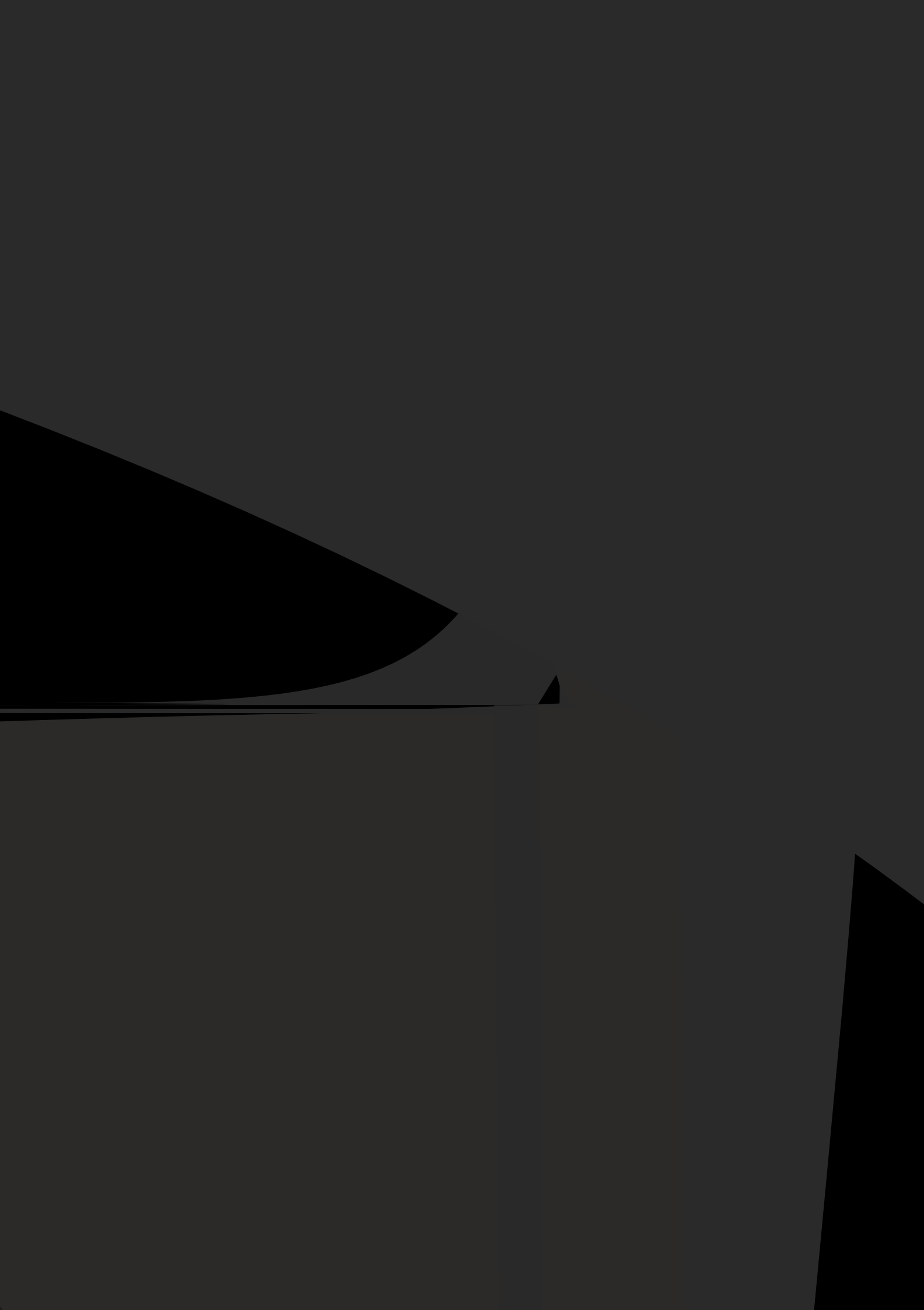

❖ डीएस–436 (भारत के इस्पात उत्पादों पर संयुक्त राज्य द्वारा प्रतिकारी शुल्क) शिकायतकर्ता – भारत

2012 में भारत ने भारत से निर्यातित कुछ इस्पात उत्पादों पर संयुक्त राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिकारी शुल्क को चुनौती दी थी। जुलाई 2014 में पैनल चरण पर और दिसंबर 2014 में अपीलीय चरण पर विवाद समाधान निकाय ने भारत के पक्ष में प्रमुख सिफारिशें की जिसके माध्यम से संयुक्त राज्य को अपने सब्सिडी रोधी कानून में उपयुक्त ढंग से संशोधन करना था। अनुपालन के लिए यूएस को 18 अप्रैल 2016 तक का समय दिया गया था, परंतु यूएस ने अब तक अपने घरेलू कानून में संशोधन नहीं किया है तथा केवल इस बात के लिए सहमत हुआ है कि वे डीएसबी की सिफारिशों के अनुसार अग्रेतर जांच करेंगे। भारत ने यह साबित करने के लिए अनुपालन पैनल की कार्यवाही शुरू की है कि यूएस का अनुपालन डीएसबी की सिफारिशों की तुलना में कम है। 4 अक्टूबर 2019 को पक्षकारों के लिए पैनल की अंतिम रिपोर्ट (जो 15 नवंबर 2019 को डब्ल्यूटीओ के सदस्यों को परिचालित की जानी है) ने कहा कि अपने घरेलू कानून में संशोधन करने में यूएस की विफलता डीएसबी की सिफारिशों से असंगत है। भारत को नुकशान के दावे पर भी जीत हासिल हुई है। यूएस ने डीएसबी के समक्ष अपील दाखिल करने की मंशा दाखिल की है। भारत और यूएस ने डीएसबी के समक्ष एक संयुक्त विज्ञप्ति प्रस्तुत की है कि यूएस अपील के लिए अपना नोटिस और अपीलकर्ता का प्रस्तुतीकरण तब फाइल करेगा जब अपीलीय निकाय का कोई डिविजन स्थापित किया जा सकता है और यह कि भारत को पैनल द्वारा विकसित की गई कानूनी एवं विधिक व्याख्या के मुद्दों पर पैनल की रिपोर्ट के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा तथा उसके पास पैनल की अनुपालन रिपोर्ट का पालन करने के लिए अनुरोध करने का अधिकार भी बना रहेगा। भारत सब्सिडी एवं प्रतिकारी उपायों पर करार तथा गैट 1994 के अंतर्गत लाभों के शून्यकरण या क्षति के कारण यूएस से दावा की जाने वाली प्रतिकार राशि की मात्रा का निर्धारण करने के लिए भी अर्थशास्त्रियों के साथ काम कर रहा है।

❖ डीएस–503 (गैर अप्रवासी वीजा के संबंध में यूएस द्वारा उपाय) शिकायतकर्ता – भारत

भारत ने मार्च 2016 में यूएस के कुछ उपायों को चुनौती दी थी अर्थात (क) गैर अप्रवासी वीजा की श्रेणी एल 1 और एच 1बी के लिए कुछ आवेदकों पर शुल्क में वृद्धि और (ख) एच 1बी वीजा के लिए संख्यात्मक प्रतिबद्धता। इन उपायों के अंतर्गत गैर अप्रवासी वीजा के आवेदकों से कुछ निर्दिष्ट परिस्थितियों में अधिक फाइलिंग शुल्क तथा फ्राड निवारण एवं अनुवेदन शुल्क का भुगतान करने की अपेक्षा है। भारत ने दावा किया कि ये उपाय जीएटीएस तथा सेवाओं की आपूर्ति करने वाले प्राकृतिक व्यक्तियों के मूवमेंट पर अनुलग्नक के प्रावधानों से संगत नहीं हैं। 2016 में यूएस के साथ परामर्श का आयोजन किया गया परंतु इनके माध्यम से विवाद का समाधान नहीं हो सका। भारत उद्योग जगत की सलाह पर इस विवाद में अग्रेतर कार्यवाही नहीं की।

❖ डीएस–510 (यूएस के उप संघीय नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम) शिकायतकर्ता – भारत

भारत ने सितंबर 2016 में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में यूएस की उप संघीय स्तर की 11 योजनाओं को चुनौती दी थी जिनमें घरेलू सामग्री के प्रयोग के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं। भारत ने दावा किया कि ये उपाय गैट 1994 के अनुच्छेद 3 (राष्ट्रीय व्यवहार सिद्धांत), सब्सिडी एवं प्रतिकारी उपायों पर डब्ल्यूटीओ करार (एएससीएम) और व्यापार संबद्ध निवेश उपाय (ट्रिम) के उल्लंघन में हैं। जहां तक अनुच्छेद 3, गैट का संबंध है, 27 जून 2019 को जारी की गई पैनल रिपोर्ट ने भारत के पक्ष में निर्णय दिया। तथापि, यूएस ने पैनल की रिपोर्ट के विरुद्ध अपील की है। भारत ने भी क्रास अपील दाखिल की है।

❖ डीएस–547 (इस्पात तथा एल्युमिनियम के उत्पादों पर यूएस द्वारा कतिपय उपाय) शिकायतकर्ता – भारत

भारत ने मई 2018 में संयुक्त राज्य व्यापार विस्तार अधिनियम की धारा 232 के अंतर्गत संयुक्त राज्य द्वारा इस्पात पर 25 प्रतिशत और एल्युमिनियम के उत्पादों पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाने के एकपक्षीय उपाय को चुनौती दी है। संयुक्त राज्य ने दावा किया कि ये शुल्क 'सुरक्षा अपवाद' के अंतर्गत लगाए गए हैं परंतु भारत यह मानता है कि ये शुल्क सुरक्षोपायों पर करार के अंतर्गत शामिल सुरक्षोपाय संरक्षणवादी उपाय हैं। पैनल के साथ पहली सारवान बैठक 31 अक्टूबर से 01 नवम्बर 2019 तक हुई जिसके बाद अन्य देशों के लिए 18–19 नवम्बर 2019 को तिसरे पक्षों की बैठक हुई जिन्होंने यूएसके उसी उपाय को चुनौती दी है या इन विवादों में तिसरे पक्ष के अपने अधिकारों को आरक्षित रखा है।

(ग) डब्ल्यूटीओ के अन्य सदस्यों के साथ विवाद

❖ डीएस–518 (भारत – लोहा एवं इस्पात के उत्पादों के आयात पर सुरक्षा के उपाय) शिकायतकर्ता – जापान

जापान ने दिसंबर 2016 में लोहा एवं इस्पात के उत्पादों के आयात पर भारत द्वारा लगाए गए सुरक्षा के उपायों को चुनौती दी थी तथा 3 अप्रैल 2017 को पैनल का गठन किया गया। अधिकांश मुद्दों पर जापान के पक्ष में 6 नवंबर 2018 को पैनल की रिपोर्ट परिचालित की गई। चूंकि 13 मार्च 2018 के बाद भारत द्वारा लगाए गए सुरक्षा के उपाय अस्तित्व में नहीं थे, इसलिए पैनल की रिपोर्ट को अंगीकार न करने के लिए भारत के सुझाव पर जापान सहमत नहीं हुआ। विभिन्न व्यवस्थागत एवं विधिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, जो भारत द्वारा भावी सुरक्षोपाय जांच को प्रभावित कर सकते हैं, पैनल की रिपोर्ट के विरुद्ध अपील दाखिल करने का निर्णय लिया गया। भारत ने 14 दिसंबर 2018 को अपील दाखिल की।

❖ डीएस–579, डीएस–580 और डीएस–581 (भारत – चीनी और गन्ना से संबंधित उपाय) – शिकायतकर्ता क्रमशः ब्राजील, आस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला हैं।

घरेलू सहायता के लिए भारत के उपायों तथा भारत के गन्ना किसानों और चीनी उद्योग को प्रदान की गई कथित निर्यात सब्सिडी के विरुद्ध ब्राजील, आस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला द्वारा तीन अलग डब्ल्यूटीओ विवाद दाखिल किए गए हैं। भारत के अनुरोध पर सभी तीन विवादों पर तीन अलग पैनल का गठन किया गया है तथा इससे भारत के पक्ष में निर्णय न होने की स्थिति में अनुपालन के लिए भारत के लिए अधिक समय प्राप्त होगा। शिकायतकर्ताओं ने 16 जनवरी 2020 को पैनल के समक्ष अपना पहला लिखित प्रस्तुतीकरण (एफडब्ल्यूएस) दाखिल किया और भारत 19 मार्च 2020 से पहले अपना एफडब्ल्यूएस दाखिल करेगा।

- ❖ डीएस–582 और डीएस–584, डीएस–588 (भारत – सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कतिपय माल पर टैरिफ व्यवहार) – शिकायतकर्ता क्रमशः यूरोपीय संघ, जापान और ताइवान हैं।

यूरोपीय संघ, जापान और ताइवान ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कुछ उत्पादों पर भारत द्वारा लगाए गए शुल्क के विरुद्ध अलग अलग विवाद दाखिल किया है। यह आरोप लगाया गया है कि भारत द्वारा लगाए गए शुल्क सूचना प्रौद्योगिकी करार 1 के अंतर्गत भारत की प्रतिबद्धताओं के उल्लंघन में हैं। यूरोपीय संघ तथा जापान के साथ परामर्श का आयोजन हो चुका है परंतु विवाद का समाधान नहीं हो पाया है। इस मामले में अभी तक पैनल का गठन नहीं हुआ है। इस बीच, ताइवान ने भारत के साथ परामर्श के लिए मांग की है जिसका आयोजन जेनेवा में 21 नवंबर 2019 को होना है।

मछली पालन सब्सिडी पर वार्ता

दिसंबर 2017 के ब्यूनस आयर्स मंत्री स्तरीय निर्णय (एमसी11) के अनुसार, सदस्य मछली पालन के क्षेत्र में सब्सिडी पर वार्ता में रचनात्मक रूप से भाग लेना जारी रखने और व्यापक एवं प्रभावी विषय क्षेत्रों पर 2020 में मंत्री स्तरीय सम्मेलन द्वारा करार अपनाने पर सहमत हुए जो : (i) मछली पालन सब्सिडी के कुछ रूपों का निषेध करेगा जो अधिक क्षमता एवं ओवर फिशिंग में योगदान करते हैं और (ii) ऐसी सब्सिडी समाप्त करेगा जो गैर कानूनी, गैर सूचित और गैर विनियमित (आईयूयू) फिशिंग में योगदान करती है। यह भी स्वीकार किया गया कि विकासशील देशों तथा सबसे कम विकसित देशों के लिए उपयुक्त एवं प्रभावी विशेष एवं विभेदक व्यवहार (एसएंडडीटी) इन वार्ताओं का अभिन्न अंग होना चाहिए। वार्ता चल रही है तथा डब्ल्यूटीओ में नियमों पर वार्ता समूह (एनजीआर) के अंतर्गत मासिक क्लस्टर बैठक के रूप में संचालित की जा रही है। भारत एलडीसी सहित विकासशील देशों के लिए एसएंडडीटी के लिए अपनी मांग को मजबूती के साथ रखता आ रहा है और जून 2019 की क्लस्टर बैठक में एसएंडडीटी पर एक प्रस्ताव रखा है। भारत ने ऐसी सब्सिडी को विनियमित करने के लिए कैपिंग के किसी प्रस्ताव का समर्थन न करने का दृष्टिकोण अपनाया है जो अधिक क्षमता एवं ओवर फिशिंग में योगदान करती है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनुसंधान केन्द्र (सीआरआईटी) का सृजन

भूमंडलीकरण की प्रक्रिया की बढ़ती जटिलताओं तथा घरेलू नीति निर्माण पर इसके प्रभावों को देखते हुए 1999 से आईआईएफटी के अंतर्गत विद्यमान डब्ल्यूटीओ अध्ययन केन्द्र (सीडब्लयूटीओएस) की अनुसंधान क्षमता का हाल ही में विस्तार किया गया है और सीआरआईटी (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनुसंधान केन्द्र) के रूप में एक नई संस्था का गठन किया गया है जो आईआईएफटी के अंग के रूप में बनी रहेगी। ऐसी परिकल्पना है कि सीआरआईटी वैश्विक व्यापार एवं निवेश के मुद्दों पर थिंक टैंक और इन क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए फोकल बिंदु के रूप में काम करेगा। क्रिट से सीडब्ल्यूटीओएस की न केवल वर्तमान गतिविधियां गहन होगी अपितु यह ऐसे क्षेत्रों में भी कार्य करेगा जिसमें इस समय सीडब्ल्यूटीओएस द्वारा कार्य नहीं किया जाता है। तदनुसार विभाग ने 'डब्ल्यूटीओ अध्ययन के लिए केंद्र' के साथ कुल 5 केंद्र अर्थात 'व्यापार एवं निवेश कानून के लिए केंद्र', 'क्षेत्रीय व्यापार के लिए केंद्र', 'क्षमता निर्माण के लिए केंद्र' और 'व्यापार संवर्धन के लिए केंद्र' स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून, क्षेत्रीय अध्ययन, व्यापार संवर्धन एवं क्षमता निर्माण जैसी समकालीन एवं भावी आवश्यकताओं की बेहतर देखभाल के लिए कार्यक्षेत्र को विस्तृत करने के लिए इन केन्द्रों का गठन किया जा रहा है। चार नए प्रस्तावित केन्द्रों में से दो केन्द्र अर्थात व्यापार एवं निवेश कानून केन्द्र तथा क्षेत्रीय व्यापार केन्द्र क्रियाशील हो गए हैं।

गैर कृषि बाजार पहुंच (नामा)

गैर कृषि बाजार पहुंच (नामा) कृषि से भिन्न या औद्योगिक उत्पादों पर व्यापार वार्ता से संबंधित है। एनएएमए वार्ताओं में, डब्ल्यूटीओ सदस्य औद्योगिक उत्पादों में व्यापार पर कस्टम टैरिफ या टैरिफ से भिन्न बाधाओं को कम करने या समाप्त करने की शर्तों या तौर तरीकों पर चर्चा करते हैं।

नामा के तहत शामिल उत्पाद इस प्रकार हैं : समुद्री उत्पाद, रसायन, रबर उत्पाद, लकड़ी उत्पाद, वस्त्र एवं टेक्सटाइल, चमड़ा, सेरेमिक्स, ग्लासवेयर, इंजीनियरिंग उत्पाद, इलेक्ट्रानिक्स, आटोमोबाइल्स, इंस्ट्रूमेंट, खेल के सामान और खिलौने।

जहां तक टैरिफ का संबंध है, बाउंड टैरिफ पर वार्ता हुई जो डब्ल्यूटीओ में वार्ता के दौरान की गई बाध्यताएं हैं। बाउंड टैरिफ किसी देश में आयात पर सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा वस्तुतः लगाए गए टैरिफ की ऊपरी सीमा है। नामा वार्ता में कुछ ऐसे प्रशुल्क हैं जिन पर कोई बाध्यता नहीं ली गई है और ये अबाध टैरिफ लाइन के रूप में जाने जाते हैं।

कुछ प्रमुख विधियां जिनके माध्यम से टैरिफ में कटौती की मांग की गई, गैर रेखीय स्विस फार्मूला को लागू करना तथा विशिष्ट क्षेत्रों में टैरिफ की कटौती या समाप्ति के लिए सेक्टोरल पहलें हैं। एलडीसी सहित विकासशील देश उपयुक्त विशेष एवं विभेदीकृत व्यवहार पर वार्ता कर रहे थे। गैर टैरिफ उपायों पर, क्षैतिज प्रस्तावों तथा क्षेत्र विशिष्ट पाठगत प्रस्तावों द्वारा चर्चा संचालित हो रही थी।

नैरोबी मंत्री स्तरीय घोषणा (दिसंबर, 2015) ने नामा को 'शेष दोहा मुद्दों'' में से एक के रूप में शामिल किया जहां मंत्रियों ने वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। तथापि, दिसंबर 2017 में ब्यूनस आयर्स में डब्ल्यूटीओ की 11वीं मंत्री स्तरीय बैठक में किसी मुद्दे पर अभिसरण न होने के कारण नामा में कोई कर्षण नहीं हुआ।

भारत यह दृष्टिकोण लेता रहा है कि वार्ता के दौरान कटौती की प्रतिबद्धताओं में पूर्ण पारस्परिकता से कम (एलटीएफआर) का सिद्धांत लागू होना चाहिए। हम सामान्यतया सेक्टोरल वार्ता के पक्षधर नहीं हैं क्योंकि स्वाभाविक रूप से ये विकासशील देशों के लिए अधिक बोझिल हैं जिन्हें अपनी ड्यूटी को अधिक कम करना है। इसके अलावा, राष्ट्रीय टैरिफ की अनुसूचियों में जीरो टैरिफ सेक्टोरल द्वारा शामिल न किए गए समान उत्पादों या कच्चे माल के लिए इनवर्टेड टैरिफ रेट की समस्या सहित अनावश्यक जटिलताएं पैदा नहीं करते हैं। घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव तथा विशाल व्यापार घाटे को देखते हुए भारतीय उद्योग सामान्यतया सेक्टोरल वार्ता से सशंकित है।

सूचना प्रौद्योगिकी करार (आईटीए) :

1. भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी करार (आईटीए), (जिसे आईटीए–1 के नाम से भी जाना जाता है), जो विश्व व्यापार संगठन का एक बहुपक्षीय करार है, पर 25 मार्च 1997 को हस्ताक्षर किया है।

2. आईटीए 1 ने 217 उत्पादों के नामों वाली सूची की पहचान की है जिनको वस्तुओं के आईटीसी एचएस वर्गीकरण 1996 में मानचित्रित किया गया। इसके अलावा, इसमें 13 ऐसे उत्पाद भी शामिल हैं जिनके एचएस कोड की पहचान नहीं की गई है।

3. आईटीए–1 में कंप्यूटर, दूरसंचार के उपकरण, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर विनिर्माण एवं परीक्षण उपकरण, साफ्टवेयर, वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट सहित उच्च प्रौद्योगिकी के अनेक उत्पाद तथा इन उत्पादों के अधिकांश पार्ट्स एवं असेसरीज शामिल हैं। शुरू में आईटीए पर 29 सदस्य सहमत हुए थे परंतु अब इसके तहत डब्ल्यूटीओ के 81 सदस्य शामिल हैं, जो सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों के विश्व व्यापार में लगभग 97 प्रतिशत का योगदान करते हैं। दिसंबर 2015 में नैरोबी मंत्री स्तरीय सम्मेलन में 50 से अधिक सदस्यों ने करार के विस्तार (आईटीए–2) का समर्थन किया जिसके तहत अब अतिरिक्त 201 उत्पाद शामिल हैं जिनका मूल्य 1.3 ट्रिलियन डालर प्रति वर्ष से अधिक है। भारत ने आईटीए

कोरिया और न्यूजीलैंड के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार करार (एफटीए) है।

तीसरी आरसीईपी नेता शिखर बैठक के दौरान माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि आरसीईपी की वर्तमान संरचना मार्गदर्शक सिद्धांतों को परिलक्षित नहीं करती है या भारत के बकाया मुद्दों एवं सरोकारों का समाधान नहीं करती है और इसके आलोक में भारत आरसीईपी का हिस्सा नहीं बना है। अंत में माननीय प्रधानमंत्री ने बताया कि 'पूरब में काम करो नीति' आसियान देशों के साथ भारत की भागीदारी और भारत की आखिरी नीति का आधार है और अन्य व्यापार साझेदार बने रहेंगे।

एशिया – प्रशांत व्यापार करार (एपीटीए)

एशिया – प्रशांत व्यापार करार एशिया – प्रशांत क्षेत्र के विकासशील सदस्य देशों के बीच साधारण आधार पर टैरिफ रियायतों के आदान प्रदान के माध्यम से व्यापार के विस्तार के लिए संयुक्त राष्ट्र एशिया और प्रशांत आर्थिक और सामाजिक आयोग (ई एस सी ए पी) के तहत एक पहल है। इस समय 6 देश अर्थात बंग्लादेश, चीन, भारत, लाओ पीडीआर, कोरिया गणराज्य तथा श्रीलंका आप्टा के सदस्य हैं।

1 जुलाई 2018 से आप्टा के अधीन रियायतों के चौथे दौर के कार्यान्वयन के बाद वार्ता का 5वां दौर शुरू किया गया है। 01 जुलाई 2018 को वार्ता का 5वां दौर आरंभ हो गया है। पहली बार माल के अलावा वार्ता में सेवा, निवेश तथा व्यापार सुगमता भी शामिल होंगे। आप्टा की स्थायी समिति की 54वीं बैठक तथा व्यापार सुगमता, सेवा, निवेश और उत्पत्ति के नियमों पर कार्य समूह की तीसरी बैठक 15 से 18 जनवरी 2019 के दौरान बैंकाक में हुई। व्यापार सुगमता समूह में भारत ने डब्ल्यूटीओ के टीएफए करार के अंतर्गत ली गई बाध्यताओं के अंदर काम करने का दृष्टिकोण अपनाया है। माल में, भारत ने 40 प्रतिशत तक टैरिफ लाइनों को शामिल करने का विरोध किया। आप्टा की स्थायी समिति की पिछली बैठक (56वीं बैठक) 29–30 अक्टूबर 2019 को और निवेश, सेवा तथा उत्पत्ति के नियमों पर कार्य समूह की 5वीं बैठक 28–29 अक्टूबर 2019 को यूएनसीसी, बैंकाक, थाईलैंड में हुई। व्यापार सुगमता पर कार्य समूह की 5वीं बैठक 19 सितंबर 2019 को नई दिल्ली में हुई थी।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (अंकटाड)

संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (अंकटाड) का उद्देश्य विकासशील देशों को एक विश्व अर्थव्यवस्था में समेकित करना है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (अंकटाड) व्यापार एवं विकास तथा इनसे संबंधित मुद्दों जिनमें वित्त, प्रौद्योगिकी, निवेश और सतत विकास के क्षेत्र आते हैं, के समेकित उपचार हेतु संयुक्त राष्ट्र के एक केन्द्र बिन्दु के रुप में काम करता है। अंकटाड के वर्तमान अधिदेश के तीन स्तम्भ इस प्रकार हैं : (क) स्वतंत्र नीति विश्लेषण; (ख) सहमति बनाना; और (ग) तकनीकी सहायता।

मंत्री स्तरीय सम्मेलन जिसकी बैठक हर चौथे वर्ष होती है, अंकटाड का सर्वोच्च निर्णय निर्मात्री निकाय है तथा संगठन के लिए प्राथमिकता और दिशा निर्देश तय करती है तथा प्रमुख आर्थिक और विकास के मुद्दों पर विचार–विमर्श का अवसर प्रदान करता है तथा विकास की नीति पर सहमति बनाता है। व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 17 से 22 जुलाई 2016 के दौरान नैरोबी, कीनिया में हुआ। 15वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 18–23 अक्टूबर 2020 के दौरान ब्रिजटाउन, बारबाडोस में आयोजित किया जाएगा।

वैश्विक व्यापार वरीयता प्रणाली (जीएसटीपी)

वैश्विक व्यापार वरीयता प्रणाली (जीएसटीपी) को स्थापित करने वाले करार पर हस्ताक्षर 13 अप्रैल, 1988 को बेलग्रेड में किये गये। जीएसटीपी वार्ता का वर्तमान चक्र, जिसे साओ पॉउलो दौर के नाम से भी जाना जाता है, 22 प्रतिभागी देशों के साथ 2004 में साओ पॉउलो, ब्राजील में अंकटाड की 11वीं चतुर्थ वर्षीय सम्मेलन के अवसर पर शुरु किया गया।

''साओ पाउलो चक्र के परिणामों को शामिल करने वाला अंतिम अधिनियम'' और ''जीएसटीपी पर करार पर साओ पाउलो चक्र प्रोटोकाल'' पर हस्ताक्षर के लिए 15 दिसंबर 2010 को फोज डो इगुआकू, ब्राजील में जी एस टी पी वार्ता समिति की मंत्री स्तरीय बैठक हुई। अब तक 44 सदस्य देशों में से 8 देशों ने इस प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें भारत भी शामिल है। इन 8 देशों में से तीन देशों अर्थात भारत, मलेशिया और क्यूबा ने इसकी पुष्टि कर दी है। 23 अगस्त 2012 को आयोजित अपनी बैठक में आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने वार्ता के तीसरे चक्र के तहत भारत की रियायत अनुसूची के कार्यान्वयन को अनुमोदित कर दिया था। जीएसटीपी के सहमत तौर–तरीकों के अनुसार, भारत 20 प्रतिशत तरजीह मार्जिन (एमओपी) के साथ 70 प्रतिशत शुल्क योग्य टैरिफ लाइनों का प्रस्ताव करेगा। इसके अलावा भारत ने सबसे कम विकसित देशों (एल डी सी) को 25 प्रतिशत एम ओ पी पर 77 प्रतिशत शुल्क योग्य लाइनों की एकपक्षीय पेशकश की है।

वार्ता के तीसरे दौर के तहत रियायत की अनुसूचियों को कम से कम 4 प्रतिभागियों द्वारा अपनी अनुसूचियों की पुष्टि तथा जी एस टी पी सचिवालय को सूचना देने के 30 दिन बाद कार्यान्वित किया जाएगा। ऐसे 4 प्रतिभागियों के बीच टैरिफ रियायतों को कार्यान्वित किया जाएगा तथा अन्य प्रतिभागी रियायत का लाभ तब उठाएंगे जब वे अपनी अनुसूचियों की पुष्टि कर देंगे।

अंकटाड के सचिवालय के साथ जीएसटीपी की पुष्टि का मुद्दा उठाया जा रहा है।

बहुक्षेत्रक तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग पर बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्स्टेक)

बहुक्षेत्रक तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्स्टेक) एक क्षेत्रीय संगठन है जिसके सदस्यों की संख्या 7 है, जिनके नाम इस प्रकार हैं : बंगलादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका तथा थाईलैंड 6 जून 1997 को इसका सदस्य बना। इस पहल का उद्देश्य बंगाल की खाड़ी के चारों ओर समूहबद्ध दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण एशिया के संस्पर्शी देशों को शामिल करते हुए उप क्षेत्रीय आधार पर आर्थिक सहयेाग को आगे बढ़ाना है।

बिम्स्टेक ने सहयोग के लिए प्राथमिकता वाले 14 क्षेत्रों की पहचान की है जहां कोई भी सदस्य देश अगुवाई कर सकता है। भारत आतंकवाद तथा राष्ट्रपारीय अपराध की खिलाफत, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन, पर्यटन एवं परिवहन तथा संचार के लिए लीड कंट्री है।

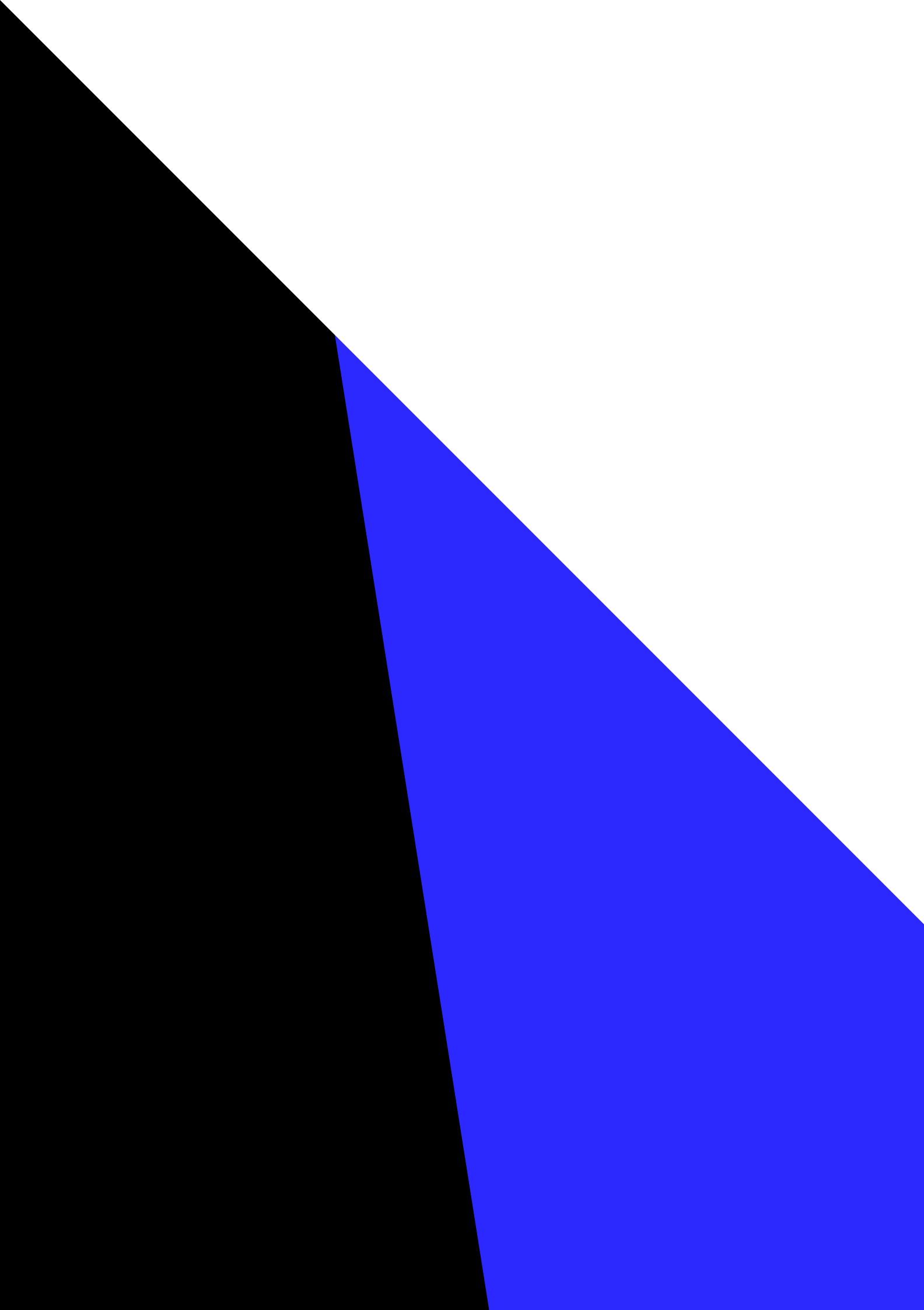

वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री ने 26 सितंबर 2019 को ताशकंद, उजबेकिस्तान में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के मंत्रियों की बैठक के लिए भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। एससीओ के तहत जिन क्षेत्रों पर चर्चा हुई उनमें से कुछ इस प्रकार हैं : बहुपक्षीय व्यापार तथा आर्थिक सहयोग (एमटीईसी) पर कार्यक्रम, सेवाओं में व्यापार, ई–कामर्स, व्यापार सुगमता, दूरस्थ क्षेत्रों की डिजिटल कनेक्टिविटी आदि। मंत्रियों / शिष्टमंडल प्रमुखों ने एससीओ क्षेत्र में वर्तमान स्थिति तथा बहुपक्षीय व्यापार, आर्थिक एवं निवेश सहयोग के और विकास की संभावनाओं पर विचारों का आदान प्रदान किया। मंत्रियों / शिष्टमंडल प्रमुखों ने एससीओ के सदस्य देशों में सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य बातों के साथ निम्नलिखित मत्वपूर्ण पहलों के लिए मंजूरी प्रदान की (i) डिजिटल युग में दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर एससीओ के सदस्य देशों की सहयोग संकल्पना (ii) शंघाई सहयोग संगठन के कंसोर्टियम ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस सेंटर के विनियम (iii) एससीओ के सदस्य देशों की बहुपक्षीय व्यापार एवं आर्थिक सहयोग की रिपोर्ट और (iv) एससीओ के सदस्य देशों के बहुपक्षीय व्यापार एवं आर्थिक सहयोग का संशोधित कार्यक्रम। 2020 में भारत एससीओ के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद और एससीओ व्यापार मंत्री बैठक की मेजबानी करेगा।

जी–20

एशियाई वित्तीय संकट के आलोक में 19 राष्ट्रों (अर्जेंटीना, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य) तथा यूरोपीय संघ के वित्त मंत्रियों तथा केन्द्रीय बैंक के गवर्नर के फोरम के रूप में 1999 में स्थापित किया गया। तथापि, 2008 में जी20 की अहमियत उस समय बढ़ गई जब इसे 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने के उद्देश्य से वित्त मंत्री एवं केन्द्रीय बैंक गवर्नर के मंच से ऊपर उठाकर राष्ट्राध्यक्षों / शासनाध्यक्षों का मंच बनाया गया। जी20 ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख वैश्विक मंच के रूप में 2009 में जी8 को प्रतिस्थापित किया। जी20 के सदस्य लगभग 85 प्रतिशत वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद, 75 प्रतिशत से अधिक वैश्विक व्यापार तथा विश्व की दो तिहाई आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2019 में जापान जी20 का अध्यक्ष था। जनवरी, अप्रैल और जून 2019 में व्यापार एवं निवेश कार्य समूह की तीन बैठकों का आयोजन किया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने 8 और 9 जून 2019 को सुबुका सिटी, इबराकी प्रीफेक्चर, जापान में आयोजित जी–2 व्यापार मंत्री बैठक के लिए भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। मंत्री स्तरीय बैठक में व्यापार एवं डिजीटल अर्थव्यवस्था जैसे कि मानव केंद्रित भावी समाज, आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), विश्वास के साथ डाटा फ्री फ्लो, अभिशासन नवाचार – चुस्त एवं लोचपूर्ण नीति, सुरक्षा, एसडीजी एवं समावेशन, डिजीटलीकरण के माध्यम से एसडीजी के लिए कार्य योजना, स्वस्थ व्यवसाय परिवेश, व्यापार एवं निवेश का संवर्धन, डब्ल्यूटीओ सुधार तथा द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय व्यापार करारों में हाल के घटनाक्रम आदि जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने नियमों पर आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के लिए भारत की सच्ची प्रतिबद्धता को दोहराया तथा डब्ल्यूटीओ के मूल सिद्धांतों को खोखला किए बगैर इसको सुदृढ़ करने के लिए सामूहिक कार्रवाई की मांग की। जी–20 लीडर्स समिट का आयोजन 28 और 29 जून 2019 को ओसाका, जापान में हुआ। सऊदी अरब ने 2020 के लिए जी20 की अध्यक्षता ग्रहण की।

राष्ट्रमंडल

राष्ट्रमंडल विश्व के सबसे पुराने 'राज्यों के राजनीतिक संघों' में से एक है और इसकी जड़े ब्रिटिश साम्राज्य की अवधि से जुड़ी हैं जब ब्रिटेन के अनेक उपनिवेश स्वशासन की कुछ व्यवस्था के लिए अग्रसर हो रहे थे। लंदन घोषणा के बाद 26 अप्रैल 1949 को राष्ट्र मंडल का गठन किया गया तथा इसमें 53 देशों का विविध समूह शामिल है जिसमें यूके और कनाडा जैसे जी–8 के देश, प्रमुख विकासशील देश जैसे कि दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया और मलेशिया तथा काफी संख्या में छोटे राज्य (1.5 मिलियन या कम आबादी वाले देश) और 24 छोटे द्वीप विकासशील राज्य (एसआईडीएस) शामिल हैं। राष्ट्रमंडल देशों द्वारा 2018 में कुल माल निर्यात 2.56 ट्रिलियन डॉलर के आसपास था जो विश्व निर्यात का लगभग 13.2 प्रतिशत है। राष्ट्रमंडल देशों द्वारा 2018 में कुल माल आयात 2.92 ट्रिलियन डॉलर के आसपास था जो विश्व के आयात का लगभग 14.83 प्रतिशत है। राष्ट्रमंडल के साथ भारत का माल में कुल व्यापार 2018 में 145.47 बिलियन अमरीकी डॉलर था जो भारत के कुल व्यापार का 17.5 प्रतिशत है। 2018 में राष्ट्रमंडल को भारत के निर्यात का मूल्य 65.3 बिलियन अमरीकी डालर और आयात का मूल्य 80.2 बिलियन अमरीकी डालर था।

वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने राष्ट्रमंडल व्यापार मंत्री बैठक के लिए भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया जो 10 अक्टूबर 2019 को लंदन में हुई थी। चर्चा के प्रमुख क्षेत्र थे : बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का समर्थन करना, राष्ट्रमंडल व्यापार एवं निवेश को गहन करना, डिजिटल परिवर्तन, व्यापार प्रतियोगिता का निर्माण करना, व्यापार एवं जलवायु परिवर्तन तथा समावेशी एवं संपोषणीय विकास।

XII. एशिया एवं प्रशांत आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (ईएससीएपी)

भारत ईएससीएपी के संस्थापक सदस्यों में से एक है, जो संयुक्त राष्ट्र का क्षेत्रीय विकास प्रकोष्ठ है, जो एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के लिए मुख्य आर्थिक एवं सामाजिक विकास केन्द्र के रूप में काम करता है। 53 सदस्य देशों तथा 9 सहयोगी सदस्यों से निर्मित तथा पश्चिम में तुर्की से लेकर पूरब में किरबाती के प्रशांत द्वीपीय राष्ट्र और उत्तर में रूसी परिसंघ से लेकर दक्षिण में न्यूजीलैंड तक भौगोलिक विस्तार के साथ ईएससीएपी संयुक्त राष्ट्र के 5 क्षेत्रीय आयोगों में से सबसे व्यापक आयोग है। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में काम करने वाला संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा निकाय भी है।

1947 में स्थापित इस आयोग का मुख्यालय बैंकाक, थाईलैंड में है तथा यह इस क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौतियों में से कुछ का समाधान करने का प्रयास करता है। यह निम्नलिखित क्षेत्रों में काम करता है :

- आईसीटी तथा आपदा जोखिम कटौती
- शिक्षा एवं विकास
- सामाजिक विकास
- सांख्यिकी
- स्थूल आर्थिक नीति तथा विकास के लिए वित्त पोषण

- व्यापार, निवेश और नवाचार
- परिवहन
- ऊर्जा

ईएससीएपी ऐसे मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करता है जिनका क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से सबसे कारगर ढंग से समाधान होता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- ऐसे मुद्दे जिनसे क्षेत्र के सभी देश या देशों का एक समूह जूझ रहा है, जिसके लिए एक दूसरे से सबक लेना आवश्यक है;
- ऐसे मुद्दे जिनमें क्षेत्रीय या बहुदेशीय भागीदारी से लाभ होगा;
- ऐसे मुद्दे जो सीमापारीय स्वरूप के हैं अथवा जिनमें सहयोगात्मक अंतर्देशीय दृष्टिकोणों से लाभ होगा;
- ऐसे मुद्दे जो संवेदनशील या नए स्वरूप के हैं तथा और हिमायत एवं वार्ता की जरूरत है।

ईएससीएपी का वार्षिक सत्र

इस क्षेत्र के समावेशी एवं संपोषणीय आर्थिक एवं सामाजिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने और निर्णय लेने, अपने सहायक निकायों तथा कार्यपालक सचिव की सिफारिशों पर निर्णय लेने, कार्य की प्रस्तावित रूपरेखा एवं कार्यक्रम की समीक्षा करने और पृष्ठांकित करने तथा अपने विचारार्थ विषयों के अनुरूप कोई अन्य अपेक्षित निर्णय लेने के लिए मंत्री स्तर पर आयोग की हर साल बैठक होती है।

ईएससीएपी की 75वीं बैठक का आयोजन 27 से 31 मई 2019 के दौरान बैंकाक, थाईलैंड में हुआ। बैठक की थीम ''लोगों को सशक्त बनाना तथा समावेशीपन एवं समानता का सुनिश्चय करना'' थी।

ईएससीएपी में भारत का योगदान

ईएससीएपी के कार्यक्रमों को क्षेत्रीय संस्थान और उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अपना समर्थन दिया जाता है। भारत ने वर्ष के दौरान ईएससीएपी के साथ घनिष्ठ सहयोग में काम किया है। भारत ने ईएससीएपी की निम्नलिखित क्षेत्रीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता जारी रखने की भी प्रतिबद्धता की है :

- भारत द्वारा नई दिल्ली में एशिया एंड पैसिफिक सेंटर फार ट्रांसफर आफ टेक्नालाजी (एपीसीटीटी) स्थापित किया गया है।
- संपोषणीय कृषि यंत्रीकरण केन्द्र (सीएसएएम), बीजिंग, चीन
- चीबा, जापान में स्थित स्टेटिस्टिकल इन्स्टीट्यूट फार एशिया एंड पैसिफिक (एसआईएपी)

भारत में उप क्षेत्रीय कार्यालय :

यूएन–ईएससीएपी के साथ साझेदारी सुदृढ़ करते हुए भारत की वित्तीय सहायता से नई दिल्ली में दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम एशिया के लिए उप क्षेत्रीय कार्यालय (एसआरओ) स्थापित किया गया।

एसआरओ के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :

- उप क्षेत्र तथा आयोग के मुख्यालय के बीच कड़ी के रूप में काम करके उप क्षेत्रीय स्तर पर आयोग के एजेंडा को लागू करना;
- उप क्षेत्र के अंदर सदस्य देशों के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए उप क्षेत्र विशिष्ट प्राथमिकताओं एवं कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना एवं सहायता प्रदान करना;
- ज्ञान प्रबंधन एवं नेटवर्किंग के लिए उप क्षेत्रीय नोड के रूप में प्रचालन करना;
- तकनीकी सहायता सेवाओं की प्रदायगी का नेतृत्व करना और उप क्षेत्र में आयोग के कार्यान्वयन प्रकोष्ठ के रूप में काम करना;
- उप क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के साथ घनिष्ठ कार्यसाधक संबंध स्थापित करना और उप क्षेत्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की गतिविधियों में समन्वय को प्रोत्साहित करना;
- अन्य उप क्षेत्रीय अंतर सरकारी निकायों सहित उप क्षेत्र में अन्य संगत कर्ताओं के साथ मजबूत साझेदारी एवं नेटवर्क स्थापित करना, क्षेत्रीय रूपरेखा के साथ उप क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।

XIII. किंबर्ली प्रक्रिया प्रमाणन स्कीम

किंबर्ली प्रक्रिया (केपी) कंफ्लिक्ट डायमंड (वैध सरकारों के विरुद्ध युद्ध के वित्त पोषण के लिए विद्रोही गुटों द्वारा प्रयुक्त रफ डायमंड) के प्रवाह पर अंकुश लगाने के लिए उद्योग एवं सभ्य समाज से प्रेक्षकों के साथ प्रतिभागी सरकारों की एक संयुक्त पहल है। किंबर्ली प्रक्रिया प्रमाणन स्कीम (केपीसीएस) एक यूएन अधिदेशित (यूएनजीए संकल्प संख्या 2000 का 55/56 का तथा यूएनएससी संकल्प संख्या 2003 का 1459) अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन स्कीम है। इसके तहत अपेक्षित है कि प्रत्येक प्रतिभागी रफ डायमंड के उत्पादन एवं व्यापार पर आंतरिक नियंत्रण लगाएं। किसी गैर प्रतिभागी के साथ रफ डायमंड में व्यापार की अनुमति नहीं है। रफ डायमंड के सभी निर्यात के साथ एक वैध केपी प्रमाण पत्र संलग्न करना होता है जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि डायमंड संघर्ष मुक्त हैं।

भारत केपीसीएस के संस्थापक सदस्यों में से एक है। इस समय केपीसीएस के 54 प्रतिभागी हैं जो 81 देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें यूरोपीय संघ तथा इसके सदस्य देशों को एकल प्रतिभागी के रूप में गिना गया है। इसके एक सदस्य राज्य को एक भागीदार माना जाता है। हीरे का उत्पादन करने वाले व्यापार तथा पालिश करने वाले सभी बड़े केन्द्र इस के पी के सदस्य है। सिविल सोसाइटी और उद्योग समूह इस के पी में सक्रियता से भाग लेते हैं। के पी का अध्यक्ष पद वार्षिक आधार पर बदलता रहता है। उपाध्यक्ष का चयन वार्षिक पूर्ण बैठक में होता है तथा अगले साल वह अपने आप अध्यक्ष बन जाता है। केपीसीएस अध्यक्ष केपीसीएस के कार्यान्वयन, कार्य समूहों एवं समितियों के प्रचालनों तथा सामान्य प्रशासन पर नजर रखते हैं।

भारत वर्ष 2019 के लिए किंबर्ले प्रोसेस का अध्यक्ष है। किंबर्ले प्रोसेस के अध्यक्ष के रूप में भारत ने 17 से 21 जून 2019 तक मुंबई में किंबर्ले प्रोसेस की अंतर्सत्रीय बैठक और 18 से 22 नवंबर 2019 तक नई दिल्ली में पूर्ण बैठक की मेजबानी की है। वर्ष 2020 में भारत से रूसी परिसंघ केपी की अध्यक्षता ग्रहण करेगा।

विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा निर्यात उन्मुख यूनिटें

इस समय कुल 238 विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्यात कर रहे हैं। इसमें से 143 आईटी / आईटीईएस, 25 बहु उत्पाद और 70 अन्य सेक्टर विशिष्ट एसईजेड हैं। अब तक एसईजेड 5168 यूनिटें स्थापित की गई हैं।

योजना का प्रभाव :

एसईजेड योजना ने भारत और विदेश दोनों में निवेशकों में प्रचुर रिस्पांस का सृजन किया है जो देश में निवेश के प्रवाह तथा अतिरिक्त रोजगार के सृजन से स्पष्ट है। विदेशी मुद्रा का अर्जन करने और अवसंरचना का विकास करने के अलावा एसईजेड ने प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रोजगार, नई गतिविधियों के उद्भव, उपभोग के पैटर्न तथा सामाजिक जीवन में परिवर्तन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानीय क्षेत्र प्रभाव प्राप्त किया है।

एसईजेड के कुछ महत्वपूर्ण पहलू

एसईजेड के लिए भूमि की आवश्यकता :

17 सितंबर 2019 को एसईजेड नियमावली 2016 में किए गए संशोधन के फलस्वरूप सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं, बायोटेक या स्वास्थ्य (अस्पताल से भिन्न) सेवा के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र से भिन्न विशेष आर्थिक क्षेत्र या मुक्त व्यापार वेयरहाउसिंग क्षेत्र की स्थापना के लिए 50 हेक्टेयर या अधिक संस्पर्शी भूमि की न्यूनतम आवश्यकता निर्धारित की गई है। यदि असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, गोवा जैसे राज्यों में या किसी संघ राज्य क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है तो अपेक्षित न्यूनतम क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर या अधिक है।

सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं, बायोटेक या स्वास्थ्य (अस्पताल से भिन्न) सेवा के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए न्यूनतम भूमि की कोई आवश्यकता नहीं होती है। शहरों की श्रेणी के आधार पर निम्नलिखित सारणी में न्यूनतम निर्मित प्रसंस्करण क्षेत्र की आवश्यकता दर्शायी गई है :

क्र. सं.	शहरों की श्रेणी	न्यूनतम निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता
1.	श्रेणी 'क'	50,000 वर्गमीटर
2.	श्रेणी 'ख'	25,000 वर्गमीटर
3.	श्रेणी 'ग'	15,000 वर्गमीटर

विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की प्रक्रिया :

एसईजेड की स्थापना के लिए संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश के बाद भूमि के न्यूनतम क्षेत्रफल संबंधी आवश्यकताओं तथा एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली में निर्धारित अन्य शर्तों एवं निबंधनों के अधीन अनुमोदन बोर्ड विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के लिए प्रस्ताव को अनुमोदित करता है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले में पहली प्राथमिकता बंजर एवं परती भूमि के अधिग्रहण पर होनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो एकल फसली कृषि भूमि का अधिग्रहण विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए किया जा सकता है। यदि विशेष रूप से बहुउत्पाद वाले विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए क्षेत्रफल संबंधी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दोहरी फसल वाली कृषि भूमि के किसी भाग का अधिग्रहण करना पड़े तो यह विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए कुल अधिग्रहीत भूमि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। केन्द्र सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए किसी भूमि का आवंटन नहीं करती है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों पर अनुमोदन बोर्ड केवल उन्हीं प्रस्तावों पर विचार करता है जो राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से संस्तुत होते हैं। इसके अलावा 5 अप्रैल 2007 को आयोजित बैठक में अधिकार प्राप्त मंत्री समूह के निर्णय के अनुसरण में राज्य सरकारों को 15 जून 2007 को सूचित किया गया है कि अनुमोदन बोर्ड ऐसे किसी एसईजेड को मंजूरी प्रदान नहीं करेगा जहां राज्य सरकारों ने 5 अप्रैल 2007 के बाद ऐसे एसईजेड के लिए भूमि का अनिवार्य अधिग्रहण किया है या करने का प्रस्ताव किया है।

एसईजेड के अंतर्गत भूमि का ब्यौरा

1	केन्द्र सरकार के 7 + राज्य सरकार / निजी क्षेत्र के 12 अधिसूचित एसईजेड से संबंधित कुल भूमि	2,245.33 हेक्टेयर
2	349 अधिसूचित एसईजेड से संबंधित कुल भूमि	40,301.82 हेक्टेयर
3	औपचारिक रूप से अनुमोदित 68 एसईजेड से संबंधित कुल भूमि	5,506.38 हेक्टेयर
4	औपचारिक रूप से अनुमोदित तथा अधिसूचित एसईजेड से संबंधित कुल भूमि (1+2+3)	48,053.53 हेक्टेयर
5	सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित 33 एसईजेड से संबंधित कुल भूमि	20,775 हेक्टेयर
6	भारत के कुल क्षेत्रफल (328 मिलियन हेक्टेयर) के अनुपात में अधिसूचित एसईजेड के क्षेत्रफल का प्रतिशत	0.013 प्रतिशत
7	भारत की कुल कृषि भूमि (142 मिलियन हेक्टेयर) के अनुपात में अधिसूचित एसईजेड के क्षेत्रफल का प्रतिशत	0.026 प्रतिशत

विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकासकों एवं यूनिटों के लिए प्रस्तावित राजकोषीय लाभ एवं ड्यूटी रियायत :

(i) एसईजेड में विदेशी निवेश सहित निवेश आकर्षित करने के लिए एसईजेड में यूनिटों को निम्नलिखित प्रोत्साहनों एवं सुविधाओं का प्रस्ताव किया गया है :

- विशेष आर्थिक क्षेत्रों की यूनिटों के विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए माल का ड्यूटी फ्री आयात / घरेलू प्रापण
- आय कर अधिनियम की धारा 10 एए के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्रों की यूनिटों के लिए निर्यात आय पर आय कर से पहले पांच [illegible] लिए 100 प्रतिशत छूट, इसके बाद अगले पांच वर्षों के [illegible] और अगले पांच वर्षों के लिए प्लाउड बैक निर्या[illegible] की छूट। **(यूनिटों के लिए सनसेट क्ल[illegible] भावी होगा)**
- आय कर अधिनियम [illegible] न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) से छूट (1[illegible] है)
- केंद्रीय बिक्री कर से छूट, सेवा कर से छूट तथा [illegible] से छूट। अब इनका जीएसटी में विलय हो गया [illegible] आईजीएसटी अधिनिमय, 2017 के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्रों को [illegible] शून्य दर पर आपूर्तियां की जाती हैं।
- संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए अन्य शुल्क
- केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के अनुमोदन से एकल खिड़की क्लीयरेंस

(ii) विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासकों को उपलब्ध प्रमुख प्रोत्साहनों एवं सुविधाओं में शाामिल हैं : –

- बीओए द्वारा अनुमोदित अधिकृत प्रचालनों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास के लिए सीमा शुल्क / उत्पाद शुल्क से छूट।
- आय कर अधिनियम की धारा 80–आईएबी के तहत 15 वर्षों में 10 वर्षों के ब्लॉक में विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास के व्यवसाय से प्राप्त आय पर आय कर से छूट। **(विकासकों के लिए सनसेट क्लॉज 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा)**
- केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) से छूट।
- सेवा कर से छूट (विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम की धारा 7, 26 तथा दूसरी अनुसूची)

एसईजेड नीति एवं सुधार की पहलें :

हितधारकों – एसईजेड विकासकों, यूनिटों, व्यापार संघों, राज्य सरकारों, राजस्व विभाग, पर्यावरण विभाग, शहरी विकास विभाग आदि सहित केन्द्र सरकार के विभागों के साथ व्यापक परामर्श के बाद एक विस्तृत प्रस्ताव – एसईजेड नीति तथा प्रचालनात्मक रूपरेखा सुधार पहल' तैयार किया गया है और तद्नुसार तत्कालीन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने 18 अप्रैल 2013 को एसईजेड में निवेशकों की रुचि बहाल करने के लिए निम्नलिखित उपायों की घोषणा की थी जिन्हें 12 अगस्त 2013 को जारी किए गए जीएसआर नंबर 540 (ई) के माध्यम से एसईजेड नियमावली 2006 को संशोधित करके अधिसूचित किया गया।

i. जहां तक भूमि के खाली होने से संबंधित मुद्दों का संबंध है, मौजूदा नीति पहले से मौजूद संरचनाओं जो वाणिज्यिक प्रयोग में नहीं हैं, वाले भूखंड को एसईजेड अधिसूचित करने के प्रयोजनार्थ खाली भूमि के रूप में माने जाने की अनुमति प्रदान की, यह निर्णय लिया गया कि अधिसूचना के बाद संचालित की जा रही गतिविधियों तथा पहले से मौजूद ऐसी संरचनाओं में वृद्धि एसईजेड में किसी अन्य गतिविधि के समान ड्यूटी लाभ के लिए पात्र होगी।

ii. **निकास नीति** : एसईजेड रूपरेखा में यूनिटों के लिए कोई निकास नीति नहीं थी तथा फीडबैक यह था कि इसे भारी नुकसान के रूप में लिया जाता है। एसईजेड नियमावली (संशोधन) 2013 (गजट अधिसूचना दिनांक 12 अगस्त 2013) के माध्यम से कतिपय निर्धारित शर्तों के साथ बिक्री सहित एसईजेड यूनिटों का स्वामित्व अंतरित करने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

[illegible] माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने एसईजेड में [illegible] करने के लिए 18 सितंबर 2019 को [illegible] किया था, जिन्हें 17 दिसंबर 2019 को [illegible] के माध्यम से एसईजेड नियम[illegible] किया गया। किए गए उपायों [illegible]

i. सूचना प्रौद्योगिकी [illegible] बायोटेक या स्वास्थ्य (ज[illegible] आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने [illegible] आवश्यकता नहीं होती है तथा केवल [illegible] आवश्यकता होती है। अन्य सेक्टरों के लिए [illegible] अधिक की संस्पर्शी भूमि की आवश्यकता होगी। [illegible] असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणि[illegible] त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, गोवा जैसे राज्यों में या किसी संघ राज्य क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है तो अपेक्षित क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर या अधिक होगा।

ii. सभी मौजूदा अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्रों को बहु क्षेत्रक विशेष आर्थिक क्षेत्र समझा जाएगा।

iii. 7 बड़े शहरों अर्थात मुंबई, दिल्ली (एनसीआर), चेन्नई, हैदराबाद, बंगलौर, पुणे और कोलकाता के लिए लागू की जाने वाली 50,000 वर्गमीटर की आवश्यकता के साथ न्यूनतम निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता में भी काफी ढील दी गई है। मुंबई, दिल्ली (एनसीआर), चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर, पुणे और कोलकाता। श्रेणी ख के शहरों के लिए 25,000 वर्गमीटर तथा शेष शहरों के लिए केवल 15,000 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र का मानदंड लागू किया गया है।

एसईजेड में व्यवसाय करने की सरलता सुनिश्चित करने के लिए हाल की पहलें

1. [illegible] अनुदेश संख

वाणिज्य विभाग ने एक एसईजेड से यूनिटों को उसी जोन के अंदर दूसरे एसईजेड में हस्तांतरित करने के लिए क्षेत्रीय विकास आयुक्तों को अधिकार प्रदान किया गया है।

2. एसईजेड के विद्युत संयंत्रो के संबंध में समय समय पर विद्युत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इस मुद्दे पर स्पष्टता लाने के उद्देश्य से सभी पिछले दिशानिर्देशों को समेकित करते हुए 16 फरवरी 2016 को नए दिशानिर्देश जारी किए गए।

3. 01 नवंबर 2014 से सभी एसईजेड में एसईजेड विकासकों तथा यूनिटों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का डिजिटीकरण एवं आनलाइन प्रसंस्करण शुरू किया गया है। डिजिटीकरण का दूसरा चरण 01 जुलाई, 2015 से सभी एसईजेड में शुरू किया गया है।

4. गैर प्रसंस्करण क्षेत्र (एनपीए) में अवसंरचना का दोहरा प्रयोग : एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में सामाजिक एवं वाणिज्यिक अवसंरचना तथा अन्य सुविधाओं का सृजन करने के उद्देश्य से सरकार ने अधिसूचना जीएसआर 5 (ई) दिनांक 2 जनवरी 2015 के माध्यम से एसईजेड तथा गैर एसईजेड संस्थाओं दोनों द्वारा गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में सुविधाओं के दोहरे प्रयोग को अनुमत किया है।

5. एसईजेड में विकासकों एवं यूनिटों से संबंधित गतिविधियों के मानचित्रण को चिह्नित किया गया तथा उक्त गतिविधियों को पूरा करने की समय सीमाएं निर्धारित एवं कार्यान्वित की गईं। इसे सभी एसईजेड में 14 अगस्त 2014 को शुरू किया गया।

6. केन्द्र सरकार ने का.आ. 968 (अ) दिनांक 8 अप्रैल 2015 के माध्यम से विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (आईएफएससी) की यूनिटों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी तथा आईआरडीए द्वारा निर्मित प्रचालन के नियमों को अधिसूचित किया है।

7. विशेष आर्थिक क्षेत्रों से बंदरगाहों तक आयात और निर्यात के लिए माल के मूवमेंट हेतु कागज रहित लेनदेन को सुगम बनाने के उद्देश्य से एसईजेड आनलाइन प्रणाली को सीमा शुल्क की आइसगेट प्रणाली से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। 19 जनवरी, 2015 को मद्रास विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई। अब यह सभी अन्य विशेष आर्थिक क्षेत्रों में शुरू की गई है तथा परियोजना संतोषप्रद ढंग से चल रही है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 में संशोधन : आईएफएससी में यूनिट स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित न्यासों एवं किसी अन्य संस्था को समर्थ बनाने के लिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2019 के माध्यम से धारा 2(अ) में व्यक्तियों की परिभाषा को संशोधित किया गया है। इस विधेयक को 06 जुलाई, 2019 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई।

विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, 2006 में हाल के संशोधन :

19 सितंबर, 2018 को किए गए संशोधन : जीएसटी अधिनियम 2017 के आलोक में एसईजेड नियमावली 2006 के विभिन्न प्रावधानों की समीक्षा करने तथा हितधारकों से समय समय पर सुझाव प्राप्त करने के लिए वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। वाणिज्य विभाग ने एसईजेड नियमावली 2006 को जीएसटी अनुपालक बनाते हुए 19 सितंबर 2018 को एसईजेड नियमावली 2006 में आवश्यक संशोधन अधिसूचित किए थे।

9 नवंबर, 2018 और 31 जनवरी, 2019 को किए गए संशोधन : नियम 41(1) (क) तथा नियम 42 के उप नियम (1) को संशोधित किया गया ताकि रत्न एवं आभूषण यूनिट के मामले में स्टडेड गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी और इमिटेशन ज्वेलरी, अग्रेतर प्रोसेसिंग की आवश्यकता वाले निर्मित माल या अर्ध निर्मित माल जो यूनिट द्वारा उप संविदा के लिए एसईजेड के बाहर ले जाया जाता है, 45 दिन के अंदर यूनिट में वापस लाया जाएगा।

7 मार्च, 2019 को किए गए संशोधन : 19 सितंबर, 2018 को किए गए संशोधन की पृष्ठभूमि में हितधारकों से एसईजेड नियमावली में और संशोधन करने के लिए सुझाव प्राप्त हुए और तद्नुसार एसईजेड में यूनिटों के लिए निवल विदेशी मुद्रा (एनएफई) की गणना की विधि से संबंधित नियम 53 में संशोधन सहित संशोधन किए गए।

17 दिसंबर, 2019 को किए गए संशोधन : एसईजेड में खाली स्थानों के उपयोग के लिए, अधिसूचना संख्या जीएसआर 940 (ई) दिनांक 17 दिसंबर 2019 के माध्यम से क्षेत्र विशिष्ट और बहु क्षेत्र एसईजेड के बीच अंतर को समाप्त किया गया है ताकि अधिक निवेश आकर्षित किया जा सके और निर्यात बढ़ाया जा सके।

31 दिसंबर, 2019 को किए गए संशोधन : इसकी विशेष प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में किसी यूनिट के लिए निवल विदेशी मुद्रा की गणना को सुगम बनाने के लिए नियम 53ए शामिल किया गया है।

भारत की एसईजेड नीति का अध्ययन करने के लिए समूह का गठन :

एसईजेड की नीतिगत रूपरेखा की समीक्षा करने के लिए श्री बाबा कल्याणी, अध्यक्ष, भारत फोर्ज लिमिटेड की अध्यक्षता में विख्यात हस्तियों के एक समूह का गठन किया गया जिन्होंने 19 नवंबर 2018 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सुझावों की जांच की जा रही है।

अनुमोदित एसईजेड का राज्यवार वितरण (14 नवंबर, 2019 की स्थिति के अनुसार)				
राज य/ संघ राज्य क्षेत्र	**औपचारिक अनुमोदन**	**सैद्धांतिक अनुमोदन**	**अधिसूचित एसईजेड**	**निर्यात करने वाले एसईजेड (एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय सरकार + राज्य सरकार / प्राईवेट एसईजेड + अधिसूचित एसईजेड)** *(30 सितंबर, 2019 तक की स्थिति के अनुसार)*
आंध्र प्रदेश	32	4	27	20
चंडीगढ़	2	0	2	2
छत्तीसगढ़	2	1	1	1
दिल्ली	2	0	0	0
गोवा	7	0	3	0
गुजरात	28	4	24	20
हरियाणा	23	3	20	7
झारखंड	2	0	2	0
कर्नाटक	62	0	51	32
केरल	29	0	25	19
मध्य प्रदेश	12	0	6	5
महाराष्ट्र	48	12	42	31
मणिपुर	1	0	1	0
नागालैंड	2	0	2	0
ओडिशा	7	0	5	5
पुद्दुचेरी	1	1	0	0
पंजाब	5	0	3	3
राजस्थान	5	1	4	3
तमिलनाडु	54	4	50	40
तेलंगाना	63	0	56	30
उत्तर प्रदेश	23	1	20	13
पश्चिम बंगाल	7	2	5	7
कुल योग	**417**	**33**	**349**	**238**

औपचारिक अनुमोदनों को संख्या (14 नवंबर 2019 की स्थिति के अनुसार)	417				
अधिसूचित एसईजेड की संख्या (14 नवंबर 2019 की स्थिति के अनुसार)	349+ (7 केन्द्र सरकार + 12 राज्य / निजी एसईजेड)				
सैद्धांतिक अनुमोदनों की संख्या (14 नंवबर, 2019 की स्थिति के अनुसार)	33				
क्रियाशील एसईजेड (30 सितंबर 2019 की स्थिति के अनुसार)	238 (ब्यौरा : *25 बहु उत्पाद एसईजेड हैं, शेष क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड हैं*)				
एसईजेड में अनुमोदित यूनिटें (30 सितंबर 2019 की स्थिति के अनुसार)	5,168				
एसईजेड के लिए भूमि (14 नवंबर 2019 की स्थिति के अनुसार)	*एसईजेड अधिनियम, 2005 से पूर्व अधिसूचित 7 केन्द्र सरकार + 11 राज्य / निजी एसईजेड*	*एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत अधिसूचित एसईजेड*	*कुल अधिसूचित एसईजेड क्षेत्र (1+2)*	*औपचारिक रूप से अनुमोदित एसईजेड (417-349)*	*कुल क्षेत्रफल (3+4)*
	(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
	2245.33 हेक्टेयर	40301.82 हेक्टेयर	42547.15 हेक्टेयर	5506.38 हेक्टेयर	48053.53 हेक्टेयर
	भूमि राज्य का विषय है। संबंधित राज्य सरकारों की नीति एवं प्रक्रिया के अनुसार एसईजेड के लिए भूमि का प्रापण किया जाता है।				

निवेश	निवेश (फरवरी, 2006 तक की स्थिति के अनुसार)	वृद्धिमूलक निवेश	कुल निवेश (30 सितंबर 2019 की स्थिति के अनुसार)
केन्द्र सरकार के एसईजेड	2,279.20 करोड़ रुपए	17,162.04 करोड़ रुपए	19,441.24 करोड़ रुपए
2006 से पूर्व स्थापित राज्य / निजी एसईजेड	1,756.31 करोड़ रुपए	11,676.84 करोड़ रुपए	13,433.15 करोड़ रुपए
अधिनियम के तहत अधिसूचित एसईजेड	-	4,88,757.05 करोड़ रुपए	4,88,757.05 करोड़ रुपए
कुल	4,035.51 करोड़ रुपए	5,17,595.93 करोड़ रुपए	5,21,631.44 करोड़ रुपए

रोजगार	रोजगार (फरवरी, 2006 तक की स्थिति के अनुसार)	वृद्धिमूलक रोजगार	कुल रोजगार (30 सितंबर 2019 की स्थिति के अनुसार)
केन्द्र सरकार के एसईजेड	1,22,236 व्यक्ति	1,04,872 व्यक्ति	2,27,108 व्यक्ति
2006 से पूर्व स्थापित राज्य / निजी एसईजेड	12,468 व्यक्ति	93,694 व्यक्ति	1,06,162 व्यक्ति
अधिनियम के तहत अधिसूचित एसईजेड	0 व्यक्ति	18,61,202 व्यक्ति	18,61,202 व्यक्ति
कुल	1,34,704 व्यक्ति	20,59,768 व्यक्ति	21,94,472 व्यक्ति

2017-18 में निर्यात	5,81,033 करोड़ रुपए (वित्त वर्ष 2016-17 की तुलना में 11 प्रतिशत की वृद्धि)
डीटीए बिक्री (समवत निर्यात)	*19,125 करोड़ रुपए (कुल उत्पादन का 3 प्रतिशत)*
डीटीए बिक्री (जिसकी गणना सकारात्मक एनएफई के लिए नहीं की जाती है)	*1,04,097 करोड़ रुपए (कुल उत्पादन का 15 प्रतिशत)*
2018-19 में निर्यात	7,01,179 करोड़ रुपए (वित्त वर्ष 2017-18 की तुलना में 21 प्रतिशत की वृद्धि)
डीटीए बिक्री (समवत निर्यात)	*19,908 करोड़ रुपए (कुल उत्पादन का 2 प्रतिशत)*
डीटीए बिक्री (जिसकी गणना सकारात्मक एनएफई के लिए नहीं की जाती है)	*1,01,866 करोड़ रुपए (कुल उत्पादन का 12 प्रतिशत)*
2019-20 में निर्यात (30 सितंबर 2019 की स्थिति के अनुसार)	3,81,912 करोड़ रुपए (वित्त वर्ष 2018-19 की समतुल्य अवधि के निर्यात की तुलना में 14.46 प्रतिशत की वृद्धि)
डीटीए बिक्री (समवत निर्यात)	*11,934 करोड़ रुपए (कुल उत्पादन का 3 प्रतिशत)*
डीटीए बिक्री (जिसकी गणना सकारात्मक एनएफई के लिए नहीं की जाती है)	*64,069 करोड़ रुपए (कुल उत्पादन का 14 प्रतिशत)*

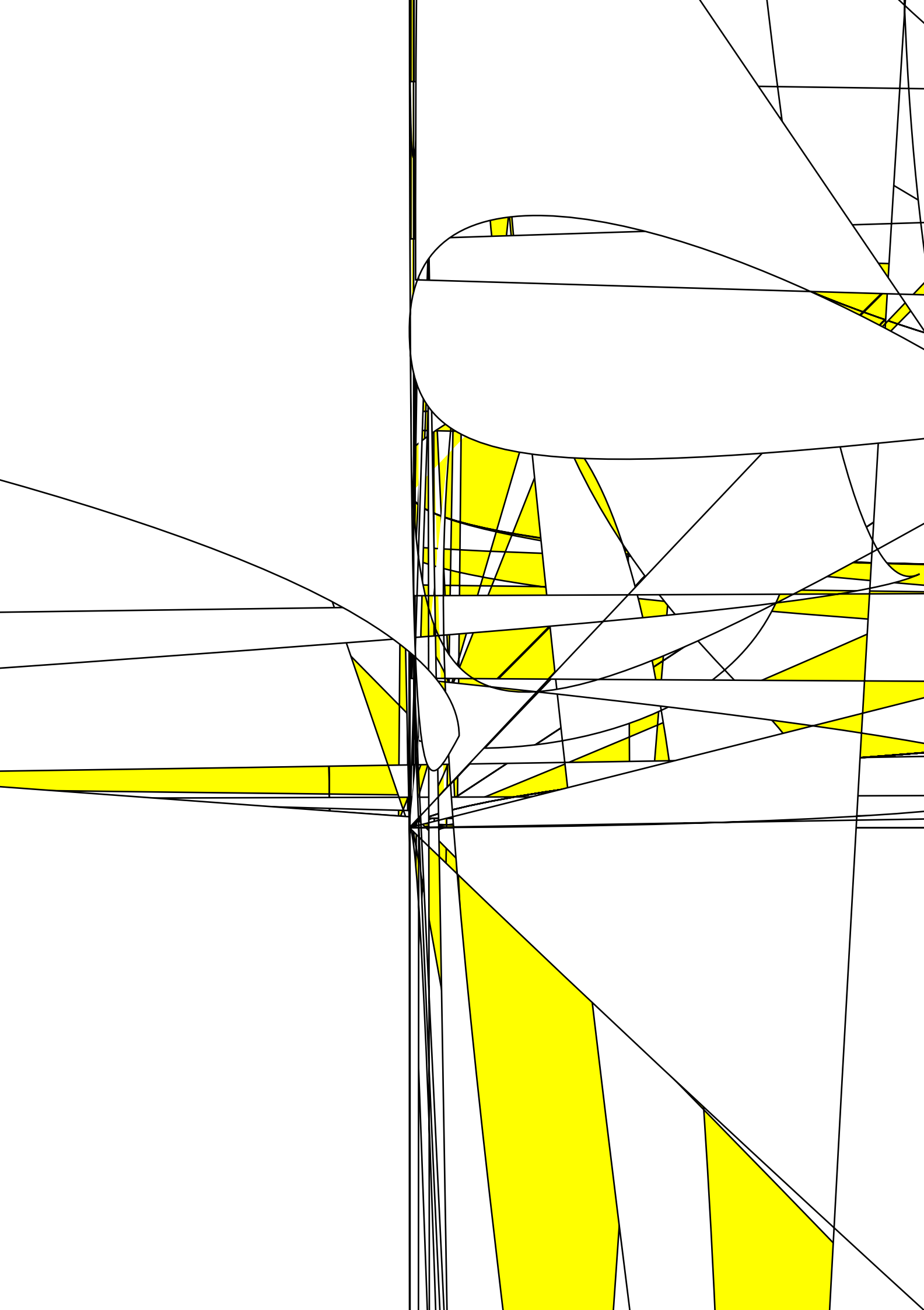

एसईजेड	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	30 सितंबर, 2019 की स्थिति के अनुसार क्रियाशील निर्यात उन्मुख यूनिटें
एमईपीजेड	तमिलनाडु	331
	पांडिचेरी	21
केएएसईजेड	गुजरात	185
एसईईपीजेड,	महाराष्ट्र	224
	दादरा एवं नगर हवेली	15
	दमन एवं दीव, गोवा	35
कुल		**1700**

निर्यात उन्मुख यूनिटों द्वारा निर्यात निष्पादन (करोड़ रुपए में)

वर्ष	ईओयू निर्यात
2015–16	97493.23
2016–17	103277.94
2017–18	86083.06
2018–19	87371.74
2019–20 (अनंतिम)	39879.57*

***अनंतिम क्योंकि कुछ यूनिटों से एपीआर और क्यूपीआर अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।**
निर्यात उन्मुख यूनिटें मुख्य रूप से वस्त्र एवं यार्न, खाद्य प्रसंस्करण, रत्न एवं आभूषण, कंप्यूटर हार्डवेयर, इलेक्ट्रानिक्स, रसायन, प्लास्टिक, ग्रेनाइट एवं खनिज / अयस्क के क्षेत्रों में हैं।

विशिष्ट एजेंसियां

I. बागान क्षेत्र (चाय, कॉफी, रबर और मसाले)

बागान क्षेत्र में चाय, कॉफी, प्राकृतिक रबर और मसाला क्षेत्र शामिल हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्षेत्र बागान उद्योग और इसकी सहायक गतिविधियों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका के मुद्दे से संबंधित है। यह एक बड़ा विदेशी मुद्रा उपार्जक भी है। बागान क्षेत्र भारत में सबसे पुराने संगठित उद्योगों में से एक है और कई राज्यों की कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। बागान फसलों की विशिष्टता इसकी विशाल संवृद्धि क्षमता और पारंपरिक कौशल विकास और स्थायी तरीके से, प्रवास के बिना, बेहतर जीवन की इसकी गुंजाइश में निहित है। ऐतिहासिक रूप से, भारत में बागान को विदेशी मुद्रा की विकट कमी को दूर करने के लिए विदेशी मुद्रा अर्जन के साधन के रूप में बढ़ावा दिया गया था। इस भूमिका को देखते हुए, इस क्षेत्र को सरकार का काफी ध्यान प्राप्त हुआ। यह इन फसलों में से प्रत्येक के लिए वस्तु बोर्ड की स्थापना और इनके लिए बनाए गए विधान के रूप में परिलक्षित होता है, जो इन बोर्डों को बागान विकास के लिए आवश्यक विभिन्न गतिविधियां निष्पादित करने के लिए सशक्त बनाते हैं। इसके अलावा, कृषि के राज्य विषय होने के बावजूद, निर्यात आय में उनकी भूमिका के कारण इन बोर्डों को वाणिज्य मंत्रालय के अधीन रखा गया। प्रत्येक क्षेत्र का विवरण निम्नवत सारबद्ध किया गया है :

चाय क्षेत्र

चाय बोर्ड : भारत में चाय उद्योग के समग्र विकास के लिए अधिनियम में परिकल्पित विभिन्न कार्यों, कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए चाय बोर्ड चाय अधिनियम 1953 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। अध्यक्ष सहित चाय बोर्ड के सदस्यों की संख्या 31 है। बोर्ड का कार्यकाल तीन साल का होता है। उपाध्यक्ष मुख्य कार्यपालक अधिकारी होते हैं और दो कार्यपालक निदेशक होते हैं, जिनमें से एक असम के गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय कार्यालय (पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए) और दूसरे तमिलनाडु के कून्नूर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय (पूरे दक्षिण भारत के लिए) में तैनात हैं। बोर्ड का कार्य चाय बागानों में दक्षता एवं नवाचार को सुगम बनाने के लिए प्रबंधन की प्रभावी रणनीतियों का विकास करना, अच्छी गुणवत्ता की चाय के उत्पादन के लिए प्रसंस्करण की नवाचारी प्रौद्योगिकी का विकास करना, अधिक मूल्य वाली चाय का निर्यात बढ़ाना, चाय उद्योग के सभी स्तरों पर मानव संसाधन के लिए क्षमता निर्माण, चाय की खेती और प्रौद्योगिकी के सभी पहलुओं पर अनुसंधान एवं विकास के प्रयासों को सुदृढ़ करना, चाय उत्पादन के मूल्य में वृद्धि करना है।

भारत में चाय : भारत काली चाय का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है। कुल उत्पादन का औसतन 19 प्रतिशत निर्यात किया जाता है तथा शेष 81 प्रतिशत की खपत देश के अंदर होती है। बहुमूल्य विदेशी मुद्रा लाने के अलावा चाय उद्योग चाय पैदा करने वाले राज्यों के लिए राजस्व के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। चाय उद्योग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह एक मिलियन से अधिक श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है जिनमें से काफी अधिक संख्या में महिलाएं हैं।

चाय का उत्पादन करने वाले क्षेत्र : असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल चाय का उत्पादन करने वाले मुख्य राज्य हैं। वे कुल उत्पादन में से 98 प्रतिशत चाय का उत्पादन करते हैं। त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और कर्नाटक ऐसे अन्य परंपरागत राज्य हैं जहां थोड़ी मात्रा में चाय की खेती होती है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम ऐसे गैर परंपरागत राज्य हैं जिन्होंने हाल के वर्षों में भारत के चाय मानचित्र पर अपनी जगह बनाई है। भारत विश्व की कुछ बेहतरीन चाय का उत्पादन करता है जैसे कि दार्जिलिंग, असम, नीलगिरि और कांगड़ा जो अपने उत्कृष्ट खुशबू, स्ट्रेंथ और ब्राइटनेस के लिए मशहूर हैं। प्रत्येक क्षेत्र की विशेषताएं अलग– अलग हैं जो उन्हें कई तरीकों से एक दूसरे से अलग करते हैं।

उत्पादन : 2019–20 के लिए : उत्पादन के अनंतिम आंकड़ों के आधार पर 2019–20 (अप्रैल से सितंबर) के दौरान चाय का संचयी उत्पादन 902.75 मिलियन किलो है जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में चाय के उत्पादन की तुलना में 15.75 मिलियन किलो अधिक है। उम्मीद है कि 2019–20 के लिए चाय का उत्पादन 1360 मिलियन किलो के आसपास पहुंच जाएगा जो पिछले वर्ष के 1350 मिलियन किलो के उत्पादन की तुलना में अधिक है।

पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान भारत में चाय का उत्पादन (मिलियन किलो में)

वर्ष	उत्तर भारत	दक्षिण भारत	अखिल भारत
2016-17	1043.11	207.38	1250.49
2017-18	1091.40	233.65	1325.05
2018-19	1124.03	226.01	1350.04

स्रोत : चाय बोर्ड

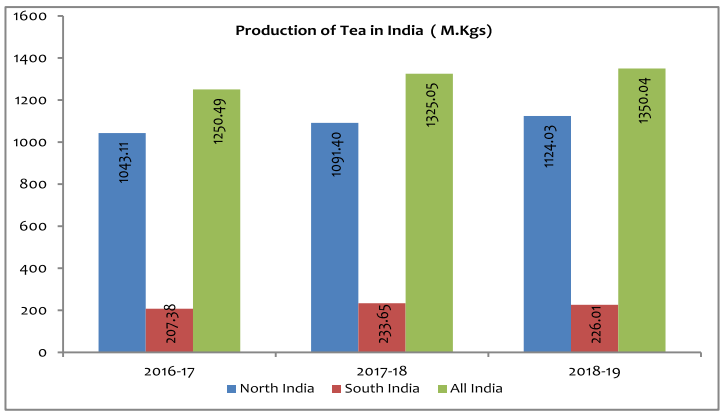

स्रोत : चाय बोर्ड

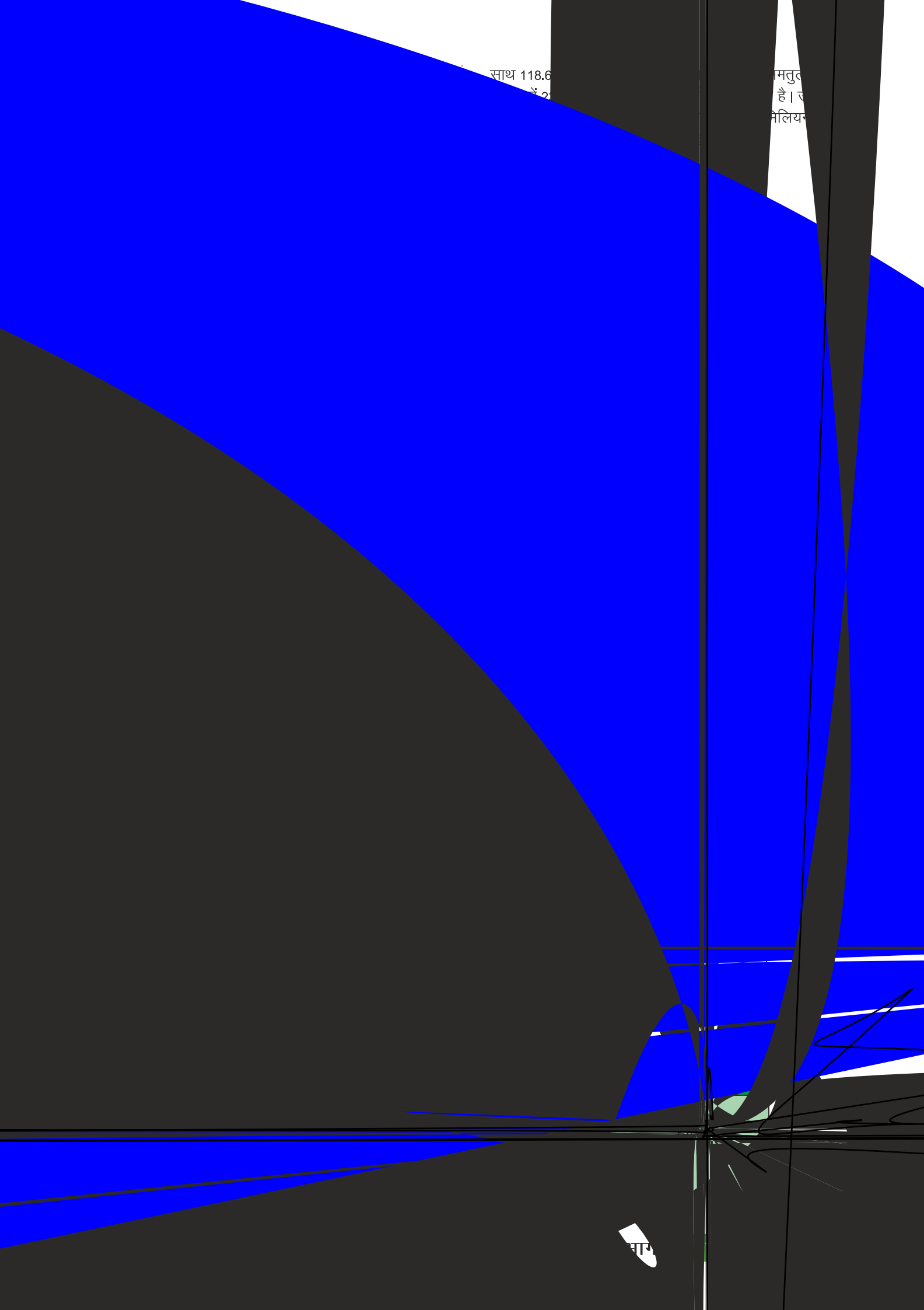

चाय का विकासः चाय अधिनियम के तहत चाय बोर्ड को जो महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं उनमें से एक के तहत चाय का उत्पादन तथा बागानों की उत्पादकता बढ़ाने वाली विकास स्कीमें तैयार करना और कार्यान्वित करना, चाय प्रसंस्करण, पैकेजिंग तथा मूल्य अभिवृद्धि की सुविधाओं का आधुनिकीकरण करना तथा छोटे चाय उत्पादकों के बीच सहकारिता के प्रयासों को प्रोत्साहित करना शामिल है। कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित स्कीमों के माध्यम से उपर्युक्त गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जिन गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान की जाती है उनमें शामिल हैं – चाय की पुरानी झाड़ियों को उखाड़ना और पुनः रोपण / जीर्णोद्धार, सिंचाई की सुविधाओं का सृजन, खेती का यंत्रीकरण, स्वयं सहायता समूहों / उत्पादक समूहों के रूप में छोटे उत्पादकों का समूह बनाना, प्रशिक्षण, प्रदर्शन, अध्ययन दौरे, मूल्यवर्धन, गुणवत्ता प्रमाण पत्र, आर्थोडाक्स एवं ग्रीन टी के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना और मजदूरों के लिए कल्याणकारी उपाय।

प्रमुख घटकों के लिए 2019–20 के दौरान (अक्टूबर 2019 तक) भौतिक उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं :

घटक	गतिविधियां	लक्ष्य	उपलब्धि
बागान विकास – बड़े किसान	पुन: रोपण एवं रोपण का प्रतिस्थापन (हेक्टेयर में)	2400	112.06
	जीर्णोद्धार के लिए छंटाई (हेक्टेयर में)	200	11.57
	सिंचाई सुविधाओं का निर्माण (हेक्टेयर में)	8500	246.23
	फील्ड यंत्रीकरण (संख्या)	20	11
बागान विकास - छोटे किसान	पुन: रोपण / रोपण का प्रतिस्थापन (हेक्टेयर में)	15	1.38
	जीर्णोद्धार के लिए छंटाई (हेक्टेयर में)	100	14.30
	नया रोपण (हेक्टेयर में)	----	117.38
	सिंचाई सुविधाओं का निर्माण (हेक्टेयर में)	100	0.00
	फील्ड यंत्रीकरण (संख्या)	20	04
	एसएचजी / एफपीओ गठन (संख्या)	24	
	प्रशिक्षण / कार्यशाला / सेमिनार (संख्या / लाभार्थी)	300	42 (350)
गुणवत्ता स्तरोन्ननयन एवं उत्पाद विविधीकरण	मूल्य वर्धन (इकाइयां)	5	2
	विशेष चाय इकाइयां (इकाइयां)	2	0
	गुणवत्ता प्रमाण पत्र (इकाइयां)	100	0
	परंपरागत उत्पादन सब्सिडी (मिलियन किलो में)	60	40.97
मानव संसाधन विकास	चाय बगान के मजदूरों पर दिव्यांग आश्रितों को सहायता / दिल एवं कैंसर के रोगियों के विशेष मामले (संख्या)	50	1
	शैक्षिक वृतिका, पोशाक / पुस्तक अनुदान इत्यादि / नेहरू पुरस्कार (संख्या)	11000	1005
	भारत स्काउड, गाइड की गतिविधियां आयोजित करने के लिए सहायता (लाभार्थियों की संख्या)	400	5
	श्रमिकों को नया कौशल प्रदान करने के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण (बैचों / लाभार्थियों की संख्या)	4	0

स्रोत : चाय बोर्ड

छोटे उत्पादक : लघु उत्पादक विकास निदेशालय अनन्य रूप से चाय पैदा करने वाले राज्यों में छोटे उत्पादकों की बहुलता वाले क्षेत्रों में स्थापित किए गए कार्यालयों के माध्यम से लघु चाय उत्पादकों की आवश्यकताएं पूरी कर रहा है। निदेशालय द्वारा निष्पादित की जाने वाली प्रमुख गतिविधियों में से एक सर्वोत्तम फील्ड प्रथाओं, जैविक खेती, मूल्य श्रृंखला अपनाने के लिए सामूहिकीकरण आदि पर लघु चाय उत्पादकों के लिए कार्यशालाओं और प्रशिक्षण का आयोजन करना है। छोटे उत्पादकों के लिए अध्ययन दौरों का भी आयोजन किया जाता है ताकि जानकारी प्राप्त करने और अपनाए जा रहे बेहतर उद्यम एवं प्रथाओं को अपनाने में उनकी मदद की जा सके।

अनुसूचित जाति उप योजना और आदिवासी क्षेत्र उप योजना : ये विशेष अंतर्क्षेप हैं जिनका उद्देश्य यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थियों के लिए योजना के तहत अनुमोदित सहायता प्रदान करना है। भौतिक उपलब्धियां नीचे दी गयी हैं :

2019-20 के दौरान (31 अक्टूबर 2019 तक) भौतिक उपलब्धि			
गतिविधि	एससीएसपी	टीएएसपी	कुल
जीर्णोद्धार के लिए छंटाई (हेक्टेयर में)	2.43	12.50	14.93
सिंचाई (हेक्टेयर में)	0.30	0	0.30
फील्ड यंत्रीकरण (संख्या)	103	24	127
एसएचजी / एफपीओ को सहायता - (संख्या)	18 (325)	19 (294)	37 (619)
नयी चाय फैक्टरियों की स्थापना (संख्या)	0	3	3
कार्यशाला / प्रशिक्षण कार्यक्रम (लाभार्थियों की संख्या)	19 (1370)	1 (80)	20 (1450)
शिक्षा वृत्तिका एवं नेहरू पुरस्कार (संख्या)	256	227	483

चाय विकास पर अन्य प्रमुख पहलें

- छोटे उत्पादकों की सूची बनाने तथा उनको स्मार्ट कार्ड प्रदान करने की कवायद चल रही है। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान 210225 छोटे चाय उत्पादकों की गणना की गई और क्यूआर कोड के साथ 82762 नंबर कार्ड जारी किए गए हैं।
- प्रौद्योगिकी पहल के रूप में चाय बोर्ड ने इस उद्योग के हितधारकों के प्रयोग के लिए एक मोबाइल ऐप का विकास किया है। इस ऐप में छोटे चाय उत्पादकों, चाय कारखानों के लिए अलग कंपोनेंट हैं जो छोटे चाय उत्पादकों, बड़े चाय उत्पादकों तथा बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों से ग्रीन लीफ की आउटसोर्सिंग करती हैं। यह ऐप चाय का उत्पादन करने वाले देश के सभी राज्यों में लांच किया गया है।
- बोर्ड की विभिन्न विकास एवं कल्याण योजनाओं के लिए आनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना
- चाय बोर्ड के विभिन्न कार्यालयों और चाय बागान क्षेत्रों में स्वच्छता कार्य योजना संबंधी जागरूकता अभियान को विशेष महत्व दिया गया जिसके लिए बोर्ड द्वारा 27 लाख रुपये का व्यय किया गया है।
- कम गुणवत्ता वाली चाय के निर्माण पर रोक लगाने के लिए सर्दी के महीनों के दौरान चाय के निर्माण पर रोक लगाकर 2019 की सर्दियों के दौरान उत्तर भारत में कम गुणवत्ता वाली चाय के उत्पादन पर रोक लगाने की पहल की गई।

चाय संवर्धन : चाय बोर्ड के प्रमुख कार्यों में से एक संवर्धन की गतिविधियों को संचालित करना है जिनका उद्देश्य लक्षित बाजारों में भारतीय चाय के बाजार शेयर को बढ़ाने तथा घरेलू उपभोग को भी बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय चाय की अनेक किस्मों के बारे में जागरूकता बढ़ाकर वैश्विक बाजार में भारत को अच्छी चाय का अग्रणी आपूर्तिकर्ता बनाना है। चयनित देशों पर विशेष ध्यान दिया गया जहां निर्यात बढ़ाने की अधिक संभावना है।

पिछले पांच वर्षों (वर्ष 2014 से 2018 की अवधि) के दौरान वैश्विक चाय उत्पादन 3.15 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़कर वर्ष 2018 में 5.90 मिलियन टन हो गया है और निर्यात केवल 0.44 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़कर वर्ष 2018 में 1.86 मिलियन टन हो गया है। विश्व में चाय का उपभोग 2014 में 4.89 मिलियन टन से बढ़कर 2018 में 5.68 मिलियन टन हो गया है जो 3.81 प्रतिशत की वृद्धि है।

वित्त वर्ष 2019–20 की पहली छमाही के दौरान 2736.54 करोड़ रुपए के एफओबी मूल्य के साथ अनंतिम सकल भारतीय निर्यात की मात्रा 118.86 मिलियन किलो थी जबकि वित्त वर्ष 2018–19 में समान अवधि के दौरान निर्यात की मात्रा 118.68 मिलियन किलो तथा एफओबी मूल्य 2498.63 करोड़ रुपए था। इस प्रकार वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान, हालांकि निर्यात की मात्रा समान है परंतु पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि की तुलना में मूल्य की वसूली 237.91 करोड़ रुपए (9.52 प्रतिशत) अधिक है। उम्मीद है कि 2019–20 के लिए भी चाय का निर्यात 250–255 मिलियन किलो पर बना रहेगा परंतु मूल्य की वसूली में वृद्धि होगी।

कॉफी क्षेत्र

कॉफी बोर्ड : कॉफी बोर्ड कॉफी अधिनियम, 1942 के तहत गठित वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक संगठन है। बोर्ड में कुल 33 सदस्य हैं। भारत सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष बोर्ड के मुखिया होते हैं जो मुख्य कार्यपालक हैं तथा इसके 31 सदस्यों में संसद सदस्य तथा कॉफी उद्योग के विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य शामिल हैं। कॉफी बोर्ड अपनी गतिविधियों को अनुसंधान, विस्तार, विकास, बाजार आसूचना, बाहरी एवं आंतरिक संवर्धन तथा कल्याण के उपायों पर संकेंद्रित करता है। कॉफी बोर्ड बेंगलुरु में में अपने प्रधान कार्यालय तथा केन्द्रीय अनुसंधान केन्द्र अर्थात बालेहोन्नूर, जिला चिकमगलूर, कर्नाटक में केन्द्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान (सी सी आर आई) और चेत्ताली (कर्नाटक) में एक उप केन्द्र तथा चुंडाले (केरल), थांडीगुडी (तमिलनाडु), नर्सीपटनम (आंध्र प्रदेश) एवं डीफू (असम) में क्षेत्रीय

अनुसंधान केन्द्रों तथा कॉफी का उत्पादन करने वाले परंपरागत क्षेत्रों (कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु), गैर परंपरागत क्षेत्रों (आंध्र प्रदेश और ओडिशा) तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र (असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश) में फैली अपनी विस्तार यूनिटों के माध्यम से काम करता है।

काफी क्षेत्र : मुख्य रूप से परंपरागत क्षेत्रों अर्थात कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में लगभग 4.6 लाख हेक्टेयर में कॉफी की खेती होती है जो कुल उत्पादन का लगभग 97 प्रतिशत उत्पादन करते हैं। कुछ हद तक आंध्र प्रदेश और ओडिशा के गैर परंपरागत क्षेत्रों में तथा उत्तर पूर्वी राज्यों अर्थात असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मणिपुर में भी थोड़ी मात्रा में कॉफी की खेती होती है जहां जनजातियों के विकास और वनरोपण पर मुख्य बल होता है।

देश में लगभग 3.76 लाख कॉफी होल्डिंग हैं जिसमें से लगभग 3.66 लाख होल्डिंग (99 प्रतिशत) लघु उत्पादक श्रेणी (10 हेक्टेयर तक) में आते हैं और कुल होल्डिंग का बाकी 1 प्रतिशत 10 हेक्टेयर से अधिक होल्डिंग साइज के साथ बड़ा उत्पादक श्रेणी में आता है।

कॉफी उत्पादन : 2018–19 के लिए मानसून के बाद फसल के अनुमानों को 3,19,500 मीट्रिक टन के रूप में रखा गया है जिसमें 95,000 मीट्रिक टन अरेबिका और 2,24,500 मीट्रिक टन रोबस्टा शामिल है। 2019–20 के लिए मानसून पश्चात अनुमान तैयार किए जा रहे हैं और दिसंबर 2019 के अंत तक उपलब्ध होंगे।

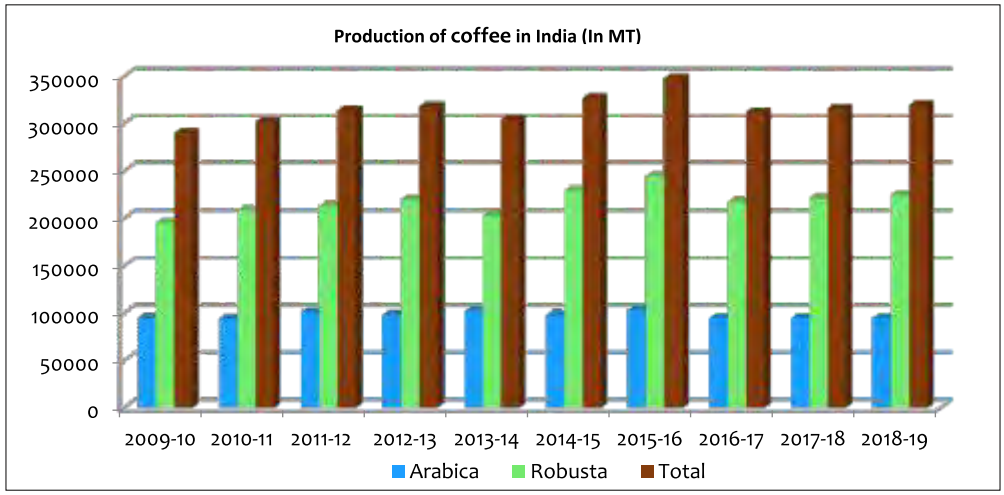

स्रोत : कॉफी बोर्ड

उत्पादकता : वर्ष 2018–19 के लिए फसल के अनुमानित उत्पादन के आधार पर कॉफी की समग्र उत्पादकता 767 किलो प्रति हेक्टेयर थी। अरेबिका की उत्पादकता 470 किलो प्रति हेक्टेयर थी, जबकि रोबस्टा की उत्पादकता 1047 किलो प्रति हेक्टेयर है। जहां तक परंपरागत इलाकों का संबंध है, 2018–19 के लिए समग्र उत्पादकता 893 किलो प्रति हेक्टेयर थी, जिसमें अरेबिका की उत्पादकता 636 किलो प्रति हेक्टेयर और रोबस्टा की उत्पादकता 1051 किलो प्रति हेक्टेयर थी।

कॉफी का निर्यात : कॉफी मुख्य रूप से निर्यात उन्मुख वस्तु है तथा इस समय देश के कॉफी उत्पादन का 75 प्रतिशत निर्यात हो रहा है, जबकि शेष कॉफी का घरेलू स्तर पर उपभोग हो रहा है। वर्ष 2019–20 (अप्रैल – अक्टूबर 2019) के दौरान भारत ने 1,99,788 मीट्रिक टन कॉफी का निर्यात किया जिसका मूल्य 3118.05 करोड़ रुपए और 445.50 मिलियन अमरीकी डालर था जबकि 2018–19 में समतुल्य अवधि के दौरान 2,03,771 मीट्रिक टन कॉफी का निर्यात किया गया जिसका मूल्य 3346 करोड़ रुपए और 487.20 मिलियन अमरीकी डालर था।

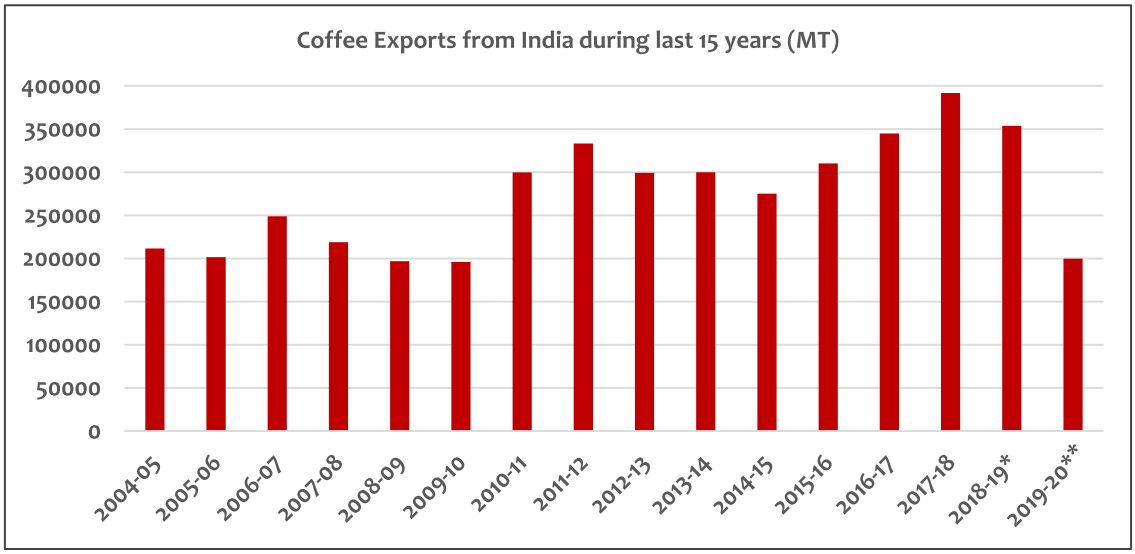

*जारी किए गए निर्यात परमिट के आधार पर ** अप्रैल 2019 से अक्टूबर 2019 तक जारी किए गए निर्यात परमिट के आधार पर

❖ **निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना (टीआईईएस) के अंतर्गत कॉफी की गुणवत्ता और निर्यात प्रमाण पत्र के लिए प्रयोगशाला की स्थापना** : कॉफी बोर्ड ने निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना (टीआईईएस) के अंतर्गत कॉफी की गुणवत्ता और निर्यात प्रमाण पत्र के लिए प्रयोगशाला स्थापित की है। उक्त प्रयोगशाला कॉफी के प्रसंस्करण और निर्माण में शामिल घरेलू कंपनियों के प्रमाणन तथा आयात करने वाले देशों के मानकों का पालन करने हेतु निर्यात कनसाइनमेंट के प्रमाणन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्थापित की गई है। उपर्युक्त प्रयोगशालाओं का सिविल कार्य पूरा हो गया है। योजना के अंतर्गत प्रस्तावित उपकरणों में से 80 प्रतिशत से अधिक उपकरणों को खरीदने और लगाने का काम पूरा हो गया है। नई डेडलाइन के अनुसार दिसंबर 2019 के अंत तक यह प्रयोगशाला पूर्णतः क्रियाशील हो जाएगी।

कॉफी बोर्ड की प्रौद्योगिकी संबंधी पहलें :

❖ डिजिटल परिवर्तन यात्रा के अंग के रूप में कॉफी बोर्ड ने पिछले वर्ष के दौरान विस्तार सेवाओं के लिए कॉफी कनेक्ट – इंडिया कॉफी फील्ड फोर्स ऐप कार्यान्वित किया, कॉफी कृषि थारंगा, कृषि एडवाइजरी के लिए मोबाइल आधारित आईवीआरएस, ब्लाक चेन आधारित मार्केट प्लेस ऐप और डाटा एनालिटिक्स, आर्टीफिशियल इंटेलीजेंट तथा पेस्ट पहचान, रोग एवं मौसम भविष्यवाणी पर आईओटी परियोजनाओं का प्रायोगिक आधार पर परीक्षण एवं मूल्यांकन किया तथा वर्तमान वर्ष के दौरान भी रोग एवं मौसम भविष्यवाणी से संबंधित परियोजनाओं को छोड़कर सभी पहलों में और सुधार करना जारी रखा।

❖ वर्तमान वर्ष के दौरान मैसर्स यूआईपाथ जो रोबोटिक प्रोसेस आटोमेशन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर्स में से एक है, के सहयोग से कॉफी बोर्ड ने 2 चिह्नित क्षेत्रों में पीओसी का सफल प्रदर्शन किया है अर्थात (क) निर्यात परमिट जारी करना एवं निर्यात मिलान और (ख) भुगतान के स्तर तक सब्सिडी के आनलाइन आवेदनों की प्रोसेसिंग। दोनों पीओसी को अत्यधिक सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं और यह बोर्ड के मानव संसाधन की दक्षता बढ़ाने का वायदा करेगा।

❖ बोर्ड ने अर्नस्ट एंड यंग (ईवाई) के साथ साझेदारी की है तथा भारतीय कॉफी की प्रतिस्पर्धी क्षमता में सुधार तथा इस क्षेत्र की उत्पादकता एवं उद्यमिता में सुधार के लिए ब्लाक चेन, एनालिटिक्स आदि जैसी नई प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करने के उद्देश्य से भारत में कॉफी क्षेत्र के लिए विस्तृत अध्ययन किया है और एक कार्यनीतिक रोडमैप तैयार किया है।

❖ कॉफी बोर्ड ने राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के साथ साझेदारी की है और कॉफी क्षेत्र पर सब्सिडी के प्रभाव पर एक विस्तृत अध्ययन किया है। एनआईपीएफपी के अध्ययन में पाया गया है कि कुछ हस्तक्षेपों जैसे कि उत्पादकता में सुधार के लिए पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए सहायता, कॉफी के उत्पादन पर गुणवत्ता उन्नयन के लिए सहायता और स्पेशियलिटी एवं मूल्यवर्धित कॉफी का शेयर बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

प्राकृतिक रबर क्षेत्र

रबर बोर्ड : रबर बोर्ड, रबर अधिनियम, 1947 की धारा (4) के तहत गठित एक सांविधिक संगठन है और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष इस बोर्ड के मुखिया हैं और कार्यपालक निदेशक सहित इसके 28 सदस्य हैं जो प्राकृतिक रबर उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि रबर उत्पादन क्षेत्र, रबर निर्माण उद्योग, श्रम, रबर का उत्पादन करने वाले मुख्य राज्यों की सरकारों और संसद सदस्यों (लोक सभा से 2 तथा राज्य विधान परिषद से 1) का प्रतिनिधित्व करते हैं। बोर्ड की कार्यकारिणी और प्रशासनिक शक्तियां कार्यपालक निदेशक के पास हैं। बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम, केरल में स्थित है।

भारतीय रबर उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला से संबंधित विकासात्मक एवं विनियामक कार्यों का निर्वहन प्राकृतिक रबर (एन आर) से संबंधित अनुसंधान, विकास, विस्तार और प्रशिक्षण की गतिविधियों को प्रोत्साहित करके और मदद प्रदान करके बोर्ड द्वारा किया जाता है। बोर्ड के कार्यों में रबर की सांख्यिकी का अनुरक्षण, रबर के विपणन को प्रोत्साहित करना तथा श्रमिकों के कल्याण से संबंधित कार्य करना भी शामिल है। 1955 में स्थापित भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान (आरआरआईआई) कोट्टायम, केरल में स्थित है तथा इसके नौ क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र (आरआरएस) हैं जो रबर का उत्पादन करने वाले देश के विभिन्न राज्यों में स्थित हैं। भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान ने देश में प्राकृतिक रबर के जैविक एवं प्रौद्योगिकीय सुधार का सुनिश्चय करने के लिए अनुसंधान कार्य शुरू किया। बोर्ड का एक प्रशिक्षण विभाग अर्थात रबर प्रशिक्षण संस्थान (आरटीआई) भी है जो कोट्टायम में स्थित है तथा प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों के बीच कड़ी के रूप में काम करता है। इसे उत्पादन, प्रसंस्करण, उत्पाद निर्माण, विपणन एवं उपभोग सहित प्राकृतिक रबर उद्योग के सभी क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है तथा यह रबर उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्राकृतिक रबर का उत्पादन : 2018–19 के दौरान प्राकृतिक रबर का अनुमानित उत्पादन 6.51 लाख टन है जो एक साल पहले 6,94,000 टन उत्पादन की तुलना में 6.2 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि को दर्शाता है। मुख्य रूप से प्राकृतिक रबर का उत्पादन करने वाले मुख्य राज्य केरल में अगस्त 2018 के दौरान अनपेक्षित बाढ़ के कारण टैपिंग के दिनों की क्षति, पेड़ों की क्षति तथा पत्तियों के असामान्य रूप से गिरने की घटनाओं आदि के कारण वर्ष के दौरान उत्पादन में गिरावट हुई।

अप्रैल से सितंबर 2019 के दौरान प्राकृतिक रबर का अनंतिम रूप से अनुमानित उत्पादन 308,000 टन है जो पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान 277,000 टन के उत्पादन की तुलना में 11.2 प्रतिशत अधिक है।

उत्पादकता : 2018–19 के दौरान टैप एरिया के प्रत्येक हेक्टेयर में उत्पादन की दृष्टि से औसत उपज 2017–18 में 1458 किलो प्रति हेक्टेयर से घटकर 1446 किलो प्रति हेक्टेयर हो गई। उपलब्ध टैपेबल एरिया में टैप एरिया का शेयर 2017–18 में 78 प्रतिशत से घटकर 2018–19 में 70 प्रतिशत हो गया। टैप एरिया का क्षेत्रफल 2017–18 में 475,000 हेक्टेयर से घटकर 2018–19 में 448,000 हेक्टेयर हो गया। पिछले वर्ष में 1458 किलो प्रति हेक्टेयर की तुलना में 2018–19 के दौरान टैप एरिया के प्रत्येक हेक्टेयर में उत्पादन की दृष्टि से औसत उपज 1453 किलो प्रति हेक्टेयर थी।

प्राकृतिक रबर का उपभोग : देश ने 2018–19 में अनंतिम रूप से

12,11,940 टन प्राकृतिक रबर का उपभोग किया जो वर्ष 2017–18 के दौरान 11,12,210 टन के उपभोग की तुलना में 9.0 प्रतिशत अधिक है। यह डामिनेंट आटो टायर निर्माण क्षेत्र में 11.9 प्रतिशत और सामान्य रबर माल क्षेत्र में 2.3 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2018–19 के दौरान देश में प्राकृतिक रबर के उपभोग की कुल मात्रा में आटो टायर निर्माण क्षेत्र द्वारा उपभोग का शेयर 71.3 प्रतिशत था।

अप्रैल से सितंबर 2019 के दौरान प्राकृतिक रबर का अनंतिम रूप से अनुमानित उपभोग 5,67,120 टन है जो अप्रैल से सितंबर 2018 के दौरान 6,14,040 टन के उपभोग की तुलना में 7.6 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्शाता है।

प्राकृतिक रबर का आयात : वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय से उपलब्ध अनंतिम आंकड़ों के अनुसार देश ने पिछले वर्ष में 469,760 टन प्राकृतिक रबर के आयात की तुलना में 2018–19 के दौरान 582,351 टन प्राकृतिक रबर का आयात किया। 12 जून 2018 से अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत प्राकृतिक रबर के ड्यूटी फ्री आयात के लिए पोर्ट प्रतिबंध हटा लिया गया। अप्रैल से सितंबर 2018 के दौरान में 299,460 टन प्राकृतिक रबर के आयात की तुलना में अप्रैल से सितंबर 2019 के दौरान 257,943 टन प्राकृतिक रबर का आयात किया गया।

प्राकृतिक रबर का निर्यात : समीक्षाधीन वर्ष की पूरी अवधि के दौरान घरेलू एवं विदेशी बाजारों के बीच मूल्य में अंतर निर्यात के लिए अनुकूल नहीं था और इसलिए एक साल पहले 5072 टन के निर्यात की तुलना में वर्ष 2018–19 के दौरान निर्यात की मात्रा घटकर 4551 टन हो गई। अप्रैल से सितंबर 2018 के दौरान में 1,844 टन प्राकृतिक रबर के निर्यात की तुलना में अप्रैल से सितंबर 2019 के दौरान 3,571 टन प्राकृतिक रबर का निर्यात किया गया।

नई वैश्विक आर्थिक सच्चाइयां और भारत

भारत के विदेश व्यापार की प्रवृत्तियां : अगस्त 2018 के दौरान बाढ़ और अत्यधिक बरसात के कारण अपर्याप्त घरेलू उत्पादन तथा अपेक्षाकृत कम कीमतों पर विदेशों में प्राकृतिक रबर की उपलब्धता के कारण देश में प्राकृतिक रबर का अधिक आयात किया गया। भारत ने 2017–18 के दौरान 469,760 टन प्राकृतिक रबर के आयात की तुलना में 2018–19 में 582,351 टन (अनंतिम) प्राकृतिक रबर का आयात किया जो लगभग 24 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्शाता है। भारत ने प्राकृतिक रबर के वैश्विक बाजार में प्रचलित अपेक्षाकृत कम कीमतों के कारण वर्ष 2018–19 के दौरान 4551 टन (अनंतिम) प्राकृतिक रबर का निर्यात किया।

योजना : सरकार द्वारा 721.98 करोड़ रुपये के परिव्यय से मध्यम अवधि फ्रेमवर्क (वर्ष 2017–18 से वर्ष 2019–20) के लिए संपोषणीय एवं समावेशी प्राकृतिक रबर क्षेत्र विकास योजना अनुमोदित की गयी। 2019–20 के दौरान वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

(क) 2018–19 और 2019–20 के दौरान (अक्टूबर 2019 तक) वित्तीय उपलब्धि

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	घटक	2018 - 19		2019 - 20	
		अनुमोदित परिव्यय	व्यय (अनंतिम)	अनुमोदित परिव्यय	व्यय (अनंतिम)
1.	रबर बागान विकास एवं विस्तार	31.27	9.49	40.33	4.54
2.	रबर अनुसंधान	4.31	1.01	6.76	0.46
3.	प्रसंस्करण एवं विपणन, अवसंरचना विकास तथा विशिष्ट सेवाओं के लिए सहायता	9.11	1.65	8.35	0.72
4.	मानव संसाधन विकास	3.94	2.06	4.87	0.95
5.	लंबित दायित्व	-	-	-	-
6.	वेतन और पेंशन	152.66	152.66	163.35	114.39
7.	मजदूरी		13.10	-	7.70
8.	सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के कारण वेतन में वृद्धि	10.09	-	10.80	-
9.	सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के कारण भत्तों में वृद्धि	5.35	-	5.72	-
10.	सातवें केंद्रीय वेतन आयोग का एरियर	-	-	-	-
11.	स्थापना लागत	12.00	5.70	12.00	3.19
कुल		**228.73**	**187.82**	**252.18**	**131.96**

स्थापना के सिलसिले में मैसर्स एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड और मैसर्स सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर, भुवनेश्वर के साथ सहयोगात्मक परियोजना शुरू की गई।

- 18 जून से 16 अक्टूबर 2019 तक चार माह के लिए म्यांमार के अधिकारियों को रबर प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

अनुसंधान उपलब्धि

- **पूर्वोत्तर भारत के रबर उत्पादक क्षेत्रों का मृदा उर्वरता मानचित्रण** : पूर्वोत्तर भारत के रबर उत्पादक क्षेत्रों के मृदा उर्वरता मानचित्रण का कार्य चल रहा है। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और असम से मिट्टी के नमूने लेने और पश्चिम बंगाल, मणिपुर एवं अरुणाचल प्रदेश से लिए गए मिट्टी के नमूनों के विश्लेषण का कार्य पूरा किया जाएगा तथा पश्चिम बंगला, मणिपुर और नागालैंड के लिए जियो संदर्भित उर्वरता मैप तैयार किया जाएगा तथा रबएसआईएस लांच किया जाएगा।

- **क्लोन की सिफारिश** : रोपण के लिए सिफारिश करने हेतु 3 पीबी क्लोन (मलेशियन क्लोन) अर्थात पीबी 280, पीबी 255 और पीबी 314 को श्रेणी 1 में अपग्रेड किया गया। रोपण की सिफारिश के लिए आईआरसीए के दो क्लोन (आइवरी कोस्ट क्लोन) अर्थात आईआरसीए 130 और आईआरसीए 111 को श्रेणी 3 (प्रायोगिक) से श्रेणी 2 (सीमित स्तर) में अपग्रेड किया गया।

- **पूर्वोत्तर भारत के लिए अधिक उपज देने वाला रबर का नया क्लोन** : वाणिज्यिक रबर की खेती के लिए उपयुक्त अधिक उपज देने वाला एक नया कोल्ड एवं रोग प्रतिरोधक हाइब्रिड क्लोन रिलीज करने के लिए तैयार है।

- **अंतर्राष्ट्रीय क्लोन विनिमय कार्यक्रम** : अंतर्राष्ट्रीय रबर अनुसंधान एवं विकास बोर्ड (आईआरआरडीबी) के बहुपक्षीय क्लोन विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत रबर का उत्पादन करने वाले 10 देशों में विकसित अधिक उपज देने वाले तथा रोग प्रतिरोधक 44 क्लोन भारत में लाए गए और उपज के लिए मोलक्यूलर मार्कर और बायोटिक / एबियाटिक स्ट्रेस के प्रति सहनशीलता के लिए जांच की गई।

- **ट्रांसजेनिक हीविया प्लांट का विकास** : विकसित किए गए ट्रांसजेनिक हीविया प्लांट को अधिक साइटोकिनीनि सिंथेसिस और टपीडी टालरेंस के लिए आईएसओ पेंटनील ट्रांसफरेंस (आईपीटी) जीन के साथ शामिल किया गया और हार्डेनिंग के लिए प्लांटलेट का अनुरक्षण किया जा रहा है।

- **रोग प्रतिरोधकता** : कोरिनेसपोरा कैसीकोला (कैसीकोलीन टाक्सिन को सहन करने का आदी) के प्रति अधिक प्रतिरोधकता वाले पौधों का विकास किया जाएगा और फील्ड में मूल्यांकन किया जाएगा। उपज के लिए मोलकुलर मार्कर पर संपूर्ण समग्र जिनोम असेंबली तथा एक व्यापक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और रोग प्रतिरोधकता भी जारी की जाएगी।

- **प्राकृतिक रबर (एनआर) के रकबा का उपग्रह आधारित अनुमान** : कर्नाटक और तमिलनाडु में प्राकृतिक रबर के रकबा का उपग्रह आधारित अपडेशन पूरा किया जाएगा तथा भारत में प्राकृतिक रबर के क्षेत्र में रिमोट सेंसिंग के प्रयोग पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी।

- **परामर्श सेवाएं** : पारिवारिक दस्ताने के निर्माण के लिए एक आटोमेटिक डिपिंग प्लांट की रिडिजाइन (रबर पार्क, बोधजुंग नगर, त्रिपुरा में मैसर्स नेबेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान की गईं, प्लांट लेआउट और अधिष्ठापन सेवाएं (मैसर्स मैक्सिमस रबर इंडस्ट्रीज, त्रिपुरा) को प्रदान की गईं, रबर तथा संबद्ध उद्योगों के लिए किचन और कम पीएएच प्रोसेस एवं एक्सटेंडर ऑयल के लिए सिलिकॉन गजेट के लिए भारतीय मानक तैयार करने के लिए इनपुट प्रदान किए गए और बीआईएस, नई दिल्ली के निर्देश के अनुसार प्राकृतिक रबर लैटेक्स के लिए आईएस के सभी मानकों में संशोधन के लिए सहायता प्रदान की गई।

- **स्पेशियलिटी रबर कंपाउंड का विकास** : रबर उत्पादों का निर्माण करने वाले उद्योगों के लिए संभावित लाभ के साथ लैटेक्स कार्बन ब्लैक और लैटेक्स सिलिका मास्टर बैच तथा कम प्रोटीन वाले प्राकृतिक रबर के निर्माण के लिए प्रयोगशाला स्तरीय प्रोटोकॉल का विकास किया गया है।
  - लीचिंग प्रक्रिया के माध्यम से सर्जिकल दस्ताने से प्रोटीन की अधिकतम मात्रा हटाने की विधि का विकास किया गया है जिससे प्रोटीन एलर्जी न्यूनतम होगी।
  - रबर प्रोसेसिंग तथा उत्पाद विनिर्माण उद्योगों द्वारा अपनाने के लिए अनेक प्रौद्योगिकियों का विकास किया गया जिसमें उत्पाद का निष्पादन सुधारने, ऊर्जा की खपत कम करने तथा प्रयुक्त रबर की रिसाइक्लिंग करने की क्षमता है।

श्रमिक कल्याण के उपाय : रबर अधिनियम 1947 की धारा 8 (2) (च) यह निर्धारित करती है कि बोर्ड को काम करने की बेहतर स्थितियों का सुनिश्चय करने के उपायों तथा रबर बागान के मजदूरों के लिए सुविधाओं में सुधार एवं प्रोत्साहनों के लिए प्रावधानों को लागू करना चाहिए। वर्ष 2018–19 के दौरान बोर्ड ने श्रम कल्याण की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 188.41 लाख रुपए की राशि का संवितरण किया जिससे 14807 रबर टैपर / बागान मजदूर लाभान्वित हुए। 2019–20 के दौरान बोर्ड ने अक्टूबर 2019 तक श्रम कल्याण की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 42.02 लाख रुपए की राशि का संवितरण किया जिससे 6756 रबर टैपर / बागान मजदूर लाभान्वित हुए।

मसाला क्षेत्र

मसाला बोर्ड : मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत 26 फरवरी 1987 को एक सांविधिक निकाय के रूप में मसाला बोर्ड का गठन किया गया। मसाला बोर्ड के 31 सदस्य हैं तथा अध्यक्ष (गैर सरकारी) द्वारा बोर्ड का नेतृत्व किया जा रहा है और सचिव इसके अध्यक्ष हैं तथा इसका प्रधान कार्यालय केरल में कोच्चि में है। मसाला बोर्ड इलायची उद्योग के विकास तथा मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की अनुसूची में निर्धारित 52 मसालों के निर्यात के संवर्धन के लिए जिम्मेदार है।

बोर्ड के कार्यों में अनुसंधान एवं विकास, छोटी एवं बड़ी इलायची का घरेलू विपणन, मसालों के निर्यात का संवर्धन, विकास, विनियमन तथा गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं के माध्यम से गुणवत्ता नियंत्रण, फसलोपरांत गुणवत्ता सुधार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जैविक मसालों का विकास शामिल है। बोर्ड मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकरण है तथा इलायची के डीलरों एवं

नीलामीकर्ताओं को प्रमाण पत्र जारी करता है। बोर्ड मूल्यवर्धन के लिए मसालों में हाइटेक प्रोसेसिंग के लिए अवसंरचना सहायता जैसी अनेक परियोजनाएं एवं कार्यक्रम चला रहा है, मसालों के औषधीय गुणों, नए उत्पादों के विकास पर अध्ययन एवं अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू मेलों में भागीदारी, मसालों का उत्पादन करने वाले मुख्य केन्द्रों में मसाला पार्कों की स्थापना तथा क्रेता – विक्रेता बैठकों का आयोजन करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। बोर्ड द्वारा स्थापित ई–ऑक्शन सेंटर पर इलायची की ई–नीलामी के माध्यम से इलायची के पंजीकृत / लाइसेंसी नीलामीकर्ता और डीलर घरेलू विपणन को सुगम बनाते हैं।

भारतीय मसालों की वैश्विक स्थिति : 145 से अधिक देशों को मसाला एवं मसाला उत्पादों का निर्यात करके वैश्विक मसाला बाजार में भारत व्यापक श्रेणी के मसालों का एकल सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। निर्यात विकास एवं संवर्धन, मूल्यवर्धन तथा गुणवत्ता सुधार सरकार के लिए ध्यान देने वाला प्रमुख क्षेत्र बना रहा।

भारत में मसालों का औसत उत्पादन 9 मिलियन मीट्रिक टन के आसपास है और मसालों की खेती के लिए औसत शामिल क्षेत्रफल लगभग 3.9 मिलियन हेक्टेयर है। पूर्वी एशिया, अमेरिका और यूरोपीय संघ मौजूदा महत्वपूर्ण निर्यात बाजार हैं। कुल उत्पादन के 12 प्रतिशत का निर्यात किया जाता है और शेष उत्पादन घरेलू उपभोग के लिए उपलब्ध है। इलायची (छोटी एवं बड़ी) को छोड़कर मसालों के उत्पादन से संबंधित पहलुओं की देखरेख केन्द्रीय कृषि मंत्रालय तथा संबंधित राज्य कृषि / बागवानी विभागों द्वारा की जाती है। मसाला बोर्ड अधिनियम 1986 के अनुसार इलायची (छोटी एवं बड़ी) के उत्पादन एवं अनुसंधान तथा सभी 52 अनुसूचित मसालों के निर्यात संवर्धन की देखरेख मसाला बोर्ड द्वारा की जाती है।

इलायची (छोटी एवं बड़ी) का उत्पादन : वर्ष 2018–19 के दौरान केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के तीन दक्षिणी राज्यों में कुल 47590 हेक्टेयर के कुल पैदावार क्षेत्र से छोटी इलायची का अनुमानित उत्पादन 12940 मीट्रिक टन है। बड़ी इलायची जिसकी खेती मुख्य रूप से सिक्किम, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात अरुणाचल प्रदेश एवं नागालैंड में होती है, के मामले में 2018–19 के दौरान उत्पादन 31375 हेक्टेयर के कुल पैदावार क्षेत्र से 8670 मीट्रिक टन है।

भारत के मसाला व्यापार की प्रवृत्ति : हाल के वर्षों में भारत से मसालों के निर्यात में मात्रा की दृष्टि से 5 प्रतिशत, रुपए में मूल्य की दृष्टि से 7 प्रतिशत और डालर में मूल्य की दृष्टि से 4 प्रतिशत के सीएजीआर की दर से वृद्धि हो रही है। 2018–19 के दौरान देश से कुल 11,00,250 मीट्रिक टन मसालों एवं मसाला उत्पादों का निर्यात किया गया है जिनका मूल्य 19505.81 करोड़ रुपए (2805.50 मिलियन अमरीकी डॉलर) है, जबकि 2017–18 में कुल 10,28,060 मीट्रिक टन मसालों और मसाला उत्पादों का निर्यात किया गया जिनका मूल्य 17980.16 करोड़ रुपए (2789.35 मिलियन अमरीकी डालर) था जो मात्रा की दृष्टि से 7 प्रतिशत तथा रुपए में मूल्य की दृष्टि से 8 प्रतिशत और डालर में मूल्य की दृष्टि से 1 प्रतिशत अधिक है। 2019–20 (अप्रैल से सितंबर) के दौरान अनुमानित निर्यात की मात्रा 10,426.28 करोड़ रुपए (1491.21 मिलियन अमरीकी डालर) के मूल्य पर 5,83,420 मीट्रिक टन है जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में मात्रा की दृष्टि से 3 प्रतिशत, रुपए में मूल्य की दृष्टि 5 प्रतिशत और डालर में मूल्य की दृष्टि से 2 प्रतिशत अधिक है।

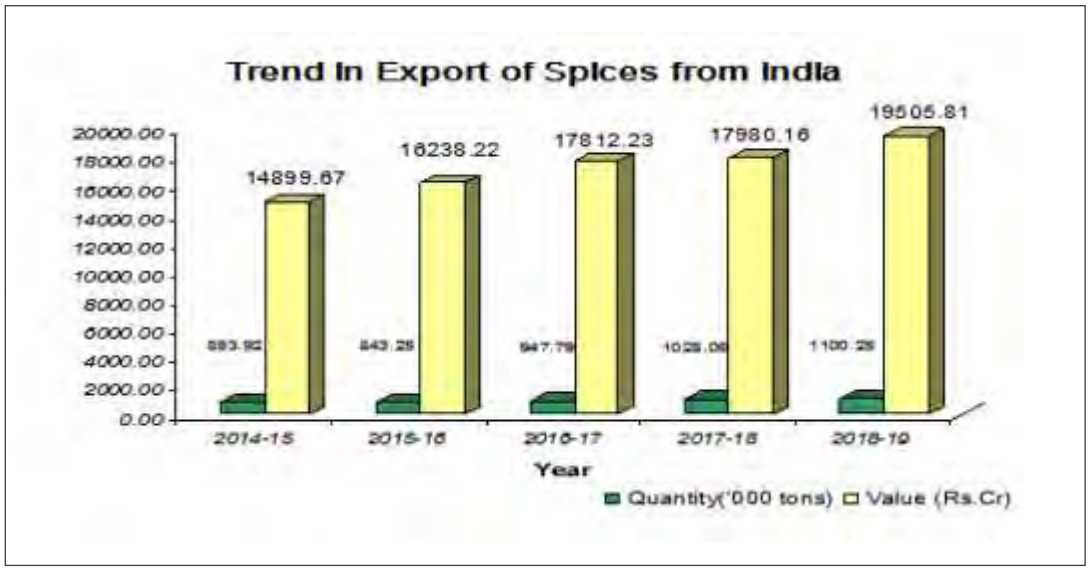

स्रोत : मसाला बोर्ड

आयात : घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारत मुख्य रूप से मूल्यवर्धन के लिए मसालों का आयात करता है तथा पुनः निर्यात भी करता है। 2018–19 के दौरान 5032.05 करोड़ रुपए (724.18 मिलियन अमरीकी डालर) मूल्य के लगभग 2,07,300 मीट्रिक टन मसालों का आयात किया गया है। आयात किए जाने वाले मुख्य मसालों में काली मिर्च, लौंग, तेजपत्ता, बड़ी इलायची, हल्दी आदि हैं। मूल्यवर्धन तथा पुनः निर्यात के लिए काली मिर्च और हल्दी का आयात किया जाता है।

योजना : सरकार द्वारा 491.78 करोड़ रुपए के परिव्यय से मध्यम अवधि रूपरेखा (2017–18 से 2019–20) की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए मसालों में गुणवत्ता सुधार एवं निर्यात संवर्धन तथा इलायची के लिए अनुसंधान एवं विकास के लिए समेकित योजना अनुमोदित की गई। तथापि, बजट अनुमान 2019–20 सहित उक्त अवधि के दौरान निर्मुक्ति 281.89 करोड़ रुपए है। 2018–19 के दौरान वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि

अनुमोदित उद्देश्य / गतिविधियां	2018

निर्यात संवर्धन के उपाय : 2018–19 के दौरान बोर्ड ने विभिन्न मसाला उत्पादों और उनके मूल्यवर्धित डेरिवेटिव का प्रदर्शन करके भारत की क्षमता एवं सक्षमता का प्रदर्शन करने के लिए मसाला निर्यातकों के साथ 11 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लिया है। बोर्ड ने 32 घरेलू प्रदर्शनियों में भाग लिया है। बोर्ड ने 32 घरेलू प्रदर्शनियों में भी भाग लिया है। बोर्ड भारत से निर्यात किए जाने वाले मसालों की गुणवत्ता का सुनिश्चय करने के लिए अपने प्रयोगशालाओं के माध्यम से मसालों के निर्यात कंसाइनमेंट की अनिवार्य जांच एवं प्रमाणन द्वारा देश से निर्यात किए जाने वाले मसालों की गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है।

2018–19 के दौरान मसालों के कुल 1,18,748 नमूनों की जांच की गई। बोर्ड ने 3 क्रेता – विक्रेता बैठकों तथा 20 बाजार लिंकेज कार्यक्रमों का आयोजन किया है। इससे राज्य में किसान समूहों और संस्थानिक क्रेताओं / निर्यातकों के बीच सीधी बाजार सहलग्नता स्थापित करने में मदद मिली है ताकि पूर्ति श्रृंखला से बिचौलियों को समाप्त किया जा सके। मसालों के निर्यात में उत्कृष्टता के लिए मसालों के शीर्ष निर्यातकों का पुरस्कार वितरित किए गए। माननीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा नागर विमानन मंत्री ने मसाला पार्क, रायबरेली और मसाला पार्क, रामगंज मंडी, कोटा का उद्घाटन किया।

बोर्ड ने 21 से 25 जनवरी 2019 की अवधि के दौरान मसाला एवं पाक औषधि पर कोडेक्स समिति के चौथे सत्र (सीसीएससीएच4) का आयोजन किया तथा सत्र में एक प्रेक्षक संगठन (आईओएसटीए) तथा एक सदस्य संगठन (ईयू) ने भाग लिया। बोर्ड ने उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, मणिपुर और त्रिपुरा में निर्यात प्रक्रिया, गुणवत्ता नियंत्रण तथा उत्पाद प्रमाणन पर स्थानीय विशेषज्ञों के विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है तथा राज्य कृषि, बागवानी, खाद्य सुरक्षा विभाग आदि से संबंधित कुल 100 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है।

वर्ष 2018–19 के दौरान प्रमुख पहलें / उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :

- पूरे देश से निर्यातकों को राज्यों में उत्पादित मसालों की क्षमता का प्रदर्शन करने तथा बाजार सहलग्नता एवं सीधी व्यवसाय साझेदारी का निर्माण करने की संभावना का पता लगाने के लिए मसाला निर्यातकों एवं मसाला उत्पादकों के साथ बी2बी बैठकों को सुगम बनाने के लिए कोटा एवं जोधपुर, राजस्थान, रत्नगिरि, महाराष्ट्र में मसालों के लिए क्रेता – विक्रेता बैठक (बीएसएम) का आयोजन किया गया।
- बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं में मसालों के कुल 1,18,748 नमूनों की जांच की गई।
- बोर्ड द्वारा 2018–19 के दौरान मसालों के निर्यातक के रूप में 3830 पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा इलायची के लिए 418 डीलर लाइसेंस जारी किए गए हैं।
- फसली वर्ष 2018–19 के दौरान पुट्टाडी और बोडीनायाकनूर में बोर्ड के ई–नीलामी केन्द्रों के माध्यम से कुल 20619 मीट्रिक टन इलायची की नीलामी की गई।
- किसानों, व्यापारियों तथा राज्य कृषि / बागवानी अधिकारियों के लिए फसलोत्तर गुणवत्ता सुधार, बाजार सहलग्नता पर देश में स्थित विभिन्न केन्द्रों पर कुल 170 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 9743 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- 2018–19 के दौरान बोर्ड द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मसालों के कुल 8806 छोटे उत्पादक लाभान्वित हुए हैं।
- कोंकण क्षेत्र में मसालों के व्यापक विकास के लिए तैयार की गई परियोजना अनुमोदन तथा एमआईडीएच के अंतर्गत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए प्रधान सचिव, कृषि, महाराष्ट्र सरकार को प्रस्तुत की गई।
- अनुसंधान एवं विकास पर आईपीसी समिति की 7वीं बैठक 2 से 4 मई 2018 के दौरान कोचीन में हुई, जिसकी मेजबानी मसाला बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा की गई।
- मसाला बोर्ड ने 'नामसई आर्गेनिक स्पाइसेज एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड' के मूल्यवर्धित उत्पादों को आधिकारिक तौर पर लांच किया, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहली मसाला किसान उत्पादक कंपनी (एसएफपीसी) है।
- मसाला बोर्ड चार गैर सरकारी संगठनों तथा 53 फील्ड समन्वय के साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के चार जिलों में ई–स्पाइस बाजार परियोजना चला रहा है। ई–स्पाइस बाजार वेब पोर्टल पर कुल 52687 किसानों का पंजीकरण किया गया जिसमें मिर्च, हल्दी और कढ़ी पत्ता के किसान शामिल हैं।
- कृषि भवन, टडोंग, सिक्किम में आयोजित डीएएसडी, आईआईएसआर, आईसीआरआई आदि के प्रतिनिधियों की बैठक में मसाला बोर्ड द्वारा बड़ी इलायची के लिए तैयार किया गया पादप संरक्षण कोड प्रस्तुत किया गया तथा अनुमोदित किया गया।
- अंतर्राष्ट्रीय काली मिर्च समुदाय (आईपीसी) द्वारा काली मिर्च के लिए विकसित मोबाइल ऐप को कोच्चि में मसाला बोर्ड के सचिव द्वारा लांच किया गया।
- मसाला बोर्ड ने 21 से 25 जनवरी 2019 के दौरान तिरुवनंतपुरम में मसालों और पाक औषधियों पर कोडेक्स समिति के चौथे सत्र का आयोजन किया। सत्र में 28 देशों के 88 प्रतिनिधियों तथा एक प्रेक्षक संगठन (आईओएसटीए) तथा एक सदस्य संगठन (ईयू) ने भाग लिया।
- 22 फरवरी 2019 को मसाला पार्क, रायबरेली और मसाला पार्क, रामगंज मंडी, कोटा का उद्घाटन किया गया।

2019–20 (अप्रैल – अक्टूबर 2019) के लिए प्रमुख उपलब्धियां

- मसाला बोर्ड ने कोचीन, केरल में 11 जुलाई 2019 को अंतर्राष्ट्रीय काली मिर्च समुदाय (आईपीसी) की बाजार विकास समिति की बैठक की मेजबानी की। बैठक में सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा श्री एम सरवनन, निदेशक (बागान), वाणिज्य विभाग, भारत सरकार ने बैठक की अध्यक्षता की।
- घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में हल्दी की पूर्ण व्यावसायिक संभावनाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मसाला बोर्ड ने एक हल्दी कार्यबल समिति का गठन किया है, जिसमें हल्दी का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों के कृषि / बागवानी विभागों, केन्द्र सरकार के विभागों, विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों, हल्दी

उत्पादकों, व्यापारियों, निर्यातकों आदि को शामिल किया गया है। हल्दी कार्यबल की पहली बैठक 16 अक्टूबर 2019 को हुई।

- बोर्ड ने नागरकोली, तमिलनाडु, कटप्पना, केरल और कोली हिल्स, तमिलनाडु में रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 3 क्रेता – विक्रेता बैठकों (बीएसएम) का आयोजन किया।
- पिछले 7 महीनों के दौरान बोर्ड के गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं द्वारा मसालों के कुल 77417 नमूनों का विश्लेषण किया गया।
- मसाला बोर्ड ने अप्रैल से अक्टूबर 2019 की अवधि के दौरान देश के विभिन्न भागों में 8 मान्यता पूर्व अधिगम (आरपीएल) प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है।
- बोर्ड ने देश के विभिन्न भागों से मसाला निर्यातकों के साथ 6 अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लिया है।
- बोर्ड ने देश के मुख्य मसाला उत्पादक एवं विपणन केन्द्रों में 14 घरेलू मेलों में भी भाग लिया है।
- अनुसूचित जाति के 17 किसानों के लिए बोम्माराजापुरम, तमिलनाडु से क्षेत्रीय कार्यालय, बोडीनायाकनूर तक के ज्ञानार्जन दौरे की व्यवस्था की गई।
- इस अवधि के दौरान देश के विभिन्न भागों में अदरक, काली मिर्च, धनिया और इलायची के लिए पांच क्षेत्रीय सेमिनारों का आयोजन किया गया।
- स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंग के रूप में और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह के क्रम में मसाला बोर्ड ने गांधीवादी चिंतन तथा प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन पर आधे दिन के सेमिनार का आयोजन किया। बोर्ड के अधिकारियों ने पास के सरकारी हाई स्कूल के परिसर तथा बोर्ड के कार्यालय परिसर की सफाई की।
- **स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी)** : मसाला बोर्ड ने एसएपी के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया है जिसमें मसाला बोर्ड के प्रधान कार्यालय के आसपास के क्षेत्र तथा उद्यान का सौंदर्यीकरण, कैंपस की सफाई / हाउसकीपिंग तथा प्रधान कार्यालय, कोचीन का अनुरक्षण, क्यूईएल बिल्डिंग में फ्लोर कार्पेट बिछाना, आईसीआरआई, माइलडुमपारा में स्वच्छता की थीम पर बल देते हुए वेटिंग शेड की पेंटिंग शामिल है। बोर्ड ने लोगों में स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रचार अभियान का भी आयोजन किया, स्कूल का दौरा किया और छात्रों को स्वच्छता के महत्व का संदेश देते हुए परिसर की सफाई की। अधिकारियों के लिए जीरो अपशिष्ट प्रबंधन एवं पर्यावरण जागरूकता पर कार्यशाला, हाउसकीपिंग स्टाफ, संपदा मजदूरों एवं आम जनता के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।
- **डीबीटी** : बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं एवं कार्यक्रमों के लाभार्थियों को सभी भुगतान पीएफएमएस प्लेटफार्म के माध्यम से डीबीटी के अंतर्गत किए जाते हैं।
- **सोशल मीडिया** : मसाला बोर्ड आनलाइन दर्शकों को शिक्षित करने के लिए ट्विटर और फेसबुक पर सोशल मीडिया के अपने हैंडल का प्रचालन करता है। यह अपने वानस्पतिक, भौगोलिक, व्यापार, रोगहर और पाक पहलुओं सहित मसालों, मसालों में मिलावट का पता लगाने आदि, बोर्ड के निर्यात विकास एवं विपणन कार्य से संबंधित गतिविधियों, उदाहरणार्थ हितधारक बैठक, कौशल विकास कार्यक्रम, क्षमता निर्माण कार्यक्रम आदि पर जागरूकता पैदा करता है। इसमें किसानों की सफलता गाथाएं / निर्यातकों द्वारा नवाचार की पहलें, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, क्रेता – विक्रेता बैठक तथा सेमिनारों / सम्मेलनों में बोर्ड की भागीदारी पर कार्यक्रम पूर्व एवं कार्यक्रम पश्चात अपडेट भी शामिल होते हैं। भारतीय मसाला बोर्ड की पहलों एवं उपलब्धियों पर नियमित अपडेट तथा जनहित एवं राष्ट्रीय गर्व की प्रमुख उपलब्धियों को सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है।
- **पारदर्शिता, सार्वजनिक सुगमता तथा संबद्ध गतिविधियां** : बोर्ड आरटीआई अधिनियम 2005 को प्रभावी ढंग से लागू कर रहा है तथा इसने सभी विभागों में सीपीआईओ और पीआईओ की नियुक्ति करके भारत सरकार के सभी निर्देशों का पालन किया है। बोर्ड ने ऐसे रूप एवं ढंग से ऐसी सूचना का स्वप्रेरणा से खुलासा किया है जो बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आम जनता के लिए सुगम्य है। प्राप्त आरटीआई और उनके जवाब का ब्यौरा भी नियमित आधार पर आम जनता के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। बोर्ड अपनी वेबसाइट के माध्यम से एक आनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का अनुरक्षण कर रहा है।

II. तंबाकू बोर्ड

तंबाकू बोर्ड अधिनियम 1975 के प्रावधानों के अधीन गुंटूर, आंध्र प्रदेश में मुख्यालय के साथ 1 जनवरी 1976 को तंबाकू बोर्ड का गठन किया गया। तंबाकू बोर्ड का गैर कार्यपालक अध्यक्ष इसका मुखिया है। तंबाकू बोर्ड के महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं :

- भारत एवं विदेशों में मांग के अनुरूप वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादन एवं संसाधन को विनियमित करना।
- वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादकों, डीलरों एवं निर्यातकों (पैकर सहित) तथा वर्जीनिया तंबाकू उत्पादों के विनिर्माताओं के लिए उपयोगी सूचनाओं का प्रचार प्रसार करना।
- उत्पादकों के स्तर पर तंबाकू की ग्रेडिंग को प्रोत्साहित करना।
- वर्जीनिया तंबाकू की बिक्री के लिए नीलामी प्लेटफार्म स्थापित करना तथा नीलामीकर्ता के रूप में काम करना।
- विद्यमान बाजारों का रखरखाव एवं सुधार तथा भारत के बाहर नए बाजारों का विकास।
- भारत में तथा भारत के बाहर भी वर्जीनिया तंबाकू के बाजार पर लगातार नजर रखना और इसके लिए उचित एवं लाभप्रद कीमत का सुनिश्चय करना।
- भारत सरकार के अनुमोदन से उत्पादकों से उस समय वर्जीनिया तंबाकू की खरीद करना जब उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए।

भारत में एफ सी वी तंबाकू का उत्पादन : पिछले 10 वर्षों में एफ सी वी तंबाकू के उत्पादन में वर्ष दर वर्ष उतार चढ़ाव देखने को मिला है। ये उतार चढ़ाव उपज तथा आपूर्ति में मूल्य के लोच तथा तंबाकू बोर्ड द्वारा किए गए फसल विनियमन की दृष्टि से उपज और बाजार

की गतिकी पर मौसम के प्रभाव को दर्शाते हैं। 2009–10 से 2018–19 की अवधि के दौरान एफसीवी तंबाकू के उत्पादन में –4.26 प्रतिशत की मिश्रित वार्षिक विकास दर (सीएजीआर) दर्ज की गई है।

2018–19 में एफसीवी तंबाकू का उत्पादन 209.17 मिलियन किलो है, जबकि पिछले वर्ष के दौरान 239.94 मिलियन किलो का उत्पादन हुआ था। कर्नाटक में 85.08 मिलियन किलो और आंध्र प्रदेश में 124.09 मिलियन किलो का विपणन किया गया। 2018–19 के दौरान लगभग 1.61 लाख हेक्टेयर में एफसीवी तंबाकू की खेती हुई।

न का विनियमन

कार्यों में से एक भारतीय तंबाकू के लिए मांग र्जिनिया तंबाकू के उत्पादन को विनियमित दकों को उनके उत्पाद का उचित एवं लाभप्रद । इस उद्देश्य की प्राप्ति प्रत्येक वर्ष फसल के ारित करके और वाणिज्यिक मालियों, तम्बाकू खलिहान संचालकों का पंजीकरण करके की जाती है। विभिन्न कारकों जैसे कि घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में

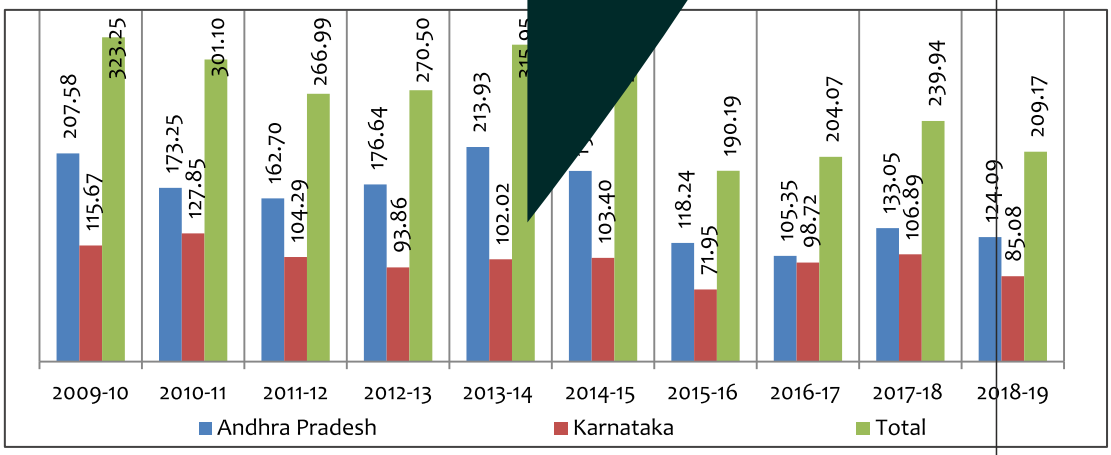

तंबाकू बोर्ड तंबाकू की खेती के लिए प्रयुक्त सिंचित जल तथा मिट्टी की उपयुक्तता तथा तंबाकू की खेती के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उर्वरकों की मात्रा के बारे में उत्पादकों को सलाह देने के लिए उत्पादकों के खेतों से एकत्र किए गए मिट्टी एवं पानी के नमूनों का मुफ्त में विश्लेषण करता है। 2019–20 के फसली मौसम के दौरान आंध्र प्रदेश में एकत्र किए गए मिट्टी के 2300 नमूनों और पानी के 625 नमूनों का तंबाकू बोर्ड के ओंगेले स्थित मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में विश्लेषण किया गया तथा एनपीके के विश्लेषण के परिणामों के आधार पर उत्पादकों को मिट्टी की उपयुक्तता तथा डाले जाने वाले उर्वरकों की मात्रा के बारे में सलाह दी गई। इसी तरह कर्नाटक में मिट्टी के 4200 नमूनों का वि

- तंबाकू बोर्ड मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करने तथा मृदा कार्बन में सुधार और ग्रीनहाउस गैस के प्रभाव को कम करने के लिए शुष्क बुवाई तकनीकों तथा 365 दिन ग्रीन कवर को बढ़ावा देने के उपायों को लागू करने पर भी विचार कर रहा है। आगामी फसल सत्र (2019–20) के दौरान आंध्र प्रदेश में नीलामी के सभी प्लेटफार्मों पर ये ट्रायल शुरू किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश में 23.55 एकड़ के क्षेत्रफल में 365 दिन ग्रीन कवर को लागू करने के लिए 21 उत्पादक आगे आए।

- पर्यावरण हितैषी उपायों के अंग के रूप में बोर्ड ने तंबाकू को रोगमुक्त करने के लिए ईंधन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तेजी से बढ़ने वाले पेड़ों की खेती शुरू करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना शुरू की है। इस पहल के अंग के रूप में तंबाकू बोर्ड ने उत्पादक पंजीकरण के नवीकरण के लिए कम से कम 10 पादपों / उत्पादकों के लिए तेजी से बढ़ने वाले पेड़ों का रोपण करना तंबाकू उत्पादकों के लिए अनिवार्य किया है। 2019–20 के फसली मौसम के दौरान कर्नाटक में 'अपना ईंधन स्वयं उगाएं योजना' के अंतर्गत उत्पादकों को दो लाख पौधों की आपूर्ति की गई।

- मैसर्स आईटीसी लिमिटेड के समन्वय में बोर्ड तंबाकू की रोगमुक्ति के लिए उत्पादकों द्वारा ईंधन लकड़ी पर निर्भरता कम करने के लिए रोगमुक्ति की समकालीन तकनीकों का मूल्यांकन कर रहा है।

- तंबाकू खरीदने वाली कंपनियों के साथ तंबाकू बोर्ड ने समाज के लाभ और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए प्रकाशम जिले के तंबाकू पैदा करने वाले गावों की खाली जमीनों पर ग्रीनरी का विकास करने और सिलवो पाश्चर माडल में वृक्षारोपण शुरू करने का प्रस्ताव किया है।

- बोर्ड ने तंबाकू की रोगमुक्ति के पर्यावरणीय प्रभाव को निष्प्रभावी करने के लिए पंजीकरण / पंजीकरण का नवीकरण करने के लिए सभी श्रेणी के व्यापारियों के लिए पेड़ लगाना अनिवार्य कर दिया है।

- फसलोत्तर उत्पाद प्रबंधन प्रथाओं के लिए बोर्ड पैकबंद तंबाकू में एनटीआरएम से बचने और तंबाकू के भंडारण के लिए बल्क शेड के निर्माण में सहायता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके कैनवस तारपोलीन की आपूर्ति कर रहा है। उत्पादकों को आंध्र प्रदेश में लगभग 2000 तारपोलीन और कर्नाटक में 2700 तारपोलीन का वितरण किया गया।

- एफसीवी तंबाकू की रोगमुक्ति में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यापार जगत के सहयोग से बोर्ड ने सब्सिडी प्रदान करके बड़े पैमाने पर बार्न के इंसुलेशन के माध्यम से ऊर्जा की बचत के उपायों को लागू किया है। 2019–20 के फसली मौसम के दौरान कर्नाटक में 4000 बार्न और आंध्र प्रदेश में 1185 बार्न को शामिल करते हुए यह योजना कार्यान्वित की जा रही है।

- विस्तार एवं विकास की योजनाओं के लिए अक्टूबर 2019 तक 132.26 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। वर्तमान फसली मौसम के दौरान आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में विस्तार और विकास की योजनाओं को लागू करने के लिए लगभग 481 लाख रुपए की आवश्यकता होगी।

तंबाकू की नीलामी :

1984 में कर्नाटक में पहली बार एफ सी वी तंबाकू की बिक्री के लिए नीलामी की पद्धति अपनाई गई और इसके बाद 1985 में आंध्र प्रदेश द्वारा यह पद्धति अपनाई गई।

2019–20 के दौरान हुई प्रगति :

- आंध्र प्रदेश में 2019–20 के दौरान, 2018–19 के फसली मौसम में 01 अप्रैल 2019 से 07 सितंबर 2019 के दौरान 121.23 रुपए प्रति किलो के औसत मूल्य पर कुल 123.14 मिलियन किलो तंबाकू का विपणन किया गया (नीलामी के माध्यम से बिक्री 22 मार्च, 2019 को शुरू हुई और 07 सितंबर 2019 को समाप्त हुई थी)।

- कर्नाटक में 2019–20 के दौरान, 2019–20 के फसली मौसम में 16 सितंबर, 2019 से 21 नवंबर 2019 के दौरान 140.24 रुपए प्रति किलो के औसत मूल्य पर कुल 26.87 मिलियन किलो तंबाकू का विपणन किया गया (नीलामी के माध्यम से बिक्री 16 सितंबर, 2019 को शुरू हुई और अभी चल रही है)। अनुमान है कि सीजन के शुरू में कुल अनुमानित उत्पादन 93.54 मिलियन किलो है, जबकि बोर्ड द्वारा 100 मिलियन किलो उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

उत्पादक कल्याण निधि की पहलें :

तंबाकू बोर्ड ने 2019–20 में तंबाकू बोर्ड उत्पादक कल्याण स्कीम स्थापित करके आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा में तंबाकू उत्पादकों एवं परिवारों का समग्र कल्याण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपायों को कार्यान्वित किया है।

कल्याणकारी स्कीम मृत्यु अनुदान एवं बेटियों की शादी, आश्रित बच्चों की शिक्षा, बड़ी बीमारियों / दुर्घटना के मामलों जिनके लिए सर्जरी की जरूरत है, के लिए उपचार तथा प्राकृतिक आपदाओं / आग लगने की घटनाओं से क्षतिग्रस्त बार्न की मरम्मत के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। योजना की शुरुआत से लेकर अब तक तंबाकू बोर्ड ने अनुदोन एवं ऋण के रूप में 15,148उत्पादकों को 49.24 करोड़ रुपए की वित्तीय राहत प्रदान की है, 11,079 लाभार्थियों को 39.76 करोड़ रुपए मूल्य के अनुदान संस्वीकृत किए गए तथा 4,069 उत्पादकों को 9.48 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त ऋण संस्वीकृत किए गए।

2019–20 के दौरान अनुदान के रूप में 3.52 करोड़ रुपए तथा ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 0.94 करोड़ रुपए यानी कुल 4.45 करोड़ रुपए का वितरण किया गया। 1 अप्रैल 2019 से 31 अक्टूबर 2019 की अवधि के लिए संस्वीकृत अनुदानों तथा प्रदान किए गए ब्याज मुक्त ऋणों का ब्यौरा इस प्रकार है :

अनुदान तथा ऋण	कुल	
	लाभार्थियों की संख्या	राशि (रुपए में)
प्राकृतिक मृत्यु	661	330.50
दुर्घटना मृत्यु	21	21.00
कुल अनुदान (क)	**682**	**351.50**
(क) बेटी की शादी	122	61.00
(ख) बड़ी बीमारी	4	2.0
(ग) क्षतिग्रस्त बार्न	42	20.7
(घ) शिक्षा ऋण	20	10.00
कुल ऋण (ख)	**188**	**93.70**
कुल योग (क + ख)	**870**	**445.20**

विपणन तथा निर्यात

2018–19 के दौरान निर्यात निष्पादन :

2018–19 के दौरान 2,20,517 मीट्रिक टन तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों का निर्यात किया गया जिनका मूल्य 6,001.02 करोड़ रुपए (858.52 मिलियन अमरीकी डॉलर) था, जबकि 2017–18 में 5,539.94 करोड़ रुपए (859.45 मिलियन अमरीकी डॉलर) मूल्य के 2,12,916 मीट्रिक टन तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों का निर्यात किया गया था।

2018–19 के दौरान गैर निर्मित तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों का भारतीय निर्यात 6000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पुनः पार गया है। 2013–14 के दौरान 6,092.86 करोड़ रुपए के रिकार्डतोड़ निर्यात के बाद तीसरी बार इस जादुई आंकड़े पर पहुंचा गया है, दूसरी बार 2015–16 में (6,058.13 करोड़ रुपए) इस आंकड़े पर पहुंचा गया था।

पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि के दौरान किए गए निर्यात की तुलना में रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान मात्रा और रुपए में मूल्य की दृष्टि से निर्यात में 4 प्रतिशत और 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तथापि, डालर में मूल्य की दृष्टि से इसमें 0.11 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

2019–20 (अप्रैल 2019 – सितंबर 2019) में निर्यात की प्रगति :

अप्रैल 2019 से सितंबर 2019 की अवधि के दौरान 1,02,350 मीट्रिक टन तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों का निर्यात किया गया जिसका मूल्य 2,709.02 करोड़ रुपए (387.50 मिलियन अमरीकी डालर) था। पिछले साल की समतुल्य अवधि के दौरान किए गए निर्यात की तुलना में मात्रा तथा रुपए एवं अमरीकी डॉलर में मूल्य की दृष्टि से निर्यात में –8 प्रतिशत, –8 प्रतिशत और –10 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

निर्यात संवर्धन की गतिविधियां :

तंबाकू बोर्ड ने 3 और 4 अप्रैल 2019 को दुबई, यूएई में वर्ल्ड टोबैको मिडिल ईस्ट 2019 और 12 से 14 नवंबर 2019 के दौरान एमस्टरडम, नीदरलैंड में टैब एक्सपो एमस्टरडम 2019 में भाग लिया जो केवल तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों के प्रचार प्रसार के लिए 2019–20 के दौरान विदेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू मेला एवं प्रदर्शनी हैं। 2019–20 के दौरान भारतीय तंबाकू ब्रांड के प्रचार प्रसार के लिए तंबाकू बोर्ड द्वारा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में लगभग 10–12 विज्ञापन जारी किए गए।

चीन को भारतीय तंबाकू का निर्यात बहाल करने के लिए तंबाकू बोर्ड द्वारा चीन में एक व्यापार शिष्टमंडल भेजा गया। तंबाकू बोर्ड के कार्यपालक निदेशक तथा प्रभारी अध्यक्ष के नेतृत्व में 7 सदस्यीय तंबाकू व्यापार शिष्टमंडल ने 24 से 28 जून 2019 तक चीन का दौरा किया। इस शिष्टमंडल के प्रयासों के कारण एसटीएमए भारतीय तंबाकू के आयात की संभावना का अध्ययन करने के लिए अपना शिष्टमंडल भेजने के लिए राजी हुआ। तद्नुसार, एसटीएमए, चीन से एक व्यापार शिष्टमंडल ने 4 से 8 दिसंबर 2019 के दौरान भारत का दौरा किया।

गोल्डन लीफ अवार्ड 2019 :

तंबाकू बोर्ड ने टैबएक्सपो 2019 के साथ तंबाकू निर्यातकों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 13 नवंबर 2019 को गोल्डन लीफ अवार्ड प्राप्त किया। श्रीमती के सुनीता, आईएएस, कार्यपालक निदेशक ने टैबएक्सपो 2019 के साथ आयोजित भव्य समारोह में 11 नवंबर 2019 को वर्ष 2019 के लिए ''सबसे आकर्षक सार्वजनिक सेवा पहल'' के अंतर्गत यह पुरस्कार प्राप्त किया।

तंबाकू बोर्ड ने एफसीवी तंबाकू की खेती में अपनी अनोखी तथा अपनी तरह की पहली संपोषणीय पहलों के लिए यह पुरस्कार प्राप्त किया जैसे कि जैविक तंबाकू के उत्पादन के लिए खेती की प्राकृतिक विधियों को लागू करना, 365 दिन ग्रीन कवर की शुरुआत करना और तंबाकू के किसानों एवं व्यापारियों द्वारा पेड़ लगाना अनिवार्य करके ग्रीन कवर विकास की पहलें। तंबाकू बोर्ड ने अन्य बातों के अलावा विभिन्न अन्य पहलें शुरू की हैं जैसे कि हरित खाद के माध्यम से मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, नर्सरी की उन्नत प्रौद्योगिकियों का प्रचार प्रसार, गैर तंबाकू संबद्ध सामग्रियों (एनटीआरएम) का निवारण, कीटनाशकों के अवशेषों का निवारण जिन पर तंबाकू बोर्ड को गोल्डन लीफ अवार्ड 2019 प्रदान करने के लिए विचार किया गया।

पता : तंबाकू बोर्ड जीटी रोड, श्रीनिवास राव थोटा गुंटूर – 522 004, आंध्र प्रदेश

III. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा)

भारत सरकार द्वारा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 के तहत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) का गठन किया गया। प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा अध्यक्ष के रूप में तैनात भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी इसके मुखिया हैं। अपेडा ने मुंबई, बेंगलुरू, हैदराबाद, कोलकाता और गुवाहाटी में 5 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं।

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को अपेडा अधिनियम की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध 14 कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद समूहों के विकास एवं निर्यात संवर्धन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपेडा अधिनियम की दूसरी अनुसूची में चावल को शामिल किया गया है।

अपेडा जैविक निर्यात के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के तहत प्रमाणन संस्थाओं के प्रत्यायन के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबी) की सेवाएं प्रदान करने के लिए सचिवालय के रूप में भी काम करता है।

अपेडा कृषि उत्पादों के निर्यात के संवर्धन के लिए अवसंरचना एवं गुणवत्ता के उन्नयन के अलावा बाजार विकास के काम में भी सक्रिय ढंग से लगा हुआ है।

अपेडा की कृषि निर्यात संवर्धन योजना – 2019–20 के दौरान अपेडा को आवंटित योजनागत बजट का विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है :

बजट आवंटन विवरण 2019-2020		
		(करोड़ रुपए में)
	योजनागत स्कीम	
1	सहायता अनुदान - सब्सिडी	*45.70*
2	पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	20.04
3	सहायता अनुदान - सामान्य	2.50
4	पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईसी)	5.40
	कुल	73.64

कृषि निर्यात नीति

- अपेडा ने कृषि निर्यात नीति (एईपी) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सघन प्रयास किया है। इस संबंध में, राज्य कार्य योजना तैयार करने के लिए संबंधित राज्य सरकार के अधिकारियों तथा अन्य हितधारकों के साथ अनेक बैठकों का आयोजन किया गया। निर्यात बढ़ाने की रणनीति तैयार करने तथा [redacted] मौजूदा अड़चनों को दूर करने के लिए

निर्यात में राज्य नोडल एजेंसियों की भूमिका पर अपेडा के मुख्यालय में 3 सितंबर 2009 को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 22 राज्यों ने सक्रियता से भाग लिया।

- कृषि निर्यात नीति के कार्यान्वयन में सहकारी समितियों की सक्रिय भूमिका के लिए उनको शामिल करने के लिए एनसीडीसी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। नई दिल्ली में 11 से 13 अक्टूबर 2019 के दौरान आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला (आईआईसीएफटी) में भाग लेने के लिए उनको सहायता प्रदान करने के लिए 15 सहकारी समितियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम एनसीडीसी द्वारा आयोजित किया गया और अपेडा इसका सह आयोजक था।
- राज्य नोडल एजेंसी के साथ मिलकर प्रत्येक राज्य के चिह्नित क्लस्टर में निर्यातकों और एफपीओ के बीच बीएसएम सह कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। क्लस्टर विकास के लिए अपेडा के नोडल अधिकारियों द्वारा जालंधर (आलू), जोधपुर (इसबगोल), बनासकांठा (डेयरी उत्पाद), सांगली (अंगूर), सोलापुर (अनार), नागपुर (संतरा), चित्तूर (आम), थेनी (केला), सलेम (कुक्कुट उत्पादन) एवं चिकबल्लापुरा (गुलाबी प्याज) में संबंधित उत्पाद क्लस्टरों का दौरा किया गया है।
- अपेडा में एक बाजार आसूचना प्रकोष्ठ का गठन किया गया तथा विस्तृत बाजार विश्लेषण से युक्त ई–मार्केट आसूचना रिपोर्टों का प्रसार शुरू किया गया है।
- निर्यातकों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए एफपीओ, ईपीसी के लिए मंच प्रदान करने के लिए अपेडा की वेबसाइट पर एक फार्मर कनेक्ट पोर्टल स्थापित किया गया है।

अपेडा की ई–गवर्नेंस की पहलें

ई–गवर्नेंस के विद्यमान तंत्रों को सुदृढ़ करने तथा हितधारकों के लाभ के लिए नई आनलाइन सुविधाएं शुरू करने के लिए वर्ष के दौरान अपेडा द्वारा अनेक पहलें शुरू की गई हैं। हितधारकों के लिए नई प्रणाली के विकास एवं कार्यान्वयन में प्रमुख पहलें :

- जीआई क्षेत्र से बासमती चावल घरेलू एवं निर्यात की निगरानी के लिए बासमती चावल के किसानों की पंजीकरण प्रणाली का कार्यान्वयन पंजाब से Basmati.Net पर 80000 से अधिक किसानों का पंजीकरण किया गया।
- चंडीगढ़ और अमृतसर में Basmati.Net की अनुवेदनीयता प्रणाली पर दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- आईसीटी प्लेटफार्म की सहायता से अपनी आवश्यकता के लिए निर्यातक से जुड़ने में एफपीओ की सहायता करने के लिए अपेडा ने एफपीओ के पंजीकरण के लिए एक फार्मर कनेक्ट पोर्टल का विकास किया है और कार्यान्वित किया है।
- शिकायत का समग्र टीएटी (टर्न्ड अराउंड टाइम) कम करने के लिए ऐसी शिकायतों को बंद करने की प्रक्रिया को स्वचालित बनाने के लिए ट्रेसनेट के लिए हेल्पडेस्क की सहायता के लिए आनलाइन अप्लीकेशन डिजाइन किया गया और विकसित किया गया।
- पैक हाउस, मीट यूनिट, पीनट यूनिट आदि के निरीक्षण / निगरानी के लिए मोबाइल ऐप का विकास।
- बासमती चावल के लिए आरसीएसी आनलाइन जारी करने का एकीकरण, सऊदी अरब के लिए एचएसीसीपी के लिए आयातक देशों के मानकों की अनिवार्य आवश्यकता और ईयू देशों के लिए ईआईसी लैब टेस्ट रिपोर्ट।
- अनुवेदनीयता की प्रणालियों अर्थात बासमती चावल और होर्टीनेट के कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
- अपेडा का दैनिक सूचना पत्र 32000 से अधिक प्राप्तकर्ताओं को परिचालित किया गया।
- अपेडा की वेबसाइट में सिक्योर साकेट लेयर (एसएसएल) लागू किया गया।
- अपेडा ने बाजार आसूचना की ई–बुलेटिन शुरू की है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार, शीर्ष आयातक देशों, भारत के निर्यात परिदृश्य, भारत के लिए प्रमुख निर्यात बाजार, मौसम एवं किस्मों पर नवीनतम अपडेट शामिल होते हैं।

2019–20 के दौरान निर्यातकों का पंजीकरण

- जारी किए गए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र (आरसीएमसी) : 4514
- जारी किए गए पंजीकरण सह आवंटन प्रमाण पत्र (आरसीएसी)

बासमती चावल के निर्यात के लिए आरसीएसी	
कुल आरसीएसी	मात्रा (मिलियन मीट्रिक टन में)
17396	2.152
चीनी के आयात के लिए जारी किए गए आरसीएसी	
कुल आरसीएसी	मात्रा (मीट्रिक टन में)
41	1057
मूंगफली तथा मूंगफली के उत्पादों के निर्यात के लिए जारी किए गए निर्यात प्रमाण पत्र (सीओई)	
कुल सीओई	मात्रा मीट्रिक टन में
13418	262179.4

2019–20 में अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू व्यापार मेलों में अपेडा की भागीदारी

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला

क्र. सं.	कार्यक्रम
1.	फूड एंड होटल यंगून, म्यांमार 5–7 जून, 2019
2.	समर फैंसी फूड एंड कनफेक्शनरी शो, न्यूयार्क 23–25 जून, 2019
3.	फाइन फूड आस्ट्रेलिया, सिडनी, आस्ट्रेलिया, 9–12 सितंबर 2019
4.	84वां थेस्सालोनिकी अंतर्राष्ट्रीय मेला, थेस्सालोनिकी (ग्रीक) 7–15 सितंबर, 2019
5.	अनुगा, कोलोन, जर्मनी 3–5 अक्टूबर, 2019
6.	चीन अंतर्राष्ट्रीय आयात प्रदर्शनी, शंघाई, चीन 5–10 नवंबर, 2019
7.	वर्ल्ड फूड कज़ाकिस्तान 6–8 नवंबर, 2019
8.	बायोफैच – 2020 न्यूरेमबर्ग, जर्मनी 12–15 फरवरी 2020
9.	गल्फूड, दुबई, यूएई 16–20 फरवरी 2020
10.	नेचुरल प्रोडक्ट्स एक्सपो वेस्ट, एनाहीम, सीए यूएसए 5–7 मार्च, 2020
11.	अंटाड एंड एलीमेंटेरिया मेक्सिको 31 मार्च – 2 अप्रैल, 2020

घरेलू व्यापार मेला

क्र. सं.	कार्यक्रम
1.	बायोफैच इंडिया, ग्रेटर नोएडा 7–9 नवंबर, 2019
2.	इंडस फूड, ग्रेटर नोएडा 8–10 जनवरी 2020
3.	आहार, प्रगति मैदान मार्च, 2020

ताजे फलों एवं सब्जियों के निर्यात के लिए पहलें

❖ **जापान, कोरिया और यूएसए को आम का निर्यात** : निर्यात के लिए आम के कंसाइनमेंट के शोधन के लिए वीएचटी / एचडब्ल्यूटी की सुविधाओं के पर्यवेक्षण के लिए जापान और कोरिया से पादप संगरोध निरीक्षक प्रतिनियुक्त किए गए। 2019 के आम सत्र में वीएचटी / एचडब्ल्यूटी की अनुमोदित सुविधाओं से जापान को लगभग 60 मीट्रिक टन आम तथा कोरिया को लगभग 100 मीट्रिक टन आम का निर्यात किया गया। आम के कंसाइनमेंट को स्वीकृति प्रदान करने के लिए यूएसए से संगरोध निरीक्षकों ने भी विकिरण की सुविधाओं का दौरा किया। तीन विकिरण अनुमोदित सुविधाओं से लगभग 1400 मीट्रिक टन आम का निर्यात किया गया।

❖ **दुबई को ताजे अनन्नास भेजना** – 22 जुलाई 2019 को त्रिपुरा से दुबई को 18 टन ताजे अनन्नास भेजे गए।

❖ **यूके को आम आम का निर्यात**

- मैसर्स बांबे फ्रूट्स एंड वेजीटेबल इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई द्वारा लंदन, यूके को निर्यात के लिए केसर आम के पहले कंटेनर की सफल व्यवस्था की गई। इसे यूके के बाजार में प्रति दर्जन 8 पाउंड की कीमत प्राप्त हुई। 21 मई 2019 को कंटेनर रवाना किया गया।
- अपेडा, एमएसएएमबी, एमएईआरएसके और वीएएफए के साथ मिलकर आईएफसी वासी में बार्क के वैज्ञानिकों के तकनीकी मार्गदर्शन में यूएसए के लिए आम के लंबी दूरी के शिपमेंट के लिए स्टेटिक ट्रायल किया गया।

❖ **अंगूर के लिए रिवर्स क्रेता – विक्रेता बैठक (आरबीएसएम)**

चीन को निर्यात करने के लिए भारतीय थामसन सीडलेस और सोनाका तथा ब्लैक किस्मों के प्रचार प्रसार के लिए एक रिवर्स क्रेता – विक्रेता बैठक का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मुंबई में 27 से 29 नवंबर 2018 के दौरान आयोजित हुआ। कार्यक्रम में चीन के 25 क्रेताओं ने भाग लिया तथा बी2बी बैठकों के लिए भारत की ओर से महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से लगभग 100 निर्यातकों ने भाग लिया। अंगूर के वर्तमान मौसम में, शंघाई और ग्वांग्झू को 2017–18 में निर्यात किए गए 607 मीट्रिक टन की तुलना में 6000 मीट्रिक टन से अधिक अंगूर का निर्यात किया गया गया।

❖ **पूर्वोत्तर क्षेत्र के उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय निर्यात सम्मेलन सह क्रेता – विक्रेता बैठक (आईबीएसएम)**

पूर्वोत्तर क्षेत्र के कृषि उत्पादों के लिए निम्नलिखित स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय क्रेता – विक्रेता बैठक का आयोजन किया गया :

(क) गुवाहाटी, असम, 5–6 मार्च, 2019

(ख) इंफाल, मणिपुर, 19–20 जून 2019

(ग) त्रिपुरा, 26–27 सितंबर, 2019

(घ) ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, 14–15 नवंबर 2019

(ङ) गंगटोक, सिक्किम, 21–22 नवंबर 2019

संभावित बाजारों अर्थात म्यांमार, नेपाल, हांगकांग, इंडोनेशिया, मलेशिया, बंगलादेश, यूएई के क्रेताओं ने भाग लिया तथा बागवानी के विभिन्न उत्पादों, चाय, चावल आदि के आयात के लिए वार्ता की।

उपर्युक्त आईबीएसएम में भागीदारी के फलस्वरूप मैसर्स सोपर्णिका एंटरप्राइजेज, बंगलौर और मैसर्स शक्ति फ्रूट प्रोडक्ट, एरोडे ने आर्डर

प्राप्त किए और क्रमशः दुबई को अनार के 40 कंटेनरों तथा ताजी अदरक के एक कंटेनर का निर्यात किया।

❖ **क्रेता – विक्रेता बैठक** : राज्य सरकार तथा इंडियन चैंबर ऑफ कामर्स के साथ आउटरीच सह बीएसएम का आयोजन कोहिमा, नागालैंड (20 जून 2019) और मिजोरम (30 अगस्त 2019) और रायपुर, छत्तीसगढ़ (20–22 सितंबर 2019) में हुआ।

❖ **पैक हाउस की मान्यता**

वर्ष 2019–20 (अप्रैल से नवंबर) के दौरान 8 नए पैक हाउस पंजीकृत किए गए हैं तथा 23 पुराने पैक हाउस का नवीकरण किया गया है।

प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए पहलें

❖ **मूंगफली प्रसंस्करण यूनिटों की निगरानी**

अपेडा मूंगफली तथा मूंगफली के उत्पादों के निर्यात की निगरानी कर रहा है। गोदामों तथा प्रोसेसिंग यूनिटों सहित 128 यूनिटों को मूंगफली तथा मूंगफली के उत्पादों के निर्यात के लिए मान्यता प्रदान की गई है।

2019–20 की अवधि के दौरान 16 नई मूंगफली यूनिटों का पंजीकरण किया गया तथा 53 यूनिटों के पंजीकरण का पुनः नवीकरण किया गया। मूंगफली के निर्यात के लिए कुल 12813 निर्यात प्रमाण पत्र (सीओई) जारी किए गए हैं। 2,50,380 मीट्रिक टन मूंगफली और मूंगफली उत्पादों का निर्यात किया गया है (अप्रैल – अक्टूबर)।

Peanut-Net के अंतर्गत बैच प्रोसेसिंग द्वारा अनुवेदनीयता प्रणाली

भारत से निर्यात किए गए मूंगफली एवं मूंगफली के उत्पादों के कंसाइनमेंट की अनुवेदनीयता बनाए रखने के उद्देश्य से अपेडा ने निर्यातकों के लिए बैचवार / कंसाइनमेंटवार मूंगफली के पंजीकरण के साथ अपने च्मंदनज.छमज को अपग्रेड किया है। निर्यातक मान्यता प्राप्त मूंगफली यूनिटों से प्राप्त की गई मात्रा से कंसाइनमेंट का निर्माण करने तथा डेस्टिनेशन के लिए

को बढ़ावा देने के लिए किसानों के लिए जागरूकता अभियान। कृषि की अच्छी प्रथाओं तथा कीटनाशकों के विवेकपूर्ण प्रयोग के लिए किसानों को जागरूक करने के लिए बीईडीएफ की सहायता से अपेडा द्वारा लगभग 82 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पंजाब राज्य में 74389 किसानों का पंजीकरण किया गया है।

- भारत से डीएएचडी के अधिकारियों तथा अपेडा के प्रतिनिधि के एक शिष्टमंडल ने चीन को गोमांस के निर्यात के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जीएसीसी के अधिकारियों के साथ बैठक के लिए 26 सितंबर 2019 को चीन का दौरा किया।
- भैंस के मांस का निर्यात करने के लिए मांस प्रसंस्करण संयंत्रों के निरीक्षण के लिए जुलाई और अगस्त 2019 के माह के दौरान अंगोला और मलेशिया से शिष्टमंडल के दौरे की व्यवस्था की गई।
- मांस, चावल और प्रसंस्कृत खाद्य से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए सऊदी खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण (एसएफडीए) के साथ चर्चा करने के लिए अपेडा से एक तकनीकी शिष्टमंडल ने 29 अगस्त 2019 को सऊदी अरब का दौरा किया।

अवसंरचना विकास

निम्नलिखित सामान्य अवसंरचना सुविधाओं के विकास का कार्य पूरा हो गया है :

❖ वाशी में एपीएमसी, मुंबई द्वारा ताजे फलों एवं सब्जियों के लिए कोल्ड चेन की सुविधा।

❖ खाद्य प्रसंस्करण सुविधा (जीएफपीएफ), सिक्किम का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण।

❖ आईक्यूएफ, बंगलौर, हरिद्वार, उत्तर प्रदेश में प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना।

❖ बीदर, कर्नाटक में केएपीपीईसी द्वारा कोल्ड चेन की सुविधा।

❖ कुदाची, कर्नाटक में केएपीपीईसी द्वारा पैक हाउस की सुविधा।

❖ [illegible]

एनआरएल के उन्नयन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसमें ताजे फल एवं सब्जियां तथा मूंगफली शामिल हैं।

कीटनाशकों, एफलाटॉक्सिन तथा अन्य संदूषकों के नियंत्रण के लिए आनलाइन निगरानी

अपेडा अंगूर, अनार और मूंगफली के निर्यात के लिए क्रमशः ग्रेपनेट, पोमग्रेनेट और पीनटनेट के माध्यम से वेब आधारित अनुवेदनीयता प्रणाली का कार्यान्वयन कर रहा है।

निर्यात मानक एवं सामंजस्य

(क) मूंगफली में एफलाटॉक्सिन और चावल में सीसा की मात्रा निर्धारित करने के लिए भारत के दृष्टिकोण का बचाव करने के लिए 29 अप्रैल से 3 मई 2019 तक इंडोनेशिया में आयोजित खाद्य में संदूषण पर कोडेक्स समिति के 13वें सत्र में भाग लिया।

(ख) मोंटेरी, मैक्सिको में 7 से 11 अक्टूबर 2019 तक आयोजित ताजे फलों एवं सब्जियों पर कोडेक्स समिति के 21वें सत्र में भाग लिया। सत्र के दौरान स्टेप 8 में वेयर आलू मानक अपनाए गए;

(ग) इंडोनेशिया को निर्यात प्रमाणन के लिए इंडोनेशिया के प्राधिकारियों द्वारा अपेडा द्वारा 34 अधिकृत खाद्य जांच प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान की गई;

(घ) अच्छी कृषि प्रथाओं पर एनएबीसीबी – क्यूसीआई द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में सार्क देश के प्रतिभागियों को अपेडा की पहलों पर प्रस्तुति दी गई और अगस्त 2019 के दौरान एफएसएसएआई द्वारा आयोजित भूटान और नेपाल सरकार के अधिकारियों को कोडेक्स मानक स्थापित करने के लिए नए कार्य प्रस्तावों के विकास पर प्रस्तुति दी गई;

(ङ) गोवा में सितंबर 2019 में आयोजित एशिया के लिए एफएओ / डब्ल्यूएचओ समन्वय समिति (सीसी – एएसआईए) के 21वें सत्र के दौरान एशियाई देशों के विचारों को रखने के लिए भाग लिया और अपेडा का प्रतिनिधित्व किया। अपेडा सीसी – एशिया समिति में सीसीएफएफवी के लिए क्षेत्रीय समन्वयक है।

जैविक उत्पादों का संवर्धन :

अपेडा ट्रेसनेट आनलाइन सिस्टम के माध्यम से एनपीओपी की प्रक्रियाओं की निगरानी कर रहा है। अपेडा ने त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ में जैविक खेती एवं विपणन पर राज्य स्तरीय कार्यशाला तथा नागालैंड में आउटरीच क्रेता – विक्रेता बैठक का आयोजन किया है।

पता :

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) तीसरी मंजिल, एनसीयूआई बिल्डिंग 3, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, (विपक्षी एशियाड गांव),नई दिल्ली – 10 016, भारतफ़ोनः 91–11–26513204, 26513219, 26514572 फैक्स : 91 –11–26526187

IV. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (मपेडा)

संसद के एक अधिनियम के अधीन 1972 में सांविधिक निकाय के रूप में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (मपेडा) का गठन किया गया जो भारत से समुद्री उत्पादों के निर्यात के विकास के लिए वाणिज्य विभाग के अधीन काम कर रहा है। इसका मुख्यालय कोच्चि में है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय भारत के समुद्री राज्यों में हैं।

निर्यात सुगमता एवं सवंर्धन

- वर्ष 2019–20 में मपेडा ने वियतनाम से विशेषज्ञों को आमंत्रित करके सीफूड के मूल्यवर्धन पर 6 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। कार्यक्रम कोच्चि, मुंबई, वेरावल, कोलकाता, विजाग और चेन्नई में आयोजित किए गए। प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नोबाशी श्रिंप (स्ट्रेच्ड श्रिंप), बटरफ्लाई सुशी श्रिंप, कुक्ड पीटीओ रिंग श्रिंप, ब्रेडेड फिश फिलेट, ब्रेडेड बटरफ्लाई श्रिंप, ब्रेडेड नोबाशी श्रिंप, ब्रेडेड स्क्विड रिंग, पाइनऐप्पल कट कटलफिश, मोंगो बैनस साशिमी (सुशी कटलफिश), कुक्ड पीटीओ श्रिंप, टेम्पुरा श्रिंप आदि जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मांग है, जैसे उत्पाद प्रदर्शित किए गए।

- समुद्री स्तनपायी संरक्षण अधिनियम (एमएमपीए) के अंतर्गत यूएसए के आयात के प्रावधानों के संबंध में भारत ने संबंधित वैज्ञानिक संस्थाओं और हितधारकों से आवश्यक डाटा प्राप्त करने के बाद 6 सितंबर 2019 को यूएसए को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

- अधिक यूनिट मूल्य वसूल करने के लिए पहले मील तक संपर्क में अंतराल को पाटने के लिए मपेडा ने मौजूदा फिशिंग हार्बर को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार स्तरोन्नत करने तथा फसलोपरांत क्षति न्यूनतम करने के लिए फिशिंग वेजल पर अवसंरचना सुविधाओं का सृजन करने की पहल की है। इससे मूल्य वसूली में वृद्धि होगी और अतिरिक्त आय प्राप्त होगी तथा हमारी कृषि निर्यात नीति के अनुसरण में अपनी आय दोगुना करने में मछुवारों की मदद कर सकती है।

- ई–गवर्नेंस की पहलों के अंग के रूप में, ईसी अधिसूचना 1005 / 2008 के अनुच्छेद 20 (4) के प्रावधानों को प्रभावित किए बगैर निर्यातकों द्वारा डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित कैच प्रमाण पत्र के संग्रहण और फिश लैंडिंग डाटा की प्रस्तुति को सुगम बनाने के लिए आनलाइन कैच प्रमाण पत्र निर्गम प्रणाली को अपग्रेड किया गया है।

- वर्ष के दौरान मपेडा ने निर्यात संवर्धन की अपनी गतिविधियों के अंग के रूप में दो अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लिया है। इन प्रदर्शनियों मे मपेडा के साथ कुल 30 निर्यातकों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय मेला में भागीदारी के माध्यम से प्राप्त व्यापारिक पूछताछ को भारत में सभी पंजीकृत सीफूड निर्यातकों को वार्ता एवं अनुवर्तन के लिए परिचालित किया गया है।

- अप्रैल से सितंबर 2019 की अवधि के दौरान 24 प्रसंस्करण संयंत्र, 136 निर्यातक, 38 भंडारण परिसर, 7 फिशिंग वेजल, 9 ड्राइड फिश हैंडलिंग सेंटर, 1 चिल्ड फिश हैंडलिंग सेंटर, 4 लाइव फिश

हैंडलिंग सेंटर, 22 पीलिंग शेड, 4 वाहन और 1 आइस प्लांट को मपेडा के यहां पंजीकृत किया गया।

- वल्लारपदम, केरल में हाल ही में शुरू किए गए मपेडा के बहु प्रजाति अक्वाकल्चर परिसर (एमएसी) ने ब्लैक टाइगर श्रिंप के रोग मुक्त सीड की आपूर्ति करना शुरू किया। यह परिसर जीआईएफटी, सीबास और पोंपानो के स्वस्थ सीड की भी आपूर्ति करता है। इस अवधि के दौरान एमएसी ने केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी राज्यों में लगभग 1500 अक्वाकल्चर किसानों को आपूर्ति की।

- अप्रैल से सितंबर 2019 की अवधि के दौरान 4920 ईयू तथा 232 गैर ईयू कैच प्रमाण पत्र, 11964 डीएस 2031 प्रमाण पत्र, 466 आईसीसीएटी प्रमाण पत्र, 38 गैर रेडियो ऐक्टिव प्रमाण पत्र, 5 विधिक उत्पत्ति प्रमाण पत्र जारी किए गए। इन प्रमाण पत्रों ने प्रमुख बाजारों में सीफूड के निर्यात को सुगम बनाया। कैच प्रमाण पत्र और आईसीसीएटी प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया अब आनलाइन कर दी गई है। सभी प्रमाण पत्रों के लिए शुल्क संग्रहण नकदी लेनदेन के बगैर डिजिटल रूप में प्राप्त किया गया है।

अक्वाकल्चर विकास

- सभी समुद्री राज्यों में अक्वाकल्चर किसानों के लिए कार्याशालाओं एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य बेहतर प्रबंध प्रथाएं (बीएमपी) अपनाना और खेती में एंटीबायटिक्स के प्रयोग से बचना है। साथ ही 34 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें लगभग 1000 किसानों ने भाग लिया। मपेडा की योजनाओं के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए 20 किसान बैठकों का आयोजन किया गया। साथ ही, अक्वाकल्चर में एंटीबायटिक्स के प्रयोग के खिलाफ 186 अभियान चलाए गए और प्रजातियों में विविधता के लिए 45 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

- अक्वाकल्चर उत्पादन की अनुवेदनीयता के लिए फार्मों और हैचरी के पंजीकरण का कार्य जारी रखा जा रहा है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान मपेडा द्वारा 5681 हेक्टेयर के जल विस्तार क्षेत्र के साथ 3174 फार्म और 762 मिलियन क्षमता के साथ 11 हैचरी का पंजीकरण किया गया।

- हैदराबाद में 30 अगस्त से 1 सितंबर 2019 तक अक्वा अक्वेरियसा इंडिया 2019 (एएआई) का आयोजन किया गया जो सबसे बड़े अक्वाकल्चर शो में से एक है।

- मपेडा ने सूरत, गुजरात में 27–28 जून 2019 को तथा भीमावरम, आंध्र प्रदेश में 1–2 जुलाई 2019 को अच्छी अक्वाकल्चर प्रथाओं पर दो यूएस एफडीए कार्यशालाओं का आयोजन किया।

- एनएसीएसए जो मपेडा के अधीन सोसाइटी है, अक्वा किसानों में क्लस्टर खेती को बढ़ावा दे रहा है। इस अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 2019–20 के दौरान 42 क्लस्टर समितियों का आयोजन किया गया। सोसाइटी ने 378 सामान्य बैठकों का भी आयोजन किया जिसमें 5565 किसानों ने भाग लिया तथा अक्वाकल्चर में बेहतर प्रबंध प्रथाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अक्वाकल्चर किसानों के लिए 186 एंटीबायटिक्स बैठकों का आयोजन किया गया जिसमें 2992 किसानों ने भाग लिया। साथ ही, मिट्टी तथा पानी की गुणवत्ता की जांच तथा रोगों के विश्लेषण के लिए आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में 10 अक्वा वन सेंटर (एओसी) स्थापित किए गए। ये सेंटर एनएफडीबी की वित्तीय सहायता से स्थापित किए गए।

- नेटफिश जो मपेडा के अधीन सोसाइटी है, ने मछली की गुणवत्ता के प्रबंधन में क्षमता निर्माण तथा बुनियादी स्तर पर समुद्री फिशरी संसाधनों के संरक्षण पर सभी समुद्री राज्यों में चयनित हार्बर और लैंडिंग सेंटर में और आसपास 524 विस्तार कार्यक्रमों का आयोजन किया। यह मछुआरा समितियों, संघों तथा अन्य गैर सरकारी संगठनों के साथ नेटवर्किंग के माध्यम से काम करता है तथा अप्रैल से अक्टूबर 2019 की अवधि के दौरान लगभग 16000 फिशरी हितधारक लाभान्वित हुए।

गुणवत्ता आश्वासन

- मपेडा कोच्चि, भीमावरम, नेल्लोर और भुवनेश्वर में चार गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं (क्यूसीएल) चला रहा है। ये प्रयोगशालाएं एनएबीएल द्वारा प्रत्यायित हैं। ये प्रयोगशालाएं राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण कार्यक्रम (एनआरसीपी) के अंतर्गत नमूनों की जांच कर

रही हैं, जो यूरोपीय संघ को समुद्री उत्पादों के निर्यात के लिए आवश्यक है। अप्रैल से सितंबर 2019–20 की अवधि के दौरान एनआरसीपी के अंतर्गत 4013 नमूनों की जांच की गई।

❖ इसके अलावा, प्री हार्वेस्ट टेस्ट सर्टिफिकेट (पीएचटी) जारी करने के लिए 11 एलिसा लैब क्रियाशील हैं, जो सुनिश्चित करता है कि उत्पाद में कोई एंटीबायटिक नहीं है। अप्रैल से सितंबर 2019 के दौरान एलिसा के सभी लैब से 6409 पीएचटी जारी किए गए। इस अवधि के दौरान 112 लाभार्थियों अर्थात प्रौद्योगिकीविदों को शामिल करते हुए सीफूड क्षेत्र में 4 एचएसीसीपी प्रशिक्षण आयोजित किए गए।

अनुसंधान एवं विकास

❖ आरजीसीए जो मपेडा के अधीन सोसाइटी है, ने विविध अक्वाकल्चर के प्रचार प्रसार के लिए अपनी 11 परियोजनाओं का प्रचालन जारी रखा।

❖ श्रिंप एल. वन्नामेई के लिए न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर (एनबीसी) की स्थापना के लिए एक लेनदेन सलाहकार की नियुक्ति की गई है तथा रणनीतिक साझेदार के चयन की कार्रवाई शुरू की गई है। अक्वेटिक क्वारैंटाइन फेसिलिटी (एक्यूएफ) के 6 अतिरिक्त क्यूबिकल के लिए कार्य प्रगति पर है।

❖ मपेडा – आरजीसीए ने विविध प्रजातियों के लिए हैचरी की स्थापना के लिए निजी उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एनएफडीपी को संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। गठित की गई विशेषज्ञ समिति ने इसके लिए 11 उद्यमियों की सूची तैयार की है। एनएफडीबी शीघ्र ही हैचरी के निर्माण के लिए उद्यमियों को आर्डर जारी करेगा।

❖ वल्लारपदम, केरल में हाल ही में शुरू किए गए मपेडा के बहु प्रजाति अक्वाकल्चर परिसर (एमएसी) ने ब्लैक टाइगर श्रिंप, सीबास और पोंपानो के रोग मुक्त सीड प्रदान करना शुरू किया।

अप्रैल से सितंबर, 2019 के दौरान सीड की कुल आपूर्ति : निर्यात उन्मुख अक्वाकल्चर के विविधीकरण के लिए आरजीसीए द्वारा आपूर्त किए गए सीड का ब्यौरा नीचे सारणी 2 में दिया गया है : –

सारणी 2

सीड की आपूर्ति का ब्यौरा (प्रजातिवार)	प्रजातियां	मात्रा (संख्या)	आपूर्ति
	सीब्रास फ्राई	25.72 लाख	किसान / एमएसी / आरजीसीए
	क्रैबिंस्टार	6.3 लाख	किसान / सीआईबीए
	क्रैबलेट	50229	किसान
	अर्टेमिया बायोमास	586.5 किलो	एफसीआरआई, तूतीकोरीन / आरजीसीए / एनबीएफजीआर
	अर्टेमिया सिस्ट	376 टिन	आरजीसीए / किसान
	एल. वन्नामेई ब्रूडस्टाक	5750	सीएए द्वारा अनुमोदित हैचरी
	एक्यूएफ (ब्रूडस्टाक)	121297	सीएए द्वारा अनुमोदित हैचरी
	टिलापिया सीड	18.3 लाख	फिशरी कॉलेज, रत्नगिरि / किसान / एमएसी
	टिलापिया ब्रूडस्टाक	3800	तमिलनाडु सरकार / हैचरी
	कोबिया सीड	1210	किसान
	पोमपानो फ्राई	20270	किसान / सीएमएफआई / मपेडा / एडीएके
आरजीसीए - एमएसी (वल्लारपदम)	टिलापिया फ्राई / फिंगरलिंग्स	9.4 लाख	किसान
	सीब्रास फ्राई / फिंगरलिंग्स	1.46 लाख	किसान / एफएफडीए
	पोंपानो फ्राई / फिंगरलिंग्स	4055	किसान / एडीएके / सीएमएफआरआई
	पी. मोनोडोन पोस्ट लार्वा	9.2 लाख	किसान

निर्यात निष्पादन :

वर्तमान वित्त वर्ष अप्रैल से नवंबर 2019–20 के दौरान भारत ने 4.48 बिलियन अमरीकी डालर (8,60,419 मीट्रिक टन) मूल्य के सीफूड का निर्यात किया है जो पिछले वर्ष की समान अवधि के निर्यात की तुलना में 6.36 प्रतिशत गिरावट को दर्शाता है। यूएसए तथा दक्षिण पूर्व एशिया भारतीय सीफूड के लिए प्रमुख आयात बाजार बने रहे। फ्रोजेन श्रिंप निर्यात की प्रमुख मद बना रहा जिसके बाद फ्रोजन फिश का स्थान था। पिछले 10 वर्षों में समुद्री उत्पाद निर्यात निष्पादन नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है : –

चित्र 1 समुद्री निर्यात उत्पाद निष्पादन (मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

निर्यात के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल से नवंबर, 2019 की अवधि के दौरान निर्यात ने भी पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में मात्रा में 10.96 प्रतिशत, रुपए में मूल्य की दृष्टि से 5.20 प्रतिशत और डालर में मूल्य की दृष्टि से 6.36 प्रतिशत की गिरावट प्रदर्शित की है। पिछले वर्ष की समान अवधि के आंकड़ों की तुलना में वर्तमान वित्त वर्ष 2019–20 में भारतीय समुद्री सीफूड के निर्यात के अनंतिम आंकड़ों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

सारणी 1 2019–20 के लिए समुद्री निर्यात उत्पाद निष्पादन

अप्रैल से नवम्बर 2019-20				
		2018-19 (वास्तविक)	2019-20 (अनंतिम)	वृद्धि (प्रतिशत)
मात्रा टन में	मात्रा :	966362.00	860419.00	-10.96
मूल्य करोड़ रुपए में	मूल्य :	32,997.70	31,280.36	-5.20
(मिलियन अमरीकी डालर में)	डालर :	4,785.99	4,481.65	-6.36

V. व्यापार प्रतिकार महानिदेशालय (डीजीटीआर)

व्यापार प्रतिकार महानिदेशालय (पूर्व में इसका नाम पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय था) भारत में व्यापक एवं त्वरित व्यापार रक्षा तंत्र प्रदान करने के लिए एकीकृत एकल खिड़की एजेंसी है।

पूर्व में पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी) पाटनरोधी एवं सीवीडी मामले देखता था, सुरक्षोपाय निदेशालय (डीजीएस) सुरक्षोपायों से संबंधित काम देखता था और डीजीएफटी मात्रात्मक प्रतिबंध (क्यूआर) के सुरक्षोपायों से संबंधित काम देखता था। एकल राष्ट्रीय संस्था में उनका विलय करके डीजीटीआर ने डीजीएटी, डीजीएस तथा डीजीएफटी के सुरक्षोपाय (क्यूआर) कार्य को अपने दायरे में लाया है। अब डीजीटीआर पाटनरोधी, सीवीडी तथा सुरक्षोपायों से संबंधित मामले देखता है। यह भारत के घरेलू उद्योगों एवं निर्यातकों के विरुद्ध अन्य देशों द्वारा शुरू किए गए व्यापार प्रतिकार के अन्वेषणों के बढ़ते मामलों से निपटने में उनको व्यापार प्रतिकार सहायता भी प्रदान करता है। डीजीटीआर डब्ल्यूटीओ व्यवस्था, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम एवं नियमावली तथा अन्य संगत कानूनों एवं अंतर्राष्ट्रीय करारों की प्रासंगिक रूपरेखा के तहत पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से व्यापार प्रतिकार की विधियों का प्रयोग करके व्यापार की अनुचित प्रथाओं जैसे कि निर्यातक देशों से डंपिंग तथा करणीय सब्सिडी के प्रतिकूल प्रभाव के विरुद्ध घरेलू उद्योग को समान अवसर प्रदान करता है।

डीजीटीआर वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय के रूप में काम करता है। यह व्यावसायिक दृष्टि से विभिन्न सेवाओं एवं विशेषज्ञताओं से चुने गए अधिकारियों से उत्पन्न बहु–आयामी कौशल सेट के साथ एकीकृत संगठन है।

1 अप्रैल 2019 से 31 दिसंबर 2019 की अवधि के दौरान 34 पाटनरोधी अन्वेषण (नई एवं समीक्षा दोनों), 5 प्रतिकर शुल्क अन्वेषण और 6 सुरक्षोपाय अन्वेषण शुरू किया। इस अवधि के दौरान 14 पाटनरोधी अन्वेषण, 4 प्रतिकर शुल्क अन्वेषण में अंतिम निष्कर्ष तथा 5 अन्वेषण में अनंतिम निष्कर्ष जारी किए गए।

भारतीय निर्यात के विरुद्ध आयातक देशों द्वारा शुरू किए गए प्रतिकर / पाटनरोधी / सुरक्षोपाय अन्वेषण में भारतीय निर्यातकों के बचाव के लिए निदेशालय में एक व्यापक रक्षा प्रकोष्ठ नोडल बिंदु के रूप में क्रियाशील है।

विभिन्न हितधारकों द्वारा व्यापार निदान के उपलब्ध उपायों का इष्टतम उपयोग सुगम बनाने के लिए 23 सितंबर 2019 से एक 'हेल्प डेस्क एवं सुगमता केन्द्र' स्थापित किया गया है जिसका उद्देश्य अनुचित व्यापार पर अंकुश लगाना है।

भारत और दक्षिण कोरिया के बीच व्यापार निदान के उपायों पर एमओयू के अंतर्गत परिकल्पित सहयोग के अनुसरण में डीजीटीआर ने 12 जून 2019 को नई दिल्ली में प्राइस अंडरटेकिंग एंड एंटीसर्कमवेंशन पर व्यापार निदान के उपायों पर एक तकनीकी सेमिनार का आयोजन किया।

11 सितंबर 2019 को नई दिल्ली में 'प्रभावी व्यापार नीति एवं विकास रणनीति के निर्माण एवं कार्यान्वयन के लिए विनियामक लिखत' पर एक हितधारक बैठक का आयोजन किया गया।

पारदर्शिता, दक्षता को बढ़ावा देने तथा घरेलू उत्पादकों को शीघ्रता से राहत प्रदान करने के अपने प्रयासों के तहत डीजीटीआर ने 30 सितंबर 2019 को विभिन्न व्यापार निदानों जैसे कि पाटनरोधी शुल्क, सुरक्षापाय शुल्क तथा प्रतिकर शुल्क के लिए आनलाइन याचिका प्रस्तुत करने के लिए एआरटीआईएस (भारतीय उद्योग तथा अन्य हितधारकों के लिए व्यापार में निदान के लिए एप्लीकेशन) नामक एक आनलाइन पोर्टल लांच किया। आवेदक इस पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति की निगरानी भी कर सकते हैं।

VI. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस)

वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) भारत की व्यापार सांख्यिकी और वाणिज्यिक सूचना के संग्रहण, संकलन एवं प्रसार के लिए भारत सरकार का अग्रणी संगठन है। इस निदेशालय का कार्यालय कोलकाता में स्थित है तथा इसके मुखिया महानिदेशक हैं जो आईएसएस संवर्ग के एसएजी स्तर के अधिकारी होते हैं। इसे नीति–निर्माताओं, शोधकर्ताओं, आयातकों, निर्यातकों, व्यापारियों और विदेशी क्रेताओं द्वारा अपेक्षित अंतर्राष्ट्रीय पण व्यापार सांख्यिकी एवं विभिन्न प्रकार की वाणिज्यिक सूचना का संग्रहण करने, संकलन करने और प्रकाशन / प्रसार करने का कार्य सौंपा गया है। यह भारत की विदेश व्यापार सांख्यिकी के संकलन एवं प्रसार के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश में पहला बड़ा डाटा प्रसंस्करण संगठन है जिसे 2017 में आईएसओ 9001 : 2015 में अपग्रेड किया गया है जो वस्तु के निर्यात एवं आयात डाटा के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है।

(क) पण व्यापार डाटा का प्रसंस्करण

- वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय में प्राप्त डाटा वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय कोई अंतर्राष्ट्रीय पण व्यापार होने की स्थिति में सृजित प्रशासनिक डाटा के अंग के रूप में विभिन्न सीमा शुल्क कार्यालयों तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) से दैनिक व्यापार विवरणी (डीटीआर) के रूप में वस्तु के निर्यात एवं आयात दोनों के लिए बुनियादी डाटा प्राप्त करता है। सीमा शुल्क प्राधिकारी तीन अलग – अलग माध्यमों अर्थात इलेक्ट्रानिक डाटा एक्सचेंज (ई डी आई), गैर ई डी आई एवं दस्ती रूप में ये डी टी आर भेजते हैं। इंडियन कस्टम ई डी आई गेटवे (आइसगेट) के माध्यम से ई डी आई डाटा हर रोज ऑन–लाइन भेजा जाता है। शेष बंदरगाहों से मासिक जींस व्यापार डाटा ईमेल या सीडी के माध्यम से या दस्ती रूप में टंकित / हस्तलिखित कागजी अनुसूचियों के माध्यम से भेजा जाता है। एनएसडीएल के माध्यम से दैनिक आधार पर विशेष आर्थिक क्षेत्रों से डीटीआर प्राप्त किया जा रहा है। प्राप्त कच्चे डाटा को डी जी सी आई एंड एस अधुनातन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके प्रोसेस और संकलित करता है।
- **डाटा आयतन** : डीजीसीआईएंडएस में प्रोसेस किए जा रहे रिकार्डों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में निरंतर बढ़ रही है। 2000–01 में 39.00 लाख रिकार्ड प्रोसेस किए गए जबकि 2018–19 में यह संख्या बढ़कर 255.49 लाख हो गई। पिछले 4 वर्षों के दौरान, प्रोसेस किए गए रिकार्डों की संख्या, लेनदेन के प्रकार तथा मूल्य के अनुसार रिकार्डों का वितरण नीचे सारणी में दर्शाया गया है :

सारणी : 1 2015–16 से 2018–19 तक प्रोसेस किए गए रिकार्डों की संख्या

वर्ष	निर्यात	आयात	कुल
2015-16	9740368	8015898	17756266
2016-17	10482527	8190493	18673020
2017-18	11288464	9198264	20486728
2018-19	13360422	12188592	25549014

सारणी : 2 रिकॉर्ड के प्रकार के अनुसार प्रोसेस किए गए रिकॉर्डों का प्रतिशत

वर्ष	निर्यात			आयात			कुल		
	ईडीआई	गैर ईडीआई	दस्ती	ईडीआई	गैर ईडीआई	दस्ती	ईडीआई	गैर ईडीआई	दस्ती
2015-16	89.99	9.12	0.89	94.05	5.85	0.1	91.83	7.64	0.53
2016-17	90.31	9.13	0.56	94.08	5.88	0.04	91.96	7.71	0.33
2017-18	91.85	8.02	0.13	94.62	5.37	0.01	93.09	6.83	0.08
2018-19	93.3	6.7	0	95.21	4.78	0.01	94.21	5.79	0
टिप्पणी : गैर ईडीआई में एसईजेड शामिल है।									

सारणी : 3 व्यापार के मूल्य में विभिन्न प्रकार के लेनदेन के योगदान का प्रतिशत

वर्ष	निर्यात			आयात			कुल		
	ईडीआई	गैर ईडीआई	दस्ती	ईडीआई	गैर ईडीआई	दस्ती	ईडीआई	गैर ईडीआई	दस्ती
2015-16	76.74	23.1	0.16	80.85	18.91	0.24	79.17	20.62	0.21
2016-17	79.79	20.1	0.11	80.53	19.3	0.17	80.22	19.64	0.14
2017-18	83.57	16.33	0.1	87.4	12.55	0.05	85.89	14.04	0.07
2018-19	84.84	15.16	0	89.05	10.94	0.01	87.4	12.59	0.01
टिप्पणी : गैर ईडीआई में एसईजेड शामिल है।									

❖ **विदेश व्यापार डाटा का निर्गम** : डीजीसीआईएंडएस ने अपनी विज्ञप्तियों में समय की दृष्टि से पीछे रहने की अवधि काफी कम कर दी है तथा अपने प्रमुख हितधारकों के सुझावों के आधार पर अधिक प्रयोक्तानुकूल ढंग से प्रसार की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। निदेशालय द्वारा किसी खास माह के लिए संकलित किए गए आयात और निर्यात दोनों के लिए विदेश व्यापार के आंकड़े वाणिज्य मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित के रूप में जारी किए जाते हैं (प) अगले माह 15 तारीख तक प्रेस नोट / क्विक एस्टीमेट्स, (पप) प्रधान वस्तुवार डाटा अब अगले माह की 20 तारीख तक उपलब्ध हो जाता है, (पपप) अगले माह की 30/31 तारीख तक 8 डिजिट का मद स्तरीय डाटा (अनंतिम), और (पअ) अगले माह के 50वें / 51वें दिन तक 8 डिजिट का मद स्तरीय डाटा (अंतिम)। इसके अलावा, वाणिज्य मंत्रालय के आंतरिक प्रयोग के लिए अगले माह की 15 तारीख तक केवल मूल्य की दृष्टि से आयात और निर्यात दोनों के लिए 8 डिजीट के स्तर पर देशवार अलर्ट सृजित किया जाता है। ऑनलाइन डाटा प्रसार के लिए वेब आधारित मॉड्यूल अर्थात विदेश व्यापार प्रसार पोर्टल (एफडीडीपी) स्थापित हो गया है जिससे अनंतिम एवं अंतिम दोनों प्रकार के डाटा सेट सीधे प्राप्त किए जा सकते हैं।

(ख) डीजीसीआईएंडएस द्वारा शुरू की गई नई पहलों का क्षेत्र :

❖ वाणिज्य मंत्रालय के परामर्श से डीजीसीआईएंडएस ने डीजीसीआईएंडएस में डाटा विश्लेषण सेल का गठन किया है। इस संबंध में डीजीसीआईएंडएस में डाटा वेयरहाउस स्थापित करने के लिए एप्लीकेशन साफ्टवेयर खरीदा गया है। शुरू में डाटा वेयरहाउस में अनकॉमट्रेड में सभी देशों के लिए सभी उपलब्ध पृथक डाटा होगा। व्यापार की विभिन्न विशेषताओं का मूल्यांकन करने के लिए डाटा विश्लेषण सेल 10 अनुकूलित आर्थिक संकेतकों का विकास कर रहा था।

❖ चूंकि व्यापार परिणामों को प्रकाशित करने में समयांतराल को कम करने के लिए डीजीसीआईएंडएस को दैनिक आधार पर विशाल डाटा की प्रोसेसिंग करनी होती है। डीजीसीआईएंडएस ने आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस और मशीन लर्निंग टूल्स का प्रयोग करके दैनिक आधार पर पण व्यापार डाटा के वैधीकरण की योजना बनाई है।

❖ निजी पक्षकारों तथा व्यापार निदान महानिदेशालय (डीजीटीआर) के अधिकारियों दोनों के लिए पाटनरोधी मामलों से संबंधित

ने के लिए
पोर्टल को

नियमित

पर

- गवर्नमेंट ई–मार्केट ...म) केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों द्वारा सा... की वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के लिए आनलाइन ...न के सृजन एवं अनुरक्षण के लिए कंपनी अधिनियम 20... 8 के अंतर्गत सृजित एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपी...

- अधिसूचना दिनांक 8 ...7 के माध्यम से भारत सरकार (कार्य का आवंटन) नि...1 ने निम्नलिखित प्रविष्टि की है :

  0 ''32. राष्ट्रीय सार्वज... र्टल – गवर्नमेंट ई–मार्केट प्लेस का विकास, प्रच... क्षण''

जेम सरकारी संगठनों द्वा... ोग की सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के ... प्रभावी एवं समावेशी ...लाइन प्लेटफार्म प्रदान...

...वित्तीय नियमावली ...या नियम संख्या 149 ...के वित्त मंत्रालय ... विभागों द्वारा जेम के ... को अधिकृत ... किया गया है। सभी ...न्य क्षेत्र जेम ...रीदारी कर रहे हैं।

...जार ... करने के लिए ...ला... ...को प्रमोट करने के

...भिन्न मोड को ...य लेने में

राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रापण गोष्ठी 2019 का तीसरा संस्करण

VIII. व्यापार सुविधा सेवा संस्थान (एफडीडीआई, आईडीआई, आईआईपी, आईआईएफटी)

फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान (एफडीडीआई)

फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान (एफडीडीआई) की स्थापना फुटवियर तथा संबद्ध उत्पाद उद्योगों के विकास एवं संवर्धन के लिए वर्ष 1986 में की गई थी। एफडीडीआई, जो एफडीडीआई अधिनियम, 2017 के अनुसार 'राष्ट्रीय महत्व की संस्था' का दर्जा रखने वाला एक अग्रणी संस्थान है, फुटवियर, चर्म (लेदर) एवं संबद्ध उद्योग में 'वन स्टॉप समाधान प्रदाता' के रूप में सेवा प्रदान करता है।

फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान फुटवियर, चर्म (लेदर), फैशन, रिटेल एवं प्रबंधन के क्षेत्रों में कौशल–खामियों को दूर करते हुए भारतीय उद्योग–जगत को सुगमता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान अपनी विशिष्ट पाठ्यचर्या, अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं, विश्व स्तरीय अवसंरचना तथा अनुभवी प्राध्यापकों के साथ कुशल जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए अप्रयुक्त प्रतिभा एवं उद्योग–जगत तथा वैश्विक स्तर पर इसके समकक्ष संस्थानों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य कर रहा है।

एफडीडीआई, नोएडा, फुर्सतगंज, चेन्नई, कोलकाता, रोहतक, छिंदवाड़ा, गुना, जोधपुर, अंकलेश्वर, बन्नूर, पटना और हैदराबाद में स्थित अपने कैंपसों के माध्यम से दीर्घकालिक कार्यक्रमों तथा अल्पकालिक कार्यक्रमों का संचालन करके कौशल आधारित शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करता है।

क्रम संख्या	स्नातक कार्यक्रम	स्नाकोत्तर कार्यक्रम
1.	डिजाइन में स्नातक (B. Des.) (फुटवियर डिजाइन एवं विनिर्माण) - 4 वर्षीय	डिजाइन में स्नाकोत्तर (M. Des.) (फुटवियर डिजाइन एवं विनिर्माण) - 2 वर्षीय
2.	डिजाइन में स्नातक (B. Des.) (चर्म वस्तुएं एवं एक्सेसरीज़ डिजाइन) – 4 वर्षीय	एम.बी.ए. (रिटेल एवं फैशन मर्केंडाईज) – 2 वर्षीय
3.	डिजाइन में स्नातक (B. Des.) (फैशन डिजाइन) - 4 वर्षीय	
4.	बी.बी.ए. (रिटेल एवं फैशन मर्केंडाईज) – 3 वर्षीय	

इसके अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण केंद्र को एसएटीआरए दृ यूनाइटेड किंगडम जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन से प्रख्यात 17025 प्रमाणन एवं प्रत्यायन प्राप्त हैं। इसके अलावा, संस्थान ने समय समय पर शीर्ष प्रबंधन एवं फैशन डिजाइन संस्थानों जैसे कि एलडीटी नागोल्ड, जर्मनी; एआरएस सुतोरिया, इटली; थामस बाटा विश्वविद्यालय (टीबीयू), चेक गणराज्य; नार्थेम्पटन विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम के साथ शैक्षिक गठबंधन किया है, जो कैंपस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण सुनिश्चित करता है तथा छात्र/प्राध्यापक एक्सचेंज कार्यक्रम की संभावना प्रदान करता है ताकि वैश्वीकरण की चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम हो सकें।

संस्थान को प्रशिक्षण और कंसल्टेंसी के क्षेत्र में वैश्विक रूप से ख्याति प्राप्त है और विश्वव्यापी उद्योग–जगत/शैक्षणिक समुदाय में उच्च मान्यता प्राप्त है। इसने बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे एशियाई देशों तथा इथोपिया, बोत्सवाना, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका आदि जैसे अनेक अफ्रीकी देशों में प्रशिक्षण एवं कंसल्टेंसी के क्षेत्र में अपने लिए एक आला स्थान बनाया है।

एफडीडीआई द्वारा प्रत्येक वर्ष प्लेसमेंट ड्राइव में भाग लेने वाली 200 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में 85% से अधिक प्लेसमेंट की उपलब्धि प्राप्त की गई है। वर्तमान में, चर्म और फुटवियर के व्यापार में संलग्न शीर्ष बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और अन्य वरिष्ठ पदों पर एफडीडीआई के पूर्व छात्र काबिज है।

वर्ष के दौरान शुरू किए गए प्रमुख कार्यकलाप / कार्यक्रम :

1. एफडीडीआई, छिंदवाड़ा, नोएडा, कोलकाता और चेन्नई द्वारा 'राष्ट्रीय महत्व की संस्था (आईएनआई)' का दर्जा प्राप्त करने के पश्चात् प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन

वर्ष 2017 में 'राष्ट्रीय महत्व की संस्था (आईएनआई)' का दर्जा प्राप्त होने के पश्चात्, एफडीडीआई, छिंदवाड़ा ने दिनांक 12 अक्टूबर, 2019 को अपना प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन किया; एफडीडीआई, नोएडा ने दिनांक 5 नवंबर, 2019 तथा एफडीडीआई, कोलकाता ने 8 नवंबर, 2019 को अपने प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन किया।

नोएडा स्थित एफडीडीआई में श्री सोम प्रकाश, माननीय राज्य मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग, भारत सरकार ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम को शोभांवित किया।

2018 और 2019 के बैचों से संबंधित कुल 770 छात्रों को उनके संबंधित पेशेवर कार्यक्रम के सफलतापूर्वक समापन को चिह्नित करते हुए, उनकी डिग्री से सम्मानित किया गया, जिनमें से 425 छात्र समारोह में शामिल हुए।

एफडीडीआई, नोएडा में गणमान्य व्यक्तियों द्वारा समारोह में दीप प्रज्ज्वलन

एफडीडीआई, छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, श्री कमल नाथ, जो इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे, के कर–कमलों द्वारा 54 विद्यार्थियों को उनकी डिग्री से सम्मानित किया गया।

एफडीडीआई के कोलकाता स्थित कैंपस में, पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल, श्री जगदीप धनखड़, जो इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे, द्वारा, कुल 120 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई।

एफडीडीआई, चेन्नई कैंपस में, तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल श्री थिरु बनवारीलाल पुरोहित, जो इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे, द्वारा 69 छात्रों को उनकी डिग्री से सम्मानित किया गया।

एफडीडीआई, कोलकाता में पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल, श्री जगदीप धनखड़ से डिग्री प्राप्त करते हुए एक स्नातक छात्र

एफडीडीआई, चेन्नई में तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल, श्री थिरू. बनवारीलाल पुरोहित से डिग्री प्राप्त करता हुआ एक स्नातक छात्र

केन्द्र (डीडीआरसी) का भी संचालन करता है। आईडीआई, हीरा व्यापार के क्षेत्र में जागरूकता फैलाने के लिए ''सिंथेटिक डायमंड की पहचान'' पर विभिन्न कार्यशालाओं / सेमिनारों का आयोजन भी करता है।

भारतीय पैकेजिंग संस्थान

भारतीय पैकेजिंग संस्थान, पैकेजिंग प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक स्वायत्त निकाय है, जिसकी स्थापना प्रमुख पैकेजिंग एवं संबद्ध उद्योगों तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में 14 मई, 1966 को की गई। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य नूतन पैकेज डिजाइन एवं विकास के रूप में निर्यात को बढ़ावा देना तथा राष्ट्रीय स्तर पर पैकेजिंग के मानकों का उन्नयन करना भी है। इस संस्थान का प्रधान कार्यालय मुंबई में है और इसकी शाखाएं दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और अहमदाबाद में स्थित हैं। संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे कि विश्व पैकेजिंग संगठन (डब्ल्यूपीओ) और एशियाई पैकेजिंग परिसंघ (एपीएफ) के साथ उत्कृष्ट संबंध स्थापित किए हैं। यह संस्थान विभिन्न गतिविधियों में जैसे कि पैकेजिंग सामग्रियों एवं पैकेजों का परीक्षण एवं प्रमाणन, पैकेजिंग से संबंधित प्रशिक्षण एवं शिक्षा, परामर्श सेवा तथा अनुसंधान एवं विकास के कार्यकलापों में शामिल है। इसके अलावा, संस्थान एक द्विवार्षिक कार्यक्रम अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय पैकेजिंग प्रदर्शनी नामतः इंडियापैक और पैकेजिंग में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय प्रतियोगिता अर्थात इंडियास्टार का आयोजन करता है।

संगठनात्मक ढांचा तथा कार्य

इस संस्थान का प्रबंधन, शासी निकाय करता है जिसमें 47 सदस्य अर्थात् पैकेजिंग उद्योग के विभिन्न समूहों के 21 सदस्य (सभी निर्वाचित), विभिन्न सरकारी संगठनों और मंत्रालयों से नामित 14 सदस्य, उद्योगों और शिक्षाविदों से 12 सह–चयनित सदस्य होते हैं। डॉ0 तनवीर आलम, निदेशक एवं प्रधान कार्यकारी अधिकारी इस संस्थान के अध्यक्ष (पदेन) हैं। इसके अलावा, दो प्रमुख विभाग हैं अर्थात् अनुसंधान एवं विकास और प्रशिक्षण एवं शिक्षा जिनके प्रमुख प्रोफेसर हैं। इसके अलावा, एक विधिक विभाग, जो सचिव के अधीन है और एक प्रशासन और लेखा विभाग जो उप–निदेशक के अधीन है। इसके अलावा दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और अहमदाबाद में पांच शाखाएँ स्थित हैं। कोलकाता और चेन्नई स्थित केंद्रों को छोड़कर, सभी केंद्र संयुक्त निदेशकों के अधीन हैं।

अनुसंधान और विकास के अंतर्गत, संस्थान के तीन उप विभाग अर्थात् कंसल्टेंसी, परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास (बुनियादी और एप्लाइड अनुसंधान) हैं। कंसल्टेंसी गतिविधियां मुख्य रूप से उद्योगों को पैकेजिंग के विभिन्न पहलुओं के बारे में सलाह देने से संबंधित हैं। परामर्श विभाग, विभिन्न वस्तुओं के उत्पादों के पैकेज डिजाइन और विकास का कार्य भी संभालता है। परीक्षण विभाग, खतरनाक वस्तुओं की ढुलाई के लिए बल्क पैकेजों का परीक्षण में मुख्य रूप से पैकेजिंग सामग्री और पैकेजों के परीक्षण और गुणवत्ता मूल्यांकन करने और संयुक्त राष्ट्र का प्रमाणपत्र जारी करने के कार्य में भी संलग्न है।

बुनियादी अनुसंधान और विकास विभाग पैकेजिंग सामग्री की बॉयोडिग्रेडबिलिटी, विभिन्न तकनीकों और प्रौद्योगिकियों आदि के माध्यम से कार्यात्मक गुणों को बढ़ाने के अध्ययन में संलग्न है। एप्लाइड अनुसंधान और विकास विभाग मुख्य रूप से विभिन्न वस्तुओं की पैकेजिंग विनिर्देशों को तैयार करने और शीघ्र नष्ट होने वाले और शीघ्र नष्ट न होने वाले खाद्य पदार्थों की शेल्फ–लाइफ का अध्ययन करने के लिए कार्यरत है।

विधिक विभाग, विधिक मामलों, आरटीआई, शासी निकाय की बैठकों, उप–समिति की बैठकों आदि का आयोजन करने आदि में संलग्न है। प्रशासन और लेखा विभाग में तीन अनुभाग अर्थात् स्थापना, बजट एवं लेखा तथा सामान्य प्रशासन हैं।

विजन एवं मिशन

विजन :

- स्टेक होल्डरों से सतत प्रतिबद्धता के साथ भारतीय पैकेजिंग संस्थान को एक विश्वस्तरीय उत्कृष्टता केंद्र बनाना
- विश्वव्यापी पैकेजिंग समुदाय के साथ व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित करना
- भारत को पैकेजिंग क्षेत्र में कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग में समसामयिक विकास के लिए केंद्र बिंदु बनाना।

मिशन

- उद्योगों को प्रभावी सेवाएं प्रदान करने के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं का उन्नयन
- आईआईपी, मुम्बई और अन्य क्षेत्रों में पैकेजिंग प्रोद्योगिकी और प्रबंधन में डिग्री कार्यक्रम की शुरूआत करना
- मुम्बई में अंतर्राष्ट्रीय पैकेजिंग केंद्र की स्थापना करना
- पैकेजिंग में स्नाकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना और आवधिक रूप से नवीकरण करना
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पैकेजिंग निकायों/ संस्थानों/ विश्वविद्यालयों के साथ नेटवर्किंग का सुदृढ़ीकरण करना
- आईआईटी और अन्य राष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से अनुसंधान और विकास कार्यकलापों का विस्तार करना
- महिला उद्यमियों को पैकेजिंग के संबंध में आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराना
- एमएसएमई क्षेत्र के लिए पैकेजिंग के संबंध में विशिष्ट रूप से निर्मित प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना
- "अत्याधुनिक" परीक्षण उपकरणों को शामिल करते हुए प्रयोगशाला सुविधाओं का उन्नयन करना
- बैंगलोर, उत्तर–पूर्व और अहमदाबाद में नए केंद्रों की स्थापना करना
- पैकेजिंग उद्योग के लिए अत्यधिक कुशल जनशक्ति उपलब्ध कराना और निर्यात बाजार को बढ़ावा देना

निर्यात संवर्धन तंत्र

यह संस्थान, समुद्र में या हवाई माध्यम से निर्यात के लिए खतरनाक वस्तुओं की ढुलाई के लिए उपयोग किए जाने वाले बल्क पैकेजों के परीक्षण के लिए पोत परिवहन महानिदेशालय, भूतल परिवहन और पोत परिवहन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा सक्षम प्राधिकरण के रूप में अधिकृत है। इस

संस्थान के मुंबई स्थित प्रधान कार्यालय तथा दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद स्थित केंद्रों में भी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खतरनाक माल कोड (आईएमडीजी) और विमानन संगठन की अंतर्राष्ट्रीय परिषद (आईसीएओ) तकनीकी अनुदेश भाग । के अनुसार मालवाहक खतरनाक वस्तुओं के लिए बल्क पैकेजों के परीक्षण के लिए सुसज्जित प्रयोगशालाएँ हैं। बल्क पैकेज के प्रदर्शन के बारे में परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर, यह संस्थान उन पैकेजिंग सामग्री विनिर्माताओं के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रमाण पत्र जारी करता है जो भारत से खतरनाक वस्तुओं के निर्यात के लिए निर्यातकों/शिपरों को आपूर्ति करेंगे।

संस्थान विभिन्न प्रकार के निर्यात योग्य वस्तुओं जैसे चाय, कॉफी, मसाले आदि और निर्यात के लिए हथकरघा और हस्तकला वस्तुओं के लिए पैकेजिंग विनिर्देश तैयार करने में भी कार्यरत है। इस संस्थान को अतिरिक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित स्थायी सलाहकार समिति (एसएसी) द्वारा निर्यात बाजार के लिए 500 प्रकार के उत्पादों के लिए पैकेजिंग विनिर्देशों तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब तक इस संस्थान ने अपीडा, चाय बोर्ड, मसाला बोर्ड और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से फलों और सब्जियों, चाय, मसालों, हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों के बल्क और उपभोक्ता पैकेज से संबंधित पैकेजिंग विनिर्देश विकसित किए हैं।

पारदर्शिता, सार्वजनिक सुगमता तथा संबद्ध गतिविधियां :

इस संस्थान के प्रयोगशाला प्रभाग ने निर्यात के लिए बल्क पैकेज के परीक्षण से संबंधित संपूर्ण गतिविधियों के लिए और संयुक्त राष्ट्र प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का कार्यान्वयन किया है। इस सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन को परीक्षण, परीक्षण विधियों, परीक्षण रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने, अंतिम परीक्षण रिपोर्ट के सत्यापन के संदर्भ में पक्षों से अनुरोध प्राप्त करने के लिए तथा संयुक्त राष्ट्र प्रमाणपत्र जारी करने और प्रेषित करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने में सक्षम बनाया गया है।

इसके अलावा, और अधिक पारदर्शिता का सृजन करने और सार्वजनिक सुविधा के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रमाणपत्र से संबंधित जानकारी भी आईआईपी की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है। इसके अतिरिक्त, यह संस्थान खतरनाक वस्तुओं के निर्यात संबंधी व्यापार से जुड़े स्टेकहोल्डरों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए अपने प्रधान कार्यालय और शाखाओं में बल्क पैकेजों के परीक्षण और संयुक्त राष्ट्र प्रमाणपत्र से संबंधित प्रशिक्षण, कार्यशाला और सम्मेलन आयोजित करता है। विकसित किए गए पैकेजिंग विनिर्देशों को निर्यातकों के बीच पैकेजिंग विनिर्देशों के बारे में और अधिक पारदर्शिता के सृजन के उद्देश्य से विभिन्न कमोडिटी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

सिंहावलोकन

1) पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के एक ऐसे संस्थान, जो विदेश व्यापार से संबंधित अनुसंधान और प्रशिक्षण पर केंद्रित हो, का सृजन करने के दृष्टिकोण को मूल रूप देने के उद्देश्य से दिनांक 2 मई, 1963 को भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) की स्थापना की गई थी।

2) अपनी सर्वांगीण उपलब्धियों की मान्यता के परिणामस्वरूप, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा इस संस्थान को मई, 2002 में ''सम विश्वविद्यालय'' का दर्जा दिया गया जिससे यह डिग्री प्रदान करने और अपना स्वयं का डाक्टोरल कार्यक्रम शुरू करने में सक्षम बना।

3) राष्ट्रीय आकलन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) ने वर्ष 2015 में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान को 3.53 के समग्र सीजीपीए स्कोर सहित सर्वोच्च ग्रेड 'ए' के साथ प्रत्यायित किया। आईआईएफटी की आईएसईआर को आईएसी द्वारा स्वीकार किया गया और आईआईएफटी एएसीएसबी प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया में है।

संगठनात्मक ढांचा तथा कार्य

1) प्रबंधन बोर्ड, इस संस्थान की प्रधान कार्यकारी संस्था है। प्रबंधन बोर्ड में 11 सदस्य हैं तथा संस्थान के निदेशक, इसके अध्यक्ष हैं। सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार इस संस्थान के अध्यक्ष हैं। संस्थान के निदेशक, इस संस्थान का प्रधान कार्यपालक हैं और संस्थान के कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करते हैं।

2) आईआईएफटी का संस्थागत ढांचा

अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में शिक्षा, अनुसंधान और सहकारिता का संवर्धन करने और बढ़ावा देने के लिए आईआईएफटी में निम्नलिखित प्रभाग हैं:

क) कार्यकारी प्रबंधन कार्यक्रम प्रभाग (ईएमपीडी)

कार्यकारी प्रबंधन परियोजना प्रभाग की परिकल्पना, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय और व्यापार नीतियों पर इसकी विवक्षाओं से संबंधित मुद्दों के बारे में व्यापक समझ का विकास करने के लिए सरकारी अधिकारियों, राजनयिको, उद्यमियों, निर्यातकों, कोरपोरेट सेक्टर और सिविल सोसायटी के सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु की गई है। ईएमपीडी, अनेक समसामयिक व्यापार और आर्थिक मुद्दों, जो विभिन्न देशों, विशेषकर विकासशील देशों, के हित में है, के संबंध में विश्लेषणों, विचारों, दृष्टिकोण का सृजन करने के लिए डिजाइन किए गए कार्यक्रमों की शुरूआत करता है। लगभग 15 महीनों के दौरान प्रभाग द्वारा संचालित किए गए मुख्य कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:

i. अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में कार्यकारी स्नाकोत्तर डिप्लोमा (ईपीजीडीआईबी) – ऑन कैम्पस (अंतःपरिसर)

ii. अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में कार्यकारी स्नाकोत्तर डिप्लोमा (ईपीजीडीआईबी) – हाइब्रिड

ख) प्रबंध विकास कार्यक्रम (एमडीपी) प्रभाग :

इस संस्थान का प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) प्रभाग, सरकारी/पीएसयू के अधिकारियों/कार्यपालकों, अंतराष्ट्रीय व्यापार, अंतराष्ट्रीय विपणन, वित्त, निर्यात–आयात प्रबंधन, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, कार्यनीतिक प्रबंधन, मानव संसाधन, आईटी, एसईजेड के लिए क्षमता निर्माम, डाटा विश्लेषण, व्यापार विश्लेषण आदि के क्षेत्र में कोरपोरेट और निजी सेक्टरों को नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश करता है। यह प्रभाग, आईएएस और अन्य अखिल भारतीय सेवाओं सहित भारत सरकार के अधिकारियों के लिए विभिन्न सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है।

आईआईएफटी, भारतीय व्यापार सेवा के परीवीक्षाधीन अधिकारियों (प्रोबेशनरों) के लिए नौ–माह के रेजिडेंसियल फाउंडेशन प्रशिक्षण

अभिन्न अंग है । यह संस्थान, प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की सदस्यता प्राप्त करके, शैक्षणिक सहयोग, छात्र एक्सचेंज, अध्ययन दौरों और संकाय विनिमय को और अधिक सुदृढ़ करता है। यह प्रभाग, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सम्मेलनों में संकायों की भागीदारी की सुविधा भी प्रदान करता है।

शैक्षणिक वर्ष 2019–20 के दौरान, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों / संस्थानों से तीन छात्रों को आईआईएफटी के 22 छात्रों (दिल्ली कैंपस से 10 और कोलकाता कैंपस से 12 छात्रों) के बदले आईआईएफटी में समायोजित किया गया था, जिन्हें जनवरी–मार्च 2020 के दौरान विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों/ संस्थाओं के लिए छात्र एक्सचेंज कार्यक्रम के लिए चुना गया है।

संकाय विकास कार्यक्रम के तहत, 13 संकाय सदस्यों ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया और अन्य 4 सदस्यों ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। आईआईएफटी, पूरे विश्व में में 30 विभिन्न अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों / संस्थानों के साथ सहयोग करता है। इनमें से, 13 यूरोप में, 5 एशिया में और 12 विश्व के अन्य भागों में हैं। आईआईएफटी ने इस अवधि के दौरान तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। तुलाने विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका; आईपीएजी, ढाका (बांग्लादेश) के संकाय और एएसीएसबी के अध्यक्ष और सीईओ ने बैठकों में

आईआईएफटी ने आईआईएफटी में व्यापार सुविधा और लॉजिस्टिक्स उत्कृष्टता केंद्र (सीटीएफएल) की स्थापना के लिए वाणिज्य विभाग (लॉजिस्टिक्स प्रभाग) के साथ दिनांक 30 जुलाई 2018 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस केंद्र की परिकल्पना भारत के व्यापार और लॉजिस्टिक में विशेषज्ञता के वन–स्टॉप सेंटर के रूप में कार्य करने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर विभिन्न स्टेकहोल्डरों के साथ सहयोग के लिए एक मंच के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए की गई है। सीटीएफएल नियमित रूप से लॉजिस्टिक्स डेटा एकत्र करके, उसका विश्लेषण और निगरानी करेगा और इसके लिए रिपॉजिटरी का निर्माण करेगा। सीटीएफएल, विभिन्न स्टेकहोल्डरों को नीति संबंधी इनपुट भी प्रदान करेगा। सीटीएफएल के प्रमुख उद्देश्य हैं:–

i. वैश्वीकृत पर्यावरण में संस्थाओं द्वारा सामना की जाने वाली महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रंखला और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए उद्योग, शैक्षणिक समुदाय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों और संगठनों को एक साथ लाना। यह केंद्र डाटा के विश्लेषण के लिए अत्याधुनिक उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करेगा और विभिन्न मंत्रालयों/संस्थाओं/स्टेकहोल्डरों को नीति संबंधी इनपुट प्रदान करेगा।

ii. वाणिज्य विभाग को, विशिष्ट रूप से लॉजिस्टिक्स की लागत, लॉजिस्टिक्स निष्पदान सूचकांक (एलपीआई) संबंधी सहित सीमापार व्यापार में भारत के प्रदर्शन की प्रभावकारिता और सुधार करने के साथ, व्यापार सुगमता और लॉजिस्टिक्स के संबंध में निदान रिपोर्ट और नीति संबंधी इनपुट प्रदान करना।

iii. नूतन कार्यनीतियों की शोध, विकास और और व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्रदान करने और स्टेकहोल्डरों द्वारा व्यापार (निर्यात–आयात (एग्जिम) व्यापार और घरेलू संचालनों), लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला में सामना की जाने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए समर्पित व्यापार सुगमता और लॉजिस्टिक्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता–प्राप्त केंद्र बनना ।

iv. व्यापार सुगमता और लॉजिस्टिक्स अनुसंधान और व्यवहारों के क्षेत्रों में काम करने वाले संस्थानों/संगठनों के साथ कार्यनीतिक गठबंधन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करना।

ज) पूर्व–छात्र मामले विभाग

आईआईएफटी के पूर्व छात्र कोरपोरेट, सार्वजनिक क्षेत्र, मीडिया, खेल और शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न पेशों में शीर्ष स्थानों पर काबिज हैं। पूर्व छात्रों ने बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नेतृत्व करते हुए और इकोनॉमिक टाइम्स यंग लीडर्स अवार्ड आदि जैसे पुरस्कार जीतकर संस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं।

पूर्व छात्र, ग्रीष्मकालीन और अंतिम प्लेसमेंट, अतिथि व्याख्यान सिरीज़, कोरपोरेट प्रतियोगिताओं, लाइव प्रोजेक्ट्स, मेंटरशिप और अन्य संस्थान–उद्योग इंटरफ़ेस गतिविधियों के आयोजन के लिए नियमित रूप से सहायता, समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करता है।

झ) कोरपोरेट रिलेशन और प्लेसमेंट प्रभाग (सीआरपीडी)

आईआईएफटी की प्लेसमेंट प्रक्रिया का संचालन, छात्रों के साथ अध्यक्ष, कोरपोरेट रिलेशन और प्लेसमेंट प्रभाग (सीआरपीडी) द्वारा किया जाता है। छात्र प्लेसमेंट समिति के सदस्यों का चुनाव छात्रों द्वारा किया जाता है। प्लेसमेंट समिति के सदस्य बेहतर कोरपोरेट आउटरीच और प्लेसमेंट प्रक्रिया में सुधार हेतु निदेशक की सलाह और अनुदेश प्राप्त करने के लिए निदेशक को संचालन समिति की बैठक के दौरान अपने कार्यकलापों और उपलब्धियों के बारे में तिमाही प्रस्तुतीकरण देते हैं। निदेशक, ग्रीष्मकालीन और अंतिम प्लेसमेंट के पश्चात् छात्रों को उनके कार्यभार ग्रहण करने से पहले छात्रों को सम्बोधित करते हैं। एक सुदृढ़ कैरियर विकास समर्थन के साथ, आईआईएफटी ने निरंतर 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड दर्ज किया है और आईआईएफटी प्लेसमेंट्स की तुलना प्रशंसात्मक ढंग से भारत के शीर्ष 10 बी–स्कूल के साथ की जाती है।

(ञ) आईआईएफटी की उपलब्धि

दीक्षांत समारोह

इस संस्थान के 53वे दीक्षांत समारोह का आयोजन दिनांक 8 अगस्त, 2019 को किया गया। श्री हरदीप सिंह पुरी, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आवास और शहरी मामले तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय और राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने सम्बोधित किया। उन्होंने कार्यक्रम के समापन वर्ष में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को पदक, पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित किए। डॉ0 अनूप वधावन, वाणिज्य सचिव और अध्यक्ष, आईआईएफटी तथा डॉ0 मनोज पंत, निदेशक, आईआईएफटी ने 604 छात्रों को डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र प्रदान किए।

प्लेसमेंट

आईआईएफटी ने 2019–21 के एमबीए (अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय) बैच के लिए अपने ग्रीष्मकालीन प्लेसमेंट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। उक्त बैच आईआईएफटी में अब तक का सबसे बड़ा बैच था और इसने 96 कंपनियों में प्लेसमेंट प्राप्त किया। इसके अलावा, इस साल औसत वेतन में 13.5% की वृद्धि हुई, जबकि सबसे अधिक पेशकश किया गया वेतन 3,20,000 रुपये था।

छात्रों की उपलब्धि

आईआईएफटी के छात्रों द्वारा जीते गए अन्य पुरस्कारों में, आईआईएफटी टीम 'वाइगरस वाइकिंग्स' ने डेयर2कम्प्लीट द्वारा आयोजित सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित बी–स्कूल कोरपोरेट प्रतियोगिताओं में से एक, महिंदा वार रूम सीजन 12 जीता।

IX. सार्वजनिक क्षेत्र निगम (ईसीजीसी, एमएमटीसी लिमिटेड, पीईसी लिमिटेड, आईटीपीओ, एसटीसी, एसटीसीएल लिमिटेड)

ईसीजीसी लिमिटेड

ईसीजीसी लिमिटेड, जो भारत सरकार की अग्रणी निर्यात क्रेडिट एजेंसी (ईसीए) है, का गठन भारत से निर्यात को बढ़ावा देने एवं सहायता प्रदान करने के लिए ''न लाभ न हानि'' आधार पर निर्यातकों और बैंकों को अल्पावधि, मध्यम अवधि और दीर्घावधि आधार पर निर्यात क्रेडिट बीमा सेवा प्रदान करने के लिए कंपनी अधिनियम 1956 के तहत वर्ष 1957 में मुंबई में किया गया था। यह वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसई) है।

ईसीजीसी लिमिटेड का उद्देश्य निर्यात क्रेडिट बीमा तथा व्यापार संबंधी

सेवाएं प्रदान करने में उत्कृष्टता हासिल करना है। ईसीजीसी लिमिटेड का मिशन उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग करते हुए भारतीय निर्यात बाजार की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागत प्रभावी बीमा एवं व्यापार संबंधी सेवाएं प्रदान करके भारतीय निर्यात उद्योग की सहायता करना है।

ईसीजीसी की सेवाएँ, बैंक वित्त तक पहुंच, सूचना तक पहुंच तथा विदेशी क्रेताओं / देशों से बकाया ऋणों की वसूली में सहायता को सक्षम बनाती हैं।

ईसीजीसी की पूंजी संबंधी आवश्यकता में वृद्धि के लिए आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2019–20 की अवधि के दौरान 2000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश के लिए मंजूरी प्रदान की गई थी। तद्नुसार, अफ्रीका, सीआईएस तथा लैटिन अमेरिका के देशों जैसे नए, उभरते एवं चुनौतीपूर्ण बाजारों का उपयोग करने के लिए भारतीय निर्यातकों की सहायता के लिए ईसीजीसी को वित्तीय वर्ष 2017–18 में 50 करोड़, वित्तीय वर्ष 2018–19 में 500 करोड़ रुपए और वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान ईसीजीसी का कार्य–निष्पादन (31.12.2019 तक की स्थिति के अनुसार)

क्रम संख्या	निष्पादन मानदंड	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20 (31.12.2019 तक)
1	बीमा कवर की कुल संख्या	31,751	27,557
2	कुल अधिकतम देयता	97,871 करोड़ रूपए	98,128 करोड़ रुपए
3	शामिल किया गया कुल व्यवसाय (जोखिम मल्य)	6,59,423 करोड़ रूपए	4,15,674 करोड़ रुपए
4	कुल प्रीमियम आय	1,247 करोड़ रूपए	810 करोड़ रुपए

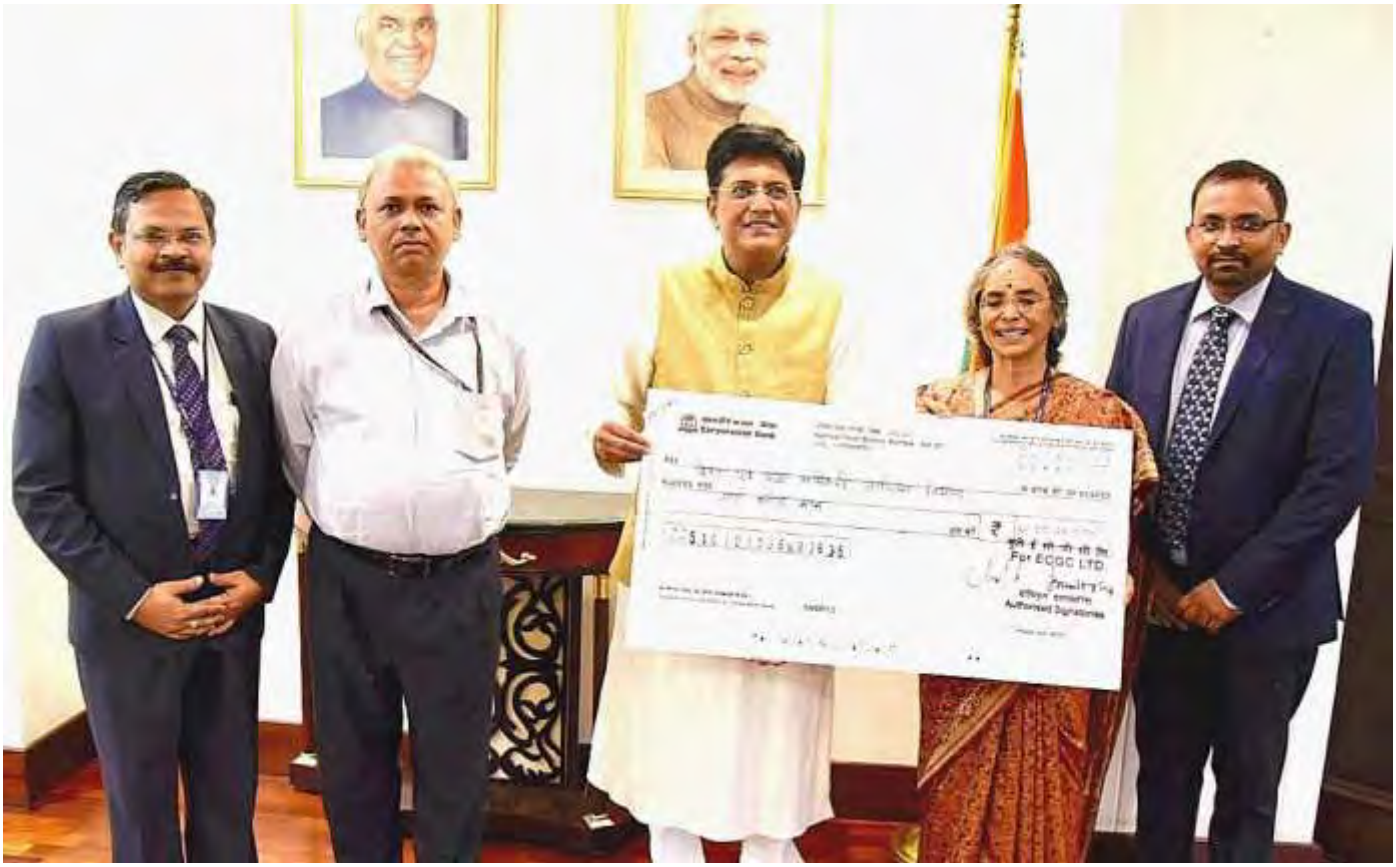

SBI
Welcome
Delegates of
Review Meeting
on
Export Credit

अवसंरचना का
बढ़ाने वाली विभिन्न पहलों में
साथ संयुक्त उद्यम में 1.1 मिलियन टन के एक
में एक विश्व स्तरीय सोना / चांदी रिफाइनरी, पवन चक्की परियोजना
इत्यादि में निवेश किया है।

सहायक कंपनी

एम एम टी सी ट्रांसनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर (एम टी पी एल) एम एम टी सी की पूर्णतः स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है तथा इसे अक्टूबर 1994 में 1 मिलियन अमरीकी डालर की शेयर पूंजी के साथ सिंगापुर के कानूनों के तहत निगमित किया गया। शुरूआत से, यह कंपनी वस्तुओं का व्यापार करती है और इसने सिंगापुर में अपने आपको विश्वसनीय एवं प्रतिष्ठित व्यापार कंपनी के रूप में स्थापित किया है।

नई पहलें :

क) मेक इन इंडिया :

भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल की तर्ज पर एम एम टी सी द्वारा निम्नलिखित पहलें की गईं :

- नवंबर 2015 में भारत के पहले संप्रभु गोल्डक्वॉइन – इंडिया गोल्डक्वॉइन (आईजीसी) का शुभारंभ। एम एम टी सी ने आई जी सी का विपणन शुरू कर दिया है जिसका अनावरण भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। भारत सरकार के मुंबई और कोलकाता स्थित टकसालों में 5 ग्राम, 10 ग्राम के सिक्के तथा 20

ग) डिजिटल इंडिया :

भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के कार्यान्वयन के भाग के रूप में, एम एम टी सी की ई आर पी प्रणाली का उन्नयन / विद्यमान ई आर पी प्रणाली (जिसे 2002 में लागू किया गया) की खामियों को दूर करने के लिए एक नए संस्करण में माइग्रेशन किया गया। इसके अलावा ई–पेमेंट और भीम सहित एम एम टी सी में 100 प्रतिशत ई–टेंडर का अनुसरण किया जा रहा है।

घ) विविधता :

एमएमटीसी ने नए क्षेत्रों में कदम रखने तथा निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से दो नए प्रभागों का सृजन किया है जिनके नाम इस प्रकार हैं :

- एसएमई क्षेत्र पर फोकस के साथ इंजीनियरिंग माल एवं संबद्ध उत्पाद।
- औषधि, फार्मास्यूटिकल एवं रसायन

ङ) स्वच्छ ऊर्जा :

एम एम टी से ने 68.95 करोड़ रुपए की लागत से कर्नाटक के गजेंद्रगढ़ में 15 मेगावाट क्षमता की एक पवन चक्की परियोजना स्थापित की है। यह परियोजना सफलतापूर्वक चल रही है तथा कर्नाटक राज्य की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं के कुछ भाग को पूरा करके क्षेत्र के विकास में योगदान दे रही है। एम एम टी सी उक्त पवन चक्की परियोजना के विस्तार की संभावनाओं का पता लगा रही है।

च) व्यापार से संबंधित अवसंरचना :

दोतरफा व्यापार के संवर्धन को सुगम बनाने के लिए आईएल एण्ड एफएस और आईआईडीसी के सहयोग से एमएमटीसी द्वारा प्रमोट किए गए एसपीवी को हल्दिया में अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र की तर्ज पर कांडला में मुक्त व्यापार एवं मालगोदाम क्षेत्र स्थापित करने के लिए भूमि आवंटित की गई है।

कांडला एफटीडब्ल्यूजेड में कुल 13000 वर्ग मीटर (लगभग) के कुछ भूखंडों को पट्टे पर दिया गया है और अनुमानित वार्षिक राजस्व 60 लाख रुपये है। भूखंडों को पट्टे पर देने के लिए अन्य इकाइयों के साथ चर्चा चल रही है।

छ) उत्तर पूर्वी राज्यों को विपणन सहायता :

उत्तर पूर्वी राज्यों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एम एम टी सी ने गुवाहाटी, असम में अपना कार्यालय खोला है तथा शेष भारत में विपणन के लिए अदरक, हल्दी, बड़ी इलायची जैसी वस्तुओं को खरीदना शुरू कर दिया है और इनके निर्यात की संभावनाओं का भी पता लगाया जा रहा है।

ज) आयातित दलहनों का सरकारी बफर स्टाक :

मूल्य स्थिरता के तहत एमएमटीसी ने दलहनों के आयात के लिए अग्रणी भूमिका निभाई है। दालों के बफर स्टाक के निर्माण के लिए एमएमटीसी को भारत सरकार द्वारा दालों का आयात करने वाली एजेंसियों में से एक के रूप में नामित किया गया है। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान एमएमटीसी ने बफर स्टाक कार्यक्रम के लिए लगभग 3.7 लाख टन विभिन्न दालों का आयात किया है। इन दालों को विभिन्न बंदरगाहों के गोदामों में भंडारित किया जा रहा है तथा उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार की सलाह के अनुसार राज्य सरकार की एजेंसियों को तथा खुले बाजार में रिलीज किया जा रहा है। इस प्रकार सरकारी खाते में आयात की दालों की 3.79 लाख टन की कुल मात्रा को लिक्विडेट किया जा चुका है। एमएमटीसी, आरबीडी पाम तेल की आपूर्ति के लिए राज्य सरकारों की निविदाओं में भी भाग ले रहा है। एमएमटीसी, भारत सरकार की ओर से प्याज का आयात के लिए भी प्रयासरत है।

वित्तीय निष्पादन

एमएमटीसी को व्यापक रूप से भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कंपनियों में एक और देश में ''प्रमुख व्यापार प्रतिष्ठान'' दर्जे से पुरस्कृत होने वाले पहले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के रूप में जाना जाता है। यह निर्यात के लिए विदेशी बाजारों का पता लगाने और घरेलू जरूरतों के लिए सामग्री जुटाने में सक्रिय रूप से शामिल है। 'बल्क' प्रचालनों पर ध्यान देने के साथ, एम एम टी सी के पास मुख्य रूप से छह प्रमुख वस्तु समूह है जिनमें खनिज, कीमती धातु, कोयला, उर्वरक, कृषि वस्तु और धातु शामिल हैं।

एमएमटीसी ने 2017–18 के दौरान 15,757 करोड़ रुपये के टर्नओवर की तुलना में वर्ष 2018–19 के दौरान 28,293 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज किया, इस प्रकार इसमें 79% की वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, 30 सितंबर, 2019 को समाप्त हुई छमाही के लिए, एमएमटीसी ने प्रचालनों से 13,176 करोड़ रुपये का राजस्व और 209 करोड़ रुपये का सकल लाभ प्राप्त किया है।

सहायक कंपनी

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्रा. लि. सिंगापुर (एमटीपीएल), एमएमटीसी की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। अप्रैल से सितंबर, 2019 के दौरान, इसने 154 मिलियन यू एस डालर का टर्नओवर किया है।

अवसंरचना विकास

क. नीलांचल इस्पात निगम लि. (एनआईएनएल)

नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) ओडिशा सरकार तथा अन्यों के साथ संयुक्त रूप से 1.1 मिलियन टन क्षमता का एक लौह एवं इस्पात संयंत्र, 0.8 मिलियन टन का एक कोक ओवन और कैप्टिव पावर प्लांट के साथ सह–उत्पाद यूनिट है।

बुनियादी आक्सीजन भट्टी, आक्सीजन प्लांट तथा एसएमएस के साथ इस्पात के उत्पादन के लिए परियोजना के चरण 2 को संस्थापित किया गया है तथा इस्पात के बिलेट का उत्पादन प्रायोगिक आधार पर किया गया। वर्ष 2018–19 के दौरान एनआईएनएल ने 2,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर प्राप्त किया। ढेर सारे प्रयासों एवं अनुग्रहों के बाद, एनआईएनएल स्टील प्लांट (एमएमटीसी तथा उड़ीसा सरकार का संयुक्त उद्यम) उड़ीसा राज्य में 874.24 हेक्टेयर जिसमें खनन योग्य 92 मिलियन टन भंडार हैं, के लिए उड़ीसा सरकार के साथ कैप्टिव आधार पर लौह अयस्क खनन पट्टा पर हस्ताक्षर कर सका। चरण प्प वन–निकासी (फोरेस्ट क्लीयरेंस) दिनांक 22.07.2019 को प्राप्त किया। लौह–अयस्क खनन का आरम्भ पहले ही दिनांक 05.08.2019 को किया जा चुका है। हालांकि, खनन प्रचालन पहले ही अगस्त / सितम्बर, 2019 से आरम्भ किए जा चुके हैं, किंतु मशीनीकृत खनन के आरम्भ होने में 2 / 3 माह का समय लगेगा और अतः कैप्टिव स्रोत से लौह–अयस्क वित्त वर्ष 2019–20 की चौथी तिमाही के दौरान प्रत्याशित है। एनआईएनएल ने कोल तार पिच प्लांट की

स्थापना के लिए नालको के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब एनआईएनएल में कार्यनीतिक विनिवेश करने का निर्णय लिया गया है।

ख. अन्य परियोजनाएं

मुक्त बाजार के परिवेश में उत्पन्न नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए, एमएमटीसी ने पहले के वर्षों में सार्वजनिक–निजी भागीदारी मॉडल के बाद कई संयुक्त उपक्रमों को बढ़ावा दिया है। पिछले वर्षों में स्थापित ऐसे संयुक्त उद्यमों की वर्तमान स्थिति पर एक संक्षिप्त जानकारी यहां दी गई है:

i. स्विटजरलैंड के पीएएमपी के साथ मिलकर स्वर्ण/ चांदी रिफाइनरी तथा मेडालियन विनिर्माण की सबसे आधुनिक यूनिटों में से एक – एम एम टी सी पीएएमपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है।

ii. इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (आइसीईएक्स) में 6 प्रतिशत होलडिंग। आइसीईएक्स ने ब्रेंट क्रूड तथा डब्ल्यूटीआई क्रूड के लिए संविदाओं में व्यापार के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्राप्त करने के अलावा डायमंड संविदाएं और स्टील बिलेट संविदाएं आरम्भ किया है। इसने अपने व्यापार प्रचालनों के पुनःआरम्भ के लिए सेबी से क्लीयरेंस प्राप्त कर लिया है। आईसीईएक्स और एनएमसीई द्वारा आईसीईएक्स के साथ एनएमसीई के विलय का निर्णय भी लिया गया है। एसईसीसी विनियमन, 2018 के विनियम 17 और सेबी के दिनांक 26 नवंबर, 2015 के परिपत्र के अनुसार, एमएमटीसी को आईसीईएक्स और में अपनी इक्विटी होल्डिंग को 6% से कम करके 5% किया जाना अपेक्षित है और एमएमटीसी, आईसीईएक्स में अपनी इक्विटी को कम करने के लिए प्रक्रियारत है। एमएमटीसी ने आईसीईएक्स में एमएमटीसी की 6% इक्विटी के विनिवेश के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध आमंत्रित किया है।

iii. कांडला एफटीडब्ल्यूजेड के चरण 1, जो एमएमटीसी और आईएल एंड एफएस लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम परियोजना है, को कुल 13000 वर्ग मीटर (लगभग) के कुछ भूखंडों को पट्टे पर देते हुए कार्यशील बनाया गया है। भूखंडों को पट्टे पर देने के लिए अन्य यूनिटों के साथ चर्चा चल रही है।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

सीएसआर नियमों के अनुसरण में, एमएमटीसी द्वारा सीएसआर और सतत पहलों की ओर अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखने के प्रयास में, वर्ष 2019–20 के दौरान सीएसआर गतिविधियों के संचालन के लिए 1.73 करोड़ रूपये की राशि का आबंटन किया गया।

वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक सीएसआर बजट का 60% राजस्थान के बारां / करौली जिलों में विकास परियोजनाओं के लिए रखा गया है, जो कि आकांक्षी जिले हैं। एमएमटीसी परियोजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए संबंधित जिलों के जिला कलेक्टर के साथ चर्चा कर रहा है। शेष 40% कंपनी के अधिनियम – 2013 के अनुसूची – VII के तहत सूचीबद्ध वस्तुओं के अनुसार अन्य सीएसआर गतिविधियों के लिए रखा गया है।

पीईसी लिमिटेड

पीईसी लिमिटेड की स्थापना, एसटीसी की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में 21 अप्रैल, 1971 को की गई थी। पीईसी लिमिटेड, दिनांक 27 मार्च, 1991 से वाणिज्य विभाग के अतंर्गत एक स्वतंत्र कंपनी बन गई।

कंपनी के विज़न, मिशन और उद्देश्यों (अनुलग्नक– ५ पर दिये गये हैं) में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, पीईसी के खाते एनपीए हो जाने और सिंडिकेट बैंक द्वारा इसे एनसीएलटी में ले जाने के कारण कंपनी का प्रचालन लगभग बंद हो गया है। इस मामले को एनसीएलटी में स्वीकार किया जाना बाकी है। दिनांक 29.08.2019 को अपनी बैठक में वाणिज्य मंत्रालय ने कंपनी को बंद करने के लिए सैद्धांतिक निर्णय लिया है तथा जिसके लिए मंत्रिमंडल नोट प्रक्रियाधीन है।

क.निष्पादन :

2016–17 से निगम का समग्र निष्पादन नीचे दिया गया है :

करोड़ रूपए में

मदें	2016-17	2017-18	2018-19 उपलब्धि (गैर लेखा परीक्षित)	2019-20 उपलब्धि (अनंतिम) (30 सितंबर, 2019 तक)
प्रचालनों से राजस्व	4271.51	4470.91	627.87	7.92
कर पूर्व लाभ	(92.84)	(56.96)	(499.19)	(63.75)
कर उपरांत लाभ	(92.84)	(56.96)	(499.19)	(63.75)
लाभांश और निगम कर	-	-	-	-
इक्विटी	60.00	60.00	60.00	60.00
आरक्षित निधि	(1,139.97)	(1193.91)	(1693.10)	(1756.84)
निबल मूल्य	(1,079.97)	(1133.91)	(1633.10)	(1696.84)

बिक्री टर्नओवर

वर्ष 2016–17 से निगम का समग्र बिक्री टर्नओवर नीचे दिया गया है:

करोड़ रूपए में

वर्ष	बिक्री का टर्नओवर
2016-17	4254.07
2017-18	4451.92
2018 -19 (गैर-लेखापरीक्षित)	617.87
2019-20 (30 सितंबर, 2019 तक अनंतिम)	7.80

निर्यात

2016–17 से निर्यात की मद–वार संरचना नीचे दी गई है :

करोड़ रूपए में

मद	2016-17	2017-18	2018-19 उपलब्धि (गैर-लेखा परीक्षित)	2019-20 उपलब्धि(अनंतिम) 30 सितंबर, 2019 तक
कुल	63.27	327.61	51.97	7.79

आयात

2016–17 से निर्यात की मद–वार संरचना नीचे दी गई है :

करोड़ रूपए में

मद	2016-17	2017-18	2018-19 उपलब्धि (गैर-लेखा परीक्षित)	2019-20 उपलब्धि (अनंतिम) 30 सितंबर, 2019 तक
कुल	3980.11	3849.10	523.24	0

घरेलू बिक्री

वर्ष 2018–19 के लिए कुल घरेलू बिक्री 42.66 करोड़ रूपये (गैर–लेखापरीक्षित) और वर्ष 2019–20 के लिए दिनांक 30.09.2019 तक 0.01 करोड़ रूपये (अनंतिम) थी।

ख. मानव संसाधन

दिनांक 30.09.2019 की स्थिति के अनुसार, कंपनी में 69 कर्मचारी हैं, जिनमें से अधिकांश योग्य पेशेवर हैं।

निगम, एससी/एसटी/ओबीसी और दिव्यांग व्यक्तियों की भर्ती के संबंध में समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी नीतियों और दिशानिर्देशों को लागू करता रहा है।

वित्त वर्ष 2019–20 में और वित्तीय वर्ष 2018–19 की दूसरी तिमाही तक कोई भर्ती नहीं हुई। औद्योगिक संबंध शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रहे।

ग. अनुपालना

कंपनी, कोरपोरेट अभिशासन, सरकारी कामकाज में हिंदी का उपयोग, सीएसआर, नागरिक चार्टर, लोक निस्तारण तंत्र, आरटीआई से संबंधित सरकारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करती रही है।

कारपोरेट अभिशासन

पीईसी पारदर्शिता, विश्वास एवं निष्ठा, निष्पादन अभिमुखीकरण, जिम्मेदारी एवं जबावदेही, सामाजिक अनुक्रियाशीलता, नैतिक

(पीएमसी) और सभी हितधारकों के साथ कार्यकारी निदेशक, आईटीपीओ की अध्यक्षता वाली समन्वय समिति द्वारा की जा रही है। आईईसीसी परियोजना से संबंधित प्रगति की स्थिति को हर बैठक में निदेशक मंडल के समक्ष रखा जा रहा है।

वित्तीय विशेषताएं

भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन ने वर्ष 2017–18 में 134.48 करोड़ रुपए (इंड–एएस के अनुसार रिकास्ट) की तुलना में वर्ष 2018–19 के दौरान 'अन्य व्यापक आय' पर विचार करने के बाद 73.35 करोड़ रुपए निवल अधिशेष अर्जित किया है। वर्ष के दौरान भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा अर्जित की गई कुल आय 253.59 करोड़ रुपए थी, जबकि पिछले वर्ष में 359.55 करोड़ रुपए (इंड–एएस के अनुसार रिकास्ट) की आय हुई। कुल आय में कमी होने का मुख्य कारण ब्याज दरों में कमी, आईईसीसी की चल रही परियोजना के कारण मुक्त आरक्षित निधी में कमी और प्रदर्शनी स्थल में कमी का होना है। नवम्बर, 2019 तक भारत में मेले, विदेशों में मेले, आई आई टी एफ, 2019 और तीसरे पक्षकार के मेले के संबंध में विनिमय आंकड़े (आय) नीचे दिए गए हैं:

(लाख रूपये में, गैर–लेखापरीक्षित आंकडें)

भारत में मेले	576.10 लाख रूपये
विदेशों में मेले	2011.34 लाख रुपए
आईआईटीएफ, 2019	1903.92 लाख रुपए
तीसरे पक्षकार के मेले	5.284.32 लाख रुपए
कुल 8,709.52 करोड़ रुपए	

भारत में मेले

आईटीपीओ ने 01.04.2019 से 30.10.2019 की अवधि के दौरान, भारत में अनेक विशिष्ट कार्यक्रमों का आयोजन किया, जो कि निम्नानुसार हैं:

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फुटवियर मेला, दिल्ली (आईआईएफएफ)

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चर्म (लेदर) मेला दिल्ली का 5वां संस्करण दिनांक 23–25 सितंबर, 2019 को हॉल–7, प्रगति मैदान में आयोजित किया गया। यह कंफेडरेशन ऑफ इंडियन फुटवियर इंडस्ट्रीज (सीआईएफआई) उद्योग संघ द्वारा सह–आयोजित किया गया था। इस आयोजन में लगभग 3800 वर्गमीटर का निवल क्षेत्र शामिल था और इसमें लगभग 200 प्रदर्शकों ने भाग लिया, जिनमें से 65 चीन, ताइवान और थाईलैंड से थे। इस कार्यक्रम में फुटवियर, मशीनरी और उपकरण, रसायन, घटक और सामग्री क्षेत्रों के उत्पादों का प्रदर्शन किया गया था। इस आयोजन के लिए स्थल की बुकिंग ऑनलाइन वेबसाइट www.indiatradefair.com के माध्यम से स्वीकार की गई थी। स्थल की बुकिंग के लिए पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान भी स्वीकार किए गए। आईआईएफएफ दिल्ली 2019 में लगभग 9200 व्यवसायी आगंतुकों द्वारा दौरा किया गया। दिनांक 25 सितंबर, 2019 को एक पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था, जहां निर्णायक समिति की सिफारिश के आधार पर, आईआईएफएफ प्रदर्शकों को उनके प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया था।

दिल्ली पुस्तक मेला तथा लेखन सामग्री, कार्यालय स्वचलन तथा कारोपोरेट उपहार मेला, दिल्ली

11–15 सितंबर, 2019 को 25वें दिल्ली पुस्तक मेला, 21वें स्टेशनरी मेला, 5वें कार्यालय स्वचालन मेला और 5वें कोरपोरेट उपहार मेला 2019 का आयोजन किया गया। 5 दिवसीय कार्यक्रम 130 कंपनियों ने भाग लिया और इस प्रदर्शन में लगभग 2 लाख आगंतुक उपस्थित हुए।

भारतीय लेदर एवं एसेसरीज़ मेला (आईएएलएफ), कोलकाता

भारतीय लेदर एवं एसेसरीज़ मेले का 24वां संस्करण का आयोजन दिनांक 27 और 28 सितम्बर, 2019 को कोलकाता में आईटीसी रॉयल बंगाल में सफलतापूर्वक किया गया। आईएलएएफ एक व्यापार से व्यापार मेला है जिसका मुख्य उद्देश्य भारत से और विशेष रूप से पश्चिम बंगाल से चमड़े (लेदर) की वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देना तथा चर्म (लेदर) वस्तु उद्योग अर्थात् लेदर प्रोसेसिंग केमिकल कंपनी, चर्म वस्तु विनिर्माण मशीनरी कंपनी के साथ–साथ फुटवियर और फुटवियर घटक, अन्य घटक और एसेसरीज कंपनियों आदि के अनुपूरक क्षेत्र से भागीदारी को आमंत्रित करना है। देश के विभिन्न भागों से 61 प्रमुख भारतीय कंपनियों ने इस आयोजन में भाग लिया। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में 653 व्यापार आंगतुक और 19 देशों से 32 विदेशी आगंतुक उपस्थित हुए।

22वां भारत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एक्सपो (आईआईएसई), नई दिल्ली

भारत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एक्सपो (डिफेंस एंड होमलैंड सिक्योरिटी – आईटीपीओ और पीएचडीसीसीआई की एक संयुक्त पहल) का 22 वां संस्करण दिनांक 3–5 अक्टूबर, 2019 से हॉल नंबर 12 और 12ए, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आईआईएसई, 2019 का उद्घाटन श्री नित्यानंद राय, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री (गृह), गृह मंत्रालय द्वारा किया गया और श्री राजनाथ सिंह, माननीय केंद्रीय मंत्री (रक्षा), रक्षा मंत्रालय द्वारा भी दौरा किया गया। इसमें 5100 वर्गमीटर के सकल क्षेत्र को कवर किया गया और बेचा गया क्षेत्र 2000 वर्गमीटर था जिसमें (लगभग) 80 प्रतिभागियों ने सुरक्षा एजेंसियों के लिए अपने नवीनतम उत्पादों का प्रदर्शन किया। इस आयोजन को सही मायने में अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बनाने के लिए एक नई पहल के रूप में, आईटीपीओ द्वारा विभिन्न देशों के विदेशी खरीदारों को दीर्घकालिक व्यापार सौदों, संयुक्त उद्यम और अन्य तकनीकी जानकारी आदि के लिए प्रतिभागियों के साथ बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट आकर्षण बिंदुओं में थीम एरिया, सेल्फी प्वाइंट, डॉग शो के लिए डेमो एरिया, महिला सुरक्षा और सुरक्षा क्षेत्र से संबंधित विषयों पर सभी दिवसों पर सेमिनार

17वें ग्लोबल इंडियन महोत्सव, कुआलालंपुर, मलेशिया में 1 जून से 9 जून, 2019 तक 207 वर्गमीटर के क्षेत्र में इंडिया मंडप की स्थापना की गई। इस समारोह में 22 भारतीय कंपनियों ने भाग लिया। लगभग 2 लाख व्यापार आगंतुकों ने मेले का दौरा किया।

ईरान एग्रो फूड एवं फूड–बेवटेक, तेहरान, ईरान, 18–21 जून, 2019

आईटीपीओ ने ईरान एग्रो फूड एंड फूड–बेवटेक, तेहरान, ईरान में भाग लिया, जो 142 वर्गमीटर क्षेत्र में 18 से 21 जून, 2019 तक आयोजित किया गया था। इस समारोह में 16 भारतीय कंपनियों ने भाग लिया। सभी प्रतिभागी इस कार्यक्रम में फिर से भाग लेने के इच्छुक थे। लगभग 4500 व्यापार आगंतुकों ने भारतीय मंडप का दौरा किया। प्रदर्शकों द्वारा सूचित किया गया कि 400.00 लाख रुपये का व्यापार हुआ और 3850 लाख रुपये के व्यापार के लिए बातचीत चल रही थी।

कोरिया मेटल वीक, सियोल, दक्षिण कोरिया, 19–21 जून, 2019

आईटीपीओ ने कोरिया मेटल वीक, सियोल, दक्षिण कोरिया में 19–21 जून, 2019 तक 76.5 वर्गमीटर के एक क्षेत्र में भाग लिया। इस समारोह में 10 भारतीय कंपनियों ने भाग लिया। सभी प्रतिभागी इस कार्यक्रम में फिर से भाग लेने के इच्छुक थे। लगभग 25000 आगंतुकों ने भारतीय मंडप का दौरा किया। इससे 1.79 लाख रुपये का कारोबार का सृजन हुआ और 3.01 करोड़ रुपये का कारोबार बुक किया गया।

फूड ताईपेई, ताईवान, 19–22 जून, 2019

आईटीपीओ ने 96 वर्गमीटर के क्षेत्र में फूड ताइपेई, ताइवान में 19–22 जून, 2019 तक भाग लिया। इस समारोह में 11 कंपनियों ने भाग लिया। 90% प्रतिभागी इस कार्यक्रम में फिर से भाग लेने के इच्छुक थे। लगभग 940 व्यापार आगंतुकों ने भारतीय मंडप का दौरा किया। प्रतिभागियों ने सूचित किया कि 4.00 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

अफ्रीका बिग सेवन/साईटेक्स, जोहांसबर्ग (दक्षिण अफ्रीका), 23–25 जून, 2019

आईटीपीओ ने अफ्रीका बिग सेवन/साईटेक्स, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में 23–25 जून, 2019 को 210 वर्गमीटर क्षेत्र में भाग लिया। इस समारोह में 19 भारतीय कंपनियों ने भाग लिया।

समर फैंसी शो, न्यूयॉर्क, यू एस ए, 23 – 25 जून, 2019

आईटीपीओ ने समर फैन्सी शो, न्यूयॉर्क, यूएसए में 23–25 जून, 2019 को 340 वर्गमीटर के क्षेत्र में भाग लिया। इस शो में 34 भारतीय कंपनियों ने भाग लिया। 66% प्रतिभागी इस कार्यक्रम में फिर से भाग लेने के इच्छुक थे। 70 लाख रुपये के कारोबार का सृजन हुआ और 70 लाख रुपये के व्यापार के लिए बातचीत चल रही थी।

एफआईएमई' 19 – फ्लोरिडी इंटरनेशनल मेडिकल एक्सपो, मियामी बीच कंवेंशन सेंटर, फ्लोरिडा, यूएसएस, 26–28 जून, 2019

आईटीपीओ ने एफआईएमई' 2019 – फ्लोरिडा इंटरनेशनल मेडिकल एक्सपो, फ्लोरिडा, यूएसए में 26–28 जून, 2019 को 1500 वर्गफुट के क्षेत्र में में भाग लिया। इस आयोजन में 19 कंपनियों ने भाग लिया। लगभग एक लाख व्यापार आगंतुकों ने मेले का दौरा किया। 95% प्रतिभागी इस आयोजन में फिर से भाग लेने के इच्छुक थे।

40वां भारत परिधान मेला, 30वां भारत गृह सज्जा मेला और दूसरा भारत सिल्क मेला, ओसाका, जापान, 17–19 जुलाई, 2019

आईटीपीओ ने 40वें भारत परिधान मेला, 30वें भारत गृह सज्जा मेला और दूसरा भारत सिल्क मेला में 17–19 जुलाई, 2019 को 648 वर्गमीटर के क्षेत्र में भाग लिया। इन कार्यक्रमों में 51 कंपनियों ने भाग लिया। 69% प्रतिभागी इन आयोजनों में फिर से भाग लेने के इच्छुक थे। लगभग 2000 खरीदारों ने प्रदर्शन का दौरा किया और प्रदर्शकों द्वारा रिपोर्ट किया गया कि 4780.45 लाख रुपये की राशि का व्यापार सृजन किया।

मेडीफार्मा एक्सपो, वियतनाम, 1–3 अगस्त, 2019

आईटीपीओ ने 84 वर्गमीटर के क्षेत्र में 1–3 अगस्त, 2019 तक आयोजित किए गए मेडीफार्मा एक्सपो, वियतनाम में भाग लिया। इस समारोह में 9 भारतीय कंपनियों ने भाग लिया। लगभग 350 खरीदारों ने प्रदर्शनी का दौरा किया।

एचकेटीडीसी फूड एक्सपो, हांगकांग, 15–17 अगस्त, 2019

आईटीपीओ और फिक्की ने संयुक्त रूप से 15 अगस्त से 17 अगस्त, 2019 तक बी2बी एचकेटीडीसी फूड एक्सपो, हांगकांग में भाग लिया। आईटीपीओ ने 23 भारतीय कंपनियों के साथ 207 वर्गमीटर क्षेत्र में भाग लिया। शहर में तत्कालीन प्रचलित अशांति / विरोध प्रदर्शन और उड़ानों के रद्द होने के कारण, कुछ प्रतिभागी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। हालांकि, पहले से ही बुक किए गए क्षेत्र के अनुसार, मेला आयोजक द्वारा उनके बूथों का निर्माण किया गया। 92% भारतीय प्रतिभागी इस कार्यक्रम में फिर से भाग लेने के इच्छुक थे। जैसा कि प्रदर्शकों द्वारा रिपोर्ट किया गया, लगभग 18000 खरीदारों ने प्रदर्शनी का दौरा किया और 5.93 करोड़ रुपये के व्यापार के लिए बातचीत चल रही थी।

ऑटोमैकेनिका, मास्को, रूस, 26–29 अगस्त, 2019

आईटीपीओ ने 26–29 अगस्त, 2019 तक 69 वर्गमीटर के क्षेत्र में आयोजित किए गए ऑटोमैकेनिका, मॉस्को, रूस में भाग लिया। इस कार्यक्रम में 9 भारतीय कंपनियों ने भाग लिया। लगभग 250 खरीदारों ने कार्यक्रम का दौरा किया और 55 लाख रूपये के कारोबार के लिए बातचीत चल रही थी।

ऑटम फेयर, बर्मिंघम (यूके), 1–4 सितम्बर, 2019

आईटीपीओ ने 210 वर्गमीटर के क्षेत्र में 1–4 सितंबर, 2019 तक आयोजित किए गए ऑटम फेयर, बर्मिंघम (यूके) में भाग लिया। इस समारोह में 26 भारतीय कंपनियों ने भाग लिया। जैसा कि प्रदर्शकों द्वारा बताया गया था कि 90 लाख रुपये का कारोबार बुक किया गया और 100 लाख रुपये के कारोबार के लिए बातचीत चल रही थी।

सीएनार फूड इस्तांबुल (तुर्की), 4–7 सितम्बर, 2019

आईटीपीओ ने 4–7 सितंबर, 2019 तक आयोजित बी–2–बी सीएनआर फूड इस्तांबुल (तुर्की) में भाग लिया। आईटीपीओ ने 19 भारतीय कंपनियों के साथ 141 वर्गमीटर के क्षेत्र में भाग लिया। 75% भारतीय प्रतिभागी इस आयोजन में फिर से भाग लेने के इच्छुक थे। लगभग 5000 खरीदारों ने कार्यक्रम का दौरा किया। प्रदर्शकों द्वारा

बताया गया कि 3.00 करोड़ रुपये का व्यापार हुआ और 5.00 करोड़ रुपये के कारोबार के लिए बातचीत चल रही थी।

84वां थेसालोनिकी अंतर्राष्ट्रीय मेला, थेसालोनिकी (ग्रीस), 7–15 सितम्बर, 2019

आईटीपीओ ने 84वें थेसालोनिकी अंतर्राष्ट्रीय मेला, थेसालोनिकी, ग्रीस में 7–15 सितंबर, 2019 तक 1450 वर्गमीटर के क्षेत्र में 'सम्मानित देश' की स्थिति में भाग लिया। इस मेले में 101 भारतीय कंपनियों ने भाग लिया। दोनों (बी–2–सी) सेक्टर और (बी–2–बी) सेक्टर में 99% भारतीय कंपनियां इस इवेंट में फिर से भाग लेने की इच्छुक थीं। लगभग 2.50 लाख आगंतुकों ने मेले का दौरा किया। जैसा कि प्रदर्शकों द्वारा बताया गया था कि 5.28 करोड़ रुपये का व्यापार बुक किया गया और 3.28 करोड़ रुपये के व्यापार के लिए बातचीत चल रही थी।

इंटरगिफ्ट, मैड्रिड, स्पेन, 11–15 सितम्बर, 2019

आईटीपीओ ने 160 वर्गमीटर के क्षेत्र में 11–15 सितंबर, 2019 तक आयोजित इंटरगिफ्ट, मैड्रिड, स्पेन में भाग लिया। इस कार्यक्रम में 18 भारतीय कंपनियों ने भाग लिया। लगभग 3000 खरीदारों ने प्रदर्शनी का दौरा किया। जैसा कि प्रदर्शकों द्वारा बताया गया, 60% भारतीय प्रतिभागी इस कार्यक्रम में फिर से भाग लेने के इच्छुक थे।

फिएरा डेल लेवान्ते, बारी (इटली), 14–22 सितम्बर, 2019

आईटीपीओ ने 14–22 सितंबर, 2019 तक फिएरा डेल लेवांते, बारी (इटली) में 72 वर्गमीटर के क्षेत्र में भाग लिया। इस मेले में 13 भारतीय कंपनियों ने भाग लिया। 75% भारतीय प्रतिभागी इस कार्यक्रम में फिर से भाग लेने के इच्छुक थे। लगभग 4 लाख दर्शकों ने प्रदर्शनी का दौरा किया। जैसा कि प्रदर्शकों द्वारा बताया गया, 98.39 लाख रुपये का कारोबार हुआ।

फोएरे इंटरनेशनल डे मारसिएले, फ्रांस, 20–30 सितम्बर, 2019

आईटीपीओ 324 वर्गमीटर के क्षेत्र में 20–30 सितंबर, 2019 तक फोएरे इंटरनेशनल डे मारसिएले में भाग लिया था। इस मेले में 37 भारतीय कंपनियों ने भाग लिया। 61% भारतीय प्रतिभागी इस मेले में फिर से भाग लेने के इच्छुक थे। लगभग 9400 आगंतुकों ने कार्यक्रम का दौरा किया। 76.23 लाख रुपये का व्यापार किया गया और 15.00 लाख रुपये के व्यापार के लिए बातचीत चल रही थी।

वर्ल्ड फूड फेयर, मास्को (रूस), 24–27 सितम्बर, 2019

आईटीपीओ ने 147 वर्गमीटर क्षेत्र में वर्ल्ड फूड फेयर, मॉस्को, रूस में 24–27 सितंबर, 2019 तक भाग लिया। इस समारोह में 23 भारतीय कंपनियों ने भाग लिया। लगभग 30000 आगंतुकों ने इस प्रदर्शनी का दौरा किया। 83% भारतीय प्रतिभागी मेले के अगले संस्करण में भाग लेने के इच्छुक थे। जैसा कि प्रदर्शकों द्वारा बताया गया, 86.30 लाख रुपये का व्यापार बुक किया गया और 408.70 लाख रुपये के व्यापार के लिए बातचीत चल रही थी।

थाईलैंड लैब 2019, थाईलैंड, 25–27 सितम्बर, 2019

आईटीपीओ ने थाईलैंड लैब 2019, थाईलैंड में 25 सितंबर से 27 सितंबर 2019 तक 120 वर्गमीटर के क्षेत्र में भाग लिया। 13 भारतीय कंपनियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। लगभग 500 व्यापार आगंतुकों ने प्रदर्शनी का दौरा किया। 77% भारतीय प्रतिभागी इस आयोजन में फिर से भाग लेने के इच्छुक थे। जैसा कि प्रदर्शकों द्वारा रिपोर्ट किया गया, 2.50 लाख रुपये का व्यापार सृजन हुआ और 37. 54 लाख रुपये के व्यापार के लिए बातचीत चल रही थी।

अनुगा, कोलोन (जर्मनी), 5–9 अक्टूबर, 2019

आईटीपीओ ने 1228 वर्गमीटर के क्षेत्र में 5–9 अक्टूबर, 2019 तक 100 भारतीय कंपनियों के साथ अनुगा, कोलोन, जर्मनी में भाग लिया। 90% भारतीय प्रतिभागी इस कार्यक्रम में फिर से भाग लेने के इच्छुक थे। लगभग 30,000 खरीदारों ने प्रदर्शनी का दौरा किया। जैसा कि प्रदर्शकों द्वारा सूचित किया गया, 22.03 करोड़ रुपये का व्यापार बुक किया गया था और 20.53 करोड़ रुपये के व्यापार के लिए बातचीत चल रही थी।

इंडिया शो, कनाडा, 10–13 अक्टूबर, 2019

आईटीपीओ ने टोरंटो, कनाडा में 10–13 अक्टूबर, 2019 तक इंडिया शो का आयोजन किया। इस शो में 41 भारतीय कंपनियों ने भाग लिया। 45.5% भारतीय प्रतिभागी इस कार्यक्रम में फिर से भाग लेने के इच्छुक थे। लगभग 1200 आगंतुकों ने शो का दौरा किया। सुश्री अपूर्व श्रीवास्तव, भारत के महावाणिज्य राजदूत, टोरंटो ने मेले का उद्घाटन किया। श्री दीपक आनंद, एमपीपी, मिसिसॉगा – माल्टन और श्री प्रमोद गोयल, अध्यक्ष, इंडो–कनाडा चैंबर ऑफ कॉमर्स, टोरंटो भी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। सीजीआई, एमपीपी और अध्यक्ष, आईसीसीसी ने आईटीपीओ के प्रयासों की सराहना की।

फूड एंड हॉस्पिटेलिटी, मस्कट, ओमान, 14–16 अक्टूबर, 2019

आईटीपीओ ने 14–16 अक्टूबर, 2019 तक आयोजित फूड एंड हॉस्पिटैलिटी, मस्कट, ओमान में भाग लिया। लगभग 1000 खरीदारों ने शो का दौरा किया और 100% भारतीय प्रतिभागी इस कार्यक्रम में फिर से भाग लेने के इच्छुक थे। प्रदर्शकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 230 लाख रुपये का व्यापार हुआ।

18वां इंडो–मलेशिया ट्रेड एक्सपो, कुआलालंपुर (मलेशिया), 18–26 अक्टूबर, 2019

आईटीपीओ ने 18वे इंडो–मलेशिया ट्रेड एक्सपो, कुआलालंपुर, मलेशिया में भाग लिया था, जो 18 से 26 अक्टूबर, 2019 तक 477 वर्गमीटर के क्षेत्र में आयोजित किया गया था। इस एक्सपो में 53 भारतीय कंपनियों ने भाग लिया। सभी भारतीय प्रतिभागी ने फिर से इस आयोजन में भाग लेने के इच्छा व्यक्त की। लगभग 5 लाख दर्शकों ने शो का दौरा किया। जैसा कि प्रदर्शकों द्वारा बताया गया, 255 लाख रुपये का व्यापार बुक किया गया और 50 लाख रुपये के व्यापार के लिए बातचीत चल रही थी।

आपेक्स, लास वेगास (अमेरिका), 5–7 नवम्बर, 2019

आईटीपीओ ने 2000 वर्ग फुट के क्षेत्र में आपेक्स, लास वेगास में 5–7 नवंबर, 2019 तक भाग लिया। इस प्रदर्शनी में 20 भारतीय कंपनियों ने भाग लिया। जैसा कि प्रदर्शकों द्वारा बताया गया, 150 करोड़ रुपये का व्यापार किया गया। 85% भारतीय प्रतिभागी इस कार्यक्रम में फिर से भाग लेने के इच्छुक थे। लगभग 2500 खरीदारों ने शो का दौरा किया।

मेडिका, डसेलडोर्फ (जर्मनी), 18–21 नवम्बर, 2019

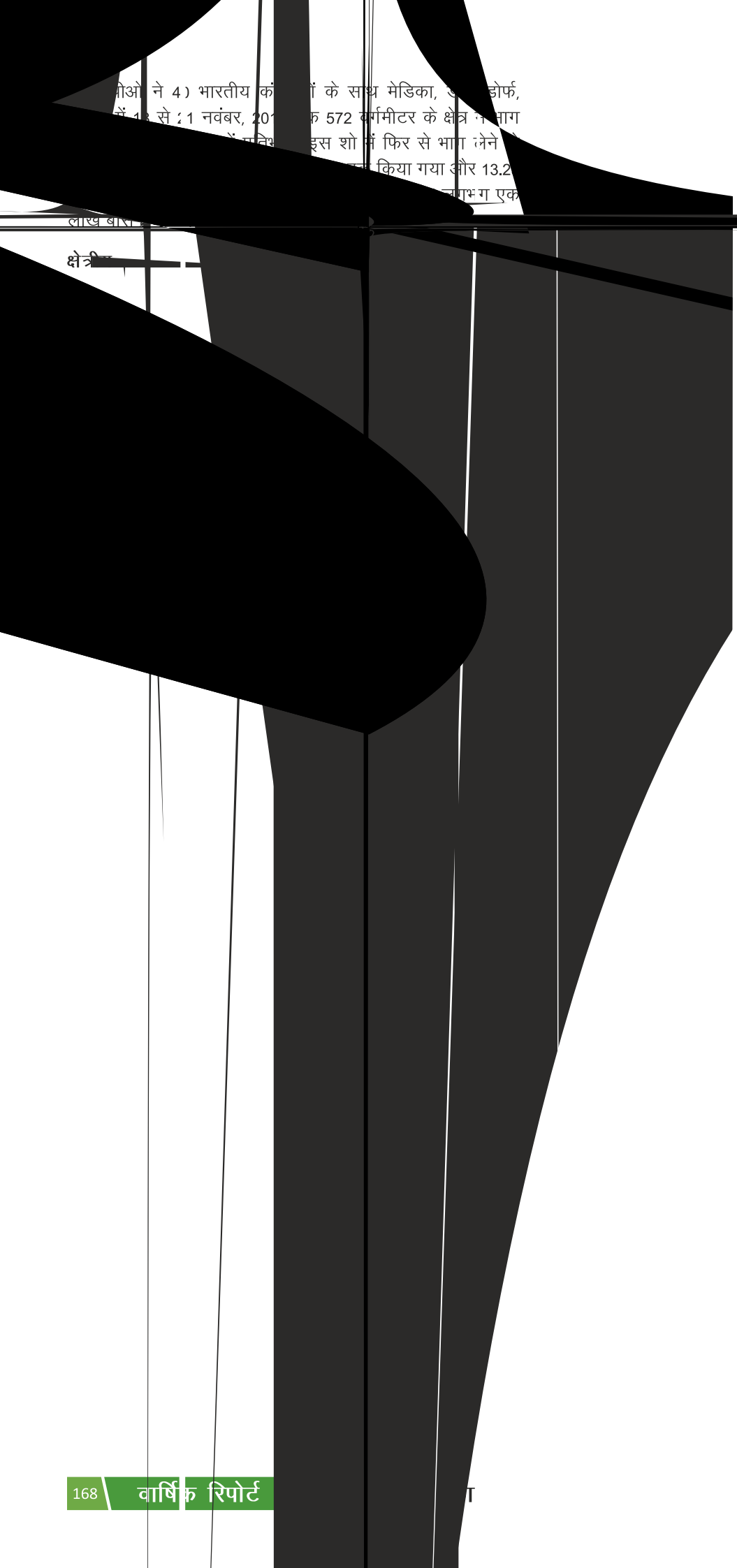

माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, श्री पीयूष गोयल ने अंतराष्ट्रीय प्रदर्शनी–सह–सम्मेलन केंद्र (आईईसीसी) के पुनर्विकसित स्थल का दौरा किया

थेसालोनिकी अंतर्राष्ट्रीय मेला 2019 का शुभारम्भ

स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसटीसी)

मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप के देशों के साथ व्यापार करने तथा देश से निर्यात को विकसित करने में निजी व्यापार एवं उद्योग के प्रयासों में सहायता करने के लिए 18 मई, 1956 को एसटीसी का गठन किया गया। तब से एस टी सी ने देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने भारत में अधिकांश रूप से उपभोग की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं (जैसे कि गेहूँ, दालें, चीनी, खाद्य तेल आदि) और औद्योगिक कच्ची सामग्री के आयात की व्यवस्था की है और भारत से वस्तुओं के एक बड़ी संक्या के निर्यात को विकसित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारी मात्रा में वस्तुओं के निर्यात/आयात का कार्य एसटीसी की प्रमुख क्षमता है। गत अनेक वर्षों के दौरान, एसटीसी ने इस्पात, लौह अयस्क, शीरे के निर्यात और बुलियन, हाइड्रोकार्बन, खनिज, धातु, उर्वरक, पेट्रो–रसायन आदि के आयात में जैसे विविध कार्यकलाप किए हैं। घरेलू स्तर पर, एसटीसी मुख्य रूप से खाद्य तेल, बीज, उर्वरक, कोयला, धातु, दालों, जूट बैग, आदि की बिक्री करता है।

बैंकिंग सीमाओं की अनुपलब्धता के मद्देनजर, कंपनी वर्तमान में केंद्र / राज्य सरकार के विभागों और उनकी संस्थाओं आदि के साथ व्यवसाय कर रही है, जिनमें एसटीसी के निधियों की कोई हिस्सेदारी नहीं है।

वर्ष 2017–18, 2018–19 और अप्रैल से सितंबर 2019 के दौरान, एसटीसी का समग्र निष्पादन एवं पिछले वर्ष की तदुनुरूपी अवधि के लिए तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

(करोड़ रुपए)

	वास्तविक	वास्तविक	गैर-लैखापरीक्षित	
	2017-18	2018-19	अप्रैल-सितम्बर'18	अप्रैल-सितम्बर'19
निर्यात	266	11	1	3
आयात	10216	8437	6292	32315
घरेलू	343	445	270	94
कुल टर्नओवर	**10825**	**8893**	**6563**	**2412**
कर पूर्व लाभ	32.25	-897.12	(-) -10.97	-101.96

निष्पादन : 2018–19

टर्नओवर

वर्ष 2018–19 के दौरान, कंपनी ने पिछले वर्ष के दौरान किए गए 10,825 करोड़ रूपए मूल्य के आयात टर्नओवर की तुलना में 8,893 करोड़ रूपए का आयात टर्नओवर किया। व्यापार में कमी, मुख्य रूप से बुलियन के कम आयात के साथ–साथ कंपनी की कार्यशील पूंजी की अनुपलब्धता के कारण व्यापार लेनदेन करने में असमर्थता के कारण हुई। वर्ष के दौरान, केंद्रीय / राज्य सरकार के विभागों और उनकी संस्थाओं के साथ कंपनी का व्यवसाय करना जारी रहा, जिसमें एसटीसी की निधियों की कोई हिस्सेदारी नहीं है।

निर्यात

कंपनी का निर्यात वर्ष 2017–18 के 266 करोड़ से कम होकर वर्ष 2018–19 के दौरान 11 करोड़ रह गया, जिसका मुख्य कारण (i) ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों, और (ii) बैक–अप आपूर्तिकर्ता के भावी स्वामित्व के बारे में एनसीएलटी की कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप ईरान को स्टील प्लेट्स / कॉयल के निर्यात अनुबंध का नवीनीकरण न होना। हालांकि, शेष मुद्दों का समाधान करके अनुबंध को नवीनीकृत करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

कंपनी ने वर्ष 2018–19 के दौरान ईरान को 11 करोड़ रुपये के कृषि–कीटनाशकों का निर्यात किया।

आयात

वर्ष 2018–19 के दौरान, कंपनी ने वर्ष 2017–18 के दौरान किए गए 10,216 करोड़ रूपए मूल्य के आयात टर्नओवर की तुलना में 8,437 करोड़ रूपए का आयात टर्नओवर किया। हालांकि बुलियन वर्ष 2018–19 के दौरान आयात की एकमात्र सबसे बड़ी वस्तु रही, बुलियन की बिक्री वर्ष 2017–18 के दौरान हुई 10,194 करोड़ की बिक्री से कम होकर समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 8428 करोड़ रूपये तक हो सकी।

कंपनी ने विभिन्न राज्य सरकारों के विभागों / संस्थाओं के लिए पिछले वर्ष में किए गए केवल 2 करोड़ के आयात की तुलना में वर्ष 2018–19 के दौरान 9 करोड़ रूपये के उपस्करों / उपकरणों का आयात भी किया।

घरेलू बिक्री

कंपनी ने 445 करोड़ रूपये की राशि की घरेलू बिक्री की। घरेलू बिक्री में प्रमुख वस्तुएँ निम्नानुसार थीं:

खाद्य तेल

वर्ष 2018–19 के दौरान, कंपनी ने तमिलनाडु राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (टीएनएससीएससी) को पीडीएस के तहत वितरण के लिए 1 लीटर पाउच में खाद्य तेलों की आपूर्ति का कार्य जारी रखा और लगभग 223 करोड़ रूपये के पाउचों की आपूर्ति की।

दालें

कंपनी ने तमिलनाडु राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के साथ पीडीएस के तहत वितरण के लिए दालों की आपूर्ति के लिए अनुबंध किया और वर्ष के दौरान लगभग 134 करोड़ रुपये की दालों की आपूर्ति की।

उर्वरक

कंपनी ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के राज्यों में तंबाकू उत्पादकों / किसानों को उर्वरकों का वितरण करना जारी रखा और विभिन्न तम्बाकू उत्पादकों/किसानों को 28339 मीट्रिक टन उर्वरकों की आपूर्ति की। इससे वर्ष के दौरान 71 करोड़ रुपए का कारोबार प्राप्त हुआ था।

इसके अलावा, कंपनी ने घरेलू बाजारों में उपस्कर / उपकरण (6 करोड़ रूपये), गुड़ और मसाले (4 करोड़ रूपये), स्कूल बैग (3 करोड़ रूपये), ब्रास स्क्रैप (3 करोड़ रूपये) और सिल्वर मेडल (1 करोड़ रूपये) की भी बिक्री की।

लाभप्रदता

कंपनी ने वर्ष 2017–18 के दौरान की तुलना में 38 करोड़ रूपये के निवल लाभ (कर–उपरांत) की तुलना में वर्ष 2018–19 के दौरान, 881 करोड़ रूपये की निवल हानि (कर–उपरांत) सूचित की है। वर्ष के दौरान सूचित की गई निवल हानि मुख्य रूप से जीएसपीआई/जीएसएचएल के संबंध में बहीखाते में लगभग 626 करोड़ रूपये के बट्टे खाते की प्रविष्टि और भारत सरकार की ओर से यूरिया के आयात से संबंधित मामले में विवाचन निर्णय के अनुसार, मेसर्स हेल्म डुंगमिटेल को देय राशि 86 करोड़ रूपये की राशि के व्यय के कारण हुई।

निष्पादन : 2019–20 (अप्रैल – सितंबर, 2019)

टर्नओवर

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, निगम ने पिछले साल की तदुनुरूपी अवधि के दौरान किए गए 6563 करोड़ रूपए मूल्य के आयात टर्नओवर के तुलना में 2412 करोड़ रूपए का आयात टर्नओवर किया। टर्नओवर में कमी, मुख्य रूप से बुलियन के कम आयात और खाद्य तेलों, उर्वरकों और दालों की कम घरेलू बिक्री के कारण हुई।

निर्यात

कंपनी ने अप्रैल–सितंबर, 2019 के दौरान लगभग 3 करोड़ के कृषि–कीटनाशकों का निर्यात किया। कंपनी ने विभिन्न उत्पादों के निर्यात / आयात के लिए निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं:

i) फार्मास्यूटिकल वस्तुओं के निर्यात के लिए, सेंट्रल सप्लाई ऑप नेशनल हेल्थ सर्विसेज सिस्टम (सीईएनएबीएएसटी), चिली के साथ समझौता–ज्ञापन

ii) रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्रों में धातु और खनन क्षेत्र में निवेश अवसरों के अभिनिर्धारण, स्रोत और कार्यान्वयन के लिए फार ईस्ट माइनिंग कंपनी, मास्को के साथ समझौता–ज्ञापन

iii) इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी (आईआरसीओएन) द्वारा उपकरणों की आपूर्ति के बदले मलेशिया से पॉम ऑयल के विनिमय व्यापार के लिए एसटीसी को सम्बद्ध करने हेतु आईआरसीओएन के समझौता–ज्ञापन।

आयात

कंपनी ने अप्रैल से सितंबर, 2019 के दौरान लगभग 2315 करोड़ रुपए का आयात टर्नओवर प्राप्त किया जबकि पिछले साल की तदुनुरूपी अवधि के दौरान 6292 करोड़ रुपए का आयात टर्नओवर किया गया था। आयात टर्नओवर में कमी मुख्य रूप से सोने / चांदी के कम आयात के कारण हुई, जो अप्रैल–सितंबर, 2018 में किए गए 6284 करोड़ रूपये के आयात टर्नओवर से कम होकर अप्रैल–सितंबर, 2019 में 2311 करोड़ रूपये रह गया। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने विभिन्न राज्य सरकारों के विभागों को 4 करोड़ रूपये मूल्य के उपस्करों / उपकरणों का आयात और आपूर्ति भी की।

घरेलू बिक्री

अप्रैल से सितंबर, 2019 के दौरान कंपनी द्वारा लगभग 94 करोड़ रूपए की घरेलू बिक्री की गई। कंपनी ने तमिलनाडु राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (टीएनएससीएससी) को पीडीएस के तहत वितरण के लिए खाद्य तेलों की आपूर्ति जारी रखी और लगभग 88 करोड़ रुपये की बिक्री।

उपर्युक्त के अलावा, कंपनी ने राज्य सरकार के विभागों को 6 करोड़ रूपये की की राशि के उपस्करों / उपकरणों की आपूर्ति की और घरेलू स्तर पर मसाले आदि की छोटी मात्रा की बिक्री की।

एसटीसी द्वारा सामना किए जा रहे वित्तीय संकट के परिप्रेक्ष्य में, कंपनी ने एसटीसी की धन / बैंकिंग सीमाओं संबंधी व्यापार से दूरी बनाए रखी है और केंद्र / राज्य सरकार के विभागों और उनकी संस्थाओं के साथ–साथ सरकार–से–सरकार व्यापार के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिसमें एसटीसी की निधियों की कोई हिस्सेदारी नहीं है।

लाभप्रदता

अप्रैल–सितंबर, 2019 के दौरान, कंपनी ने पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान सूचित किए गए 11.87 करोड़ की निवल हानि (कर–उपरांत) की तुलना में 101.96 करोड़ रुपये की निवल हानि (कर–उपरांत) सूचित की है। अवधि के दौरान सूचित की गई निवल हानि, मुख्य रूप से पर्याप्त सावधानी और वित्तीय विवेक के रूप में 100.15 करोड़ रूपये की देयता के सृजन के कारण हुई क्योंकि एसटीसी, मैसर्स जेके इंटरनेशनल (72.25 करोड़ रूपये) और मेसर्स लिचेन मेटल्स (27.89 करोड़ रूपये) से संबंधित मामलों के वाद में हार गई । चूंकि संदर्भित निर्णय कानून के तहत अनुपयुक्त है, इसलिए कानून के तहत निर्धारित उच्च प्राधिकरणों के समक्ष इसे चुनौती दी गई है।

एसटीसीएल लिमिटेड

पृष्ठभूमि

अक्टूबर, 1982: कार्डमम ट्रेडिंग कोरपोरेशन लिमिटेड, एक निजी लिमिटेड कंपनी, के रूप में निगमित।

अगस्त 1987 : "स्पाइसेज ट्रेडिंग कोरपोरेशन लिमिटेड" के नाम से पुनर्नामित किया गया।

सितम्बर, 1999 : एसटीसी ऑफ इंडिया लिमिटेड की के स्वामित्व वाली कंपनी बनाई गई।

अगस्त, 2004 – "एसटीसीएल लिमिटेड" के नाम से पुनर्नामित किया गया।

शेयर पूंजी

अधिकृत शेयर पूंजी: 5 करोड़ रुपए

प्रदत्त शेयर पूंजीः 1.5 करोड़ रूपये (सम्पूर्ण प्रदत्त पूंजी की धारक एसटीसी ऑफ इंडिया लिमिटेड है)

निवल मूल्यः 31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार (-334.31 करोड़ रुपए)

विजन एवं मिशन

- ❖ मसालों का प्रसंस्करण एवं परिशोधन तथा मसालों के उत्पादों का विनिर्माण
- ❖ मसालों और मसालों के उत्पादों का समर्थन, संरक्षण, अनुरक्षण, वृद्धि और संवर्धन करना तथा उनकी बिक्री और निर्यात भी करना।
- ❖ का संचालन और संवर्धन
- ❖ मसालों और मसालों के उत्पादों के लिए बाजारों का संवर्धन और विकास
- ❖ मसालों और मसालों के उत्पादों में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना

कार्यः एसटीसीएल को बंद करने के संबंध में दिनांक 13.08.2013 को आयोजित की गई बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के पश्चात्, कंपनी ने वर्ष 2014–15 से सभी व्यावसायिक गतिविधियों को बंद कर दिया था। वर्तमान में कंपनी अपने व्यापार सहयोगियों से दिनांक 31.03.2019 तक ब्याज सहित 5600 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि की वसूली के लिए मध्यस्थता मामलों सहित विभिन्न कानूनी मामलों का अनुसरण कर रही है और अन्य सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन कर रही है।

X. निर्यात निरीक्षण परिषद

भारत सरकार द्वारा निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षक) अधिनियम, 1963 की धारा 3 के तहत निर्यात निरीक्षण परिषद [illegible] पूर्व निरीक्षण तथा इससे संबंधित मामलों के माध्यम से भारत के निर्यात व्यापार का बेहतर [illegible] नियंत्रण और / या निरीक्षण के प्रकार को निर्दिष्ट करने के अधीन होंगी, की अधिसूचना के संबंध में केन्द्र सरकार का सलाहकार निकाय है।

ईआईसी भारत का आधिकारिक निर्यात प्रमाणन निकाय है और साथ ही अधिसूचित वस्तुओं के लिए सक्षम प्राधिकरण है जो भारत से निर्यात किए जाने वाले खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। आयात करने वाले देशों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए निर्यात किए गए उत्पाद

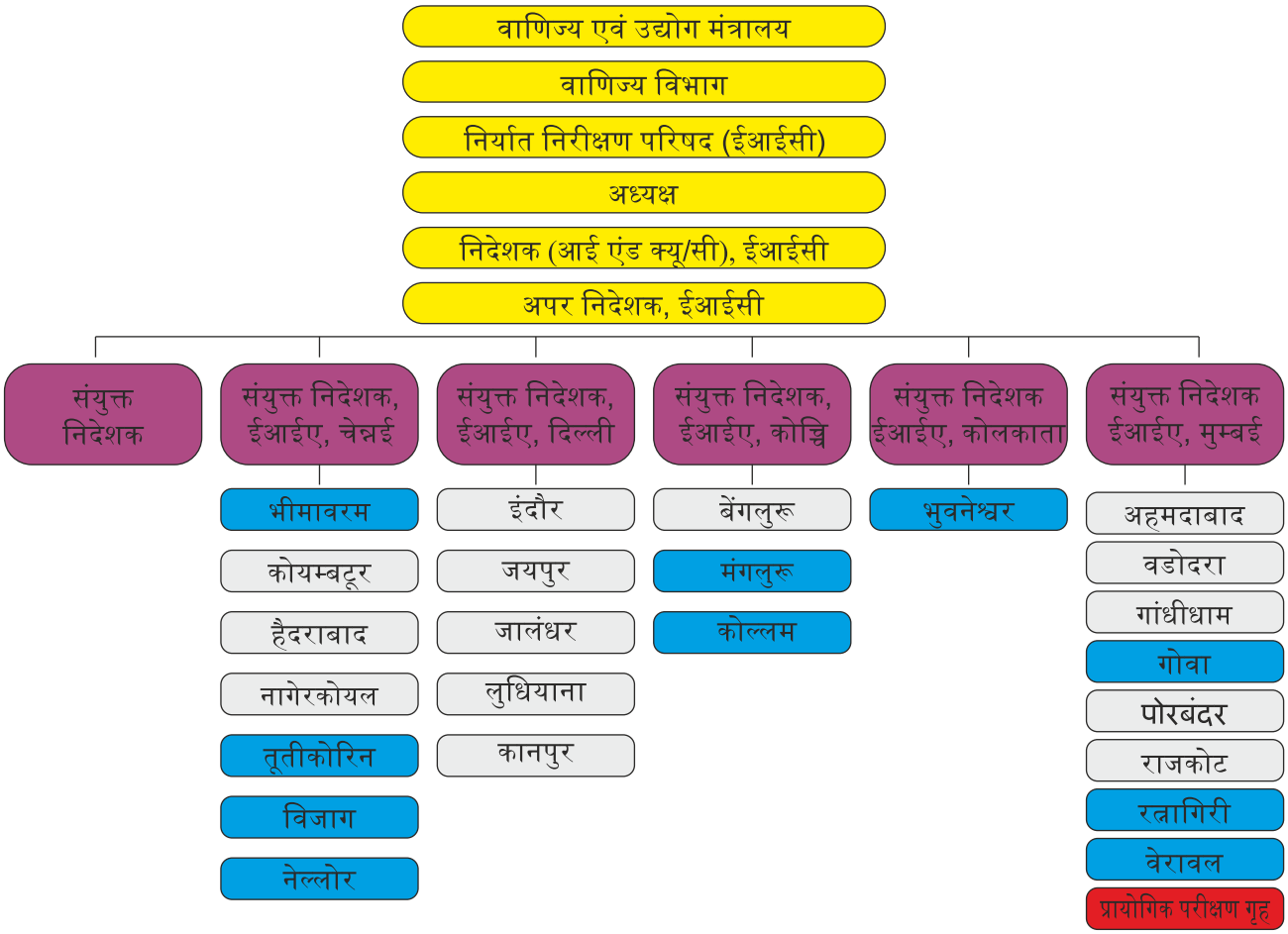

टिप्पणी :
नीले बॉक्स में दर्शाए गए उप–कार्यालयों में प्रयोगशाला सुविधा उपलब्ध है, स्लेटी (ग्रे) बॉक्स में दर्शाएं गए उप–कार्यालयों में प्रयोगशाला सुविधा उपलब्ध नहीं है और लाल बॉक्स में दर्शाए गए स्थान केवल प्रयोगशालाएं हैं।

ईआईसी के प्रमुख कार्य

- आयात करने वाले देशों के मानकों के अनुसार निर्यात के लिए अभिप्रेत आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली पर आधारित प्रसंस्करण इकाइयों का अनुमोदन;
- निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की निर्दिष्ट विनिर्देशनों के अनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खेप–वार निरीक्षण (सीडब्ल्यूआई) आधारित पूर्व–शिपमेंट निरीक्षण और प्रमाणन;
- विभिन्न अधिमान्य टैरिफ योजनाओं के तहत निर्यात उत्पादों के लिए उत्पत्ति के अधिमान्य प्रमाण पत्र जारी करना;
- विभिन्न निर्यात प्रमाणन योजनाओं के तहत विभिन्न प्रकार के प्रमाणपत्र अर्थात् स्वास्थ्य, प्रामाणिकता, गैर– जीएमओ प्रमाण पत्र आदि जारी करना;
- निरीक्षण एजेंसियों और प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान करना;
- आयात करने वाले देशों के मानदंडों के अनुसार अवशिष्ट निगरानी योजनाएं;
- प्रयोगशाला परीक्षण सेवाओं और खाद्य उत्पादों की आयात खेप से लिए गए नमूनों के परीक्षण के लिए एफएसएसएआई के साथ सहयोग;
- गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के क्षेत्रों में उद्योग और अन्य हितधारकों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण;
- डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों द्वारा टीबीटी अधिसूचना और भारत के व्यापार पर उनके प्रभाव की निगरानी

विदेश व्यापार नीति तथा एग्जिम व्यापार

ईआईसी, अपनी स्थापना के बाद से, आयात करने वाले देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए इसकी गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण गतिविधियों के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप, ईआईसी द्वारा प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) / परस्पर मान्यता समझौते (एमआरए) / समतुल्यता समझौते / मान्यता / सहयोग व्यवस्था करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ये व्यवस्था आयात करने वाले देशों के नियामक अधिकारियों द्वारा ईआईसी के प्रमाणन प्रणाली की स्वीकृति की सुविधा प्रदान करती है और सीमा पर किए जाने वाले अनेक निरीक्षणों से दूर रखती है।

समतुल्यता समझौते/मान्यता/सहयोग व्यवस्था

देश	शामिल उत्पाद	करार/ मान्यता का वर्ष
यूएसए; यूएसएफडीए	काली मिर्च खाद्य उत्पादों से संबद्ध विनियामक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्रों में सहयोगात्मक भागीदारी। गोपनीयता प्रतिबद्धता	1988 2015 2016
यूरोपीय आयोग	मछली और मछली उत्पाद, बासमती चावल, पशु केसिंग, शहद, क्रश्ड बोंस, ऑसिन और जिलेटिन, अंडा उत्पाद, मूंगफली और मूंगफली उत्पाद, फीड एडिटिव्स और प्री-मिक्सचर, मसाले (कैप्सिकम)	1997 -2016 के आगे
कोरिया	फ्रोजन समुद्री उत्पाद, प्रसंस्कृत मसाला वस्तुएं, प्रसंस्कृत नट्स, चाय, शहद, जैम, परिरक्षित वस्तुएं, सॉस, चाशनी, खाद्य तेल और चर्बी	2004
तुर्की	खाद्य वस्तुएं, खाद्य पैकेजिंग सामग्रियां और स्टेनलेस स्टील के बर्तन	2004
श्रीलंका	श्रीलंका की निर्यात निरीक्षण स्कीम के तहत 85 उत्पादों अर्थात दुग्ध उत्पाद, खाद्य तेल, पैकेज्ड वाटर, परिरक्षित खाद्य, टॉयलेटिरीज़, बाइसकिल टायर एवं ट्यूब, स्टील सेक्शन और वायर, इलेक्ट्रानिक सामान तथा पी वी सी केबल्स और कोर्ड आदि।	2005
सिंगापुर	खाद्य एवं कृषि (अंडा उत्पाद, दुग्ध उत्पाद, पीने का पानी), इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, दूरसंचार उपकरण और औषधि एवं फार्मास्यूटिकल	2005
जापान	कुक्कुट और समुद्री उत्पाद	2005
कस्टम यूनियन	मछली एवं मछली उत्पाद	2009
सऊदी अरब	मछली एवं मछली उत्पाद	2009
चीन	मछली एवं मछली उत्पाद आहार एवं आहार के संघटक रेपसीड मिल चिली स्पेंट	2012 2013 2015 2019
भूटान	खाद्य एवं कृषि उत्पाद	2013

निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, **1963** के तहत अधिसूचित वस्तुएं

अधिसूचित वस्तुएं	राजपत्रित आदेश / अधिसूचना / आदेश
पशु आवरण	आदेश संख्या का.आ. 2947 तारीख 03.11.1997 और अधिसूचना का.आ. 2948 तारीख 03.11.1997, अधिसूचना संख्या का.आ. 1315 (अ) तारीख 08.6.2012 के माध्यम से अनुवर्ती संशोधन
काली मिर्च	आदेश संख्या का.आ. 245 तारीख 07.3.1988 और अधिसूचना संख्या का.आ. 1311 तारीख 22.4.1991.
बासमती चावल	आदेश संख्या का.आ. 67 (अ) तारीख 23.01.2003 और अधिसूचना संख्या का.आ. 68(अ) तारीख 23.01.2003 और अधिसूचना संख्या का.आ. 1139 तारीख 15.5.2004, अधिसूचना संख्या का.आ. 716 तारीख 05.3.2005 और अधिसूचना संख्या का.आ. 791(अ) तारीख 24.5.2006 के माध्यम से अनुवर्ती संशोधन। का.आ. 136(अ) तारीख 13 जनवरी, 2016 :
क्रश्ड बोन, ओसेन एवं जिलेटीन	आदेश संख्या का.आ. 725 (अ) तारीख 03.4.2012 और अधिसूचना संख्या का.आ. 726 (अ) तारीख 03.4.2012.
अंडा उत्पाद	आदेश संख्या का.आ. 2077 तारीख 04.08.1997 और अधिसूचना संख्या का.आ. 2078 तारीख 04.08.1997 और आदेश संख्या का.आ.1442 (अ) तारीख 19.12.2003 और अधिसूचना संख्या का.आ. 1443 (अ) तारीख 19.12.2003, अधिसूचना संख्या का.आ. 721 तारीख 25.02.2005 और अधिसूचना संख्या का.आ. 1516 तारीख 16.06.2008 के तहत अनुवर्ती संशोधन। अधिसूचना संख्या का.आ. 1952 (अ) तारीख 22.8.2012।
ताजा कुक्कुट मांस और कुक्कुट मांस उत्पादन	आदेश संख्या का.आ. 1377 (अ) तारीख 30.12.2002 और अधिसूचना संख्या का.आ. 1378 (अ) तारीख 30.12.2002 और अधिसूचना संख्या का.आ. 719 तारीख 25.02.2005 और अधिसूचना संख्या का.आ. 1517 तारीख 16.6.2008 के तहत अनुवर्ती संशोधन।
मत्स्य एवं मत्स्य उत्पाद	आदेश संख्या 729 (अ) तारीख 21.8.1995 आदेश संख्या का.आ. 792 (अ) तारीख 17.8.2001,आदेश संख्या का.आ.722 (अ) तारीख 10.7.2002,आदेश संख्या का.आ. 464 (अ) तारीख 24.4.2003, आदेश संख्या का.आ. 1227 (अ) तारीख 23.10.2003 और आदेश संख्या का.आ. 1227 (अ) तारीख 31.7. 2006 के तहत अनुवर्ती संशोधन तथा मूल अधिसूचना संख्या का.आ. 730 (अ) तारीख 21.8.1995 और अधिसूचना संख्या का.आ. 415 (अ) तारीख 11.4.2002, अधिसूचना संख्या का.आ. 1029 (अ) तारीख 24.9.2002, अधिसूचना संख्या का.आ. 1034 (अ) तारीख 9.9.2003, और अधिसूचना संख्या का.आ. 717 तारीख

	25.02.2005 के माध्यम से अनुवर्ती संशोधन, अधिसूचना संख्या का.आ. 612 तारीख 15.02.2007, अधिसूचना संख्या का.आ. 1519 (अ) तारीख 16.6.2008, अधिसूचना संख्या का.आ. 2714 (अ) तारीख 28.10,2009, अधिसूचना संख्या का.आ. 143 (अ) तारीख 21.01.2011 और अधिसूचना संख्या का.आ. 497 (अ) तारीख 10.3.2011।
फलों / सब्जियों के उत्पाद	आदेश संख्या का.आ. 3352 (अ) और का.आ. 3353 (अ), दोनों की तारीख 28.10.2016
फीड एडिटिव्स और प्री-मिक्सचर	आदेश संख्या का.आ. 3523 (अ) और अधिसूचना संख्या का.आ. 3524, दोनो की तारीख 28 नवंबर, 2013
शहद	आदेश संख्या का.आ. 276 (अ) तारीख 04.03. 2002 और अधिसूचना संख्या का.आ. 277 (अ) तारीख 04.03.2002 और अधिसूचना संख्या का.आ. 1444 तारीख 19.12.2003, अधिसूचना संख्या का.आ. 1245 तारीख 14.05.2004 और अधिसूचना संख्या का.आ. 1581 तारीख 16.06.2008 के माध्यम से अनुवर्ती संशोधन
दुग्ध उत्पाद	आदेश संख्या 2719 तारीख 28.11.2000 और अधिसूचना संख्या का.आ. 2720 तारीख 28.11.2000 और अधिसूचना संख्या का.आ. 3719 तारीख 12.11.2002, अधिसूचना संख्या का.आ. 999 (अ) तारीख 13.9.2004, अधिसूचना संख्या का.आ. 1397 तारीख 24.4.2007, अधिसूचना संख्या का.आ. 712 तारीख 25.02.2005 और अधिसूचना संख्या का.आ. 1515 तारीख 16.06.2008 के माध्यम से अनुवर्ती संशोधन।
मूंगफली और मूंगफली उत्पाद	वाणिज्य विभाग का पत्र, तारीख 16 मई, 2013
प्रसंस्कृत मांस और मांस उत्पाद	आदेश संख्या का.आ. 2680 तारीख 22.9.1995 और अधिसूचना संख्या का.आ. 2681 तारीख 22.9.1995.
कच्चा मांस (चिल्ड / फ्रोजन)	आदेश संख्या का.आ. 203 तारीख 15.01.1993 और अधिसूचना संख्या का.आ. 204 तारीख 15.01.1993 और अधिसूचना संख्या का.आ. 205 तारीख 25.01.1993, अधिसूचना संख्या का.आ. 1989 तारीख 03.9.1993 और का.आ. 2221 तारीख 04.10.1993 के माध्यम से अनुवर्ती संशोधन।
गैर- बासमती चावल	डीजीएफटी की अधिसूचना संख्या 29/2015-2020 तारीख 04.11.2019.

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझौता–ज्ञापन (एमओयू) / परस्पर संबंध समझौते (एमआरए)

बांग्लादेश और मलेशिया (पशुचिकित्सा सेवा विभाग – डीवीएस और जाबतान केमाजुआं इस्लाम मलेशिया – जेएकेआईएम) के प्रतिनिधिमंडल का दौरा

भारतीय जिलेटीन और दुग्ध यूनिटों के निरीक्षण के लिए मलेशिया के प्रतिनिधिमंडल (डीवीएस और जेएकेआईएम) ने दिनांक 23 से 26 अप्रैल, 2019 तक निर्यात निरीक्षण एजेंसियों (ईआईए) का दौरा किया।

दिनांक 19 जुलाई, 2019 को बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल द्वारा निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) के दौरे के दौरान ईयू–जीएसपी के रेक्स सिस्टम के संबंध में चर्चा सत्र का आयोजन किया गया।

ईआईसी और जीएसीसी, चीन द्वारा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर

जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (जीएसीसी) और निर्यात निरीक्षण परिषद के बीच 08 मई 2019 को भारतीय स्पेंट चिली के आयात पर सैनिटरी और फाइटोसैनेटरी रेगुलेशन संबंधी प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किये गये।

खाद्य और औषधि सुरक्षा मंत्रालय, कोरिया का दौरा

खाद्य और औषधि सुरक्षा मंत्रालय (एमएफडीएस) कोरिया के प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 23 सितंबर से 03 अक्टूबर, 2019 के दौरान मत्स्य उत्पाद प्रसंस्करण संस्थानों के स्थल निरीक्षण के लिए भारत का दौरा किया।

जीएसीसी चीन के प्रतिनिधिमंडल का दौरा

जीएसीसी चीन के प्रतिनिधिमंडल ने इंदौर में भारतीय सोयाबीन अनाज प्रसंस्करण संस्थानों; और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को सोयाबीन अनाज के बाजार में पहुंच के लिए मुंबई में बंदरगाह और संगरोध सुविधाओं का निरीक्षण करने के लिए 16 से 23 अक्टूबर 2019 तक भारत का दौरा किया।

निर्यात संवर्धन तंत्र

निर्यातकों के बीच बेहतर व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए, ईआईसी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करता है और निर्यातकों के लिए आउटरीच कार्यक्रम भी आयोजित करता है। ईआईसी भारत से सुरक्षित और समर्थ निर्यात से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में एक महत्वपूर्ण हितधारक रहा है।

खाद्य सुरक्षा और अनुप्रयुक्त पोषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी–एफएसएएन) का उद्घाटन 22 सितंबर 2019 को निर्यात निरीक्षण एजेंसी, मुंबई में किया गया। यह प्रशिक्षण केंद्र निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा वैश्विक खाद्य सुरक्षा भागीदारी (जीएफएसपी), जो कि विश्व बैंक की एक पहल है, के सहयोग से स्थापित किया गया है। यह सुविधा खाद्य श्रृंखला, जिसमें विभिन्न खाद्य व्यवसाय संचालक (एफबीओ), निर्यातक आदि शामिल हैं, में विभिन्न हितधारकों के लिए खाद्य सुरक्षा के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगी। आईटीसी–एफएसएएन में प्रशिक्षण सुविधा विशेषज्ञ (एचओटी) सार्क और आसियान देशों सहित भारत और विदेशों के प्रयोगशाला कर्मियों को भोजन में अवशिष्टों और सं

यूरोपीय संघ को चावल का निर्यात

यूरोपीय संघ के निर्यात किए जाने वाले गैर–बासमती चावल के संबंध में कीटनाशकों के अवशिष्टों के कारण उनकी अस्वीकृति के समाधान के लिए, बासमती चावल के अनुरूप, उनके प्रेषण पूर्व निरीक्षण का आरम्भ किया गया है। दिनांक 04 नवंबर, 2019 से यूरोपीय संघ के देशों को चावल (बासमती या गैर–बासमती) के निर्यात के लिए ईआईसी / ईआईए से "निरीक्षण प्रमाण पत्र" प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

पारदर्शिता, सार्वजनिक सुगमता तथा संबद्ध गतिविधियां

ईआईसी में, निरीक्षण और प्रमाणन के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार की प्रणालियाँ लागू की जा रही हैं अर्थात् प्रणाली अप्रोच और खेप वार निरीक्षण। इनका विवरण नीचे दिया गया हैं:

क) खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली आधारित प्रमाणन (एफएसएमएससी)

एचएसीसीपी / जीएमपी / जीएचपी पर आधारित खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के अनुरूप प्रसंस्करण इकाइयाँ, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली आधारित प्रमाणन के तहत अनुमोदित हैं। इसके अतिरिक्त, उनके द्वारा प्राथमिक उत्पादन नियंत्रणों और आयात करने वाले देशों द्वारा निर्दिष्ट उत्पाद अपेक्षाओं को पूरा किया जाना भी अपेक्षित है। वर्तमान में, इस प्रकार की प्रणाली अनेक खाद्य उत्पादों में संवर्धित और कार्यान्वित की जा रही है। मछली और मछली उत्पादों, दुग्ध उत्पादों, कुक्कुट मांस और कुक्कुट मांस उत्पादों, अंडा उत्पादों के मामले में, भारत सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया है कि इन उत्पादों को केवल इस प्रणाली के तहत कवर की गई अनुमोदित इकाइयों से निर्यात किया जा सकता है। कुछ खाद्य उत्पादों, जैसे काली मिर्च, बासमती चावल, शहद, आदि में भी इस प्रणाली को स्वैच्छिक आधार पर या आयात करने वाले देश की अपेक्षाओं के अनुसार अपनाया जा रहा है।

एफएसएमएससी आधारित प्रमाणीकरण में, प्रोसेसर की प्राथमिक जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि निर्यातों के लिए आशयित उत्पादों को उत्पादन, भंडारण और परिवहन के सभी चरणों में उचित स्वच्छता शर्तों के तहत संचालित/प्रसंस्कृत किया गया है ताकि नियमों के तहत निर्दिष्ट सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके और उत्पाद, ऑर्डर में दिए गए विनिर्देशों के अनुरूप हों। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, जांच करने और आवश्यक रिकॉर्ड रखने की अपनी स्वयं की प्रणाली की तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए संयंत्रों की जरूरत है। अधिसूचना अपेक्षाओं के अनुसार प्रसंस्करण संयंत्र द्वारा किए गए अनुपालन को सत्यापित करने के लिए ईआईए आवश्यक हैं।

ख) खेप–वार निरीक्षण प्रणाली (सीडब्ल्यूआई):

खेप–वार निरीक्षण के तहत, ईआईए द्वारा निर्यात खेप का निरीक्षण और परीक्षण किया जाता है। सांख्यिकीय नमूनाकरण योजनाओं के आधार पर, निर्धारित अंतराल पर नमूने लिए जाते हैं और निर्दिष्ट मानकों के अनुसार उत्पादों की अनुरूपता के सत्यापन के लिए उनका परीक्षण किया जाता है। कुछ अधिसूचित वस्तुओं जैसे – बासमती चावल, दुग्ध उत्पाद, शहद, फ़ीड एडिटिव्स और प्री–मिक्सचर्स, फलों के उत्पाद के लिए भी इस प्रकार के निरीक्षणों की पेशकश की जाती है। स्वैच्छिक प्रमाणन योजना के तहत भी सीडब्ल्यूआई की पेशकश की जाती है।

ईआईसी, पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य करता है और अपने क्षेत्रीय संगठनों को भी इसी पद्धति के अनुसार कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ईआईसी में इसका स्वयं का सतर्कता विभाग है जिसमें शिकायतों का समाधान केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। प्रत्येक वर्ष ईआईसी और ईआईए में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता हैं। इसके अलावा, निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) और उसके क्षेत्रीय संगठन निर्यात निरीक्षण एजेंसियां (ईआईए) पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई अधिनियम, 2005) की अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध हैं।

XI. लॉजिस्टिक सेक्टर

लॉजिस्टिक्स प्रभाग का सृजन कार्य व्यापार नियम में संशोधन करते हुए देश में लॉजिस्टिक क्षेत्र के समेकित विकास और लॉजिस्टिक लागत में कटौती करने के अधिदेश के साथ जुलाई 2017 में किया गया है। उक्त अधिदेश के लिए, यह प्रभाग, फ्रेट लॉजिस्टिक्स में विनियामक, अवसंरचनात्मक या सेवा संबंधी बाधाओं का पता लगाने तथा उद्योग–जगत को संबद्ध करके और अंतर–मंत्रालयीय समन्वय, कार्यनिष्पादन और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना और सेवाओं की दक्षता की निगरानी, अंतर–साधन के संवर्धन के लिए अवसंरचना और नीति/विनियामक हस्तक्षेपों की एक समेकित प्रणाली के सृजन और सभी पद्धतियों में कौशल अपेक्षाओं के अभिनिर्धारण के माध्यम से इन्हें सुकर बनाने का कार्य कर रहा है। यह प्रभाग लॉजिस्टिक्स मूल्य श्रृंखला में डिजिटलीकरण को अपनाए जाने का संवर्धन कर रहा है और बढ़ावा भी दे रहा है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां:

- भारत ने विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट में अपनी

रैंक में सुधार किया है जो कि वर्ष 2015 में 134 थी और वर्ष 2019 में 63 हो गई तथा सीमा पार व्यापार में भी रैंक में सुधार किया है जो 2015 में 128 थी और वर्ष 2019 में 68 हो गई।

- समुद्री बंदरगाहों पर औसत प्रतीक्षा समय में सुधार हुआ है। आयात के लिए जेएनपीटी क्षेत्र में औसत प्रतीक्षा समय जनवरी, 2018 के 32.35 घंटे से बेहतर होकर जनवरी, 2019 में 22.6 घंटे हो गया है।
- 34 योग्यता पैक विकसित किए गए और लॉजिस्टिक कौशल परिषद के सहयोग से इन्हें अंतिम रूप दिया गया है। यह पहली बार है जब इस तरह के योग्यता पैक विकसित किए गए हैं।
- सभी प्रमुख बंदरगाहों में पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम (पीसीएस 1ग) शुरू किया गया है। शिपिंग मंत्रालय के साथ समन्वय में लॉजिस्टिक्स प्रभाग द्वारा पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम का संचालन और व्यापक आधार प्रक्रियाधीन है। बड़ी संख्या में हितधारक पहले से ही शामिल थे। सिस्टम को आईसीईजीएटीई के साथ एकीकृत किए जाने के लिए तैयार किया गया है।
- पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम में वाहन बुकिंग और गेट ऑटोमेशन मॉड्यूल विकसित किया गया है जिससे बंदरगाह पर प्रतीक्षा समय को कम करने में सहायता करने की संभावना है।
- निजी भागीदारी के माध्यम से खाद्य अपव्यय को कम करने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय कृषि जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता के लिए अनुकूल बनाई गई शीत श्रृंखला अवसंरचना के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के विकास के मुद्दे पर हितधारकों के साथ परामर्श किया गया।
- माल की आवाजाही के लिए तटीय शिपिंग, जो कि सड़क और रेल संचालन की तुलना में एक वातावरण–अनुकूल और लागत प्रभावी विकल्प है, के विकास के लिए, यह प्रभाग, शिपिंग मंत्रालय के साथ परामर्श कर रहा है।
- कनेक्टिविटी, परिवहन और लॉजिस्टिक को बढ़ावा देने के लिए, कजाकिस्तान के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया गया, इस बैठक का आयोजन दोनों देशों के बीच तुर्कमेनिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान से होते हुए माल परिवहन को बढ़ावा देने की संभावना का पता लगाने के लिए किया गया था।
- अनेक सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में छूट और सुधार किया गया है। घरेलू कंटेनरों को अब एक्जिम कार्गो के लिए उपयोग करने की अनुमति दी गई है, इसी प्रकार विदेशी कंटेनरों को घरेलू सामान ले जाने की अनुमति दी गई है।
- साझेदार सरकारी एजेंसियों (पीजीए) के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) का विकास प्रक्रियाधीन है।
- वर्ष 2019 के लिए लॉजिस्टिक इज़ एक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (एलईएडीएस) रिपोर्ट जारी की गई है जो लॉजिस्टिक्स में राज्यों के प्रदर्शन का आकलन करती है। रिपोर्ट में राज्यों को सामान्य मानदंडों के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है।
- कस्टम क्लीयरेंस को आसान बनाने के लिए तुरंत कस्टम्स शुरू किए गए हैं।
- सभी कंटेनरों पर अब आरएफआईडी टैग लगाया जा रहा है ताकि सभी एक्जिम कार्गो के लिए ट्रैक और ट्रेस सेवा उपलब्ध हो सके।

XII. राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) न्यास

- भारत से प्रोजेक्ट निर्यात, जो सामरिक एवं राष्ट्रीय महत्व के हैं, को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने 2006 में एनईआईए न्यास का गठन किया। इस न्यास की स्थापना 66 करोड़ के शुरुआती कॉर्पस के साथ की गई थी। अधिक प्रोजेक्ट निर्यात का समर्थन करने के लिए, भारत सरकार द्वारा अधिक बजटीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया और वित्त वर्ष 2017–18 से वित्त वर्ष 2019–20 की अवधि के दौरान 1040 करोड़ रूपये उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की गई। तदनुसार, एनईआईए ट्रस्ट को वित्त वर्ष 2017–18 में 440 करोड़ रूपये, वित्त वर्ष 2018–19 में 300 करोड़ रूपये और वित्त वर्ष 2019–20 में 300 करोड़ रुपये अनुदान सहायता के रूप में रिलीज किए गए। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार से प्राप्त अंशदान से कार्पस 31 अक्तूबर 2019 तक की स्थिति के अनुसार बढ़कर 3978.8 करोड़ रुपए हो गया है।
- प्रोजेक्ट निर्यात के लिए अपने कवर के माध्यम से, एनईआईए, भारतीय प्रोजेक्ट निर्यातकों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनने तथा सामरिक दृष्टि से राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों में दृढ़ता से स्थापित होने में मदद करता है। सफल प्रोजेक्ट निर्यात, विदेश में प्रोजेक्ट के निष्पादन में भारत की क्षमता पर स्थायी प्रत्यक्ष प्रभाव को सक्षम बनाता है।
- एनईआईए ने अब तक 43 देशों में 54 निर्यातकों की 47,903 करोड़ रुपए मूल्य की 154 परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं एवं विकलांगों के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम

वाणिज्य विभाग अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण तथा अन्य कल्याणकारी उपायों से संबंधित भारत सरकार के निर्देशों के समुचित कार्यान्वयन के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों एवं वस्तु बोर्डों के साथ संपर्क स्थापित करता है।

वाणिज्य विभाग में दो अलग अलग संपर्क अधिकारी (एक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / विकलांग व्यक्तियों के लिए और दूसरा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए) काम कर रहे हैं। संपर्क अधिकारी सुनिश्चित करें अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / ओबीसी श्रेणी के कर्मचारियों की शिकायतों के शीघ्रता से निस्तारण का सुनिश्चय करते हैं तथा इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि आरक्षित श्रेणियों को ग्राह्य विभिन्न लाभ विभाग के सहायक संगठनों द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

31 अक्टूबर, 2019 तक की स्थिति के अनुसार वाणिज्य विभाग (सम्यक) तथा इसके सहायक संगठनों में सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या तथा अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों / विकलांग व्यक्तियों की संख्या अनुबंध 'क' में दी गई है। इस विभाग से संबंध विभिन्न संगठनों द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों का विवरण आने वाले पैराओं में दिया गया है।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

1) पीईसी लिमिटेड

पीईसी के अंदर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में सभी सरकारी निर्देशों / अनुदेशों का विधिवत रूप से अनुपालन किया जाता है। कर्मचारी संवर्ग के लिए पीईसी में एक समय वेतनमान पदोन्नति स्कीम मौजूद है। अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति की अर्हक अवधि में पदोन्नति के प्रत्येक चरण पर एक साल की छूट प्रदान की जाती है। इसके अलावा, प्रधान कार्यालय में एक शिकायत रजिस्टर का अनुरक्षण किया जा रहा है। 2019–20 में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

2) एमएमटीसी लिमिटेड

31 अक्टूबर, 2019 की स्थिति के अनुसार एमएमटीसी में कुल 894 कर्मचारी (बोर्ड स्तर के कार्यपालकों एवं एमआईसीए कर्मचारियों सहित) थे, जिसमें से 191 (21.36 प्रतिशत) कर्मचारी अनुसूचित जाति, 91 (10.18 प्रतिशत) कर्मचारी अनुसूचित जनजाति और 96 (10.74 प्रतिशत) कर्मचारी अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के थे। कुल जनशक्ति में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व 20.69 प्रतिशत (185 कर्मचारी) है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ तथा संपर्क अधिकारी

कंपनी में एक अनुसूचित आरक्षण प्रकोष्ठ मौजूद है। आरक्षण तथा उनको ग्राह्य अन्य रियायतों से संबंधित सरकारी निर्देशों के आदेशों एवं अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कारपोरेट कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गए हैं।

छूटें / रियायतें

सीधी भर्ती में अजा / अजजा के उम्मीदवारों को आयु में 5 साल की छूट दी जाती है।

जहां तक विभागीय पदोन्नति का संबंध है, निम्नलिखित रियायतें दी जाती हैं :

(क) स्टाफ संवर्ग से अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति के लिए लिखित परीक्षा में अर्हक अंकों में 5 प्रतिशत की छूट।

(ख) कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए टंकण की परीक्षा में 5 शब्द प्रति मिनट तक की छूट,

(ग) वरिष्ठता सह उपयुक्तता के तहत कर्मचारी संवर्ग के अंदर पदोन्नति के लिए अर्हक अवधि में एक साल की छूट।

सीधी भर्ती एवं विभागीय पदोन्नति के लिए सभी चयन समितियों में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि को नामित किया जाता है।

प्रशिक्षण

उनके प्रकार्यात्मक एवं सॉफ्ट कौशलों को बढ़ाने के उद्देश्य से, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को समय – समय पर विभिन्न अंतर्गृह प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा संचालित कार्यक्रमों में भी नामित किया गया।

क्वार्टर का आबंटन

क्वार्टर के आवंटन में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को 'ख' श्रेणी के आवास के मामले में 10 प्रतिशत तक तथा 'ग' एवं 'घ' श्रेणी के आवास के संबंध में 5 प्रतिशत तक आरक्षण प्रदान किया जाता है।

बैठकें

कंपनी ने ''सुगठित बैठक स्कीम'' लागू की है जिसमें सेवा मामलों तथा कल्याण के उपायों पर चर्चा करने एवं इनसे जुड़े मुद्दों का समाधान करने आवधिक आधार पर प्रबंधन कर्मचारियों के विभिन्न प्रतिनिधि निकायों के साथ बैठक करता है। इस दर्शन की तर्ज पर कंपनी के सभी कार्यालयों में मिनरल्स एंड मेटल ट्रेडिंग कारपोरेशन अजा/अजजा कल्याण संघों तथा मिनरल्स एंड मेटल ट्रेडिंग कारपोरेशन अजा / अजजा संघों के परिसंघ के साथ आवधिक बैठक बुलाई जाती हैं।

3) मसाला बोर्ड

मसाला बोर्ड ने कर्मचारियों के कल्याण की देखभाल के लिए तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग समितियों का गठन किया है। मसाला बोर्ड ने अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित आरक्षण के मामलों के लिए एक संपर्क अधिकारी मनोनीत किया

5) नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग एवं ईडब्ल्यूएस के संबंध में सभी सरकारी निर्देशों / अनुदेशों का नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा विधिवत रूप से अनुपालन किया जाता है। कुल 66 कर्मचारियों के विरुद्ध नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 13, 3 और 10 है।

6) चाय बोर्ड

चाय बोर्ड भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों / अनुदेशों का पालन करते हुए अजा, अजजा, अपिव और ईडब्ल्यूएस के कल्याण के लिए अक्सर कार्यक्रम चलाता है।

7) आईटीपीओ

भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन में आरक्षण से संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया। अजा / अजजा / अपिव / ईडब्ल्यूएस के हितों की देखभाल करने के लिए संपर्क अधिकारी मनोनीत किए गए हैं। इन श्रेणियों के उम्मीदवारों के हितों की देखभाल करने के लिए विभागीय प्रदोन्नति / चयन समिति (डीपीसी / डीएससी) की प्रत्येक बैठक में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यक समुदाय के उपयुक्त स्तर के अधिकारियों को शामिल किया जाता है।

8) अपेडा

प्राधिकरण द्वारा अजा / अजजा / अपिव / ईडब्ल्यूएस श्रेणी के कर्मचारियों के कल्याण एवं विकास की अच्छी तरह देखरेख की जाती है।

9) ईसीजीसी

i. अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए भर्ती के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है।

ii. कंपनी में भर्ती एवं पदोन्नति के अंतर्गत सरकार की आरक्षण नीति पर प्रशिक्षण के लिए अजा / अजजा संघ के प्रतिनिधियों को नामित किया जाता है।

iii. अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों से संबंधित मामलों को देखने के लिए अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के लिए संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

iv. भारत सरकार के नियमों के अनुसार भर्ती एवं पदोन्नति में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को आरक्षण प्रदान किया जाता है।

v. उम्मीदवारों / कर्मचारियों की भर्ती / पदोन्नति के लिए गठित पैनलों में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के कम से कम एक सदस्य की नियुक्ति की जाती है।

vi. ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों की भर्ती के लिए भारत सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाता है।

vii. ओबीसी श्रेणी के कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित मामलों को देखने के लिए ओबीसी श्रेणी के लिए संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

viii. भर्ती के पैनलों में ओबीसी श्रेणी के सदस्यों के मनोनयन पर समुचित रूप से ध्यान दिया जाता है।

10) रबर बोर्ड

रबर बोर्ड ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों की शिकायतों को अटेंड करने के लिए संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की। संपर्क अधिकारी शिकायतों / परिवादों को दाखिल करने के लिए सांविधिक रजिस्टर तैयार करता है। रबर बोर्ड ऐसी शिकायतों, यदि कोई हों, की आवधिक आधार पर निगरानी करता है और ऐसी शिकायतों का समय से निस्तारण करता है।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों द्वारा संपर्क अधिकारी की सेवाओं का कारगर ढंग से उपयोग किया जा रहा है, जब भी उनकी कोई शिकायत / परिवाद होता है।

विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम

विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 (1) अन्य बातों के साथ यह कहती है कि प्रत्येक उपयुक्त सरकार प्रत्येक सरकारी स्थापना में न्यूनतम निर्धारित विकलांगता वाले व्यक्तियों से भरे जाने पदों के प्रत्येक समूह में संवर्ग स्ट्रेंथ में रिक्तियों की कुल संख्या का कम से कम 4 प्रतिशत नियुक्त करेगी जिसमें से प्रत्येक का 1 प्रतिशत खंड (क), (ख) और (ग) के तहत न्यूनतम निर्धारित विकलांगता वाले व्यक्तियों और 1 प्रतिशत खंड (घ) और (ड.) के तहत न्यूनतम निर्धारित विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगा, अर्थात :

(क) दृष्टिहीनता या कम दिखना;

(ख) मूक तथा कम सुनाई देना;

(ग) प्रमस्तिष्क पक्षाघात, उपचारित कुष्ठरोग, बौनापन, एसिड हमला पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित लोकोमोटर अपंगता;

(घ) ऑटिज्म, बौद्धिक अपंगता, विशिष्ट अधिगम अपंगता एवं मानसिक बीमारी;

(कृ) खंड (क) से (घ) के तहत व्यक्तियों में से अनेक विकलांगता जिसमें प्रत्येक अपंगता के लिए चिह्नित पदों में मूक – दृष्टिहीनता शामिल है।

विकलांग व्यक्तियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश हैं ताकि विकलांग व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त कार्य स्थल को सुगम्य बनाया जा सके। विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016) की धारा 23(1) के अनुपालन में वाणिज्य विभाग में एक शिकायत निवारण अधिकारी का मनोनयन किया गया है। 31 अक्टूबर, 2019 तक की स्थिति के अनुसार वाणिज्य विभाग (सम्यक) तथा इसके सहायक संगठनों में विभिन्न श्रेणियों में विकलांग व्यक्तियों की कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण अनुबंध 'ख' में दिया गया है।

1) पीईसी लिमिटेड

पीईसी में विकलांग व्यक्तियों के संबंध में सभी सरकारी निर्देशों / अनुदेशों का विधिवत रूप से अनुपालन किया जाता है। कर्मचारी संवर्ग के लिए पीईसी में एक समय वेतनमान पदोन्नति स्कीम मौजूद

है। विकलांग श्रेणी के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति की अर्हक अवधि में पदोन्नति के प्रत्येक चरण पर एक साल की छूट प्रदान की जाती है। इसके अलावा, प्रधान कार्यालय में एक शिकायत रजिस्टर का अनुरक्षण किया जा रहा है। आज तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

2) एमएमटीसी

कार्यालय परिसर में आना और जाना सुगम बनाने के उद्देश्य से विकलांग व्यक्तियों के लिए रैंप की व्यवस्था की गई है। विकलांग कर्मचारियों की विकलांगता को ध्यान में रखकर उनकी तैनाती की जाती है ताकि वे अपना काम दक्षता के साथ पूरा कर सकें। कार्यालय भवनों में श्रव्य सिगनल हैं जो फ्लोर की घोषणा करते हैं। इनमें से कुछ में ब्रेल पद्धति में फ्लोर पहचान बटन लगे हैं।

3) मसाला बोर्ड

विकलांग व्यक्तियों की शिकायतों एवं आरक्षण के मामलों को देखने के लिए मसाला बोर्ड ने एक संपर्क अधिकारी नामित किया है। इस वर्ष के दौरान विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पदों की पहचान करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया गया है। निदेशक (वित्त) को समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है तथा विकलांग श्रेणी के एक समूह ख अधिकारी सहित इसके चार अन्य सदस्य हैं।

4) नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

इस कार्यालय में कोरिडोर, रिसेप्शन, शौचालय, हैंडरेल के साथ सीढ़ी आदि जैसी विशेषताएं पहले से ही हैं जो विकलांग व्यक्तियों के लिए सुगम्य हैं। हाल ही में परिसर में ब्रेल लिपि में अनुदेश के साथ लिफ्टें भी लगाई गई हैं। इसके अलावा, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट व्यवस्था के साथ परिसर में जन सुविधाओं का नंबर 6 भी निर्मित कराया गया है।

5) चाय बोर्ड

चाय बोर्ड भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों / अनुदेशों का पालन करते हुए विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए अक्सर कार्यक्रम चलाता है।

6) आईटीपीओ

भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन में आरक्षण से संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया। विकलांग व्यक्तियों के हितों की देखभाल करने के लिए संपर्क अधिकारी मनोनीत किए गए हैं। विकलांग व्यक्तियों के लिए पदों / सेवाओं में आरक्षण के संबंध में विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में निहित प्रावधानों का भी पालन किया गया है।

7) रबर बोर्ड

रबर बोर्ड ने विकलांग व्यक्तियों की शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की। संपर्क अधिकारी शिकायतों / परिवादों को दर्ज करने के लिए सांविधिक रजिस्टर रखता है और बोर्ड समय समय पर ऐसी शिकायतों, यदि कोई हो, की निगरानी करता है तथा उनका समय से निस्तारण करता है। बोर्ड प्रख्यात विकलांग व्यक्तियों के भाषणों का आयोजन करके हर साल 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस मनाता है तथा बोर्ड के ऐसे सभी कर्मचारियों को सम्मानित करता है जो विकलांग हैं। बोर्ड विकलांग कर्मचारियों के अबाध मूवमेंट के लिए रैंप तथा लिफ्ट की सुविधा भी प्रदान करता है। दृष्टि विकलांग कर्मचारियों को ईपीएबीएक्स के प्रचालन के लिए रखा जाता है।

8) अपेडा

सरकार के मानदंडों के अनुसार, सभी ग्रेडों में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण कुल संख्या का 4 प्रतिशत है। वर्तमान में कर्मचारियों की कुल संख्या 84 है जिसमें से 2 कर्मचारी शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी से हैं। अपेडा ने विकलांग व्यक्तियों के कल्याण का पूरा ध्यान रखा है। कार्यालय के अंदर आने और जाने के लिए अपेडा ने एक कर्मचारी को मोटर चालित ह्वील चेयर प्रदान किया है। इसके अलावा, उनको नियमों के अनुसार सभी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। अब तक उनसे एक भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

महिलाओं के कल्याण के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम

वाणिज्य विभाग में एक स्वतंत्र महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया है जिसके कार्य मोटेतौर पर निम्नलिखित हैं :

(क) महिलाओं के कल्याण एवं आर्थिक सशक्तीकरण से जुड़े मामलों तथा अन्य संबद्ध मुद्दों के संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

(ख) वाणिज्य विभाग की योजनागत स्कीमों तथा अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा करना और यह सुनिश्चित करना की कार्यक्रमों / स्कीमों के माध्यम से महिलाओं के कल्याण, विकास एवं सशक्तीकरण से जुड़े पहलुओं का संवर्धन किया जाता है।

(ग) राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति की तर्ज पर महिलाओं के समग्र विकास से संबंधित कार्य योजनाएं तैयार करना।

(घ) कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम एवं प्रतितोष। वाणिज्य विभाग, इसके संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालयों, पीएसयू, स्वायत्त निकायों आदि में शिकायत समिति का गठन, उनके निष्पादन की निगरानी करना और आवश्यक मदद व मार्गदर्शन प्रदान करना।

(ङ) महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह के साथ जागरूकता सप्ताह मनाना।

(च) इस विषय से संबंधित अन्य अनुषांगिक मामले।

1) पीईसी लिमिटेड

पीईसी लिमिटेड एक छोटा संगठन है जिसमें 31 अक्टूबर, 2019 तक की स्थिति के अनुसार कुल 69 कर्मचारी हैं जिसमें से 14 महिलाएं हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4 (1) के प्रावधानों के अनुपालन में, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारण और प्रतितोष के लिए पीईसी में एक आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया गया है। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पीईसी में महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न के निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष के लिए एक व्यापक नीति अपनाई गई है।

वर्ष के दौरान, किसी भी कर्मचारी से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

2) एमएमटीसी लिमिटेड

क) एमएमटीसी में महिला कल्याण से जुड़े कार्य राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति के विस्तृत दिशानिर्देशों तथा सार्वजनिक क्षेत्र में महिला मंच (डब्ल्यू आई पी एस) के उद्देश्यों से चुने जाते हैं। एमएमटीसी इस मंच में अपने महिला कर्मचारियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। एमएमटीसी के एक महाप्रबंधक, जो महिला अधिकारी है, डब्ल्यूआईपीएस अपेक्स के महासचिव हैं। अनेक अन्य महिलाएं डब्ल्यूआईपीएस की सदस्य हैं।

ख) अन्य कल्याणकारी गतिविधियों के तहत महिला कर्मचारियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच शामिल है। एमएमटीसी में पदोन्नति नीति के तहत हर स्तर से बोर्ड स्तर तक योग्य एवं मेधावी उम्मीदवारों के चयन के लिए समान अवसर दिया जाता है तथा इस संबंध में जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है।

ग) कार्यस्थल पर महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए कॉरपोरेट कार्यालय में तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में भी एक सक्रिय शिकायत समिति है। यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत दर्ज कराने के लिए महिला कर्मचारी शिकायत समिति से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होती हैं। समय – समय पर महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत उनके अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करने के प्रयास किए जाते हैं। घनिष्ठ निगरानी के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों से महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों की मासिक रिपोर्ट भी प्राप्त की जाती है।

घ) एमएमटीसी द्वारा कार्य एवं व्यवहार के संबंध में आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिलाओं के अच्छे प्रतिनिधित्व का सुनिश्चय किया जाता है।

(3) मसाला बोर्ड

कठिनाइयों / समस्याओं, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए या संभावित समाधानों के लिए सुझावों के साथ उनको उच्च प्राधिकारियों की जानकारी में लाने के लिए बोर्ड की एक महिला अधिकारी को ''महिला कल्याण अधिकारी'' के रूप में नियुक्त किया गया है। महिला कर्मचारियों की शिकायतों पर भी शीघ्रता से एवं समुचित ढंग से ध्यान दिया जाता है।

4) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय

महिलाओं के मामलों को देखने के लिए एक महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

5) नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अनुसरण में, एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है जिसका प्रमुख एक महिला अधिकारी हैं तथा 2 महिला सदस्य हैं जिसमें एक महिला एनजीओ सदस्य शामिल है।

6) अपेडा

अपेडा ने कार्यस्थल पर महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति में महिला अधिकारियों को भी शामिल किया गया है।

7) ईसीजीसी

i. महिला दिवस के अवसर पर कैंसर जांच कैंप और कैंसर जागरुकता पर सेमिनार आदि सहित महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

ii. नेतृत्व विकास कार्यक्रम के लिए डब्ल्यूआईपीएस (सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाएं) द्वारा संचालित कार्यक्रमों / सेमिनारों / कार्यशालाओं के लिए महिला कर्मचारियों को मनोनीत किया जाता है।

iii. कार्यस्थल पर उत्पीड़न से संबंधित मामलों से निपटने के लिए आंतरिक शिकायत समितियां गठित की गई हैं।

iv. भर्ती एवं पदोन्नति के लिए गठित पैनलों में महिला सदस्यों को मनोनीत पर समुचित रूप से ध्यान दिया जाता है।

v. प्रमोशन पैनल / सरकारी प्रशिक्षण में भाग लेते समय दो साल से कम आयु के बच्चों वाली महिला कर्मचारियों की पात्रता के अनुसार एक बच्चे और एक परिचर के लिए उनके द्वारा किए गए यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की योजना 2019 में शुरू की गई है।

vi. ईसीजीसी लिमिटेड के महिला कर्मचारियों के लिए शिशु के दो साल की आयु का होने तक करों को छोड़कर 5000 रुपए प्रतिमाह की सीमा तक क्रेच व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए योजना शुरू की गई है।

vii. ईसीजीसी लिमिटेड के महिला कर्मचारियों के लिए उनके बच्चे की आयु 2 साल होने तक महिला कर्मचारियों को दो दिन की विशेष छुट्टी प्रदान करने की योजना शुरू की गई है।

8) रबर बोर्ड

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के कानून के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाता है जिसमें एक बाहरी सदस्य सहित चार सदस्य होते हैं, जो समाज कार्य में निपुण होता है (रबर बोर्ड की वेबसाइट पर ब्यौरे प्रकाशित किए गए हैं)। समिति की हर तिमाही में बैठक हो रही है तथा अभी तब कोई शिकायत संदर्भित नहीं की गई है।

पारदर्शिता, सार्वजनिक सुगमता तथा संबद्ध गतिविधियां

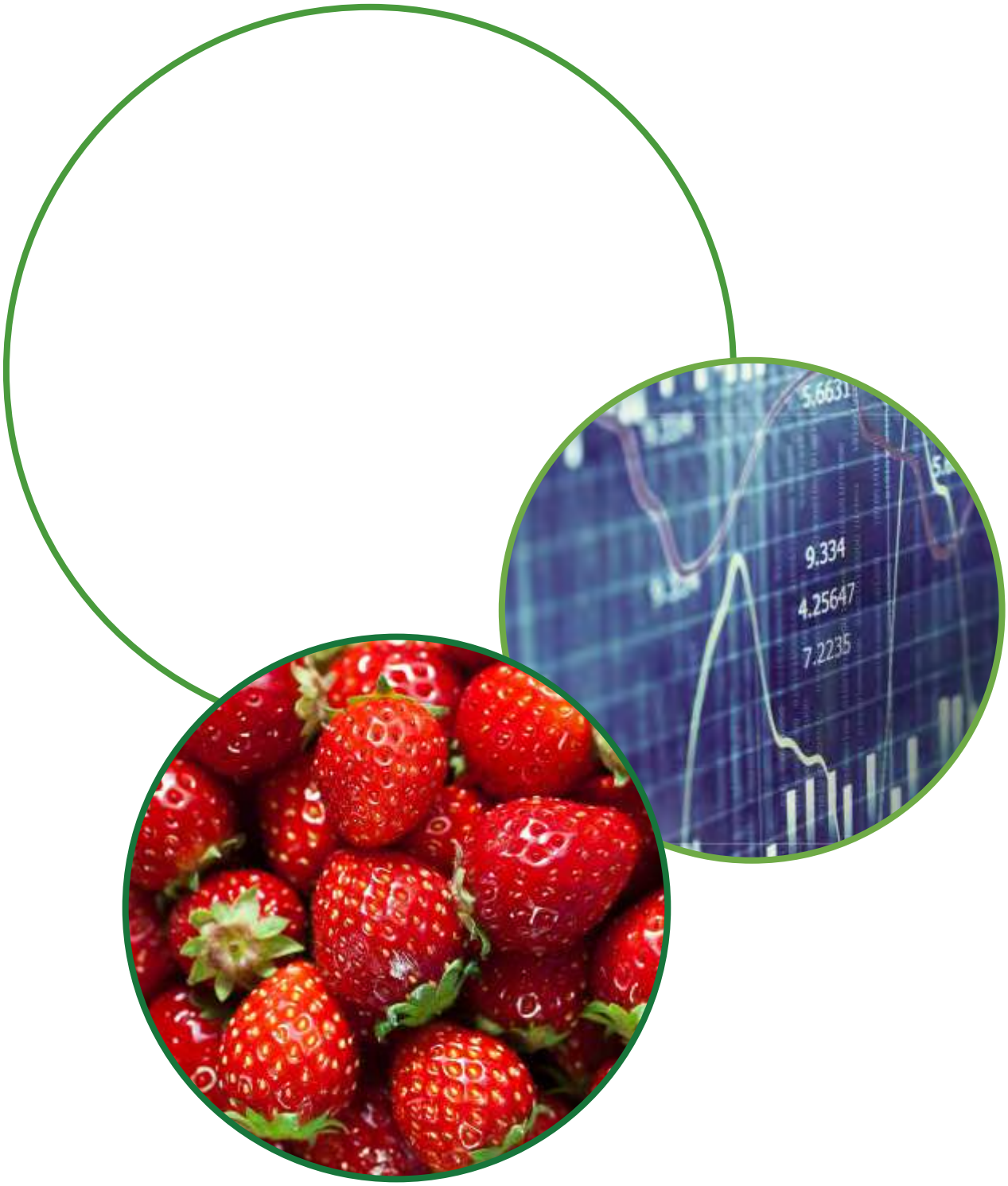

नागरिक चार्टर

वाणिज्य विभाग व्यापार जगत एवं आम जनता के साथ अपने संव्यवहार में निष्ठा और विवेक, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ तथा शिष्टाचार एवं समझ से कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। नागरिकों को सभी सेवाएं एवं प्रतिबद्धताएं सर्वाधिक प्रभावी एवं कारगर ढंग से प्रदान की जाएंगी।

वाणिज्य विभाग सार्वजनिक लाभ को अधिकतम करने के लिए विदेश व्यापार नीति की प्रक्रियाएं विकसित करने का प्रयास करेगा तथा भूमंडलीकृत एवं उदारीकृत अर्थव्यवस्था के संदर्भ में लागू नियमों के तहत विभिन्न अपेक्षाओं को सरल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम अपने ग्राहक समूहों से निरंतर परामर्श करेंगे और विभाग के लिए संगत कानून एवं प्रक्रियाओं में सभी परिवर्तनों का समय पर प्रचार करेंगे। प्रदान की गई सेवाओं के मानक : –

क्र. सं.	सेवाएं / लेनदेन	अधिकतम समय सीमा
1.	एमएआई स्कीम के तहत वित्तीय सहायता के अनुदान के लिए अनुमोदन	ई एंड एमडीए प्रभाग में प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से 90 दिन
2.	निर्यात व्यापार अवसंरचना स्कीम (टी आई ई एस) के तहत परियोजनाओं के संबंध में वित्तीय सहायता के अनुदान के लिए अनुमोदन	पूर्ण दस्तावेजों की उपलब्धता और निधियों की उपलब्धता के अधीन पहली किस्त जारी करने के लिए आवेदन की प्राप्ति से 90 दिन।
3.	विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित करने के लिए अनुमोदन	i. राज्य सरकार की सिफारिशों तथा पूर्ण दस्तावेजों की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के अंदर मामलों को अनुमोदन बोर्ड (बी ओ ए) के समक्ष रखना, ii. सुरक्षा क्लीयरेंस के अधीन , अनुमोदन बोर्ड (बी ओ ए) से अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन के अंदर मंजूरी पत्र जारी करना
4.	<u>सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005</u> I. सूचना प्रदान करना या आरटीआई अधिनियम, 2005 में निर्दिष्ट किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करना II. आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत की गई अपीलों का निस्तारण	I. आरटीआई अधिनियम, 2005 में निर्धारित समय सीमा के अंदर II. आरटीआई अधिनियम, 2005 में निर्धारित समय सीमा के अंदर
लोक शिकायत तंत्र		
5.	लोक शिकायतों का समाधान	60 दिन* (*पूर्ण बौयरों की प्राप्ति तथा शिकायत पर अंतिम निर्णय लेने वाले प्राधिकारी से प्रत्युत्तर प्राप्तहोने के अधीन) (# यदि अधिक समय लगने की संभावना होती है , तो शिकायतकर्ता को 60 दिन के अंदर अंतरिम जवाब के माध्यम से सूचित किया जाता है)।
6.	विदेश व्यापार महानिदेशालय आदि द्वारा पारित किए गए सांविधिक आदेशों के विरूद्ध की गई अपीलों पर अपील समिति द्वारा कार्रवाई करने के लिए	3 माह के अंदर टिप्पणी : यह अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों से पूर्ण ब्यौरों / दस्तावेजों की प्राप्ति के अधीन है।

लोक शिकायत

लोक शिकायत प्रकोष्ठ त्वरित निवारण के लिए वाणिज्य विभाग और इसके अधीन कार्यालयों के संबंध में आम जनता से प्राप्त शिकायतों का काम देखता है। सीपीजीआरएएमएस के अनुसार 01.04.2019 से 31.01.2020 की अवधि के दौरान 2308 जन शिकायतों (पीएमओ से प्राप्त जन शिकायतों सहित) का निस्तारण किया गया हैं। गेट नंबर 14, उद्योग भवन, नई दिल्ली में स्थित सूचना एवं सुविधा काउंटर पर एक शिकायत पेटी रखी गई है।

सतर्कता स्कंध (विंग)

विभाग का सर्तकता अनुभाग, जिसके प्रभागीय प्रमुख, संयुक्त सचिव एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी (जेएस एवं सीवीओ) है, निम्नलिखित कार्य करता है :

- आचरण नियमावली का कार्यान्वयन
- वार्षिक संपत्ति विवरणियों की प्रोसेसिंग
- मुख्य सतर्कता आयोग को सतर्कता संबंधी गतिविधियों पर मुख्य सतर्कता अधिकारी की मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना
- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को एक समेकित तिमाही रिपोर्ट भेजने के लिए सतर्कता मामलों की तिमाही सांख्यिकीय रिपोर्ट संकलित करना
- आचरण नियमावली के प्रावधान के तहत अनुज्ञप्ति प्रदान करने से संबंधित कार्य

सतर्कता अनुभाग निम्नलिखित गतिविधियों को भी संभालता है :

- संवेदनशील कार्यालयों का नियमित एवं औचक निरीक्षण करना
- ऐसी प्रक्रियाओं जिसने भ्रष्टाचार या कदाचार की निपटने की गुंजाइश हो, की पुनरीक्षा करना और उन्हें सरल बनाना तथा विभाग एवं इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में भ्रष्टाचार एवं कदाचारों को रोकना, उनका पता लगाने के लिए अन्य पहलें शुरू करना तथा भ्रष्ट आचरण के शास्ति लगाना
- विभाग में अवांछनीय क्रियाकलापों/व्यक्तियों की विजिट पर नजर रखना
- ''संदिग्ध निष्ठा'' वाले अधिकारियों की सूची/सहमत सूची तैयार करना और गैर संवेदनशील क्षेत्रों में उनकी तैनाती करना।

विभाग का सतर्कता अनुभाग भारतीय व्यापार सेवा के अधिकारियों तथा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, स्वायत्त निकायों तथा वस्तु बोर्डों में काम करने वाले बोर्ड स्तर पर नियुक्त व्यक्तियों के अनुशासनिक मामलों को देखता है, जबकि विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, स्वायत्त निकायों तथा वस्तु बोर्डों के गैर बोर्ड स्तरीय कर्मचारियों के मामलों की देखरेख संबंधित मुख्य सतर्कता अधिकारी / संगठन प्रमुखों द्वारा की जाती है।

संबंधित प्रशासनिक प्रभागों / संगठनों से प्राप्त तथ्यात्मक रिपार्टों के आधार पर व्यक्तियों तथा सी बी आई / सी वी सी / पी एम ओ आदि जैसे अन्य संगठनों से प्राप्त शिकायतों की जांच की जाती है। यदि आवश्यक होता है, तो शिकायत के गुण–दोष की जांच पड़ताल करने के लिए प्रारंभिक जांच की जाती है। यदि शिकायत में कोई सच्चाई होती है, तो नियमित विभागीय कार्रवाई की जाती है।

वर्ष 2019–20 के दौरान लगभग 105 अन्वेषण / जांच की गई तथा जांच की इन कार्यवाहियों के आधार पर संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, स्वायत्त निकायों तथा वस्तु बोर्डों एवं वाणिज्य विभाग में लगभग 26 मामलों में छोटी / बड़ी शास्ति लगाई गई।

अधिकारियों एवं कर्मचारियों में जागरूकता सृजित करने के लिए 28 अक्टूबर 2019 से 2 नवंबर 2019 की अवधि के दौरान कार्यशालाओं / संवेदीकरण कार्यक्रमों का आयोजन, शपथ ग्रहण, पंफलेट का निर्गम आदि के माध्यम से सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

पारदर्शिता, सार्वजनिक सुगमता तथा संबद्ध क्रियाकलाप – सूचना का अधिकार

- वाणिज्य विभाग (डीओसी) ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को लागू किया है तथा सभी आवश्यक प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं को विभाग की वेबसाइट पर डाला है।
- जो नागरिक आरटीआई आवेदन / अपील जमा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आते हैं उनकी सहायता के लिए, उनसे आवेदन / अपील प्राप्त करने के लिए गेट नंबर 14, उद्योग भवन, नई दिल्ली पर सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। इस समय विभाग में निदेशक / उप सचिव स्तर के 36 केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) तथा 16 प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) हैं, जो अपर सचिव / संयुक्त सचिव के स्तर के अधिकारी हैं जो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दाखिल प्रथम अपील (अपीलों) की सुनवाई करते हैं एवं निस्तारण करते हैं। श्री एच के शर्मा, अतिरिक्त महानिदेशक (एस) को वाणिज्य विभाग के पारदर्शिता अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।
- इसके अलावा, वाणिज्य विभाग के क्षेत्राधिकार में 31 लोक प्राधिकरण (पी ए) हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए इन सभी लोक प्राधिकरणों में उनके स्वयं के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीली प्राधिकारी हैं।
- अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 की अवधि के दौरान, इस विभाग के विभिन्न केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों / अपीली प्राधिकारियों द्वारा 757 आर टी आई आवेदनों का निस्तारण किया गया तथा 362 आवेदन अन्य लोक प्राधिकरणों को हस्तांतरित किए गए। इसी अवधि के दौरान, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 98 अपीलों का भी निस्तारण किया गया।
- अप्रैल, 2019 से सितम्बर, 2019 की अवधि के दौरान, इस विभाग के विभिन्न केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों द्वारा 567 अवेदनों का निस्तारण किया गया तथा 318 आवेदन अन्य लोक प्राधिकरणों को हस्तांतरित किए गए। इसी अवधि के दौरान, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 47 अपीलों का निस्तारण किया गया।

राजभाषा :

राजभाषा प्रभाग हिंदी के प्रगामी प्रयोग की निगरानी करता है तथा विभाग के सरकारी कामकाज में राजभाषा विभाग द्वारा प्रतिपादित

पर व्यापार विश्लेषिकी डैशबोर्ड को नया रूप दिया जा रहा है। यह प्रमुख वस्तुओं एवं देशों पर आधारित व्यापार आंकड़ों के साथ–साथ 8 अंक वाले एचएस कोड वर्गीकरण पर आधारित डीजीसीआई एवं एस के मासिक व्यापार आंकड़ों का समेकित डाटा विश्लेषण प्रदान करेगा।

विभाग द्वारा किए गए विभिन्न क्रियाकलापों, समारोहों एवं व्यापार वार्ताओं सहित विभाग के कामकाज के बारे में जानकारी के प्रसार के लिए और देश के व्यापार पर नवीनतम सूचना प्रदान करने के लिए विभाग की वेबसाइट (https://commerce.gov.in) को नियमित रूप से अपडेट किया जा रहा है। विभाग एवं इसके विभिन्न क्रियाकलापों से संबंधित नवीनतम सूचना प्रदान करने के लिए, यह विभाग जी2सी इंटरफेस प्रदान करता है। एक इंट्रानेट पोर्टल भी परिचालन में है तथा विभाग में कर्मचारियों एवं आंतरिक उपयोगकर्ताओं के लिए विभिन्न ई–गवर्नेंस एवं ऑफिस ऑटोमेशन एप्लीकेशन के लिए एकल खिड़की पहुंच प्रदान करने के लिए इसे एनआईसी द्वारा अनुरक्षित किया जा रहा है।

विभाग के विभिन्न सम्मेलन कक्षों में एनआईसीएनईटी के माध्यम से वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है। विभाग द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बैठकों के लिए इस सुविधा का व्यापक रूप से एक लागत प्रभावी उपाय के रूप में उपयोग किया जा रहा है। वर्ष 2019 में, ऐसी 59 बैठकों का आयोजन किया गया।

विदेश स्थित भारतीय मिशनों / पोस्टों में वाणिज्यिक स्कंध (टीए / टीसी अनुभाग)

विदेश स्थित भारतीय मिशनों/पोस्टों में 66 औपचारिक वाणिज्यिक स्कंध कार्यशील हैं जो वाणिज्य विभाग के "व्यापार आयुक्त' बजट शीर्ष से वित्तपोषित हैं। यूनिट के रूप में काम करने वाले ये वाणिज्यिक स्कंध भारतीय मिशनों से संबद्ध हैं। इनमें विश्व व्यापार संगठन, जेनेवा में स्थायी भारतीय मिशन तथा ब्रुसेल्स में विभाग का मिशन शामिल हैं। इसके अलावा, वाणिज्यिक एवं आर्थिक कार्य करने या व्यापार संवर्धन की गतिविधियां संचालित करने के लिए स्थानीय विपणन सहायक नियुक्त करने के लिए 39 अन्य भारतीय मिशनों को वाणिज्यिक बजट प्रदान किया गया है।

विदेश स्थित हमारे मिशनों के वाणिज्यिक स्कंध संबंधित मेजबान देश के साथ भारत के व्यापार से संबंधित विभिन्न कार्यों को निष्पादित करने में वाणिज्य विभाग के विस्तार केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। इसके तहत निम्नलिखित शामिल हैं :

I) सूचना एवं विपणन आसूचना जिसमें अन्य बातों के साथ व्यापार, आर्थिक एवं निवेश सूचना का संग्रहण एवं पारेषण; आर्थिक, वाणिज्यिक एवं व्यापार नीति विकास की निगरानी; दोनों देशों में सरकार के स्तर पर तथा कारोबारी समुदायों के स्तर पर द्विपक्षीय आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंधों की निगरानी; बाजार अनुसंधान, सर्वेक्षण तथा चल रहे व्यापार का समालोचनात्मक विश्लेषण शामिल है;

ii) व्यापार एवं निवेश संवर्धन जिसमें अन्य बातों के साथ व्यापार एवं निवेश से संबंधित पूछताछ के जवाब देना, पण्यवस्तु व्यापार का संवर्धन, निवेश एवं संयुक्त उद्यमों का सवंर्धन तथा व्यापार से संबंधित विवादों के समाधान में सहायता प्रदान करना शामिल है।

iii) व्यापार एवं आर्थिक चर्चा जिसमें अन्य बातों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंध पर अनुवर्ती कार्रवाई, परिलक्षित निर्यात एवं सेवाओं का संवर्धन, ब्रांड / बाजार संवर्धन, भारत के व्यापार एवं निवेश पर बल के साथ बहुपक्षीय एवं क्षेत्रीय संस्थाओं से संबंधित नए रूझानों का विश्लेषण आदि शामिल हैं।

इन वाणिज्यिक स्कंधों को सुदृढ़ करने तथा उनकी गतिविधियों में वृद्धि करने के लिए इन कार्यालयों के लिए बजटीय आवंटन को समय दृ समय पर बढ़ाया गया है। बजट प्रावधान 2015–16 के बजट अनुमान में 169.99 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2019–20 के बजट अनुमान में 176.00 करोड़ रुपए कर दिया गया है। संशोधित अनुमानों के स्तर पर आबंटन को बढ़ाकर 180.95 करोड़ रूपये कर दिया गया है।

समय–समय पर वाणिज्यिक स्कंधों के कामकाज की समीक्षा की जाती है। प्रमुख बाजारों में देश के वाणिज्यिक हितों को आगे बढ़ाने तथा

स्थान विशिष्ट एवं आवश्यकता आधारित जनशक्ति तैनात करने के लिए वाणिज्यिक स्कंधों का सुदृढ़ीकरण प्रक्रियाधीन है। वाणिज्य विभाग वाणिज्यिक प्रतिनिधियों/व्यापार आयुक्तों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए एक मूल्यांकन रूपरेखा तथा विदेश स्थित मिशनों/पोस्टों द्वारा वाणिज्य विभाग को डाटा भेजने के लिए एक वेब आधारित प्रणाली तैयार कर रहा है जिसमें वाणिज्यिक प्रकोष्ठों के लिए रिपोर्टिंग के संशोधित प्रोफार्मा को अंतिम रूप दिया गया है। इस प्रयोजन के लिए नेशनल इनफार्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक (एनआईसीएसआई) के पैनल में शामिल एक एजेंसी का अभिनिर्धारण किया गया है। इससे संबंधित प्रस्तावित पोर्टल परीक्षणाधीन है और सभी आवश्यक औपचारिकताओं के पूरा हो जाने के पश्चात जल्द ही इसे पूरी तरह से कार्यशील बनाया जाएगा।

परिवर्तनशील अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में वाणिज्यिक प्रतिनिधियों (सीआर) की क्षमता के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से वाणिज्य विभाग, विदेश सेवा संस्थान (एफएसआई), नई दिल्ली में वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण सत्रों के आयोजन के लिए विदेश मंत्रालय से अनुरोध करता है। एफएसआई के माध्यम से वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के लिए समय–समय पर क्षेत्र–वार प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए जाते हैं।

अनुबंध क

संगठन का नाम	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (31 अक्टूबर, 2019 को)	जनवरी से अक्टूबर 2019 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2019 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की कुल संख्या	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2019 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की कुल संख्या	अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2019 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या	ईडब्ल्यूएस कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2019 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों की कुल संख्या	एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या जो 31 अक्टूबर, 2019 की स्थिति के अनुसार भरी नहीं गई हैं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
वाणिज्य विभाग (सम्यक)	समूह क	148	-	21	-	3	-	11	-	-	-	-
	समूह ख	194	-	25	-	5	-	25	-	-	-	-
	समूह ग	164	1	42	-	15	0	35	1	-	-	ओबीसी - 5 ईडब्ल्यूएस - 2
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पूर्ति प्रभाग	समूह क	90	-	11	-	5	-	3	-	-	-	डीओपीटी नोडल

	समूह ख	**66**	-	**17**	-	**3**	-	**7**	-	-	-	मंत्रालय है
	समूह ग	**39**	-	**20**	-	**2**	-	**3**	-	-	-	शून्य
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (जेम)	समूह क	**22**	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह ख	**5**	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह ग	शून्य	शून्य	शून्य								
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (वाणिज्य विभाग + आपूर्ति + जेम)		**728**	**1**	**136**	**0**	**33**	**0**	**84**	**1**	**0**	**0**	**7**

वाणिज्य विभाग के अधीन संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
विदेश व्यापार महानिदेशालय	समूह क	117	1	16	0	6	0	17	1	0	0	0
	समूह ख	302	16	57	9	27	1	8	0	0	0	22
	समूह ग	469	0	48	0	25	0	27	0	0	0	173
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	152	0	112	0	28	0	17	0	0	0	33
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	2	0	2	0	12	0	0	0	0	0	2
वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस),	समूह क	16	-	2	-	-	-	2	-	0	-	संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा नियंत्रित
	समूह ख	167	-	43	-	15	-	5	-	-	-	भर्ती नियम के अनुसार अर्हक सेवा पूरी न करने

कोलकाता												के कारण अनुसूचित जाति के लिए 2 (दो) और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 (तीन) पद खाली पड़े हैं।
	समूह ग	**59**	**-**	**4**	**-**	**7**	**-**	**33**	**-**	**-**	**-**	डाटा प्रोसेसिंग सहायक **(एससी - 16, एसटी - 3, ओबीसी - 4)** पद और अवर श्रेणी लिपिक **(एससी - 2, एसटी - 1, ओबीसी - 3** पद**)**
	समूह ग	**35**	**-**	**8**	**-**	**2**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**एससी - 1,**

	(सफाई कर्मचारी को छोड़कर) (एमटीएस)											एसटी - 1, ओबीसी - 7 और ईडब्ल्यूएस - 3
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एम ई पी जेड, चेन्नई	समूह क	3	केंद्रीय सिविल सेवा (एएस / आईटीएस / आईआरएस) से प्रतिनियुक्ति पर भरे गए									
	समूह ख	55	प्रतिनियुक्ति एवं संवर्गीकरण पर भरे गए									
	समूह ग	37	0	18	0	1	0	0	0	0	0	1* एससी श्रेणी में आशुलिपिक ग्रेड III की एक रिक्ति को भरने के लिए उम्मीदवार के लिए मंत्रालय के माध्यम से एसएससी को अनुरोध भेजा

												गया है
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	शून्य	संस्वीकृत स्ट्रेंथ में समूह घ का कोई पद नहीं है									
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	शून्य										

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, कांडला	समूह क	4	1	2*	1*	-	-	-	-	-	-	-
	समूह ख	8	5*	-	-	1	1*	1*	1*	-	-	-
	समूह ग	28	3*	4	-	1	-	3	2*	-	-	2 (एससी)* *1 यूडीसी 1 एलडीसी
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	38	-	7	-	5	-	10	-	-	-	-
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-

निजी एसईजेड (कांडला एसईजेड)	समूह क	**6**	**3**	-	-	-	-	**1**	**1**	-	-	-
	समूह ख	**25**	**5**	**3**	-	**3**	-	**1**	-	-	-	-
	समूह ग	**33**	**10**	**3**	**1**	**2**	**1**	**15**	**6**	-	-	-
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशाखापत्तनम	समूह क	**4**	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-एनए-
	समूह ख	**16**	**1**	**1**	शून्य	**1**	शून्य	**1**	**1**	शून्य	शून्य	-एनए-
	समूह ग	**13**	शून्य	**4**	शून्य	**1**	शून्य	**6**	शून्य	शून्य	शून्य	-एनए-
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	शून्य										
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	शून्य										
फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र, कोलकाता	समूह क	**03**	शून्य	**01**	शून्य	शून्य	शून्य	**01**	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह ख	**22**	शून्य	**02**	शून्य	**01**	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह ग	**08**	शून्य	**04**	शून्य	शून्य	शून्य	**01**	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह घ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	(केवल सफाई कर्मचारी)											

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
इंदौर विशेष आर्थिक क्षेत्र, इंदौर	समूह क	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह ख	15	8*	2	2*	4	4*	2	2*	शून्य	शून्य	शून्य *सभी उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति के आधार पर होती है क्योंकि कोई सीधी भर्ती नहीं की जाती है।
	समूह ग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा	समूह क	**05**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह ख	**24**	-	**03**	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह ग	**37**	-	**10**	-	**03**	-	**10**	-	-	-	-
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र	समूह क	**3**	शून्य	**1**	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह ख	**26**	शून्य	**4**	शून्य	**1**	शून्य	**5**	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह ग	**22**	शून्य	**3**	शून्य	**1**	शून्य	**11**	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

वाणिज्य विभाग के अधीन स्वायत्त निकाय एवं वस्तु बोर्ड												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
मसाला बोर्ड, कोचीन	समूह क	80	शून्य	12	शून्य	7	शून्य	20	शून्य	शून्य	शून्य	2 (एससी) एवं 1 एसटी जिसे सीधी भर्ती / प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा।
	समूह ख	103	शून्य	14	शून्य	13	शून्य	32	शून्य	शून्य	शून्य	7 (एससी) जिसे सीधी भर्ती / प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा। 2 (ओबीसी) जिसे सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा।
	समूह ग	158	शून्य	27	शून्य	15	शून्य	55	शून्य	शून्य	शून्य	12 (एससी) एवं 7 (एसटी) जिसे सीधी भर्ती / प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा। 9 (ओबीसी) जिसे सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा।
	समूह घ (सफाई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	कर्मचारी को छोड़कर)											
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
रबर बोर्ड, कोट्टायम	समूह क	**204**	-	**24**	-	**17**	-	**30**	-	-		एससी - **7,** ओबीसी - **5**
	समूह ख	**543**	-	**72**	-	**39**	-	**86**	-	-		एससी **-24,** एसटी - **4,** ओबीसी - **16**
	समूह ग	**545**	-	**77**	-	**56**	-	**177**	-	-		एससी **-10,** एसटी - **1,** ओबीसी - **2**
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	**1**	-	**1**	-	-	-	-	-	-		शून्य
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
चाय बोर्ड, कोलकाता	समूह क	70	0	10	0	04	0	17	0	0	0	01
	समूह ख	125	0	21	0	05	0	31	0	0	0	04
	समूह ग	245	0	44	0	15	0	22	0	0	0	03
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए पी ई डी ए), नई दिल्ली	समूह क	23	0	5	0	1	0	1	0	0	0	1
	समूह ख	30	0	6	0	1	0	4	0	0	0	2
	समूह ग	31	0	4	0	3	0	6	0	0	0	7
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद (ई	समूह क	102	-	22	-	05	-	24	-	-	-	पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है
	समूह ख	33	-	04	-	05	-	09	-	-	-	
	समूह ग	128	-	13	-	02	-	20	-			
	समूह घ (सफाई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

आई सी), नई दिल्ली	कर्मचारी को छोड़कर)											
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (मपेडा)	समूह क	69	-	12	-	8	-	26	-	-	-	मपेडा की सभी संगठनात्मक भर्ती प्रक्रियाधीन है और प्रक्रिया पूर्ण हो जाने पर ये पद भरे जाएंगे।
	समूह ख	**75**	**-**	**15**	-	**9**	-	**26**	**-**	**-**	**-**	
	समूह ग	**68**	**1**	**13**	-	**5**	-	**26**	**1**		**-**	
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	**16**	**1**	**4**	-	**3**	-	**5**	**1**	**-**	**-**	
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी)	समूह क	**68**	**04**	**03**	**01**	**-**	**-**	**07**	**01**	**-**	**-**	शिक्षणेतर स्टाफ के लिए संस्थान की भर्ती नियमावली संशोधन के अधीन है।
	समूह ख	**51**	**-**	**13**	**-**	**04**	**-**	**07**	**-**	**-**	**-**	
	समूह ग	**18**	**-**	**04**	**-**	**-**	**-**	**03**	**-**	**-**	**-**	
	समूह घ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	(सफाई कर्मचारी को छोड़कर)											
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप जोड़ (ख)		**2786**	**6**	**420**	**1**	**217**	**0**	**634**	**3**	**0**	**0**	**127**

वाणिज्यक विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
भारतीय राज्य व्यापार निगम (एस टी सी), नई दिल्ली	समूह क	234	0	63	0	14	0	26	0	0	0	0
	समूह ख	65	0	12	0	5	0	2	0	0	0	@ @ एसटीसी में, पिछले लगभग 23 वर्षों से समूह ख और ग में कोई भर्ती नहीं हुई है।
	समूह ग	61	0	22	0	8	0	3	0	0	0	
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आई टी पी ओ), नई दिल्ली	समूह क	122	01	24	01	05	--	14	--	--	--	आरक्षित रिक्तियों सहित समूह क में 16 पदों और समूह ग में 4 पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया चल रही है।
	समूह ख	53	--	14	--	03	--	01	--	--	--	--

	समूह ग	178	01	37	--	06	01	21	--	--	--	आरक्षित रिक्तियों सहित समूह क में 16 पदों और समूह ग में 4 पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया चल रही है।
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	236	--	50	--	03	--	08	--	--	--	--
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	31	--	29	--	--	--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया (पी ई सी) लिमिटेड, नई दिल्ली	समूह क	65*	-	12	-	4	-	12	-	-	-	4 *01 निदेशक तथा प्रतिनियुक्ति पर बाहर 03 सहित।
	समूह ख	3	-	2	-	0	-	1	-	-	-	0
	समूह ग	1	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	-	-		-		-		-	-	-	
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-		-		-		-	-	-	
एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (ईसीजीसी) लिमिटेड, मुंबई	समूह क	260	0	46	0	17	0	49	0	0	0	एनए
	समूह ख	300	0	54	0	24	0	73	0	0	0	4 (1 - अनुसूचित जाति, 3 - ओबीसी)
	समूह ग	17	0	4	0	3	0	1	0	0	0	एनए
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	एनए

	छोड़कर)											
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	एनए
एमएमटीसी लिमिटेड	समूह क	372	-	71	-	28	-	36	-	-	-	एससी - 5, एसटी - 4, ओबीसी - 9
	समूह ख	327	-	70	-	50	-	10	-	-	-	-
	समूह ग	84	-	17	-	4	-	19	-	-	-	-
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	111	-	33	-	9	-	31	-	-	-	-
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-जोड़ (ग)		2523	2	561	1	183	1	308	0	0	0	46
कुल योग = वाणिज्य विभाग + पूर्ति + जेम +क+ख+ग		7794	62	1483	15	580	8	1204	18	0	0	459

अनुबंध ख

संगठन का नाम संगठन	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या : (31 अक्टूबर, 2019 तक की स्थिति के अनुसार)	जनवरी से अक्टूबर **2019** की अवधि के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	विकलांग कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या **(31 अक्टूबर, 2019** की स्थिति के अनुसार)					जनवरी से अक्टूबर **2019** की अवधि के दौरान भर्ती किए गए विकलांग कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या					विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या जो **31** अक्टूबर, **2019** की स्थिति के अनुसार नहीं भरी गई हैं
				क	ख	ग	घ	ड.	क	ख	ग	घ	ड.	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**	**(14)**	**(15)**
वाणिज्य विभाग (सम्यक)	समूह क	**148**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह ख	**194**	-	**3**	**2**	**3**	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह ग	**164**	**1**	**2**	-	**1**	-	-	-	-	-	-	-	**2**
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	-	-	--	--	-	----	-	-	-	-	-	-	-
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-
पूर्ति प्रभाग	समूह क	**90**	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह ख	**66**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह ग	**39**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जेम)	समूह क	22	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह ख	5	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह ग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (वाणिज्य विभाग + जेम)		728	1	5	2	4	0	0	0	0	0	0	0	2
वाणिज्य विभाग के अधीन संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
विदेश व्यापार महानिदेशालय	समूह क	117	0	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह ख	302	1	1	2	4	-	-	-	-	1	-	-	2
	समूह ग	469	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	7
	समूह ग एमटीएस (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	152	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी	समूह क	16	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा नियंत्रित

महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस), कोलकाता	समूह ख	**167**	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	समूह 'ख' के सभी पद पदोन्नति के पद हैं तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।
	समूह ग	**59**	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	डीपीए पद के लिए 3 पीडब्ल्यूडी पद और एलडीसी के लिए 1 पद खाली पड़े हैं।
	समूह ग एमटीएस (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	**35**	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 पीडब्ल्यूडी पद खाली पड़ा है।
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)													
एम ई पी जेड, चेन्नई	समूह क	**3**	शून्य	शून्य					शून्य					शून्य
	समूह ख	**55**												
	समूह ग	**37**												
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	संस्वीकृत स्ट्रेंथ में समूह घ का कोई पद नहीं है												
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)													

कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, कांडला	समूह क	**4**	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह ख	**8**	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह ग	**28**	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	**38**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	**2**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**	**(14)**	**(15)**
निजी एसईजेड कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र	समूह क	**6**	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह ख	**25**	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह ग	**33**	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र,	समूह क	**4**	शून्य	शून्य					शून्य					लागू नहीं
	समूह ख	**16**	1											
	समूह ग	**13**	शून्य											

विशाखापत्तनम	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	शून्य												लागू नहीं
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	शून्य												लागू नहीं
फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र, कोलकाता	समूह क	**03**	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह ख	**22**	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह ग	**08**	शून्य	शून्य	शून्य	01	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)													
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**	**(14)**	**(15)**
इंदौर विशेष आर्थिक क्षेत्र, इंदौर	समूह क	**1**	1	------शून्य------ • सभी उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति के आधार पर होती है क्योंकि कोई सीधी भर्ती नहीं की जाती है।										
	समूह ख	**15**	8*											
	समूह ग	शून्य	शून्य											
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को	शून्य	शून्य											

मसाला बोर्ड, कोचीन	समूह क	**80**	शून्य	शून्य	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह ख	**103**	शून्य	शून्य	शून्य	3	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह ग	**158**	शून्य	3	1	3	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	**1**
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
रबर बोर्ड, कोट्टायम	समूह क	**204**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह ख	**543**	-	2	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह ग	**545**	-	2	2	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	**1**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)													
चाय बोर्ड, कोलकाता	समूह क	**70**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	समूह ख	**125**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	समूह ग	**245**	**0**	**0**	**0**	04	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	(9)	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**	**(14)**	(15)
कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए पी ई डी ए), नई दिल्ली	समूह क	**23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1	**0**	**0**	**0**	**0**		1
	समूह ख	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**		1
	समूह ग	**31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1	**0**	**0**	**0**	**0**		1
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**		0
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**		0
भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद (ई आई सी), नई दिल्ली	समूह क	**102**	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह ख	**33**	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह ग	**128**	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	समूह क	**69**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मपेडा की सभी संगठनात्मक भर्ती प्रक्रियाधीन है और
	समूह ख	**75**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	समूह ग	**68**	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(मपेडा)	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	**16**	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	प्रक्रिया पूर्ण हो जाने पर ये पद भरे जाएंगे।
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(1)	**(2)**	**(3)**	(4)	**(5)**	**(6)**	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी)	समूह क	**68**	04	**-**	**-**	01	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	शिक्षणेतर स्टाफ के लिए संस्थान की भर्ती नियमावली संशोधन के अधीन है।
	समूह ख	**51**	**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	समूह ग	**18**	**-**	**-**	**-**	01	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
उप जोड़ (ख)		**2786**	**6**	**9**	**7**	**35**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**

वाणिज्यक विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
भारतीय राज्य व्यापार निगम (एस टी सी), नई दिल्ली	समूह क	**234**	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
	समूह ख	**65**	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	@ एसटीसी में, पिछले लगभग 23 वर्षों से समूह ख और ग में कोई भर्ती नहीं हुई है।
	समूह ग	**61**	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	**-**	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आई टी पी ओ), नई दिल्ली	समूह क	**122**	01	--	01	--	--	--	--	--	--	--	--	01 (एचएच)*
	समूह ख	**53**	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	समूह ग	**178**	01	--	02	04	--	--	--	--	--	--	--	--
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	**236**	--	02	--	02	--	--	--	--	--	--	--	--
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	**31**	--	--	--	01	--	--	--	--	--	--	--	--
प्रोजेक्ट एंड	समूह क	**65***	-	**01**	-	02	-	-	-	-	-	-	-	*01 निदेशक तथा प्रतिनियुक्ति पर

इक्विपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया (पी ई सी) लिमिटेड, नई दिल्ली														बाहर 03 सहित।
	समूह ख	**3**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह ग	**1**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)	**(2)**	**(3)**	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (ईसीजीसी) लिमिटेड, मुंबई	समूह क	**260**	एनए*	3	1	5	0	0	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	*ईसीजीसी में सेवानिवृत्ति, यदि कोई हो, के विरुद्ध केवल कार्यपालक अधिकारी के पद पर समूह ख की श्रेणी में भर्ती की जाती है।
	समूह ख	**300**	शून्य	2	1	2	0	0	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	एनए
	समूह ग	**17**	एनए*	0	0	0	0	0	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को	**3**	एनए*	1	0	0	0	0	शून्य	शू	शून्य	शू	शून्य	एनए

	छोड़कर)									न्य		न्य		
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	शून्य	एनए*	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शू न्य	शून्य	शू न्य	शून्य	एनए
एमएमटीसी लिमिटेड	समूह क	**372**	-	1	3	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह ख	**327**	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह ग	**84**	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	**111**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-जोड़ (ग)		**2523**	**02**	**11**	**8**	**42**	-	-	-	-	-	-	-	**1**
कुल योग = वाणिज्य विभाग + पूर्ति + जेम +क+ख+ग		**7794**	**47**	**41**	**20**	**106**	**0**	**12**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**21**

(क) दृष्टिहीनता या कम दिखना;

(ख) मूक तथा कम सुनाई देना;

(ग) सेरेबरल पाल्जी सहित लोकोमोटर अपंगता, रोगमुक्त लेप्रोसी, बौनापन, एसिड हमला पीडित, और मस्कुलर डिस्ट्राफी;

(घ) ऑटिज्म, बौद्धिक अपंगता, विशिष्ट अधिगम अपंगता एवं मानसिक बीमारी;

(ड.) क से घ तक की अनेक अपंगताएं जिसमें बहरापन - अंधता शामिल हैं

वर्ष **2006** से विभिन्न रिपोर्टों में शामिल लेखा परीक्षा टिप्पणियों के संबंध में स्थिति /की गई कार्रवाई

क्र. सं.	पैरा संख्या और रिपोर्ट	पैरा का सार	पैरा की स्थिति
सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क मुद्दे – ई ओ यू / एस ई जेड			
1	रिपोर्ट संख्या 2013 की 8	सीएसटी की प्रतिपूर्ति	14 अगस्त, 2018 को एपीएमएस पोर्टल पर अंतिम एटीएन अपलोड किया गया है।

	2014 का 21	विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)	(i) 4 दिसंबर 2018 को कैग की संशोधित टिप्पणियां दिनांक 30 नवंबर 2018 प्राप्त हुई हैं। कैग ने 82 पैराओं में से 74 पैराओं पर वाणिज्य विभाग की टिप्पणियों को स्वीकार कर लिया है। (ii) कैग ने सीबीडीटी से संबंधित दो पैरा और वाणिज्य विभाग से संबंधित 6 पैराओं पर संशोधित टिप्पणियां प्रदान करने का अनुरोध किया है। (iii) इसके अलावा कैग ने 5 पैराओं पर अंतिम परिणाम के लिए अनुरोध किया है। **(iv)** डीजीईपी / एसईजेड के जोनल विकास आयुक्तों से संशोधित टिप्पणियां मंगाई गई हैं। एसईईपीजेड, सीएसईजेंड तथा डीजीईपी को अनुस्मारक दिनांक 13 अगस्त 2019 भी भेजा गया है तथा पत्र दिनांक 19 अगस्त 2019 के माध्यम से डीजीईपी से जवाब प्राप्त हुआ है। **(v)** डीजीईपी ने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 2 सितंबर 2019 के माध्यम से यह भी सूचित किया है कि कैग के लेखा परीक्षा पैरा 5.12 एवं 5.21 के उत्तर इस विभाग को सूचित करते हुए प्राथमिकता के आधार पर सीधे कैग के साथ सेटल किए जा सकते हैं। एसईईपीजेड को अनुस्मारक दिनांक 11 सितंबर 2019 भेजा गया है।
सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क – डीजीएफटी :			
1	2008 का सीए 6 (अध्याय IV)	केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और सीमा शुल्क	क्षेत्रीय प्राधिकारी, अहमदाबाद से प्राप्त संशोधित एटीएन 9 अगस्त 2019 को एपीएमएस पर अपलोड किया गया और इसे कैग द्वारा उनके पत्र दिनांक 23 सितंबर 2019 के माध्यम से क्लियर कर दिया गया है। 12 आरएलए और एसईजेड के संबंध में उप पैरा सहित एटीएन की संख्या 40 से अधिक है।

			पैरा 4.7.1.14 के संबंध में एटीएन 28 जनवरी 2019 को मंगाया गया है। 15 अक्टूबर 2019 को क्षेत्रीय प्राधिकारी, चेन्नई को अनुस्मारक भेजा गया।
2	2009-10 का पीए 15	अध्याय 71 के तहत वस्तुओं का आयात	फरवरी 2019 को 2009-10- सीएजी के पीए ने 7 पैराओं पर उत्तर की मांग की जो डीजीईपी (राजस्व विभाग) और एसईजेड से संबंधित हैं। डीजीईपी (राजस्व विभाग) से संबंधित तीन पैराओं के संबंध में एटीएन प्राप्त हुए तथा 22 मार्च 2019 को कैग को भेजे गए। एक पैरा 4.10 जिसमें 8 मामले और 36 यूनिटें शामिल हैं, के संबंध में डीजीईपी एटीएन प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं था क्योंकि रिपोर्ट में कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। कैग से 24 अप्रैल 2019 को इस मामले को स्पष्ट करने / ब्यौरा भेजने के लिए कहा गया है ताकि डीजीईपी एटीएन प्रस्तुत कर सके। 16 मई 2019 को निगरानी सेल के साथ मामला उठाया गया और पुन: 3 जून 2019, 21 जून 2019, 4 जुलाई 2019 और 26 जुलाई 2019 तथा 24 अक्टूबर 2019 को कैग के साथ मामला उठाया गया। न पैराओं (2.4, 2.6 और 2.7) के संबंध में एटीएन एसईजेड (वाणिज्य विभाग) से 22 अगस्त 2019 को प्राप्त हुआ परंतु एपीएमएस पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जा सका क्योंकि 23 मार्च 2019 को कैग को भेजा गया उत्तर कैग द्वारा क्लियर नहीं किया गया और इस प्रकार प्राप्त नए एटीएन एपीएमएस पोर्टल पर अपलोड नहीं किए जा सके। निगरानी सेल से 30 अगस्त 2019 और 24 अक्टूबर 2019 को नए एपीएमएस पोर्टल पर एटीएन को अपलोड करने में आ रही समस्याओं को दूर करने का अनुरोध किया गया। संयुक्त डीजीएफटी (लेखा परीक्षा) द्वारा निगरानी सेल के साथ भी मामले पर चर्चा की गई।

			त्रीय प्राधिकारी, बंगलौर से पैरा नंबर 3.50 के संबंध में और क्षेत्रीय प्राधिकारी, पुणे से पैरा नंबर 3.34, 3.36, 3.50, 3.53, 3.54, 3.55 एवं 3.59 के संबंध में एटीएन प्राप्त हुए परंतु इनको एपीएमएस पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जा सका क्योंकि 18 सितंबर 2019 को एपीएमएस पोर्टल पर पहले अपलोड किए गए एटीएन कैग द्वारा क्लियर नहीं किए गए।
3	2013 का पीए 8 (अध्याय I)	मानित निर्यात ड्राबैक स्कीम	कैग ने कुछ मामलों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा था और तद्नुसार संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारियों से 26 अक्टूबर 2019 को लंबित लेखा परीक्षा पैराओं के निस्तारण के लिए अपेक्षित दस्तावेज / टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। क्षेत्रीय प्राधिकारी, बंगलौर से पैरा 3.50 और क्षेत्रीय प्राधिकारी, पुणे से पैरा 3.34, 3.36,3.50,3.53,3.54,.3.55 एवं 3.59 के संबंध में एटीएन प्राप्त हुआ तथा पहले अपलोड किए गए एटीएन के क्लियर हो जाने पर इनको एपीएमएस पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। एक मामले में फाल्टा एसईजेड से प्राप्त उत्तर को एपीएमएस पोर्टल पर 19 सितंबर 2019 को अपलोड किया गया।

क्र. सं.	पैरा संख्या और रिपोर्ट	पैरा का सार	पैरा की स्थिति
4	2014 का 12 (2.4 से 2.19)	प्रचार के उपाय (फोकस उत्पाद स्कीम)	कैग ने 30 अप्रैल 2019 को पैरा 2.4.2 के संबंध में यह स्पष्टीकरण मांगा है कि दो अलग अलग कंपनियों के संबंध में भिन्न भिन्न दृष्टिकोण क्यों अपनाया गया है। पैरा 2.4.3 के संबंध में उत्तर 25 सितंबर 2019 को प्राप्त हुआ परंतु केएसईजेड द्वारा समर्थक दस्तावेज अग्रेषित नहीं किए गए। तद्नुसार, कैग के साथ मामले को उठाने के लिए इसे प्रदान करने के लिए अनुस्मारक दिनांक 16 अक्टूबर 2019 और 15 नवंबर 2019 के साथ केएसईजेड से 26 सितंबर 2019 को अनुरोध किया गया।
5	2015 का 8 (पैरा 8)	विदेश व्यापार महानिदेशालय की ईडीआई लेखा परीक्षा प्रणाली की लेखा परीक्षा	पैरा 8.6.2 और 8.7.7.4 के संबंध में कैग की पूछताछ का जवाब 15 मार्च 2019 को नीति 4 प्रभाग से मांगा गया था। पीसी 4 ने 16 जुलाई 2019 को अंतरिम जवाब भेजा था। पीसी 4 के माध्यम से क्षेत्रीय प्राधिकारी, मुंबई से प्राप्त पैरा 8.7.7.4 के संबंध में जवाब प्राप्त हुआ और उसे पैरा के निस्तारण के लिए कैग को भेजा गया।

2016 का 5 (5.6)	पहले ही जीरो ड्यूटी इपीसीजी जारी की चुकी कंपनियों को एसएचआईएस ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप का प्रदान किया जाना और विलोमत:	11 अक्टूबर 2018 को एपीएमएस पोर्टल पर टिप्पणियों के माध्यम से कैग ने सूचित किया है कि स्टारेन की फील्ड सत्यापन किया जा रहा है तथा टिप्पणियां यथासमय प्रस्तुत

क्र. सं.	पैरा संख्या और रिपोर्ट	पैरा का सार	पैरा की स्थिति
सी एंड एजी (वाणिज्यिक) के बकाया पैराग्राफों की सूची - एफटी (एसटी)			

1	4.3.1 (2010 का 9)	एसटीसीएल लिमिटेड से संबंधित व्यवसाय सहयोगियों के साथ संविदा करने और कार्यान्वित करने में आंतरिक नियंत्रणों की व्यवस्था करने में विफलता	लेखा परीक्षा कार्यालय ने मंत्रालय द्वारा भेजे गए एटीएन पर विवक्षा अभ्युक्तियां भेजी है। लेखा परीक्षा कार्यालय ने अपने पत्र दिनांक जून 2012 के माध्यम से कहा है कि चूंकि मामला विचाराधीन प्रकृति का है, इसलिए अंतिम निर्णय तक एटीएन को रोक कर रखना है। वाणिज्य विभाग ने दिनांक 2 जुलाई, 2012 के पत्र द्वारा अनुस्मारक मामलों के शीघ्रनिपटान के लिए संबंधित प्राधिकारियों के साथ मामले को उठाने के लिए एसटीसीएल को निदेश दिया है। पत्र दिनांक 27 जून, 2016 के माध्यम से लेखा परीक्षा को इस मामले में अद्यतन स्थिति के बारे में सूचित किया गया है। स्थाई लेखा परीक्षा समिति की 6वीं बैठक की सिफारिश के अनुसार, पत्र दिनांक 2 सितंबर, 2016 के माध्यम से एसटीसीएल से मामले को जल्दी से अंतिम रूप देने के लिए संबंधित प्राधिकारियों से उठाने का अनुरोध किया गया है। लेखा परीक्षा को अद्यतनीकृत वर्तमान स्थिति रिपोर्ट 07 सितंबर, 2018 को भेजी गई।
2	4.1 (2011-12 का सीए 3)	लौह अयस्क व्यवसाय क्षेत्र - एसटीसीएल लिमिटेड	लेखा परीक्षा कार्यालय ने मंत्रालय द्वारा भेजे गए एटीएन पर विवक्षा अभ्युक्तियां भेजी है। लेखा परीक्षा कार्यालय ने अपने पत्र दिनांक 28 मई, 2012 के माध्यम से कहा है कि चूंकि मामला विचाराधीन प्रकृति है इसलिए अंतिम निर्णय होने तक एटीएन को रोक कर रखा जाए। वाणिज्य विभाग ने दिनांक 2 जुलाई, 2012 के पत्र द्वारा और 2 मई, 2013 के अनुस्मारक द्वारा मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संबंधित प्राधिकारियों के साथ मामले को उठाने के लिए एसटीसीएल को निदेश दिया है। पत्र दिनांक 27 जून, 2016 के माध्यम से लेखा परीक्षा को इस मामले में अद्यतन स्थिति के बारे में सूचित किया गया है। स्थाई लेखा परीक्षा समिति की 6वीं बैठक की सिफारिश के अनुसार, पत्र दिनांक 2 सितंबर, 2016 के माध्यम से एसटीसीएल से मामले को जल्दी से अंतिम रूप देने के लिए संबंधित प्राधिकारियों से उठाने का अनुरोध किया गया है। लेखा परीक्षा को अद्यतनीकृत वर्तमान स्थिति रिपोर्ट 07 सितंबर, 2018 को भेजी गई।

3	4.1 (2012 का 8) - 13 (नया परिवर्धन)	एक व्यवसाय सहयोगी को निधियां जारी करने में अनियमितता	एसटीसीएल ने संशोधित एटीएन प्रस्तुत किया जो 25 मार्च, 2013 को लेखा परीक्षा कार्यालय को अग्रेषित किए गए। लेखा परीक्षा ने कहा है कि चूंकि मामले विचाराधीन हैं और धनराशि अभी वसूल की जानी है इसलिए प्रस्ताव है कि मामले में अंतिम निर्णय होने तक एटीएन को रोक कर रखा जाए। वाणिज्य विभाग ने एसटीसीएल को निदेश दिया है कि वे मामले को संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाएं। पत्र दिनांक 27 जून, 2016 के माध्यम से लेखा परीक्षा को इस मामले में अद्यतन स्थिति के बारे में सूचित किया गया है। स्थाई लेखा परीक्षा समिति की 6वीं बैठक की सिफारिश के अनुसार, पत्र दिनांक 2 सितंबर, 2016 के माध्यम से एसटीसीएल से मामले को जल्दी से अंतिम रूप देने के लिए संबंधित प्राधिकारियों से उठाने का अनुरोध किया गया है। लेखा परीक्षा को अद्यतनीकृत वर्तमान स्थिति रिपोर्ट 07 सितंबर, 2018 को भेजी गई।

4	4.2 (2018 का 11) 7 अगस्त 2018 को रिपोर्ट पटल पर रखी गई।	संविदा की निष्प्रभावी निगरानी की वजह से देयों की वसूली न होना। प्रबंधन की ओर से मालगोदाम में भंडारित सामग्री की निष्प्रभावी निगरानी तथा बंधक रखे गए माल को कुर्क करने में निष्प्रभावी निर्णय तथा पोस्ट डेटेड चेक को भुनाने में विलंब से कार्रवाई के कारण 10 नवंबर 2017 तक 7.29 करोड़ रुपए के ब्याज के अलावा पीएफसी को 11.21 करोड़ रुपए की निधियों के अवरुद्ध होने का नुकसान उठाना पड़ा।	पत्र दिनांक 12 नवंबर, 2018 के माध्यम से लेखा परीक्षा को एटीआर भेजा गया। कैग द्वारा अग्रेतर अभ्युक्तियों के लिए एटीएन लौटा दिया गया है। पत्र दिनांक 2 जनवरी 2019 के माध्यम से पीईसीएल से नई टिप्पणियां प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। पीईसीएल से जवाब की प्रतीक्षा है।
कैग के बकाया वाणिज्यिक पैराग्राफ की सूची (एमएमटीसी)			

1.	4.1 (2018 का 11) 7 अगस्त 2018 को रिपोर्ट पटल पर रखी गई।	निदेशकों की क्रियाशील प्रबंध समिति के निदेशों का पालन न करने के कारण नुकसान। एमएमटीसी ने विदेशी आपूर्तिकर्ता को इंडेंट देने से पूर्व क्रेताओं के साथ समझौता ज्ञापन करने के लिए सितंबर 2013 में एमएमटीसी के निदेशकों की क्रियाशील प्रबंध समिति के निदेशों का पालन किए बगैर मैसर्स यूएमके, दक्षिण अफ्रीका से मई 2014 में 4439 मीट्रिक टन मैगनीज अयस्क का आयात किया। चूंकि एमएमटीसी ने प्रतिबद्ध क्रेता प्राप्त नहीं किया, इसलिए 14 माह तक अयस्क के काफी अंश की बिक्री नहीं हो सकी और इसके बाद सामग्री के क्रय मूल्य से लगभग आधी कीमत पर इसे बेचा गया। इस प्रकार एमएमटीसी को 6.7 करोड़ रुपए का निवल नुकसान हुआ।	स्वीकृति तथा पैरा को छोड़ने के लिए लेखा परीक्षा को कृत कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) भेजी गई। कैग द्वारा अग्रेतर अभ्युक्तियों के लिए एटीएन लौटा दिया गया है। पत्र दिनांक 10 दिसंबर 2018 के माध्यम से एमएमटीसी से नई टिप्पणियां प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। एमएमटीसी से जवाब की प्रतीक्षा है।

पीएसी पैरा पर स्टेटस : अपेडा

कुल पैरा	लोक सभा नंबर / रिपोर्ट नंबर	विषय	स्थिति
पैरा नंबर 1 से 6	वर्ष 2018 के लिए 16/123	अपेडा द्वारा प्रभावी निगरानी में	पीएसी ने इस मामले में 11 जुलाई 2018 को सुनवाई की थी और इसके बाद 123वीं रिपोर्ट आई जिसे 18 दिसंबर 2018 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया / राज्य सभा में रखा गया। लेखा परीक्षा द्वारा लंबित समीक्षा के अधीन 18 जून 2019 को लोक सभा सचिवालय को कृत कार्रवाई नोट की अग्रिम प्रतियां प्रस्तुत की गईं। लेखा परीक्षा की समीक्षा टिप्पणियां 3 सितंबर 2019 को प्राप्त हुईं। अपेडा, राज्य सेल, बागान प्रभाग तथा मसाला बोर्ड के परामर्श से समीक्षा टिप्पणियों पर हमारे जवाब को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

अनुबंध II

विभिन्न रिपोर्टों में दी गई लेखा परीक्षा टिप्पणियों पर स्थिति /की गई कार्रवाई

क्र. सं.	वर्ष	पैरा संख्या / पीए रिपोर्ट जिन पर पी ए सी को लेखा परीक्षा द्वारा विधीक्षा के बाद ए टी एन सौंपा गया है	पैरा /पीए रिपोर्ट का ब्यौरा जिन पर ए टी एन लंबित है				
			ए टी एन की संख्या जो मंत्रालय द्वारा पहली बार भी नहीं भेजे गए हैं	ऐसे ए टी एन की संख्या जो लेखा परीक्षा के पास लंबित हैं	ऐसे एटीएन की संख्या जो भेजे गए लेकिन टिप्पणियों के साथ वापस लौटा दिए गए और मंत्रालय द्वारा जिनके पुन: प्रस्तुत किए जाने का लेखा परीक्षा द्वारा प्रतीक्षा की जा रही है	निगरानी प्रकोष्ठ / पीएसी शाखा (लोक सभा) को भेज दिया गया है।	अन्य कारणों से लंबित एटीएन की संख्या (विचाराधीन)
1.	2008	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के मुद्दे	----	----	1	--	--
2.	2009	सीमा शुल्क और	----	1	--	-	--

		उत्पाद शुल्क के मुद्दे					
3.	2010	वाणिज्यिक	--	--	--	--	1
4.	2012	वाणिज्यिक	--	--	--	--	1
5.	2013	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क	--	1	--		1
		वाणिज्यिक	--	--	----	--	1
6.	2014	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क	----	-	2	----	----
7.	2015	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क	--	2	--	--	--
		सिविल	----	----	1	--	1
		वाणिज्यिक	--	----	----	--	--
8.	2016	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क	----	1	--	--	--

		वाणिज्यिक	----	--	--	--	--
9.	2017	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क	----	1	1	--	----
		सिविल	----	----	--	--	--
		वाणिज्यिक	--	--	--	--	----
10.	2018	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क	----	----	----	----	----
		सिविल	--	....		----	----
		वाणिज्यिक	----	....	2	----	----
		पीएसी	----	----	6	----	----
		कुल **24**	**.....**	**06**	**13**		**5**

2018 की विभिन्न रिपोर्टों में लेखा परीक्षा की टिप्पणियों का सारांश

क्र. सं.	पैरा / रिपोर्ट संख्या	पैरा / स्थिति का सार	लेखा परीक्षा की टिप्पणियां
	शून्य		

Notes

Notes

Notes

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग